



छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2025 सत्र

सोमवार, दिनांक 03 मार्च, 2025

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

मुंगेली विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत खाद एवं बीज का प्रदाय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

1. (*क्र. 595) श्री पुनूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) वर्ष 2022-23 से मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 31.01.2025 तक खरीफ एवं रबी फसल हेतु किस-किस प्रकार के कितनी मात्रा में रासायनिक खाद एवं बीज की मांग के विरुद्ध केन्द्र शासन द्वारा कितनी मात्रा में आबंटन दिया गया, राशि बतावें? (ख) प्रश्नांक अवधि में मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के कृषकों द्वारा किस-किस प्रकार के बीज एवं किस-किस प्रकार की रासायनिक खाद की मांग के विरुद्ध कितनी मात्रा में खाद एवं बीज का प्रदाय किया गया? क्या राज्य शासन द्वारा किन्हीं अन्य माध्यम/एजेंसी से भी रासायनिक खाद एवं बीज की खरीदी की गई? यदि हां तो कितनी मात्रा में कितनी राशि की, वर्षवार विकासखण्डवार बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2022-23 से 31.01.2025 तक मुंगेली विधानसभा से संबद्ध विकासखण्डों मुंगेली एवं पथरिया हेतु आंकलित उर्वरक मांग का विकासखण्डवार, वर्षवार विवरण संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। केन्द्र सरकार से उर्वरक आपूर्ति हेतु जिलेवार मांग प्रेषित नहीं की जाती, अपितु संपूर्ण राज्य की आवश्यकता हेतु मांग केन्द्र सरकार को प्रेषित की जाती है। प्रश्नाधीन अवधि में केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये उर्वरकों में से मुंगेली एवं पथरिया विकासखण्डों में की गई आपूर्ति का विवरण संलग्न प्रपत्र- ब अनुसार है। इस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा किसी प्रकार की राशि नहीं दी जाती है। अतः शेष जानकारी निरंक है। मुंगेली विधानसभा क्षेत्र से संबद्ध विकासखण्डों हेतु बीज की मांग केन्द्र सरकार से नहीं की गई थी अतः शेष जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में विभाग द्वारा रासायनिक उर्वरकों एवं बीज की आंकलित मांग के विरुद्ध भण्डारित एवं वितरित मात्रा का विवरण संलग्न प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है। विभाग द्वारा जिला मुंगेली विधानसभा क्षेत्र से संबद्ध विकासखण्डों में किसी अन्य माध्यम/एजेंसी से रासायनिक खाद एवं बीज की खरीदी नहीं की गई है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - एक"]

गौण वनोपज के स्वामित्व का सामुदायिक अधिकार उपबंध 3 का क्रियान्वयन

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

2. (*क्र. 827) श्री जनक ध्रुव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम सभा को गौण वनोपज के स्वामित्व का सामुदायिक अधिकार उपबंध 3 में मान्य किया जा रहा है ? भूमि अर्जन करते समय या भूमि का व्यपवर्तन

करते समय जो पेड़ काटे जाते हैं, उसके कारण ग्राम सभा के गौण वनोपज के स्वामित्व के जो अधिकार प्रभावित होते हैं, उसका मुआवजा ग्राम सभा को दिए जाने हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं या क्या निर्देश प्रसारित किए गए हैं? ऐसे मुआवजा देने हेतु गाँव वनोपज के मूल्य की गणना कैसे की जाती है? यदि इस हेतु प्रावधान नहीं है तो कब तक बना लिए जाएंगे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जी हां, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 के धारा 3(1)(ग) के अनुसार "गौण वन उत्पादों के, जिनका गाँव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रह किया जाता रहा है, स्वामित्व संग्रह के लिए पहुंच, उनका उपयोग और व्ययन का अधिकार रहा है" पर सामुदायिक वन अधिकार मान्य किए जाने का प्रावधान है। जिसके आधार पर सामुदायिक वन अधिकार मान्य किया जा रहा है। भूमि अर्जन करते समय जो पेड़ काटे जाते हैं उसके कारण ग्राम सभा के गौण वनोपज के स्वामित्व के जो अधिकार प्रभावित होते हैं उसका मुआवजा ग्राम सभा को दिए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 18.02.2025 के कंडिका क्र. 04 में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (LARR Act, 2013) के अनुसार ग्रामसभा को मुआवजा देने के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। वनभूमि अर्जन करते समय जो पेड़ काटे जाते हैं उसके कारण ग्राम सभा के गौण वनोपज के स्वामित्व के जो अधिकार प्रभावित होते हैं, ऐसे प्रकरणों में मुआवजा हेतु वनोपज के मूल्य की गणना करने की प्रक्रिया का उल्लेख भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में है। उक्त अधिनियम में वर्णित संबंधित प्रावधानों का उल्लेख उपर्युक्त उल्लेखित विभागीय पत्र की कंडिका 04(घ) में भी किया गया है। जबकी वनभूमि के व्यपवर्तन के संबंध में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से प्राप्त उत्तर अनुसार भूमि व्यपवर्तन करते समय ग्रामसभा के प्रस्ताव एवं सहमति लिये जाने के पश्चात ही व्यपवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। अतः जो पेड़ काटे जाते हैं एवं उसके कारण ग्रामसभा के गौण वनोपज के स्वामित्व के जो अधिकार प्रभावित होते हैं उसका मुआवजा ग्रामसभा को दिए जाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है, न ही कोई दिशा-निर्देश प्रसारित किया गया है।

जिला-महासमुंद अंतर्गत छात्रवृत्ति भुगतान की जानकारी

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

3. (*क्र. 842) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वर्ष 2023-24, 2024-25 में दिनांक 25/01/2025 की स्थिति में जिला-महासमुंद में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में भुगतान की गई है? वर्गवार, वर्षवार बताएं ? **(ख)** क्या वर्ष 2024-25 का छात्रवृत्ति भुगतान दिनांक 25 जनवरी, 2025 तक लम्बित है ? यदि हां, तो कब तक भुगतान किया जायेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** वर्ष 2023-24, 2024-25 में दिनांक 25/01/2025 की स्थिति में जिला-महासमुंद में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को वर्गवार एवं वर्षवार भुगतान की गई छात्रवृत्ति की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जी हां वर्ष 2024-25 का छात्रवृत्ति भुगतान दिनांक 25 जनवरी 2025 तक लंबित है। छात्रवृत्ति स्वीकृति करने की अंतिम तिथि 20.03.2025 तक निर्धारित की गई है। भुगतान निरंतर किया जा रहा है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **[संलग्न "परिशिष्ट - दो"]**

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की योजनाओं में सम्मिलित कृषि भूमि को आवासीय किया जाना

[आवास एवं पर्यावरण]

4. (*क्र. 86) श्री राजेश मूणत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सही है कि मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 26.11.2024 में यह निर्णय हुआ है कि मंडल की योजनाओं में सम्मिलित भूमि, जिसका प्रयोजन आवासीय के स्थान पर कृषि अथवा शासकीय भूमि अंकित है, को आवासीय प्रयोजन में व्यपवर्तित किया जाए? यदि हाँ तो इस संबंध में औपचारिक आदेश क्यों नहीं जारी हो पाए? इससे संबंधित प्रक्रिया किस स्तर पर किसके पास एवं किस कारण से रूकी हुई है? विवरण दें। (ख) क्या इस संबंध में कोई अंतर्विभागीय कठिनाई है? यदि हाँ तो बाधाएँ दूर कर हितग्राहियों को कब से लाभान्वित किया जावेगा?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 26 नवंबर, 2024 में यह निर्णय हुआ कि "छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को 31.10.2024 तक प्राप्त भूमि को "आवासीय प्रयोजन" में व्यपवर्तित करने पर राज्य शासन द्वारा लागू व्यपवर्तन शुल्क-प्रीमियम, अर्थदण्ड एवं भू-राजस्व के पुनः निर्धारण से छूट प्रदान किया जाए।" तत्संबंध में विभाग द्वारा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को समुचित निर्देश जारी करने बाबत लेख किया गया है। तदानुसार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं वर्तमान में तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

दुर्ग व भिलाई क्षेत्र में उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण

[आवास एवं पर्यावरण]

5. (*क्र. 493) श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) दुर्ग एवं भिलाई क्षेत्र में बड़े, मंझोले एवं सूक्ष्म स्तर के कितने-कितने उद्योग संचालित हैं ? इसमें केमिकल या उससे जुड़े उत्पाद बनाने वाले कितने हैं ? (ख) क्या कंडिका "क" के उद्योगों से जमीन एवं भू-जल में वायु प्रदूषण बढ़ा है ? हां तो इसकी जांच वर्ष 2024-25 में कब-कब हुई और जांच के बाद क्या कार्यवाही हुई, नहीं तो क्यों? (ग) कंडिका "ख" के प्रदूषण को रोकने के लिये कौन-कौन से उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) दुर्ग एवं भिलाई क्षेत्र में बड़े/मंझोले श्रेणी के 63 एवं लघु श्रेणी के 1017 उद्योग संचालित है। इनमें केमिकल या उससे जुड़े उत्पाद बनाने वाले बड़े/मंझोले श्रेणी के उद्योगों की संख्या 02 तथा लघु श्रेणी के उद्योगों की संख्या 28 है। (ख) जी नहीं। मण्डल द्वारा फरवरी 2025 में प्रश्नांश 'क' के क्षेत्र में 04 भू-जल स्रोतों के जल नमूने एकत्र कर विश्लेषण कार्य किया गया है, विश्लेषण परिणाम **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। विश्लेषण परिणाम निर्धारित मानक के अनुरूप पाये गये हैं। कृषि विभाग, जिला- दुर्ग से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्नांश 'क' के उद्योगों से जमीन एवं भू-जल में प्रदूषण बढ़ने संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उपरोक्त से जमीन एवं भू-जल में प्रदूषण बढ़ने की पुष्टि नहीं होती है। मण्डल द्वारा दुर्ग एवं भिलाई क्षेत्र में नेशनल एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग प्रोग्राम के तहत अंतर्गत 04 स्थलों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन कार्य किया जाता है। वर्ष 2024 में किये गये मापन कार्य में वायु गुणवत्ता वार्षिक औसत परिणाम मानक के अनुरूप पाया गया है। तदानुसार दुर्ग एवं भिलाई क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ने की पुष्टि नहीं होती है। कंडिका 'क' के केमिकल या उससे जुड़े उत्पाद बनाने वाले उद्योगों की वर्ष 2024-25 में की गई जाँच तथा उल्लंघन पाये जाने पर की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ग) उद्योगों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उद्योगों की प्रकृति के अनुरूप वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर यथा ईएसपी, बैग फिल्टर, डस्ट कलेक्टर, वेट स्क्रबर की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है तथा जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु ईटीपी, न्यूट्रलाईजेशन सह सेटलिंग टैंक की व्यवस्था की गई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीन"]

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, रायपुर अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

6. (*क्र. 626) श्री गजेन्द्र यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा वर्ष 2023 में किन-किन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है? आवेदन शुल्क कितना है? पद संरचना सहित विवरण दें। कितनी प्रतिभागियों ने विज्ञापन अनुसार आवेदन किया है, कितने प्रतिभागियों का आवेदन निरस्त किया गया है? संख्या सहित विवरण दें। (ख) आवेदित पदों की संख्या के अनुसार कितने शुल्क की प्राप्ति हुई है? क्या पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है या नहीं? यदि नहीं तो पूर्ण न किए जाने के क्या कारण है व कब तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2023 में विज्ञापित पदों, आवेदन संख्या, आवेदन शुल्क एवं विज्ञापित पदों हेतु स्वीकृत पद संरचना का विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। प्राप्त आवेदनों में से कुल 61 आवेदन निरस्त हुये जिसमें से 26 आवेदन निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने, 08 आवेदनों में पदनाम एवं विज्ञापन संख्या का उल्लेख न होने, 06 आवेदनों में विज्ञापन संख्या उल्लेखित न होने, 09 आवेदनों में पद का उल्लेख न होने तथा 12 आवेदन श्रेणी अंकित न होने के कारण निरस्त हुये है। (ख) विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदनों के अनुसार प्राप्त शुल्क का विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। सहायक प्राध्यापक के 38 पदों की भर्ती पूर्ण की गयी है। भर्ती के संबंध में शिकायत की जांच राजभवन सचिवालय द्वारा करायी गई है। इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिक क्रमांक 2821/2024 भी विचारधीन है। भर्ती की प्रक्रिया पर आगामी कार्यवाही हेतु राजभवन सचिवालय से दिशा-निर्देश प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः उपरोक्तानुसार दिशा-निर्देश प्राप्त होते ही आगामी कार्यवाही की जावेगी।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चार" \]](#)

जिला गरियाबंद के विकासखंड फिंगेश्वर में स्वीकृत कृषि महाविद्यालय का भवन निर्माण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

7. (*क्र. 43) श्री रोहित साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या जिला गरियाबंद के विकासखंड फिंगेश्वर में वर्ष 2018-19 से स्वीकृत कृषि महाविद्यालय किराए के भवन में संचालित है? आज पर्यन्त तक विद्यार्थियों के पढने के लिए भवन निर्माण न होने के क्या कारण हैं? (ख) विभाग द्वारा महाविद्यालय भवन निर्माण कब तक किया जावेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी नहीं, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, गरियाबंद का संचालन वर्तमान में फिंगेश्वर स्थित आई.टी.आई. छात्रावास तथा आई.टी.आई. भवन के प्रथम तल पर किया जा रहा है। महाविद्यालय हेतु भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रू. 1491.63 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति राज्य शासन के आदेश क्रमांक 5841 दिनांक 16.12.2024 द्वारा प्रदान की गई है, भवन निर्माण हेतु निविदा दिनांक 10.01.2025 को आमंत्रित की गई है। (ख) महाविद्यालय भवन निर्माण निविदा की समय सीमा के तहत किया जावेगा।

सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र में वनोपज के हुए नुकसान का मुआवजा

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

8. (*क्र. 524) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या ग्राम बुनागांव, जिला कोण्डागांव द्वारा उनके गांव में सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों के लिए काटे गए पेड़ों से मिलने वाले वनोपज के हुए नुकसान के मुआवजा के लिए आयुक्त आदिम जाति विभाग को पत्र लिखा गया था? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं तो कब तक होगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जी हां, अध्यक्ष ग्रामसभा बुनागांव, जिला कोण्डागांव द्वारा उनके गांव में सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों के लिए काटे गए पेड़ों से मिलने वाले वनोपज के हुए नुकसान के मुआवजा के लिए आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को पत्र लिखा गया है। जिसके अनुवर्तन में संबंधित अधिनियमों के सुसंगत प्रावधानों का उल्लेख करते हुए विभाग के पत्र क्रमांक/730/528/2021/25-2, दिनांक 18-02-2025 को दिशा-निर्देश जारी किये गये है।

जिला-रायगढ़ अंतर्गत फ्लाइएश एवं कोलडस्ट की डंपिंग

[आवास एवं पर्यावरण]

9. (*क्र. 408) श्री उमेश पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायगढ़ जिला अंतर्गत संचालित उद्योगों में कितने-कितने उद्योगों से फ्लाइएश डंप किया जाता है, फ्लाइएश डंप करने का क्या नियम है ? डंपयार्ड कहां-कहां हैं? अवैध फ्लाइएश डंप के कितने मामले वर्ष 2024 में प्राप्त हुए हैं? जानकारी दें।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : रायगढ़ जिले के अंतर्गत वर्ष 2024 एवं जनवरी 2025 में अनुमति प्राप्त कर 10 ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा राख का उपयोग भू-भराव/खदान भराव का कार्य किया गया/किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 06 ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा स्वयं के निर्मित ऐश डार्क में राख का भराव किया जाता है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31/12/2021 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत राख का उपयोग भू-भराव/खदान भराव इत्यादि में किया जाता है। जिसकी प्रति पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। ऐश डार्क स्थल की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। अनुमति प्राप्त भू-भराव/खदान भराव स्थल की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है। वर्ष 2024 में राख के अवैध डंपिंग के प्राप्त शिकायत की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है।

बिलासपुर जिले में प्रदूषण की रोकथाम हेतु उद्योगों में लगाये उपकरण

[आवास एवं पर्यावरण]

10. (*क्र. 919) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बिलासपुर जिले में स्थापित कितने उद्योग / संयंत्रों ने उद्योगों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु विशेष यंत्र लगाये हैं तथा उससे वायु प्रदूषण में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है ? जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** क्या प्रश्नांश "क" के संचालित उद्योगों में वायु प्रदूषण की मात्रा को कम करने हेतु विभाग द्वारा उद्योगों में विशेष यंत्र लगाने हेतु अनिवार्य निर्देश जारी किए गए हैं ? यदि हाँ तो निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें ? **(ग)** प्रश्नांश "क" के संचालित उद्योगों का विगत तीन वर्षों में किन-किन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया ? निरीक्षण में

किन-किन उद्योगों / संयंत्रों में निर्धारित पर्यावरणीय नियमों एवं विभागीय निर्देशों की अवहेलना पाई गई ? विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही क्री गई ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जिला बिलासपुर में वायु प्रदूषणकारी प्रकृति के कुल 13 संयंत्र स्थापित एवं संचालित है। इन संयंत्रों से उत्सर्जित दूषित हवा से वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु ई.एस.पी. एवं बैग फिल्टर स्थापित गये है। ई.एस.पी. की दक्षता सामान्यतः 99 से 99.90 तक तथा बैग फिल्टर की दक्षता सामान्यतः 95 से 99 प्रतिशत तक होती है।(ख) जी हाँ। उद्योग को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी स्थापना सम्मति में उक्त उपस्करों की स्थापना की शर्त निहित की जाती है। नमूने के रूप में स्थापना सम्मति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है।

वक्फ बोर्ड का उद्देश्य व संपत्ति

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

11. (*क्र. 389) श्री अजय चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) वक्फ बोर्ड क्या है? उसके उद्देश्य क्या हैं? प्रदेश में कब से लागू हैं? (ख) प्रदेश में दिनांक 1 फरवरी, 2025 की स्थिति में वक्फ बोर्ड अंतर्गत कितनी चल और अचल संपत्ति, कहां-कहां हैं तथा कितने शेयर किन-किन कंपनियों में हैं? प्रदेश में वक्फ बोर्ड अंतर्गत कितनी ईमारतें, कहां-कहां हैं और कितने संस्थान संचालित हैं? (ग) 1 दिसंबर, 2018 से 31 जनवरी, 2024 तक वक्फ बोर्ड को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि प्राप्त हुयी? एवं किन-किन कार्यों के लिये, कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? (घ) वर्ष 2019 से 2023 तक उक्त बोर्ड द्वारा कहां-कहां, कितनी-कितनी निजी/शासकीय जमीनों पर अधिपत्य हेतु दावा किया गया है और कितने पर अधिपत्य किया जा चुका है तथा परिसंपत्तियों के दुरुपयोग के कितनी शिकायतें प्राप्त हुयी और उसके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही अब तक की गयी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वक्फ बोर्ड एक ऐसा संगठन है जो धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान की गई सम्पत्तियों का प्रबंधन करता है। उसके उद्देश्य वक्फ सम्पत्तियों का संरक्षण और उनका सही प्रबंधन सुनिश्चित करना है, वक्फ सम्पत्तियों की देखरेख और उनका धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए सही उपयोग करना है, वक्फ सम्पत्तियों से संबंधित विवादों का उचित और शीघ्र निपटान करना है। प्रदेश में दिनांक 25.07.2005 से लागू है। (ख) प्रदेश में दिनांक 1 फरवरी 2025 की स्थिति में वक्फ बोर्ड अन्तर्गत कोई भी चल सम्पत्ति नहीं है और 5732 अचल सम्पत्ति कहां-कहां है की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अ** अनुसार है। तथा कोई भी शेयर किसी भी कंपनियों में नहीं है। प्रदेश में वक्फ बोर्ड अन्तर्गत 2711 ईमारतें, कहां-कहां है कि जानकारी **संलग्न प्रपत्र ब** अनुसार है और 1084 संस्थान संचालित है। (ग) 1 दिसम्बर, 2018 से 31 जनवरी, 2024 तक वक्फ बोर्ड को केन्द्र सरकार द्वारा राशि रूपये 23,14,805.00/राज्य सरकार द्वारा राशि रूपये 6,28,00,000/- प्राप्त हुयी है एवं किन-किन कार्यों के लिये, कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी की जानकारी **संलग्न प्रपत्र स एवं प्रपत्र द** अनुसार है। (घ) वर्ष 2019 से 2023 तक उक्त बोर्ड द्वारा कहां-कहां, कितनी-कितनी निजी/शासकीय जमीनों पर कोई भी अधिपत्य हेतु दावा नहीं किया गया है और किसी पर भी अधिपत्य नहीं किया है तथा परिसंपत्तियों के दुरुपयोग के कोई भी शिकायतें प्राप्त नहीं हुयी है और उसके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही अब तक नहीं की गयी।

[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच"]

धमतरी जिला अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

12. (*क्र. 535) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धमतरी जिला अन्तर्गत वर्ष 2022-23 से 31 जनवरी, 2025 तक विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद में किन-किन कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई? कार्य की राशि सहित पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ कार्य का ब्यौरा देवें ? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार क्या अपूर्ण/अप्रारंभ कार्यों के स्थान पर नवीन कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है ? यदि हाँ, तो स्वीकृत कार्यों के स्थान पर नवीन कार्य स्वीकृत करने का क्या नियम/प्रावधान है ? **(ग)** कंडिका 'ख' अनुसार यदि नवीन कार्य स्वीकृत करने का नियम/प्रावधान नहीं है तो, पूर्व स्वीकृत कार्यों को प्रारंभ कर पूर्ण कराने हेतु कब-कब निर्देश/आदेश जारी किया गया?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** धमतरी जिला अन्तर्गत वर्ष 2022-23 से 31 जनवरी, 2025 तक विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद में किसी भी कार्य की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी में संचालित कन्या/बालक छात्रावास/आश्रम शाला

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

13. (*क्र. 808) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिला अंतर्गत कितने कन्या/बालक छात्रावास एवं आश्रम शाला संचालित हैं ? छात्रावास अधीक्षक के कितने पद स्वीकृत हैं ? विकासखण्डवार, विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें ? **(ख)** कंडिका "क" के अनुसार संचालित बालक-कन्या छात्रावास एवं आश्रम शाला में कितने-कितने महिला पुरूष अधीक्षक, प्रभारी अधीक्षक एवं अन्य स्टॉफ पदस्थ हैं ? विकासखण्डवार, विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें ? **(ग)** संचालित कन्या छात्रावासों/आश्रमों में छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। **(ग)** राजनांदगांव एवं मोहला मानपुर अं.चौकी जिला अंतर्गत संचालित कन्या आश्रमों/छात्रावासों में सुरक्षा हेतु महिला नगर सेना तथा महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छः"]

उद्योगों से निकल रहे अपशिष्ट/गंदे पदार्थ आदि की जानकारी

[आवास एवं पर्यावरण]

14. (*क्र. 415) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत संचालित हो रहे उद्योगों से किस-किस तरह की गंदगी/अपशिष्ट पदार्थ/गंदा पानी आदि निकल रहा है, तथा इन्हें डंप करने या निकासी के लिये उद्योगों द्वारा क्या-क्या प्रावधान किया गया है? अपशिष्ट पदार्थों को डंप करने हेतु भूमि का चयन किस आधार पर एवं किस नियम के तहत किया जाता है? उपरोक्त जिलों में कहां-कहां डंपिंग हेतु भूमि का चयन किया गया है? ग्रामवार, खसरावार, रकबावार, ग्रामसभा की अनुमति दिनांक, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिनांक, सहित जानकारी देवें? **(ख)** विभाग द्वारा उक्त भूमि का निरीक्षण कब-कब किया गया तथा निरीक्षण उपरांत की गई

कार्यवाही की जानकारी दिनांकवार, निरीक्षणकर्ता के नाम/पदनाम सहित देवें ? क्या डंप किये गये मटेरियल से किसी प्रकार के वायु प्रदूषण की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही की ग्रामवार जानकारी देवें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जिला राजनांदगांव एवं खैरागढ़- छईखदान-गण्डई अंतर्गत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल एवं वायु सम्मति प्राप्त संचालित हो रहे जल प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों की प्रक्रिया से निकलने वाले दूषित जल का उपचार उद्योग परिसर के भीतर स्थापित दूषित जल उपचार संयंत्र यथा ई.टी.पी., न्यूट्रलाइजेशन टैंक, सेटलिंग टैंक आदि के माध्यम से किया जा कर उपचारित दूषित जल का उपयोग उद्योगों द्वारा स्वयं के परिसर में वृक्षारोपण की सिंचाई, डस्ट सप्रेसन एवं ऐश क्वेंचिंग हेतु किये जाने के प्रावधान किये गये हैं तथा उद्योगों द्वारा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी गई है। वायु प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उद्योगों की प्रक्रिया के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर यथा ईएसपी, बैग फिल्टर, वेट स्क़रबर, डस्ट कलेक्टर एवं जल छिडकाव व्यवस्था स्थापित की गई है, इन उद्योगों से उद्योग की प्रकृति के अनुसार ठोस अपशिष्ट के रूप में निकलने वाली राखड को लाभकारी उपयोग जैसे - फ्लाई ऐश ईट निर्माण इकाईयों को प्रदाय किये जाने का प्रावधान किया गया है तथा रोलिंग मिल, इण्डक्शन फर्नेस आदि इकाईयों से निकलने वाले स्क्रैप, कर्टिंग्स, मिल स्केल एवं स्लेग का पुर्नचक्रण किया जाता है अथवा अन्य इकाईयों को विक्रय किया जाता है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31/12/2021 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत अपशिष्ट पदार्थ फ्लाई ऐश को डम्प/निष्पादित किये जाने का नियम है। उपरोक्त जिलों में औद्योगिक इकाईयों से डम्प करने योग्य अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।(ख) प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

विधानसभा क्षेत्र विकास निधि अंतर्गत आश्रम शालाओं छात्रावासों, अन्य में सोलर लाईट की स्वीकृति

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

15. (*क्र. 941) श्री दलेश्वर साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वर्ष 2022 से जनवरी,2025 तक में राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र विकास निधि अंतर्गत आश्रम शालाओं/छात्रावासों/अन्य में सोलर लाईट की स्वीकृति प्रदान की गयी है? यदि हां, तो कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं उक्त कार्यों की निविदा, टेंडर किस माध्यम से कब किया गया है? निविदा में किन-किन एजेंसियों ने भाग लेकर किसका चयन कर कार्यदिश कब जारी किया है एवं क्या जनवरी,2025 तक कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं तो क्या कारण है? समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण सहित जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2022 से जनवरी 2025 तक केवल वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 1412, दिनांक 20-07-2023 द्वारा राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में आश्रम शालाओं/छात्रावासों / अन्य में सोलर लाईट हेतु 10 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसकी कुल राशि रू. 62.10 लाख है। जिसका विवरण **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। 2/उक्त कार्यों की एजेंसी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, राजनांदगांव है। उक्त कार्यों का जेम पोर्टल (बी.आई.डी क्रमांक-जेम/2024/8/5719854) के माध्यम से दिनांक 17-12-2024 को टेंडर किया गया, जिसमें निम्नांकित एजेंसियों ने भाग लिया:-1. लाइटेक सॉल्यूशन (नागपुर, एम. एच.) 2. सचिन कुमार गर्ग (सूरजपुर, सी.जी.) 3. महामाया बर्तन भंडार (सूरजपुर, सी. जी) 4. वीरेंद्र कुमार गुप्ता (मनेंद्रगढ़, सी. जी.) 3/ किसी एजेंसी का चयन कर कार्यदिश जारी नहीं किया गया है। जनवरी 2025 तक कार्य अपूर्ण है

तथा निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निविदा दिनांक 27.12.2024 को खोला गया, जिसमें 4 फर्म द्वारा आवेदन किया गया है। एक आवेदक द्वारा सेम्पल जमा किये जाने हेतु अतिरिक्त समय मांगा गया था, जिसका निराकरण किया जा चुका है। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी किये जाने के कारण जिला स्तरीय क्रय समिति की बैठक आयोजित नहीं हो पायी है, अतः कार्यदिश जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सात"]

पंडरिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वन अधिकार पट्टा वितरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

16. (*क्र. 864) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आदिवासी परिवार वन अधिकार पट्टा हेतु पात्र हैं? **(ख)** 1 दिसंबर, 2023 से 1 फरवरी, 2025 तक पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के वन क्षेत्र में रहवासी कितने आदिवासी भाई- बहनों को वन अधिकार पट्टा वितरित किया गया है, जानकारी दें? पात्र परिवारों में शेष बचे हुए परिवारों को कब तक पट्टा वितरित किया जाएगा, इसकी जानकारी दीजिए ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वन अधिकार हेतु पात्रता का निर्धारण अधिनियम में निहित शर्तों को पूर्ण करने की स्थिति में होता है। अतः प्रक्रियानुसार परीक्षण के बिना पात्र आदिवासी परिवारों की संख्या बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार पत्र वितरित नहीं किया गया है। पात्र/स्वीकृत प्रकरणों में से कोई भी परिवार वन अधिकार पत्र वितरण हेतु शेष नहीं है।

विधानसभा सीतापुर अंतर्गत गौठानों में निर्मित वर्मी कम्पोस्ट खाद का भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

17. (*क्र. 886) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में जनवरी, 2021-दिसंबर, 2024 तक कितने गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट खाद महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाया गया है ? गौठानों का नाम व वर्मी कम्पोस्ट बनाने वाली महिला स्वयं सहायता समूह का नाम सहित विवरण ब्लॉकवार, ग्राम पंचायतवार प्रदान करें ? **(ख)** कंडिका 'क' अनुसार उक्त गौठानों में कितना वर्मी कम्पोस्ट खाद उत्पादित व बिक्री हुआ ? **(ग)** कंडिका 'क' अनुसार वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने वाली महिला स्वयं सहायता समूह को क्या कार्य का भुगतान किया गया है ? यदि हां तो किस महिला स्वयं सहायता समूह को कितना भुगतान किया गया ? जानकारी प्रदान करें ? **(घ)** अगर भुगतान शेष है तो कितनी राशि ? भुगतान कब तक किया जायेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क), (ख), (ग)** एवं **(घ)** की जानकारी संकलित की जा रही है

गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय का निर्माण एवं संचालन

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

18. (*क्र. 935) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड डौंडीलोहारा अंतर्गत ग्राम-पिनकापार में प्रयास आवासीय विद्यालय हेतु स्वीकृति कब प्रदान की गई ? उक्त स्थान पर विद्यालय भवन निर्माण कार्य कब तक

पूर्ण कर लिया जावेगा? जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार क्या वर्तमान में विद्यालय का संचालन जिला बालोद में किया जा रहा है ? यदि नहीं तो विद्यालय के निर्माणावधि तक जिले में संचालन हेतु क्या कार्यवाही की गई है ? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ 16-32/2023/25/2, दिनांक 14 जून 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्थान पर भवन निर्माण की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** जी नहीं। विद्यालय के निर्माणावधि तक, जिले में संचालन हेतु प्रयास आवासीय विद्यालय पिनकापारा जिला-बालोद का संचालन प्रयास आवासीय विद्यालय भवन दुर्ग में संयुक्त रूप से किया जा रहा है।

बिना अनुमति राखड़ पाटने/डालने वालों के विरूद्ध कार्यवाही विषयक

[आवास एवं पर्यावरण]

19. (*क्र. 894) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 01 जनवरी, 2023 से जनवरी, 2025 तक अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के किन-किन स्थानों में कितनी-कितनी मात्रा में राखड़ पाटने/डालने की अनुमति प्रदान की गई? प्रकरणवार, वर्षवार, रकबावार, खसरावार, क्षमतावार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांश (क) में पूछी गई अवधि में बिना अनुमति के राखड़ डालने अथवा पाटने संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं अथवा संज्ञान में आईं एवं उस पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? प्रकरणवार, वर्षवार पूर्ण जानकारी प्रदान करें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में बिना अनुमति के राखड़ डालने अथवा पाटने के संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। अतः प्रश्नांश की जानकारी निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - आठ" \]](#)

जांजगीर - चांपा जिले में संचालित स्पंज आयरन प्लांट द्वारा वायु प्रदूषण की जांच

[आवास एवं पर्यावरण]

20. (*क्र. 821) श्री बालेश्वर साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चांपा जिले के नगर पालिका चांपा क्षेत्र अंतर्गत कोटाडबरी में संचालित प्रकाश इण्डस्ट्रीज स्टील स्पंज आयरन प्लांट को कुल कितने क्षेत्रफल में संचालित करने की अनुमति प्रदान की गयी ? क्या प्लांट का संचालन पर्यावरण नियमों का पालन करते हुये किया जा रहा है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा पर्यावरण संबंधी प्रमाण पत्र कब - कब जारी किया गया है ? जानकारी देवें ? **(ख)** संचालित हो रहे प्लांट से कौन-कौन सी गैसों का उत्सर्जन होता है ? उत्सर्जित हो रही गैसों से वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या - क्या उपाय किये गये हैं ? वर्ष 2022-23, 2023-24 व 2024-25 में जल व वायु प्रदूषण एवं अन्य तरह की जांच के लिए कौन - कौन से अधिकारी नियुक्त किये गये ? जांचकर्ता अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण एवं की गई कार्यवाही की जानकारी वर्षवार देवें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** छतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जांजगीर-चाम्पा जिले के ग्राम हथनेवरा, तहसील-चाम्पा में मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कुल क्षेत्रफल 601.52 एकड़ क्षेत्र में उद्योग संचालन हेतु सम्मति प्रदान की गई है। जी हाँ, उद्योग का संचालन पर्यावरणीय नियमों का पालन करते

हुए किया जाता है पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' एवं / अथवा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31क' के अंतर्गत उल्लंघन की स्थिति अनुसार उत्पादन बंद करने / विद्युत विच्छेदन करने आदि अन्य बाबत नोटिस / निर्देश देने की कार्यवाही की जाती है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पर्यावरणीय नियमों के पालन सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।(ख) संचालित उद्योग से मुख्य रूप से सल्फर डाई ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड गैसों का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जित हो रही गैसों के नियंत्रण हेतु आवश्यकता अनुसार निर्धारित ऊँचाई की चिमनियों की स्थापना की गई है। प्रश्नाधीन अवधि में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण आदि की जाँच क्षेत्रीय अधिकारी, सहायक अभियंता, वैज्ञानिक, कनिष्ठ वैज्ञानिक, प्रभारी रसायनज्ञ, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड - 01, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड - 02, प्रयोगशाला सहायक द्वारा किया गया है। प्रश्नाधीन अवधि में उद्योग में किये गये जाँच, पाई गई स्थिति एवं की गई कार्यवाही सम्बन्धी **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - नौ"]

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण की व्यवस्था

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

21. (*क्र. 948) श्री विक्रम मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और कोचिंग की किस-किस योजनाओं हेतु "लोक विज्ञापन" के माध्यम से निजी संस्थाओं का चयन किया जाता है? (ख) वर्ष 2024-25 में उपरोक्त योजनाओं अंतर्गत निजी संस्था विद्यालय के चयन हेतु कब-कब विज्ञापन प्रकाशित किया गया? कितने संस्थाओं के आवेदन प्राप्त हुए? चयन समिति की बैठक कब-कब सम्पन्न हुई? परीक्षण में कौन-कौन सी संस्थाएं पात्र और अपात्र पाई गई? किस-किस संस्था को कब-कब कार्यदिश प्रदान किया गया? संस्था का नाम सहित योजनावार जानकारी देवें ? (ग) वर्ष 2024-25 में उपरोक्त योजनाओं अंतर्गत विद्यार्थियों के चयन हेतु कब-कब विज्ञापन प्रकाशित कराया गया? हितग्राही चयन हेतु विभागीय चयन समिति की बैठक कब-कब हुई ? अंतिम रूप से कितने विद्यार्थी चयनित हुए और कितने विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं ? योजनावार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और कोचिंग की राजीव युवा उत्थान योजना, युवा कैरियर निर्माण योजना, हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना, पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना एवं मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय हेतु "लोक विज्ञापन" के माध्यम से निजी संस्थाओं का चयन किया जाता है। (ख) जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ग) जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार है।

आ.जा.क. विभाग बालोद को प्राप्त आबंटन से क्रय की गयी सामग्रियां

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

22. (*क्र. 846) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2024-25 में दिनांक 31 जनवरी, 2025 तक आदिम जाति कल्याण विभाग बालोद को किन-किन मदों में कितना आबंटन प्राप्त हुआ है? प्राप्त आबंटन को किन-किन मदों में कितना-कितना व्यय किया गया है? वर्षवार, मदवार जानकारी देवें ? (ख) कण्डिका 'क' में प्राप्त आबंटन के

अंतर्गत किन-किन मदों से कौन-कौन सी सामग्रियाँ कितनी मात्रा में किस फर्म/एजेंसी से क्रय की गयी हैं तथा क्रय की गयी किन-किन सामग्रियों को कितनी-कितनी मात्रा में किन-किन छात्रावासों को कब वितरित किया गया है ? जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में दिनांक 31.01.2025 तक आदिम जाति कल्याण विभाग बालोद को मदवार प्राप्त आबंटन एवं मदवार व्यय राशि की वर्षवार, मदवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र-"अ" अनुसार है। (ख) कण्डिका 'क' में प्राप्त आबंटन मद अंतर्गत सामग्री की मात्रा, फर्म/एजेंसी से क्रय की गयी सामग्री की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र-"ब" अनुसार है, एवं छात्रावासों में सामग्री वितरण की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र-"स" अनुसार है।

बसना विधानसभा क्षेत्र में कृषि यांत्रिकी सबमिशन योजना अंतर्गत स्वीकृति अनुदान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

23. (*क्र. 328) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) 1 जनवरी, 2023 से 20 जनवरी, 2025 तक कृषि यंत्रिकीकरण सबमिशन योजना के अंतर्गत बसना विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन से कृषि यंत्र कितनी संख्या में दिए गए हैं ? (ख) क्या अनुदान की राशि हितग्राही के खाते में प्रदान की जाती है या एजेंसी के बैंक खाते में? कितने कृषि यंत्रों की, कितनी अनुदान राशि देना बकाया है एवं कब तक अनुदान राशि जारी कर दी जाएगी? (ग) उक्त योजना क्या वर्तमान में संचालित है? प्रश्नांक "क" अवधि में योजना से बसना विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने कृषक लाभावनित हुए हैं? जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) 1 जनवरी 2023 से 20 जनवरी 2025 तक कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत बसना विधानसभा क्षेत्र से संबंधित बसना एवं पिथौरा विकासखण्ड में अनुदान पर प्रदाय किये गये कृषि यंत्रों की वर्षवार, यंत्रवार एवं विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) **कंपोनेंट क्र.-3 कृषि यंत्रों पर अनुदान** चैम्स प्रणाली अंतर्गत अनुदान हितग्राही के बैंक खाते में प्रदाय नहीं की जाती है, अपितु कृषकों द्वारा चयनित सामग्री की कुल कीमत में से अनुदान राशि छोड़कर कृषक अंश राशि बीज निगम के बैंक खाते में जमा की जाती है एवं प्रदायक द्वारा संबंधित कृषकों को सामग्री प्रदाय की जाती है, तत्पश्चात कृषकों द्वारा चयनित प्रदायक संस्था के बैंक खाते में अनुदान राशि एवं कृषक अंश राशि (सामग्री की कुल कीमत) का भुगतान किया जाता है। **हस्त/बैल चलित यंत्रों** हेतु अनुदान राशि प्रदायक संस्था (छ.ग. बीज कृषि विकास निगम लिमि.) को बैंक खाते में प्रदाय की गयी है। **कंपोनेंट क्र.-4 एवं 6 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना** अनुदान राशि का भुगतान क्रेडिट लिंक बैंक इण्डेड सब्सिडी के रूप में आवेदक के ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक को किया जाता है। लंबित अनुदान राशि का योजनावार, यंत्रवार विवरण जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ग) जी हां, उक्त योजना वर्तमान में संचालित है। प्रश्नांक "क" अवधि में योजनांतर्गत बसना विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्ड बसना एवं पिथौरा में कुल 394 कृषक लाभावनित हुए वर्षवार, विकासखण्डवार एवं योजनावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दस"]

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रेत उत्खनन हेतु प्राप्त पर्यावरण अनुमति

[आवास एवं पर्यावरण]

24. (*क्र. 954) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नीलामी किए गए रेत घाटों से रेत उत्खनन हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा कितने रेत घाटों की सम्मति दी गई है? रेत घाट का क्षेत्रफल क्या है? कितनी मात्रा में रेत उत्खनन किया जाना है? कितने रेत घाटों हेतु पर्यावरण सम्मति प्रदान नहीं की गयी है? रेत घाट का नाम, पता सहित जानकारी देवें? (ख) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने चिन्हित रेत घाट हैं ? (ग) प्रश्नांश 'क' के अनुसार नीलामी में किस-किस एजेंसी को कितनी-कितनी अवधि तक के लिए रेत घाटों में रेत उत्खनन की अनुज्ञा दी गई है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :(क) खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला जांजगीर-चाम्पा से प्राप्त जानकारी अनुसार, पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में रेत घाट की नीलामी नहीं हुई है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला जांजगीर-चाम्पा से प्राप्त जानकारी अनुसार, पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 07 चिन्हित रेत घाट हैं।(ग) खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला जांजगीर-चाम्पा से प्राप्त जानकारी अनुसार, पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में रेत घाट की नीलामी नहीं हुई है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कृषि विभाग अंतर्गत बोर खनन एवं सिंचाई हेतु पंप वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

25. (*क्र. 913) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
(क) बिलासपुर जिला अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा विगत 03 वर्षों में कृषकों को कौन-कौन सी योजना के तहत कितने-कितने अनुदान पर कितने बोर खनन एवं सिंचाई हेतु पंप वितरण किये गये हैं? विकासखण्डवार एवं वर्षवार विवरण देवें? (ख) कंडिका "क" के तहत तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कितने आवेदन स्वीकृत कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है? कितने आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं एवं कितने आवेदन लंबित हैं? वर्षवार विवरण देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) बिलासपुर जिला अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा विगत 03 वर्षों में कृषकों को अनुदान पर नलकूप खनन एवं सिंचाई पम्प वितरण की योजनावार, वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स एवं प्रपत्र- द अनुसार है। (ख) प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विकासखंड तखतपुर अंतर्गत प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन, लंबित आवेदन एवं लाभान्वित हितग्राही कृषकों की जानकारी योजनावार, वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी संलग्न प्रपत्र- इ अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह"]

भाग-2**नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर****बालोद जिला में वन अधिकार पट्टा का वितरण**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

1. (क्र. 13) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बालोद जिले अंतर्गत वर्ष 2021-22 से जनवरी, 2025 तक वन अधिकार पट्टा (पत्र) के लिए कितने आवेदन/दावा प्राप्त हुए हैं? विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्राप्त आवेदन/दावा के विरुद्ध कितने हितग्राहियों को व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पट्टा (पत्र) प्रदान किया गया है? कितने मामले लंबित हैं? ग्राम पंचायतवार जानकारी बतावें? (ग) लंबित मामले/आवेदनों का निराकरण कर कब तक वन अधिकार पट्टा वितरण किया जावेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) बालोद जिले अंतर्गत वर्ष 2021-22 से जनवरी, 2025 तक व्यक्तिगत वन अधिकार हेतु 30 आवेदन एवं सामुदायिक वन अधिकार हेतु 17 आवेदन/दावे प्राप्त हुए हैं। विकासखण्डवार जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार प्राप्त आवेदन/दावों के विरुद्ध 30 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं 17 सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदाय किया गया है। कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। ग्राम पंचायतवार जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग) कोई भी मामले/आवेदन लंबित नहीं होने के कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - बारह"]

जिला बालोद में आश्रम/छात्रावास निर्माण/मरम्मत में व्यय राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

2. (क्र. 36) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला बालोद अंतर्गत कितने आश्रम शाला एवं छात्रावास संचालित हैं? कितने भवन-विहीन एवं कितने जर्जर अवस्था में हैं ? नाम सहित विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) बालोद जिला में वर्ष 2023-24 से जनवरी, 2025 तक किन-किन आश्रम व छात्रावासों की मरम्मत एवं नवीन निर्माण कार्य कराये गये हैं ? उक्त समयावधि में जिले में कितनी राशि आबंटित की गई है? (ग) किन-किन कार्यों में कितनी राशि खर्च की गई है ? क्या वर्तमान में कोई कार्य लंबित है ? अगर लंबित है तो क्या कार्यवाही की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला बालोद अंतर्गत 16 आश्रम शाला तथा 70 छात्रावास संचालित है। जिनमें से 01 भवन-विहीन 11 जर्जर अवस्था में है। विकासखण्डवार जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) आश्रमों व छात्रावासों में कराये गये कार्य एवं आबंटित राशि की जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। उक्त अवधि में बालोद जिले में राशि रू. 528.30 लाख आबंटित की गई है। (ग) कार्यों में हुये व्यय की जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है, तथा वर्तमान में कोई भी कार्य लंबित नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह"]

डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में कृषकों के लिए संचालित योजनाएं

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

3. (क्र. 37) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है तथा शासन की योजनाओं का लाभ किसानों तक किस प्रकार पहुंचाया जा रहा है? **(ख)** वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2025 तक कितने किसानों द्वारा प्रश्रांश **(क)** की योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा विभाग द्वारा कितने किसानों को योजनाओं का लाभ किस-किस प्रकार से दिया गया है? बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलित विकासखण्डों में संचालित विभागीय योजनाओं का विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार** है। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ कृषकों तक पहुंचाने हेतु कृषक संगोष्ठी, मेला, प्रशिक्षण, शिविरों के आयोजन के साथ-साथ मैदानी अमलें के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाकर इच्छुक कृषकों से आवेदन प्राप्त कर योजनाओं के प्रावधान एवं कृषकों हेतु निर्धारित पात्रता अनुसार योजनाओं का लाभ दिया जाता है। विभागीय प्रदर्शन योजनाओं, मृदा स्वास्थ्य पत्रक, मिनिकिट वितरण, सहकारी समितियों से प्रमाणित बीज वितरण आदि में कृषकों से पृथकतः आवेदन नहीं लिये जाते। **(ख)** प्रश्रांश 'क' में उल्लेखित ऐसी योजनाएं, जिनमें कृषकों को योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन करना आवश्यक होता है, के तहत वर्ष 2022-23 से 2024-25 में जनवरी 2025 तक संचालनालय कृषि द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत 292227 तथा संचालनालय उद्यानिकी द्वारा संचालित योजनाओं के तहत 5243 आवेदन प्राप्त हुये। विभागीय योजनाओं में निर्धारित प्रावधान एवं मापदण्डों तथा उपलब्ध लक्ष्यों के अधीन "पहले आओ-पहले पाओ" के आधार पर कृषकों को लाभांशित किया जाता है। योजनावार विवरण **संलग्न प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह" \]](#)

स्वायल हेल्थ कार्ड योजनांतर्गत केमिकल खरीदी में भंडार क्रय नियम का उल्लंघन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

4. (क्र. 85) श्री राजेश मूणत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा विधानसभा सत्र 19 फरवरी, 2024 में अतारांकित प्रश्न संख्या- 42 (क्र.1750), सत्र 25 जुलाई, 2024 में परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या- 14 (क्र. 673) तथा सत्र 20 दिसम्बर, 2024 अतारांकित प्रश्न संख्या -5 (क्र.119) के उत्तर में विभाग द्वारा यह स्वीकार कर लिए जाने के बाद भी कि कैलेण्डर वर्ष 2021 से 2023 में कृषि विभाग के स्वायल हेल्थ कार्ड योजनांतर्गत केमिकल खरीदी में भंडार क्रय नियम के उल्लंघन की प्रारंभिक जांच में 7 अधिकारीगणों को प्रथमदृष्टया दोषी पाया गया, जिनमें से एक की मृत्यु हो चुकी है, को छोड़ बचे 6 दोषी अधिकारियों के विरुद्ध एक वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : कैलेण्डर वर्ष 2021 से 2023 में कृषि विभाग के स्वायल हेल्थ कार्ड योजनांतर्गत केमिकल खरीदी में भंडार क्रय नियम के उल्लंघन की प्रारंभिक जांच में दोषी पाये गये 07 अधिकारियों के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए छ.ग.शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र क्र. एफ-01/27/विस.-771/2021/दिनांक 21.06.2024 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। उक्त 07 अधिकारियों में से 01 अधिकारी (श्री जे.एस.काकोरिया, तत्कालीन उप

संचालक कृषि बिलासपुर) की दिनांक 24.05.2021 को मृत्यु हो चुकी है। शेष अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

महासमुंद जिले में वन अधिकार पट्टा का प्रदाय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

5. (क्र. 263) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** महासमुंद जिले में वर्ष 2021 से 30 जनवरी, 2025 की स्थिति में कितने वन अधिकार पट्टे प्रदाय किये गए एवं कितने आवेदन लंबित हैं? आवेदन पत्र लंबित होने के क्या कारण हैं ? **(ख)** लंबित आवेदनों का कब तक निराकरण कर वन अधिकार पट्टा प्रदान कर दिया जावेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** महासमुंद जिले में वर्ष 2021 से 30 जनवरी, 2025 की स्थिति में 1252 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं 96 सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदाय किए गए हैं। व्यक्तिगत वन अधिकार के 33 एवं सामुदायिक वन अधिकार के 11 आवेदन लंबित हैं। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीयपंचायत निर्वाचन, 2025 की आदर्श आचार संहिता के दौरान समिति की बैठक आहूत नहीं होने के परिणामस्वरूप उक्त आवेदन लंबित है। **(ख)** नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीयपंचायत निर्वाचन, 2025 की आदर्श आचार संहिता हटने के पश्चात् यथाशीघ्र निराकरण कर पात्र आवेदकों को वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदाय कर दिया जावेगा।

एनएमडीसी, नगरनार के द्वारा वृक्षारोपण एवं प्लांट से निकल रहे दूषित जल से प्रभावित खेती

[आवास एवं पर्यावरण]

6. (क्र. 372) श्री बघेल लखेश्वर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** एनएमडीसी, नगरनार के द्वारा वर्ष 2020-21 से दिनांक 31/01/2025 तक पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए क्या-क्या कार्य किये गये ? वर्षवार स्वीकृत कार्य, स्वीकृत एवं खर्च की गई राशि की जानकारी दें? **(ख)** एनएमडीसी, नगरनार से निकल रहे दूषित जल से क्या कृषि भूमि प्रभावित हो रही है? यदि हां तो प्रश्नांश **(क)** अवधि में कितने किसानों की कितने हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई ? **(ग)** प्रभावित किसानों को मुआवजे के रूप में अब तक क्या-क्या दिया गया है ? जानकारी देंगे ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, नगरनार से प्राप्त जानकारी अनुसार उद्योग द्वारा जल, वायु एवं पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु स्वीकृति अनुसार किये गए कार्य एवं व्यय राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं, मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, नगरनार से उत्पन्न दूषित जल से वर्तमान में कृषि भूमि प्रभावित होने जैसी स्थिति नहीं है। तथापि कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जगदलपुर, जिला बस्तर से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2023-2024 में उक्त स्टील प्लांट से ग्राम नगरनार के कुल 88 कृषकों की कुल रकबा 33.44 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित होना पाया गया था। **(ग)** कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जगदलपुर, जिला बस्तर से प्राप्त जानकारी अनुसार कुल रकबा 33.44 हेक्टेयर का प्रमाणित मानक पैदावार प्रति हेक्टेयर (किंटल) की दर से कृषि मुआवजा राशि रूपये 16,78,937.00 का भुगतान किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह "]

जिला- रायगढ़ में किसानों के फसल बीमा के लाभान्वित व लंबित भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

7. (क्र. 407) श्री उमेश पटेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला- रायगढ़ में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में 31 जनवरी, 2025 की स्थिति तक कितने किसानों ने फसल बीमा कराया है और कितने किसानों को बीमा क्लेम की राशि, किस दर से, कितनी राशि दी गई है? क्लेम भुगतान करने का क्या प्रावधान एवं समयावधि है, बतावें? प्रश्नांकित अवधि तक कितने किसानों की कितनी राशि भुगतान हेतु लंबित है? ब्लॉकवार बताने का कष्ट करेंगे।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : फसल बीमा योजनाओ मे जानकारी का संधारण तहसीलवार किया जाता है। प्रदेश मे कृषि फसलो के बीमा हेतु संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिला रायगढ़ मे सम्मिलित तहसील यथा धरमजयगढ़, घरघोड़ा, खरसिया, मुकडेगा, पुसौर, रायगढ़, छाल, तमनार, लैलुंगा एवं कापू में मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2023-24 में 18,877 कृषक एवं मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2024-25 में कुल 26,829 कृषकों ने फसल बीमा कराया। योजना अंतर्गत फसल बीमा कराने वाले कृषको की वर्षवार, मौसमवार एवं तहसीलवार **जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र- "अ" अनुसार है।** उद्यानिकी फसलो के बीमा हेतु संचालित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत जिला-रायगढ़ से संबंधित तहसीलो मे वर्ष 2023-24 में 1,406 एवं वर्ष 2024-25 में 881 किसानो ने फसल बीमा कराया है। योजना अंतर्गत फसल बीमा कराने वाले कृषको की वर्षवार, मौसमवार एवं तहसीलवार **जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र- "ब" अनुसार है।** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2023-24 में 999 पात्र कृषकों को राशि रू. 70,25,347/- का दावा भुगतान किया गया तथा खरीफ वर्ष 2024 में बीमित कृषकों के दावा गणना एवं भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं रबी वर्ष 2024-25 में फसल कटाई उपरांत वास्तविक उपज आंकड़े प्राप्त होने के पश्चात् राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में दावा गणना एवं क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा डिजी क्लेम के माध्यम से दावा भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2023-24 के दावा भुगतान हेतु पात्र कृषक संख्या, राशि एवं दर (क्षति का प्रतिशत) की वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार, बीमा इकाईवार एवं फसलवार **जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र "स" अनुसार है।** पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 1,233 किसानों को राशि रूपये 134.798 लाख बीमा क्लेम की राशि दी गई है। वर्ष 2024-25 खरीफ में अधिसूचित उद्यानिकी फसलों में से टमाटर फसल के लिए दावा राशि के गणना का कार्य प्रक्रियाधीन है। खरीफ मौसम हेतु शेष फसल यथा बैंगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च, अदरक, एवं रबी मौसम में समस्त अधिसूचित फसल यथा टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज एवं आलू की फसल अवधि का समाप्त होना शेष है, अतः बीमा दावा भुगतान की जानकारी निरंक है। बीमा क्लेम के दर की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र "ब" अनुसार है।** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जोखिम - बुआई नहीं हो पाने/निष्फल होने/रोपण बाधित, स्थानीय आपदाओं, फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिये फैला कर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में एवं फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में दावा भुगतान का प्रावधान है, जिससे संबंधित मूल्यांकन/निर्धारण/भुगतान की प्रक्रिया/समयावधि की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र "द" अनुसार है।** पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा दावा भुगतान के प्रावधान एवं समयावधि की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र "इ" अनुसार है।** प्रश्नाधीन अवधि तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2023-24 के 5 कृषकों को दावा राशि 2,359 रूपये का भुगतान किया जाना शेष है। भुगतान हेतु लंबित

कृषक एवं राशि की वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार, बीमा इकाईवार एवं फसलवार जानकारी **जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र "ई" अनुसार है।**

निर्माणाधीन कृषि उपज मंडी गंडई हेतु जारी निविदा

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

8. (क्र. 416) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** निर्माणाधीन कृषि उपज मंडी, गण्डई, जिला केसीजी हेतु कुल कितनी राशि के लिये निविदा आमंत्रित की गई ? किस-किस माध्यम से निविदा हेतु विज्ञापन जारी किया गया, विज्ञापन जारी करने का दिनांक की जानकारी उपलब्ध करायें? निविदा में कितने फर्म/एजेंसियां सम्मिलित हुई? सम्मिलित होने वाले समस्त फर्म/एजेंसियों का नाम/पता सहित जानकारी देवें? **(ख)** निविदा खोलने से पहले कितने दिनों पूर्व विज्ञापन जारी करने का नियम है? क्या उक्त निविदा खोलने से पूर्व समस्त नियमों का पालन किया गया है? **(ग)** जिस फर्म/एजेंसी को कार्य मिला है, उसके साथ एग्रीमेंट कब किया गया? कितने अवधि के भीतर कार्य पूर्ण करने हेतु अनुबंध किया गया है? **(घ)** क्या कार्य प्रारंभ होने से वर्तमान तक किसी प्रकार की अनियमितता पाई गई है? यदि हां तो जांचकर्ता अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** निर्माणाधीन कृषि उपज मंडी गण्डई, जिला केसीजी हेतु कुल रू. 1140.82 लाख के कार्यों के लिये निविदा आमंत्रित की गई। छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से निविदा विज्ञापन जारी किया गया, विज्ञापन जारी करने का दिनांक, निविदा में सम्मिलित होने वाले समस्त फर्म/एजेंसियों का नाम/पता सहित जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** लोक निर्माण विभाग के आदेश दिनांक 30 मार्च 2005 अनुसार निविदा खोलने से पहले प्रथम आमंत्रण में 20 दिनों पूर्व विज्ञापन जारी करने का नियम है एवं द्वितीय निविदा आमंत्रण में 15 दिवस पूर्व विज्ञापन जारी करने का नियम है। उक्त निविदा खोलने से पूर्व सम्मिलित एजेन्सी का अमानत राशि, तकनीकी अर्हता का नियमानुसार परीक्षण कर पात्र पाये जाने के पश्चात ही निविदा खोली गई। **(ग)** मेसर्स आलोक बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड दुर्ग को कार्य मिला है। उसके साथ दिनांक 15.09.2023 को एग्रीमेंट किया गया। 11 माह (वर्षा ऋतु सहित) की अवधि के भीतर कार्य पूर्ण करने हेतु अनुबंध किया गया है। **(घ)** जी नहीं, कार्य प्रारंभ होने से वर्तमान तक निर्माण संबंधी किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह" \]](#)

जिला-धमतरी अंतर्गत उत्कृष्ट एवं प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

9. (क्र. 536) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु कौन-कौन सी छात्रवृत्ति योजनायें लागू की गई हैं ? **(ख)** उक्त योजनाओं के जिला धमतरी अन्तर्गत वर्ष 2022-23 से दिसम्बर, 2024 तक कितने विद्यार्थी पात्र पाये गये ? कितनी-कितनी राशि का वितरण किया गया ? नामवार एवं वर्षवार जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांश 'ख' में दी गई जानकारी में कितने प्रकरणों में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया एवं कितने प्रकरण किन कारणों से निरस्त किये गये? **(घ)** विद्यार्थियों को कब तक छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जावेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** छत्तीसगढ़ में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2023 दिनांक 10 अगस्त, 2023 से लागू की

गई है। (ख) जानाकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) सभी विद्यार्थियों को भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2024 में 01 प्रकरण में विद्यार्थी का योजना अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के कारण निरस्त किया गया। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह"]

जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में अमानक खाद, बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक का वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

10. (क्र. 564) श्री संदीप साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या जिला- बलौदा-बाजार-भाटापारा में वर्ष 2022-23 से 31.01.2025, तक कृषकों को अमानक खाद, बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक का वितरण होने की जानकारी प्राप्त हुई है, यदि हां तो इन्हें प्रतिबंधित करने एवं संबन्धितों के विरुद्ध जांच के लिए विभागीय सक्षम अधिकारियों द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ख) जिला स्तर पर खाद, बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक के अमानक नमूने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किस सक्षम अधिकारी को दिया गया है? नाम एवं पदनाम सहित बतायें? प्रतिबंध किन-किन धाराओं के तहत किया जाता है? जानकारी देवें, (ग) क्या यह सही है कि प्रश्नावधि तक में कई प्रकरणों में सक्षम अधिकारी द्वारा न नमूना लिया गया है, न ही प्रतिबंध लगाया गया है क्यों? प्रतिबंध लगाने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) , (ख) एवं (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

जिला बलौदाबाजार भाटापारा में संचालित बालक/बालिका प्री मैट्रिक, पो. मैट्रिक, छात्रावास/आश्रम

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

11. (क्र. 568) श्री संदीप साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला बलौदाबाजार भाटापारा के अन्तर्गत संचालित बालक/बालिका प्री मैट्रिक, पो. मैट्रिक, छात्रावास एवं आश्रम किन-किन स्थानों पर कब से शासकीय/निजी भवन में संचालित हो रहे हैं? विकासखण्ड वार जानकारी देवें? उक्त भवनों के रख-रखाव में वर्ष 2022-23 से 31.01.2025 किन-किन कार्यों हेतु कितनी राशि व्यय की गई है, स्वीकृतकर्ता सक्षम अधिकारी का पदनाम बतावें? वर्तमान में भवनों की भौतिक स्थिति क्या है? वर्षवार बतावें? (ख) प्रश्नांश 'क' के अनुसार वर्ष 2022-23 से 31.01.2025 तक छात्रावास बालक/बालिका प्री मैट्रिक, पो. मैट्रिक, छात्रावास एवं आश्रम हेतु क्या-क्या सामाग्रीयां/वस्तुएं कितनी मात्रा एवं दर से क्रय कब-कब की गई हैं? वर्षवार, संस्थावार, विकासखण्डवार एवं प्रदायकर्ता का नाम पता सहित बतावें? (ग) क्या बालक/बालिका प्री मैट्रिक, पो. मैट्रिक, छात्रावास एवं आश्रम तक सुगम पहुंच मार्ग/सड़क निर्मित है? यदि नहीं तो सड़क निर्माण कराने हेतु अबतक क्या कार्यवाही की गई है? बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'स' अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अठारह"]

जिला बिलासपुर में संचालित छात्रावास, आश्रम

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

12. (क्र. 582) श्री दिलीप लहरिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** बिलासपुर जिला अंतर्गत जनवरी, 2025 की स्थिति में कुल कितने छात्रावास, आश्रम संचालित हैं तथा कितने स्वयं के भवन में संचालित किए जा रहे हैं? जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका "क" के अनुसार कौन-कौन से छात्रावास, आश्रम भवन-विहीन हैं या किराये के भवन में या किसी अन्य भवन में संचालित किए जा रहे हैं एवं कितने भवन जर्जर हो चुके हैं? जानकारी देवें? **(ग)** कंडिका 'ख' के अनुसार जर्जर एवं भवन विहिन छात्रावासों, आश्रमों के लिए नवीन भवन बनाने के संदर्भ में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** बिलासपुर जिला अंतर्गत जनवरी, 2025 की स्थिति में 67 छात्रावास, 17 आश्रम संचालित है। तथा 61 छात्रावास एवं 17 आश्रम स्वयं के भवन में संचालित किए जा रहे है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** कंडिका 'ख' के अनुसार 01 आवेदन प्राप्त हुए है, जो कि मान. श्री दिलीप लहरिया, विधायक विधानसभा क्षेत्र मस्तूरी, जिला बिलासपुर के द्वारा पो.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास सीपतरोड बिलासपुर के जर्जर भवन मे नवीन छत निर्माण से संबंधित है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उत्रीस" \]](#)

जिला- बिलासपुर प्रदेश में जिला स्तरीय छात्रावास समिति का गठन

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

13. (क्र. 583) श्री दिलीप लहरिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या जिला-बिलासपुर में शासन के नियमानुसार जिला स्तरीय छात्रावास समिति का गठन किया गया है? यदि हां तो समिति का सदस्य एवं पदाधिकारी किसे और कब नियुक्त किया गया है? इस समिति की कब-कब बैठक आयोजित की गयी है? विवरण देवें। **(ख)** यदि गठन नहीं किया गया है तो कब तक गठन कर लिया जायेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जी नहीं । प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जिला बिलासपुर में शासन के नियमानुसार जिला स्तरीय छात्रावास समिति का गठन प्रक्रियाधीन है। **(ख)** समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

अनुसूचित जाति वर्ग की सांस्कृतिक लोक कलाएं एवं धार्मिक का संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

14. (क्र. 596) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वर्ष 2022 से दिनांक 31.01.2025 तक छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग की सांस्कृतिक लोक कलाएं एवं धार्मिक संस्कृति एवं ऐतिहासिक धरोहर, मंदिर, गुरुद्वारा व अन्य धार्मिक महत्व में स्थलों के संरक्षण एवं संवर्धन एवं समूह बनाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं? **(ख)** प्रश्नांक "क" के परिक्षेप्य में मुंगेली, रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में क्या-क्या कार्यक्रम योजनाएं व कार्य किये जा रहे हैं? जानकारी स्थल/कार्यवार/व्यय की गई राशि सहित देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** वर्ष 2022 से दिनांक 31.01.2025 तक छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग की सांस्कृतिक लोक कलाएं एवं धार्मिक संस्कृति एवं ऐतिहासिक धरोहर, मंदिर, गुरुद्वारा व अन्य धार्मिक महत्व के स्थलों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

यथा गुरू घासीदास जयंती का आयोजन तथा तेलासीबाड़ा, गिरौदपुरी एवं दामाखेड़ा समन्वित विकास इत्यादि। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग द्वारा भी अनुसूचित जाति वर्ग हेतु सांस्कृतिक लोक कलाएं एवं धार्मिक स्थानों के संवर्धन एवं विकास हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिक्षेप्य में मुंगेली, रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, अनुसूचित जाति बाहूल्य क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रम व योजनाओं की स्थल/कार्यवार/व्यय की जानकारी तैयार कर **प्रपत्र 'अ' में संलग्न** है एवं मुंगेली, रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर आदि में पर्यटन विभाग के अंतर्गत टूरिज्म बोर्ड द्वारा छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति एवं पर्यटन की दृष्टिकोण से बढ़ावा देने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जानकारी **प्रपत्र 'ब' में संलग्न** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बीस" \]](#)

जिला - बलौदाबाजार - भाटापारा अंतर्गत उद्यानिकी विभाग द्वारा की गई खरीदी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

15. (क्र. 738) श्री इंद्र साव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2022-23 से लेकर 31.01.2025 तक जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत उद्यानिकी विभाग को कितने विभागों से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है ? प्राप्त राशि का प्रयोग किन-किन कार्यों के लिए किया गया ? क्या प्राप्त राशियों से किसी प्रकार की सामग्री/मशीनरी/अन्य वस्तु का क्रय किया गया है ? यदि हां तो कौन-कौन सी तथा कितना भुगतान किया गया विकासखंडवार जानकारी देवें ? **(ख)** खरीदी गई मशीनरी का उपयोग किनके द्वारा किया जा रहा है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :**(क)** वर्ष 2022-23 से लेकर 31.01.2025 तक जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत उद्यानिकी विभाग को विभागीय योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य विभाग (जिला खनिज संस्थान न्यास मद) से राशि रू. 1277.32 लाख प्राप्त हुई है। प्राप्त राशि से किये गये कार्यों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। उक्त अवधि में प्राप्त राशि रू. 1277.32 लाख में से राशि रू. 996.16 लाख से सामग्री/मशीनरी/अन्य वस्तुओं का क्रय किया गया है। क्रय की गई सामग्री/मशीनरी/अन्य वस्तुओं तथा भुगतान की विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। शेष राशि रू. 218.16 लाख का भुगतान कृषकों द्वारा कराये गये कार्य के विरुद्ध उनके बैंक खाते में किया गया है। **(ख)** खरीदी गई मशीनरी के उपयोगकर्ता की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस" \]](#)

भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में किसानों को खाद, बीज, कृषि उपकरण एवं सिंचाई सुविधा का प्रदाय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

16. (क्र. 739) श्री इंद्र साव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई के प्रमुख स्त्रोत क्या हैं ? कितने हक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था है ? विभाग ने सूखा ग्रस्त एवं अन्य आपदा ग्रस्त गांवों को चिन्हांकित कर ऐसे क्षेत्रों में जल प्रबंधन की क्या योजना बनाई ? बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर किसानों को होने वाले नुकसान से किस प्रकार भरपाई की जाती है? **(ख)** प्रश्नांश "क" के अनुसार विधानसभा क्षेत्र भाटापारा में वित्तीय वर्ष 2022-23 से दिनांक 31.01.2025 तक कितने किसानों को कृषि यंत्रों टैक्टर, पंप सेट एवं अन्य उपकरण सब्सिडी में दिये गये हैं ? किसान कल्याण के लिए कौन-कौन सी सब्सिडी योजना चलाई जा रही है ? विवरण देवें ? **(ग)** प्रश्नांश "क" के अनुसार क्षेत्र के किसानों को कितने प्रकार के खाद, बीज वितरण किए गए हैं ? किन कंपनियों के द्वारा

किसानों को बीज उपलब्ध कराये गए है ? क्या क्षेत्र के किसानों के द्वारा खराब बीज वितरण संबंधी कितनी शिकायत प्राप्त हुई है ? प्राप्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) भाटापारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड भाटापारा एवं सिमगा में सिंचाई स्रोतवार सिंचित रकबे का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** (स्रोत-भू-अभिलेख शाखा) सूखाग्रस्त एवं अन्य आपदा ग्रसित ग्रामों को चिह्नंकित कर ऐसे क्षेत्रों में जल प्रबंधन की कार्ययोजना विभाग से संबंधित नहीं है, अतः विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। विभाग के अंतर्गत भू-जल के उपयोग से सिंचाई सुविधा विस्तार हेतु "किसान समृद्धि योजना" खुले जल स्रोतों से उद्बहन सिंचाई विस्तार हेतु "शाकम्भरी योजना" तथा जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन द्वारा मृदा एवं जल संरक्षण हेतु विभागीय योजनाएं संचालित है, जिनके अंतर्गत कृषकों को निर्धारित लक्ष्यों के अधीन पात्रता अनुसार लाभ दिया जाता है। बाढ़ की स्थिति में "राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4" तथा "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है, जिसका विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- ब अनुसार है।** (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार भाटापारा विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्ड भाटापारा एवं सिमगा में वित्तीय वर्ष 2022-23 से दिनांक 31.01.2025 तक संचालनालय कृषि अंतर्गत संचालित योजनाओं के अंतर्गत टैक्टर, पंप सेट एवं अन्य उपकरणों हेतु अनुदान से लाभांशित हितग्राहियों की वर्षवार, योजनावार एवं विकासखण्डवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।** कृषि विभाग द्वारा किसान कल्याण के लिए चलाई जा रही अनुदान योजनाओं की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है।** उद्यानिकी विभाग अंतर्गत किसानों को अनुदान पर वितरित यंत्र एवं अनुदान पर वितरित यंत्र सेट एवं अन्य उपकरणों की जानकारी तथा किसान कल्याण के लिए चलाई जा रही अनुदान योजनाओं की जानकारी क्रमशः **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- इ एवं प्रपत्र- ई, अनुसार है।** (ग) प्रश्नांश "क" के अनुसार भाटापारा विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्ड भाटापारा एवं सिमगा में विभागीय योजनाओं के अंतर्गत कृषकों को वितरित खाद एवं बीज तथा उनके प्रदायक संस्था की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-क एवं प्रपत्र-ख अनुसार है।** खराब बीज वितरण के संबंध में प्राप्त शिकायत की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ग अनुसार है।** उद्यानिकी विभाग अंतर्गत कृषकों को वितरित बीज एवं खाद तथा उनके प्रदायक संस्था की जानकारी क्रमशः **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- घ एवं प्रपत्र-ड अनुसार है।** खराब उद्यानिकी फसल बीज वितरण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

जिला - रायगढ़ अंतर्गत छात्रावास हेतु भवन निर्माण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

17. (क्र. 758) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला रायगढ़ अंतर्गत कितने छात्रावास संचालित हैं कितने के स्वयं के भवन हैं कितने भवन-विहीन हैं? प्री मैट्रिक बालक छात्रावास सोखमुड़ा के निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? (ख) निर्माण कार्य कब प्रारंभ किया गया, यदि नहीं तो कब तक प्रारंभ किया जाएगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला रायगढ़ अंतर्गत कुल 111 छात्रावास संचालित है। भवन युक्त छात्रावासों की संख्या 97 है तथा भवन विहीन छात्रावासों की संख्या 14 है। प्री. मै. बालक छात्रावास सोखामुड़ा के निर्माण हेतु राशि स्वीकृत नहीं की गई है। (ख) प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रायगढ़ जिला में वन अधिकार पट्टा वितरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

18. (क्र. 759) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला रायगढ़ अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 31 जनवरी 2025 तक कितने वन अधिकार पट्टे वितरित किए जा चुके हैं? व्यक्तिगत तथा सामुदायिक का वर्गवार पृथक-पृथक वर्षवार एवं रकबा सहित जानकारी देवें? **(ख)** कितने पात्र व्यक्तियों को वन अधिकार पट्टा दिया जाना प्रक्रियाधीन है? कितने अपात्रता के कारण अस्वीकृत किए गये हैं? कब तक वन अधिकार पट्टा वितरण का लक्ष्य पूर्ण किया जाएगा? समय सीमा बताएँगे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जिला रायगढ़ अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 31 जनवरी, 2025 तक 343 वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। वितरित व्यक्तिगत तथा सामुदायिक वन अधिकार पत्रों की वर्गवार, वर्षवार पृथक-पृथक एवं रकबा सहित जानकारी **संलग्न 'प्रपत्र'** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में किसी भी पात्र दावाकर्ता (जिनका दावा स्वीकृत किया गया है) को वन अधिकार पत्र दिया जाना/वितरित किया जाना प्रक्रियाधीन नहीं है। कोई भी प्रकरण अपात्रता के कारण अस्वीकृत नहीं किए गए हैं। वन अधिकारों की मान्यता सतत प्रक्रिया है। अतः वन अधिकार पत्र वितरण के लक्ष्य को पूर्ण करने की समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस"]

संयुक्त निरीक्षण समिति की प्रदूषण से संबंधित अनुशंसा पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

19. (क्र. 773) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ज्ञापन IPC-II/Iron & Steel/PI-20/10/2021, दिनांक 24 नवम्बर, 2021 संयुक्त निरीक्षण समिति की प्रदूषण से संबंधित अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को क्या-क्या निर्देश प्रदाय किये गए थे तथा जनवरी, 2025 तक उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा कब-कब एवं क्या-क्या कार्यवाही की गई है? संयुक्त निरीक्षण समिति की अनुशंसा पर कार्यवाही की अद्यतन स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। समिति की अनुशंसा अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस"]

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में कृषकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाएं

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

20. (क्र. 809) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा कृषकों के कल्याण हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं ? विवरण देवें ? **(ख)** उपरोक्त योजनाओं के प्रचार/प्रसार हेतु वर्ष 2022-2023, 2023-2024, एवं 2024-2025 में कहीं-कहीं पर विभाग द्वारा शिविर का आयोजन किया गया ? वर्षवार, स्थलवार जानकारी देवें ? **(ग)** उपरोक्त शिविर में कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं कितने कृषक लाभान्वित हुए? कितने आवेदन लंबित हैं ? लंबित आवेदनों का निराकरण कब तक लिया जावेगा ? वर्षवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड छुरिया (जिला-राजनांदगांव) एवं विकासखण्ड अम्बागढ़-चौकी (जिला-मोहला मानपुर-अम्बागढ़-चौकी) सम्मिलित है, जिसमें कृषि विभाग द्वारा कृषकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ख) प्रश्रावधी में उपरोक्त योजनाओं के प्रचार/प्रसार हेतु आयोजित शिविर का वर्षवार, स्थलवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार** है। (ग) प्रश्राधीन अवधि में उपरोक्तानुसार आयोजित शिविर में कुल 1,605 आवेदन प्राप्त हुए हैं एवं प्राप्त आवेदन के विरुद्ध 1,605 कृषक लाभांवित हुए। उक्त के अतिरिक्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कुल 8,647 कृषक शिविर में लाभांवित हुए हैं, इस प्रकार कुल 10,252 कृषक लाभांवित हुए हैं तथा लंबित आवेदन की जानकारी निरंक है। वर्षवार आयोजित शिविरों में प्राप्त आवेदन, लाभांवित कृषक, लंबित आवेदन की जानकारी वर्षवार **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- स एवं प्रपत्र-द अनुसार** है।

जिला जांजगीर-चांपा व सक्ती में रेत खदानों के लिए जारी पर्यावरण सम्मतियां

[आवास एवं पर्यावरण]

21. (क्र. 830) श्री बालेश्वर साह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जांजगीर चांपा व सक्ती जिले में जनवरी, 2025 की स्थिति में संचालित किन-किन रेत खदानों के लिए पर्यावरण सम्मतियां (नवीनीकरण सहित) किसके-किसके प्रक्ष में, कितने-कितने रकबे के लिए तथा कितनी-कितनी अवधि के लिए जारी की गई है ? पर्यावरण सम्मतियां किन-किन शर्तों पर दी जाती हैं ? उन शर्तों के पालन को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व किसका-किसका होता है तथा उन्होंने इसके लिए क्या-क्या कार्यवाही की है? कितने प्रकरणों में शर्तों का उल्लंघन पाया गया है ? (ख) अधिसूचित रेत खदानों में से उक्त (क) के खदानों को छोड़कर किन-किन खदानों के पर्यावरण सम्मति की विगत अवधियां कब-कब समाप्त हो चुकी हैं? (ग) वर्ष 2020-21 से जनवरी, 2025 की अवधि में पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रेत के अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन तथा अवैध भंडारण के कितने प्रकरण दर्ज करके कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा रेत खदानों को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाती है। जनवरी, 2025 की स्थिति में जांजगीर-चांपा व सक्ती जिले में रेत खदानों को वर्तमान में जारी वैध पर्यावरणीय स्वीकृति (जिलेवार, नामवार, रकबेवार एवं अवधि) **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। रेत खदानों को रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होने, लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन टैक्टर ट्राली से करने, सस्टेनेबल सेण्ड मारिनिंग मैनेजमेंट गार्डललाईन्स, 2016 एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मानिट्रिंग गार्डललाईन्स फार सेण्ड मारिनिंग, 2020 का पालन करने, रेत का परिवहन कवर्ड वाहन से किये जाने, नदी तट या पहुँच मार्ग में सघन वृक्षारोपण करने तथा स्थल विशेष के आधार पर विशिष्ट शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाती है। पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सम्बंधित रेत खदान पट्टेदार का होता है तथा खदान पट्टेदारों द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। प्रश्राधीन अवधि में जिला जांजगीर-चाम्पा एवं सक्ती में पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन के संबंध में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। (ख) प्रश्राधीन अवधि में जिला जांजगीर-चाम्पा एवं सक्ती में प्रश्रांश 'क' में उल्लेखित रेत खदानों के अतिरिक्त अन्य रेत खदान को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। अतः जानकारी निरंक है। (ग) प्रश्राधीन अवधि में जिला जांजगीर-चाम्पा एवं सक्ती में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को रेत के

अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन तथा अवैध भंडारण के प्रकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस"]

बस्तर संभाग में प्रधानमंत्री/किसान फसल बीमा के तहत प्रदत्त क्षतिपूर्ति राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

22. (क्र. 839) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में कुल कितने किसानों ने कुल कितने हेक्टर भूमि के लिए किसान फसल बीमा व कौन-कौन से उपज के लिए प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा करवाया व इसके लिए किसानों से कितनी राशि जमा करवाई गई ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? **(ख)** वर्ष 2024-25 में भारी वर्षा, अंधड़ व तेज हवा से प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा में पंजीकृत किसानों की कितनी फसल खराब/नष्ट हुई ? नष्ट फसल, फसल की मात्रा , अनुमानित राशि के विरुद्ध बीमा कंपनी के द्वारा दी गई अथवा दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि विकासखण्डवार बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** फसल बीमा योजनाओं में जानकारी का संधारण तहसीलवार किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत बस्तर संभाग में सम्मिलित जिलों की तहसीलों में मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2024-25 अंतर्गत कुल 1,76,665 कृषकों के 3,38,578.179 हेक्टर रकबे का फसल बीमा किया गया तथा जिसके एवज में कृषक प्रीमियम के रूप में रु. 2,966.11 लाख प्राप्त हुई। जिलावार, वर्षवार, फसलवार, तहसीलवार फसल बीमा कराने वाले कृषकों की संख्या, बीमित रकबा, प्रीमियम (कृषक अंश) की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश "क" की अवधि में खरीफ एवं रबी वर्ष 2024-25 में भारी वर्षा, अंधड़ व तेज हवा से संबंधित जोखिम यथा स्थानीयकृत आपदा एवं फसल कटाई उपरांत होने वाले नुकसान के तहत धान असिंचित फसल हेतु कुल रूपये 7,29,465.34 की क्षति आंकलित की गयी है तथा प्रभावित कृषकों को योजना के प्रावधान अनुसार बीमा दावा भुगतान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिलावार, वर्षवार, फसलवार, तहसीलवार क्षतिग्रस्त फसल, क्षति प्रतिशत, अनुमानित दावा राशि एवं देय दावा भुगतान की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-'ब' अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस"]

बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मद अंतर्गत स्वीकृत विकास कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

23. (क्र. 840) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वर्ष 2024-25 में दिनांक 31/01/2025 की स्थिति में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में विकास एवं हितग्राहीमूलक मद अंतर्गत प्रावधानित/आबंटित राशि मदवार तथा विधानसभावार देवें? **(ख)** प्रावधानित/आबंटित राशि के अंतर्गत विधानसभावार स्वीकृतियां एवं अद्यतन स्थिति में शेष राशि की स्थिति बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

महासमुंद जिले में पॉवर स्पेयर खरीदी हेतु प्राप्त राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

24. (क्र. 843) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** महासमुंद जिले में वर्ष 2024-25 में कृषि विभाग को पॉवर स्पेयर खरीदी के लिए किस मद से कितनी राशि प्राप्त हुई थी ? क्या पॉवर स्पेयर खरीदी के लिए निविदा बुलाई गई थी ? यदि हाँ तो निविदा की क्या शर्तें थी ? उक्त निविदा में कितने ठेकेदारों ने भाग लिया था और कौन-कौन ठेकेदार निविदा के लिए पात्र थे ? कितने पॉवर स्पेयर खरीदी का ठेका, किस दर पर, किस ठेकेदार को प्राप्त हुआ था ? जानकारी दें? **(ख)** किसानों को पॉवर स्पेयर वितरण करने के क्या नियम हैं ? अब तक कितने किसानों को पॉवर स्पेयर का वितरण किया जा चुका है ? विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें ? **(ग)** क्या पॉवर स्पेयर खरीदी में अनियमितता की शिकायत पाई गई थी ? यदि हाँ, तो प्राप्त शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला महासमुंद में कृषकों को अनुदान पर पावर स्पेयर उपलब्ध कराने "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" (तिलहन) अंतर्गत राशि रू. 0.88 लाख का लक्ष्य निर्धारित था। इसके अतिरिक्त "जिला खनिज न्यास मद" से कृषकों को अनुदान पर पावर स्पेयर उपलब्ध कराने राशि रू. 79.99 लाख प्राप्त हुई थी। जी हां जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा शर्तों का विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** निविदा में 11 निविदाकारों ने भाग लिया था तकनीकी मापदण्डों के आधार पर 01 निविदाकार (मेसर्स माता दी इलेक्ट्रीकल राजिम) पात्र पाया गया था। कुल 3472 नग मैनुअल बैक कैरिंग पावर स्पेयर प्रति नग रू. 6395/- की दर से मेसर्स माता दी इलेक्ट्रीकल, राजिम को दिया गया। **(ख)** "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" (तिलहन) अंतर्गत 16 लीटर से कम क्षमता के पावर स्पेयर पर "लागत का 50% अधिकतम रू. 3800/- प्रति स्पेयर" प्रदाय किया जाना प्रावधानित है। लघु सीमांत, महिला, अ.जा., अ.ज.जा. को अतिरिक्त अनुदान अधिकतम रू.3,800/- तक प्रावधानित है। जिले की स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार "जिला खनिज न्यास मद" अंतर्गत कृषकों को 90% अनुदान (रू. 5,760) तथा 10% कृषक अंश (रू. 640) पर पावर स्पेयर उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित किया गया । जनवरी 2025 तक किसी भी कृषक को पावर स्पेयर का वितरण नहीं किया गया है, अतः शेष जानकारी निरंक है। **(ग)** प्रश्नाधीन अवधि में इस संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः शेष जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस"]

बेमेतरा जिले में कृषकों को स्पिंकलर, पाईप सेट एवं पम्प सेट की आपूर्ति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

25. (क्र. 849) श्री ईश्वर साह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या वर्ष 2021 से वर्ष 2024 तक बेमेतरा जिला में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत स्पिंकलर, पाईप सेट एवं पम्प सेट कृषकों को प्रदान किया गया ? **(ख)** क्या स्पिंकलर पाईप सेट एवं पम्प सेट की राशि प्रशंसा **(क)** अवधि में प्रचलित बीज निगम के दर से अथवा अधिक दर से आपूर्ति की गई है ? **(ग)** यदि अधिक दर से आपूर्ति की गई तो दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जी हाँ। वर्ष 2021 से वर्ष 2024 तक बेमेतरा जिलों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत "पर ड्राप मोर क्राप" के तहत चैम्स प्रणाली के माध्यम से स्पिंकलर सेट एवं जलग्रहण विकास घटक 2.0 योजनांतर्गत स्पिंकलर, पाईप सेट एवं पम्प सेट कृषकों को अनुदान पर प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - जलग्रहण विकास घटक 2.0 योजनांतर्गत

स्प्रिंकलर, पाईप सेट एवं पम्प सेट हेतु कृषकों के खातों में राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई है। नवीन जलग्रहण परियोजना के मार्गदर्शी सिद्धांत 2021 अनुसार उत्पादन प्रणाली के तहत राशि रू. 44,000/- (मैदानी क्षेत्र हेतु) एवं राशि रू. 56,000/- (पहाड़ी क्षेत्र एवं वामपंथवाद क्षेत्र हेतु) तक अधिकतम अनुदान दिया जाता है। कृषकों को अनुदान पर प्रदाय किये गये एवं डीबीटी के माध्यम से अंतरित राशि से क्रय किए गए स्प्रिंकलर, ड्रिप एवं पंप सेट की **वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(ख)** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत "पर ड्राप मोर क्राप" के तहत स्प्रिंकलर सेट प्रश्नांश "क" की अवधि में बीज निगम में पंजीकृत प्रदायकों की अनुबंधित दरों पर आपूर्ति की गई है।(ग) प्रश्नांश "ख" के परिपेक्ष्य में निरंक।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस" \]](#)

विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के हित में संचालित योजनाएं

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

26. (क्र. 850) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** बिलासपुर जिले अंतर्गत (पीवीजीटी) विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह/समुदाय की जनसंख्या कितनी है और कौन-कौन सी है? विकासखंडवार जनजाति एवं जनसंख्या की जानकारी दें ? **(ख)** क्या उक्त (पीवीजीटी) विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह/समुदाय की पहचान कर किसी प्रकार का प्रमाण पत्र जारी किया गया है? अगर किया गया है तो कब-कब किसे-किसे किया गया है ? जनजाति एवं विकासखंडवार जानकारी क्या है? **(ग)** क्या उक्त जनजातियों को लाभ पहुंचाने हेतु विशेष योजना का संचालन किया जा रहा है? अगर हां, तो योजना का नाम, प्रारंभ वर्ष, कार्य क्षेत्र एवं राशि का विवरण दें? **(घ)** उक्त संचालित कौन-कौन सी योजना से कितने जनजाति को क्या-क्या लाभ प्राप्त हुआ है ? ग्राम एवं विकासखंड की जानकारी प्रदान करें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** बिलासपुर जिले अंतर्गत बैगा एवं बिरहोर विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह/समुदाय (पीव्हीटीजी) निवासरत है, जिनकी कुल जनसंख्या 5856 है। आदिम जाति तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर द्वारा किये गये आधारभूत सर्वेक्षण वर्ष 2015-16 के आधार पर इनकी विकासखंडवार जनसंख्या की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** उक्त (पीव्हीटीजी) विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह/समुदाय की पहचान कर किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। **(ग)** जी हां। जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(घ)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अट्ठाईस" \]](#)

कबीरधाम जिला में विशेष पिछड़ी जन-जाति के खेतों में ट्यूबवेल खनन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

27. (क्र. 852) श्री ईश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2021-22 से 31/01/2025 तक कबीरधाम जिले में कितने विशेष पिछड़ी जन-जाति बैगा हितग्राहियों के खेतों को ट्यूबवेल खनन हेतु चयनित किया गया था तथा ट्यूबवेल खनन कर मोटरपम्प प्रतिस्थापन किया गया ? **(ख)** क्या इस ट्यूबवेल खनन एवं मोटरपम्प प्रतिस्थापन कार्य में अनियमिता होने सम्बंधित शिकायत प्राप्त हुई है ? **(ग)** यदि हाँ तो अनियमिता से सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** वर्ष 2021-22 से 31/01/2025 तक कबीरधाम

जिले में कृषि विभाग द्वारा विशेष पिछड़ी जन-जाति बैगा हितग्राहियों के खेतों में ट्यूबवेल खनन एवं मोटरपम्प प्रतिस्थापन संबंधी कार्य नहीं लिया गया है, अतः शेष जानकारी निरंक है। (ख) 'क' के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है। (ग) 'ख' के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में संयंत्रों से फ्लाई एश का उत्सर्जन

[आवास एवं पर्यावरण]

28. (क्र. 854) श्री अनुज शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र धरसीवा के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जायसवाल निको, वंदना ग्लोबल, एस.के.एस., गोदावरी आदि संयंत्रों से वर्ष 2023 से दिनांक 31/01/2025 तक कुल कितनी-कितनी मात्रा में फ्लाई एश का उत्सर्जन किया गया? माहवार जानकारी देवें? फ्लाई एश के भण्डारण एवं निष्पादन हेतु नियमों के पालन की जांच एवं किस-किस अधिकारी के द्वारा संपादित की गई ? जांच में क्या निर्देश दिये गये तथा क्या कार्यवाही की गई? (ख) फ्लाई एश प्रयोग किस-किस प्रयोजन के लिये, कितनी-कितनी मात्रा में किया गया तथा क्या फ्लाई एश के निष्पादन से संबंधित कोई शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है ? यदि हां तो क्या और विभाग द्वारा संयंत्रों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में उत्सर्जित फ्लाई एश की माहवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ के कॉलम 4 अनुसार है। प्रश्नाधीन अवधि में फ्लाई एश के भण्डारण एवं निष्पादन हेतु नियमों के पालन के संबंध में की गई जांच की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) थर्मल/बायोमास पॉवर प्लांटों द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में उत्सर्जित फ्लाई एश के विभिन्न प्रयोजन में उपयोग की मात्रावार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ के कॉलम 5 से 8 अनुसार है। जी हाँ, गाजी नगर बीरगांव में अवैध फ्लाई एश डंपिंग से सम्बंधित एक शिकायत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्राप्त हुई है। शिकायत के परिपेक्ष्य में मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के सहायक अभियंता एवं वैज्ञानिक द्वारा शिकायत स्थल का निरीक्षण दिनांक 24/09/2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान मेसर्स घनकुन स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-सोण्ड्रा, सिलतरा द्वारा शिकायत स्थल में अवैध फ्लाई एश डंपिंग किया जाना पाया गया। उक्त के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा फ्लाई एश अधिसूचना दिनांक 31/12/2021 के अनुसार संस्थान पर रूपये 1,12,500/-पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। उद्योग प्रबन्धन द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि दिनांक 10/10/2024 को जमा कर दी गई है। साथ ही डंप फ्लाई एश पर मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण का कार्य किया गया है।

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के तहत कृषकों को दी गयी अनुदान राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

29. (क्र. 871) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में कृषकों हेतु लघुत्तम सिंचाई योजना, तालाब निर्माण योजना, किसान समृद्धि योजना, नलकूप योजना, भूजल संवर्धन एवं सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में 1 फरवरी, 2025 की स्थिति में कितना- कितना लक्ष्य एवं कितनी-कितनी राशि अनुदान हेतु निर्धारित की गई थी ? (ख) निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितने- कितने कार्यों की पूर्ति हुई तथा कृषकों को कितना- कितना दान दिया गया है ? विकासखंडवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से सम्बद्ध

विकासखण्ड कवर्धा, पंडरिया एवं सहसपुर लोहारा में लघुत्तम सिंचाई (तालाब) एवं किसान समृद्धि योजना (नलकूप) के अंतर्गत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में 1 फरवरी, 2025 की स्थिति में निर्धारित लक्ष्यों की जानकारी निरंक है। विभाग में भूजल संवर्धन योजना संचालित नहीं है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई तथा राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना (ड्रिप) अंतर्गत जिला कबीरधाम हेतु वर्षवार निर्धारित भौतिक लक्ष्य का विवरण **सलग्र प्रपत्र -अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार** है। योजना अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों को 55 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को 45 प्रतिशत अनुदान देय है। अनुदान राशि का निर्धारण इकाई लागत के आधार पर किया जाता है, जिसका विवरण **सलग्र प्रपत्र -स अनुसार** है। **(ख)** लक्ष्यों के विरुद्ध कार्यों की पूर्ति तथा कृषकों को प्रदाय अनुदान की विकासखंडवार जानकारी **सलग्र प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[\[सलग्र "परिशिष्ट - उन्तीस"\]](#)

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (प्रभारी मंत्री मद) के अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

30. (क्र. 895) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वित्त वर्ष 2024-25 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (प्रभारी मंत्री मद) अंतर्गत कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी लागत राशि से कहां-कहां स्वीकृत किए गए? स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है? विकासखण्डवार सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (प्रभारी मंत्री मद) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के सभी जिलों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में स्वीकृत कार्य एवं राशि की अद्यतन जानकारी निम्नानुसार है:-

कुल स्वीकृत कार्य	कुल स्वीकृत राशि (लाख रू. में)	कुल स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति			
		पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ	निरस्त
1204	7028.20	297	546	361	0

उक्त कार्यों की विकासखण्डवार विस्तृत एवं अद्यतन जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र** अनुसार है।

संस्था,समूह,सोसायटी,मंदिर एवं संस्थान के नाम पर दर्ज भूमि का धान बिक्री हेतु पंजीयन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

31. (क्र. 903) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- राज्य में धान खरीदी वर्ष 2024-25 में संस्था,समूह,सोसायटी,मंदिर एवं संस्थान के नाम पर दर्ज भूमि के कितने खाताधारकों द्वारा धान बिक्री के पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ था? कितने संस्था, समूह, सोसायटी,मंदिर एवं संस्थान के नाम पर दर्ज भूमि का पंजीयन हुआ है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : राज्य में वर्ष 2024-25 में 876 संस्था, समूह, सोसायटी, मंदिर एवं संस्थान के नाम पर पंजीयन हुआ है, ऐसे पंजीकृत संस्था, समूह, सोसायटी, मंदिर एवं संस्थान के नाम पर दर्ज भूमि में से 1143 किसानों द्वारा अधिया एवं रेगहा में धान विक्रय हेतु पंजीयन कराया गया था।

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वन अधिकार पट्टा के प्राप्त आवेदन

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

32. (क्र. 914) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र तखतपुर अंतर्गत विगत 03 वर्षों में वन अधिकार पट्टा हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए

हैं? वर्षवार एवं ग्रामवार विवरण देवें? **(ख)** कंडिका "क" के प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदन स्वीकृत कर वितरित किये गये हैं, कितने आवेदन अस्वीकृत किये गये हैं एवं कितने आवेदन लंबित हैं? वर्षवार एवं ग्रामवार विवरण देवें? **(ग)** कंडिका "ख" के लंबित आवेदनों का निराकरण कब तक कर लिया जाएगा? विवरण देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** विधानसभा क्षेत्र तखतपुर अंतर्गत विगत 03 वर्षों में वन अधिकार पत्र हेतु कुल 2001 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वर्षवार एवं ग्रामवार जानकारी **संलग्न 'प्रपत्र'** अनुसार है। **(ख)** कंडिका "क" के प्राप्त आवेदनों में से 1610 आवेदन स्वीकृत कर 1610 वन अधिकार वितरित किए गए हैं, 391 आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं एवं कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। वर्षवार एवं ग्रामवार जानकारी **संलग्न 'प्रपत्र'** अनुसार है। **(ग)** कंडिका "ख" अनुसार केई भी आवेदन लंबित नहीं होने के कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तीस" \]](#)

बिलासपुर जिले के उद्यानिकी विभाग में की गई खरीदी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

33. (क्र. 920) श्री सुशांत शुक्ला : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलासपुर जिले में वर्ष 2021 से जनवरी, 2025 तक उद्यानिकी विभाग को किन-किन विभागों से किस-किस योजना अंतर्गत कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है ? उक्त राशि का उपयोग किन-किन कार्यों / प्रयोजनों के लिए किया गया ? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या प्रश्नांश "क" की प्राप्त राशि का उपयोग सामग्री / उपकरण/ मशीनरी / अन्य सामग्री खरीदी के लिए किया गया ? यदि हाँ तो खरीदी कहाँ-कहाँ के लिए कौन-कौन सी कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस फर्म/एजेसी से किया गया ? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** प्रश्नांश "ख" की खरीदी गई सामग्री / मशीनरी का उपयोग किनके द्वारा किया जा रहा है ? मशीन की स्थापना , मशीन संचालन हेतु दिए गए प्रशिक्षण, उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता तथा मशीनरी की अद्यतन स्थिति की जानकारी विकासखंडवार उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** बिलासपुर जिले में वर्ष 2021 से जनवरी, 2025 तक उद्यानिकी विभाग को विभागीय योजनान्तर्गत राशि रु. 2042.56 लाख एवं जिला खनिज न्यास निधि मद से राशि रु. 410.37 लाख, इस प्रकार कुल राशि रु. 2452.93 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त राशि से किये गये कार्यों/प्रयोजनों की विकासखंडवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ प्रश्नांश "क" अनुसार प्राप्त राशि रु. 2452.93 लाख में से राशि रु. 785.982 लाख से सामग्री/उपकरण/मशीनरी/अन्य सामग्री की खरीदी की गई है। खरीदी की गई सामग्री/उपकरण/मशीनरी/अन्य सामग्री की मात्रावार, फर्म/एजेसीवार, विकासखंडवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र - ब, प्रपत्र-स प्रपत्र-द, प्रपत्र-इ, प्रपत्र-फ एवं प्रपत्र-ग अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश "ख" की खरीदी गई सामग्री/मशीनरी के उपयोगकर्ता, मशीन की स्थापना, मशीन संचालन हेतु दिए गए प्रशिक्षण एवं उत्पादन क्षमता तथा मशीनरी की अद्यतन स्थिति की विकासखंडवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश में चना तथा दलहन तिलहन प्रोडक्शन सब्सिडी विषयक

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

34. (क्र. 925) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ प्रदेश में चना के समर्थन मूल्य के आधार पर चना बीज तथा प्रोडक्शन सब्सिडी सहित

चना बीज का मूल्य क्या है? चना बीज मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया स्पष्ट कर बतायें ? **(ख)** दलहन तिलहन के प्रोडक्शन सब्सिडी के लिए कौन-कौन सी योजनाएं महासमुन्द जिले में संचालित हैं? क्या किसानों से बीज वितरण के समय प्रोडक्शन सब्सिडी की राशि जोड़कर ली जाती है? यदि हां तो क्या कारण है तथा नियम क्या है? नियम विपरीत लिये जाने पर क्या कार्यवाही की गई ? **(ग)** किसान द्वारा प्रोडक्शन सब्सिडिज जमा की जा रही है तो शासन से ही दी जा रही सब्सिडी राशि का उपयोग एवं वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 का आय व्यय मदवार बतायें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** प्रदेश में रबी वर्ष 2023-24 में उत्पादित चना का समर्थन मूल्य तथा बीज उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत देय उत्पादन अनुदान सहित चना पैकड बीज का उपार्जन दर निम्नानुसार है:-

क्र.	फसल	विवरण	चना बीज का समर्थन मूल्यप्रति किं.	बीज उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत उत्पादित पैकड बीज का देय उत्पादन अनुदान सहित निर्धारित उपार्जन दरप्रति किं. राशि रू. में
1	चना	10 वर्ष के ऊपर के किस्म	5440	7002
2		10 वर्ष के अंदर के किस्म		8184

बीज उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत उत्पादित चना बीज का मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** हैं।**(ख)** दलहन तिलहन के प्रोडक्शन सब्सिडी के लिये महासमुन्द जिले में कृषक समग्र विकास योजना के अंतर्गत अक्ति बीज संवर्धन योजना, दलहन उत्पादन प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय खाद्य पोषण सुरक्षा मिशन (दलहन), नेशनल मिशन ऑन इडिबल आयल-आयलसीड योजना संचालित है। किसानों को बीज वितरण की दर में प्रोडक्शन सब्सिडी की राशि जोड़कर नहीं ली जाती है, अपितु बीज विक्रय दर का निर्धारण (राज्य स्तरीय बीज विक्रय दर निर्धारण समिति द्वारा) राज्य शासन/भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देय उत्पादन अनुदान एवं वितरण अनुदान की राशि को घटाकर किया जाता है। अतः शेष जानकारी निरंक है। **(ग)** किसान द्वारा प्रोडक्शन सब्सिडी की राशि जमा नहीं की जाती है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तीस" \]](#)

महासमुन्द जिले में जैविक खेती योजना में स्प्रेयर खरीदी, शिकायत व कार्यवाही विषयक

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

35. (क्र. 926) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या छत्तीसगढ़ के महासमुन्द जिले में जैविक खेती योजना में बैटरी स्प्रेयर खरीदी व कृषकों को बिक्री की गई है ? यदि हां तो नियम विरुद्ध खरीदी, बिक्री , वितरण सम्बंधी क्या क्या शिकायत वर्ष 2021 से जनवरी, 2025 तक प्राप्त हुई वर्षवार बतायें ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' की शिकायतों पर 30 जनवरी 2025 की स्थिति में क्या क्या कार्यवाही की गई? विवरण दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** राज्य पोषित जैविक खेती मिशन "योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में उप संचालक कृषि, जिला-महासमुन्द द्वारा "जिला प्रबंधक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि." को 450 नग बैटरी कम हैण्ड आपरेटड स्प्रेयर कृषकों को अनुदान पर प्रदायगी हेतु आदेशित किया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत उखरा अंतर्गत ग्राम उखरा, अमेरा, लामीसरार तथा ग्राम पंचायत झिटका अंतर्गत ग्राम कोकडी, मुडपार के कृषकों द्वारा स्प्रेयर के स्थान पर निःशुल्क स्प्रेयर अथवा

ड्रम प्रदायगी हेतु अनुरोध किया गया। प्राप्त पत्र के परिपेक्ष्य में विभागीय पत्र क्र. 1426 दिनांक 22.03.2024 द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी चाही गयी। उपरोक्त के अतिरिक्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बागबाहरा द्वारा कलेक्टर महासमुंद को प्रस्तुत शिकायत में "पावर स्प्रेयर/बैटरी स्प्रेयर" का योजना नार्म्स में प्रावधान न होने संबंधी शिकायत प्रेषित की गयी। ख) विभाग के पत्र क्र. 1426 दिनांक 22.03.2024 के परिपेक्ष्य में संचालनालय कृषि के पत्र क्र. 130 दिनांक 18.07.2024 द्वारा उप संचालक कृषि महासमुंद को "कारण बताओ सूचना" पत्र जारी करना प्रस्तावित किया गया। विभाग द्वारा दिनांक 22.02.2025 को संबंधित उप संचालक कृषि को "कारण बताओ सूचना" पत्र जारी किया जा चुका है।

नवा रायपुर अटल नगर में वर्ष 2024-25 में "एक पेड़ मां के नाम" कार्यक्रम में रोपित वृक्षों संबंधी

[आवास एवं पर्यावरण]

36. (क्र. 932) डॉ. चरण दास महंत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2024-25 में आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में कितने क्षेत्रफल में, किस-किस प्रजाति के, कितने-कितने पौधे लगाए गए ? स्थान का नाम सहित जानकारी देवें? वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि की जानकारी भी देवें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' हेतु रोपित किए जाने वाले पौधों की खरीदी कहां से की गई? किस प्रजाति के पौधे किस-किस दर पर खरीदे गए? वर्ष 2024 में एन.आर.डी.ए. द्वारा कितने पौधे, किस दर पर, किस एजेंसी से खरीदे गए? खरीदी की प्रक्रिया क्या थी? पौधों की प्रजातिवार समुचित जानकारी देवें? **(ग)** शासकीय वन रोपणी, नर्सरी से नवा रायपुर अटल नगर में वृक्षारोपण हेतु कितने पौधे लिए गए? प्रजातिवार जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में वृक्षारोपण एवं 2 से 3 वर्ष तक वृक्षों के संधारण हेतु राशि रू. 6.80 करोड़ स्वीकृत है तथा वर्ष 2024-25 में दिनांक 18.02.2025 तक की स्थिति में राशि रू. 4.33 करोड़ का व्यय हुआ है। **(ख)** वृक्षारोपण हेतु विभिन्न निविदायें जारी की गई थी। निविदा में पौधों की उंचाई एवं आकार के आधार पर वर्गीकृत कर वृक्षारोपण एवं 2 से 3 वर्ष तक वृक्षों का संधारण करने की शर्त के साथ प्रजाति वार संख्या निर्धारित की गई है, जिसमें पौधों की खरीदी करने का दायित्व अनुबंधित ठेकेदार का है। रोपित एवं संरक्षित किये जा रहे पौधों के दर की **जानकारी संलग्न प्रपत्र- ब अनुसार** है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र- ब अनुसार** है। वृक्षारोपण एवं 2 से 3 वर्ष तक वृक्षों का संधारण करने हेतु की गई निविदाओं के अंतर्गत नियमानुसार पौधों की खरीदी अनुबंध अनुसार संबंधित ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ग)** वृक्षारोपण एवं 2 से 3 वर्ष तक वृक्षों का संधारण करने हेतु पौधों की खरीदी निविदा के माध्यम से अनुबंधित ठेकेदारों द्वारा की गई है। अतः शासकीय वन रोपणी, नर्सरी से क्रय करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस"]

गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित छात्रावास

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

37. (क्र. 936) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने छात्रावास संचालित हैं? जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार संचालित छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को क्या-क्या सुविधा प्रदान की जाती है? जानकारी प्रदान करें? **(ग)** विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर अर्जुन्दा में संचालित अनु. जाति. जनजाति प्री. मैट्रिक छात्रावास का उन्नयन एवं पोस्ट मैट्रिक (ओबीसी) छात्रावास प्रारंभ के संबंध में क्या विभाग को कोई

प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हाँ तो प्रशासकीय स्वीकृति कब तक जारी कर प्रारंभ कर लिया जायेगा? जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 06 छात्रावास संचालित है। (ख) छात्रावास में निवासरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान की जाती है। जिसके अंतर्गत आवास, पौष्टिक आहार, साबुन, तेल, पंलग, गद्दे, चादर, कंबल, तकिया, थाली, गिलास, खेल सामग्री सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। (ग) जी हां । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

धमतरी जिले में विभाग द्वारा क्रय की गई सामग्री

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

38. (क्र. 937) श्री ओंकार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वित्तीय वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2025 तक आदिवासी विकास विभाग धमतरी को सामग्री पूर्ति मद में शासन से कितना आबंटन प्राप्त हुआ? प्राप्त आबंटन से कितनी-कितनी राशि की क्या-क्या सामग्री, किन किन फर्मों से कितनी-कितनी दर पर खरीदी गई? वर्षवार जानकारी दें ? खरीदी गई सामग्री को किन-किन छात्रावास / आश्रमों में वितरण किया गया? (ख) धमतरी जिले में संचालित आश्रमों एवं छात्रावासों की मरम्मत-रखरखाव हेतु वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक आबंटित एवं कुल व्यय की गई राशियों की जानकारी संस्थावार बतावें? जिले अंतर्गत किन-किन आश्रम/छात्रावासों में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई? रखरखाव एवं मरम्मत कार्य के लिए निविदा कब एवं किस अखबार में जारी की गई थी? (ग) धमतरी जिला अंतर्गत समस्त एकलव्य विद्यालय में वर्ष 2022-23 से 2024-25 में कब-कब, कितनी-कितनी राशि की सामग्री की खरीदी की गई? क्या उक्त खरीदी में वित्त निर्देश एवं भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया है अथवा नहीं? उपरोक्त खरीदी का भौतिक सत्यापन हुआ है अथवा नहीं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ', 'ब', 'स' एवं 'द' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ई' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'फ' अनुसार है। जी हाँ । उक्त क्रय प्रक्रिया में वित्त निर्देश एवं भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया है। जी हाँ । क्रय की गई सामग्रियों का जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा भौतिक सत्यापन कराया गया है।

गरियाबंद जिले में कृषि विभाग द्वारा निर्माण कराए गए चेकडैम, तालाब

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

39. (क्र. 940) श्री ओंकार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) गरियाबंद जिला में कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2021 से 2024 तक कितने चेकडैम, स्टॉपडैम एवं तालाब आदि का निर्माण कार्य किन-किन योजनाओं के तहत कितनी कितनी लागत राशि से किन-किन स्थानों पर कराया गया? (ख) उक्त निर्माण कार्यों में गुणवत्ताहीन, घटिया निर्माण एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें क्या जांच कमेटी का गठन किया गया? क्या उक्त जांच कमेटी ने शासन को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है? यदि हां, तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? (ग) क्या यह सही है उक्त निर्माण कार्यों में तकनीकी अधिकारी (WDT) का प्रभार अनुरेखक तृतीय श्रेणी कर्मचारी को दिया गया था? यदि हां, तो किस नियम एवं शर्तों के अधीन प्रसारित किया गया था? शासन के नियम एवं शर्तों के

उल्लंघन करने के लिए कौन अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार है एवं उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में कृषि विभाग द्वारा गरियाबंद जिले में टारगेटिंग राईस फेलो एरिया योजनांतर्गत 04 चेकडेम, लघुत्तम सिंचाई (तालाब) योजनांतर्गत 04 तालाब, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-डब्लू.डी.सी. 2.0 अंतर्गत 22 चेकडेम, 11 तालाब जीर्णोद्धार एवं 396 अन्य कार्य (03 अमृत सरोवर, 150 कूप निर्माण, 158 मुही बंधान, 50 भूमि समतलीकरण एवं 35 फार्म पौण्ड) तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत 11 चेकडेम इस प्रकार कुल 448 निर्माण कार्य कराये गये है। योजनावार, वर्षवार, स्थलवार, संरचनावार लागत राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना टारगेटिंग राईस फेलो एरिया, लघुत्तम सिंचाई (तालाब) योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-डब्लू.डी.सी. 2.0, अंतर्गत शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, किन्तु प्रश्नाधीन अवधि में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत विकासखंड मैनपुर में सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला गरियाबंद द्वारा निर्माणाधीन चेकडेम के गुणवत्ताहीन होने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जनदर्शन एवं माननीय प्रभारी मंत्री जिला गरियाबंद के समक्ष शिकायत प्राप्त हुई थी, इस परिप्रेक्ष्य में उप संचालक कृषि गरियाबंद द्वारा कार्यालयीन सहायक संचालक कृषि से शिकायत की जांच कराई गई। जांच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ताओं की उपस्थिति में तकनीकी प्राक्कलन अनुसार निर्माणाधीन चेकडेम का मापन एवं जांच किया गया, जो प्राक्कलन के अनुरूप सही पाया गया, तदोपरांत शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत वापस लिया गया। जांच अधिकारी के प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर, जिला गरियाबंद द्वारा उक्त प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया है। (ग) प्रश्नाधीन अवधि में हुए निर्माण कार्यों में तकनीकी अधिकारी (WDT) का प्रभार अनुरेखक तृतीय श्रेणी कर्मचारी को नहीं दिया गया है, अतः जानकारी निरंक है।

डोंगरगांव विधानसभा के ग्राम आलीवारा में किसान सुविधा केन्द्र हेतु भवन निर्माण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

40. (क्र. 942) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा के ग्राम आलीवारा में किसान सुविधा केन्द्र हेतु भवन निर्माण आरईएस के माध्यम से किया गया है? यदि हां, तो जनवरी, 2025 तक निर्मित किसान सुविधा केन्द्र के भवन का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है? उक्त केन्द्र में लगने वाले उपकरणों की खरीदी के संबंध में उपसंचालक, कृषि, राजनांदगांव व शासन के मध्य कब-कब पत्राचार किया गया है? उपकरणों की खरीदी में विलंब का क्या कारण है? किसान सुविधा केन्द्र में उपकरणों की खरीदी पूर्ण कर केन्द्र कब तक प्रारंभ कर लिया जावेगा ? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जानकारी संकलित की जा रही है।

बिलाईगढ़ विधानसभा में संचालित छात्रावास आश्रम शालाएं

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

41. (क्र. 951) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा बिलाईगढ़ क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021से दिनांक 25/01/2025 तक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा बिलाईगढ़ विधानसभा में कितने छात्रावास, आश्रम शाला संचालित हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) 26 छात्रावास एवं 03 आश्रम इस प्रकार कुल 29 छात्रावास/आश्रम संचालित है।

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कृषि उपकरणों के क्रय में कृषकों को प्रदत्त सब्सिडी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

42. (क्र. 952) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या हैं ? कितने हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था है? विभाग ने सूखाग्रस्त एवं अन्य आपदा ग्रसित गांव को चिन्हांकित कर ऐसे क्षेत्रों में जल प्रबंधन की क्या योजना बनाई है? बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर किसानों को होने वाले नुकसान से किस प्रकार भरपाई की जाती है? (ख) प्रश्नांश 'क' के अनुसार विधानसभा बिलाईगढ़ क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 से दिनांक 25-1-2025 तक कितने किसानों को कृषि यंत्रों ट्रैक्टर, पंप सेट एवं अन्य उपकरण सब्सिडी में दिए गए हैं? किसान कल्याण के लिए कौन-कौन सी सब्सिडी योजना चलाई जा रही है? विवरण देवें? (ग) प्रश्नांश 'ख' के अनुसार क्षेत्र के किसानों को कितने प्रकार के खाद, बीज वितरण किए गए हैं? किन कंपनियों के द्वारा किसानों को बीज उपलब्ध कराए गए हैं? खराब बीज वितरण संबंधी क्या कोई शिकायत किसानों द्वारा की गई है? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है? विवरण देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र से सबद्ध विकासखंडो बिलाईगढ़ तथा कसडोल में सिंचाई स्रोतवार सिंचित रकबे का **विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** (स्रोत-भू-अभिलेख शाखा) सूखाग्रस्त एवं अन्य आपदा ग्रसित ग्रामो को चिन्हांकित कर ऐसे क्षेत्रों में जल प्रबंधन की कार्ययोजना विभाग से संबंधित नहीं है, अतः विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। विभाग के अंतर्गत भू-जल के उपयोग से सिंचाई सुविधा विस्तार हेतु "किसान समृद्धि योजना" खुले जल स्रोतों से उद्वहन सिंचाई विस्तार हेतु "शाकम्भरी योजना" तथा जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन द्वारा मृदा एवं जल संरक्षण हेतु विभागीय योजनाएं संचालित है, जिनके अंतर्गत कृषकों को निर्धारित लक्ष्यों के अधीन पात्रता अनुसार लाभ दिया जाता है। बाढ़ की स्थिति में "राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4" तथा "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है, जिसका **विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- ब अनुसार है।** (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्ड बिलाईगढ़ एवं कसडोल में वित्तीय वर्ष 2022-23 से दिनांक 25.01.2025 तक विभागीय योजनाओं से सब्सिडी में दिए गए ट्रैक्टर, पंप सेट एवं अन्य उपकरणों से लाभांविता हितग्राहियों की योजनावार, वर्षवार एवं विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।** किसान कल्याण के लिए चलाई जा रही अनुदान योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है।** (ग) प्रश्नांश "ख" के अनुसार बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्ड बिलाईगढ़ एवं कसडोल में विभागीय योजनाओं के अंतर्गत कृषकों को वितरित खाद एवं बीज तथा उनके प्रदायक संस्था की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- इ एवं फ अनुसार है।** खराब बीज वितरण के संबंध में किसानों द्वारा प्राप्त शिकायत एवं की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- ग अनुसार है।**

सेमरा, जगदलपुर में निर्मित फूड पार्क का कार्यसंचालन

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

43. (क्र. 1004) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) सेमरा, जगदलपुर में निर्मित फूड पार्क कब स्थापित हुआ ? इसके लिए किस-किस मद में कितनी राशि का खर्च एवं व्यय किया गया तथा अद्यतन स्थिति में इसके कार्यसंचालन की स्थिति बतावें? (ख) फूड

पार्क में कौन-कौन सी प्रजाति व फल के कितने पौधे लगाये गये हैं ? इसके लिए स्वीकृत व व्यय की गई राशि सहित पौधों के रखरखाव व संरक्षण-संवर्धन के लिए किये जा रहे प्रयास एवं व्यय के संबंध में बतावें ? **(ग)** इस फूड पार्क से कितने लोगों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलना संभावित था तथा वर्तमान की स्थिति क्या है ? कृपया बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** ट्राईफेड (TRIFED) (भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय का एक उपक्रम) द्वारा सेमरा, जगदलपुर में निर्मित फूड पार्क अगस्त 2020 से स्थापित हुआ। राशि की व्यय संबंधी जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। **(ख)** फूड पार्क में विभिन्न प्रजाति के फल-फूल लगाये गये हैं। जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है। पौधों के रख-रखाव एवं संरक्षण संवर्धन हेतु 02 माली की नियुक्ति की गई। **(ग)** इकाई से एमएफपी संग्रह में 200 आदिवासी लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार और 6000 आदिवासी परिवारों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने की परिकल्पना की गई।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तैतीस" \]](#)

भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में स्थित राईस मिलों का निरीक्षण

[आवास एवं पर्यावरण]

1. (क्र. 80) श्री राजेश मूणत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में संचालित राईस मिल्स से डस्ट, दूषित पानी निकलने तथा अन्य प्रदूषण की जानकारी वर्ष 2024 में कहां-कहां से प्राप्त हुई ? क्या दूषित पानी के शुद्धिकरण हेतु कहीं एस.टी.पी. लगाया गया है? विवरण देवें ? (ख) क्या उक्त अवधि में इन राईस मिल्स का निरीक्षण किया गया ? यदि हां, तो क्या अनियमितता मिली तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) प्रदेश में संचालित राईस मिलों से प्रदूषण के संबंध में प्राप्त शिकायतों का विवरण संलग्न प्रपत्र के कॉलम 1 से 4 अनुसार है। उक्त राईस मिलों में दूषित पानी के उपचार हेतु दूषित जल उपचार संयंत्र स्थापना की जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम 5 अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में उक्त राईस मिलों के निरीक्षण के संबंध में जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम 6 से 8 अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौतीस"]

नया रायपुर स्मार्ट सिटी तथा रायपुर स्मार्ट सिटी लि. में हुए गलत कार्यों की जांच

[आवास एवं पर्यावरण]

2. (क्र. 87) श्री राजेश मूणत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या यह सत्य है कि दिनांक 12 फरवरी, 2024 को हुई ध्यानाकर्षण चर्चा में माननीय आवास मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि नया रायपुर स्मार्ट सिटी तथा रायपुर स्मार्ट सिटी लिमि. में हुए गलत कार्यों की जांच की जावेगी । यदि हाँ तो विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : जी हां। नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड अंतर्गत सभी स्वीकृत परियोजनाओं हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गई थी। निर्धारित समयावधि में प्राप्त निविदाकारों को तकनीकी मूल्यांकन समिति के द्वारा परीक्षण कर अनुशंसा किये जाने के पश्चात् पात्र निविदाकारों के वित्तीय प्रस्ताव खोले गये, तत्पश्चात् वित्तीय मूल्यांकन समिति के द्वारा वित्तीय प्रस्तावों का मूल्यांकन कर न्यूनतम दर पर प्राप्त निविदाकारों को कार्यदेश प्रदान करने की अनुशंसा की गई। वित्तीय निविदा समिति की अनुशंसा के आधार पर न्यूनतम दर पर आमंत्रित निविदा को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यदेश जारी किया गया था। नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड अंतर्गत संपादित किये जा रहे कार्यों में से जिन कार्यों की प्रगति अत्यंत धीमी थी ऐसे 10 कार्यों (राशि रु. 197.00 करोड) के अनुबंध में क्लॉज-14 के तहत कार्यवाही करते हुए निर्माण एजेंसियों के कार्य को उसी स्थिति में फाईनालाईज करते हुए शेष कार्य के लिये पुनः निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम दर प्राप्त एजेंसियों से पुनः अनुबंध संपादित किया गया, जिससे कार्य की लागत में पूर्व एजेंसी की तुलना में लगभग 13.42 करोड कमी आयी। पूर्व एजेंसी जिन्होंने समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया उनको अनुबंध के धाराओं के अंतर्गत कार्य के विलंब करने के लिये पेनाल्टी भी लगायी जा रही है। उपरोक्त धीमी कार्य गति के लिये कार्यवाही माननीय

मंत्रीजी के ध्यानाकर्षण पर चर्चा के पूर्व ही की जा चुकी थी। राज्य शहरी विकास अभिकरण से प्राप्त जानकारी अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश क्र. 4372/609/2024/18, दिनांक 09.07.2024 के माध्यम से रायपुर स्मार्ट सिटी के कार्यों की जाँच समिति का गठन किया गया। समिति गठन के पश्चात् रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों को समक्ष में उपस्थित होकर दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्र. 3153 दिनांक 12.07.2024 प्रेषित किया गया था। तत्कालीन संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा दिनांक 04.10.2024 को यूथ हब का स्थल निरीक्षण किया गया एवं पत्र क्र. 6954 दिनांक 18.10.2024 द्वारा पुनः समिति को दस्तावेज उपलब्ध कराने पत्र प्रेषित किया गया, जिसके परिपालन में स्मार्ट सिटी के द्वारा जांच हेतु दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। प्राप्त दस्तावेज के अवलोकन उपरांत समिति द्वारा जाँच संबंधी बिन्दुओं पर प्रबंध संचालक से पत्र क्र. 9329 दिनांक 10.11.2024 के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी चाही गई। तदोपरांत तत्कालीन संचालक द्वारा दिनांक 06.12.2024 को जांच समिति की बैठक आयोजित की गई एवं पत्र क्र. 252 दिनांक 10.01.2025 एवं 948 दिनांक 03.02.2025 को पुनः पत्र प्रेषित कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने लेख किया गया। प्रबंध संचालक रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा दिनांक 04.02.2025 को जानकारी उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 13.02.2025 को पुनः स्थल निरीक्षण किया गया। उपरोक्त प्रकरण में तथ्यों का परीक्षण किया जा रहा है।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की गाईड लाईन में संशोधन

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

3. (क्र. 88) श्री राजेश मूणत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या यह सत्य है कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि गाईड लाईन में ट्रस्ट की भूमि पर तथा कॉलोनी की भूमि पर विकास कार्य तथा शासकीय विद्यालयों में वाटर कूलर लगाने हेतु राशि स्वीकृत करने प्रतिबंध है? यदि हाँ तो क्यों तथा इसका आधार क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत ट्रस्ट के संदर्भ में धर्मशाला/सामुदायिक भवन निर्माण कार्य अनुमेय है, बशर्ते यदि ट्रस्ट समाज सेवा/समाज कल्याण गतिविधियों में लगे हुए है और पिछले तीन वर्षों से कार्यरत है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत यदि कॉलोनी का आधिपत्य व्यावसायिक संगठनों के पास है, तो कॉलोनी की भूमि पर विकास कार्य अनुमेय नहीं है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत के मार्गदर्शिका में वाटर कूलर लगाने का प्रावधान नहीं है। उपरोक्त व्यवस्था विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के प्रावधानों से प्रशासित है।

खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र जिले में स्थित राईस मिलों का निरीक्षण व प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

4. (क्र. 140) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां पर, किन-किन फर्म के नाम से कितने राईस मिल संचालित हैं ? विकासखंडवार नाम फर्म सहित जानकारी दें ? (ख) कंडिका "क" के किन-किन राईस मिल से डस्ट एवं दूषित पानी निकलने की शिकायत प्राप्त वर्ष 2022 से 2024 तक हुई हैं? क्या विभाग द्वारा इन राईस मिल्स का निरीक्षण किया गया ? यदि हां, तो क्या अनियमितता पाई गई तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्नांश "क" अंतर्गत नए राईस मिल्स निर्माण हेतु कितने आवेदन सब्सिडी हेतु किस-किस फर्म व व्यक्ति द्वारा किये गये हैं? और कितने राईस मिल निर्माणाधीन हैं? जानकारी दें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से सम्मति प्राप्त राईस मिल की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित राईस मिलों से वर्ष 2022 से 2024 तक की अवधि में डस्ट एवं दूषित पानी निकलने की शिकायत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, खैरागढ़- छुईखदान-गण्डई से प्राप्त जानकारी अनुसार, प्रश्नांश की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैतीस" \]](#)

जिला-बिलासपुर में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

5. (क्र. 315) श्री दिलीप लहरिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024- 25 तक प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत कितने कार्य कितनी लागत से स्वीकृत किए गए हैं? स्वीकृत कार्यों की भौतिक स्थिति क्या है? (ख) जिला बिलासपुर में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजनांतर्गत किन-किन ग्रामों का चयन किया गया है? योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024- 25 तक कितने कार्य कितनी-कितनी लागत से स्वीकृत किए गए हैं? स्वीकृत कार्यों की भौतिक स्थिति क्या है? योजना अंतर्गत विकासखंडवार, जानकारी दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की जानकारी निरंक है। अतः भौतिक स्थिति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक स्वीकृत कार्यों की जानकारी निरंक है। अतः कार्यों की भौतिक स्थिति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस" \]](#)

एकलव्य विद्यालय हेतु स्वीकृति राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

6. (क्र. 351) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-महासमुंद जिले में संचालित एकलव्य विद्यालय में 1 जनवरी, 2023 से 20 जनवरी, 2025 तक कितनी राशि स्वीकृत की गई? क्या स्वीकृत राशि से किये गए क्रय में वित्त निर्देश एवं भण्डार, क्रय नियम का पालन किया गया है? कौन-कौन से अधिकारी के समक्ष सत्यापन, मूल्यांकन किया गया? पदनाम सहित जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : महासमुंद जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में 01 जनवरी, 2023 से 20 जनवरी, 2025 तक कुल 4,72,41,969/- स्वीकृत की गई है। जी, हां। खरीदी का सत्यापन जिला स्तर पर गठित समिति के द्वारा किया गया है। गठित समिति के सदस्यों का नाम एवं पदनाम की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस" \]](#)

विशेष पिछड़ी जनजाति के संरक्षण संवर्धन व उत्थान के लिये योजना

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

7. (क्र. 391) श्री अजय चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत कौन-कौन सी जातियों को कब-कब शामिल किया गया? तथा किन-किन क्षेत्रों में आवासरत् हैं? (ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक उक्त जातियों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान व मूलभूत सुविधाएं जैसे आवास बिजली, सड़क और पेयजल उपलब्ध कराने के लिये केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनायें, कब-कब बनायी गयी तथा कितना-कितना बजट प्रावधान किया गया और कितने लोगों को लाभ पहुंचाया गया है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के पत्र क्र./22040/58/2007-एन.जी.ओ. में विशिष्ट मापदण्डों के आधार पर 17 राज्यों में 01 केन्द्र शासित प्रदेश के लिये 75 जनजातीय समूहों को उनके विशिष्ट मापदण्डों के आधार पर विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में पहचान की गई है। जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के 05 जनजाति क्रमशः (1) अबूझमाड़िया (2) बैगा (3) बिरहोर (4) कमार एवं (5) पहाड़ी कोरवा शामिल है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। (ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक इन जनजातियों हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा नवीन योजनाएं नहीं बनाई गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातियों तथा बसाहटों को स्वीकृत गतिविधियों में संतृप्त करने के उद्देश्य से 15 नवंबर 2023 को 03 वर्षीय प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) योजना का प्रारंभ किया गया है। उक्त योजना में छत्तीसगढ़ राज्य की 05 विशेष रूप से कमजोर जनजातियां तथा बसाहट सम्मिलित है। तदनुसार उक्त जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान व मूलभूत सुविधाएं जैसे आवास, बिजली, सड़क और पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना अंतर्गत प्रश्नानुसार वांछित विभागवार गतिविधियों का बजट प्रावधान तथा लाभान्वितों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस" \]](#)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के कल्याण एवं स्वरोजगार हेतु संचालित योजनाएं

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

8. (क्र. 396) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
(क) जिला-महासमुन्द में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के कल्याण एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन-कौन सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? 1 जनवरी, 2023 से 20 जनवरी, 2025 तक राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? कितने में स्वीकृति प्रदान की गई? कितनी लंबित है? वर्षवार जानकारी देंगे? (ख) संचालित योजनाओं में किस-किस प्रकार के स्वरोजगार हेतु सहायता प्रदान की जाती है तथा दिसंबर 2024 तक कुल कितने हितग्राहियों को कितनी राशि स्वीकृत की गई? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला महासमुंद में बैंक प्रवर्तित योजना जिसमें बैंक के माध्यम से ऋण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कल्याण एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु अ.जा. के लिए अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं अ.ज.ज. के लिए आदिवासी स्वरोजगार योजना का संचालन किया जा रहा है। 1 जनवरी, 2023 से 20 जनवरी, 2025 तक राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु संचालित योजना में कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। (ख) संचालित योजनाओं में बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार हेतु स्वरूचि व्यवसाय के

लिए जैसे-किराना दुकान, फैंसी स्टोर्स, मोबाईल सर्विस सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, च्वाईस सेंटर, हॉटल, मोटर वाईडिंग, ऑटो पार्ट्स, दोना पत्तल, जूता-चप्पल व्यवसाय, थ्रेड हाऊस, दाल क्रय-विक्रय आदि व्यवसाय हेतु सहायता प्रदान की जाती है। दिसम्बर 2024 तक कुल 1186 हितग्राहियों को अनुदान राशि रू. 1,18,60,000/- (एक करोड़ अठारह लाख साठ हजार रू.) वितरित की गई है। विकासखंडवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र - ब** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस"]

जिला-रायगढ़ अंतर्गत बालक-बालिका छात्रावास

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

9. (क्र. 410) श्री उमेश पटेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायगढ़ जिलांतर्गत कितने बालक एवं बालिका छात्रावास संचालित हैं, जानकारी विकासखण्डवार, छात्रावासवार प्रवेशित छात्र-छात्रा संख्यावार देवें। क्या छात्रावास में भवन एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं? क्या भवन जर्जर या अन्य केन्द्रों में संचालित है? यदि हां तो भवन तथा मूलभूत सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी, जानकारी देवें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : रायगढ़ जिला अंतर्गत 74 बालक एवं 37 बालिका छात्रावास संचालित है। उक्त छात्रावासों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। रायगढ़ जिला अंतर्गत संचालित सभी छात्रावासों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। 04 भवन जर्जर है जिसमें 02 स्वयं के भवन में संचालित है, एवं 02 नवीन भवन (250 सीटर) में संचालित है। जिसमें 75 छात्रावास स्वयं के भवन में 36 छात्रावास अन्य केन्द्रों में संचालित किये जा रहे है। भवन उपलब्धता के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस"]

ध्वनि, वायु, जल प्रदूषण एवं भस्मक की जानकारी

[आवास एवं पर्यावरण]

10. (क्र. 417) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत संचालित हो रहे उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम, निवारण एवं नियंत्रण के लिये क्या-क्या व्यवस्था की गई है? क्या अधिनियम में संशोधन उपरांत नये दिशा-निर्देशों के मापदंड अनुरूप उद्योगों में परिवर्तन किये गये हैं? यदि हां तो कौन-कौन से उद्योगों में नये दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन किये गये हैं तथा परिवर्तन उपरांत निरीक्षणकर्ता द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया? निरीक्षणकर्ता का पदनाम की गई कार्यवाही का विवरण देवें? **(ख)** औद्योगिक क्रियाकलापों में क्या शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ध्वनि का प्रयोग किया जा रहा है? **(ग)** उद्योगों एवं खदानों में भस्मक प्रयोग के लिये क्या-क्या नियम अपनाये गये हैं? भस्मक उपयोग हेतु अनुमति किस नियम/आधार पर दी जाती है? उद्योग एवं नाम सहित भस्मक उपयोग की जानकारी देवें? **(घ)** औद्योगिक ईकाईयों को भूगर्भ जल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार किसे होता है एवं किस नियम के आधार पर जारी किया जाता है? उपरोक्त जिलों में कौन-कौन से उद्योगों काे भूगर्भ जल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है? उद्योगों के नाम सहित, विकासखंडवार जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जिला राजनांदगांव, खैरागढ़- छुईखदान-गण्डई अंतर्गत संचालित हो रहे उद्योगों की प्रकृति के अनुसार जल प्रदूषणकारी उद्योगों में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु दूषित जल उपचार

व्यवस्था यथा ई.टी.पी., न्यूट्रलाईजेशन टैंक, सेटलिंग टैंक आदि एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट कलेक्टर, बैगफिल्टर, स्क्रबर एवं इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसिपिटेटर की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 क एवं जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 27 क के तहत क्रमशः दिनांक 29.01.2025 एवं 30.01.2025 को नये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिनमें उद्योगों से उत्सर्जन, निस्सारण एवं अपवहन के मापदंडों को संशोधित नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्नांश की जानकारी उपस्थित नहीं होती है। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** उद्योगों एवं खदानों में भस्मक (इन्सीनरेटर) का प्रयोग मुख्यतः नगरीय ठोस अपशिष्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान करने के लिए किया जाता है तथा इस हेतु अनुमति जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा यथा उपयुक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016/परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016/जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत दी जाती है। जिला राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई अंतर्गत संचालित हो रहे उद्योगों एवं खदानों में भस्मक का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, अतः शेष प्रश्नांश की जानकारी उपस्थित नहीं होती है। **(घ)** क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन राज्यों में राज्य भूमि जल प्राधिकरण (एसजीडब्लूए) गठित है, उन राज्यों में औद्योगिक ईकाइयों को भूगर्भ जल आहरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार एसजीडब्लूए को है तथा जिन राज्यों में राज्य भूमि जल प्राधिकरण (एसजीडब्लूए) गठित नहीं है, उन राज्यों में औद्योगिक ईकाइयों को भूगर्भ जल आहरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्लूए) को है। भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24.09.2020 तथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 29.03.2023 में उल्लेखित दिशा-निर्देशों के अनुसार औद्योगिक ईकाइयों को भूगर्भ जल आहरण हेतु उपरोक्त प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति-प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। शेष प्रश्नांश की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस" \]](#)

जिला-राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत ग्रीन जोन की जानकारी

[आवास एवं पर्यावरण]

11. (क्र. 418) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत कौन-कौन सी भूमि को ग्रीन जोन हेतु सुरक्षित किया गया है? खसरा क्रमांक, रकबा सहित जानकारी देवें ? ग्रीन जोन हेतु सुरक्षित भूमि का प्रयोग किस-किस प्रयोजन हेतु किया जा सकता है? ग्रीन जोन हेतु सुरक्षित भूमि का प्रयोग करने से पूर्व किन-किन विभागों एवं अधिकारियों की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होता है? **(ख)** क्या उपरोक्तानुसार जिलों में ग्रीन जोन हेतु सुरक्षित भूमि का प्रयोग किसी प्रयोजन हेतु किया जा रहा है? यदि हां तो कहां-कहां एवं कितनी-कितनी भूमि का प्रयोग किस की अनुमति से एवं किस प्रयोजन हेतु किया जा रहा है ? खसरावार, रकबावार, अनुमति प्रदानकर्ता अधिकारी एवं विभाग सहित जानकारी देवें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जी नहीं। जिला राजनांदगांव अंतर्गत अंगीकृत राजनांदगांव विकास योजना एवं डोंगरगढ़ विकास योजना तथा जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत अंगीकृत खैरागढ़ विकास योजना में ग्रीन जोन से संबंधित कोई भी भूमि सुरक्षित नहीं की गई है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्वीकृति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

12. (क्र. 496) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय लक्ष्मेश्वर महाविद्यालय खरौद के पास कृषि विज्ञान केन्द्र प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो केन्द्र प्रारंभ करने में विलम्ब का कारण क्या है? **(ख)** प्रश्नांश 'क' हेतु ग्राम खोरसी 67, पटवारी हल्का नंबर 00019, राहोद 02, तहसील पामगढ़ 03 कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने हेतु दान में दी गई भूमि का सकल खसरा नं. एवं रकबा कितना है? उक्त भूमि का वर्तमान में स्वामित्व किसका है एवं किस प्रयोजन हेतु उपयोग की जा रही है? जानकारी देवे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जी नहीं। **(ख)** प्रश्नांक "क" हेतु प्रश्नांश में उल्लेखित ग्राम खोरसी पटवारी हल्का नंबर 19 नहीं अपितु पटवारी हल्का नंबर 29 है जिसके अंतर्गत ग्राम खोरसी, तहसील पामगढ़ जिला-जांजगीर-चांपा में दान में दी गई भूमि का खसरा नंबर 1031/1, 1030/5, 1030/8, 1030/9, 1030/10 एवं 1065 है, जिनका रकबा क्रमशः 29.35, 3.90, 10.10, 4.30, 1.70 एवं 0.65 एकड़, कुल रकबा 50.00 एकड़ है। उक्त भूमि का स्वामित्व वर्तमान में शासकीय लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय खरौद का है। तथा उक्त भूमि वर्तमान में पड़त है।

अहिवारा विधानसभा अंतर्गत मंडी बोर्ड/मंडी निधि से स्वीकृत कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

13. (क्र. 497) श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में 31.1.2025 तक मंडी बोर्ड/मंडी निधि से कितने कार्यों की स्वीकृति दी गई राशि सहित बतावें। **(ख)** इनमें से कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होंगे जानकारी देवें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** अहिवारा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में 31.01.2025 तक मंडी बोर्ड निधि से कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है एवं मंडी निधि से कुल 68 कार्य लागत रू. 924.52 लाख की स्वीकृति दी गई। **(ख)** इनमें से 19 कार्य पूर्ण, 22 कार्य अपूर्ण एवं 27 कार्य निविदा स्तर पर है। कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सिहावा विधानसभा क्षेत्र के विशेष पिछड़ी जनजाति (कमार) के खेतों में ट्यूबवेल खनन

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

14. (क्र. 538) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में सिहावा विधानसभा क्षेत्र में कितने विशेष पिछड़ी जनजाति (कमार) हितग्राहियों के खेतों को ट्यूबवेल खनन कार्य हेतु चयनित किया गया था? **(ख)** क्या इस ट्यूबवेल खनन कार्य में अनियमितता होने की शिकायत प्राप्त हुई है ? **(ग)** यदि हाँ तो अनियमितता से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी निरंक है। **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला रायगढ़ के अंतर्गत उद्योगों द्वारा राखड़ डम्प

[आवास एवं पर्यावरण]

15. (क्र. 554) श्रीमती गोमती साय : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या केन्द्र सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की गाइड लाइन में वन भूमि एवं कृषि भूमि पर राखड़ डालना प्रतिबंधित है? वर्ष 2021-22 से जनवरी 2025 तक जिला रायगढ़ अंतर्गत किन-किन कंपनियों द्वारा कहीं-कहीं, कितनी-कितनी मात्रा में राखड़ डम्प किया जा रहा है? **(ख)** कंडिका "क" अंतर्गत किन-किन कंपनियों द्वारा वन भूमि एवं कृषि भूमि तथा सड़कों के किनारे राखड़ डम्प किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई, शिकायत पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** कंपनियों द्वारा राखड़ प्रबंधन किये जाने तथा किये जा रहे राखड़ परिवहन से प्रभावित और आसपास के गांवों के प्रदूषण को रोकने नियंत्रण किये जाने तथा आवेरलोड वाहनों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण दें।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)**जी हाँ। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका में कृषि भूमि एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की आवश्यक अनुमति के बिना वन भूमि पर राखड़ डालना प्रतिबंधित है। वर्ष 2021-22 से माह जनवरी 2025 तक तक की अवधि में जिला रायगढ़ में किसी भी उद्योग के द्वारा वन भूमि एवं कृषि भूमि में राखड़ डम्प नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा वर्ष 2021-22 से जनवरी 2025 तक जिला रायगढ़ अंतर्गत किन-किन कंपनियों को कहीं-कहीं, कितनी-कितनी मात्रा में राखड़ डम्प किये जाने की अनुमति दी गई है, की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** उद्योगों द्वारा वर्ष 2021-22 से माह जनवरी 2025 तक वन भूमि, कृषि भूमि तथा सड़कों के किनारे राखड़ डंप किये जाने की प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। वन विभाग, रायगढ़ एवं कृषि विभाग, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार वन भूमि एवं कृषि भूमि में राखड़ डंप किये जाने की जानकारी निरंक है। **(ग)** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा के द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 26.06.2024 के माध्यम से उद्योगों से कच्चे माल/उत्पाद/अपशिष्ट के सड़क मार्ग से परिवहन के दौरान परिवहनकर्ता वाहनों द्वारा ओवर लोडिंग से रोकथाम एवं तारपोलिन से ढककर परिवहन किये जाने के लिये स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी किया गया है। राखड़ का परिवहन उक्त स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर के अनुसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा उक्त स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर के पालन के संबंध में सतत निगरानी की जा रही है। राखड़ परिवहन के दौरान स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर का उल्लंघन किये जाने पर उद्योगों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है, जिसकी **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस"]

सरगुजा संभाग में वनाधिकार पट्टा का वितरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

16. (क्र. 557) श्रीमती गोमती साय : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सरगुजा संभागान्तर्गत जिलों में विगत 6 वर्षों में वनाधिकार पट्टा से संबंधित कितने आवेदन प्राप्त हुए अथवा कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये? विकासखंडवार जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में ही कितने हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टा दिया गया? कितने निरस्त किये गये तथा कितने प्रकरणों का निराकरण होना शेष है? **(ग)** लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर लिया जायेगा, जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** सरगुजा संभागान्तर्गत जिलों में विगत 6 वर्षों में वन अधिकार पत्र हेतु 50245 आवेदन प्राप्त हुए हैं/पंजीबद्ध किए गए हैं। विकासखंडवार जानकारी **संलग्न**

प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** कंडिका "क" के परिप्रेक्ष्य में 29380 वन अधिकार पत्र प्रदाय किया गया है। 20865 प्रकरण निरस्त हुए हैं। कोई भी प्रकरण निराकरण हेतु शेष नहीं है। **(ग)** कोई भी प्रकरण लंबित नहीं होने के कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस"]

जिला- मुंगेली अंतर्गत कृषकों हेतु लघुत्तम सिंचाई, तालाब निर्माण योजना, किसान समृद्धि योजना, भू-जल संवर्धन एवं सूक्ष्म सिंचाई योजना, नलकूप खनन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

17. (क्र. 594) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** जिला मुंगेली में जनवरी, 2023 से कृषकों हेतु लघुत्तम सिंचाई, तालाब निर्माण योजना, किसान समृद्धि योजना, भू-जल संवर्धन एवं सूक्ष्म सिंचाई योजना, नलकूप खनन के तहत कितनी-कितनी राशि अनुदान हेतु निर्धारित की गई थी? योजनावार जानकारी देवें? निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितने-कितने कार्यों की पूर्ति तथा कितने कृषकों को योजनानुसार कितना-कितना अनुदान दिया गया? **(ख)** प्रश्न "क" अनुसार जिला मुंगेली में कृषि उपकरणों के अनुदान के लिए शासन द्वारा कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? वर्षवार जानकारी देवें? किसानों को कौन-कौन से उपकरण प्रदाय हेतु, प्रदायकर्ता एजेन्सी को उनके खातों में कितनी अनुदान राशि को जमा किया गया ? विकासखण्डवार उपकरणों की कीमत एवं किए गए भुगतान का विवरण देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जिला मुंगेली में जनवरी 2023 से लघुत्तम सिंचाई (तालाब) योजना अंतर्गत जानकारी निरंक है। भूजल संवर्धन योजना विभाग में संचालित नहीं है। किसान समृद्धि योजना (नलकूप) अंतर्गत जनवरी, 2023 से 2024-25 में 31.01.2025 की स्थिति में योजना में प्रावधानित अनुदान राशि, निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध भौतिक-वित्तीय पूर्ति एवं लाभान्वित कृषकों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है। सूक्ष्म सिंचाई हेतु क्रियान्वित योजनाओं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-पर ड्रॉप मोर क्रॉप एवं राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना-ड्रिप अनुदान अंतर्गत मुंगेली जिले में योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध लाभान्वित कृषकों व अनुदान राशि की विस्तृत जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ख)** छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड अंतर्गत चैम्स प्रणाली के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं के तहत अग्रिम अनुदान राशि प्राप्त नहीं होती है, अपितु कृषक द्वारा चैम्स प्रणाली में पंजीकृत प्रदायक से सामग्री क्रय किये जाने के उपरांत प्रदायक द्वारा प्रस्तुत देयक के आधार पर राशि का भुगतान प्रदायक को किया जाता है तथा अनुदान राशि की प्रतिपूर्ति संचालनालय कृषि/उद्यानिकी/समेती से किया जाता है। प्रश्नाधीन अवधि में (जनवरी, 2023 से दिनांक 31.01.2025 तक) मुंगेली जिले में कृषि उपकरणों (ड्रिप/स्प्रिंकलर एवं कृषि यंत्रों /सिंचाई पंप) हेतु क्रियान्वित योजनांतर्गत लाभान्वित कृषकों द्वारा चयनित प्रदायकों को चैम्स प्रणाली के माध्यम से भुगतान की गई अनुदान राशि की विकासखण्डवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द** अनुसार है। कार्यालय कृषि यंत्री, बिलासपुर से मुंगेली जिले की प्राप्त जानकारी अनुसार केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (घटक क्रमांक 4 व 6) योजनांतर्गत हितग्राहियों द्वारा क्रय किये गये मशीनों/यंत्रों पर प्रदान की गई अनुदान राशि की वर्षवार/विकासखंडवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-इ अनुसार** है। जिला मुंगेली में संचालनालय उद्यानिकी द्वारा प्रदान की गई कृषि उपकरण एवं अनुदान राशि की वर्षवार/विकासखंडवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-क अनुसार** है।

जिला मुंगेली में किसानों की फसल बीमा राशि का भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

18. (क्र. 597) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** जनवरी, 2022 से दिनांक 31.01.2025 तक मुंगेली जिले में कितने किसानों का कितने-कितने रकबा का बीमा किन-किन बीमा कंपनियों से करवाया गया? तहसीलवार, विकासखण्डवार जानकारी दें? **(ख)** इसके लिए बीमा कंपनी को प्रीमियम की कितनी राशि का भुगतान किया गया? **(ग)** उक्त अवधि में कितने किसानों को फसल बीमा के तहत कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा कितने किसानों की कितनी राशि भुगतान शेष है? भुगतान कब-तक किया जावेगा, समयावधि बतावें? क्या उक्त अवधि में बीमा किये गये कंपनियों द्वारा बीमित कृषकों को भुगतान किये जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां तो उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? प्रकरणवार जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** फसल बीमा योजनाओं में जानकारियों का संधारण तहसीलवार किया जाता है। कृषि फसलों के बीमा हेतु संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मुंगेली जिले से संबंधित तहसीलों लालपुर थाना, लोरमी, मुंगेली एवं पथरिया में खरीफ-रबी वर्ष 2022-23 में कुल 42,987 कृषक का 56,854.399 हेक्टेयर, खरीफ-रबी वर्ष 2023-24 में कुल 38,577 कृषक का 54,829.435 हेक्टेयर एवं खरीफ-रबी वर्ष 2024-25 में कुल 34,552 कृषक का 48,363.412 हेक्टेयर रकबे में फसल का बीमा किया गया है। वर्षवार, तहसीलवार क्रियान्वयक बीमा कम्पनी, बीमित कृषक एवं बीमित रकबा की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-"अ" अनुसार है।** उद्यानिकी फसलों के बीमा हेतु संचालित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत मुंगेली जिले में मौसम रबी वर्ष 2022-23 में 284 किसानों के 217.64 हेक्टेयर, खरीफ-रबी वर्ष 2023-24 में 238 किसानों के 151.87 हेक्टेयर एवं खरीफ-रबी वर्ष 2024-25 में 417 किसानों के 294.17 हेक्टेयर रकबे में फसलों का बीमा किया गया है। वर्षवार, तहसीलवार क्रियान्वयक बीमा कंपनी, बीमित कृषक एवं बीमित रकबा की **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है।** **(ख)** प्रश्नांश 'क' की अवधि में कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के बीमा हेतु क्रियान्वयक बीमा कंपनियों को प्रीमियम के रूप में भुगतान की गई राशि की वर्षवार, तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' एवं प्रपत्र 'ब' अनुसार है।** **(ग)** प्रश्नांश 'क' की अवधि में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत वर्षवार, तहसीलवार दावा भुगतान, दावा भुगतान हेतु शेष एवं शेष भुगतान की संभावित तिथि, प्राप्त शिकायत एवं शिकायत पर की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'स' एवं प्रपत्र 'द' अनुसार है।** पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत रबी वर्ष 2022-23 में 01 किसान को 0.09 लाख, वर्ष 2023-24 में 232 किसानों को 48.76 लाख क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया है। वर्ष 2022-23 में बीमित 2 कृषकों के बैंक खाते की जानकारी त्रुटिपूर्ण होने के कारण राशि रूपये 0.36 लाख के दावा राशि का भुगतान लंबित है। कृषकों से बैंक खाते की सही जानकारी प्राप्त होने पर दावा राशि का भुगतान किया जा सकेगा, जिसकी निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। प्रश्नांकित अवधि में कंपनियों द्वारा बीमित कृषकों को भुगतान ना किये जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वर्षवार, मौसमवार, दावा भुगतान एवं दावा भुगतान हेत लंबित प्रकरण की तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस" \]](#)

"सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना" के अंतर्गत कृषकों को अनुदान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

19. (क्र. 620) श्री ललित चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** कृषि विभाग द्वारा जिला-दुर्ग अंतर्गत संचालित "सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन

योजना" के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 02.02.2025 तक कृषकों को अनुदान पर कितने ट्रेक्टर स्वीकृत किए गए हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार अनुदान स्वीकृत किए जाने हेतु क्या-क्या प्रक्रियाएं है तथा अनुदान न्यूनतम एवं अधिकतम कितना है ? क्या अ.जा. अ.ज.जा. अ.पि.व. एवं महिला कृषकों को अनुदान दिये जाने का प्रावधान है ? यदि हाँ तो कितने लाभार्थियों को उक्त योजना का लाभ दिया गया है ? विकासखण्डवार विवरण दें ? **(ग)** प्रश्नांक "ख" अनुसार - क्या योजना का लाभ "प्रथम आओ प्रथम पाओ" के तहत लागू है ? यदि हाँ तो वर्ष 2022 से दिनांक 02 फरवरी 2025 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए ? कितने स्वीकृत हुए कितना-कितना बजट आबंटन कब-कब स्वीकृत हुए ? कितना-कितना व्यय हुआ विकासखण्डवार जानकारी दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** कृषि विभाग द्वारा संचालित "सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना" के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से दिनांक 02.02.2025 तक दुर्ग जिले में कुल 494 ट्रेक्टर अनुदान पर स्वीकृत किये गये। वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख) कंपोनेंट क्रमांक-3 कृषि यंत्रों पर अनुदान-** कृषक द्वारा चैम्प्स सॉफ्टवेयर में अपनी मनपसंद मेक/मॉडल का चयन कर स्वयं/जिला कार्यालय/प्रदायक संस्था की सहायता से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। मुख्यालय में ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत आवेदन स्वीकृत की जाती है। आवेदन स्वीकृति उपरांत कृषक द्वारा कृषक अंश राशि जमा की जाती है। राशि जमा उपरांत मुख्यालय द्वारा प्राप्त भौतिक लक्ष्य के आधार पर कार्य आदेश जारी किया जाता है एवं तदनुसार प्रदायक संस्था द्वारा कृषक को चयनित सामग्री (ट्रेक्टर) प्रदाय किया जाता है। **कंपोनेंट क्र.-4 एवं 6 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना-** योजना के तहत प्राप्त लक्ष्य अनुसार कृषकों/समूहों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर वांछित बैंक से प्राप्त ब्रीफ ओपिनियन रिपोर्ट के गुण-दोष के आधार पर "प्रथम आये प्रथम पाये" अनुसार हितग्राहियों द्वारा योजना के दिशा निर्देश अनुरूप भूमि के तैयारी से कटाई एवं गहाई तक लगने वाले कृषि यंत्र/उपकरण का चयन कर अनुमोदन उपरांत बैंक ऋण से ऋण पश्चात् संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुदान राशि का भुगतान ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक को क्रेडिट लिंक बैंक इण्डेड सब्सिडी के रूप में किया जाता है। योजनांतर्गत ट्रेक्टर पर देय न्यूनतम एवं अधिकतम अनुदान की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। जी हाँ, योजनांतर्गत अ.जा., अ.ज.जा, अ.पि.व. एवं महिला कृषकों को अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। उक्त अवधि में ट्रेक्टर क्रय पर अनुदान से लाभांवित अ.जा., अ.ज.जा, अ.पि.व. एवं महिला हितग्राहियों की वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ, योजना "प्रथम आओ प्रथम पाओ" के तहत लागू है। वर्ष 2022 से दिनांक 02.02.2025 तक प्राप्त एवं स्वीकृत आवेदनों की वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-द अनुसार** है। कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत कंपोनेंट क्रमांक-3 कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु जिलेवार अथवा विकासखण्डवार बजट आबंटित नहीं किया जाता अपितु चैम्प्स प्रणाली में पंजीकृत प्रदायक से सामग्री क्रय किये जाने के उपरांत प्रदायक द्वारा प्रस्तुत देयक के आधार पर राशि का भुगतान प्रदायक को किया जाता है तथा अनुदान राशि की प्रतिपूर्ति संचालनालय कृषि से प्राप्त होती है। कंपोनेंट क्रमांक-4 एवं 6 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना के तहत दुर्ग जिले हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि की वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-इ अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैतालीस" \]](#)

कृषि उपज मण्डी समिति में मण्डी शुल्क की दर

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

20. (क्र. 621) श्री ललित चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** कृषि उपज मण्डी समिति में प्रति किंटल मण्डी शुल्क की दर क्या है ? विगत 03 वर्षों में मण्डी शुल्क

किस दर से लिया गया है ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** दुर्ग जिला में कुल कितनी कृषि उपज मंडी समितियां है ? समितियों के नाम बताएं ? वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में दिनांक 31-01-2025 तक कितनी राशि मंडी शुल्क के रूप में प्राप्त हुई है? प्राप्त शुल्क में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड को कितनी राशि देने का प्रावधान है ? कितनी राशि हस्तांतरित की गई है ? वर्षवार, कृषि उपज मंडीवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांक "ख" अनुसार - 01 अप्रैल 2022 से जनवरी, 2025 तक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड द्वारा जिला दुर्ग अंतर्गत किन-किन कार्यों हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गयी? वर्षवार विधानसभाक्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध करावें ? स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण एवं कितने कार्य निरस्त किये गये ? कार्यवार जानकारी उपलब्ध करावें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** कृषि उपज मंडी समिति में प्रति किंटल की दर से मंडी शुल्क नहीं लिया जाता, अपितु राज्य शासन द्वारा अधिसूचित कृषि उपज के कीमत के प्रत्येक 100 रूपये पर शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर मंडी शुल्क लिया जाता है। विगत 03 वर्षों की वर्षवार मंडी शुल्क की दर **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** दुर्ग जिले में मात्र 01 कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग है। प्राप्त मंडी शुल्क में से छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड को 50 प्रतिशत राशि देने का प्रावधान है। वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक) दुर्ग मंडी को प्राप्त मण्डी शुल्क तथा छ.ग. राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड को हस्तांतरित राशि का वर्षवार विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ग)** प्रश्नांक "ख" अनुसार- 01 अप्रैल 2022 से जनवरी 2025 तक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड द्वारा जिला दुर्ग अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिए कुल राशि रु. 3516.24 लाख स्वीकृत की गई। स्वीकृत कार्यों का राशिवार, कार्यपूर्णता अथवा अपूर्णता का वर्षवार एवं विधानसभावार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स** अनुसार है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का क्रियान्वय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

21. (क्र. 648) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **:- (क)** अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से गांव प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत शामिल हैं? 01 जनवरी, 2023 से 31 जनवरी, 2025 तक उक्त योजना के तहत किन-किन गांवों को कितनी-कितनी राशि विकास कार्यों के लिए प्रदान की गई? कितने कार्य पूर्ण-अपूर्ण हैं? विकासखण्डवार पूर्ण जानकारी प्रदान करें? **(ख)** उक्त योजना में शामिल कौन-कौन से गांवों को विकास कार्यों के लिए आज पर्यन्त राशि जारी नहीं की गई है? विलंब के क्या कारण हैं एवं कब तक राशि जारी कर दी जाएगी? विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में पूछी गई अवधि में कराए गए कार्यों में अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं अन्य संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई? प्रकरणवार विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। प्रश्नाधीन अवधि में उक्त योजना के तहत अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के गांवों में राशि प्रदाय नहीं की गई है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** वर्ष 2022-23 में चयनित 08 गांवों को विकास कार्यों के लिए आज पर्यन्त कोई भी राशि जारी नहीं की गई है, जिसमें वि0ख0- अकलतरा से 03 ग्राम- पिपरसत्ती, रोगदा, पचरी एवं वि0ख0- बलौदा से 05 ग्राम-भिलाई, बोकरेल, कुरमा, कुलीपोटा, खिसोरा शामिल है। भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण विभाग द्वारा राशि जारी नहीं की गयी। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** जानकारी निरंक है। **[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस"]**

बस्तर संभागान्तर्गत प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम में हुये विकास कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

22. (क्र. 691) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में कौन-कौन से ग्राम पंचायत को प्रधानमंत्री /मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम के लिए चयनित किया गया है? शासन के द्वारा इन ग्राम पंचायतों में क्या-क्या मूलभूत सुविधायें सुलभ करवाये जाने का प्रावधान रखा गया है ? **(ख)** इस समय इन ग्राम पंचायतों में क्या-क्या सुविधायें /मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हैं ? कृपया बतावें? **(ग)** विगत 03 वर्षों में इन ग्राम पंचायतों में क्या-क्या कार्य करवाये गये ? इन कार्यों के लिए स्वीकृत व व्यय की गई राशि सहित कार्य की अद्यतन स्थिति बतावें ? **(घ)** विगत 03 वर्षों इन चयनित ग्राम पंचायतों के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त बंटन राशि व राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत राशि के संबंध में बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(ख)** बस्तर संभागान्तर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत, जिला-कोण्डागांव में ग्राम पंचायत- बड़ेओड़ागांव विकासखण्ड- फरसगांव एवं जिला - बीजापुर में ग्राम पंचायत- रूद्रारम, विकासखण्ड-भोपालपटनम का चयन किया गया है। योजनान्तर्गत उक्त चयनित ग्राम पंचायत- कोण्डागांव में पेयजल व्यवस्था, डिजीटाईजेशन, सोलर स्ट्रीट लाईट एवं ग्राम- रूद्रारम में पेयजल व्यवस्था, नाली निर्माण, आंगनबाड़ी निर्माण कार्य का प्रावधान रखा गया है।**(ख)** वर्तमान समय में ग्राम पंचायत- बड़ेओड़ागांव में -आंगनबाड़ी, स्कूल, नलजल योजना एवं हैण्डपंप से पेयजल, विद्युत, सीएससी सेंटर, सोलर स्ट्रीट लैंप, सीसी सड़क, सामुदायिक भवन एवं तालाब की सुविधाएँ/मूलभूत सुविधाएँ एवं ग्राम पंचायत-रूद्रारम में -आंगनबाड़ी, स्कूल, हैण्डपंप से पेयजल, विद्युत, सोलर स्ट्रीट लैंप, तालाब की मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध है।**(ग)** विगत 03 वर्षों में इन ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत कराये गये कार्यों की जानकारी निरंक है। **(घ)** विगत 03 वर्षों में इन ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत प्राप्त राशि की जानकारी निरंक है।

भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में संचालित हितग्राही मूलक एवं कृषक योजनाओं का क्रियान्वयन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

23. (क्र. 740) श्री इंद्र साव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** भाटापारा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कृषि विभाग द्वारा संचालित हितग्राही मूलक, रोजगार मूलक कार्यक्रम व योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र कितनी ग्राम पंचायतों में, कितने हितग्राहियों को लाभ दिया जाकर लाभान्वित किया गया है ? 01 जनवरी, 2023 से लेकर 31.01.2025 तक की जानकारी बताएं ? **(ख)** लाभान्वित हितग्राहियों में से अद्यतन स्थिति में कितने हितग्राही सफल व कितने असफल हुए, बताएं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** भाटापारा विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखंड भाटापारा एवं सिमगा में कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनान्तर्गत 01 जनवरी 2023 से 31 जनवरी, 2025 तक हितग्राही/ रोजगार मूलक कार्यक्रम व योजना से लाभान्वित कृषकों को प्रदाय सामग्री, ग्राम पंचायतों की संख्यात्मक जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स, प्रपत्र-द एवं प्रपत्र-इ अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार विभाग में संचालित योजनान्तर्गत सफल हुए हितग्राहियों की संख्यात्मक जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स, प्रपत्र-द एवं प्रपत्र-इ अनुसार** है।

भाटापारा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कृषि विभाग अंतर्गत बोरवेल खनन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

24. (क्र. 741) श्री इंद्र साव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) कृषि विभाग अंतर्गत 01 जनवरी, 2024 से 31.01.2025 तक भाटापारा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने बोरवेल खनन कार्य किए गए एवं पंप बांटे गए ? बोरवेल खनन एवं पंप बांटने में कितनी राशि का व्यय हुआ विकासखंडवार विवरण दें ? (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार विधानसभा भाटापारा क्षेत्रांतर्गत विकासखण्ड भाटापारा एवं सिमगा के पात्र हितग्राहियों की सूची सहपात्रता मापदंडों का विवरण प्रदाय करें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विधानसभा क्षेत्र भाटापारा से संबद्ध विकासखंड भाटापारा एवं सिमगा में कृषि विभाग अंतर्गत 01 जनवरी, 2024 से 31.01.2025 तक राज्य पोषित किसान समृद्धि योजनान्तर्गत अनुदान पर 08 कृषकों द्वारा नलकूप खनन एवं पम्प प्रतिस्थापन कार्य किया गया एवं शाकम्भरी योजनान्तर्गत 222 कृषकों को अनुदान पर सिंचाई पम्प प्रदाय किया गया। योजनावार, वर्षवार, विकासखंडवार व्यय राशि (प्रदाय अनुदान) का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	विकासखंड	किसान समृद्धि योजना				शाकम्भरी योजना			कुल	
		कृषक (संख्या)	खनन अनुदान (लाख रू.)	पम्प प्रतिस्थापन पर अनुदान (लाख रू.)	कुल अनुदान राशि (लाख रू.)	कृषक (संख्या)	प्रदायित सिंचाई पम्प (संख्या)	सिंचाई पम्प (विद्युत/डीज़ल) अनुदान राशि (लाख रू.)	कृषक (संख्या)	अनुदान राशि (लाख रू.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2023-24 (01-01-24 से 31-03-2024)	भाटापारा	4	0.51	0.70	1.21	31	31	4.14	35	5.35
	सिमगा	2	0.18	0.50	0.68	51	51	6.08	53	6.76
	योग	6	0.69	1.20	1.89	82	82	10.22	88	12.11
2024-25 (31-01-25)	भाटापारा	2	0.30	0.20	0.50	78	78	10.49	80	10.99
	सिमगा	-	-	-	0.00	62	62	8.14	62	8.14
	योग	2	0.30	0.20	0.50	140	140	18.63	142	19.13
	महायोग	8	0.99	1.40	2.39	222	222	28.85	230	31.24

(ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार विधानसभा भाटापारा क्षेत्रान्तर्गत विकासखंडवार भाटापारा एवं सिमगा के लाभान्वित हितग्राहियों की सूची संलग्न प्रपत्र-'अ' एवं प्रपत्र-'ब' अनुसार है। प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में किसानों के चयन हेतु कृषि विभाग एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के परिपत्र क्रमांक/1651/डी.17/12/2003/14-3 दि. 09.04.2012 के द्वारा "किसान समृद्धि योजना" में नलकूप खनन/पंप प्रतिस्थापन हेतु किसानों के चयन हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार है:- 1. योजनांतर्गत जिलों के समस्त वर्ग के कृषकों को लाभान्वित किया जावेगा। लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी। 2. कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की भांति कृषकों का चयन त्रिस्तरीय पंचायत के अनुमोदन से किया जावेगा। 3. अनुदान की पात्रता उन सभी कृषक व उनके समूह को होगी, जिन्होंने

सहकारी अथवा व्यवसायिक बैंक से ऋण लिया हो अथवा ऐसे कृषक या उनके समूह जो स्वयं के व्यय से नलकूप खनन के इच्छुक हो। 4. कृषक अथवा कृषक समूह में जोत का आकार न्यूनतम 1 हेक्टेयर हो। 5. एक नलकूप से दूसरे नलकूप की दूरी कम से कम 300 मीटर होना अनिवार्य है। 300 मीटर की परिधि में पूर्व निर्मित नलकूप हैण्ड पंप नहीं होना चाहिये। 6. योजनांतर्गत सहकारी संस्था, ट्रस्ट इत्यादि को अनुदान की पात्रता नहीं होगी। 7. विभाग द्वारा संचालित अन्य योजना अथवा किसान समृद्धि योजनांतर्गत पूर्व में नलकूप खनन अनुदान का लाभ प्राप्त किये कृषक पात्र नहीं होंगे। किसानों के चयन हेतु कृषि विभाग एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के परिपत्र क्रमांक/2404/डी-3/38/2004/14-3 दि. 13.06.06 अनुसार "शाकम्भरी योजना" में सिंचाई पम्प वितरण हेतु किसानों के चयन हेतु "सभी वर्ग के लघु व सीमांत श्रेणी के कृषक पात्र होंगे। 0.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि धारक लघु व सीमांत श्रेणी के कृषक जो साग-सब्जी के उत्पादन से जीविका निर्वहन करते हैं को योजना के अंतर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी।"

[संलग्न "परिशिष्ट - सैतालीस"]

वि.स. क्षेत्र कसडोल में वन अधिकार पत्र हेतु प्राप्त आवेदन

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

25. (क्र. 764) श्री संदीप साह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) विधानसभा क्षेत्र कसडोल के अन्तर्गत वर्ष 2020 से वनग्राम समिति के माध्यम से कितने हितग्राहियों का वन अधिकार पत्र हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है? (ख) कितने हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र प्रदाय कर दिया गया है? कितने हितग्राहियों को नहीं दिया गया है? कारण सहित बतावें एवं कब तक प्रदाय कर दिया जावेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विधानसभा क्षेत्र कसडोल के अंतर्गत वर्ष 2020 से व्यक्तिगत वन अधिकार हेतु 2467 एवं सामुदायिक वन अधिकार हेतु 18 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। (ख) प्राप्त आवेदनों में से 2410 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं 04 सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदाय किए गए हैं। व्यक्तिगत वन अधिकार के 57 एवं सामुदायिक वन अधिकार के 14 प्रकरणों में त्रुटि होने के कारण जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय समिति) कसडोल को त्रुटि सुधार हेतु प्रेषित किए जाने के कारण वन अधिकार पत्र वितरित नहीं किया गया है। त्रुटि सुधार उपरांत प्रकरण प्राप्त होने पर जिला स्तरीय समिति द्वारा नियमानुसार निराकरण उपरांत पात्र दावों में वन अधिकार पत्र वितरित किया जावेगा।

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजनांतर्गत स्ट्रीट लाईट इंस्टालेशन कार्य में अनियमिता की जांच

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

26. (क्र. 774) श्री धरमलाल कौशिक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वर्ष 2021-22 में सरगुजा एवं बस्तर संभाग के अम्बिकापुर, बलरामपुर, सूरजपुर, जगदलपुर, नारायणपुर, कोण्डागांव एवं जांजगीर-चांपा जिले के ग्रामों में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजनांतर्गत स्ट्रीट लाईट इंस्टालेशन/स्थापित किये जाने के कार्य हेतु कितनी राशि/बजट केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई थी तथा प्राप्त/आबंटित राशि से क्या निर्धारित कार्य ही नियमानुसार कराये गए हैं? कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है? (ख) कंडिका 'क' अनुसार प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजनांतर्गत स्ट्रीट लाईट स्थापना के कार्य में अनियमितता के संबंध में क्या-क्या शिकायतें विभाग/शासन को प्राप्त हुई है एवं उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) वर्ष 2021-22 में सरगुजा/बस्तर संभाग के अम्बिकापुर/बलरामपुर/सूरजपुर/ जगदलपुर/नारायणपुर/कोण्डागांव/जांजगीर-चांपा जिले के ग्रामों में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजनांतर्गत स्ट्रीट लाईट इंस्टालेशन/स्थापित किये जाने के कार्य हेतु राशि रु. 3060.99 लाख केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई है, तथा प्राप्त राशि से निर्धारित कार्य ही नियमानुसार कराए जाने के संबंध में वस्तुस्थिति तथा कार्यों की अद्यतन जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** कंडिका 'क' अनुसार प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजनांतर्गत स्ट्रीट लाईट स्थापना के कार्य में अनियमितता के संबंध में जिला सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, नारायणपुर एवं जांजगीर-चांपा से शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, तथा 02 जिलों बस्तर एवं कोण्डागांव से शिकायत प्राप्त हुई है एवं की गई कार्यवाही की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस" \]](#)

सिलतरा, रायपुर स्थित बायोमास आधारित पावर प्लांट द्वारा उत्पादित एवं विक्रित विद्युत

[आवास एवं पर्यावरण]

27. (क्र. 775) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जायसवाल निको, सिलतरा के द्वारा नवीन यूनिट की स्थापना हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा जन सुनवाई कब की गई थी एवं किसके द्वारा, कौन-कौन सी एवं क्या-क्या आपत्तियां दर्ज की गई थीं ? इन आपत्तियों की अद्यतन स्थिति क्या है? आपत्तिवार जानकारी दें? **(ख)** क्या जायसवाल निको, सिलतरा अंतर्गत स्थापित माँ उषा उर्जा पावर प्लांट, सिलतरा बायोमास आधारित है? यदि हाँ तो विगत 2 वर्षों में इसमें कितनी विद्युत उत्पादित की गई और कितनी विद्युत, केन्द्र या राज्य सरकार को किस-किस दर पर बेची गई और उसमें प्लांट को कितना भुगतान प्राप्त हुआ है और कितना भुगतान प्राप्त होना शेष है? उत्पादित विद्युत में कितनी बायोमास की खपत अनुमानित है व कितनी खपत हुई है तथा खपत के संबंध में पर्यावरण एवं अन्य किसी विभाग को जानकारी कब-कब दी गई है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, सिलतरा, जिला-रायपुर के क्षमता विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत लोक सुनवाई दिनांक 25/05/2022 को आयोजित की गई थी। जनसुनवाई के दौरान जिन लोगों के द्वारा आपत्ति / कथन दर्ज कराया गया है, उसका विवरण कार्यवाही विवरण में अभिलिखित है। कार्यवाही विवरण की प्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** हैं। जनसुनवाई का कार्यवाही विवरण तथा लिखित आपत्तियों को यथारूप समस्त दस्तावेजों सहित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किये गये थे। प्रस्तुत आपत्तियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा उद्योग को क्षमता विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु दिनांक 11/10/2023 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति में आपत्तियों के निराकरण हेतु कार्ययोजना संलग्न की गयी है। कार्ययोजना का क्रियान्वयन उद्योग द्वारा किया जाना है। पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ख)** सिलतरा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर के पास ग्राम गिरौद में बायोमास आधारित पावर प्लांट मेसर्स माँ उषा उर्जा लिमिटेड स्थापित एवं संचालित है। मुख्य विद्युत निरीक्षक, कार्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक, नवा रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार उद्योग में माह जनवरी 2023 से माह दिसंबर 2023 के मध्य 62.59 मिलियन यूनिट तथा माह जनवरी 2024 से माह दिसंबर 2024 के मध्य 53.10 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ है। उद्योग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्पादित समस्त विद्युत का शत प्रतिशत उपयोग मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा, रायपुर द्वारा अनुबंध के आधार पर किया जाता है। विद्युत का विक्रय केन्द्र या राज्य सरकार

या किसी अन्य को नहीं किया गया है। उद्योग से प्राप्त जानकारी अनुसार बायोमास बेस्ड पॉवर प्लांट में विद्युत उत्पादन हेतु माह जनवरी 2023 से माह दिसंबर 2023 के मध्य 57782 मीट्रिक टन तथा माह जनवरी 2024 से माह दिसंबर 2024 के मध्य 48372 मीट्रिक टन बायोमास खपत हुआ है। उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 23/09/2024 एवं 17/02/2025 के माध्यम से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को बायोमास खपत के संबंध में जानकारी दी गई है।

जिला-बलौदा-बाजार-भाटापारा अंतर्गत खाद, बीज, दवाओं की गुणवत्ता की जांच एवं कार्यवाही

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

28. (क्र. 792) श्री संदीप साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2025 तक खाद, दवाई एवं बीज संस्थानों में अमानक रासायनिक खाद बीज एवं कीटनाशक दवाओं की गुणवत्ता की जांच कराई गई है? यदि हाँ तो किन-किन संस्थाओं की खाद, बीज एवं दवाई अमानक स्तर की पाई गई हैं? वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी बतावें? (ख) गुणवत्ताहीन खाद, बीज, एवं कीटनाशक दवा वाली संस्थाओं के विरुद्ध अब तक विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हां। संस्था जिनके रासायनिक खाद, कीटनाशक एवं बीज के नमूनों का विश्लेषण परिणाम अमानक स्तर का है, की वर्षवार विकासखण्डवार जानकारी क्रमशः 'पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में अमानक पाये गये रासायनिक खाद, कीटनाशक एवं बीज से संबंधित संस्थानों के विरुद्ध अब तक विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी क्रमशः 'पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के अन्तर्गत कृषक बीमा एवं फसल बीमा

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

29. (क्र. 793) श्री संदीप साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2025 तक कितने कृषकों के द्वारा कृषक बीमा एवं फसल बीमा कराया गया है? किन-किन बीमा कंपनियों के माध्यम से फसल बीमित हुई है? क्या बीमित राशियां लैम्पस के माध्यम से जमा की गई हैं? तहसीलवार जानकारी बतावें? (ख) कितने बीमित कृषकों की मृत्यु हो चुकी है? क्या मृत्यु उपरांत बीमा की राशि सम्बंधित परिवार को उपलब्ध कराई गई है? यदि हाँ, तो कितनी राशि कब-कब उपलब्ध कराई गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विभाग द्वारा कृषको का बीमा नहीं किया जाता है। प्रदेश में कृषि फसलो के बीमा हेतु संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2025 तक जिला बलौदाबाजार भाटापारा के तहसील बलौदाबाजार, भाटापारा, बिलाईगढ़, कसडोल, पलारी, सिमगा, लवन, सोनाखान, सुहेला एवं टुण्ड्रा में मौसमवार, वर्षवार, तहसीलवार फसल बीमा कराने वाले कृषको की संख्या एवं बीमा क्रियान्वयक कंपनियों की जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। जी हां, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत लैम्पस द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के माध्यम से भी कृषक प्रीमियम राशि जमा करायी गयी है। जिसका विवरण संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। प्रश्नांकित अवधि में उद्यानिकी फसलो के बीमा हेतु संचालित पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसमवार, वर्षवार, तहसीलवार फसल बीमा कराने वाले कृषको

की संख्या एवं बीमा क्रियान्वयक कंपनियों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।** पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत लैम्पस के माध्यम से प्रीमियम राशि जमा करने संबंधी जानकारी निरंक है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में बीमित कृषकों के मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं हुई है अतः जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उच्चास"]

जिला राजनांदगांव, मोहला-मानपुर अं.चौकी में स्कूल भवन, आश्रम शाला, छात्रावास भवन निर्माण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

30. (क्र. 806) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** वर्ष 2022-23 से 2024-25 में 31 जनवरी, 2025 तक राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिला में कितने स्कूल भवन, आश्रम शाला, छात्रावास भवन निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? वर्षवार, विधानसभावार पृथक-पृथक जानकारी देवें ? **(ख)** कंडिका "क" के स्वीकृत कार्यों की वर्तमान अद्यतन स्थिति क्या है ? वर्षवार, विधानसभावार विवरण देवें ? **(ग)** वर्तमान में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में कितने स्कूल, आश्रम शाला, छात्रावास भवन विहीन हैं एवं कितने स्कूल भवन छात्रावास एवं आश्रम शाला भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ? विकास खण्डवार, स्थलवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है। **(ग)** जानकारी संलग्न प्रपत्र 'स' अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचास "]

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में कृषि विभाग एवं खनिज न्यास मद से सामग्री की खरीदी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

31. (क्र. 807) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022-23 से 31 जनवरी, 2025 तक विभाग द्वारा एवं जिला खनिज न्यास मद एवं अन्य मद से कितनी राशि के, कौन-कौन से कृषि उपकरणों की खरीदी की गई है ? वर्षवार, विकासखण्डवार विवरण दें ? **(ख)** उपरोक्त अवधि में कितने कृषकों द्वारा किस-किस प्रकार के कृषि उपकरणों की खरीदी हेतु आवेदन किया गया था ? इसके विरूद्ध कितने कृषकों को कितनी राशि के कृषि उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं तथा कितने आवेदन दिनांक 31.01.2025 तक लंबित हैं ? उन उपकरणों की खरीदी पर कुल कितने रूपये की सबसिडी प्रदान की गई? **(ग)** क्या उपरोक्त खरीदे गए उपकरणों की मांग किसानों के द्वारा की गई थी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से सम्बद्ध विकासखण्ड (छुरिया एवं अंबागढ़ चौकी) में वर्ष 2022-23 से 31 जनवरी, 2025 तक उप-संचालक कृषि द्वारा जिला खनिज न्यास मद में उपकरण खरीदी की जानकारी निरंक है। सहायक संचालक उद्यान द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में जिला खनिज न्यास मद एवं अन्य मद से राशि रु. 49.80 के क्रय लिए गए उपकरणों का विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** उपरोक्त अवधि में कृषि यंत्र/उपकरणों पर अनुदान हेतु प्राप्त आवेदनों निराकृत प्रकरणों, कृषि यंत्र/उपकरणों की कुल कीमत, भुगतान की गई अनुदान राशि एवं लंबित आवेदनों की वर्षवार, योजनावार एवं विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है। (ग)** जी हाँ, कृषि यंत्र/उपकरणों की मांग कृषकों द्वारा किया गया था।

[संलग्न "परिशिष्ट - इन्क्यावन"]

प्रदेश में राजस्व वसूली का लक्ष्य

[वित्त]

32. (क्र. 814) श्री विक्रम मंडावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक राज्य सरकार की राजस्व आय अथवा वसूली राज्य कर से, राज्य के करेत्तर राजस्व से, माहवार कितना लक्ष्य था एवं कितनी वसूली की गई? माहवार जानकारी देवें? **(ख)** राज्य को प्राप्त होने वाले केन्द्रीय करों का हिस्सा एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक कितना प्राप्त हुआ ? माहवार जानकारी देवें? **(ग)** वर्ष 2024-25 के बजट में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कुल कितनी वसूली हुई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क से ग)** राज्य सरकार द्वारा बजट में कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व हेतु वार्षिक प्रावधान किया जाता है। अतः कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व की वार्षिक लक्ष्य एवं मासिक प्राप्ति की जानकारी "संलग्न प्रपत्र अ" अनुसार है। प्रश्नांकित अवधि में केन्द्र सरकार से प्राप्त केन्द्रीय करों में हिस्सा एवं सहायता अनुदान की जानकारी "संलग्न प्रपत्र ब" अनुसार है। इस वर्ष राज्य का राजस्व जनवरी 2025 तक राशि 48,401 करोड (अनंतिम) रूप से प्राप्त हुआ है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बावन"]

रायगढ़ जिले में खाद, बीज, कीटनाशक दवाई एवं अन्य सामग्री की खरीदी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

33. (क्र. 818) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायगढ़ जिले में जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक खाद बीज कीटनाशक दवाई एवं अन्य सामग्री की खरीदी किस फर्म /संस्था /दुकान से कितनी मात्रा एवं राशि में की गयी है ? **(ख)** खाद, बीज, कीटनाशक दवाई खरीदी हेतु क्या निविदा नियम का पालन किया गया है ? कौन से समाचार पत्र में कब-कब विज्ञापन जारी किया गया था ? कौन-कौन से फ़र्म द्वारा निविदा जमा की गयी?कौन-कौन से फ़र्म/ संस्था दुकान द्वारा क्या-क्या दर सामग्री हेतु प्रस्तावित की गयी थी ? **(ग)** खाद, बीज, कीटनाशक दवाई एवं अन्य सामग्री के क्रय-भुगतान की विस्तृत जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** रायगढ़ जिले में जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक कृषि विभाग अंतर्गत खाद बीज कीटनाशक दवाई एवं अन्य सामग्री की खरीदी का फर्म/संस्थावार,मात्रा, दर एवं राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार है।** उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग अंतर्गत जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक खरीदी गई खाद, बीज, कीटनाशक दवाई एवं अन्य सामग्री का फर्म/संस्थावार,मात्रा, दर एवं राशि विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- इ, प्रपत्र- ई, प्रपत्र-क, प्रपत्र-ख एवं प्रपत्र-ग अनुसार है।** **(ख)** कृषि फसलों के बीज का क्रय राज्य शासन की अधिकृत संस्था छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि से किया गया है। कृषि से संबंधित योजनाओं में क्रय जेम पोर्टल, आर.सी.ओ.पोर्टल (ई-कृषि) के माध्यम से किया गया है। सामग्रीवार, संस्थावार दरों का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार है।** उद्यानिकी विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं में खाद, बीज, कीटनाशक दवाई की खरीदी हेतु छ.ग.भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2023) की उपनियम 4.3.2 सीमित निविदा पद्धति का पालन करते हुए फर्मों से कोटेशन प्राप्त कर तुलानात्मक रूप से न्यूनतम दर वाली फर्म से सामग्री का क्रय किया गया है। उक्त निविदा नियम अनुसार क्रय किये गये खाद, बीज कीटनाशक दवाई की राशि 3 लाख से कम होने के

कारण निविदा आमंत्रण हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया है। सामग्रीवार, संस्थावार प्रस्तावित दरों का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- इ, प्रपत्र- ई, प्रपत्र-क, प्रपत्र-ख एवं प्रपत्र-ग अनुसार है।**

धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा निर्मित चेक डेम

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

34. (क्र. 819) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023 से जनवरी, 2025 तक कृषि विभाग द्वारा कितने स्टाप डेम का निर्माण किया गया है? लागत सहित जानकारी देवें? **(ख)** क्या विभाग नवीन स्टाप डेम निर्माण हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया है? यदि हाँ, तो उसकी स्वीकृति कब तक प्रदान की जाएगी? **(ग)** कितने निर्माण कार्य पूर्ण हैं, कितने अपूर्ण हैं? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विकासखंड धरमजयगढ़ एवं घरघोड़ा में से विकासखंड घरघोड़ा में वर्ष 2023 (01.01.2023) से जनवरी 2025 तक कृषि विभाग द्वारा "स्टाप डेम" का निर्माण नहीं किया गया है। अतः शेष जानकारी निरंक है। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** 'क' के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

जांजगीर जिले के शांति जीडी पावर प्लांट व छग स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा फ्लाई ऐश का उत्सर्जन

[आवास एवं पर्यावरण]

35. (क्र. 820) श्री बालेश्वर साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जांजगीर जिले के विकासखण्ड बलौदा के ग्राम महुदा व अमझर स्थित शांति जीडी पावर प्लांट व छत्तीसगढ़ स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा जनवरी, 2022 से 01.03.2025 तक कुल कितना फ्लाई ऐश का उत्सर्जन किया गया है ? माहवार जानकारी देवें ? फ्लाई ऐश उत्सर्जन एवं निष्पादन हेतु एनजीटी एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा क्या नियम वर्तमान में प्रभावशील हैं तथा इस संबंध में किस अधिकारी के द्वारा जाँच की गई व जाँच में क्या निष्कर्ष दिये गए एवं क्या कार्यवाही की गई ? **(ख)** कंडिका "क" अनुसार फ्लाई ऐश के निष्पादन हेतु किस स्थान की अनुमति, कितनी मात्रा के लिए दी गई तथा इन चिन्हांकित क्षेत्रों में कितनी मात्रा का निष्पादन उक्त क्षेत्रों में किया गया ? माहवार जानकारी देवें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में जनित फ्लाई ऐश की माहवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** फ्लाई ऐश के निष्पादन हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 31/12/2021 (यथा संशोधित) के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार फ्लाई ऐश का भू-भराव, सीमेंट निर्माण, ईट निर्माण, सड़क निर्माण आदि में उपयोग संबंधी नियम है। जिसकी प्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।** फ्लाईऐश अपवहन के संबंध में किए गए निरीक्षण एवं निरीक्षण के निष्कर्ष की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।** **(ख)जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है।**

जिला-बस्तर में छ0ग0 राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के द्वारा किये गये कार्यों की अद्यतन स्थिति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

36. (क्र. 837) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** छ0ग0 राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के द्वारा जिला बस्तर के विकासखण्डों में वर्ष 2022 से

जनवरी, 2025 तक स्वीकृत कार्य, आबंटित व व्यय की गई राशि तथा इन कार्यों की अद्यतन स्थिति की वर्षवार जानकारी दें। (ख) छ0ग0 सरकार के द्वारा वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में छ0ग0 राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के लिए अधोसंरचना मद में कितनी राशि का प्रावधान रखा गया था तथा किस जिले के लिए कितनी राशि का स्वीकृति आदेश जारी किया गया ? कृपया बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) छ0ग0 राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के द्वारा जिला बस्तर के विकास खण्डों में वर्ष 2022 से जनवरी, 2025 तक कुल 51 कार्य लागत रू. 526.33 लाख के स्वीकृत किये गये, जिसमें कोई राशि व्यय नहीं हुई है। कार्यों की अद्यतन स्थिति की वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। (ख) राज्य शासन के वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 के पारित बजट में " छ.ग. राज्य कृषि विपण (मंडी) बोर्ड" के लिये अधोसंरचना मद में राशि प्रावधानित नहीं थी, अतः शेष जानकारी निरंक है।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन" \]](#)

शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनाना

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

37. (क्र. 838) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** छ0ग0 राज्य के जिलों में संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में दर्ज छात्र-छात्राओं का आय, जाति एवं निवास प्रमाण बनाये जाने का क्या लक्ष्य निर्धारित था? अद्यतन स्थिति क्या है ? इसे कब तक पूरा किया जाना था? आगे क्या समय-सीमा तय की गई है? **(ख)** क्या इस कार्य में लापरवाही, उदासीनता बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? स्पष्ट करें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।

महासमुंद जिले के छात्रावास और आश्रम में मरम्मत के लिए स्वीकृत राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

38. (क्र. 841) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** पिछले 3 वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 25 जनवरी, 2025 तक महासमुंद जिले के अंतर्गत किस-किस छात्रावास और आश्रम में मरम्मत और सुधार कार्य कितनी लागत से किया गया है ? उपरोक्त कार्य किन-किन एजेंसियों के द्वारा किये गये हैं ? कार्य का नाम, खर्च की गई राशि, व्यय राशि की जानकारी विकासखंडवार प्रतिवर्ष का अलग-अलग बताएं? **(ख)** क्या उपरोक्त कार्यों में अनियमितता अथवा गुणवत्ताहीन कार्य की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्रवाई की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) जिला महासमुंद अंतर्गत पिछले 03 वर्षों वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) में मरम्मत और सुधार कार्य हेतु प्राप्त आबंटन के विरुद्ध किये गये कार्यों की कार्यवार, विकासखण्डवार खर्च की गई राशि की विस्तृत जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** जानकारी निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन" \]](#)

किसानों द्वारा कराये गये फसल बीमा के विरूद्ध भुगतान की गयी बीमा राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

39. (क्र. 844) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **:- (क)** खरीफ व रबी मौसम 2023 व 2024 में संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत तहसील गुरूर एवं बालोद के कितने कृषकों ने कृषि एवं उद्यानिकी के किन-किन फसलों का बीमा करवाया? मौसमवार, फसलवार बीमित रकबा सहित तहसीलवार जानकारी देवें ? **(ख)** कण्डिका 'क' की फसलों के क्षति होने पर कराये गये फसल बीमा के विरूद्ध कितने किसानों ने कितनी राशि का बीमा दावा किया तथा बीमा कंपनियों के द्वारा कितने किसानों को, कितनी राशि के बीमा दावा का भुगतान किया गया एवं कितनी राशि भुगतान किया जाना शेष है? जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** प्रदेश में कृषि फसलों के बीमा हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं उद्यानिकी फसलों के बीमा हेतु पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना संचालित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र से संबंधित तहसील गुरूर एवं बालोद में मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2023-24 में कुल 34,145 कृषकों द्वारा कुल 35,889.260 हेक्टेयर क्षेत्र तथा मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2024-25 में कुल 33,810 कृषकों द्वारा कुल 35002.985 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल का बीमा कराया गया है। वर्षवार, मौसमवार, फसलवार, तहसीलवार बीमित कृषक संख्या एवं बीमित रकबा की **जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है।** पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र की तहसीलों में मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2023-24 में कुल 290 कृषकों द्वारा कुल 73.89 हेक्टेयर क्षेत्र तथा मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2024-25 में कुल 173 कृषकों द्वारा कुल 61.19 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल का बीमा कराया गया है। वर्षवार, मौसमवार, फसलवार, तहसीलवार बीमित कृषक संख्या एवं बीमित रकबा की **जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।** **(ख)** फसल बीमा योजनाओं में कृषकों के द्वारा बीमा दावा राशि के भुगतान हेतु क्लेम नहीं किया जाता है अपितु योजनाओं के प्रावधान अनुसार "प्राप्त औसत उपज क्षेत्र हेतु निर्धारित थ्रेसहोल्ड उपज से कम होने" अथवा "वास्तविक मौसमीय आंकड़ों एवं टर्मशीट में उल्लेखित मानक आंकड़ों में प्राप्त विचलन के आधार पर" पात्रता अनुसार कृषकों को बीमा दावा राशि का भुगतान किया जाता है। कंडिका "क" की अवधि में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2023-24 में कुल 1,641 पात्र कृषकों को रु.183.499 लाख का बीमा दावा भुगतान किया गया है एवं 01 कृषक को रु. 0.069 लाख का दावा भुगतान किया जाना शेष है। मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2024-25 अंतर्गत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में दावा गणना एवं दावा राशि के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्षवार, मौसमवार, फसलवार, तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र "स" अनुसार है।** पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ एवं रबी वर्ष 2023-24 में 116 किसानों को राशि रूपये 0.777 लाख का भुगतान किया गया है एवं किसी भी कृषक को दावा राशि का भुगतान किया जाना शेष नहीं है। वर्ष 2024-25 खरीफ मौसम में अधिसूचित उद्यानिकी फसलों में से टमाटर फसल के लिए दावा राशि के गणना का कार्य प्रक्रियाधीन है। खरीफ मौसम हेतु अधिसूचित शेष फसल एवं रबी मौसम में अधिसूचित समस्त फसल की फसल अवधि समाप्त होना शेष है। अतः बीमा दावा भुगतान से संबंधित जानकारी निरंक है। वर्षवार, मौसमवार, फसलवार, तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - पचपन"]

जिला बालोद के छात्रावासों को स्वीकृत राशि से कराये गये कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

40. (क्र. 845) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2022-23 से 2024-25 में दिनांक 31 जनवरी, 2025 तक जिला बालोद के अंतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में किन-किन निर्माण कार्यों तथा दीर्घ व लघु मरम्मत आदि के लिए कितनी राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है? **(ख)** कण्डिका 'क' में प्राप्त राशि से कहाँ-कहाँ पर कितनी राशि से कौन-कौन से निर्माण/मरम्मत आदि कार्य कराये गये? इनमें से कितने कार्य पूर्ण, कितने प्रगतिरत एवं कितने कार्य किन कारणों से अप्रारंभ हैं ? जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है। **(ख)** कण्डिका 'क' में प्राप्त राशि से कराये गये निर्माण/मरम्मत आदि कार्य एवं कार्य की भौतिक स्थिति की जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन"]

मंडी बोर्ड के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

41. (क्र. 847) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जिला राजनांदगाँव व खैरागढ़-छुईखदान-गंडई क्षेत्र में वर्ष 2021-2022 से जून, 2024 तक मंडी बोर्ड में कुल कितनी राशि के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं? उनमें से कितने पूर्ण तथा कितने अपूर्ण हैं तथा कितनों की स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित/लंबित है ? विकासखंडवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जिला राजनांदगाँव क्षेत्र में वर्ष 2021-2022 से जून, 2024 तक मंडी बोर्ड से कुल 30 कार्य , लागत राशि रू. 1140.26 लाख के स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें से 26 कार्य पूर्ण एवं 04 कार्य निरस्त किये गये है। कोई कार्य अपूर्ण नहीं है। जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई क्षेत्र में वर्ष 2021-22 से जून, 2024 तक मंडी बोर्ड से कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुए है। जिला राजनांदगाँव व खैरागढ़ छुईखदान-गंडई क्षेत्र में किसी भी कार्य की स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित/लंबित नहीं है। विकास खंडवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन"]

जिला राजनांदगाँव व खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के विभिन्न उद्योगों / व्यवसायों की पर्यावरण एन ओ सी

[आवास एवं पर्यावरण]

42. (क्र. 848) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला राजनांदगाँव व खैरागढ़- छुईखदान-गंडई ऐसे कितने व्यवसाय/ उद्योग संचालित हैं जिनको पर्यावरण की अनुमति प्रदान की गई है ? व्यवसाय/उद्योग के नाम सहित जानकारी दें ? **(ख)** ऐसे कितने व्यवसाय/ उद्योग संचालित हैं जिनके पास पर्यावरण की एन. ओ. सी नहीं है? उन पर वर्ष 2024 से दिनांक 31/01/2025 तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? विवरण दें ? कितने उद्योगों व व्यवसायों के खिलाफ प्रदूषण संबंधी शिकायत जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राप्त हुई है ? **(ग)** कितने व्यवसाय/ उद्योगों के पर्यावरण अनुमति के आवेदन लंबित है ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जिला राजनांदगाँव व जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में छत्तीसगढ़

पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल/वायु सम्मति प्राप्त संचालित उद्योग/ व्यवसाय की संख्या क्रमशः 358 एवं 51 है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** जिला राजनांदगांव व जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में ऐसे व्यवसाय/उद्योग जिनके द्वारा जल/वायु सम्मति प्राप्त नहीं की गई है की संख्या क्रमशः 61 एवं 2 है। जल/वायु सम्मति प्राप्त नहीं किये जाने के कारण दिनांक 01/01/2024 से दिनांक 31/01/2025 तक की अवधि में इन उद्योगों/ व्यवसायों के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 क के तहत उद्योग का उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही की गई है, जिसका **विवरण संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। उपरोक्त अवधि में उद्योगों/व्यवसाय के विरूद्ध प्रदूषण के संबंध में कार्यालय कलेक्टर जिला राजनांदगांव व जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के माध्यम से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को क्रमशः 07 एवं शून्य शिकायतें प्राप्त हुई हैं। **(ग)** जिला राजनांदगांव व जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के जल एवं वायु सम्मति हेतु क्रमशः 04 एवं 01 आवेदन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में लंबित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन"]

रायपुर जिले को आदिम जाति कल्याण विभाग से प्राप्त आबंटन एवं कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

43. (क्र. 855) श्री अनुज शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2022-23 से दिनांक 31/01/2025 तक रायपुर जिले को आदिम जाति कल्याण विभाग से किस-किस मद से कितना-कितना आबंटन प्राप्त हुआ है? प्राप्त आबंटन से कौन-कौन सी सामग्री, किन-किन दरों पर, किन-किन फर्मों से किस आधार पर क्रय की गई ? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार क्रय की गई सामग्रियों को किन-किन छात्रावासों/आश्रमों में कितनी-कितनी मात्रा में वितरण किया गया? वर्ष एवं आश्रमवार वितरित सामग्रियों का विवरण देवें? **(ग)** प्रश्नांक 'क' अवधि जिले में स्थित आश्रमों/छात्रावास के रखरखाव एवं मरम्मत आदि के लिये कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई तथा इस राशि से क्या-क्या कार्य संपादित किये गए ? कार्यवार एवं वर्षवार विवरण देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** वित्तीय वर्ष 2022-23 से दिनांक 31/01/2025 तक रायपुर जिले को प्राप्त आबंटन की वर्षवार/मदवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार है। क्रय की गई सामग्री का नाम, दर एवं फर्मों का नाम की वर्षवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र 'ब' अनुसार है। **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय** में रखे संलग्न प्रपत्र 'स', 'द' एवं 'इ' अनुसार है। **(ग)** जानकारी **पुस्तकालय** में रखे संलग्न प्रपत्र 'फ' अनुसार है।

गांडा जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की जानकारी

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

44. (क्र. 863) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-क्या गांडा जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव राज्य शासन की ओर से केंद्र सरकार को भेजा गया था ? यदि हां तो कब?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जी नहीं। अतः प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

रायपुर जिले में कृषि उपज मंडी समितियों एवं उनके अधीन आने वाले ग्रामों का विवरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

45. (क्र. 868) श्री अनुज शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वर्ष 2023 से दिनांक 31-01-2025 तक कृषि उपज मंडी समिति में प्रति क्विंटल पर मंडी शुल्क किस दर पर लिया जाता है? वर्षवार जानकारी प्रदाय करें। (ख) रायपुर जिले में कुल कितनी कृषि उपज मंडी समितियां हैं? समितियों एवं उनके अधीन आने वाले ग्रामों के नाम एवं वर्षवार मंडी शुल्क के रूप में प्राप्त हुई राशि का विवरण देवें? (ग) 01 अप्रैल 2022 से दिनांक 31-01-2025 तक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड द्वारा जिला रायपुर अंतर्गत किन-किन कार्यों हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई? विधानसभावार जानकारी उपलब्ध करावें। स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण/निरस्त किये गये हैं? कार्यवार जानकारी उपलब्ध करावें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) कृषि उपज मंडी समिति में प्रति क्विंटल की दर से मंडी शुल्क नहीं लिया जाता, अपितु शासन द्वारा अधिसूचित कृषि उपज की कीमत के प्रत्येक 100 रूपये पर समय-समय पर निर्धारित दर पर मंडी शुल्क लिया जाता है। वर्ष 2023 से दिनांक 31.01.2025 तक वर्षवार मंडी शुल्क की दर **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। (ख) रायपुर जिले में कुल 05 कृषि उपज मंडी समितियां क्रमशः रायपुर, नवापारा, नेवरा, आरंग एवं अभनपुर हैं। समितियों के अधीन आने वाले ग्रामों की कुल संख्या 545 है। ग्रामों के नाम की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- ब** अनुसार है। वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक) में प्राप्त मंडी शुल्क की राशि का मंडीवार वर्षवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- स** अनुसार है। (ग) 01 अप्रैल 2022 से 31.01.2025 तक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड द्वारा जिला रायपुर अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिए कुल राशि रु. 4776.26 लाख स्वीकृत की गई। स्वीकृत 132 कार्यों में से 63 कार्य पूर्ण, 13 कार्य अपूर्ण, 17 कार्य निरस्त एवं 39 कार्यों की निविदाये खोली जाना शेष। विधानसभावार कार्यवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- द** अनुसार है।

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में फसल बीमा से लाभान्वित किसान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

46. (क्र. 870) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के कितने किसानों का वर्ष 2023-24, 2024-25 में दिनांक 31-01-2025 तक कितनी-कितनी राशि का बीमा किया गया? **(ख)** प्रश्नांश ' क ' अवधि में फसल बीमा का लाभ कितने किसानों को मिला ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) फसल बीमा योजनाओं में जानकारी का संधारण तहसीलवार किया जाता है। कृषि फसलो के बीमा हेतु संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से संबंधित तहसीलो यथा पंडरिया, कुकदूर, कुण्डा, सहसपुर-लोहारा एवं पिपरिया में वर्ष 2023-24, 2024-25 में दिनांक 31.01.2025 तक की स्थिति में वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार, फसल बीमा कराने वाले कृषको की संख्या एवं बीमित राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। प्रश्नाधीन अवधि में ही उद्यानिकी फसलो के बीमा हेतु संचालित पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार, फसल बीमा कराने वाले कृषको की संख्या एवं बीमित राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है। (ख) प्रश्नांश "क" की

अवधि में प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा दावा भुगतान से लाभान्वित कृषको की **जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्सठ" \]](#)

विधानसभा सीतापुर अंतर्गत लघुत्तम सिंचाई योजना के तहत तालाब निर्माण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

47. (क्र. 887) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में वर्ष 2024-25 में लघुत्तम सिंचाई योजना अंतर्गत कितने तालाब स्वीकृत हुए हैं ? विकासखण्डवार व ग्रामवार संख्या प्रदान करें ? **(ख)** कंडिका **(क)** अनुसार प्रति तालाब कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? कितने कार्य पूर्ण तथा कितने अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्य कब तक कार्य पूर्ण किया जाएगा? **(ग)** वर्तमान में तालाब की उपयोगिता हो रही है ? इस योजना से कितने किसान लाभान्वित हो रहे हैं? जानकारी प्रदान करें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर से संबद्ध विकासखण्ड अंबिकापुर में वर्ष 2024-25 में लघुत्तम सिंचाई तालाब योजनांतर्गत ग्राम रकेली तथा कर्रा में क्रमशः 01-01 लघुत्तम सिंचाई तालाब स्वीकृत हुए है। शेष संबद्ध विकासखण्डों यथा सीतापुर, मैनपाट एवं बतौली की जानकारी निरंक है। **(ख)** कंडिका "क" अनुसार लघुत्तम सिंचाई तालाब ग्राम रकेली तथा कर्रा हेतु क्रमशः राशि रूपये 49.99 लाख तथा राशि रूपये 49.98 लाख स्वीकृत की गई है। वर्तमान में उक्त दोनों कार्य निर्माणाधीन (अपूर्ण) है, जिन्हें मार्च 2025 तक पूर्ण कर लिया जावेगा। **(ग)** वर्तमान में दोनों सिंचाई तालाब निर्माणाधीन है, कार्य पूर्ण होने पर ग्राम रकेली के 44 कृषक तथा ग्राम कर्रा के 41 कृषक लाभान्वित होंगे ।

जिला जांजगीर-चांपा के छात्रावास/आश्रम भवनों का रख-रखाव एवं मरम्मत

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

48. (क्र. 896) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जांजगीर-चाम्पा जिले में संचालित छात्रावास/आश्रम के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु 01 जनवरी, 2023 से जनवरी, 2025 तक कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिए प्रदान की गई? वर्षवार, संस्थावार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** उक्त कार्यों क्रियान्वयन में क्या किसी प्रकार की भ्रष्टाचार/अनियमितता संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? प्रकरणवार जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - साठ" \]](#)

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

49. (क्र. 897) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** 01 जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक जांजगीर-चाम्पा जिले में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण योजना के तहत कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी लागत राशि से कहां-कहां स्वीकृत किए गए हैं? कार्यों की वर्तमान अद्यतन स्थिति क्या है? विधानसभावार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांश (क) में पूछी

गई अवधि में स्वीकृत कार्यों के निर्माण में क्या किसी प्रकार की अनियमितता अथवा भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई? जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) 01 जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक जांजगीर-चांपा जिले अंतर्गत अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण योजना के तहत वि.ख. पामगढ़ में 03 कार्य राशि रु. 15.00 लाख एवं वि.ख. नवागढ़ में 03 कार्य राशि रु. 15.00 लाख कुल 06 कार्य हेतु राशि रु. 30.00 लाख स्वीकृत किया गया है। सभी 06 कार्यों के लिए प्राक्कलन के लिए पत्र लिखा गया है जो कि आचार संहिता के कारण प्रक्रियाधीन है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**(ख) प्रश्नांश (क) में पूछी गई अवधि में स्वीकृत कार्यों के निर्माण में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इकसठ" \]](#)

कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के तहत प्राप्त आवेदन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

50. (क्र. 907) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विगत दो वर्षों में विकासखंड कोटा एवं गौरैला के कितने कृषकों द्वारा कृषि उपकरण सब्सिडी योजना हेतु आवेदन किया गया है? वर्ष एवं विकासखंड वार जानकारी दें? **(ख)** विकासखंड कोटा एवं गौरैला अंतर्गत वर्ष 2023-24 में कितने कृषकों को कौन कौन से कृषि उपकरण एवं यंत्र के खरीदी हेतु कृषि उपकरण सब्सिडी योजना प्रदान की गई है? कृषक का नाम उपकरण सब्सिडी की राशि ग्राम एवं विकासखंड वार वर्षवार जानकारी दें? **(ग)** उक्त कितने कृषकों को कृषि उपकरण सब्सिडी योजना का लाभ दिया जाना शेष है, और कब तक योजना का लाभ प्रदान किया जावेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) विगत दो वर्षों 2022-23 एवं 2023-24 में विकासखंड कोटा एवं गौरैला में कृषि यंत्रों/उपकरणों से संबंधित योजनाओं के तहत अनुदान पर क्रय हेतु प्राप्त आवेदनों की वर्षवार, विकासखण्डवार एवं योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।**(ख) विकासखंड कोटा एवं गौरैला अंतर्गत वर्ष 2023-24 में कुल 1195 कृषकों को कृषि यंत्र/उपकरण खरीदी हेतु अनुदान प्रदान दिया गया है। कृषक का नाम, उपकरण सब्सिडी की राशि एवं ग्राम की विकासखंडवार, वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।**(ग) लंबित प्रकरणों की वर्षवार, योजनावार एवं विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।**

बिलासपुर जिला अंतर्गत प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की स्वीकृति

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

51. (क्र. 915) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बिलासपुर जिला अंतर्गत विगत 02 वर्षों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु कितने-कितने प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की स्वीकृति हुई है वर्षवार विवरण देवें? **(ख)** कंडिका "क" के कितने छात्रावास पूर्ण, अपूर्ण एवं अप्रारंभ हैं? वर्षवार विवरण देवें? **(ग)** कंडिका "क" के अंतर्गत तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने छात्रावास स्वीकृत हैं एवं उनकी अद्यतन स्थिति क्या है? विवरण देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) प्रश्नाधीन अवधि में अनुसूचित जाति का कोई छात्रावास स्वीकृत नहीं किया गया है। अनुसूचित जनजाति के प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बेलपान,

विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर की स्वीकृति वर्ष 2023 में प्रदान की गई है। पो. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रावास स्वीकृत नहीं किया गया है। (ख) कंडिका 'क' के किसी छात्रावास का भवन स्वीकृत नहीं किया गया है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) कंडिका 'क' के अंतर्गत तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में 01 प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बेलपान, विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर स्वीकृत है किंतु नवीन भवन की स्वीकृति नहीं हुई है। छात्रावास का संचालन किराये के भवन में किया जा रहा है।

बिलासपुर जिला अंतर्गत कर चोरी के संदर्भ में की गई छापामार कार्यवाही

[वाणिज्यिक कर]

52. (क्र. 916) श्री धर्मजीत सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बिलासपुर जिला अंतर्गत विगत 02 वर्षों में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कुल कितने फर्मों में कर चोरी के संबंध में छापामार कार्यवाही की गयी है? वर्षवार विवरण देवें? (ख) कंडिका "क" के अनुसार छापामार कार्यवाही में कौन-कौन से फर्मों में किस-किस प्रकार की अनियमितताएं पाई गई है और उनके ऊपर क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं विवरण देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) बिलासपुर जिले के अंतर्गत विगत दो वर्षों में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कुल 08 फर्मों में कर चोरी के संबंध में छापामार कार्यवाही की गई है। वर्ष 2023-24 में 04 फर्मों में छापामार कार्यवाही कर रू. 12.60 करोड़ जमा कराई गई है और रू 23.60 लाख की वसूली प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार वर्ष 2024-25 में 04 फर्मों में छापामार कार्यवाही की जाकर रू. 4.55 करोड़ कर अपवंचन की राशि जमा कराई गई और रू. 85.65 लाख की वसूली प्रक्रियाधीन है। (ख) कंडिका "क" के अनुसार जिन 8 फर्मों में छापामार कार्यवाही की गई है, उनमें पायी गयी अनियमितता एवं की गयी कार्यवाही का विवरण **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बैसठ" \]](#)

जिला बिलासपुर में भूखण्डों के पंजीयन हेतु रेरा से अनुमति संबंधी

[वाणिज्यिक कर]

53. (क्र. 917) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बिलासपुर जिले में पंजीयन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 0.0200 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले कितने भूखण्डों का पंजीयन कराया गया है? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) क्या प्रश्नांश "क" के प्रकरणों में पंजीयन हेतु रेरा से अनुमति प्राप्त किया जाना था ? यदि हाँ तो क्या सभी प्रकरणों में रेरा से अनुमति ली गई ? यदि नहीं तो अनुमति प्राप्त प्रकरण एवं बिना अनुमति के पंजीकृत भूखण्डों की संख्या पृथक- पृथक बतायें? (ग) प्रश्नांश "ख" के रेरा से बिना अनुमति प्राप्त पंजीकृत भूखण्डों को किस नियम / प्रावधानों के तहत पंजीयन किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में 0.0200 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्डों के पंजीयन हेतु रेरा से अनुमति के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश "ख" के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरसठ" \]](#)

अनुदान योजना अंतर्गत बेलतरा वि.स. क्षेत्रान्तर्गत प्राप्त आवेदन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

54. (क्र. 918) श्री सुशांत शुक्ला : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान योजना अंतर्गत बेलतरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने कृषकों ने आवेदन प्रस्तुत किया ? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावे? (ख) प्रश्नांश "क" के आवेदनकर्ता कृषकों में कितने पात्र तथा कितने अपात्र रहे ? पात्र हितग्राहियों के लिए क्या अर्हता निर्धारित है ? (ग) प्रश्नांश "क" के आवेदनकर्ता पात्र कृषकों में से कितने को ट्रेक्टर किस दर पर प्रदाय किया गया ? प्रति ट्रेक्टर कितनी राशि का अनुदान / छूट प्रदान किया गया ? शेष पात्र आवेदनकर्ता कृषकों को कब तक ट्रेक्टर प्रदान कर दिया जायेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) बेलतरा विधान सभा क्षेत्र से संबंधित विकासखंडों(बिल्हा, कोटा एवं मस्तूरी) में चैम्स प्रणाली के माध्यम से क्रियान्वित योजना के तहत अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक) में कुल 1633 कृषकों के आवेदन प्राप्त हुये, विस्तृत जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार** है।(ख) चैम्स प्रणाली अंतर्गत कृषकों के कोई भी आवेदन अपात्र नहीं किये गये है, अपितु त्रुटिपूर्ण आवेदनों को सुधार किये जाने की प्रक्रिया है। इस प्रकार कुल वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक) के कुल 1633 कृषकों के आवेदन पात्र है। पात्र हितग्राहियों के लिये निर्धारित अर्हता की **जानकारी संलग्न प्रपत्र -स अनुसार** है।(ग) वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक) में आवेदनकर्ता पात्र कृषकों को प्रदाय ट्रेक्टर की राशि/अनुदान एवं छूट कि **जानकारी संलग्न प्रपत्र-द अनुसार** है।कृषि यंत्रीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट-3), (कम्पोनेंट-4) योजनान्तर्गत ट्रेक्टर हेतु कुल 276 आवेदन प्राप्त हुये जिनमें से 41 कृषकों को ट्रेक्टर प्रदाय किया गया है। शेष कम्पोनेंट-3 योजना के 226 कृषकों के आवेदन प्रक्रियाधीन है, जिनका निराकरण भौतिक लक्ष्य की उपलब्धता के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष में किया जा रहा है। कम्पोनेंट-4 योजनान्तर्गत शेष 06 पात्र कृषकों को वित्तीय 2024-25 के अंत तक आबंटन राशि प्राप्त होने पर अनुदान प्रदान किया जावेगा।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौंसठ" \]](#)

महासमुंद के कन्या छात्रावास तथा उनकी शिकायतों पर कार्यवाही

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

55. (क्र. 927) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** महासमुंद जिले में कन्या छात्रावासों की संख्या स्तरवार,विकासखण्डवार जनवरी, 2024 से 30 जनवरी, 2025 की स्थिति में बतायें ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के भवन विहीन भवन किराये का, स्वयं का, जिलावार, स्तरवार, बतायें ? भवनविहीन स्थानों पर भवन कब तक बना दिये जायेंगे ? **(ग)** 01 जनवरी, 2024 से 30 जनवरी, 2025 की तिथि तक उक्त छात्रावासों में स्वेच्छाचारिता, अनुशासन हीनता, अनियमितता की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'अ'** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'ब'** अनुसार है। **(ग)** 01 जनवरी 2024, से 30 जनवरी, 2025 की स्थिति में उक्त कन्या छात्रावासों में स्वेच्छाचारिता अनुशासन हीनता, अनियमितता की किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैसठ" \]](#)

प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अविक्रत आवास

[आवास एवं पर्यावरण]

56. (क्र. 928) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) छत्तीसगढ़ में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवास हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा निर्मित कितने आवास हैं जो आबंटित नहीं हैं या अविक्रित हैं? 30 जनवरी, 2025 की स्थिति में योजनावार जिलावार बतायें? (ख) प्रश्नांश 'क' के आवासों के अनाबंटित, अविक्रित रहने का क्या कारण है ? उक्त आवासों के आबंटन, विक्रय हेतु शासन द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश 'क' के आवासों में से उपयोग में न आने योग्य जर्जर, अपूर्ण कार्य की संख्या जिलावार बतायें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 30 जनवरी, 2025 की स्थिति में निर्मित आवास जो आबंटित नहीं हैं या अविक्रित हैं की, रायपुर विकास प्राधिकरण की जानकारी निरंक है एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की योजनावार जिलावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** हैं। (ख) प्रश्नांश 'क' के आवासों के अनाबंटित, अविक्रित रहने का मुख्य कारण विशेषतः भवन के मांग में कमी, कोविड-19 में कोरोना महामारी के कारण, आबंटियों द्वारा भवन का पंजीयन पश्चात् पुनः निरस्त करना, फ्लैट / बहुमंजिला भवनों हेतु जनता का कम रुझान इत्यादि हैं। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ के कॉलम-5 अनुसार है।** उक्त आवासों के आबंटन, विक्रय हेतु शासन द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 19/01/2025 को निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के द्वारा निर्मित 5 वर्ष से अधिक समय से नहीं बिके हुए आवासीय/व्यवसायिक संपत्तियों को (One Time Settlement), एकमुश्त निपटान हेतु, लागत मूल्य (बेस रेट) में क्रमशः 10, 20 एवं 30 प्रतिशत की छूट के आधार पर निर्धारित शर्तों के साथ विक्रय की स्वीकृति प्रदान की गई है। (ग) प्रश्नांश 'क' के आवासों में से उपयोग में न आने योग्य जर्जर, अपूर्ण कार्य की संख्या जिलावार सूची **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छैसठ" \]](#)

वन अधिकार पत्र के प्रचलित प्रकरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

57. (क्र. 930) डॉ. चरण दास महंत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अप्रैल, 2024 से जनवरी, 2025 तक की अवधि में कितने-कितने व्यक्तिगत तथा सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिये गये ? जिलावार जानकारी दें? **(ख)** वन अधिकारों की मान्यता के व्यक्तिगत तथा सामुदायिक कितने-कितने प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं? प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब के कारण क्या हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 के अंतर्गत अप्रैल, 2024 से जनवरी, 2025 तक की अवधि में 3209 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र तथा 117 सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिये गये हैं। जिलावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** व्यक्तिगत वन अधिकार के 5489 एवं सामुदायिक वन अधिकार के 91 प्रकरण प्रक्रियाधीन है। प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब के कारण निम्नानुसार है:-1- दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण दावे ग्रामसभा स्तर पर लंबित होना। 2- ग्रामसभा स्तर से प्रस्ताव पारित नहीं होना। 3- एसडीएलसी में दावे प्रक्रियाधीन होना। 4- अनुभाग स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण करने पर आवेदन में पाई गई त्रुटियों/कमियों को पुनः परीक्षण हेतु ग्राम वन अधिकार

समिति को प्रेषित किया जाना। 5- जिला स्तरीय समिति द्वारा उपखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त दावों के परीक्षण में पाई गई त्रुटियों/कमियों के निराकरण में समय लगना तथा पुनः परीक्षण के लिए उपखण्ड स्तरीय समिति को प्रेषित किया जाना। 6- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण विभिन्न स्तर की समितियों की बैठक आयोजित नहीं होना।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सड़सठ" \]](#)

धान का क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

58. (क्र. 931) डॉ. चरण दास महंत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 में खरीफ तथा रबी में धान का क्षेत्राच्छादन, उत्पादन तथा उत्पादकता की जिलावार जानकारी दीजिए ? **(ख)** 2022-23 से 2024-25 तक प्रमाणित धान बीज उत्पादन हेतु पंजीकृत किसान संख्या, रकबा, उपार्जित बीज की मात्रा जिलावार तथा वर्षवार बताएं? इसी अवधि में धान बीज की आवश्यकता जिलावार कितनी-कितनी थी और राज्य के बाहर से कितनी मात्रा में धान बीज किन दरों पर क्रय किया गया? स्रोत सहित बताएं? **(ग)** धान बीज उत्पादन में राज्य के आत्मनिर्भर नहीं हो पाने के कारण क्या-क्या हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :**(क)** ,**(ख)** एवं **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है।

ग्रीन हाउस, नेट हाउस, पाली हाउस निर्माण हेतु किसानों के चयन का आधार

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

59. (क्र. 933) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक बालोद जिले में कृषि विभाग द्वारा ग्रीनहाउस, नेट हाउस, पाली हाउस एवं संबंधित अन्य निर्माण हेतु किन-किन किसानों का चयन किस-किस आधार पर किया गया है? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार किसानों के चयन हेतु क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ? चयनित किसानों को उक्त निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :**(क)** जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक बालोद जिले के 07 कृषकों का चयन शेड नेट हाउस निर्माण हेतु किया गया। वर्षवार/विकासखण्डवार/कृषकवार विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। कार्यक्रम क्रियान्वयन में रूचि रखने वाले ऐसे कृषक जिनके पास सुनिश्चित सिंचाई सुविधा एवं अन्य आवश्यक संसाधन हो, निजी स्वमित्व की भूमि हो,से प्राप्त आवेदनों का निर्धारित लक्ष्यों के अधीन "पहले आये पहले पाये" के आधार पर ग्राम सभा में अनुमोदन उपरांत जनपद तथा जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से अनुमोदन के आधार पर चयन किया जाता है।**(ख)** प्रश्नांश 'क' के किसानों के चयन हेतु उपरोक्तानुसार प्रक्रिया अपनाई गई है। चयनित कृषकों को भुगतान की गई अनुदान राशि की वर्षवार/विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अड़सठ" \]](#)

जिला बालोद में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संचालित योजनाएं

[आवास एवं पर्यावरण]

60. (क्र. 934) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बालोद में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासन द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण देवें ? योजना हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2024 से जनवरी, 2025 तक कितनी राशि आबंटित हुई एवं कौन-कौन से मद में कितना-कितना खर्च किया गया है? विवरण देवें?**(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार क्या जिला बालोद में शासन द्वारा अवैध पेड़ों की कटाई पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि हाँ तो कहाँ-कहाँ एवं कब? विकासखण्डवार जानकारी देवें? वर्ष 2025-26 में शासन द्वारा जिले में वृक्षारोपण हेतु क्या लक्ष्य है ? जानकारी देवें?**(ग)** क्या जिले में संचालित उद्योगों में पर्यावरण अनुकूल मापदंड का पालन किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों एवं क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जिला बालोद में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासन द्वारा निम्न योजनाएं संचालित की जा रही है :- (1) अग्नि बचाव कार्य, (2) डिमार्केशन, (3) पर्यावरण वानिकी, (4) बिगड़े वनों का सुधार बांस वनों सहित, (5) भूजल एवं जल संरक्षण कार्य, (6) तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित, (7) किसान वृक्ष मित्र योजना, (8) बांस वनों का पुनरोद्धार, (9) मुख्यमंत्री बांस विकास योजना, (10) प्राकृतिक पुनरोत्पादन का (बांस वनों सहित) संरक्षण, (11) ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघुवनोपज/औषधी रोपण, (12) हरियाली प्रसार योजना, (13) कैम्पा योजना, (14) मानरेगा योजना। वर्ष 2024 से जनवरी 2025 तक आबंटित की गई राशि का योजनावार खर्च सहित विस्तृत **विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है।**(ख)** जिला बालोद में वन विभाग द्वारा वर्ष 2024 से जनवरी 2025 तक अवैध पेड़ों की कटाई पर कुल 1150 प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जिस पर वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विकासखंडवार विस्तृत विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है। वर्ष 2025-26 में जिला बालोद में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का लक्ष्य निम्नानुसार है :- (1) विभागीय मद अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु 16,500 पौधे का लक्ष्य है। (2) किसान वृक्ष मित्र योजना अंतर्गत कृषकों के निजी भूमि पर 5,00,000 पौधों का रोपण हेतु लक्ष्य निर्धारित है। (3) मानरेगा योजना अंतर्गत निःशुल्क पौधा वितरण हेतु 3,00,000 पौधों का लक्ष्य निर्धारित है। विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार** है।**(ग)** जी हाँ, बालोद जिले में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल/वायु सम्मति प्राप्त संचालित उद्योगों में पर्यावरण अनुकूल मापदण्डों का पालन किया जा रहा है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

धमतरी किसान कुटीर भवन की जानकारी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

61. (क्र. 939) श्री ओंकार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** धमतरी जिले में विगत 3 वर्षों में कितने किसान कुटीर भवन स्वीकृत हुए हैं? स्वीकृत किए गए कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति क्या है? क्या उक्त कार्य वर्तमान में प्रगतिरत हैं तो उन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?**(ख)** धमतरी जिले में किसान कुटीर निर्माण हेतु वर्तमान में किन-किन जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन को कितने प्रस्ताव उपलब्ध कराए गए हैं? प्राप्त प्रस्ताव के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है एवं उक्त प्रस्ताव पर शासन क्या नवीन कुटीर भवन स्वीकृत / प्रदाय करेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :**(क)** धमतरी जिले में विगत 3 वर्षों में 05 किसान कुटीर भवन स्वीकृत हुए हैं। स्वीकृत किए गए कुल 05 कार्यों की लागत रू. 67.50 लाख में से सभी कार्य पूर्ण है एवं इन कार्यों पर कुल राशि रू. 42.99 लाख व्यय हुई है।

(ख) धमतरी जिले में किसान कुटीर निर्माण हेतु माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र धमतरी से 21 धान खरीदी केन्द्रों में किसान कुटीर निर्माण कार्य के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्राप्त प्रस्ताव के विरुद्ध अनुमानक तैयार किया गया है एवं मंडी बोर्ड निधि/मंडी निधि की उपलब्धता एवं सक्षम अनुमोदन उपरांत कार्यवाही की जावेगी।

न्यू जनरेशन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंतर्गत किये गये कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

62. (क्र. 943) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) विगत तीन वर्षों में न्यू जनरेशन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंतर्गत राज्य कार्यालय स्टेट लेवल नोडल एजेंसी द्वारा जिलों में कितनी राशि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने हेतु आबंटित की गई है? क्या जिलों में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की राशि से कम दी गई है? यदि हां तो राज्य कार्यालय द्वारा डिटेल प्रोजेक्ट मद की राशि किस-किस तरह व्यय की जा रही है? राज्य कार्यालय द्वारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की राशि का किन-किन एजेंसियों को विगत तीन वर्षों से जनवरी, 2025 तक कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? मदवार, एजेंसीवार, विकासखंडवार, जिलेवार, वर्षवार जानकारी दें ? (ख) क्या स्टेट लेवल नोडल एजेंसी द्वारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मद की राशि को राज्य कार्यालय द्वारा व्यय किया जा सकता है? यदि हां तो किये व्यय की जिलेवार, वर्षवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विगत तीन वर्षों में यथा वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में जनवरी 2025 तक न्यू जनरेशन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंतर्गत छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी (स्टेट लेवल नोडल एजेंसी) के द्वारा जिलों को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने हेतु प्रति परियोजना रु. 04.00 लाख की दर से कुल 45 परियोजनाओं हेतु कुल रु. 180.00 लाख आबंटन जारी किया गया है। जी हाँ, जिलों को प्रदायित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हेतु प्रावधानित राशि को कम किया गया है, जिसका उपयोग छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी (राज्य कार्यालय) द्वारा ई-डीपीआर साफ्टवेयर के माध्यम से परियोजना के डीपीआर तैयार करने एवं परियोजना के मानचित्र तैयार करने के लिए किया गया है। प्रश्नाधीन अवधि तक छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी द्वारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हेतु हेतु भुगतान की गयी राशि की वर्षवार, मदवार, एजेंसीवार, विकासखंडवार, जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ख) जी हाँ, स्टेट लेवल नोडल एजेंसी द्वारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मद की राशि को राज्य कार्यालय द्वारा व्यय किया जा सकता है। भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी गाईड लाईन 2021 (बिंदु क्रमांक 7.1.6 एवं 9.3.3.-सी) अंतर्गत परियोजनाओं के डीपीआर निर्माण हेतु राज्य स्तर से तकनीकी सहयोग एवं जीआईएस आधारित प्लानिंग किये जाने का प्रावधान है। वर्षवार जिलेवार व्यय की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - उनहत्तर"]

छ0ग0 राज्य कृषक विपणन मण्डी बोर्ड निधि एवं कृषि उपज मंडी समिति से किये गये कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

63. (क्र. 944) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
क्या छ0ग0 राज्य कृषक विपणन (मण्डी) बोर्ड निधि एवं कृषि उपज मंडी समिति से वर्ष 2023 से जनवरी, 2025 तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने हेतु राशि स्वीकृत हुई थी ? यदि हां तो राजनांदगांव जिला के कौन-कौन से मण्डी क्षेत्र के ग्रामों में सड़क निर्माण कार्य किया गया है ? यदि हां तो निर्माणाधीन संरचना डब्लू.बी.एम./बी.एम. (बेस कोड)/पी.एम.सी.(प्राईम कोड) तथा एम.एस.एस. पुल-पुलिया निर्माण एवं पटरी की

घन एवं स्क्रायर मीटर कार्यवार व्यय तथा क्या उक्त संरचना निर्माण हेतु सेण्ड/एग्रीकेट/मिट्टी, मुरूम कौन-कौन सी अनुमति प्राप्त खदानों से कितने क्यूबिक मीटर मात्रा में संरचनावार रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र एजेन्सी द्वारा विभाग को प्रस्तुत किया गया है, संरचनावार दिनांकवार, व्ययवार, मूल्यांकन सत्यापन सहित जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जी हां। छ.ग. राज्य कृषक विपणन (मण्डी) बोर्ड निधि एवं कृषि उपज मंडी समिति से वर्ष 2023 से जनवरी, 2025 तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने हेतु राशि स्वीकृत हुई थी। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव मंडी, डोंगरगढ़ मंडी, राजनांदगांव मंडी क्षेत्रों के ग्रामों में सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है। निर्माणाधीन संरचना डब्ल्यू.बी.एम./बी.एम. (बेस कोड)/पी.एम.सी. (प्राईम कोड) तथा एम.एस.एस. पुल-पुलिया निर्माण एवं पटरी की घन एवं स्क्रायर मीटर कार्यवार व्यय तथा निर्माणाधीन संरचना निर्माण हेतु सेण्ड/एग्रीकेट/मिट्टी, मुरूम मात्रा की रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र एजेन्सी द्वारा विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कारण अनुबंध की धारा 35 अनुसार विभाग द्वारा एजेन्सी के देयकों से रायल्टी काटकर शासन के हेड में जमा किया गया है। संरचनावार, दिनांकवार, व्ययवार, मूल्यांकन सत्यापन की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सत्तर" \]](#)

कृषकों को वितरित कृषि यंत्रों संबंधी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

64. (क्र. 957) श्री किरण देव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना अंतर्गत कृषकों को कौन-कौन से कृषि यंत्रों का किस-किस अनुदान दर पर वितरण किया जाता है ? इसके आवेदन हेतु कौन पात्र है ? विवरण दें ? (ख) प्रश्नांश 'क' की योजना का अनुदान हितग्राहियों को कैसे प्राप्त होता है एवं हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है ? योजना के प्रचार-प्रसार एवं आवेदन की क्या प्रक्रिया है ? क्या योजना में अनुदान हेतु डीबीटी लागू करने की योजना है ? यदि हां तो विवरण दें ? (ग) प्रश्नांश 'क' की योजना अंतर्गत जिला बस्तर में विगत तीन वर्षों में कितने आवेदन प्राप्त हुए ? कितने को कृषि यंत्र मिला ? कितने आवेदन लंबित हैं ? लंबित आवेदनों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना अंतर्गत कृषकों को अनुदान पर वितरित किये जाने वाले कृषि यंत्रों/उपकरणों की घटकवार, यंत्र/उपकरणवार अनुदान दरों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- अ अनुसार** है। इसके आवेदन हेतु सभी श्रेणी के समस्त वर्ग के कृषक पात्र है। (ख) प्रश्नांश "क" की योजना के तहत हितग्राही को अनुदान भुगतान की प्रक्रिया का घटकवार विवरण निम्नानुसार हैं:-**कंपोनेंट क्रमांक-3 कृषि यंत्रों पर अनुदान-** कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु चैम्स प्रणाली सॉफ्टवेयर में कृषक द्वारा मेक/मॉडल का चयन कर स्वयं/जिला कार्यालय/प्रदायक संस्था की सहायता से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत योजना के प्रावधानानुसार पात्रता रखने पर आवेदन स्वीकृत किया जाता है। आवेदन की स्वीकृति उपरांत कृषकों द्वारा सामग्री की कुल कीमत में से अनुदान राशि घटाकर केवल कृषक अंश राशि जमा किये जाने के पश्चात् प्रदायक संस्था/फर्म को प्रदाय आदेश जारी किया जाता है। तदनुसार प्रदायक संस्था द्वारा कृषक को यंत्र/उपकरण प्रदाय किया जाता है। हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन जीपीएस बेस्ड मोबाईल एप के माध्यम से जियो टैग के आधार पर तृतीय पक्ष द्वारा किया जाता है।**कंपोनेंट क्र.-4 एवं 6 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना-** योजना के तहत लक्ष्य अनुसार कृषकों/समूहों से प्राप्त आवेदन पर वांछित बैंक से प्राप्त ब्रीफ

ओपिनियन रिपोर्ट के गुण-दोष के आधार पर "प्रथम आये प्रथम पाये" के तहत आवेदन स्वीकृत किया जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तावित कृषि यंत्रों/उपकरणों की सूची एवं उनके तकनीकी विवरण का अनुमोदन संबंधित बैंक के अधिकारी एवं संभागीय कृषि यंत्री द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। तत्पश्चात् बैंक ऋण की स्वीकृति दी जाती है, बैंक द्वारा ऋण की स्वीकृति उपरांत कृषि यंत्री द्वारा अनुदान स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है। आवेदक द्वारा योजना के दिशा-निर्देश अनुरूप भूमि की तैयारी से लेकर कटाई/गहाई तक लगने वाले, कृषि यंत्र/उपकरण पंजीकृत निर्माता एवं प्रदायक से क्रय करने उपरांत संबंधित बैंक अधिकारी तथा संभागीय कृषि यंत्री द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुदान राशि का भुगतान क्रेडिट लिंक बैंक इण्डेड सब्सिडी के रूप में आवेदक के ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक को किया जाता है। योजना का प्रचार-प्रसार जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय विभागीय कार्यालयों में फ्लेक्सी बोर्ड, विभिन्न स्थानों में आयोजित किसान मेला/प्रदर्शनी तथा मैदानी स्तर पर कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। **आवेदन की प्रक्रिया-** कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेन्ट-3) अंतर्गत चैम्स प्रणाली में कृषक द्वारा चैम्स सॉफ्टवेयर में मेक/मॉडल का चयन कर स्वयं/जिला कार्यालय/प्रदायक संस्था की सहायता से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित प्रदायक द्वारा कृषक दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड कर बीज निगम मुख्यालय को ऑनलाईन प्रेषित किया जाता है। कम्पोनेन्ट -4 एवं 6 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना हेतु आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन जिले के उप संचालक कृषि/सहायक कृषि यंत्री/संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय में जमा कर सकते हैं। कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत डी.बी.टी. लागू है। कम्पोनेन्ट-3 कृषि यंत्रों पर अनुदान योजनांतर्गत कार्डेन्ड डी.बी.टी. के रूप में, कृषकों द्वारा सामग्री की कीमत में से अनुदान राशि को घटाकर कृषक अंश राशि जमा की जाती है, तत्पश्चात् कृषक को सामग्री प्राप्त होती है। इसी प्रकार कम्पोनेन्ट-4 एवं 6 के तहत अनुदान राशि का भुगतान हितग्राही के बैंक खाते में क्रेडिट लिंक बैंक इण्डेड सब्सिडी के रूप में किया जाता है। (ग) प्रश्नांश "क" की योजना अंतर्गत जिला-बस्तर में विगत तीन वर्षों में प्राप्त आवेदन, लाभांशित हितग्राहियों एवं लंबित आवेदनों एवं इनके निराकरण की वर्षवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।**

जिला बस्तर में प्रदूषण की रोकथाम हेतु उद्योगों में लगाये गये उपकरण संबंधी

[आवास एवं पर्यावरण]

65. (क्र. 958) श्री किरण देव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बस्तर जिला में स्थापित कौन-कौन से उद्योगों/संयंत्रों ने उद्योगों/संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु कौन-कौन से विशेष यंत्र लगाये हैं तथा उससे प्रदूषण में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है ? उद्योगवार/संयंत्रवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** क्या प्रश्नांश 'क' के संचालित उद्योगों में प्रदूषण की मात्रा को कम करने हेतु विभाग द्वारा उद्योगों में विशेष यंत्र लगाने हेतु अनिवार्य निर्देश जारी किए गए हैं ? यदि हां, तो प्रति उपलब्ध करावें ? **(ग)** प्रश्नांश 'क' के संचालित उद्योगों का विगत तीन वर्षों में किस-किस स्तर के किन-किन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया ? निरीक्षण में किन-किन उद्योगों/संयंत्रों में निर्धारित पर्यावरणीय नियमों एवं विभागीय निर्देशों की अवहेलना पायी गई ? विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ? वर्षवार, उद्योगवार जानकारी उपलब्ध करावें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जिला-बस्तर में प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योग (1) मेसर्स एन.एम.डी.सी. स्टील लिमिटेड, आयरन एण्ड स्टील प्लांट, ग्राम-नगरनार एवं (2) मेसर्स ब्रज मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड, स्पंज आयरन प्लांट, ग्राम-रायकोट में संचालित हैं। इन संयंत्रों में औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु दूषित जल उपचार संयंत्र एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ई.एस.पी.) एवं बैग फिल्टर स्थापित कराये गये हैं। दूषित जल उपचार संयंत्र की दक्षता सामान्यतः 90 से 95 प्रतिशत,

ई.एस.पी. की दक्षता 99 से 99.90 प्रतिशत तक तथा बैग फिल्टर की दक्षता 95 से 99 प्रतिशत तक होती है। उद्योगवार प्रदूषण की रोकथाम हेतु स्थापित व्यवस्थाओं की **जानकारी संलग्न प्रपत्र - अ अनुसार** है। **(ख)** प्रदूषण की रोकथाम हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योगों को जारी स्थापना सम्मति में उक्त यंत्रों की स्थापना की शर्त निहित की जाती है। नमूने के तौर पर एक उद्योग को जारी स्थापना सम्मति की प्रति संलग्न है। **(ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र - ब अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इकहत्तर"]

विधानसभा सारंगढ़ के अंतर्गत फ्लाइएश डंपिंग

[आवास एवं पर्यावरण]

66. (क्र. 1067) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा सारंगढ़ के अंतर्गत विकासखण्ड सारंगढ़ में फ्लाइएश डंपिंग से गड्ढे भरने का कार्य कहां-कहां हुआ एवं कहां-कहां डंपिंग का कार्य चल रहा है एवं कौन-कौन से ठेकेदारों को टेन्डर प्राप्त हुआ है? **(ख)** क्या ठेकेदारों के द्वारा डम्पर के माध्यम से फ्लाइएश डंपिंग के दौरान सड़कों पर फ्लाइएश प्रदूषण की रोकथाम के क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** विधानसभा सारंगढ़ के अंतर्गत विकासखण्ड सारंगढ़ में ताप विद्युत् संयंत्रों से उत्पन्न राख का भू-भराव/खदान भराव का कार्य स्थल की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। ठेकेदारों को राख का भू-भराव/खदान भराव हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है। अपितु ताप विद्युत् संयंत्रों को राख के भू-भराव/खदान भराव हेतु अनुमति/अनापत्ति प्रदाय की जाती है। **(ख)** डम्पर के माध्यम से राख का परिवहन के दौरान प्रदूषण न हो, इस हेतु मंडल के पत्र दिनांक 26/06/2024 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) जारी किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बहत्तर"]

खरीफ फसल हेतु किसानों का पंजीयन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

67. (क्र. 1102) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कबीरधाम जिले अंतर्गत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कितने किसानों का पंजीयन खरीफ फसल हेतु किया गया? **(ख)** उक्त अवधि में कितने किसानों का पंजीयन खरीफ फसल हेतु नहीं किया गया तथा पंजीयन नहीं होने के क्या कारण हैं ? कृपया विकासखंडवार एवं सोसाइटीवार बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** कबीरधाम जिले में वर्ष 2023-24 में 1,30,367 किसानों एवं वर्ष 2024-25 में 1,34,692 किसानों का पंजीयन किया गया है। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में खरीफ फसल हेतु समितियों में प्राप्त आवेदनों का पूर्ण पंजीयन कर लिया गया है।

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट
परिशिष्ट - एक
तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 595) की जानकारी

प्रपत्र-अ

रासायनिक उर्वरकों की मांग / लक्ष्य

क्र.	मुंगेली विधानसभा अंतर्गत आने वाले विकासखण्ड	वर्ष	मौसम	युरिया	डीएपी	एमओपी	एनपीके	इकाई मेटन	
								एसएसपी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मुंगेली	2022-23	खरीफ	10449	2666	1161	946	8256	23478
			रबी	2580	1075	301	172	3010	7138
		2023-24	योग	13029	3741	1462	1118	11266	30616
			खरीफ	10965	1806	409	473	6665	20318
		2024-25	रबी	2494	478	172	237	946	4327
			योग	13459	2284	581	710	7611	24645
रबी (31.01.2025 तक)			खरीफ	11094	2537	645	1720	6708	22704
योग				3440	602	129	774	2021	6966
योग				14534	3139	774	2494	8729	29670

नोडल अधिकारी (वि.स.)

संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

(विकास मित्र)

उप-सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-अ

रासायनिक उर्वरकों की मांग / लक्ष्य

क्र.	मुंगेली विधानसभा अंतर्गत आने वाले विकासखण्ड	वर्ष	मौसम	युरिया	डीएपी	एमओपी	एनपीके	एसएसपी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	पथरिया	2022-23	खरीफ	6804	1736	756	616	5376	15288
			रबी	1680	700	196	112	1960	4648
		योग	8484	2436	952	728	7336	19936	
			2023-24	खरीफ	7140	1176	266	308	4340
		योग	रबी	1624	252	112	154	616	2758
			8764	1428	378	462	4956	15988	
2024-25	खरीफ	7224	1652	420	1120	4368	14784		
योग	रबी (31.01.2025 तक)	2400	420	90	540	1410	4860		
	9624	2072	510	1660	5778	19644			


इकाई मेट्रन

(विकास विभाग)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

नोडल अधिकारी (वि.स.)
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

क्र.	मुंगेली विधानसभा अंतर्गत आने वाले विकासखण्ड	वर्ष	मौसम	मण्डलवार / आयुर्ति												वितरण			
				सामायनिक चरकर का नाम						सामायनिक चरकर का नाम						सामायनिक चरकर का नाम			
				युरिया	डीएपी	एमओपी	एनपीके	एसएसपी	योग	युरिया	डीएपी	एमओपी	एनपीके	एसएसपी	योग	युरिया	डीएपी	एमओपी	एनपीके
1		3	4	5	8	11	14	17	20	21	26	28	31	34	37	38			
		2022-23	खरीफ		11092.43	2519.18	479.00	2177.20	6571.67	22839.48	9030.36	1803.00	436.95	1280.25	6101.55	18652.11			
			रबी		4808.08	962.18	339.05	1697.95	3054.12	10861.38	2015.15	103.20	261.65	486.56	644.05	3510.61			
			योग		15900.51	3481.36	818.05	3875.15	9625.79	33700.86	11045.51	1906.20	698.60	1766.81	6745.60	22162.72			
		2023-24	खरीफ		10683.93	2199.98	630.40	3527.39	6613.07	23654.77	9686.16	1592.18	537.28	2531.97	5434.11	19781.69			
			रबी		5272.76	1144.81	1488.13	2054.42	3649.97	13610.08	3920.99	324.35	170.25	1410.07	1820.70	7646.36			
			योग		15956.69	3344.79	2118.53	5581.81	10263.04	37264.85	13607.15	1916.53	707.53	3942.04	7254.81	27428.05			
		2024-25	खरीफ		14430.78	2973.46	2183.88	4855.35	9010.26	33453.72	11672.00	1913.00	687.00	2737.00	6294.00	23303.00			
			रबी (31.01.2025 तक)		5517.55	2120.91	2993.75	3111.35	3575.26	17318.83	324.00	1340.60	452.00	1953.24	4147.89	8219.73			
			योग		19948.33	5094.37	5177.63	7966.70	12585.53	50772.55	11996.00	3253.60	1139.00	4692.24	10441.89	31522.73			
		2022-23	खरीफ		6840.00	1479.00	313.00	752.00	3577.00	12961.00	5032.41	1176.55	175.50	603.40	3113.10	10100.96			
			रबी		3215.59	462.45	223.50	571.60	1699.91	6173.05	978.09	42.60	45.75	205.47	299.65	1571.56			
			योग		10055.59	1941.45	536.50	1323.60	5276.91	19134.05	6010.50	1219.15	221.25	808.87	3412.75	11672.52			
		2023-24	खरीफ		7147.50	1246.85	411.75	1249.90	3514.26	13570.25	4064.97	884.10	198.85	1060.30	1981.50	8189.72			
			रबी		4186.53	684.75	272.90	1022.60	2533.76	8700.53	1820.79	199.05	44.70	691.55	553.30	3309.39			
			योग		11334.02	1931.60	684.65	2272.50	6048.01	22270.78	5885.76	1083.15	243.55	1751.85	2534.80	11499.11			
		2024-25	खरीफ		4731.48	1987.70	763.20	3269.05	9769.46	20520.88	8143.00	1335.00	479.00	1909.00	4392.00	16258.00			
			रबी (31.01.2025 तक)		4565.74	765.70	369.20	2033.05	5829.46	13583.14	227.00	24.00	26.00	78.00	40.00	395.00			
			योग		9297.21	2753.40	1132.40	5322.10	15598.91	34104.02	8370.00	1359.00	505.00	1987.00	4432.00	16653.00			



(विकास मित्र)

उप-सुचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

सभा क्षेत्र प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-स

बीज आपूर्ति की विधानसभा क्षेत्र मुंगेली की जानकारी

क्र.	मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड का नाम	वर्ष	मौसम	बीज मांग (क्विं. मी)		बीज निगम द्वारा मण्डारित बीज मात्रा (क्विं. मी)	बीज निगम द्वारा वितरित मात्रा (क्विं. मी)
				फसल	मात्रा		
1	2	3	4	5	6	7	8
				धान	9973.28	5564.20	5564.20
				सोयाबीन	127.58	246.00	246.00
				अरहर	30.18	44.72	44.72
				उड़द	5.18	4.20	4.20
				मूंग	6.40	3.40	3.40
				कोदो	2.24	2.52	2.52
				तिल	0.45	0.30	0.30
				मूंगफली	9.60	0.00	0.00
				ढेंचा	0.86	2.70	2.70
				रागी	0.09	0.04	0.04
				योग	10155.86	5868.08	5868.08
		2022-23	खरीफ	धान	10146.00	5196.00	5196.00
				मक्का	19.00	0.00	0.00
				सोयाबीन	1558.00	152.10	152.10
				अरहर	60.80	4.36	4.36
				उड़द	15.20	3.40	3.40
				मूंग	9.50	2.60	2.60
				कोदो	1.90	1.00	1.00
				तिल	3.80	0.29	0.29
				मूंगफली	64.60	30.00	30.00
				ढेंचा	45.60	0.00	0.00
				रागी	1.90	0.00	0.00
				योग	11926.30	5389.75	5389.75

(विकास अधिकारी)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

बीज आपूर्ति की विधानसभा क्षेत्र मुंगेली की जानकारी

क्र.	मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड का नाम	वर्ष	मौसम	बीज माग (किं. मी)		बीज निगम द्वारा मण्डारित बीज मात्रा (किं. मी)	बीज निगम द्वारा वितरित मात्रा (किं. मी)
				5	6		
1		3	4			7	8
				घना	2528.06	1059.90	1059.90
				गेंहू	1600.70	663.60	663.60
				मक्का	8.00	0.00	0.00
				रागी	19.20	0.00	0.00
				तिवड़ा	28.42	43.00	43.00
				सरसो	13.44	5.98	5.98
				अलसी	0.68	1.00	1.00
				कुसुम	5.99	9.80	9.80
				मटर	14.40	2.51	2.51
				मूंग	34.92	37.52	37.52
				उड़द	2.88	4.00	4.00
				मसूर	44.76	21.24	21.24
				मुंगफली	32.51	78.00	78.00
				योग	4333.96	1926.55	1926.55
		2022-23	रबी	घना	2015.90	562.80	562.80
				गेंहू	1330.00	778.80	778.80
				मक्का	285.00	0.00	0.00
				तिवड़ा	209.00	26.80	26.80
				सरसो	34.20	10.57	10.57
				अलसी	22.80	0.80	0.80
				कुसुम	7.60	4.72	4.72
				मटर	313.50	0.00	0.00
				मूंग	45.60	23.04	23.04
				उड़द	38.00	4.00	4.00
				मसूर	315.40	28.84	28.84
				मुंगफली	34.20	0.00	0.00
				योग	4651.20	1440.37	1440.37

(विकास/मित्री)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-स

बीज आपूर्ति की विधानसभा क्षेत्र मुंगेली की जानकारी

क्र.	मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड का नाम	वर्ष	मौसम	बीज मांग (क्विं. मी)		बीज निगम द्वारा गण्डारित बीज मात्रा (क्विं. मी)	बीज निगम द्वारा वितरित मात्रा (क्विं. मी)
				फसल	मात्रा		
1	मुंगेली	3	4	5	6	7	8
				धान	10144.00	4983.80	4983.80
				मक्का	8.00	0.00	0.00
				सोयाबीन	1312.00	224.90	224.90
				अरहर	59.20	30.52	30.52
				उड़द	28.80	14.00	14.00
				मूंग	36.80	12.16	12.16
				कोदो	4.80	29.16	29.16
				कुटकी	1.60	0.00	0.00
				तिल	3.20	0.00	0.00
				मूंगफली	59.20	0.00	0.00
				ढेंबा	38.40	0.00	0.00
				रागी	48.00	0.00	0.00
				योग	11744.00	5294.54	5294.54
		2023-24	खरीफ	धान	12046.00	5400.30	5400.30
				मक्का	9.50	0.00	0.00
				सोयाबीन	1558.00	40.00	40.00
				अरहर	70.30	21.92	21.92
				उड़द	34.20	4.00	4.00
				मूंग	43.70	4.00	4.00
				कोदो	5.70	17.44	17.44
				कुटकी	1.90	0.00	0.00
				तिल	3.80	0.00	0.00
				मूंगफली	70.30	0.00	0.00
				ढेंबा	45.60	110.10	110.10
				रागी	57.00	0.00	0.00
				योग	13946.00	5597.76	5597.76

(विकास क्षेत्र) उपस्थिति
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

बीज आपूर्ति की विधानसभा क्षेत्र मुंगली की जानकारी

क्र.	मुंगली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड का नाम	वर्ष	मौसम	बीज माग (किं. मे)			बीज निगम द्वारा भण्डारित बीज मात्रा (किं. मे)	बीज निगम द्वारा वितरित मात्रा (किं. मे)
				फसल	मात्रा	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
				चना	2516.80	408.60	408.60	
				गेहूँ	1646.40	334.40	334.40	
				मकका	176.00	0.00	0.00	
				शगी	20.80	0.00	0.00	
				कोदो	8.00	0.00	0.00	
				कुटकी	1.60	0.00	0.00	
				तिवडा	176.00	30.00	30.00	
				सरसो	27.20	7.27	7.27	
				तोरिया	1.60	0.00	0.00	
				अलसी	19.20	13.12	13.12	
				कुसुम	6.40	0.32	0.32	
				मूग	38.40	0.96	0.96	
				उड़द	32.00	2.40	2.40	
				मटर	208.00	5.20	5.20	
				मसूर	129.60	3.40	3.40	
				मुंगफली	36.80	24.00	24.00	
			रबी	योग	5044.80	829.67	829.67	
		2023-24		चना	2988.70	468.30	468.30	
				गेहूँ	1955.10	812.80	812.80	
				मकका	209.00	0.00	0.00	
				शगी	24.70	0.00	0.00	
				कोदो	9.50	0.00	0.00	
				कुटकी	1.90	0.00	0.00	
				तिवडा	209.00	19.00	19.00	
				सरसो	32.30	10.33	10.33	
				तोरिया	1.90	0.00	0.00	
				अलसी	22.80	1.00	1.00	
				कुसुम	7.60	1.00	1.00	
				मूग	45.60	0.00	0.00	
				उड़द	38.00	10.00	10.00	
				मटर	247.00	10.00	10.00	
				मसूर	153.90	4.00	4.00	
				मुंगफली	43.70	0.00	0.00	
				योग	5990.70	1336.43	1336.43	

(विकास/मिड)

उप-निर्देश

प्रतीकांक शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-स

बीज आपूर्ति की विधानसभा क्षेत्र मुंगेरी की जानकारी

क्र.	मुंगेरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड का नाम	वर्ष	मौसम	बीज माग (क्वि. मी)		बीज निगम द्वारा मण्डारित बीज मात्रा (क्वि. मी)	बीज निगम द्वारा वितरित मात्रा (क्वि. मी)
				फसल	मात्रा		
1		3	4	5	6	7	8
				धान	10640.00	4860.05	4860.05
				मक्का	8.00	0.00	0.00
				सोयाबीन	128.00	136.80	136.80
				अरहर	68.80	35.58	35.58
				उड़द	35.20	8.00	8.00
				मूंग	27.20	0.00	0.00
				कोदो	4.80	1.12	1.12
				कुटकी	0.00	0.00	0.00
				तिल	1.60	0.00	0.00
				मूंगफली	40.00	32.50	32.50
				ढेंचा	38.40	0.00	0.00
				रागी	16.00	0.00	0.00
				योग	11008.00	5074.05	5074.05
		2024-25	खरीफ	धान	12635.00	6522.00	6522.00
				मक्का	9.50	0.00	0.00
				सोयाबीन	152.00	0.00	0.00
				अरहर	81.70	23.80	23.80
				उड़द	41.80	8.00	8.00
				मूंग	32.30	0.00	0.00
				कोदो	5.70	3.00	3.00
				कुटकी	0.00	0.00	0.00
				तिल	1.90	0.00	0.00
				मूंगफली	47.50	0.00	0.00
				ढेंचा	45.60	110.00	110.00
				रागी	19.00	1.84	1.84
				योग	13072.00	6668.64	6668.64

(विकास मित्र)

उप सचिव

प्रतीसाहद शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-स

बीज आपूर्ति की विधानसभा क्षेत्र मुंगेली की जानकारी

क्र.	मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड का नाम	वर्ष	मौसम	बीज माग (कि. मी)		बीज निगम द्वारा मज्दारित बीज मात्रा (कि. मी)	बीज निगम द्वारा वितरित मात्रा (कि. मी)
				फसल	मात्रा		
1		3	4	5	6	7	8
				गहूँ	2323.90	748.00	748.00
				मक्का	51.00	0.00	0.00
				रागी	13.60	0.00	0.00
				कोदो	15.30	0.00	0.00
				चना	2951.20	792.45	792.45
				मटर	10.20	9.20	9.20
				मसूर	28.90	0.00	0.00
				तिवड़ा	57.80	5.30	5.30
				मूग	40.80	7.40	7.40
				उड़द	52.70	0.00	0.00
				सरसों	20.40	16.52	16.52
				अलसी	18.70	3.70	3.70
				कुसुम	3.40	2.19	2.19
				मूगफली	54.40	37.80	37.80
				योग	5642.30	1622.56	1622.56
1		2024-25	रबी (31.01.2025 तक)	गहूँ	1913.80	582.10	582.10
				मक्का	42.00	0.00	0.00
				रागी	11.20	0.00	0.00
				कोदो	12.60	0.00	0.00
				चना	2430.40	601.95	601.95
				मटर	8.40	8.00	8.00
				मसूर	23.80	0.00	0.00
				तिवड़ा	47.60	4.20	4.20
				मूग	33.60	5.60	5.60
				उड़द	43.40	0.00	0.00
				सरसों	16.80	12.50	12.50
				अलसी	15.40	2.80	2.80
				कुसुम	2.80	1.60	1.60
				मूगफली	44.80	28.00	28.00
				योग	4646.60	1201.85	1201.85

(विकास विभाग)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारोक्ष - दो

प्रपत्र

तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 842) की जानकारी

वर्ग	भुगतान की गई छात्रवृत्ति की राशि (लाख में)	
	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25
अनुसूचित जाति	185.65	27.36
अनुसूचित जनजाति	328.63	138.84
अन्य पिछड़ा वर्ग	307.51	175.25


अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन

आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशेष - तीन

तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 493) की जानकारी

प्रपत्र-अ

मण्डल द्वारा फरवरी 2025 में प्रशांश 'क' के क्षेत्र में भू-जल स्रोतों के एकत्रित जल नमूने के गुणवत्ता की जानकारी -

जल नमूना एकत्रण स्थल :-

(01) बोरवेल जल, नगर पालिक निगम परिसर, भिलाई-चरोदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

(02) हैण्ड पम्प का जल, शासकीय प्राथमिक शाला के समीप, हथखोज, भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)

(03) हैण्ड पम्प का जल, युवा अंकुश चौक, मंगल बाजार, छांवनी, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

(04) हैण्ड पम्प का जल, बालाजी नगर, नेपाली मोहल्ला, अमर धर्मकांटा के समीप, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक	विवरण	इकाई	स्थल (1)	स्थल (2)	स्थल (3)	स्थल (4)	निर्धारित सीमा
1.	पी एच	-	7.3	7.3	6.7	7.4	6.5-8.5
2.	टोटल सॉलिड	मिलिग्राम/लीटर	98.0	94.0	107.0	115.0	500
3.	अमोनिया नाइट्रोजन (as NH3-N)	मिलिग्राम/लीटर	0.1	0.3	0.2	0.5	0.5
4.	नाइट्रेट नाइट्रोजन (as NO3)	मिलिग्राम/लीटर	3.8	5.6	4.4	7.6	45
5.	क्लोराईड	मिलिग्राम/लीटर	46.0	41.0	51.0	38.0	250
6.	सल्फेट (as SO4)	मिलिग्राम/लीटर	25.0	26.0	28.0	47.0	200
7.	टोटल एल्केनिटी	मिलिग्राम/लीटर	58.0	52.0	54.0	72.0	200
8.	टोटल हार्डनेस	मिलिग्राम/लीटर	76.0	72.0	82.0	88.0	200
9.	कैल्सियम	मिलिग्राम/लीटर	18.4	19.2	22.4	25.6	75
10.	मैग्नेसियम	मिलिग्राम/लीटर	7.31	5.85	6.3	5.85	30
11.	फिनाॅल	मिलिग्राम/लीटर	बीडीएल	0.001	0.001	0.002	0.002

नोट :- 1. बीडीएल से तात्पर्य बिलो डिटेक्शन लिमिट अर्थात पैरामीटर्स का परिणाम पता लगाने की सीमा से नीचे है।

2. उक्त निर्धारित सीमा भारतीय मानक (पीने योग्य जल IS10500: 2012) के अनुसार है।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

कंडिका 'क' के केमिकल या उससे जुड़े उत्पाद बनाने वाले उद्योगों की वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 15.02.2025 की अवधि) में की गई जाँच तथा उल्लंघन पाये जाने पर की गई कार्यवाही की जानकारी


क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही	रिमार्क
1.	मेसर्स अपर्णा कार्बन प्रा.लि., ग्राम- जेवरा, धमधा रोड, जिला- दुर्ग	20.07.2024	उद्योग में दूषित जल उपचार संयंत्र पूर्ण दक्षता के साथ संचालित होना नहीं पाया गया। कोलटार स्टोरेज टैंक के पास कोलटार फैला पाया गया आदि।	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 क के तहत दिनांक 24.07.2024 को नोटिस जारी किया गया।	उद्योग द्वारा उनके पत्र दिनांक 05.08.2024 के माध्यम से सुधारात्मक कार्यवाही की जानकारी दी गई। तत्पश्चात् दिनांक 22.08.2024 को कार्यालयीन दल द्वारा निरीक्षण किया गया। उद्योग में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।
2.	मेसर्स कलकत्ता टार प्रोडक्ट्स, प्लॉट नं- 17,- भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- - दुर्ग	20.12.2024	उद्योग परिसर के प्रक्रिया क्षेत्र में स्थापित ड्रेन को उद्योग परिसर के बाहर स्थापित ड्रेन में जुड़ा होना पाया गया तथा उद्योग परिसर के भीतर ड्रेन में दूषित जल का जमाव पाया गया, ठोस अपशिष्ट यथा ईटीपी स्लज का समुचित अपवहन नहीं किया जाना पाया गया एवं हाउसकीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई।	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 क के तहत दिनांक 20.12.2024 को नोटिस जारी किया गया। उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये- 1,10,000/- अधिरोपित की गई।	उद्योग द्वारा उनके पत्र दिनांक 31.12.2024 के माध्यम से सुधारात्मक कार्यवाही की जानकारी दी गई। तत्पश्चात् दिनांक 02.01.2025 को कार्यालयीन दल द्वारा निरीक्षण किया गया। उद्योग में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। क्षतिपूर्ति राशि जमा कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3.	मेसर्स श्री श्याम केमिकल्स, प्लॉट नं. 12/आई एवं 13/डी, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- -दुर्ग	20.12.2024	उद्योग परिसर के प्रक्रिया क्षेत्र में स्थापित ड्रेन को उद्योग परिसर के बाहर स्थापित ड्रेन में जुड़ा होना पाया गया तथा उद्योग परिसर के भीतर ड्रेन में कोलटार/ कोलटार रेसिड्यू का जमाव पाया गया व हाउसकीपिंग संतोषजनक नहीं पाई गई।	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 क के तहत दिनांक 20.12.2024 को नोटिस जारी किया गया। उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये- 1,00,000/- अधिरोपित की गई।	उद्योग द्वारा उनके पत्र दिनांक 31.12.2024 के माध्यम से सुधारात्मक कार्यवाही की जानकारी दी गई। तत्पश्चात् दिनांक 31.12.2024 को कार्यालयीन दल द्वारा निरीक्षण किया गया। उद्योग में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। क्षतिपूर्ति राशि जमा कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

4.	मेसर्स नगरी केमिकल्स एण्ड टार प्रोडक्ट, प्लाट नं. 3/ए, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	20.12.2024	उद्योग परिसर के प्रक्रिया क्षेत्र में स्थापित ड्रेन को उद्योग परिसर के बाहर स्थापित ड्रेन में जुड़ा होना पाया गया तथा उद्योग परिसर के भीतर ड्रेन न में दूषित जल का जमाव पाया गया, ठोस अपशिष्ट यथा ईटीपी स्लज का समुचित अपवहन नहीं किया जाना पाया गया व हाउसकीपिंग संतोषजनक नहीं पाई गई।	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 क के तहत दिनांक 20.12.2024 को नोटिस जारी किया गया। उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये- 1,30,000/- (रूपये-एक लाख तीस हजार मात्र) अधिरोपित की गई।	उद्योग द्वारा उनके पत्र दिनांक 02.01.2025 के माध्यम से सुधारात्मक कार्यवाही की जानकारी दी गई। तत्पश्चात् दिनांक 02.01.2025 को कार्यालयीन दल द्वारा निरीक्षण किया गया। उद्योग में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। क्षतिपूर्ति राशि जमा कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
5.	मेसर्स जया हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स प्रा.लि., प्लाट नं.12/जे एवं 13, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- जिला- दुर्ग	20.12.2024	उद्योग में दूषित जल उपचार संयंत्र यथा न्यूट्रलाइजेशन सह सेटलिंग टैंक का पूर्ण रूप से कार्य नहीं किया जाना पाया गया। ठोस अपशिष्ट यथा ईटीपी स्लज का समुचित अपवहन नहीं किया जाना पाया गया एवं हाउसकीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई।	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 क के तहत दिनांक 20.12.2024 को नोटिस जारी किया गया। उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये- 60,000/- अधिरोपित की गई।	उद्योग द्वारा उनके पत्र दिनांक 26.12.2024 के माध्यम से सुधारात्मक कार्यवाही की जानकारी दी गई। तत्पश्चात् दिनांक 26.12.2024 को कार्यालयीन दल द्वारा निरीक्षण किया गया। उद्योग में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। क्षतिपूर्ति राशि जमा कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
6.	मेसर्स इण्डियन पेट्रो कोल प्रोडक्ट्स, प्लाट नं. 23/सी, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	20.12.2024	उद्योग में दूषित जल उपचार संयंत्र यथा न्यूट्रलाइजेशन सह सेटलिंग टैंक का पूर्ण रूप से कार्य नहीं किया जाना पाया एवं सेटलिंग टैंक चोक पाया गया, ठोस अपशिष्ट यथा ईटीपी स्लज का समुचित अपवहन नहीं किया जाना पाया गया एवं हाउसकीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई।	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 क के तहत दिनांक 20.12.2024 को नोटिस जारी किया गया। उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये- 1,00,000/- (रूपये- एक लाख मात्र) अधिरोपित की गई।	उद्योग द्वारा उनके पत्र दिनांक 30.12.2024 के माध्यम से सुधारात्मक कार्यवाही की जानकारी दी गई। तत्पश्चात् दिनांक 02.01.2025 को कार्यालयीन दल द्वारा निरीक्षण किया गया। उद्योग में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। क्षतिपूर्ति राशि जमा कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
7.	मेसर्स कुसुम केमिकल प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 73-74 हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	20.12.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	-	-
8.	मेसर्स स्वर्णा होमकेयर प्रोडक्ट्स, प्लाट नंबर-123/बी, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	20.12.2024	उद्योग संचालित नहीं पाया गया। उद्योग विगत लगभग 2 वर्ष से बंद होना बताया गया।	-	-

9.	मेसर्स रेसीनेट केमिकल कंपनी प्लाट नंबर- 31-35, औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	20.12.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	-	-
10.	मेसर्स लायड टार प्रोडक्ट, प्लाट नंबर- 7, भारी औद्योगिक क्षेत्र, हथखोज, भिलाई, जिला- दुर्ग	20.12.2024	उद्योग संचालित नहीं पाया गया। उद्योग विगत लगभग 2-3 वर्षों से बंद होना बताया गया।	-	-
11.	मेसर्स एम.पी.टार प्रोडक्ट्स, प्लाट नंबर- 69-70, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	20.12.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	-	-
12.	मेसर्स टेथीस केम प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर- 17/एन, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	20.12.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	-	-
13.	मेसर्स टेथीस हाईड्रो कार्बन प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर- 37, इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज, भिलाई, जिला- दुर्ग	20.12.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	-	-
14.	मेसर्स सुप्रीम सिन्थ स्पेशलिटी प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर- 15/बी, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	20.12.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	-	-
15.	मेसर्स सुप्रीम इण्डस्ट्रीज, प्लाट नंबर- 12/एफ, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	20.12.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	-	-
16.	मेसर्स सुप्रीम सिन्थ इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर- 12/एच, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	20.12.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	-	-
17.	मेसर्स श्याम केमिकल, प्लाट नंबर- 15/सी, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	20.12.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	-	-

18.	मेसर्स भिलाई सीमेंट, ग्राम- ढाबा, जिला- दुर्ग	23.12.2024	उद्योग परिसर के भीतर स्थापित ड्रेन्स में दूषित जल एकत्रित पाया गया। ठोस अपशिष्ट यथा ईटीपी स्लज का समुचित अपवहन नहीं किया जाना पाया गया एवं हाउसकीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई।	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 क के तहत दिनांक 23.12.2024 को नोटिस जारी किया गया। उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये- 1,00,000/- (रूपये- एक लाख मात्र) अधिरोपित की गई।	उद्योग द्वारा उनके पत्र दिनांक 02.01.2025 के माध्यम से सुधारात्मक कार्यवाही की जानकारी दी गई। तत्पश्चात् दिनांक 02.01.2025 को कार्यालयीन दल द्वारा निरीक्षण किया गया। उद्योग में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। क्षतिपूर्ति राशि जमा कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
19.	मेसर्स एस.आर. इण्डस्ट्रीज, प्लॉट नं.- 91/ए, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	23.12.2024	ठोस अपशिष्ट यथा ईटीपी स्लज का समुचित अपवहन नहीं किया जाना पाया गया एवं हाउसकीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई।	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 क के तहत दिनांक 23.12.2024 को नोटिस जारी किया गया। उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये- 1,00,000/- (रूपये-एक लाख मात्र) अधिरोपित की गई।	उद्योग द्वारा उनके पत्र दिनांक 02.01.2025 के माध्यम से सुधारात्मक कार्यवाही की जानकारी दी गई। तत्पश्चात् दिनांक 02.01.2025 को कार्यालयीन दल द्वारा निरीक्षण किया गया। उद्योग में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। क्षतिपूर्ति राशि जमा कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
20.	मेसर्स एस.एस. इण्डस्ट्रीज, प्लॉट नं. 54/बी, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	23.12.2024	उद्योग परिसर के भीतर ड्रेन में दूषित जल का जमाव पाया गया।	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 क के तहत दिनांक 23.12.2024 को नोटिस जारी किया गया। उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये- 1,00,000/- (रूपये-एक लाख मात्र) अधिरोपित की गई।	उद्योग द्वारा उनके पत्र इस कार्यालय में प्राप्त दिनांक 02.01.2025 के माध्यम से सुधारात्मक कार्यवाही की जानकारी दी गई। तत्पश्चात् दिनांक 02.01.2025 को कार्यालयीन दल द्वारा निरीक्षण किया गया। उद्योग में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। क्षतिपूर्ति राशि जमा कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
21.	मेसर्स उत्कल हाइड्रो कार्बन्स, प्लॉट नं. 16, 16/बी एण्ड 16/सी, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	23.12.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	-	-
22.	मेसर्स कोलकेम, प्लॉट नं. 101, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	23.12.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	-	-

23.	मेसर्स शंकर केमिकल्स एंड ट्रेडिंग कम्पनी, (पूर्व नाम मेसर्स हिन्दुस्तान केमिकल एंड एल्युमिनियम इण्डस्ट्रीज) प्लॉट नं. 50, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला-दुर्ग	23.12.2024	उद्योग संचालित नहीं पाया गया। उद्योग विगत लगभग 8-9 माह से बंद होना बताया गया।	-	-
24.	मेसर्स जी.एन. इण्डस्ट्रीज, 50/डी, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	23.12.2024	उद्योग संचालित नहीं पाया गया। उद्योग विगत लगभग 6 माह से बंद होना बताया गया।	उद्योग की सम्मति वैधता समाप्त होने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 क के तहत दिनांक 24.12.2024 को उत्पादन बंद रखने/विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश जारी किया गया।	उद्योग वर्तमान में बंद है।
25.	मेसर्स जे.एस. आयल कंपनी, प्लॉट नम्बर 123/एफ, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	23.12.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	-	-
26.	मेसर्स स्टार एक्स टार प्रा.लि., प्लॉट नम्बर 147/बी, हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	23.12.2024	उद्योग संचालित नहीं पाया गया। उद्योग विगत लगभग 3-4 माह से बंद होना बताया गया।	-	-
27.	मेसर्स विष्णु केमिकल्स लिमिटेड, प्लॉट नम्बर-18-26, औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग	23.12.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	-	-


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर


परीशेष - चार

तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 626) की जानकारी

प्रपत्र

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2023 में विज्ञापित पदों, आवेदन संख्या, आवेदन शुल्क एवं विज्ञापित पदों हेतु स्वीकृत पद संरचना का विवरण

क्र.	पदनाम	सेट-अप में स्वीकृत कुल पद	विज्ञापित पदों की संख्या	आवेदन संख्या	आवेदन शुल्क राशि रु.		प्राप्त कुल राशि
					अनारक्षित / अ.पि.वर्ग	अनु.जाति / जनजाति	
1.	सहायक प्राध्यापक	227	38	977	1000.00	500.00	89,7500.00
2	प्रयोगशाला तकनीशियन	139	01	101	600.00	नि:शुल्क	34,800.00
			48	4950	1000.00		19,67,000.00
3	क्षेत्र विस्तार अधिकारी	119	36	4000	1000.00		17,65,000.00
4	प्रक्षेत्र सहायक	3	1	81	600.00		26,400.00
5	स्टेनोग्राफर	2	2	119	1000.00		27,000.00
6	सहायक ग्रेड-3	42	32	6453	1000.00		22,43,000.00
7	वाहन चालक	21	2	378	1000.00		25,6,000.00
8	भृत्य	80	5	1547	600.00		3,02,400.00
			12	3766	500.00		4,95,500.00
9	चौकीदार	2	2	323	600.00		34,800.00
10	स्वच्छक	2	2	227	600.00	1,31,400.00	
	योग	637	181	22922			81,80,800.00



(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र अ

- प्रदेश में स्थित अचल सम्पत्तियों की जानकारी

क्र.	जिला	जिले में स्थित वक्फ संस्था	मस्जिद	मدرसा	स्कूल	कॉलेज	ईदगाह	कबरस्तान	मजार/दरगाह/मकबरा	मकान	दुकान/मोताम	प्लॉट	ईनामबाड़ी/चौकी/कचला	खानकाह	सराये/मुसाफिर खाना/जमातखाना	कृषि भूमि	वक्फ अचल औलाद		कुल संख्या
																	मकान	कृषि भूमि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	रायपुर	110	44	9	4	0	13	14	35	383	292	6	3	0	1	1	25	2	832
2	बिलासपुर	59	31	3	4	1	5	20	11	51	21	2	0	0	0	297	27	928	1401
3	धमतरी	21	7	3	1	0	4	4	14	28	237	3	0	0	0	11	0	0	312
4	दुर्ग	75	37	4	0	0	1	27	10	4	36	2	3	0	0	1	0	0	125
5	दत्तवाड़ी	13	6	1	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
6	जांजगीर-बापा	47	19	3	1	0	7	22	0	25	5	1	2	0	2	4	0	0	91
7	जशपुर	19	5	1	0	0	0	10	0	2	0	1	1	0	0	1	0	0	21
8	कांकर	15	5	1	0	0	2	4	1	2	13	1	0	0	0	6	0	0	35
9	कबीरधाम	36	12	0	0	0	3	20	1	21	7	0	0	0	0	4	0	0	68
10	कोरबा	22	12	3	0	0	3	7	0	3	1	6	0	0	0	7	0	0	42
11	कोरिया	64	23	12	1	0	9	21	3	36	20	3	5	0	1	1	0	0	135
12	महासमुन्द	33	10	1	0	0	10	12	3	7	34	0	1	0	1	1	0	0	80
13	रायगढ़	27	8	5	0	0	2	10	3	7	36	0	0	0	3	0	0	0	74
14	राजनांदगांव	20	6	4	0	0	2	9	4	80	189	5	0	0	1	0	0	0	300
15	सरगुजा	70	16	5	0	0	5	32	5	76	2	17	10	0	0	58	0	0	226
16	बस्तर	8	4	1	1	0	1	1	3	10	33	0	0	0	0	1	0	0	55
17	बीजापुर	15	3	0	0	0	2	8	0	9	48	0	2	0	0	0	0	0	72
18	नारायणपुर	4	1	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
19	बालोद	47	6	3	1	0	3	28	8	3	0	0	0	0	2	0	0	0	54
20	बलौचबाजार-भाटापार	27	18	4	0	0	11	15	14	9	31	4	1	0	0	7	0	0	114
21	बलरामपुर	118	22	6	0	0	10	70	0	0	0	3	14	0	0	0	0	0	125
22	बेमेतरा	46	12	0	0	0	5	23	2	3	24	1	4	0	1	868	0	0	943
23	गरियाबंद	35	8	4	1	0	8	14	3	0	16	2	2	0	1	1	0	0	60
24	गोरिला-पेण्ड्रा-मरवाही	9	5	0	0	0	1	3	0	5	20	0	0	0	0	1	0	0	35
25	कोण्डागांव	14	3	1	1	0	3	2	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	16
26	मुंगेली	22	10	2	0	0	1	7	0	0	0	0	1	1	0	104	0	0	126
27	सुकमा	16	3	3	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
28	सूरजपुर	92	35	12	0	0	23	42	2	109	38	75	10	0	2	6	0	0	354
	कुल योग		371	92	17	1	142	434	124	874	1106	134	59	1	15	1380	52	930	5732

अनुभाष अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-ब


प्रदेश में वक्क बोर्ड के अंतर्गत ईमारतें व वक्क संस्था की जानकारी

क्र.	जिला	जिले में स्थित वक्क संस्था	मस्जिद	मदरसा	स्कूल	कॉलेज	मजार/दरगाह / मकबरा	मकान	दुकान/ मोदाम	ईमामबाड़ा/ चौकी/ कब्रवा	खानकाह	सराये/मुसाफिर खाना/ जमातखाना		कुल संख्या
												वक्क अलल ओलाद	मकान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	रायपुर	110	44	9	4	0	35	383	292	3	0	1	25	796
2	बिलासपुर	59	31	3	4	1	11	51	21	0	0	0	27	149
3	धमतरी	21	7	3	1	0	14	28	237	0	0	0	0	290
4	दुर्ग	75	37	4	0	0	10	4	36	3	0	0	0	94
5	दन्तेवाड़ा	13	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
6	जाजगीर-चांपा	47	19	3	1	0	0	25	5	2	0	2	0	57
7	जशपुर	19	5	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	9
8	कांकेर	15	5	1	0	0	1	2	13	0	0	0	0	22
9	कबीरधाम	36	12	0	0	0	1	21	7	0	0	0	0	41
10	कोरबा	22	12	3	0	0	0	3	1	0	0	0	0	19
11	कोरिया	64	23	12	1	0	3	36	20	5	0	1	0	101
12	महासमुन्द	33	10	1	0	0	3	7	34	1	0	1	0	57
13	रायगढ़	27	8	5	0	0	3	7	36	0	0	3	0	62
14	राजनांदगांव	20	6	4	0	0	4	80	189	0	0	1	0	284
15	सरगुजा	70	16	5	0	0	5	76	2	10	0	0	0	114
16	बस्तर	8	4	1	1	0	3	10	33	0	0	0	0	52
17	बीजापुर	15	3	0	0	0	0	9	48	2	0	0	0	62
18	नारायणपुर	4	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4
19	बालोद	47	6	3	1	0	8	3	0	0	0	2	0	23
20	बलौदाबाजार-माटापारा	27	18	4	0	0	14	9	31	1	0	0	0	77
21	बलरामपुर	118	22	6	0	0	0	0	0	14	0	0	0	42
22	बेमेतरा	46	12	0	0	0	2	3	24	4	0	1	0	46
23	गरियाबंद	35	8	4	1	0	3	0	16	2	0	1	0	35
24	गौरला-पेण्ड्रा-नरवाही	9	5	0	0	0	0	5	20	0	0	0	0	30
25	कोण्डागांव	14	3	1	1	0	0	1	3	0	0	0	0	9
26	मुंगेली	22	10	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13
27	सुकमा	16	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8
28	सूरजपुर	92	35	12	0	0	2	109	38	10	0	2	0	208
	कुल योग	1084	371	92	17	1	124	874	1106	59	0	15	52	2711

अनुभाष अधिकारी
 अस्मिन् जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, बहा सयपुर

दिनांक 01.12.2018 से 31.01.2024 तक केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि एवं व्यय


केन्द्र सरकार (सी.डब्ल्यू.सी.)	प्राप्त राशि	व्यय का विवरण	व्यय राशि
		वेतन व्यय	482216
सी.डब्ल्यू.सी. कौमी वक्फ बोर्ड तरकियाती योजना में	2314805.00	बैंक शुल्क	1031.8
		फोटो कापी एवं कम्प्यूटर मरम्मत	162520
		डिजाइनर एवं मुद्रण	93330
		इलेक्टिक एवं वायरिंग बोर्ड	20741
		स्टेशनरी	108587
		मिस्लिनियस व्यय	45234
		यात्रा व्यय	104540
		उर्दू से हिन्दी अनुवाद	34981
		विज्ञापन	6955
		टी.वी.केबल	6254
		जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली	369380
		सी.डब्ल्यू.सी. को वेतन वापसी	520938
		मुतवल्ली वर्क्स शाप	112957
		वीडियो कान्फेन्स	8850
		ऑडिट फिस	64800
	2314805		2143314.8


 अनुभाम अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नक्का रायपुर

1 दिसम्बर, 2018 से 31 जनवरी 2024 तक राज्य सरकार से प्राप्त राशि का व्यय

(राशि रुपये में)

राज्य सरकार	राशि	व्यय का विवरण	व्यय राशि
राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त अनुदान	62800000	वेतन	29122437.00
		विज्ञापन व्यय	1517873.00
		बैंक चार्ज	138.26
		बुक व मैगजिन प्रिन्ट	561414.00
		कार व्यय	2368726.00
		टोनर कम्प्यूटर फोटो मशीन मरम्मत	1899413.00
		विद्युत शुल्क	909212.00
		विद्युत मरम्मत	15470.00
		सेमीनर	976533.00
		टी.डी.एस.	143484.00
		मजदूरी व्यय	582.00
		अधिवक्ता फीस	2089444.00
		बोर्ड मिटिंग व्यय	3000.00
		सामान्य व्यय	836537.00
		दैनिक समाचार पत्र व्यय	19985.00
		कार्यालय किराया	150000.00
		पेट्रोल व्यय	95405.00
		डाक शुल्क	514003.00
		प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी व्यय	2075277.00
		मरम्मत रखरखाव व्यय	167265.00
		दूरभाष व्यय	377420.00
		त्योहार	130508.00
		कार्यालय व्यय	554150.00
		फोटोग्राफी व्यय	24605.00
		सूचना बोर्ड व्यय	51442.00
		यात्रा व्यय	2444763.00
		पानी व्यय	28455.00
		कोविड व्यय	145883.00
चिकित्सा व्यय	29348.00		
डिजिटलईजेशन रिकार्ड	6487542.00		
म्यूटेशन	89500.00		
योग	62800000	-	53829814.26


अनुभाष अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - छ:

तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 808) की जानकारी

परिशिष्ट "अ"
विकासखण्डवार, विधानसभा क्षेत्रवार संस्थाओं की संख्या एवं अधीक्षक के स्वीकृत पदों की जानकारी

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकास खण्ड	संस्थाओं की संख्या						छात्रावास अधीक्षक के स्वीकृत पदों की संख्या
			छात्रावास		आश्रम शाला		योग		
			बालक	कन्या	बालक	कन्या			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

जिला- राजनांदगांव

1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	6	7	1	1	1	15	15
2	डोगरगढ़		1	0	1	0	0	2	2
3	डोगरगढ़	डोगरगढ़	3	4	0	1	1	8	8
4	डोगरगांव		2	3	1	1	1	7	7
5	डोगरगांव	डोगरगांव	3	2	0	0	0	5	5
6	खुज्जी	छुरिया	4	3	1	1	1	9	9
योग-			19	19	4	4	4	46	46

जिला-मानपुर-मोहला-अं.चौकी

1	खुज्जी	अं.चौकी	8	8	1	2	2	19	19
2		अं.चौकी	4	4	1	2	2	11	11
3	मोहला-मानपुर	मोहला	9	9	3	6	6	27	27
4		मानपुर	18	7	3	6	6	34	34
योग-			39	28	8	16	16	91	91

Dr. Anurag
अनुशासक अधिकारी

छत्तीसगढ़ शासन

आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अहमदाबाद एवं
विभाग: अर्थ विभाग, राजनांदगांव, राजनांदगांव, 491001

परिशिष्ट - "ब"
विकासखण्डवार, विधानसभा क्षेत्रवार पुरुष एवं महिला अधीक्षक, प्रभारी अधीक्षक एवं अन्य स्टाफ की जानकारी

क्र.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	विकासखण्ड	संस्थाओं में पदस्थ अधीक्षकों की संख्या										अन्य स्टाफ की संख्या		
			छात्रावास					आश्रम					नियमित	दैनिकी / अशकालीन	योग
			पुरुष अधीक्षक	महिला अधीक्षक	पुरुष प्रभारी अधीक्षक	महिला प्रभारी अधीक्षक	योग	पुरुष अधीक्षक	महिला अधीक्षक	पुरुष प्रभारी अधीक्षक	महिला प्रभारी अधीक्षक	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
जिला-राजनांदगांव															
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	6	3	1	3	13	0	0	1	1	2	18	64	82
	डोंगरगढ़		1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	9	10
2	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	2	2	2	1	7	0	0	0	2	2	11	29	40
	डोंगरगढ़		1	1	1	2	5	0	0	1	0	1	4	15	19
3	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	3	0	0	2	5	0	0	0	0	0	4	17	21
4	खुज्जी	छुरिया	3	2	1	1	7	0	0	1	1	2	8	30	38
		योग-	16	8	5	9	38	1	0	3	4	8	46	164	210
जिला-मोहला-मानपुर-अं. चौकी															
1	खुज्जी	अं. चौकी	6	4	2	4	16	0	0	1	2	3	17	56	73
2		अं. चौकी	3	2	1	2	8	0	0	1	2	3	12	31	43
3	मोहला-मानपुर	मोहला	6	5	3	4	18	1	0	2	6	9	14	78	92
4		मानपुर	9	1	9	6	25	1	0	2	6	9	28	84	112
		योग-	24	12	15	16	67	2	0	6	16	24	71	249	320

Amritya
अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन

आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
विहड़ा वर्ग विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - सात

तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 941) की जानकारी

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 941 अंतर्गत 01 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2025 तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत आश्रम शालाओं/ छात्रावासों/ अन्य में सोलर लाइट की स्वीकृति की जानकारी

प्रपत्र

क्र	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं क्रमांक	वित्तीय वर्ष	आश्रम शालाओं/ छात्रावासों/ अन्य में सोलर लाइट की स्वीकृति संबंधित कार्य	स्वीकृत राशि लाख रु में	स्वीकृत कार्य की निविदा/टेंडर जारी किये जाने का माध्यम	स्वीकृत कार्य की निविदा/टेंडर जारी किये जाने की तिथि	निविदा में भाग लेने वाली एजेंसियों का नाम	चयनित एजेंसियों का कार्यदेश जारी होने का दिनांक	स्वीकृत कार्य की जनवरी 2025 तक अद्यतन स्थिति		कार्य अपूर्ण होने का कारण	समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने का कारण
										पूर्ण	अपूर्ण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	राजनांदगाव	डोंगरगाव 60	01.01.2022 से 31.03.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	राजनांदगाव	डोंगरगाव 60	01.04.2022 से 31.03.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	राजनांदगाव	डोंगरगाव 60	01.04.2023 से 31.03.2024	1 पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास में सोलर / हाई मास्क लाइट 2-आदिवासी बालक आश्रम में सोलर / हाई मास्क लाइट दीवानटोला 3 आदिवासी कन्या आश्रम में सोलर / हाई मास्क लाइट सीतागोटा 4 प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास में सोलर / हाई मास्क लाइट 5 प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में सोलर / हाई मास्क लाइट	6.21 6.21 6.21 6.21	जेम पोर्टल (बी. आई.डी क्रमांक-जेम/2024/8/5719854) के माध्यम से	17.12.2024	1. लाइटके सॉल्यूशन(नागपुर, एम. एच.) 2. सचिन कुमार गर्ग (सूरजपुर, सी.जी.) 3. महामाया बर्तन भंडार (सूरजपुर, सी. जी.) 4. वीरेंद्र कुमार गुप्ता (मनैंद्रगढ़, सी. जी.)	कार्यदेश जारी नहीं किया गया है।	-	अपूर्ण	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निविदा दिनांक 27.12.2024 को खोला गया, जिसमें 4 फर्म द्वारा आवेदन किया गया है। एक आवेदक द्वारा सेम्पल जमा किये जाने हेतु अतिरिक्त समय मांगा गया था, जिसका निराकरण किया जा चुका है। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी किये जाने के कारण जिला स्तरीय क्रय समिति की बैठक आयोजित नहीं हो पायी है, अतः कार्यदेश जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है।	

अनुभाग अधिकारी
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 941 अंतर्गत 01 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2025 तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत आश्रम शालाओं/छात्रावासों/अन्य में सोलर लाइट की स्वीकृति की जानकारी

क्र	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं क्रमांक	वित्तीय वर्ष	आश्रम शालाओं/छात्रावासों/अन्य में सोलर लाइट की स्वीकृति संबंधित कार्य	स्वीकृत राशि लाख रु में	स्वीकृत कार्य की निविदा/टेंडर जारी किये जाने का माध्यम	स्वीकृत कार्य की निविदा/टेंडर जारी किये जाने की तिथि	निविदा में भाग लेने वाली एजेंसियों का नाम	चयनित एजेंसियों का कार्यदेश जारी होने का दिनांक	स्वीकृत कार्य की जनवरी 2025 तक अद्यतन स्थिति		कार्य अपूर्ण होने का कारण	समयावधि में कार्य पूर्ण नही होने का कारण
										पूर्ण	अपूर्ण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		डोंगरगांव 60		6 प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में सोलर / हाई मास्क लाइट तुमडीबोड़	6.21	जेम पोर्टल (बी. आई.डी क्रमांक-जेम/2024/8/5719854) के माध्यम से	17.12.2024	1. लाइटक सॉल्यूशन(नागपुर, एम.एच.) 2. सचिन कुमार गर्ग (सूरजपुर, सी.जी.) 3. महामाया बर्तन भंडार (सूरजपुर, सी.जी.) 4. वीरेंद्र कुमार गुप्ता (मनैद्रगढ़, सी.जी.)	कार्यदेश जारी नहीं किया गया है।	-	अपूर्ण	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निविदा दिनांक 27.12.2024 को खोला गया, जिसमें 4 फर्म द्वारा आवेदन किया गया है। एक आवेदक द्वारा सेम्पल जमा किये जाने हेतु अतिरिक्त समय मांगा गया था, जिसका निराकरण किया जा चुका है। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी किये जाने के कारण जिला स्तरीय क्रय समिति की बैठक आयोजित नहीं हो पायी है, अतः कार्यदेश जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है।
				7 पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास में सोलर / हाई मास्क लाइट डोंगरगांव	6.21								
				8 प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास में सोलर / हाई मास्क लाइट	6.21								
				9 प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास में सोलर / हाई मास्क लाइट कोटीटोला	6.21								
				10 प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास में सोलर / हाई मास्क लाइट झारभाना	6.21								
4	राजनांदगांव	डोंगरगांव 60	01.04.2024 से 31.01.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				योग	62.10								

अनुभाग अधिकारी
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

01 जनवरी, 2023 से 31/01/2025 की स्थिति में अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में फ्लाई ऐश भराव हेतु जारी अनुमति का विवरण

क्र.	उद्योग का नाम व पता	वर्ष	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	रकबा	क्षमता (मी.टन)
1	2	3	4	5	6	7
01 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक						
1.	मेसर्स के.एस.के. महानदी पॉवर कंपनी लिमिटेड, ग्राम-नरियरा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	2023	ग्राम-तरोद, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	2111	1.822 हेक्टेयर	4,70,000
		2023	ग्राम-पौना, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	11/1	3.147 हेक्टेयर	1,50,000
		2023	ग्राम-कल्याणपुर, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	779/1,	17.5 हेक्टेयर	65,000
		2023	ग्राम-किरारी, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	116/1, 116/32, 116/33, 116/37	1.307 हेक्टेयर	22,000
		2023	ग्राम-लटिया, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	364/2, 365/2, 365/3	0.684 हेक्टेयर	25,000
		2023	ग्राम पंचायत पकरिया (झूलन), तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	1857/2, 1880/1, 1765/1क	5.964 हेक्टेयर	20,000
		2023	ग्राम-बनाहिल, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	209/10	0.1620 हेक्टेयर	1500
		2023	ग्राम-तरोद, तहसील-अकलतरा, जिला- जांजगीर-चांपा	886/1क	1.44 हेक्टेयर	1,50,000
		2023	ग्राम-अमोरा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	754/1	0.19 हेक्टेयर	10,000
		2023	ग्राम-सांकर, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	107/1	11.319 हेक्टेयर	25,000
		2023	ग्राम-अकलतरा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	1173/20	0.11 हेक्टेयर	6,000
		2023	ग्राम-किरारी, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	5/1	1.505 हेक्टेयर	8,000
		2023	प्लॉट नं. 124, औद्योगिक क्षेत्र कापन, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	11/1	0.0625 हेक्टेयर	3,000
		2023	ग्राम-परसाही (नाला), तहसील- अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	391/1, 391/2	0.7000 हेक्टेयर	15,000
		2023	ग्राम-नरियरा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	1700, 1701/3	0.919 हेक्टेयर	5,000
		2023	ग्राम-तागा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	176/1क	5.260 हेक्टेयर	25,000
2.	मेसर्स अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत गृह, (पूर्वनाम- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित), ग्राम-मड़वा-तेन्दुभाठा, जिला-जांजगीर-चांपा	2023	ग्राम-खोहा, तहसील-बलोदा, जिला-जांजगीर-चांपा	1529/3	0.0280 हेक्टेयर	54,000
		2023	ग्राम-ओराईकला, तहसील-बलोदा, जिला-जांजगीर-चांपा	67/10, 67/14, 1027/1ज/8, 1027/1/झ/9, 2000/1, 2016, 91/8, 435/2, 479/3, 480, 611/3, 640	1.1282 हेक्टेयर	
		2023	ग्राम-करूमहू, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	320/5, 320/7	0.344 हेक्टेयर	

		2023	ग्राम-हरदी विशाल, तहसील-बलोदा, जिला-जांजगीर-चांपा	677/2, 628/4, 628/6, 848/1, 924/1, 924/2	0.417 हेक्टेयर	
		2023	ग्राम-तिलई, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	544/1, 544/3, 557/2, 1146/1, 1136, 1145/1, 1145/3	1.214 हेक्टेयर	
		2023	ग्राम-ओराईकला, पोस्ट-सरखों, तहसील-बलोदा, जिला-जांजगीर-चांपा	194/1/क	25.8880 हेक्टेयर	1,75,000
		2023	ग्राम-तिलई, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	1078/1, 1078/3, 1157/1, 1205/1	0.607 हेक्टेयर	40,000
		2023	ग्राम-ओराईकला, तहसील-बलोदा, जिला-जांजगीर-चांपा	856, 1410, 1997	6.107 हेक्टेयर	600
		2023	ग्राम-तिलई, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	355/1	12.465 हेक्टेयर	3000
		2023	ग्राम-खिसोरा, तहसील-बलोदा, जिला-जांजगीर-चांपा	532/2	0.125 हेक्टेयर	6,000
		2023	ग्राम-ओराईखुर्द, तहसील-बलोदा, जिला-जांजगीर-चांपा	3/1, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7	1.04 हेक्टेयर	47,000
		2023	ग्राम-बैजलपुर, तहसील-बलोदा, जिला-जांजगीर-चांपा	392/2, 394/1, 394/4	0.262 हेक्टेयर	52,000
		2023	ग्राम-जर्वे (ब), तहसील-बलोदा, जिला-जांजगीर-चांपा	271/2	0.0117 हेक्टेयर	5,800
		2023	ग्राम-तिलई, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	1081/1, 1082/3, 1089, 1090, 1091	0.595 हेक्टेयर	16,200
		2023	ग्राम-करमा, तहसील-बलोदा, जिला-जांजगीर-चांपा	62/1	7.916 हेक्टेयर	8,000

01 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक

3.	मेसर्स के.एस.के. महानदी पॉवर कंपनी लिमिटेड, ग्राम-नरियरा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	2024	ग्राम-खिसोरा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	1324/1, 1324/3, 1324/4, 1494/2, 1494/4, 1494/5	1.416 हेक्टेयर	15,000
		2024	ग्राम-लटिया, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	362/1, 364/1, 365/1, 368/1	1.441 हेक्टेयर	68,000
		2024	ग्राम-पकरिया, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	985/1, 985/2, 985/3, 985/4	1.1360 हेक्टेयर	24,000
		2024	औद्योगिक क्षेत्र कापन, प्लॉट नं. 53 व 54, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	11/1	0.30 हेक्टेयर	12,000
		2024	औद्योगिक क्षेत्र कापन, प्लॉट नंबर-90, 91, 92 तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	11/1	0.30 हेक्टेयर	15,000
4.	मेसर्स आर.के.एम. पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	2024	ग्राम-देवरी, तहसील-शिवरीनारायण, जिला-जांजगीर-चांपा	2/2, 71/3	0.887 हेक्टेयर	50,000
5.	मेसर्स शांति जी.डी. इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-महुदा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा	2024	ग्राम-महुदा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा	1508	1.6190 हेक्टेयर	20,000
6.	मेसर्स अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत गृह, (पूर्वनाम-छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित), ग्राम-मड़वा-तेन्दुभाठा, जिला-जांजगीर-चांपा	2024	ग्राम-चारपारा, तहसील-बलोदा, जिला-जांजगीर-चांपा	353/2, 353/3, 353/4, 353/5, 362	0.365 हेक्टेयर	7,000
		2024	ग्राम-बलोदा, तहसील-बलोदा, जिला-जांजगीर-चांपा	1526/1, 1526/3, 1527	0.587 हेक्टेयर	20,000
		2024	ग्राम-ओराईखुर्द, तहसील-बलोदा, जिला-जांजगीर-चांपा	4/1	5.260 हेक्टेयर	35,000
		2024	ग्राम-टिगीपुर, तहसील-बलोदा, जिला-जांजगीर-चांपा	168/1	0.1940 हेक्टेयर	2,400

		2024	ग्राम-जर्वे(च), तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा	157/1	5.666 हेक्टेयर	1250
		2024	ग्राम-बुचीहरदी, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	39, 41, 43, 44	0.4210 हेक्टेयर	25,000
		2024	ग्राम-करमंदा, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा	1055, 1054/1	0.409 हेक्टेयर	30,000
		2024	ग्राम-मौहार, ग्राम पंचायत औराईकला, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा	2172, 2179/1	0.254 हेक्टेयर	15,000
		2024	ग्राम-तिलई, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	1087/1, 1087/2, 1087/3, 1098/1, 1098/2, 1149/3, 1149/4, 1149/5, 1149/6	0.713 हेक्टेयर	20,677
		2024	ग्राम-खिसोरा, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा	175/1	0.1780 हेक्टेयर	17,860
		2024	ग्राम-पंतोरा, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा	283/2	0.2630 हेक्टेयर	10,700
		2024	ग्राम-करमंदा, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा	807/1, 807/2, 807/3, 807/4, 807/5	0.2470 हेक्टेयर	10,000
		2024	ग्राम-नवागांव, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा	302/5, 303/3, 304/3	0.38 हेक्टेयर	17,700
		2024	ग्राम-जर्वे, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा	1144/5	0.4660 हेक्टेयर	13,500
7.	मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-अमझर, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा	2024	ग्राम-महुदा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा	1508/11, 1508/12	3.238 हेक्टेयर	20,000
माह जनवरी 2025						
8.	मेसर्स अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत गृह, (पूर्वनाम- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित), ग्राम-मड़वा-तेन्दुभाठा, जिला-जांजगीर-चांपा	2025	ग्राम-करहीडीह, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	1/46	0.607 हेक्टेयर	40,000
		2025	ग्राम-नवागांव, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा	302/2, 302/3, 302/4, 302/4	0.928 हेक्टेयर	43,000
		2025	ग्राम-भैसतरा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	1154	0.2020 हेक्टेयर	5,000
		2025	ग्राम-कुरमा, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा	233	0.1130 हेक्टेयर	4,000
		2025	ग्राम-औराईकला, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा	2128, 2139	0.324 हेक्टेयर	9,000
		2025	ग्राम-औराईकला, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा	2136	0.239 हेक्टेयर	6,500
		2025	ग्राम-औराईकला, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा	2172, 2179/1, 2180	0.408 हेक्टेयर	11,000


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - नौ

प्रपत्र

तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 821) की जानकारी

प्रश्नाधीन अवधि में उद्योग में किये गये जाँच, पाई गई स्थिति एवं की गई कार्यवाही सम्बन्धी जानकारी

क्र.	वर्ष	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1.	2022-23	19/05/2022	देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी	स्थिति सामान्य पाई गई।	आगामी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		26/05/2022	संजय मिश्रा, प्रयोगशाला सहायक, हरिशंकर सोनी प्रयोगशाला सहायक	स्थिति सामान्य पाई गई।	आगामी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		20/06/2022	के.पी. तिवारी, प्रभारी रसायनज्ञ संजय मिश्रा, प्रयोगशाला सहायक	स्थिति सामान्य पाई गई।	आगामी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		17/08/2022	के.पी. तिवारी, प्रभारी रसायनज्ञ संजय मिश्रा, प्रयोगशाला सहायक	स्थिति सामान्य पाई गई।	आगामी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		07/10/2022	देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी	स्थिति सामान्य पाई गई।	आगामी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		15/11/2022	मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता, राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव, वैज्ञानिक, जितेन्द्र सिंह, रसायनज्ञ, संजय मिश्रा, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड - 02	उद्योग के पीछे ग्राम-सांवरियाडेरा के पास उद्योग से अनुपचारित काला पानी छोड़ा जाना पाया गया, जिसका आगे हसदेव नदी में मिलना पाया गया। साथ ही गांव कोटाडबरी में उद्योग से छोटे नाले के माध्यम से गंदा पानी तालाब में निष्कासित होना पाया गया।	उद्योग को पत्र दिनांक 23/11/2022 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया।
		13/12/2022	देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी	जारी नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारार्थक कार्यवाही किया जाना पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई।	आगामी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
2023-24	23/11/2023	जितेन्द्र सिंह, रसायनज्ञ, संजय मिश्रा, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड - 02	स्थिति सामान्य पाई गई।	आगामी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।	
		04/03/2024	मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव, वैज्ञानिक, के.पी. तिवारी, प्रभारी रसायनज्ञ	<ol style="list-style-type: none"> उद्योग परिसर में दो स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन परिणाम निर्धारित मानक से अधिक पाया गया। उद्योग के पॉवर प्लांट इकाई के एफ.बी.बी. 04 एवं एफ.बी.बी. 06 में चिमनी उत्सर्जन मापन परिणाम निर्धारित मानक से अधिक पाया गया। उद्योग में ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से भण्डारण एवं निपटान नहीं किया जाना पाया गया। गारलैण्ड ड्रेन का संधारण कार्य नहीं किया जाना पाया गया। सी.एच.पी. यार्ड में कोल अनलोडिंग के दौरान प्रदूषण की स्थिति पायी गई। रॉ मटेरियल (आयरन ओर) का भण्डारण नियमानुसार नहीं किया जाना पाया। उद्योग से दूषित जल बिना उपचारित किये उद्योग से बाहर छोड़ा जाना पाया। किल्न नंबर 03 से 06 तक फ्युजीटिव डस्ट का उत्सर्जन पाया गया। परिसंकटमय अपशिष्ट का भण्डारण निर्धारित अवधि (180 दिन) से अधिक दिनों तक किया जाना पाया। फैक्ट्री गेट पर परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु स्थापित डिस्पले बोर्ड को नियमानुसार अद्यतन किया जाना नहीं पाया। 	उद्योग को पत्र दिनांक 05/03/2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31क' के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया।

	27/03/2024	मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव, वैज्ञानिक, के.पी. तिवारी, प्रभारी रसायनज्ञ	जारी नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही नहीं किया जाना पाया गया।	उद्योग को पत्र दिनांक 09/04/2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31क' के अंतर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रु. 7.20 लाख अधिरोपण संबंधी निर्देश जारी किया गया।
2024-25	30/05/2024	मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	जारी निर्देश के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई।	उद्योग के द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रु. 7.20 लाख दिनांक 22/05/2024 को जमा की गई. आगामी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
	03/06/2024	के.पी. तिवारी, प्रभारी रसायनज्ञ	वायु विश्लेषण परिणाम निर्धारित मानक से अधिक पाया गया।	उद्योग पर पत्र दिनांक 29/10/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि दिनांक 05/11/2024 जमा की गई है।
	07/08/2024	संजय मिश्रा, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड - 02	स्थिति सामान्य पाई गई।	आगामी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
	28/11/2024	के.सी. साहू, वैज्ञानिक अजय भगत, कनिष्ठ वैज्ञानिक	स्थिति सामान्य पाई गई।	आगामी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
	24/01/2025	अभय मिश्रा, प्रभारी रसायनज्ञ हरीश तिवारी, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड - 01	स्थिति सामान्य पाई गई।	आगामी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

०६.
24-25)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - दस
तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 328) की जानकारी

प्रपत्र-अ

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	योजना का नाम	यंत्र का नाम	प्रदाय सामग्री संख्या
1	2	3	4	5	6
1	2022-23 (01.01.2023 से 31.03.2023 तक)	बसना	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कम्बाईन हार्वेस्टर	2
				मिनी राईस मिल	1
				शेसर	4
				रोटावेटर	8
				ट्रैक्टर	2
				अबिका पैडी वीडर	112
				ट्रैक्टर	4
				कल्टीवेटर	4
				सीड ड्रिल	4
				स्प्रेयर	4
शेसर	4				
2		पिथौरा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कम्बाईन हार्वेस्टर	3
				कल्टीवेटर	1
				मिनी राईस मिल	1
				शेसर	11
				रोटावेटर	4
				ट्रैक्टर	19

Handwritten signature and initials

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	योजना का नाम	यंत्र का नाम	प्रदाय सामग्री संख्या
1	2	3	4	5	6
2	2022-23 (01.01.2023 से 31.03.2023 तक)	पिथौरा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	ट्रैक्टर कल्टीवेटर सीड ड्रिल स्प्रेयर कम्बाईन हार्वेस्टर	1 1 1 1 1
			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) हस्त/बैल चलित यंत्र	अंबिका पैडी वीडर	115
			योग 2022-23 (01.01.2023 से 31.03.2023 तक)		308
3	2023-24	बसना	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	थेसर रोटावेटर ट्रैक्टर ट्रैक्टर कल्टीवेटर सीड ड्रिल स्प्रेयर थेसर कम्बाईन हार्वेस्टर	1 5 8 3 2 2 2 1 1
			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना		

Handwritten signature


क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	योजना का नाम	यंत्र का नाम	प्रदाय सामग्री संख्या
1	2	3	4	5	6
4	2023-24	पिथौरा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कम्बाईन हार्वेस्टर कल्टीवेटर थ्रेसर पॉवर वीडर रोटावेटर स्व-चलित राईस ट्रांसप्लांटर ट्रैक्टर	6 6 1 8 2 7 2 25 76
योग 2023-24					
5	2024-25 (दिनांक 20.01.2025 तक)	बसना	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	कम्बाईन हार्वेस्टर थ्रेसर ट्रैक्टर कल्टीवेटर सीड ड्रिल स्प्रेयर रीपर थ्रेसर कम्बाईन हार्वेस्टर	1 4 9 7 7 7 5 5 2

[Handwritten signature]

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	योजना का नाम	यंत्र का नाम	प्रदाय सामग्री संख्या
1	2	3	4	5	6
6	2024-25 (दिनांक 20.01.2025 तक)	पिथौरा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कम्बाईन हार्वेस्टर रोटावेटर स्व-चलित राईस ट्रांसप्लान्टर थ्रेसर ट्रेक्टर	3 2 1 9 12
योग 2024-25 (दिनांक 20.01.2025 तक)					
महायोग					
					74
					458


(विकास विभागा)
उप-सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर


नोडल अधिकारी (वि.स.)
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	योजना का नाम	यंत्र का नाम	प्रदाय संख्या	देय अनुदान राशि रु. लाख में	प्रदायक संस्था को भुगतान की गई राशि		प्रदायक संस्था को भुगतान हेतु लंबित राशि		रिमार्क	
							संख्या	राशि	संख्या	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2022-23 (01.01.2023 से 31.03.2023 तक)	बसना	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कम्बाइन हार्वेस्टर	2	22.00	2	22.00	0	0.00	0.00	
				मिनी राईस मिल थ्रेसर	1	0.71	1	0.71	0	0.00		
				रोटावेटर ट्रैक्टर	4	3.90	4	3.90	0	0.00		
					8	3.13	8	3.13	0	0.00		
					2	8.47	2	8.47	0	0.00		
				अबिका पैडी वीडर	112	0.67	112	0.67	0	0.00		
				ट्रैक्टर	4		4		0			
				कल्टीवेटर	4		4		0			
				सीड ड्रिल स्प्रेयर	4	16.00	4	16.00	0	0.00		
				थ्रेसर	4		4		0			
2		पिथौरा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कम्बाइन हार्वेस्टर	3	33.00	3	33.00	0	0.00	0.00	
				कल्टीवेटर	1	0.11	1	0.11	0	0.00		
				मिनी राईस मिल थ्रेसर	1	0.44	1	0.44	0	0.00		
					11	10.80	11	10.80	0	0.00		
				रोटावेटर ट्रैक्टर	4	1.70	4	1.70	0	0.00		
					19	82.26	19	82.26	0	0.00		

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	योजना का नाम	यंत्र का नाम	प्रदाय संख्या	देय अनुदान राशि रु. लाख में	प्रदायक संस्था को भुगतान की गई राशि		प्रदायक संस्था को भुगतान हेतु लंबित राशि		रिमांक						
							संख्या	राशि	संख्या	राशि							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
2	2022-23 (01.01.2023 से 31.03.2023 तक)	पिथौरा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) हस्त/बैल चालि यंत्र	अबिका पेडी वीडर	115	0.68	115	0.68	0	0.00	0.00						
				ट्रैक्टर	1		1		0		0						
				कल्टीवेटर	1		1		0		0						
				सीड ड्रिल	1	10.00	1	10.00	0	10.00	0		0.00				
				स्प्रेयर	1		1		0		0		0.00				
				कम्बाईन हार्वेस्टर	1		1		0		0		0.00				
				योग 2022-23 (01.01.2023 से 31.03.2023 तक)				308	193.87	308	193.87		0	0	0		
				3	2023-24	बसना	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	शेसर	1	1.00	1		1.00	0	0.00	0.00	
								रोटावेटर	5	2.24	5		2.24	0	0.00	0.00	
								ट्रैक्टर	8	33.29	8		33.29	0	0.00	0.00	
ट्रैक्टर	3		3						0		0						
कल्टीवेटर	2		2						0		0						
सीड ड्रिल	2	14.00	2					14.00	0	0.00	0.00						
स्प्रेयर	2		2						0		0						
कम्बाईन हार्वेस्टर	1		1						0		0						
शेसर	1		1						0		0						
कम्बाईन हार्वेस्टर	6	66.00	6					66.00	0	0.00	0.00						
4	2023-24	पिथौरा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कल्टीवेटर	1	0.12	1	0.12	0	0.00	0.00						
				शेसर	8	8.00	8	8.00	0	0.00	0.00						
				पॉवर वीडर	2	1.13	2	1.13	0	0.00	0.00						
				रोटावेटर	7	2.78	7	2.78	0	0.00	0.00						
				स्व-चालित राईस	2	9.49	2	9.49	0	0.00	0.00						
				ट्रैक्टर	25	111.52	25	111.52	0	0.00	0.00						
				योग 2023-24				76	249.57	76	249.57		0	0	0		

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	योजना का नाम	यंत्र का नाम	प्रदाय संख्या	देय अनुदान राशि रु. लाख में	प्रदायक संस्था को भुगतान की गई राशि		प्रदायक संस्था को भुगतान हेतु लंबित राशि		रिमांक	
							संख्या	राशि	संख्या	राशि		
1	2024-25 (दिनांक 20.01.2025 तक)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	2024-25 (दिनांक 20.01.2025 तक)	बसना	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कम्बाईन हार्वेस्टर	1	11.00	1	11.00	0	0	0	फर्म/ प्रदायक संस्था को कृषि यंत्र के भुगतान हेतु लंबित कुल 1 कृषि यंत्रों की अनुदान राशि रुपये 0.98 लाख के देयक माह जनवरी में प्राप्त हुये हैं, जिनके परीक्षण उपरंत भुगतान की कार्यवाही माह फरवरी में की जावेगी।
				शेसर	4	3.93	3	2.95	1	0.98		
				ट्रैक्टर	9		9		0			
				कल्टीवेटर	7		7		0			
				सीड ड्रिल	3		3		0			
				स्प्रेयर	7		7		0			
				कम्बाईन हार्वेस्टर	2	40.00	2	40.00	0	0.00		
				सीड कम	4		4		0			
				फर्टिलाईजर ड्रिल	5		5		0			
				सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर	5		5		0			
6	2024-25 (दिनांक 20.01.2025 तक)	पिथौरा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कम्बाईन हार्वेस्टर	3	33.00	2	22.00	1	11.00	फर्म/ प्रदायक संस्था को कृषि यंत्र के भुगतान हेतु लंबित कुल 6 कृषि यंत्रों की अनुदान राशि रुपये 21.77 लाख के देयक माह जनवरी में प्राप्त हुये हैं, जिनके परीक्षण उपरंत भुगतान की कार्यवाही माह फरवरी में की जावेगी।	
				रोटावेटर	2	0.84	0	0.00	2	0.84		
				स्व-चलित राईस	1	2.25	1	2.25	0	0.00		
				शेसर	9	8.98	8	7.98	1	1.00		
				ट्रैक्टर	12	52.25	10	43.32	2	8.93		
				योग 2024-25 (दिनांक 20.01.2025 तक)	74	152.25	67	129.5	7	22.75		
				महायोग	458	595.68838	451	572.9384	7	22.75		

नोडल अधिकारी (वि.स.)

संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

(विकास विभाग)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
पंचालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-स

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	योजना का नाम	लामावित हितग्राही की संख्या
1	2	3	4	5
1	2022-23 (01.01.2023 से 31.03.2023 तक)	बसना	कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	17
			कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेट क्रमांक-3) हस्त/बैल चलित यंत्र	112
			कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैकों की स्थापना	4
			कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	39
2		पिथौरा	कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैकों की स्थापना	1
			कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेट क्रमांक-3) हस्त/बैल चलित यंत्र	115
योग 2022-23 (01.01.2023 से 31.03.2023 तक)				288
3	2023-24	बसना	कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	14
			कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैकों की स्थापना	2
4		पिथौरा	कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	51
			योग 2023-24	67
5	2024-25 (दिनांक 20.01.2025 तक)	बसना	कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	5
			कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैकों की स्थापना	7
6		पिथौरा	कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	27
			योग 2024-25 (दिनांक 20.01.2025 तक)	39
महायोग				394

नोडल अधिकारी (वि.स.)
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

(द्विजयसिन्हा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंडला, नरसिंहरावपुर, अटल नगर

पॉरीशेष्ट - ग्यारह

तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र.913) की जानकारी

प्रपत्र-अ

वर्षवार, विकासखंडवार, नलकूप/उथला नलकूप खनन की लाभान्वित कृषक को वितरित अनुदान राशि की जानकारी

क्र	वर्ष	विकासखण्ड	योजना का नाम	प्रति इकाई अनुदान (राशि रु. लाख में)	खनित नलकूप (संख्या)	वितरित अनुदान (राशि रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	2021-22	तखतपुर	किसान समृद्धि योजना	0.15	2	0.30
		कोटा		0.18	1	0.18
				0.18	2	0.36
				0.15	1	0.15
	योग			0.66	6	0.99
2	2022-23	मस्तूरी		0.18	2	0.36
		बिल्हा		0.15	1	0.15
				0.1	1	0.10
		कोटा		0.15	2	0.30
				0.1	1	0.10
		कोटा		0.18	5	0.90
				0.1	2	0.20
		तखतपुर		0.15	2	0.30
	योग			1.26	18	2.71
3	2023-24	मस्तूरी	0.15	1	0.15	
		कोटा	0.11	1	0.11	
		योग	0.18	1	0.18	
	योग		0.44	3	0.44	
1	2021-22	तखतपुर	उथला नलकूप (रा.कृ.वि.यो.)	0.05	10	0.50
		कोटा		0.05	40	2.00
	योग	0.10		50	2.50	
2	2022-23	तखतपुर		0.05	3	0.15
		कोटा		0.05	47	2.35
	योग	0.10		50	2.50	
3	2023-24	तखतपुर		0.05	2	0.10
	योग			0.05	2	0.10


(विकास मिश्रा)

उप सचिव


छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

वर्षवार, विकासखंडवार, पम्प प्रतिस्थापन की लाभान्वित कृषक को वितरित अनुदान राशि की जानकारी

क्र	वर्ष	विकासखण्ड	योजना का नाम	प्रति इकाई अनुदान (राशि रु. लाख में)	पम्प प्रतिष्ठापन संख्या	वितरित अनुदान (राशि रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	2021-22	तखतपुर	किसान समृद्धि योजना	0.20	1	0.20
		कोटा		0.25	1	0.25
		योग		0.45	2	0.45
2	2022-23	मस्तूरी		0.25	1	0.25
		बिल्हा		0.15	1	0.15
		कोटा		0.2	1	0.20
				0.15	3	0.45
		तखतपुर		0.20	1	0.20
योग	0.25	3		0.75		
		तखतपुर		0.200	1	0.20
		योग	1.40	11	2.20	
3	2023-24	मस्तूरी	0.20	1	0.20	
		बिल्हा	0.17	1	0.17	
		कोटा	0.2	1	0.20	
		योग	0.21	1	0.21	
		योग	0.57	4	0.78	
1	2021-22	तखतपुर	उथला नलकूप (रा.कृ.वि.यो.)	0.15	10	1.50
		कोटा		0.15	40	6.00
	योग	0.3		50	7.50	
2	2022-23	तखतपुर		0.15	3	0.45
		कोटा		0.15	47	7.05
		योग		0.3	50	7.50
3	2023-24	तखतपुर		0.15	2	0.30
		योग		0.15	2	0.30


(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

चैम्स प्रणाली के माध्यम से राज्य पोषित शाकम्भरी योजना अंतर्गत अनुदान पर वितरित सिंचाई पंप की जानकारी

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	प्रति इकाई अनुदान राशि (राशि लाख रुपये में)	वितरित की गई सिंचाई पंप (संख्या)	कुल अनुदान (राशि लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6
1	2021-22	बिल्हा	0.085005	2	0.170010
			0.086408	10	0.864075
			0.087750	4	0.351000
			0.092630	1	0.092630
			0.122250	3	0.366750
			0.150000	5	0.750000
			योग	25	2.594465
2	2021-22	कोटा	0.085005	1	0.085005
			0.086408	19	1.641743
			0.087750	3	0.263250
			0.122250	5	0.611250
			0.150000	3	0.450000
			योग	31	3.051248
3	2021-22	मस्तुरी	0.086408	9	0.777668
			0.087750	51	4.475250
			0.122250	4	0.489000
			0.139628	1	0.139628
			0.150000	12	1.800000
			योग	77	7.681545
4	2021-22	तखतपुर	0.086408	12	1.036890
			0.087750	1	0.087750
			0.122250	2	0.244500
			योग	15	1.369140
			महायोग (2021-22)	148	14.696398
1	2022-23	बिल्हा	0.087750	29	2.544750
			0.155000	1	0.155000
			योग	30	2.699750
2	2022-23	कोटा	0.086408	1	0.086408
			0.087750	348	30.537000
			0.092630	12	1.111560
			0.121880	1	0.121880
			0.155000	6	0.930000
			योग	368	32.786848
3	2022-23	मस्तुरी	0.063380	1	0.063380
			0.087750	154	13.513500
			योग	155	13.576880

विकास मिश्रा
पंप सचिव
राज्य शासन

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	प्रति इकाई अनुदान राशि (राशि लाख रुपये में)	वितरित की गई सिंचाई पंप (संख्या)	कुल अनुदान (राशि लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6
4	2022-23	तखतपुर	0.087750	3	0.263250
			योग	3	0.263250
			महायोग (2022-23)	556	49.326728
1	2023-24	बिल्हा	0.087750	61	5.352750
			0.092630	1	0.092630
			0.146250	2	0.292500
			0.150000	10	1.500000
			0.155000	11	1.705000
			योग	85	8.942880
2	2023-24	बिलासपुर	0.087750	2	0.175500
			योग	2	0.175500
3	2023-24	कोटा	0.087750	122	10.705500
			0.150000	11	1.650000
			0.155000	24	3.720000
			योग	157	16.075500
4	2023-24	मस्तुरी	0.087750	199	17.462250
			0.092630	2	0.185260
			0.121880	2	0.243760
			0.150000	14	2.100000
			0.155000	61	9.455000
			0.168750	2	0.337500
			योग	280	29.783770
5	2023-24	तखतपुर	0.087750	46	4.036500
			0.092630	6	0.555780
			0.150000	4	0.600000
			0.155000	8	1.240000
				योग	64
			महायोग (2023-24)	586	61.234430

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-द

बिलासपुर जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलग्रहण विकास घटक 2.0 अंतर्गत बोर खनन एवं सिंचाई हेतु पंप वितरण की जानकारी

(राशि रु. लाख में)

क्र.	वित्तीय वर्ष	विकासखण्ड	परियोजना क्र.	पंप वितरण हेतु प्रदाय अनुदान राशि	
				संख्या	अनुदान राशि
1	2021-22	कोटा	डब्ल्यूडीसी- पीएमकेएसवाय 2. 0/1	0	0.00
2	2022-23			0	0.00
3	2023-24			292	102.36
4	2024-25			0	0.00
योग				292	102.36

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नलकूप खनन एवं सिंचाई पम्प वितरण हेतु प्राप्त आवेदन, स्वीकृत एवं लाभान्वित कृषकों की वर्षवार जानकारी

क्र.	योजना का नाम	वर्ष	प्राप्त आवेदन संख्या	स्वीकृत	लाभान्वित कृषक संख्या	लंबित आवेदन संख्या	रिमार्क
1		3	4	5	6	7	8
1	राज्य पोषित किसान समृद्धि योजना	2021-22	3	3	3	0	
2		2022-23	2	2	2	0	
3		2023-24	0	0	0	0	
1	केन्द्र प्रवर्तित- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (उथला नलकूप प्रतिस्थापन)	2021-22	10	10	10	0	
2		2022-23	3	3	3	0	
3		2023-24	2	2	2	0	
1	राज्य पोषित शाकम्भरी योजना	2021-22	15	15	15	0	
2		2022-23	3	3	3	0	
3		2023-24	65	65	64	0	1 कृषक द्वारा समय-सीमा में कृषक अंश राशि जमा नहीं करने पर प्रकरण निरस्त

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परीशेष - बारह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 13) की जानकारी

प्रपत्र -अ

क्रं	विकासखण्ड का नाम	व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार
1.	2.	3.	4.
1.	बालोद	0	0
2.	डौण्डी	30	17
3.	डौंडीलोहारा	0	0
4.	गुरुर	0	0
5.	गुंडरदेही	0	0
	योग	30	17



अनुभाष अधिकारी

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, बल्लार रायपुर

क.	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र	लंबित प्रकरण	ग्राम पंचायत	सामुदायिक वन अधिकारी पत्र	लंबित प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बालोद	—	0	0	—	0	0
2	डौण्डी	मरकाटोला	9	0	अवारी	3	0
		बम्हनी	1	0	आडेझर	1	0
		धोबनी अ	1	0	मलकुवर	1	0
		अवारी	1	0	आमाडूला	1	0
		मथेना	1	0	गिधाली	1	0
		कुआगोंदी	5	0	बकलीटोला	1	0
		सल्हाईटोला	1	0	कुसुमटोला	1	0
		चिहरो	11	0	बम्हनी	1	0
		—	—	—	कटरेल	1	0
		—	—	—	रजही	1	0
		—	—	—	देवपांडुम	1	0
		—	—	—	मंगलतराई	1	0
		—	—	—	खुर्सीटिकुल	1	0
		—	—	—	दर्राटोला	1	0
		—	—	—	पचेड़ा	1	0
3	डौंडीलोहारा	—	0	0	—	0	0
4	गुरुर	—	0	0	—	0	0
5	गुंडरदेही	—	0	0	—	0	0
		योग	30	0		17	0

Anuraj
अनुभाष अधिकारी

भादिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-अ

बालोद जिले में संचालित आश्रम शाला/छात्रावास भवन-विहीन एवं जर्जर अवस्था की विकासखंडवार जानकारी				
क्र	छात्रावास/आश्रम का प्रकार	स्थान	भवन विहीन	जर्जर अवस्था
1	2	3	4	5
वि.ख.डौंडी				
1	प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास	डौण्डी	-	जर्जर हैं
2	प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास	दल्ली राजहरा	-	जर्जर हैं
3	प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास	मंगलतराई	-	जर्जर हैं
4	प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास	बिटाल	-	जर्जर हैं
5	आदिवासी कन्या आश्रम (माध्य.)	डौण्डी	-	जर्जर हैं
6	आदिवासी बालक आश्रम	आमाडुला	-	जर्जर हैं
7	आदिवासी कन्या आश्रम(माध्य.)	घोटिया	-	जर्जर हैं
वि.ख.डौंडीलोहारा				
8	प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास	बंजरी	-	जर्जर हैं
9	प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास	कमकापार	-	जर्जर हैं
10	आदिवासी बालक आश्रम	हितापठार	-	जर्जर हैं
वि.ख.गुण्डरदेही				
11	प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास	अर्जुन्दा	भवन विहीन	-
वि.ख.गुरुर				
12	प्री.मै.अनु.जा. बालक छात्रावास	गुरुर	-	जर्जर हैं

प्रपत्र - ब

बालोद जिला में वर्ष 2023-24 से जनवरी, 2025 तक विभागीय आश्रम एवं छात्रावासों में मरम्मत कार्य हेतु आबंटित एवं व्यय राशि की जानकारी

(राशि लाखों में)

क्रं.	कार्य का नाम	आबंटित राशि	व्यय राशि	कार्य का प्रगति
1	2	3	5	6
वित्तीय वर्ष 2023-24				
1	आदर्श बालक छात्रावास क्रमांक 02 डौंडी में छत मरम्मत कार्य	15.64	15.62	पूर्ण
2	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास गुरुर में अधीक्षक आवास गृह मरम्मत कार्य	3.55	3.53	पूर्ण
3	प्री.मै.आदि.बालक छात्रावास भंवरामरा में दरवाजा, खिडकी एवं छत मरम्मत कार्य	5.93	5.33	पूर्ण
4	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास संबलपुर में छत मरम्मत एवं रंगरोगन कार्य	19.25	15.78	पूर्ण
5	प्री.मै.आदि.कन्या छात्रावास खेस्थाबाजार में दरवाजा खिडकी एवं रंगरोगन कार्य	7.76	7.73	पूर्ण
6	प्री.मै.आदि.बालक छात्रावास बड़गाँव में दरवाजा खिडकी एवं रंगरोगन कार्य	5.83	3.26	पूर्ण
7	प्री.मै.आदि.बालक छात्रावास रेंगाडबरी में शौचालय, दरवाजा खिडकी मरम्मत एवं विद्युतीकरण कार्य	7.48	1.94	पूर्ण
8	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास बालोद में छत मरम्मत कार्य	20.00	11.25	पूर्ण
9	प्री.मै.आदि.कन्या छात्रावास बालोद में छत मरम्मत कार्य	20.00	8.69	पूर्ण
10	प्री.मै.आदि.बालक छात्रावास गुरुर में आहता ऊंचीकरण कार्य	6.24	6.22	पूर्ण
11	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास अर्जुन्दा में छत मरम्मत कार्य	20.00	11.30	पूर्ण
12	प्री.मै.आदि.बालक छात्रावास कुसुमकसा में छत, फ्लोरिंग एवं विद्युतीकरण कार्य	20.00	16.78	पूर्ण
13	प्री.मै.आदि.बालक छात्रावास घीना में खिडकी मरम्मत एवं विद्युतीकरण कार्य	6.35	6.31	पूर्ण
14	पो.मै.आदि.बालक छात्रावास दल्लीराजहरा में छत जीर्णोद्धार, बोरेल एवं पाईप लाईन विस्तार कार्य	18.93	14.55	पूर्ण
15	पो.मै.आदि.बालक छात्रावास दल्लीराजहरा में शौचालय निर्माण एवं रंगरोगन कार्य	18.57	12.27	पूर्ण
16	आदिवासी बालक आश्रम बड़भूम में आहता निर्माण कार्य	9.90	5.05	पूर्ण
17	आदर्श बालक छात्रावास कं01 डौण्डी में बोरेल एवं पानी सप्लाई कार्य	3.00	3.00	पूर्ण
18	प्री.मै.आदि.बालक छात्रावास कमकापार में छत जीर्णोद्धार एवं विद्युतीकरण कार्य	10.00	8.80	पूर्ण
19	आदिवासी बालक आश्रम हितापटार में आहता निर्माण कार्य	13.40	11.79	पूर्ण
20	आदिवासी बालक आश्रम अमलीडीह में छत जीर्णोद्धार कार्य	20.00	19.98	पूर्ण

क्र.	कार्य का नाम	आबंटित राशि	व्यय राशि	कार्य का प्रगति
1	2	3	5	6
21	आदिवासी बालक आश्रम रायगढ़ में शौचालय दरवाजा खिडकी एवं विद्युतीकरण कार्य	6.48	6.45	पूर्ण
22	आदिवासी कन्या आश्रम कोडेकसा में आहता निर्माण कार्य	13.40	8.72	पूर्ण
23	प्री.मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भर्सीटोला में अहाता निर्माण	12.00	8.88	पूर्ण
24	प्री.मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास दल्ली राजहरा में अहाता निर्माण	12.00	11.98	पूर्ण
25	प्री.मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास नर्सटोला में अहाता निर्माण	12.00	10.77	पूर्ण
26	प्री.मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास डौण्डी में अहाता निर्माण	12.00	8.28	पूर्ण
27	प्री.मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास रेंगाडबरी में अहाता निर्माण	12.00	0.00	अप्रारंभ (स्थान संशोधन हेतु प्रस्तावित)
28	आदिवासी बालक आश्रम दुर्गाटोला में अहाता निर्माण	12.00	11.98	पूर्ण
29	आदिवासी बालक आश्रम हितापठार में अहाता निर्माण	12.00	11.98	पूर्ण
30	प्री.मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भर्सीटोला में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण	5.53	4.64	पूर्ण
31	प्री.मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास घोटिया में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण	5.53	4.71	पूर्ण
32	प्री.मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास मंगचुवा वि.ख. डौण्डीलोहारा में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण	5.53	5.53	पूर्ण
33	प्री.मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास डौण्डीलोहारा में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण	5.53	5.53	पूर्ण
34	प्री.मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास सुरेगांव में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण	5.53	2.75	प्रगतिरस्त
35	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.कोटागांव में आहता निर्माण कार्य	12.00	4.08	पूर्ण
36	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा. क्र.01 डौण्डी में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.53	3.67	पूर्ण
37	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.धीना में अहाता निर्माण कार्य	11.39	8.75	पूर्ण
38	पो.मै.आदि.बालक छात्रा.डौंडीलोहारा में अहाता निर्माण कार्य	11.39	6.83	प्रगति पर
39	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.मंगलतराई में अहाता निर्माण कार्य	11.39	8.77	पूर्ण
40	आदिवासी कन्या आश्रम बड़ेजुंगेरा अनुरक्षण अनुदान एवं वार्षिक मरम्मत कार्य	5.90	4.71	पूर्ण
41	आदिवासी बालक आश्रम लुरकाझर अनुरक्षण अनुदान एवं वार्षिक मरम्मत कार्य	5.90	3.54	प्रगति पर
42	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.बंजारी अनुरक्षण अनुदान एवं वार्षिक मरम्मत कार्य	5.90	4.65	पूर्ण
43	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.मैंसबोड़ अनुरक्षण अनुदान एवं वार्षिक मरम्मत कार्य	5.90	4.70	पूर्ण
44	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.डौण्डी अनुरक्षण अनुदान एवं वार्षिक मरम्मत कार्य	5.90	4.65	पूर्ण
45	प्री.मै.आदि.कन्या छात्रा.डौंडीलोहारा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	12.00	7.20	प्रगति पर

कं.	कार्य का नाम	आबंटित राशि	व्यय राशि	कार्य का प्रगति
1	2	3	5	6
46	प्री.मे.आदि.बालक छात्रा.बालोद में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	12.00	7.20	प्रगति पर
	योग	488.56	360.12	
वित्तीय वर्ष 2024-25 (जनवरी 2025 तक)				
1	प्री0मै0 अनु0ज0जा0आदर्श बालक छात्रावास कं01 डौण्डी अतिरिक्त कक्ष निर्माण	10.00	8.00	प्रगति पर
2	प्री0मै0 अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास बालोद में आहाला ऊंची करण	6.07	5.97	प्रगति पर
3	प्री0 मै0 अनु0ज0जा0आदर्श बालक छात्रावास कं01 डौण्डी अतिरिक्त कक्ष निर्माण	19.79	13.60	प्रगति पर
4	आदिवासी कन्या आश्रम डौण्डी में शौचालय का दरवाजा ,छत एवं खिडकी मरम्मत	3.88	1.94	प्रगति पर
	योग:-	39.74	29.51	
	महायोग:-	528.30	389.63	

बालोद जिले में वर्ष 2023-24 से जनवरी 2025 तक नवीन कार्य की जानकारी निरंक है।


अनुभाग अधिकारी
 आ.जा. न्याय अनु.जा.वि. विभाग
 मंत्रालय, भैवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - चौदह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 37) की जानकारी

प्रपत्र-अ

डॉडीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में कृषकों के लिए संचालित योजनांतर्गत लाभाविित कृषकों की जानकारी -वर्ष 2022-23 से जनवरी 2025 तक

क्र.	विवरण
I.	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ
1	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन - एक्सटेंशन रिफॉर्म (आत्मा)
2	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल के अंतर्गत बीज ग्राम योजना
3	रेनफेड एरिया डेव्लपमेंट योजना
4	स्वायल हैल्थ कार्ड योजना
5	परंपरागत कृषि विकास योजना
6	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
i.	पर ड्राप मोर क्रॉप
ii.	एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन
7	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
i.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
8	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा
i.	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा - चावल
ii.	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा - मोटे अनाज
iii.	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन - दलहन
iv	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा - पोषक अनाज
v	टारगेटिंग राईस फेलो एरिया (टी.आर.एफ.ए.)- दलहन
9	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयलसीड्स)
i	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयलसीड्स)
ii	टारगेटिंग राईस फेलो एरिया (टी.आर.एफ.ए.) -(ऑयलसीड्स)
10	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
11	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
12	केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत
i	कृषि यंत्रों का वितरण (कम्पोनेंट क्र. 3)
ii	फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना (कम्पोनेंट क्र. 4)
iii	चयनित ग्रामों में फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना (कम्पोनेंट क्र.-6)
II	राज्य पोषित योजनाएँ
1	कृषक उन्नति योजना
2	कृषक समग्र विकास योजना
i.	अक्ती बीज संवर्धन योजना।
ii.	रामतिल बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना।
iii.	दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना।
iv.	राज्य गन्ना विकास योजना।
3	फसल प्रदर्शन योजना
i.	उपयोजना -द्वि-फसलीय क्षेत्र बढ़ाने हेतु रबी फसल प्रदर्शन कार्यक्रम
ii.	उपयोजना -ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल को प्रोत्साहन योजना
iii.	फसल प्रदर्शन योजनांतर्गत पैडी ट्रान्सप्लान्टन मशीन से कृषकों के खेत में धान रोपाई पर अनुदान
4	जैविक खेती मिशन
5	शाकम्भरी योजना
6	लघुत्तम सिंचाई (तालाब) निर्माण
7	किसान समृद्धि योजना

(विकास मिश्री)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

क.	जिले में संचालित योजना का नाम	घटक
1	राज्य पोषित योजना	
i	फल पौध रोपण हेतु अनुदान योजना	
ii	नदी के कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना	
iii	कम्यूनिटी फेसिंग योजना	
iv	पोषण बाड़ी विकास योजना	
v	राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप) योजना	
vi	उद्यानिकी प्रशिक्षण	
2	केन्द्र पोषित योजना	
i	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	फल क्षेत्र विस्तार
		सब्जी क्षेत्र विस्तार
		मसाला क्षेत्र विस्तार
		पुष्प क्षेत्र विस्तार
		संरक्षित खेती
		पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेन्ट
		उद्यानिकी यंत्रीकरण
		मानव संसाधन विकास एवं मिशन मैनेजमेंट
ii	सबमिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री	वानिकी पौध का उत्पादन कर वितरण
iii	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अंतर्गत-
		1. ड्रिप
		2. स्प्रिंकलर

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र -स

डॉ.पी.लोहार विधानसभा क्षेत्र में कृषकों के लिए संचालित योजनांतर्गत लाभान्वित कृषकों की जानकारी -वर्ष 2022-23 से जनवरी 2025 तक

क्र.	योजना का नाम	समाप्ती / विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23						वित्तीय वर्ष 2023-24						वित्तीय वर्ष 2024-25 (31 जनवरी 2025 तक)					
			डोपडी		डोपडीलोहार		डोपडी		डोपडी		डोपडीलोहार		डोपडी		डोपडीलोहार		डोपडी		डोपडीलोहार	
			प्राप्त आवेदन संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	प्राप्त आवेदन संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	प्राप्त आवेदन संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	प्राप्त आवेदन संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	प्राप्त आवेदन संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	प्राप्त आवेदन संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	प्राप्त आवेदन संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	प्राप्त आवेदन संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	प्राप्त आवेदन संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं																				
1	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	ड्रिप सिंचकालर	83	68	38	30	0	0	0	0	27	22	18	9	166	129				
2	लाइट एवं पोषण सुरक्षा	कृषि यंत्र	109	87	151	131	0	0	0	0	184	94	198	140	642	452				
3	खास एवं पोषण सुरक्षा		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	राष्ट्रीय खास सुरक्षा मिशन																			
5	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना		12187	2276	33641	31939	29498	1866	31939	1365	14820	0	16778	0	138863	37446				
6	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना		14473	14401	36119	36003	14473	14401	36119	36003	14473	14401	36119	36003	151776	151212				
7	केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सब-मिशन	कृषि यंत्र / उपकरण	19	17	48	22	72	25	150	22	81	16	173	14	543	116				
8	केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सब-मिशन-3		26873	16849	69997	68125	44043	16292	68208	37390	29585	14533	53286	36166	291992	189355				
राज्य पोषित योजनाएं																				
7	शाकभरी योजना	सिंचाई पंप	62	61	20	20	104	103	3	3	6	6	4	4	199	197				
8	किसान समृद्धि योजना	नलकूप खनन एवं पंप प्रतिस्थापना	4	0	8	5	0	0	8	5	8	2	8	3	36	15				
(राज्य पोषित योजना) योग			66	61	28	25	104	103	11	8	14	8	12	7	235	212				
(केन्द्र पोषित योजना + राज्य पोषित योजना) कुल योग			26939	16910	70025	68150	44147	16395	68219	37398	29599	14541	53298	36173	292227	189567				


(विकास मिश्र)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

क.	योजना का नाम	घटक का नाम	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	प्रस्तुत आवेदन की संख्या	लाभान्वित कृषकों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	
1	राज्य पोषित योजना	फल क्षेत्र विस्तार	डौण्डी	1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023	39	39	
			डौ.लोहारा		31	31	
		नदी के कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना	डौण्डी		39	39	
			डौ.लोहारा		6	6	
		पोषण बाड़ी विकास	डौण्डी		340	340	
			डौ.लोहारा		340	340	
		कम्यूनिटी फेन्सिंग योजना	डौण्डी		4	4	
			डौ.लोहारा		2	2	
राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना(ड्रिप)	डौण्डी	9	7				
	डौ.लोहारा	7	7				
		उद्यानिकी प्रशिक्षण	डौ.लोहारा		30	30	
	योग-				847	845	
2	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	ड्रिप	डौण्डी		83	68	
			डौ.लोहारा		38	30	
		स्प्रिंकलर	डौण्डी		109	87	
			डौ.लोहारा		151	131	
	योग-				381	316	
3	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	फल क्षेत्र विस्तार (प्रथम वर्ष)		1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023			
		केला (सामान्य)	डौण्डी		3	3	
			डौण्डीलोहारा		15	15	
		पपीता	डौण्डी		0	0	
			डौण्डीलोहारा		9	9	
		नींबू (4x4.5)	डौण्डी		8	8	
			डौण्डीलोहारा		12	12	
		फल क्षेत्र विस्तार (द्वितीय वर्ष)					
		केला (द्वितीय वर्ष)	डौण्डी	14	14		
		केला (द्वितीय वर्ष)	डौण्डीलोहारा	10	10		
		नींबू (द्वितीय वर्ष)	डौण्डी	8	8		
			डौण्डीलोहारा	5	5		
		ड्रेगन फ्रुट (द्वितीय वर्ष)	डौण्डी	7	7		
			डौण्डीलोहारा	0	0		
		सब्जी क्षेत्र विस्तार			1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023		
		टमाटर (हार्डब्रिड)	डौण्डी	0		0	
डौण्डीलोहारा	48		48				
भिण्डी (हार्डब्रिड)	डौण्डी	98	98				
	डौण्डीलोहारा	16	16				
जिमीकंद	डौण्डी	36	36				
	डौण्डीलोहारा	41	41				

क्र.	योजना का नाम	घटक का नाम	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	प्रस्तुत आवेदन की संख्या	लाभान्वित कृषकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
3	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	मसाला क्षेत्र विस्तार		1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023		
		मिर्च	डौण्डी		12	12
			डौण्डीलोहारा		58	58
		अदरक	डौण्डी		25	25
			डौण्डीलोहारा		32	32
		हल्दी	डौण्डी		36	36
			डौण्डीलोहारा		45	45
		धनिया	डौण्डी		0	0
			डौण्डीलोहारा		0	0
		पुष्प क्षेत्र विस्तार				
		गेंदा	डौण्डी		73	73
			डौण्डीलोहारा		3	3
		संरक्षित खेती				
		शेडनेट हाउस	डौण्डी		0	0
			डौण्डीलोहारा		2	2
		प्लास्टिक मल्टिप्लिंग	डौण्डी		33	33
			डौण्डीलोहारा		41	41
		मधुमक्खी पालन	डौण्डी		10	10
			डौण्डीलोहारा		0	0
		उद्यानिकी यंत्रीकरण				
		पावर वीडर	डौण्डी		14	14
			डौण्डीलोहारा		19	19
		मानव संसाधन विकास				
		राज्य के अन्दर प्रशिक्षण	डौण्डी		20	20
	डौण्डीलोहारा	20	20			
पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेन्ट						
पैक हाउस	डौण्डी	3	3			
	डौण्डीलोहारा	2	2			
योग-					778	778
योग (वर्ष 2022-2023)					2006	1939
4	राज्य पोषित योजना	फल क्षेत्र विस्तार	डौण्डी	1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024	28	28
			डौ.लोहारा		25	25
		नदी के कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना	डौण्डी		31	31
			डौ.लोहारा		22	22
		पोषण बाड़ी विकास	डौण्डी		400	400
			डौ.लोहारा		400	400
		कम्यूनिटी फेन्सिंग योजना	डौण्डी		2	2
			डौ.लोहारा		8	8
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना(ड्रिप)	डौण्डी		37	26
			डौ.लोहारा		24	6
		उद्यानिकी प्रशिक्षण	डौण्डी		16	16
			डौ.लोहारा		14	14
योग-					1007	978

क.	योजना का नाम	घटक का नाम	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	प्रस्तुत आवेदन की संख्या	लाभान्वित कृषकों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	
5	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	फल क्षेत्र विस्तार (प्रथम वर्ष)		1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024			
		केला (सामान्य)	डौण्डी		17	17	
			डौण्डीलोहारा		23	23	
		फल क्षेत्र विस्तार (द्वितीय वर्ष)					
		केला (द्वितीय वर्ष)	डौण्डी		3	3	
		केला (द्वितीय वर्ष)	डौण्डीलोहारा		15	15	
		नींबू (द्वितीय वर्ष)	डौण्डी		8	8	
			डौण्डीलोहारा		12	12	
		पपीता (द्वितीय वर्ष)	डौण्डी		0	0	
			डौण्डीलोहारा		9	9	
		फल क्षेत्र विस्तार (तृतीय वर्ष)					
		नींबू (तृतीय वर्ष)	डौण्डी		8	8	
			डौण्डीलोहारा		5	5	
		सब्जी क्षेत्र विस्तार					
		प्याज	डौण्डी		15	15	
			डौण्डीलोहारा		60	60	
		भिण्डी	डौण्डी		4	4	
			डौण्डीलोहारा		2	2	
		बैंगन	डौण्डी	31	31		
			डौण्डीलोहारा	7	7		
		हरी मिर्च	डौण्डी	43	43		
			डौण्डीलोहारा	43	43		
		कद्दू	डौण्डी	49	49		
			डौण्डीलोहारा	77	77		
		लौकी	डौण्डी	53	53		
			डौण्डीलोहारा	82	82		
		मसाला क्षेत्र विस्तार					
		अदरक	डौण्डी	10	10		
			डौण्डीलोहारा	0	0		
		धनिया	डौण्डी	32	32		
			डौण्डीलोहारा	20	20		
		पुष्प क्षेत्र विस्तार					
		गेंदा	डौण्डी	35	35		
			डौण्डीलोहारा	26	26		
		ग्लेडियोलस	डौण्डी	0	0		
			डौण्डीलोहारा	13	13		
औषधि एवं सुगंधित फसल							
एलोविरा, लेमनग्रास	डौण्डी	0	0				
	डौण्डीलोहारा	2	2				
				1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024			

क.	योजना का नाम	घटक का नाम	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	प्रस्तुत आवेदन की संख्या	लाभान्वित कृषकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
5	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	संरक्षित खेती		1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024		
		शेडनेट हाउस	डौण्डी		1	1
			डौण्डीलोहारा		3	3
		प्लास्टिक मल्लिंग	डौण्डी		26	26
			डौण्डीलोहारा		19	19
		उद्यानिकी यंत्रिकरण			0	0
		पावर वीडर	डौण्डी	34	34	
			डौण्डीलोहारा	38	38	
		मानव संसाधन विकास		0	0	
		राज्य के अन्दर प्रशिक्षण	डौण्डी	50	50	
			डौण्डीलोहारा	25	25	
		राज्य के बाहर प्रशिक्षण	डौण्डी	0	0	
			डौण्डीलोहारा	1	1	
		पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेन्ट		0	0	
पैक हाउस	डौण्डी	3	3			
	डौण्डीलोहारा	3	3			
योग-				907	907	
योग (वर्ष 2023-2024)					1914	1885
6	राज्य पोषित योजना	फल क्षेत्र विस्तार	डौण्डी	1 अप्रैल 2024 से 31 जनवरी 2025	22	22
			डौ.लोहारा		20	20
		नदी के कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना	डौण्डी		31	31
			डौ.लोहारा		28	28
		पोषण बाड़ी विकास	डौण्डी		250	250
			डौ.लोहारा		250	250
		कम्यूनिटी फेन्सिंग योजना	डौण्डी		5	5
			डौ.लोहारा		4	4
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना(ड्रिप)	डौण्डी		1	0
			डौ.लोहारा		2	2
उद्यानिकी प्रशिक्षण	डौण्डी	31	31			
	डौ.लोहारा	29	29			
योग-				673	672	
7	सब मिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री	पौध उत्पादन उपरांत कृषकों में वितरण	डौण्डी	1 अप्रैल 2024 से 31 जनवरी 2025	14	14
			डौ.लोहारा		8	8
8	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	ड्रिप	डौण्डी	1 अप्रैल 2024 से 31 जनवरी 2025	27	22
			डौ.लोहारा		18	9
		सिप्रिकलर	डौण्डी		184	94
			डौ.लोहारा		198	140
योग-				449	287	

क.	योजना का नाम	घटक का नाम	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	प्रस्तुत आवेदन की संख्या	लाभान्वित कृषकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
9	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	फल क्षेत्र विस्तार (प्रथम वर्ष)		1 अप्रैल 2024 से 31 जनवरी 2025		
		अमरुद	डौण्डी		10	10
			डौण्डीलोहारा		8	8
		फल क्षेत्र विस्तार (द्वितीय वर्ष)				
		केला	डौण्डी		13	13
			डौण्डीलोहारा		21	21
		फल क्षेत्र विस्तार (तृतीय वर्ष)			0	0
		नीबू	डौण्डी		6	6
		डौण्डीलोहारा	11	11		
	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	मसाला क्षेत्र विस्तार		1 अप्रैल 2024 से 31 जनवरी 2025	0	0
		धनिया	डौण्डी		0	0
			डौण्डीलोहारा		58	58
		संरक्षित खेती				
		प्लास्टिक मल्लिचंग	डौण्डी		0	0
		डौण्डीलोहारा	11		11	
मानव संसाधन विकास						
राज्य के भीतर कृषक प्रशिक्षण	डौण्डी	50	50			
	डौण्डीलोहारा	13	13			
योग-					201	201
(वर्ष 2024-2025)					1323	1160
महायोग (वर्ष 2022-23 से जनवरी 2025 तक)					5243	4984


(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिेशष्ट - पन्द्रह

प्रपत्र

परिवातत अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 372) की जानकारी

मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, नगरनार द्वारा वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025 (जनवरी तक) पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु स्वीकृति अनुसार किये गए कार्य एवं व्यय राशि की जानकारी

क्रमांक	पर्यावरण संरक्षण हेतु किये गए कार्य	वर्ष 2020 से 2023 तक किये गए पूंजीगत व्यय राशि (रूपये करोड़ में)	वर्ष 2023-2024 में किये गए वार्षिक आवर्ती व्यय राशि (रूपये करोड़ में)	वर्ष 2024-2025 (जनवरी तक) में किये गए वार्षिक आवर्ती व्यय राशि (रूपये करोड़ में)
1	जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था सम्बन्धी कार्य	113.40	34.00	36.00
2	वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था सम्बन्धी कार्य	520.70	121.00	124.00
3	पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम	8.50	2.32	2.41
4	ग्रीन बेल्ट	9.17	2.14	2.26
5	अन्य, स्वच्छ प्रौद्योगिकी प्रावधान सहित (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वेंटिलेशन/वातानुकूलन, अग्निशमन आदि)	410.00	152.00	158.00

04-
24-2-25
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
अवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारोशेष्ट - सोलह

परिवातेत अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 416) की जानकारी

प्रपत्र

निर्माणाधीन कृषि उपज मंडी गंडई हेतु जारी निविदा


विषय :- मूल मंडी प्रांगण गंडई के रिक्त भाग में हाईटेक फल सब्जी मंडी।

1. ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना (प्रथम) - क./बी-6/हाईटेक फल-सब्जी मंडी गंडई/433/22- 23/8014 दिनांक 18.01.2023
2. निविदा में सम्मिलित होने वाले/भाग लिये फर्म/एजेंसी का नाम/ पता -

क.	फर्म/एजेंसी का नाम	पता
1	मेसर्स अशोक खंडेलवाल	रत्नाबांधा रोड धमतरी
2	मेसर्स आस्था बिल्डकॉन	रायपुर
3	मेसर्स आलोक बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड	10, कदाम्बरी नगर दुर्ग
4	मेसर्स श्रीसाई इंफ्रास्ट्रक्चर	शंकर नगर रायपुर

3. प्रथम निविदा आमंत्रण में सफल निविदाकार की न्यूनतम निविदा दर अधिक होने के कारण निरस्त कर द्वितीय आमंत्रण किया गया ।
4. ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना (द्वितीय) - क./बी-6/हाईटेक फल-सब्जी मंडी गंडई/433/22- 23/3157 दिनांक 10.08.2023
5. निविदा में भाग लिये फर्म/एजेंसी का नाम/ पता -

क.	फर्म/एजेंसी का नाम	पता
1	मेसर्स आलोक बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड	10, कदाम्बरी नगर दुर्ग



(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परीशेष - सत्रह

परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 9 (क्र. 536) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष	क्र.	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	पता	पात्र	प्रदत्त राशि रूपये में
2023	1	भूषण लाल साहू	श्री लखनलाल साहू	ग्रा. राखी पो. कुरुद जिला-धमतरी (छ.ग.)	पात्र	50000.00
	2	दीपक सोम	श्री सेतुराम सोम	ग्रा.रानीगांव पो. खम्हरिया तह. नगरी जिला-धमतरी जिला-धमतरी (छ.ग.)	पात्र	50000.00
	3	चंद्रप्रभा	श्री सुदेलाल	ग्रा. आमगांव पो. घुरावड़ तह. बेलरगांव (नगरी) जिला-धमतरी (छ.ग.)	पात्र	50000.00
	4	हसिना	श्री रणधीर	ग्रा. रीवांगहन पो. भेण्डा जिला-धमतरी (छ.ग.)	पात्र	50000.00
	5	निरंजन कुमार	श्री बंशीलाल	ग्रा. परसापानी पो. राजपुर तह. नगरी जिला-धमतरी (छ.ग.)	पात्र	50000.00
	6	खोमेन्द्र	श्री दिनेश	पता-छेवपारा वार्ड क्र. 05 ग्रा.-इर्रा पो.-कोर्रा जिला-धमतरी (छ.ग.)	पात्र	50000.00
दिसंबर 2024	1	- निरंक -				
कुल योग (राशि रूपये तीन लाख)						300000.00


अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन

आ.क्र. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
फिछड़ा वर्ग विभाग मदनमंदी भवन, मंत्रालय, नया रा-

क्रं.	विकासखण्ड	संस्था का नाम/संचालित स्थान	शास. /निजी भवन	संचालित छात्रावास / संचालित वर्ष	वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25 (दिनांक 31.01.2025)			
					भवनो के रखरखाव हेतु लिये गये कार्य	स्वीकृत एवं व्यय राशि	भौतिक स्थिति	भवनो के रखरखाव हेतु लिये गये कार्य	स्वीकृत एवं व्यय राशि	भौतिक स्थिति	भवनो के रखरखाव हेतु लिये गये कार्य	स्वीकृत एवं व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
38	पलारी	प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास पलारी	शासकीय	2013	-	-	-	-	-	-	-	
39	पलारी	प्री.मे.अनु.जनजाति कन्या छात्रावास पलारी	किराया	2013	-	-	-	-	-	-	-	
40	पलारी	अनु.जाति कन्या आश्रम देवसुन्दरा (प्राथमिक)	शासकीय	1986	आहता निर्माण	6.00	पूर्ण	-	लघुनिर्माण कार्य	4.52	निविदा प्रक्रियापीन कलेक्टर	
41	पलारी	अनु.जाति कन्या आश्रम पलारी (प्राथमिक)	शासकीय	1991	जिर्णोद्वारा कार्य	15.90	पूर्ण	-	लघुनिर्माण कार्य	5.50	निविदा प्रक्रियापीन कलेक्टर	
42	सिमगा	पो.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास सिमगा	शासकीय	2003	-	-	पूर्ण	2.00	-	-	कलेक्टर	
43	सिमगा	प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास हथबंद	शासकीय	2008	-	-	-	-	-	-	-	
44	सिमगा	प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास सिमगा	शासकीय	1971	-	-	-	-	जिर्णोद्वारा कार्य, नवीन विद्युतीकरण	33.03	निविदा प्रक्रियापीन कलेक्टर	
45	सिमगा	प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास सुहेला	शासकीय	2013	-	-	-	-	बोरखनन	2.55	निविदा प्रक्रियापीन कलेक्टर	
46	सिमगा	प्री.मे.अनु.जाति कन्या छात्रावास सिमगा	शासकीय	1993	-	-	-	-	जिर्णोद्वारा कार्य	19.98	निविदा प्रक्रियापीन कलेक्टर	
47	सिमगा	प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास हथबंद	शासकीय	2008	-	-	-	-	-	-	-	
48	सिमगा	प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास सिमगा	शासकीय	2007	-	-	-	-	-	-	-	
49	सिमगा	प्री.मे.अनु.जनजाति कन्या छात्रावास सिमगा	शासकीय	2007	-	-	-	जिर्णोद्वारा कार्य	-	-	कलेक्टर	
50	सिमगा	प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास दामाखेड़ा	शासकीय	2006	नवीनीकरण अनुरक्षण कार्य	17.85	पूर्ण	-	-	-	कलेक्टर	
51	कसडोल	पो.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास कसडोल	शासकीय	2013	-	-	-	-	-	-	-	
52	कसडोल	पो.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास कसडोल	शासकीय	2006	-	-	-	-	-	-	-	
53	कसडोल	पो.मे.अनु.जनजाति कन्या छात्रावास कसडोल	शासकीय	2006	-	-	-	जिर्णोद्वारा कार्य, रंगाई पोताई	-	13.50	पूर्ण	कलेक्टर
54	कसडोल	प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास गिरौदपुरी	शासकीय	2011	-	-	-	-	-	-	-	
55	कसडोल	प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास कसडोल	शासकीय	1993	जिर्णोद्वारा कार्य	19.97	पूर्ण	-	-	-	कलेक्टर	
56	कसडोल	प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास मटिया	शासकीय	1971	-	-	-	रंगाई पोताई	बोरखनन, स्वर्मासिंहल पंप विस्थापन कार्य	2.00	पूर्ण	निविदा प्रक्रियापीन कलेक्टर
57	कसडोल	प्री.मे.अनु.जाति कन्या छात्रावास गिरौदपुरी	शासकीय	2011	-	-	-	-	-	-	-	
58	कसडोल	प्री.मे.अनु.जाति कन्या छात्रावास कसडोल	शासकीय	2013	-	-	-	-	-	-	-	
59	कसडोल	प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास असर्नाद	शासकीय	2006	-	-	-	-	-	-	-	
60	कसडोल	प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास बल्लाकछ	शासकीय	2008	-	-	-	-	-	-	-	

क्र. सं.	विकासखण्ड	संस्था का नाम/संचालित स्थान	शास. /निजी भवन	संचालित छात्रावास / संचालित वर्ष	वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25 (दिनांक 31.01.2025)		
					भवनो के रखरखाव हेतु लिये गये कार्य	स्वीकृत एवं व्यय राशि	भवनो के रखरखाव हेतु लिये गये कार्य	स्वीकृत एवं व्यय राशि	भवनो के रखरखाव हेतु लिये गये कार्य	स्वीकृत एवं व्यय राशि	भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	कसडोल	प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास बार	अन्य शा.भवन	2008	-	-	-	-	-	-	-
62	कसडोल	प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास बगा	शासकीय	1991	-	-	-	-	-	-	-
63	कसडोल	प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास बोरसी	शासकीय	1991	-	-	-	-	-	-	-
64	कसडोल	प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास चंदन	शासकीय	1972	-	-	-	-	-	-	-
65	कसडोल	प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास चरौदा	शासकीय	2009	-	-	-	-	-	-	-
66	कसडोल	प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास कसडोल	शासकीय	1967	-	-	-	-	-	-	कलेक्टर
67	कसडोल	प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास कटगी	शासकीय	1982	-	-	-	रंगाई पोताई	-	-	कलेक्टर
68	कसडोल	प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास नवागांव	शासकीय	1984	-	-	-	जोषोद्वार कार्य, रंगाई पोताई	-	जोषोद्वार कार्य	कलेक्टर
69	कसडोल	प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास राजदेवर्	शासकीय	1957	-	-	-	जोषोद्वार कार्य, रंगाई पोताई	-	जोषोद्वार कार्य	कलेक्टर
70	कसडोल	प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास सोनाखान	शासकीय	2005	निर्णोद्वारा कार्य	18.90	-	-	-	-	कलेक्टर
71	कसडोल	प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास थरागांव	शासकीय	1972	-	-	-	-	-	-	-
72	कसडोल	प्री.मे.अनु.जनजाति कन्या छात्रावास कसडोल	शासकीय	2007	-	-	-	-	-	-	-
73	कसडोल	प्री.मे.अनु.जनजाति कन्या छात्रावास सोनाखान	शासकीय	2005	निर्णोद्वारा कार्य	19.95	-	-	-	-	कलेक्टर
74	कसडोल	अनु.जाति कन्या आश्रम गिरौदपुरी (प्राथमिक)	शासकीय	1978	-	-	-	-	-	-	-
75	कसडोल	अनु.जनजाति बालक आश्रम चरौदा (प्राथमिक)	शासकीय	1999	-	-	-	-	-	-	-
76	कसडोल	अनु.जनजाति कन्या आश्रम बार (प्राथमिक)	शासकीय	1991	-	-	-	-	-	-	-
77	कसडोल	अनु.जनजाति बालक आश्रम सोनाखान (माध्य)	शासकीय	1984	-	-	-	-	-	लघुनिर्माण कार्य	कलेक्टर
78	कसडोल	अनु.जनजाति कन्या आश्रम कसडोल (माध्यमि)	शासकीय	1965	-	-	-	-	-	-	-

Seema

अनुभाग अधिकारी
 श्री.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
 भद्रसतय, नया रायपुर, अटल नगर

वर्ष 2022-23 से 31.01.2025 तक जिला बलौदाबाजार भाटापारा अन्तर्गत संचालित छात्रावास / आश्रमो हेतु कय की गई सामग्री, मात्रा, दर, एवं फर्म की जानकारी

वर्ष 2022-23

क्र.	वर्ष	जिले द्वारा खरीदी गयी सामग्री का नाम	मात्रा	दर	फर्म का नाम
1	2	3	4	5	6
1	2022-23	फिनाईल 5 लीटर	7280 LITT.	85.14 Litter	मेसर्स नलिन मेडिकल स्टोर्स सूरजपुर
2		टेबल (लोहा)	513	1242	मेसर्स शिव शंकर इंडस्ट्रीज जांजगीर चांपा
3		कुर्सी (लोहा)	513	1185	मेसर्स शिव शंकर इंडस्ट्रीज जांजगीर चांपा
4		तखत (लोहा)	269	4590	मेसर्स शिव शंकर इंडस्ट्रीज जांजगीर चांपा
5		तखत (गद्दा वाला)	93	5000	मेसर्स शिव शंकर इंडस्ट्रीज जांजगीर चांपा
6		मच्छरदानी	1826	250	मेसर्स छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स सूरजपुर
7		गद्दा	760	5200	मेसर्स सिंघानिया ग्रुप एंड इंडस्ट्रीज बिलासपुर
8		तकिया	760	590	मेसर्स सिंघानिया ग्रुप एंड इंडस्ट्रीज बिलासपुर

वर्ष 2023-24

1	2023-24	गद्दा	480	5633.00	मेसर्स सिंघानिया ग्रुप एंड इंडस्ट्रीज बिलासपुर
2		तखत	90	4654.00	मेसर्स सिंघानिया ग्रुप एंड इंडस्ट्रीज बिलासपुर
3		गद्दा	168	3800.00	यूनिक इंटरप्राइजेज मेन रोड कंडारका बेरला बेमेतरा
4		पंखा	250	2220.00	यूनिक इंटरप्राइजेज मेन रोड कंडारका बेरला बेमेतरा
5		एल.ई.डी. बल्ब	500	248.00	यूनिक इंटरप्राइजेज मेन रोड कंडारका बेरला बेमेतरा
6		एल.ई.डी.ट्यूबलाईट	500	821.00	यूनिक इंटरप्राइजेज मेन रोड कंडारका बेरला बेमेतरा
7		गद्दा	401	4180.00	यूनिक इंटरप्राइजेज मेन रोड कंडारका बेरला बेमेतरा
8		फिनाईल	5530	100.00	धन्वंतरि केमिकल्स बिलासपुर

क्र.	वर्ष	जिले द्वारा खरीदी गयी सामग्री का नाम	मात्रा	दर	फर्म का नाम
1	2	3	4	5	6
9		मच्छरदानी	1083	258.00	मैसर्स महाबीर इंटरप्राइजेज विलेज रवेलीडीह जिला दुर्ग
10		स्टुडेन्ट कुर्सी	575	1319.00	द्विवेदी वेल्लिंग वर्क्स मेन रोड देवकर जिला। बेमेतरा
11		स्टुडेन्ट टेबल	234	1438.00	द्विवेदी वेल्लिंग वर्क्स मेन रोड देवकर जिला। बेमेतरा
12		विजिटर चेयर	96	2378.00	द्विवेदी वेल्लिंग वर्क्स मेन रोड देवकर जिला। बेमेतरा
13		बाल्टी	300	275.00	यूनिक इंटरप्राइजेज मेन रोड कंडारका बेरला बेमेतरा
14		ग्लास	870	300.00	यूनिक इंटरप्राइजेज मेन रोड कंडारका बेरला बेमेतरा
15	2023-24	जंग	300	392.00	यूनिक इंटरप्राइजेज मेन रोड कंडारका बेरला बेमेतरा
16		करच्छुल	400	432.00	यूनिक इंटरप्राइजेज मेन रोड कंडारका बेरला बेमेतरा
17		ड्रम	100	280.00	यूनिक इंटरप्राइजेज मेन रोड कंडारका बेरला बेमेतरा
18		थाली	1500	275.00	यूनिक इंटरप्राइजेज मेन रोड कंडारका बेरला बेमेतरा
19		गद्दा	155	4400.00	उन्नति वेंचर पराग फैब्रिकेशन एंड फर्निचर डूमर तालाब रायपुर
20		स्टुडेन्ट कुर्सी	180	1319.00	उन्नति वेंचर पराग फैब्रिकेशन एंड फर्निचर डूमर तालाब रायपुर
21		स्टुडेन्ट टेबल	200	1438.00	उन्नति वेंचर पराग फैब्रिकेशन एंड फर्निचर डूमर तालाब रायपुर

वर्ष 2024-25

सत्र 2024-25 में सामग्री कय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है

1 2024-25


अनुभाग अधिकारी
 श्री. जे. विश्व अनु. जा. वि. विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 582) की जानकारी

प्रपत्र

भवन विहीन छात्रावास/आश्रम की स्थिति

क्र.	भवन विहीन छात्रावास/आश्रम का नाम	स्वीकृत सीट	विकास खण्ड	भवन विहीन	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास कोटा	50	कोटा	भवन विहीन	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास कोटा के नवीन भवन में दोनों छात्रावास संयुक्त रूप से संचालित है। प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास कोटा प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास कोटा के भवन में संयुक्त रूप से संचालित है
2	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास कोटा	50	कोटा	भवन विहीन	
3	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास भटचौरा	50	मस्तूरी	भवन विहीन	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास भटचौरा के भवन में संयुक्त रूप से संचालित
4	प्री.मै.पी.जी.आदिवासी बालक छात्रावास जरहाभाठा बिलासपुर	50	बिल्हा	भवन विहीन	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास जरहाभाठा बिलासपुर के भवन में संयुक्त रूप से संचालित
5	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास बेलपान	50	तखतपुर	भवन विहीन	किराए के भवन में संचालित
6	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास बिल्हा	50	बिल्हा	भवन विहीन	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास बिल्हा के भवन में संचालित। प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास बिल्हा प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास बिल्हा में संयुक्त रूप से संचालित

जर्जर भवन छात्रावास/आश्रम की स्थिति

1	अनुसूचित जाति आदर्श कन्या आश्रम देवरीखुर्द बिलासपुर	400	बिल्हा	जर्जर	भवन का मरम्मत कार्य कराया जाकर आश्रम का संचालन किया जा रहा है।
2	प्री.मै.पी.जी. अनु.जाति बालक छात्रावास खमतराई बिलासपुर	50	बिल्हा	जर्जर	भवन का मरम्मत कार्य कराया जाकर छात्रावास का संचालन किया जा रहा है।
3	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास सीपतरोड बिलासपुर	50	बिल्हा	जर्जर	भवन का मरम्मत कार्य कराया जाकर छात्रावास का संचालन किया जा रहा है।
4	प्री.मै.कमला नेहरू आदिवासी कन्या छात्रावास बिलासपुर	150	बिल्हा	जर्जर	भवन का मरम्मत कार्य कराया जाकर छात्रावास का संचालन किया जा रहा है।
5	प्री.मै.अनु.जाति कमला नेहरू पुराना कन्या छात्रावास बिलासपुर	80	बिल्हा	जर्जर	भवन का मरम्मत कार्य कराया जाकर छात्रावास का संचालन किया जा रहा है।

Seenu

अनुभाग अधिकारी

अ.जा. तथा अनु.जा. विभाग
बाल्य, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - बीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 596) की जानकारी

"प्रपत्र-अ"

विभागीय जानकारी

क्र०	जिला	कार्यक्रम/योजना का नाम	कार्यक्रम स्थल	व्यय राशि		
				2022-23	2023-24	2024-25
1	बिलासपुर	अनुसूचित जाति गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव योजना अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम	बिलासपुर	100000	100000	0
		अनुसूचित जाति संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति पो.मै. छात्रावासों में संत शिरोमणी गुरु घासीदास जी के जन्म दिवस स्मृति कार्यक्रम का आयोजन	अनुसूचित जाति पो.मै. छात्रावास	132000	165000	165000
		अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर आयोजन	धारौभाठा, मस्तुरी, बेलदुकरी	150000	150000	150000
योग				382000	415000	315000
2	बलौदाबाजार-भाटापारा	अनुसूचित जाति गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव योजना अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम	बलौदाबाजार-भाटापारा	100000	100000	100000
		अनुसूचित जाति संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति पो.मै. छात्रावासों में संत शिरोमणी गुरु घासीदास जी के जन्म दिवस स्मृति कार्यक्रम का आयोजन	अनुसूचित जाति पो.मै. छात्रावास	132000	165000	120000
		समन्वित विकास कार्यक्रम	गिरौदपुरी, दामाखेडा, तेलासीबाडा	0	0	0
योग				232000	265000	220000
3	मुंगेली	अनुसूचित जाति गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव योजना अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम	मुंगेली	100000	100000	100000
		अनुसूचित जाति संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति पो.मै. छात्रावासों में संत शिरोमणी गुरु घासीदास जी के जन्म दिवस स्मृति कार्यक्रम का आयोजन	अनुसूचित जाति पो.मै. छात्रावास	72000	90000	90000
		समन्वित विकास कार्यक्रम (मेला आयोजन हेतु)	लालपुर धाम, अमरटापू धाम मोतिमपुर	0	1000000	0
योग				172000	1190000	190000
4	रायपुर	अनुसूचित जाति गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव योजना अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम	रायपुर	100000	100000	100000
		अनुसूचित जाति संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति पो.मै. छात्रावासों में संत शिरोमणी गुरु घासीदास जी के जन्म दिवस स्मृति कार्यक्रम का आयोजन	अनुसूचित जाति पो.मै. छात्रावास	1059245	805000	805000
		गिरौदपुरी एवं भण्डारपुरी का समन्वित विकास	भण्डारपुरी वि.ख. आरंग	0	0	1020000
योग				1159245	905000	1925000


अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन

आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

छ.ग. पर्यटन मंडल द्वारा दिये गये कार्य

कं.	जिला	स्वीकृत कार्य	व्यय राशि (रु. लाख में)
1	मुगेली	सेतगंगा में सामुदायिक भवन निर्माण	500000
2		खर्राघाट में सामुदायिक भवन निर्माण	1000000
3		देवगांव में धर्मशाला निर्माण	500000
4		चरकभाटा मं धर्मशाला का निर्माण	500000

कं0	जिला	कार्यक्रम/योजना का नाम	कार्यक्रम स्थल	व्यय राशि		
				2022-23	2023-24	2024-25
1	रायपुर	राज्य स्तरीय देवदास बंजारे लोककला महोत्सव	रायपुर	50000	0	0
		गुरुघासीदास जयंती समारोह	कुटेशर, रायपुर	25000	0	40000
योग -				75000	0	40000


अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन

आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

पारोशेष्ट - इक्कोस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 738) की जानकारी

प्रपत्र- अ

बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत उद्यानिकी विभाग को प्राप्त राशि एवं संपादित कार्य का विवरण

कं.	वर्ष	योजना का नाम	कार्य का नाम	प्राप्त राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1			गौठान ग्रामों में मल्टिएक्टिविटी सेंटर विकसित करने के लिए मशीन वितरण कार्य	117.59	117.59	
2	2022-23	जिला खनिज संस्थान न्यास	जिले के 84 गौठान ग्रामों में मल्टीएक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए 79 पल्वराइजर एवं 209 पावरवीडर वितरण कार्य	196.253	196.253	
3			जिले के 05 विकासखण्ड में 100 महिला स्वसहायता समूहों एवं 03 कृषकों को 143 नग पावरवीडर एवं 143 नग पल्वराइजर प्रदाय कार्य	358.334	358.334	
			(वर्ष 2022-23) योग-	672.177	672.177	
1			विकासखण्ड कसडोल के 03 ग्राम के 199 एफआरए हितग्राहियों को आजीविका गतिविधियों में जोड़ने तथा जीविकोपार्जन हेतु आय में वृद्धि के लिये अन्य विभागों के अभिसरण से सामग्री वितरण कार्य	323.983	323.983	
2	2023-24	जिला खनिज संस्थान न्यास	लघु एवं सीमांत कृषकों के उन्नत खेती हेतु 44000 वर्ग मीटर में शेडनेट निर्माण कार्य (प्रति वर्ग मीटर 710 रु.) कृषकों के उन्नत खेती एवं आय में वृद्धि के लिये	281.16	281.16	कृषकों के खेतों में राशि हस्तांतरित की गई है
			(वर्ष 2023-24) योग-	605.143	605.143	
	2024-25	डीएमएफ	निरंक			
			महायोग-	1277.32	1277.32	


(विकास मिश्रा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र- ब

बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत उद्यानिकी विभाग में खरीदी गई सामग्री/मशीनरी/अन्य वस्तु व भुगतान तथा मशीन उपयोगकर्ताओं की जानकारी

कं.	वर्ष	योजना का नाम	कार्य का नाम	प्राप्त राशि (लाख रु. में)	विकासखण्ड का नाम	खरीदी किये गये उपकरण/यंत्र का विवरण				भुगतान की गई राशि (लाख रु. में)	खरीदी किये गये मशीन का उपयोगकर्ता
						नाम	मात्रा (संख्या/कि. ग्राम/हे.)	दर (लाख में)	राशि (लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						वेईंग मशीन	4	0.12500	0.50000	0.50000	गौठान प्रबंधन समिति रोहरा, रावन, सकरी एवं फरहदा
2						सिलिंग मशीन	4	0.85500	3.42000	3.42000	गौठान प्रबंधन समिति रोहरा, रावन, सकरी एवं फरहदा
3						गोकास्ट	2	1.50000	3.00000	3.00000	गौठान प्रबंधन समिति संजारीनवागांव एवं किरवाई
4						दोना पत्तल	3	2.75000	8.25000	8.25000	गौठान प्रबंधन समिति बिटकुली, आमकोनी, सुहेला
5					सिमगा	अगरबत्ती मशीन	1	2.50000	2.50000	2.50000	गौठान प्रबंधन समिति सुहेला
6						पलोरमिल	7	0.85000	5.95000	5.95000	गौठान प्रबंधन समिति आमकोनी, बुडगहन, बारीन एवं
7						पल्वराईजर	4	2.16953	8.67812	8.67812	गौठान प्रबंधन समिति रोहरा, रावन, सकरी एवं फरहदा
8						पालीथीन बैग	86	0.01485	1.27710	1.27710	गौठान प्रबंधन समिति रोहरा, रावन, सकरी एवं फरहदा
						योग-			33.57522	33.57522	
1						वेईंग मशीन	3	0.12500	0.37500	0.37500	गौठान प्रबंधन समिति ओटेबंद, देवरानी एवं मोपर
2						सिलिंग मशीन	3	0.85500	2.56500	2.56500	गौठान प्रबंधन समिति ओटेबंद, देवरानी एवं मोपर
3						गोकास्ट	2	1.50000	3.00000	3.00000	गौठान प्रबंधन समिति सिंगारपुर एवं कडार
4	2022-23		गौठान ग्रामों में मल्टिएक्टिविटी सेंटर विकसित करने के लिए मशीन वितरण कार्य	117.59	भाटापारा	चाक मशीन	1	1.75000	1.75000	1.75000	गौठान प्रबंधन समिति घनेली
5						पल्वराईजर	3	2.16953	6.50859	6.50859	गौठान प्रबंधन समिति ओटेबंद, देवरानी एवं मोपर
6						पालीथीन बैग	64.5	0.01485	0.95783	0.95783	गौठान प्रबंधन समिति ओटेबंद, देवरानी एवं मोपर
						योग-			15.15642	15.15642	
1						वेईंग मशीन	8	0.12500	1.00000	1.00000	गौठान प्रबंधन समिति करमनडीह, भद्रापाली, कुकुरदी,
2						सिलिंग मशीन	8	0.85500	6.84000	6.84000	गौठान प्रबंधन समिति करमनडीह, भद्रापाली, कुकुरदी, रिसदा, सेमराडीह, ताराशिव, नयापारा एवं सरसीवा
3					बलौदा बाजार	चाक मशीन	1	1.75000	1.75000	1.75000	गौठान प्रबंधन समिति सकरी
4						दोना पत्तल मशीन	1	2.75000	2.75000	2.75000	गौठान प्रबंधन समिति नयापारा
5						पलोरमिल	3	0.85000	2.55000	2.55000	गौठान प्रबंधन समिति कुकुरदी, ताराशिव एवं नयापारा
6						पल्वराईजर	8	2.16953	17.35624	17.35624	गौठान प्रबंधन समिति करमनडीह, भद्रापाली, कुकुरदी,

A

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	कार्य का नाम	प्राप्त राशि (लाख रु. में)	विकासखण्ड का नाम	खरीदी किये गये उपकरण/यंत्र का विवरण				भुगतान की गई राशि (लाख रु. में)	खरीदी किये गये मशीन का उपयोगकर्ता
						नाम	मात्रा (संख्या/कि. ग्राम/हे.)	दर (लाख में)	राशि (लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7					बलौदा बाजार	पालीथीन बैग	172.5	0.01485	2.56810	2.56810	गौठान प्रबंधन समिति करमनडीह, भद्रापाली, कुकुरदी, रिसदा, सेमराडीह, ताराशिव, नयापारा एवं सरसीवा
1					पलारी	योग-			34.81434	34.81434	
2						वेईंग मशीन	1	0.12500	0.12500	0.12500	गौठान प्रबंधन समिति चरौदा
3						सिलिंग मशीन	1	0.85500	0.85500	0.85500	गौठान प्रबंधन समिति चरौदा
4						दोना पत्तल मशीन	1	2.75000	2.75000	2.75000	गौठान प्रबंधन समिति बम्हनी
5						पल्वराईजर	1	2.16953	2.16953	2.16953	गौठान प्रबंधन समिति चरौदा
1					कसडोल	योग-	21.5	0.01485	0.31928	0.31928	गौठान प्रबंधन समिति चरौदा
2						वेईंग मशीन	3	0.12500	0.37500	0.37500	गौठान प्रबंधन समिति पहंदा, मोतीपुर एवं खैरा (क)
3						सिलिंग मशीन	3	0.85500	2.56500	2.56500	गौठान प्रबंधन समिति पहंदा, मोतीपुर एवं खैरा (क)
4						चाक मशीन	1	1.75000	1.75000	1.75000	गौठान प्रबंधन समिति सावर
5						दोना पत्तल मशीन	2	2.75000	5.50000	5.50000	गौठान प्रबंधन समिति खैरा (क) एवं बल्दाकछार
1					कसडोल	अगरबत्ती मशीन	1	2.50000	2.50000	2.50000	गौठान प्रबंधन समिति कटगी
2						पलोरमिल	1	0.85000	0.85000	0.85000	गौठान प्रबंधन समिति बल्दाकछार
3						पल्वराईजर	3	2.16953	6.50859	6.50859	गौठान प्रबंधन समिति पहंदा, मोतीपुर एवं खैरा (क)
4						पालीथीन बैग	64.5	0.01485	0.95783	0.95783	गौठान प्रबंधन समिति पहंदा, मोतीपुर एवं खैरा (क)
5						योग-			21.00642	21.00642	
1					बिलाईगढ़	वेईंग मशीन	1	0.12500	0.12500	0.12500	गौठान प्रबंधन समिति सालिहा
2						सिलिंग मशीन	1	0.85500	0.85500	0.85500	गौठान प्रबंधन समिति सालिहा
3						पल्वराईजर	1	2.16953	2.16953	2.16953	गौठान प्रबंधन समिति सालिहा
4						अगरबत्ती मशीन	1	2.50000	2.50000	2.50000	गौठान प्रबंधन समिति बेलटिकरी
5						पलोरमिल	1	0.85000	0.85000	0.85000	गौठान प्रबंधन समिति बेलटिकरी
6					पालीथीन बैग	21.5	0.01485	0.31928	0.31928	गौठान प्रबंधन समिति सालिहा	
					योग-			6.81881	6.81881		
					महायोग-			117.59000	117.59000	117.59000	


117.59

2022-23

117.59

क्र. सं.	वर्ष	योजना का नाम	कार्य का नाम	प्राप्त राशि (लाख रु. में)	विकासखण्ड का नाम	खरीदी किये गये उपकरण/यंत्र का विवरण				भुगतान की गई राशि (लाख रु. में)	खरीदी किये गये मशीन का उपयोगकर्ता
						नाम	मात्रा (संख्या/कि. ग्राम/हे.)	दर (लाख में)	राशि (लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					सिमगा	पल्वराईजर	40	0.63000	25.20000	25.20000	गौठान ग्रामों में
2						पावरवीडर	14	0.81750	11.44500	11.44500	गौठान ग्रामों में
3			जिले के 84 गौठान ग्रामों में		भाटापारा	योग-	54		36.64500	36.64500	गौठान ग्रामों में
4			मल्दीएक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए 79 पल्वराईजर एवं 209 पावरवीडर वितरण कार्य			पावरवीडर	56	0.63000	35.28000	35.28000	गौठान ग्रामों में
5	2022-23	जिला खनिज संस्थान न्यास		196.253	बलौदाबाजार	योग-	11	0.81750	8.99250	8.99250	गौठान ग्रामों में
6						पावरवीडर	67		44.27250	44.27250	गौठान ग्रामों में
7					पलारी	पावरवीडर	36	0.63000	22.68000	22.68000	गौठान ग्रामों में
8						पावरवीडर	23	0.81750	18.80230	18.80230	गौठान ग्रामों में
9					कसडोल	योग-	59		41.48230	41.48230	गौठान ग्रामों में
10						पावरवीडर	29	0.63000	18.27000	18.27000	गौठान ग्रामों में
						पावरवीडर	16	0.81750	13.08000	13.08000	गौठान ग्रामों में
						योग-	45		31.35000	31.35000	गौठान ग्रामों में
						पावरवीडर	48	0.63000	30.24000	30.24000	गौठान ग्रामों में
						पावरवीडर	15	0.81750	12.26250	12.26250	गौठान ग्रामों में
						योग-	63		42.50250	42.50250	गौठान ग्रामों में
				196.253		महायोग-	288		196.25230	196.25230	गौठान ग्रामों में महिला स्वसाहायता समूह के द्वारा
1						पावरवीडर	34	0.63000	21.42000	21.42000	गौठान ग्रामों में महिला स्वसाहायता समूह के द्वारा
2					सिमगा	पावरवीडर	18	1.56954	28.25172	28.25172	गौठान ग्रामों में महिला स्वसाहायता समूह के द्वारा
3						पावरवीडर	16	2.16953	34.71248	34.71248	गौठान ग्रामों में महिला स्वसाहायता समूह के द्वारा
4			जिले के 05 विकासखण्ड में						84.38420	84.38420	गौठान ग्रामों में महिला स्वसाहायता समूह के द्वारा
5			100 महिला स्वसाहायता समूहों एवं 03 कृषकों को 143 नंग पावरवीडर एवं 143 नंग पल्वराईजर प्रदाय कार्य	358.334	भाटापारा	पावरवीडर	26	0.63000	16.38000	16.38000	गौठान ग्रामों में महिला स्वसाहायता समूह के द्वारा
6		जिला खनिज संस्थान न्यास			बलौदा बाजार	पावरवीडर	25	1.56954	39.23850	39.23850	गौठान ग्रामों में महिला स्वसाहायता समूह के द्वारा
7	2022-23					पावरवीडर	1	2.16953	2.16953	2.16953	गौठान ग्रामों में महिला स्वसाहायता समूह के द्वारा
8						पावरवीडर	27	0.63000	57.78803	57.78803	गौठान ग्रामों में महिला स्वसाहायता समूह के द्वारा
9						पावरवीडर	27	1.56954	42.37758	42.37758	गौठान ग्रामों में महिला स्वसाहायता समूह के द्वारा
10					पलारी	पावरवीडर	33	0.63000	20.79000	20.79000	गौठान ग्रामों में महिला स्वसाहायता समूह के द्वारा
11						पावरवीडर	33	2.16953	71.59449	71.59449	गौठान ग्रामों में महिला स्वसाहायता समूह के द्वारा
12						पावरवीडर	23	0.63000	92.38449	92.38449	गौठान ग्रामों में महिला स्वसाहायता समूह के द्वारा
13					कसडोल	पावरवीडर	23	2.16953	49.89919	49.89919	गौठान ग्रामों में महिला स्वसाहायता समूह के द्वारा

क्र. सं.	वर्ष	योजना का नाम	कार्य का नाम	प्राप्त राशि (लाख रु. में)	विकासखण्ड का नाम	खरीदी किये गये उपकरण/यंत्र का विवरण				मुगतान की गई राशि (लाख रु. में)	खरीदी किये गये मशीन का उपयोगकर्ता
						नाम	मात्रा (संख्या/कि. ग्राम/हे.)	दर (लाख में)	राशि (लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						योग			64.38919	64.38919	
				358.334			महायोग-		358.333	358.333	
				672.177			योग (2022-23)		672.176	672.176	
1			विकासखण्ड कसडोल के 03 ग्राम के 199 एकड़ पर हितग्राहियों को आजीविका गतिविधियों में जोड़ने तथा जीविकोपार्जन हेतु आय में वृद्धि के लिये अन्य विभागों के अभिसरण से सामूची वितरण कार्य		कसडोल	पावरवीडर	99	0.63896	63.25704	63.25704	गौठान ग्रामों में महिला स्वसहायता समूह के द्वारा
2	2023-24	जिला खनिज संस्थान न्यास		323.983	कसडोल	पल्बराईजर	37	2.16954	80.27298	80.27298	गौठान ग्रामों में महिला स्वसहायता समूह के द्वारा
3					कसडोल	ड्रिप प्रतिस्थापन	274.66	0.65700	180.45162	180.45162	गौठान ग्रामों में महिला स्वसहायता समूह के द्वारा
				323.983		योग-			323.98164	323.98164	
निरंक											
1	2024-24	जिला खनिज संस्थान न्यास		996.16		कुलयोग-			996.15743	996.15743	


 (विकास सिद्धा)
 उप सचिव


छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारिशेष - बाईस

पारिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 18 (क्र. 759) की जानकारी

प्रपत्र

क	अवधि	वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या				वितरित भूमि (हे. में)			
		व्यक्तिगत			सामुदायिक	व्यक्तिगत			सामुदायिक
		एसटी	ओटीए फडी	योग		एसटी	ओटी एफडी	योग	
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2023-24	254	84	338	5	174.868	51.799	226.667	5.401
2	2024-25 (31 जनवरी 2025 तक)	0	0	0	0	0	0	0	0
योग		254	84	338	5	174.868	51.799	226.667	5.401


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नक्का रायपुर

परिेशष्ट - तेईस
परिवातेत अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 773) की जानकारी

प्रपत्र

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ज्ञापन IPC-II/Iron & Steel/PI-20/10/2021, दिनांक 24 नवम्बर, 2021 अनुसार संयुक्त निरीक्षण समिति की प्रदूषण से संबंधित अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा की गई कार्यवाही

क्र.	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देश (संयुक्त जाँच समिति की अनुशंसाए)	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा की गई कार्यवाही
औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, रायपुर		
1.	सिलतरा स्थित सभी औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिये दिशा निर्देशों एवं सम्मति शर्तों का कड़ाई से पालन तथा सम्मति शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिये औद्योगिक इकाईयों की सतत निगरानी किया जाना.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सिलतरा क्षेत्र के उद्योगों के निरीक्षण की आवृत्ति बढ़ाया जाकर उल्लंघनकारी उद्योगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है. सभी स्पंज आयरन संयंत्रों एवं ताप विद्युत संयंत्रों की चिमनी से उत्सर्जन के सतत परिमाण के लिये आनलाईन कनेक्टिविटी के साथ आनलाईन मानिटोरिंग सिस्टम स्थापित कराया गया है, जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सर्वर से सम्बद्ध है. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा चिमनी उत्सर्जन की मैनुवल मानिटोरिंग भी की जाती है. इसके अलावा री-हीटिंग फर्नेश आधारित रोलिंग मिलों में भी आनलाईन मानिटोरिंग सिस्टम स्थापित कराया गया है.
2.	अत्याधिक प्रदूषित क्षेत्र सिलतरा के पर्यावरणीय सुधार के लिये कार्ययोजना का क्रियान्वयन किया जाना.	सिलतरा क्षेत्र में आक्सीजन विकसित किया गया है. औद्योगिक क्षेत्र की सड़को की मरम्मत एवं पक्कीकरण का कार्य किया जा रहा है तथा सड़को पर नियमित जल छिड़काव किया जा रहा है. चौराहे पर फौबारा स्थापित कराया गया है.
3.	उद्योग परिसर के अंदर आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण एवं जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना.	सिलतरा क्षेत्र के उद्योगों द्वारा आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण तथा साथ ही उद्योगों के द्वारा आंतरिक मार्गों में जल छिड़काव किया जा रहा है एवं परिसर के 33% क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया है. बड़े उद्योगों में व्हील वाशिंग सिस्टम स्थापित कराया गया है.
4.	छोटे और मध्यम श्रेणी के स्पंज आयरन संयंत्रों से फ्युजिटिव डस्ट का प्रभावी नियंत्रण किया जाना.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा फ्युजिटिव डस्ट का प्रभावी नियंत्रण हेतु सभी उद्योगों को बैग फिल्टर्स का सतत संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. बैग फिल्टर से संबद्ध चिमनियों की ऊंचाई 30 मीटर करा दी गई है.
5.	हरित तकनीकी को प्रोत्साहन किया जाना.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा हरित तकनीकी के विकास के तहत केवल हाट चार्जिंग रोलिंग मिलों एवं कोल गैसी फायर आधारित रोलिंग मिलों की स्थापना की अनुमति दी जा रही है.
6.	जन-जागृति एवं स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाना.	बढ़ी औद्योगिक इकाईयों द्वारा पर्यावरणीय जन-जागृति कार्यक्रम तथा आस-पास के क्षेत्र में स्वास्थ्य परीक्षण के लिये शिविरों का आयोजन किया जा रहा है.
7.	ठोस अपशिष्टों चार-डोलोचार, फ्लाई एश आदि की अवैध डम्पिंग बंद किया जाना.	स्पंज आयरन संयंत्रों से जनित ठोस अपशिष्ट चार-डोलोचार का उपयोग विद्युत संयंत्रों द्वारा ईंधन के रूप में किया जा रहा है तथा फ्लाई एश एवं ई.एस.पी. डस्ट का उपयोग ईट निर्माण एवं अन्य प्रयोजनों के किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है. वर्तमान में ठोस अपशिष्टों की अवैध डम्पिंग नहीं पाई जा रही है.
तमनार एवं घरघोडा जिला-रायगढ़		
1.	जिला रायगढ़ के तमनार एवं घरघोडा क्षेत्र का पर्यावरणीय अध्ययन किया जाना.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा तमनार एवं घरघोडा क्षेत्र, जिला रायगढ़ का पर्यावरणीय अध्ययन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (आई.आई.टी.) भिलाई से कराया गया है. संस्थान द्वारा माह अप्रैल 2023 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है.


सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर


पारोशिए - चौबीस

परिवारित अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 830) की जानकारी

प्रपत्र

जनवरी, 2025 की स्थिति में जांजगीर-चांपा व सक्ती जिले में रेत खदानों को वर्तमान में जारी वैध पर्यावरणीय स्वीकृति (जिलेवार, नामवार, रकबेवार एवं अवधि के सम्बन्ध) की जानकारी

क्र.	खदान का नाम एवं पता, जिसके पक्ष में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है	नदी	रकबा (हेक्टेयर)	अवधि
जिला-जांजगीर-चाम्पा				
1.	मेसर्स चांपा सेण्ड माईन (प्रो.- श्री विनीत सिंह क्षत्रिया), नगरपालिका परिषद-चांपा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर चांपा	हसदेव	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
2.	मेसर्स बरबसपुर सेण्ड माईन (प्रो.- श्री शिवेश मिश्रा), ग्राम-बरबसपुर, तहसील-नवागढ़, जिला-जांजगीर-चांपा	हसदेव	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
3.	मेसर्स घुठिया सेण्ड माईन (प्रो.- श्री शिशुपाल सिंह राजपूत), ग्राम-घुठिया, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा	हसदेव	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
4.	मेसर्स नवागांव सेण्ड माईन (प्रो.- श्रीमती भारती खातरकर), ग्राम-नवागांव, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा	हसदेव	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
5.	मेसर्स लच्छनपुर सेण्ड माईन (प्रो.- श्री बाबूलाल जायसवाल), ग्राम-लच्छनपुर, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा	हसदेव	4.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
जिला-सक्ती				
निरंक				


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - पच्चीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 839) की जानकारी

प्रपत्र- 'अ'

स. क्र.	जिला	वर्ष	मौसम	तहसील	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा (हे.)	कृषक प्रीमियम राशि (लाख रु.)
1	2	4	5	3	6	7	8	9
1	बीजापुर	2024	खरीफ	बीजापुर	धान सिंचित	10	26.767	0.257
2					धान असिंचित	2201	6170.669	51.833
3				कुटरू	धान असिंचित	727	1744.304	14.652
4				भोपालपट्टनम	धान सिंचित	1754	3361.483	32.270
5					धान असिंचित	1603	3338.663	28.045
6				भैरमगढ़	धान असिंचित	1201	3199.829	26.879
7					कुटकी	1	1.801	0.003
8					उड़द	5	22.843	0.101
9				उसूर	धान सिंचित	2	5.590	0.054
10					धान असिंचित	2454	6074.357	51.024
11				गंगालूर	धान असिंचित	752	3169.443	26.624
(जिला-बीजापुर, मौसम खरीफ, वर्ष 2024) योग						10710	27115.749	231.742
12	बस्तर	2024	खरीफ	बकावंड	धान सिंचित	96	213.940	2.353
13					धान असिंचित	5163	9523.092	83.804
14					मक्का	43	147.340	1.297
15				बास्तानार	धान असिंचित	762	1221.734	10.751
16					कुटकी	7	13.160	0.022
17					मक्का	19	38.940	0.343
18					रागी	12	6.000	0.018
19					उड़द	1	1.000	0.004
20					अरहर	2	2.650	0.016
21				बस्तर	धान सिंचित	139	241.536	2.657
22					धान असिंचित	3872	7465.605	65.699
23					मक्का	5	6.650	0.059
24					उड़द	2	0.680	0.003
25				करपावंड	धान सिंचित	8	6.690	0.074
26					धान असिंचित	2896	6322.560	55.639
27					मक्का	112	351.100	3.090
28				उड़द	3	1.730	0.008	
29				भनपुरी	धान सिंचित	37	60.597	0.667
30					धान असिंचित	4669	8338.222	73.377
31					मक्का	26	63.260	0.557
32	उड़द	3	0.750	0.003				

स. क्र.	जिला	वर्ष	मौसम	तहसील	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा (हे.)	कृषक प्रीमियम राशि (लाख रु.)			
1	2	4	5	3	6	7	8	9			
33	बस्तर	2024	खरीफ	दरभा	धान सिंचित	13	72.996	0.803			
34					धान असिंचित	1939	3387.979	29.814			
35					कोदो	5	21.980	0.035			
36					कुटकी	16	15.450	0.026			
37					मक्का	45	107.848	0.949			
38					उड़द	2	0.220	0.001			
39				तोकापाल	धान सिंचित	14	37.170	0.409			
40					धान असिंचित	4355	5487.795	48.293			
41					मक्का	48	61.050	0.537			
42					उड़द	2	0.800	0.004			
43				जगदलपुर	धान असिंचित	3059	4400.605	38.726			
44					मक्का	101	299.510	2.636			
45				नानगुर	धान असिंचित	1953	3052.163	26.860			
46					कोदो	1	0.400	0.001			
47					कुटकी	1	2.090	0.004			
48					मक्का	62	143.340	1.261			
49					रागी	1	0.200	0.001			
50					उड़द	1	0.400	0.002			
51				लोहांडीगुड़ा	धान सिंचित	1	2.870	0.032			
52					धान असिंचित	2861	5631.084	49.554			
53					कुटकी	2	0.560	0.001			
54					मक्का	56	28.220	0.248			
55					रागी	2	0.860	0.003			
56					उड़द	19	24.560	0.108			
(जिला-बस्तर, मौसम खरीफ, वर्ष 2024) योग						32436	56807.386	500.749			
57				बस्तर	2024-25	रबी	बस्तर	चना	3	2.780	0.009
58	गेहूँ सिंचित	20	18.098					0.090			
59	तोकापाल	चना	73				47.980	0.154			
60		गेहूँ सिंचित	2				1.900	0.009			
61	जगदलपुर	गेहूँ सिंचित	29				55.840	0.276			
62	नानगुर	सरसों	42				96.220	0.318			
63	लोहांडीगुड़ा	चना	17				19.390	0.062			
(जिला-बस्तर, मौसम रबी, वर्ष 2024-25) योग							186	242.208	0.918		

स. क्र.	जिला	वर्ष	मौसम	तहसील	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा (हे.)	कृषक प्रीमियम राशि (लाख रु.)
1	2	4	5	3	6	7	8	9
64	कांकेर	2024	खरीफ	बांदे	धान सिंचित	65	94.810	1.043
65					धान असिंचित	2969	4629.320	40.739
66				कांकेर	धान सिंचित	1092	1892.225	20.815
67					धान असिंचित	9021	15765.216	138.735
68					कुटकी	3	2.900	0.010
69					सोयाबीन	1	4.400	0.026
70					उड़द	12	2.900	0.013
71				कोयलीबेडा	धान असिंचित	2153	4548.758	40.030
72				भानुप्रतापपुर	धान सिंचित	388	732.411	8.057
73					धान असिंचित	8142	16978.198	149.410
74					कोदो	1	0.200	0.001
75					कुटकी	2	1.170	0.004
76					मक्का	1	1.220	0.011
77					रागी	1	0.250	0.001
78					उड़द	26	21.330	0.094
79				पखांजूर	धान सिंचित	1155	1237.351	13.611
80					धान असिंचित	4233	5441.918	47.890
81					मक्का	2	1.590	0.014
82				सरोना	धान सिंचित	627	1041.554	11.457
83					धान असिंचित	5691	10045.891	88.406
84					कोदो	2	1.230	0.004
85					उड़द	8	6.590	0.029
86				दुर्गुकोंडल	धान सिंचित	12	64.810	0.713
87					धान असिंचित	7339	18448.561	162.350
88					कोदो	1	1.300	0.004
89					मक्का	2	1.600	0.014
90					उड़द	78	105.120	0.463
91				चारामा	धान सिंचित	1382	2083.192	22.915
92					धान असिंचित	13496	20476.698	180.197
93					कोदो	2	0.300	0.001
94	उड़द	11	4.370		0.019			
95	नरहरपुर	धान सिंचित	700	1200.784	13.209			
96		धान असिंचित	7021	12293.180	108.181			
97		उड़द	3	3.220	0.014			


स. क्र.	जिला	वर्ष	मौसम	तहसील	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा (हे.)	कृषक प्रीमियम राशि (लाख रु.)
1	2	4	5	3	6	7	8	9
98	कांकेर	2024	खरीफ	अंतागढ़	धान सिंचित	7	21.800	0.240
99					धान असिंचित	5564	11764.346	103.528
100					कुटकी	5	4.090	0.014
101					रागी	3	5.050	0.015
102					उड़द	4	3.350	0.015
103				आमाबेड़ा	धान असिंचित	2187	5809.872	51.127
104					कुटकी	10	7.080	0.024
105					मक्का	1	0.200	0.002
106					रागी	3	1.200	0.004
107					उड़द	9	10.110	0.044
(जिला-कांकेर, मौसम खरीफ, वर्ष 2024) योग						73435	134761.665	1203.493
108	कांकेर	2024-25	रबी	कांकेर	चना	5	5.350	0.026
(जिला-कांकेर, मौसम रबी, वर्ष 2024-25) योग						5	5.350	0.026
109	कोण्डागांव	2024	खरीफ	बड़ेराजपुर	धान सिंचित	456	376.998	4.147
110					धान असिंचित	6265	9962.765	87.672
111					मक्का	4	4.384	0.039
112					उड़द	5	5.813	0.026
113				कोंडागांव	धान सिंचित	431	490.911	5.400
114					धान असिंचित	4872	6944.163	61.109
115					मक्का	75	107.758	0.948
116					रागी	0	2.747	0.008
117				उड़द	5	1.223	0.005	
118				केशकल	धान सिंचित	201	185.636	2.042
119					धान असिंचित	5040	8269.619	72.773
120					मक्का	14	8.294	0.073
121				उड़द	11	4.490	0.020	
122				माकड़ी	धान सिंचित	115	86.656	0.953
123					धान असिंचित	7742	13128.910	115.534
124					मक्का	22	17.901	0.158
125				उड़द	4	7.237	0.032	
126				धनोरा	धान असिंचित	2837	6107.045	53.742
127	मक्का	7	9.303		0.082			
128	उड़द	2	2.778		0.012			

स. क्र.	जिला	वर्ष	मौसम	तहसील	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा (हे.)	कृषक प्रीमियम राशि (लाख रु.)
1	2	4	5	3	6	7	8	9
129	कोण्डागांव	2024	खरीफ	मर्दापाल	धान सिंचित	41	27.059	0.298
130					धान असिंचित	1702	2394.628	21.073
131					मक्का	5	7.939	0.070
132					उड़द	4	3.910	0.017
133				फरसगांव	धान सिंचित	108	113.251	1.246
134					धान असिंचित	4202	7266.959	63.949
135					मक्का	6	7.299	0.064
136					उड़द	1	1.072	0.005
(जिला-कोण्डागांव, मौसम खरीफ, वर्ष 2024) योग						34177	55546.748	491.497
137	सुकमा	2024	खरीफ	कोंटा	धान असिंचित	904	1176.391	9.882
138					कुटकी	7	3.400	0.012
139					मूंग	17	4.913	0.022
140					उड़द	5	2.504	0.011
141				छिंदगढ़	धान असिंचित	3293	12139.207	101.969
142					मक्का	5	12.828	0.103
143					मूंग	15	15.199	0.067
144					रागी	6	3.570	0.011
145					उड़द	22	19.652	0.086
146				अरहर	8	3.346	0.020	
147					सुकमा	धान असिंचित	1467	4338.847
148				मूंग		1	0.450	0.002
149				दोरनापाल	धान असिंचित	586	1011.508	8.497
150					कुटकी	4	2.003	0.007
151					मूंग	1	1.820	0.008
152				तोंगापाल	धान असिंचित	2001	6512.724	54.707
153					मूंग	2	3.310	0.015
154				जगरगुंडा	धान असिंचित	173	424.420	3.565
155				गादीरास	धान असिंचित	770	2889.573	24.272
156					मूंग	2	2.213	0.010
157	रागी	3	1.073		0.003			
(जिला-सुकमा, मौसम खरीफ, वर्ष 2024) योग						9292	28568.951	239.715
158	दंतेवाड़ा	2024	खरीफ	बारसूर	धान असिंचित	1240	1905.109	16.003
159				बड़ेबघेली	धान असिंचित	829	3175.221	26.672
160					कुटकी	1	1.180	0.004

स. क्र.	जिला	वर्ष	मौसम	तहसील	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा (हे.)	कृषक प्रीमियम राशि (लाख रु.)
1	2	4	5	3	6	7	8	9
161	दंतेवाड़ा	2024	खरीफ	बड़ेबचेली	मक्का	2	0.665	0.005
162					उड़द	1	13.120	0.058
163				कुवाकोंडा	धान असिंचित	1150	3186.532	26.767
164					कोदो	1	0.240	0.001
165					उड़द	2	0.690	0.003
166				कटेकल्याण	धान असिंचित	1713	3497.988	29.383
167					कुटकी	1	4.900	0.017
168					मक्का	10	10.460	0.084
169					मूंग	1	1.000	0.004
170					उड़द	1	0.160	0.001
171					अरहर	1	0.760	0.005
172				दंतेवाड़ा	धान असिंचित	2894	7793.973	65.469
173					मक्का	1	0.450	0.004
174					उड़द	5	8.210	0.036
175				गीदम	धान असिंचित	2002	4251.430	35.712
176					उड़द	1	0.890	0.004
(जिला-दंतेवाड़ा, मौसम खरीफ, वर्ष 2024) योग						9856	23852.978	200.232
177	नारायणपुर	2024	खरीफ	कोहकामेटा	धान असिंचित	29	36.320	0.305
178				छोटेडोंगर	धान असिंचित	2113	2674.862	22.469
179				नारायणपुर	धान असिंचित	4330	8813.498	74.033
180					कुटकी	2	11.333	0.039
181					मक्का	35	67.255	0.538
182					उड़द	0	0.043	0.000
(जिला-नारायणपुर, मौसम खरीफ, वर्ष 2024) योग						6509	11603.311	97.384
183	नारायणपुर	2024-25	रबी	नारायणपुर	चना	59	73.833	0.354
(जिला-नारायणपुर, मौसम रबी, वर्ष 2024-25) योग						59	73.833	0.354
(बस्तर संभाग, वर्ष 2024-25) कुल योग						176665	338578.179	2966.11

हस्ता/-

नोडल अधिकारी (वि.स.)
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर


(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र- 'ब'

वर्ष	मौसम	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	कृषक का नाम	भारी वर्षा, अंधड़ व तेज हवा से संबंधित जोखिम- स्थानीयकृत आपदा एवं फसल कटाई उपरांत होने वाले क्षति (योजनाप्रावधानानुसार) अंतर्गत किये गये दावा भुगतान की जानकारी				
						फसल का नाम	बीमित रकबा (हे.)	दावा राशि (रु. में)	हानि का प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2024	खरीफ	नारायणपुर	नारायणपुर	चिपरेल	लच्छू करंगा	धान असिंचित	0.610	8967.00	35	
							0.350	4410.00	30	
					आयते	धान असिंचित	0.300	4410.00	35	
							0.420	6174.00	35	
					जय सिंग दुग्गा	धान असिंचित	0.400	5040.00	30	
							0.040	470.40	28	
							0.010	126.00	30	
							0.530	6678.00	30	
					तीजू दुग्गा	धान असिंचित	0.840	12348.00	35	
							0.180	2268.00	30	
							0.800	10080.00	30	
							1.960	28812.00	35	
					सन्नो	धान असिंचित	2.770	34902.00	30	
							0.260	3822.00	35	
							0.340	4998.00	35	
					मंगूराम	धान असिंचित	0.420	5292.00	30	
							0.300	3780.00	30	
							0.200	2100.00	25	
					सुंदरम	धान असिंचित	0.200	2100.00	25	
							1.230	15498.00	30	
							0.430	5418.00	30	
							0.480	7056.00	35	
					गढ़बंगाल	धान असिंचित	0.660	9702.00	35	
							0.420	6174.00	35	
							0.230	2898.00	30	
							0.295	4956.00	40	
						सुक्र कुमार राठौर	धान असिंचित	0.156	1965.60	30
								0.252	3175.20	30
								0.071	1043.70	35
								0.152	1915.20	30
सुलंगा	धान असिंचित	0.540	6804.00	30						
		0.080	1008.00	30						
		0.213	2683.80	30						
पाथुरबेड़ा	धान असिंचित	0.120	1512.00	30						
		0.202	2545.20	30						
		0.160	2352.00	35						
लल्लूसिंग नाग	धान असिंचित	0.250	3675.00	35						
		1.900	27930.00	35						

वर्ष	मौसम	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	कृषक का नाम	भारी वर्षा, अंधड़ व तेज हवा से संबंधित जोखिम-स्थानीयकृत आपदा एवं फसल कटाई उपरांत होने वाले क्षति (योजनाप्रावधानानुसार) अंतर्गत किये गये दावा भुगतान की जानकारी					
						फसल का नाम	बीमित रकबा (हे.)	दावा राशि (रु. में)	हानि का प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2024	खरीफ	नारायणपुर	नारायणपुर	देवगांव	उमेश साहू	धान असिंचित	0.100	1680.00	40		
						0.450	6615.00	35			
					सोनऊ राम मंडावी	धान असिंचित	0.520	8736.00	40		
						0.620	9114.00	35			
					मंगलूराम	धान असिंचित	1.760	25872.00	35		
							0.870	14616.00	40		
				मतावंड बागबेड़ा	सुदुराम	धान असिंचित	0.380	5586.00	35		
							1.080	15876.00	35		
							7.030	88578.00	30		
							1.170	17199.00	35		
							0.650	8190.00	30		
							0.900	15120.00	40		
							बाजाय	धान असिंचित	0.480	7056.00	35
							4.790	60354.00	30		
महंगी	धान असिंचित	2.560	32256.00	30							
कूची	धान असिंचित	1.890	23814.00	30							
(जिला-नारायणपुर) योग							44.681	609905.10			
2024	खरीफ	बीजापुर	गंगलूर	रेड्डी	दिनेश वाचम	धान असिंचित	2.380	29988.00	60		
							संतोष मंचल	धान असिंचित	1.075	10836.00	60
									0.305	3074.40	60
									0.248	2499.84	60
0.855	8618.40	60									
(जिला-बीजापुर) योग							4.863	55016.64			
2024	खरीफ	बस्तर	जगदलपुर	कुरंदी	कानू	धान असिंचित	2.020	26664.00	60		
				धनपंजी	किशोर बिसोई		2.000	34320.00	60		
(जिला-बस्तर) योग							4.020	60984.00			
2024	खरीफ	कोण्डागांव	केशकाल	पिपरा	चन्द्रजीत राणा	धान असिंचित	0.809	3559.60	10		
(जिला-कोण्डागांव) योग							0.809	3559.60			
खरीफ 2024 कुल योग							54.373	729465.34			

हस्ता/-

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

नोडल अधिकारी (वि.स.)
संचालनालय कृषि
छ.ग.रायपुर

पंरोशेष्ट - छब्बीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 843) की जानकारी
पावर स्पेयर प्रदाय हेतु निर्धारित तकनीकी योग्यतायें


प्रपत्र

निविदाकर्ता को फायनेंशियल बिडिंग में सम्मिलित होने के पूर्व निर्धारित तकनीकी मापदण्डों में 80% या अधिक अंक प्राप्त करने होंगे।

क्र.	तकनीकी मूल्यांकन मापदण्ड	अंक
1.	छत्तीसगढ़ राज्य का "एम. एस. एम. ई" उद्योग	10
2.	छत्तीसगढ़ का स्टार्टअप उद्योग	20
3.	आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाण पत्र	05
4.	उत्पाद/वस्तु के संबंध में "एफ.एम. टी. टी. आई." की रिपोर्ट	10
5.	विगत तीन वर्षों का परफॉरमेंस (80%)	20
6.	वित्तीय क्षमता, निवल संपत्ति रु. 2 करोड़	10
7.	पी. ए.एन. राज्य जी.एस.टी. विगत तीन वर्षों का "आयकर रिटर्न"	10
8.	विगत 01 वर्ष का जी.एस.टी. रिटर्न	05
9.	थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट	10
	कुल	100

अन्य मापदण्ड

1. निविदाकर्ता की पेन कार्ड, जी.एस.टी. कार्ड, विगत 02 त्रैमास के रिटर्न, चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमाण-पत्र के साथ विगत 03 वर्षों के आयकर रिटर्न (यूडीआईएन नंबर सहित) की स्वप्रमाणित प्रति।
2. 80% पूर्व अनुभव प्रमाणन के लिये "पूर्व कार्यादेशों की प्रति"
3. सभी प्रमाण-पत्र तथा दस्तावेजों का "तृतीय पक्ष" से सत्यापन उपरांत एक मूल प्रति।
4. "काली सूची" में न होने संबंधी रु. 100 का नोटराइज्ड हलफनामा।
5. निविदा केवल राज्य के निविदाकारों के लिये सुरक्षित है।


(विकास मिश्रा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 849) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	प्रदाय सामग्री / उपकरण का नाम	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1	2020-21 (जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक)	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - पर ड्राप मोर क्राप	स्प्रिंकलर सेट	2742
योग वर्ष 2020-21				
2	2021-22	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - पर ड्राप मोर क्राप	स्प्रिंकलर सेट	2981
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-डब्लूडीसी 2.0	ड्रिप सेट	26
योग वर्ष 2021-22				
3	2022-23	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - पर ड्राप मोर क्राप	स्प्रिंकलर सेट	4001
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-डब्लूडीसी 2.0	ड्रिप सेट	114
योग वर्ष 2022-23				
4	2023-24	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-डब्लूडीसी 2.0	स्प्रिंकलर सेट	112
			पाईप सेट	185
			पंप सेट	314
			ड्रिप सेट	3
योग वर्ष 2023-24				
5	2024-25 (दिसम्बर 2024 तक)	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - पर ड्राप मोर क्राप	स्प्रिंकलर सेट	668
योग वर्ष 2024-25 (दिसम्बर 2024 तक)				
योग वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 (दिसम्बर 2024 तक)				11146

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशेष - अट्टाईस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 850) की जानकारी

प्रपत्र-अ

क.	जिला	ब्लॉक	बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति जनसंख्या	बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति जनसंख्या	कुल विशेष पिछड़ी जनजाति जनसंख्या
1	2	3	4	5	6
1	बिलासपुर	कोटा	5152	337	5489
2	बिलासपुर	तखतपुर	244	0	244
3	बिलासपुर	मस्तुरी	0	123	123
		योग	5396	460	5856

Sans
अनुभाग अधिकारी
आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
प्रित्तिय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र "ब"

क्र.	योजना का नाम	प्रारंभ वर्ष	विकास खंड का नाम	कार्यक्षेत्र		स्वीकृत कार्य / गतिविधि का नाम	ग्राम (लामावित्त) का नाम	स्वीकृत राशि	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लामावित्तों की संख्या
				ग्राम का नाम	5				
1	प्रधानमंत्री जनमन योजना	3	कोटा	बारीडीह	5	6	7	8	9
		15 नवम्बर 2023	कोटा	बहेरामुडा		पक्का आवास (PMAY(G))		32.00	16
			कोटा	बंसाझाल				112.00	56
			कोटा	छतोना				50.00	25
			कोटा	चुरेली				12.00	6
			कोटा	दारसागर				16.00	8
			कोटा	धनरास				90.00	45
			कोटा	करपिहा				6.00	3
			कोटा	धूमा				6.00	3
			कोटा	डीन्डोल				30.00	15
			कोटा	जोगीपुर				20.00	10
			कोटा	करवा				50.00	25
			कोटा	खोंगसरा				118.00	59
			कोटा	चिखलाडभरा				78.00	39
			कोटा	लूफा				190.00	95
			कोटा	औरापानी				112.00	56
			कोटा	मोहली				34.00	17
			कोटा	नागबुवा				14.00	7
			कोटा	परसापानी				4.00	2
			कोटा	नेवसा				36.00	18
			कोटा	कुम्हाडा खोल				42.00	21
			कोटा	रिंगवार				10.00	5
			कोटा	भेलवा टिकरा				2.00	1
			कोटा	सेमारिया				22.00	11
			कोटा	शिवतराई				12.00	6
			कोटा	टाटीघार				22.00	11
			कोटा					208.00	104


क्र.	योजना का नाम	प्रारंभ वर्ष	विकास खंड का नाम	कार्यक्षेत्र		स्वीकृत कार्य / गतिविधि का नाम	ग्राम (लाभान्वित) का नाम	स्वीकृत राशि	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लाभान्वितों की संख्या
				ग्राम का नाम	ग्राम का नाम				
			कोटा	उमरिया (दादर)			उमरिया (दादर)	44.00	22
			कोटा	उपका			उपका	10.00	5
			तखतपुर	रामहेपुर			रामहेपुर	52.00	26
			तखतपुर	बरगन			बरगन	14.00	7
			मस्तूरी	जेवरा			जेवरा	34.00	17
			मस्तूरी	खैरवारपारा			खैरवारपारा	8.00	4
							योग	1490.00	745
2			कोटा	कुरदर से उमरिया सरगोड़	संपर्क सड़के (PMGSY)	कुरदर से उमरिया सरगोड़	कुरदर से उमरिया सरगोड़	841.06	461
			कोटा	सेमरिया से औरापानी		सेमरिया से औरापानी	सेमरिया से औरापानी	165.00	111
			कोटा	सेमरिया से बिरहोरपारा		सेमरिया से बिरहोरपारा	सेमरिया से बिरहोरपारा	307.79	142
			कोटा	कुरदर रोड से बहेरामुडा (बैगापारा)		कुरदर रोड से बहेरामुडा (बैगापारा)	कुरदर रोड से बहेरामुडा (बैगापारा)	222.84	420
			कोटा	कुरदर से चिखलाडबरी		कुरदर से चिखलाडबरी	कुरदर से चिखलाडबरी	426.70	37
			कोटा	बगधर सरगोड़ रोड से गौरखुरी		बगधर सरगोड़ रोड से गौरखुरी	बगधर सरगोड़ रोड से गौरखुरी	293.67	130
			कोटा	आमागोहन मोहाली से छपरापारा		आमागोहन मोहाली से छपरापारा	आमागोहन मोहाली से छपरापारा	406.51	140
			कोटा	टी011 से बागधपरा		टी011 से बागधपरा	टी011 से बागधपरा	225.11	60
			कोटा	आरएमकेके खैरझिटी रोड से बैगामोहल्ला		आरएमकेके खैरझिटी रोड से बैगामोहल्ला	आरएमकेके खैरझिटी रोड से बैगामोहल्ला	148.19	272
			कोटा	मेन रोड से झोकापारा व्हाया कुम्हडा खोल		मेन रोड से झोकापारा व्हाया कुम्हडा खोल	मेन रोड से झोकापारा व्हाया कुम्हडा खोल	591.65	23
			कोटा	पुडू, उपरियादादर रोड से कोइलारीपारा		पुडू, उपरियादादर रोड से कोइलारीपारा	पुडू, उपरियादादर रोड से कोइलारीपारा	204.20	140
			कोटा	पुडू, रिगवार रोड से पिपरापारा		पुडू, रिगवार रोड से पिपरापारा	पुडू, रिगवार रोड से पिपरापारा	223.08	6
			कोटा	पुडू, से नवापारा		पुडू, से नवापारा	पुडू, से नवापारा	205.64	31
			कोटा	शिवतराई मेन रोड से बैगामोहल्ला		शिवतराई मेन रोड से बैगामोहल्ला	शिवतराई मेन रोड से बैगामोहल्ला	358.94	52
			कोटा	नगवुआं रोड से नगवुआं (बैगापारा)		नगवुआं रोड से नगवुआं (बैगापारा)	नगवुआं रोड से नगवुआं (बैगापारा)	159.47	35
			कोटा	धनरास (तलैयापारा) से बैगापारा		धनरास (तलैयापारा) से बैगापारा	धनरास (तलैयापारा) से बैगापारा	186.82	24
			कोटा	कोटा शिवटिकारी रोड से करपीहा (बैगापारा)		कोटा शिवटिकारी रोड से करपीहा (बैगापारा)	कोटा शिवटिकारी रोड से करपीहा (बैगापारा)	491.14	21
			कोटा	मेन रोड (आरएमकेके) से कटेलिपारा		मेन रोड (आरएमकेके) से कटेलिपारा	मेन रोड (आरएमकेके) से कटेलिपारा	247.36	97

क्र.	योजना का नाम	प्रारंभ वर्ष	विकास खंड का नाम	कार्यक्षेत्र		स्वीकृत कार्य / गतिविधि का नाम	ग्राम (लामाचिंत) का नाम	स्वीकृत राशि	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लामाचिंतों की संख्या
				ग्राम का नाम	ग्राम का नाम				
			कोटा	आरएमकेके रोड से बांसाझाल व्हाया बैंगामोहल्ला	आरएमकेके रोड से बांसाझाल व्हाया बैंगामोहल्ला		आरएमकेके रोड से बांसाझाल व्हाया बैंगामोहल्ला	273.04	205
			कोटा	आरएमकेके रोड से पेंड्रीपारा	आरएमकेके रोड से पेंड्रीपारा		आरएमकेके रोड से पेंड्रीपारा योग	102.98	97
			कोटा	बेलगहना लूफा रोड से भदरापारा	बेलगहना लूफा रोड से भदरापारा		बेलगहना लूफा रोड से भदरापारा	6081.19	2504
			कोटा	टी-011 लहगामाठा लूफा रोड से चुनाखोंदरा बैंगापारा	टी-011 लहगामाठा लूफा रोड से चुनाखोंदरा बैंगापारा		टी-011 लहगामाठा लूफा रोड से चुनाखोंदरा बैंगापारा	186.33	37
			कोटा	बेलगहना खोंगसरा रोड से भेलवाटिकरा	बेलगहना खोंगसरा रोड से भेलवाटिकरा		बेलगहना खोंगसरा रोड से भेलवाटिकरा	225.20	585
			कोटा	नेवसा से बैंगापारा	नेवसा से बैंगापारा		नेवसा से बैंगापारा	395.26	15
			कोटा	नेवसा से नकटाबांधा	नेवसा से नकटाबांधा		नेवसा से नकटाबांधा	244.13	90
			कोटा	बिरहोरपारा उमरियादादर से बिजराभौना	बिरहोरपारा उमरियादादर से बिजराभौना		बिरहोरपारा उमरियादादर से बिजराभौना	190.43	100
			कोटा	मिट्टू नवागांव रोड से बैंगापारा	मिट्टू नवागांव रोड से बैंगापारा		मिट्टू नवागांव रोड से बैंगापारा	366.00	80
			कोटा	कोटा बेलगहना रोड से डोंगरीपारा	कोटा बेलगहना रोड से डोंगरीपारा		कोटा बेलगहना रोड से डोंगरीपारा	139.14	120
			कोटा	पटेलपारा मानिकपुर रोड से चुरेली अमगार	पटेलपारा मानिकपुर रोड से चुरेली अमगार		पटेलपारा मानिकपुर रोड से चुरेली अमगार	174.97	180
			कोटा	कोटा बेलगहना रोड से बैंगापारा करहीकछार	कोटा बेलगहना रोड से बैंगापारा करहीकछार		कोटा बेलगहना रोड से बैंगापारा करहीकछार	261.34	34
			कोटा	करका से करवापारा बैंगामोहल्ला	करका से करवापारा बैंगामोहल्ला		करका से करवापारा बैंगामोहल्ला	87.10	32
			तखतपुर	भीमपुरी से राम्हेपुर बैंगापारा	भीमपुरी से राम्हेपुर बैंगापारा		भीमपुरी से राम्हेपुर बैंगापारा योग	363.30	8
							भीमपुरी से राम्हेपुर बैंगापारा योग	424.86	215
							कुल योग (सड़क)	3058.06	1496
								9139.25	4000
3			कोटा			वनधन विकास केन्द्र (वन विभाग)		0.00	0
							योग	0.00	0
4			कोटा	खोंगसरा	खोंगसरा	छात्रावास का निर्माण (स्कूल शिक्षा विभाग)	खोंगसरा योग	186.53	50
							योग	186.53	50
5			कोटा			आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण एवं संचालन (महिला एवं बाल विकास विभाग)		0.00	0
							योग	0.00	0

क्र.	योजना का नाम	प्रारंभ वर्ष	विकास खंड का नाम	कार्यक्षेत्र		स्वीकृत कार्य / गतिविधि का नाम	ग्राम (लाभान्वित) का नाम	स्वीकृत राशि	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लाभान्वितों की संख्या
				ग्राम का नाम	कार्यक्षेत्र				
6			कोटा	ढोढीनार (टाटीधार)	बहुउद्देशीय केन्द्र (आदिम जाति विकास विभाग)	ढोढीनार (टाटीधार)	60.000	0	
			कोटा	केराचुवा (कटेलीपारा)			60.000		
				योग			120.000		
7			कोटा	नकटाबांधा बैगा पारा	अविद्युतीकृत पीवीटीजी घरों का विद्युतीकरण (CSPDCL)	नकटाबांधा बैगा पारा	3.62	9	
			कोटा	धनरास		धनरास	0.40	1	
			कोटा	धूमा		धूमा	0.40	1	
			कोटा	बहेरामुडा		बहेरामुडा	1.21	3	
			कोटा	चूनाखोदरा		चूनाखोदरा	2.42	6	
			कोटा	छपरापारा		छपरापारा	0.81	2	
			कोटा	खोंगसरा		खोंगसरा	2.01	5	
			कोटा	जोकापारा		जोकापारा	0.40	1	
			कोटा	बाधवगढ़		बाधवगढ़	0.40	1	
			कोटा	पुडू		पुडू	1.61	4	
			कोटा	बिरहोरपारा		बिरहोरपारा	0.40	1	
			कोटा	डबरीपारा		डबरीपारा	0.40	1	
			कोटा	डिंडोल		डिंडोल	0.40	1	
			कोटा	नकटाबांधा		नकटाबांधा	1.21	3	
8			कोटा	नवापारा	अविद्युतीकृत पीवीटीजी घरों का सौर उर्जा से विद्युतीकरण (CREDA)	नवापारा	0.40	1	
			कोटा	कुम्हाडा खोल		कुम्हाडा खोल	2.01	5	
			कोटा	नकटाबांधा		नकटाबांधा	0.81	2	
			तखतपुर	रामहेपुर		रामहेपुर	5.64	14	
				योग		24.56	61		
9			कोटा	चिखलाडबरी	मोबाईल मेडिकल युनिट (स्वास्थ्य विभाग)	चिखलाडबरी	141.83	19	
			कोटा	सरगोड		सरगोड		42	
			कोटा	खैरझिटी		खैरझिटी		1	
			कोटा	-		योग	141.83	62	
			कोटा	-			0.00	0	
						योग	0.00	0	

क्र.	योजना का नाम	प्रारंभ वर्ष	विकास खंड का नाम	कार्यक्षेत्र		स्वीकृत कार्य / गतिविधि का नाम	ग्राम (लाभान्वित) का नाम	स्वीकृत राशि	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लाभान्वितों की संख्या
				ग्राम का नाम	कार्यक्षेत्र				
10			कोटा	उपका	नल से जल (जल जीवन मिशन)	उपका	42.08	15	
			कोटा	खैरझिटी		खैरझिटी	49.97	204	
			कोटा	करहीकछार		करहीकछार	88.72	162	
			कोटा	मोहाली		मोहाली	77.42	132	
			कोटा	दारसागर		दारसागर	49.69	222	
			कोटा	भासाझाल		भासाझाल	34.18	96	
			कोटा	खोगसरा		खोगसरा	90.67	249	
			कोटा	छतौना		छतौना	39.12	33	
			कोटा	नेवसा		नेवसा	39.68	48	
			कोटा	भेलवाटिकरा		भेलवाटिकरा	38.31	12	
			कोटा	शक्तिबहरा		शक्तिबहरा	36.36	45	
			कोटा	पीपरपारा		पीपरपारा	46.28	6	
			कोटा	कुम्हडाखोल		कुम्हडाखोल	49.97	18	
			कोटा	पुडु		पुडु	35.52	24	
			कोटा	लुफा		लुफा	24.59	351	
			कोटा	करपिहा		करपिहा	86.97	18	
			कोटा	धनरास		धनरास	37.52	18	
		कोटा	बहेरामुडा		बहेरामुडा	46.98	360		
		कोटा	उमरिया		उमरिया	45.81	120		
		कोटा	सरगोड		सरगोड	42.92	48		
		कोटा	औरापानी		औरापानी	44.43	114		
		कोटा	शिवतराई		शिवतराई	84.24	78		
		कोटा	चुरेली		चुरेली	101.35	42		
		कोटा	परसापानी		परसापानी	132.21	72		
		कोटा	करका		करका	47.04	102		
		कोटा	केवरापारा		केवरापारा	48.31	3		

क्र.	योजना का नाम	प्रारंभ वर्ष	विकास खंड का नाम	कार्यक्षेत्र		स्वीकृत कार्य / गतिविधि का नाम	ग्राम (लामाचिंत) का नाम	स्वीकृत राशि	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लामाचिंतों की संख्या
				ग्राम का नाम	कार्यक्षेत्र				
			कोटा	चिखलाडबरा	चिखलाडबरा		चिखलाडबरा	40.21	48
			कोटा	कुरदर	कुरदर		कुरदर	99.89	126
			कोटा	करवा	करवा		करवा	125.75	237
			कोटा	उमरिया दादर	उमरिया दादर		उमरिया दादर	127.77	147
			कोटा	टाटीधार	टाटीधार		टाटीधार	205.67	462
			कोटा	नगचुवा	नगचुवा		नगचुवा	83.82	30
			कोटा	बारीडीह	बारीडीह		बारीडीह	141.80	9
			कोटा	सेमरिया	सेमरिया		सेमरिया	114.30	105
			कोटा	धुमा	धुमा		धुमा	19.91	168
			कोटा	डिडौल	डिडौल		डिडौल	98.61	36
			कोटा	तुलुफ	तुलुफ		तुलुफ	42.83	6
			कोटा	पहाडबछाली	पहाडबछाली		पहाडबछाली	49.90	24
			कोटा	परसापानी	परसापानी		परसापानी	103.90	30
			तखतपुर	राम्हेपुर	राम्हेपुर		राम्हेपुर	49.11	39
			तखतपुर	बरगन	बरगन		बरगन	87.44	0
			मस्तूरी	जेवरा	जेवरा		जेवरा	141.79	84
			मस्तूरी	टरकपुर	टरकपुर		टरकपुर	100.48	18
							योग	3093.52	4161
11			कोटा	कुपाबाधा (झरना) दारसागर	कुपाबाधा (झरना) दारसागर	कौशल शिक्षा एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण (State Project Livelihood Collage Society)	कुपाबाधा (झरना) दारसागर	0.68	20
			कोटा	बहेरामुडा (बेलगहना)	बहेरामुडा (बेलगहना)		बहेरामुडा (बेलगहना)	0.68	20
							योग	1.36	40


अनुभाग अधिकारी
 ए.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
 झारखण्ड, नवा रायपुर, अटल नगर

पंरोशेष्ट - उन्तीस

पंरोवातेत अतारोकेत प्रश्न संख्या 29 (क्र. 871) की जानकारी

प्रपत्र-अ

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलित विकासखंडों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किये गये कार्यों की जानकारी वर्ष 2023-24

वित्तीय राशि रु. लाख में

क्र.	योजना का नाम	पंडरिया विधानसभा अंतर्गत विकासखंड	भौतिक लक्ष्य जिला कबीरधाम (हे.)	लक्ष्य के विरुद्ध पूर्ति		लाभान्वित कृषक संख्या
				भौतिक (हे.)	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-ड्रिप	कवर्धा	0	0	0	0
		पंडरिया		0	0	0
		सहसपुर लोहारा		0	0	0
2	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-स्प्रिंकलर	कवर्धा	0	0	0	0
		पंडरिया		0	0	0
		सहसपुर लोहारा		0	0	0
3	राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना-ड्रिप	कवर्धा	15	5.14	3.76	5
		पंडरिया		0.00	0.00	0
		सहसपुर लोहारा		9.10	6.02	3
योग			15	14.24	9.78	8

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-ब

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलित विकासखंडों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किये गये कार्यों की जानकारी वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.02.2025 तक)

वित्तीय राशि रु. लाख में

क्र.	योजना का नाम	पंडरिया विधानसभा अंतर्गत विकासखंड	भौतिक लक्ष्य जिला कबीरधाम (हे.)	लक्ष्य के विरुद्ध पूर्ति		लाभान्वित कृषक संख्या
				भौतिक (हे.)	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-ड्रिप	कवर्धा	57	6.65	5.18	7
		पंडरिया		1.95	1.50	1
		सहसपुर लोहारा		22.69	18.28	23
2	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-स्प्रिंकलर	कवर्धा	1898	288.80	53.32	331
		पंडरिया		168.82	31.00	184
		सहसपुर लोहारा		215.13	37.06	218
3	राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना-ड्रिप	कवर्धा	12	7.29	5.74	6
		पंडरिया		2.00	1.25	1
		सहसपुर लोहारा		1.93	1.63	4
योग			1967	715.26	154.96	775
महायोग-वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 (दिनांक 01.02.2025 तक)			1982	729.50	164.74	783


(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

ड्रिप सिस्टम हेतु निर्धारित इकाई लागत (रूपये में)					
स्पेसिंग (मीटर)	1 हेक्टर	2 हेक्टर	3 हेक्टर	4 हेक्टर	5 हेक्टर
12x12	28274	44962	69810	86849	110591
10x10	30109	48560	75310	94329	119935
9x9	31399	51139	79181	99597	126527
8x8	33094	54412	84263	106507	135159
6x6	39890	66685	107741	130661	163951
5x5	45285	77279	111676	141921	190687
4x4	47765	83719	130594	170987	203508
3x3	54913	95052	146402	184119	230523
2.5x2.5	78469	142848	218183	306215	374018
2x2	95547	185453	269421	374289	459418
1.5x1.5	111832	213122	318282	439583	540852
2.5x0.6	82493	151597	231684	321735	394948
1.8x0.6	105295	199293	299998	408621	508857
1.5x0.6	125960	239039	360995	488967	610541
1.2x0.6 स्पेसिंग	146626	278786	421992	569313	712224

स्प्रिंकलर सेट हेतु निर्धारित इकाई लागत (रूपये में)			
एरिया	पाईप साईज		
	63 (एम एम)	75 (एम एम)	90 (एम एम)
0.400 हेक्ट. तक	15193	-	-
1.000 हेक्ट. तक	24826	27823	0
2.000 हेक्ट. तक	35842	39856	0
3.000 हेक्ट. तक	-	-	53796
4.000 हेक्ट. तक	-	-	67844
5.000 हेक्ट. तक	-	-	76807


(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र

परिशेष - तीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 914) की जानकारी

क्र	वर्ष	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	प्राप्त आवेदनों/ दावों का विवरण		स्वीकृत आवेदनों/ दावों का विवरण		वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या		अस्वीकृत दावों/ आवेदनों की संख्या		निराकरण हेतु लंबित दावों/ आवेदनों की संख्या	
				व्यक्तिगत	सामुदायिक	व्यक्तिगत	सामुदायिक	व्यक्तिगत	सामुदायिक	व्यक्तिगत	सामुदायिक	व्यक्तिगत	सामुदायिक
1	2021-22	तखतपुर	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग :-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2022-23	तखतपुर	तखतपुर नगरीय क्षेत्र	150	0	129	0	129	0	21	0	0	0
		योग :-		150	0	129	0	129	0	21	0	0	0
2	2023-24	तखतपुर	सकरी नगरीय क्षेत्र	506	0	506	0	506	0	0	0	0	0
3	2023-24	तखतपुर	अमरी नगरीय क्षेत्र	710	0	710	0	710	0	0	0	0	0
4	2023-24	तखतपुर	उरलापुर नगरीय क्षेत्र	596	0	233	0	233	0	363	0	0	0
5	2023-24	तखतपुर	राम्हेपुर ग्रामीण	39	0	32	0	32	0	7	0	0	0
		योग :-		1851	0	1481	0	1481	0	370	0	0	0
		महायोग		2001	0	1610	0	1610	0	391	0	0	0

Amrita
अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर

चना बीज मूल्य (उपार्जन/विक्रय दर) निर्धारण की प्रक्रिया

उपार्जन दर निर्धारण :- बीज निगम द्वारा कृषक प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन कार्यक्रम से प्राप्त बीज का उपार्जन दर निर्धारित किया जाता है। बीज निगम द्वारा बीज उपार्जन दर निर्धारण हेतु नीति के तहत निर्धारित माह में निर्धारित मंडियों की उच्चतम दरो की औसत दर अथवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य में से जो भी अधिक हो उस दर पर भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा योजनाओं में देय उत्पादन अनुदान राशि की 75% राशि तथा मंडी निधि से देय उत्पादन प्रोत्साहन राशि को जोड़कर उपार्जन दर का निर्धारण किया जाता है।


चना फसल के लिए मंडी की औसत उच्चतम दर के लिए माह एवं मंडी निर्धारित है, जो कि निम्नानुसार है :-

क्र.	फसल	विवरण
1	चना	कृषि उपज मंडी समिति बेमेतरा, कवर्धा, रायपुर, भाटापारा, मुंगेली के 15 मार्च से 15 मई तक दैनिक उच्चतम भाव

बीज विक्रय दर निर्धारण :- बीज निगम द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के तहत निर्धारित उपार्जन दर में बीज संसाधन, पैकिंग, प्रमाणीकरण, विद्युत व्यय, परिवहन व्यय, अन्य प्रासंगिक व्यय, निगम मार्जिन तथा सहकारी समितियों की मार्जिन को जोड़कर कुल राशि में उत्पादन अनुदान, वितरण अनुदान तथा मंडी निधि से देय प्रोत्साहन राशि को घटाकर विक्रय दर का निर्धारण किया जाता है।


(विकास मिश्रा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर


नोडल अधिकारी (वि.स.)
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

परीशेष्ट - बत्तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 932) की जानकारी

प्रपत्र - 'अ'

वर्ष 2024-25 में आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी

स. क्र.	स्थान	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	पौधों की प्रजाति	पौधों की संख्या
1	सड़क क्र. 10वीं ईस्ट क्रॉस रोड तथा मिडियन	6240	पीपल	95
			पारस पीपल	215
			मौलश्री	650
			बोगनविलिया	3000
			मिनि गुलमोहर	532
			कुल	4492
2	11वीं ईस्ट क्रॉस रोड तथा मिडियन	6660	पेल्ट्राफार्म	40
			पारस पीपल	90
			स्पेथोडिया	40
			मरकामिया	130
			आम	120
			जामुन	520
			मौलश्री	427
			मिनि गुलमोहर	1244
			अर्जुन	60
			कुल	2671
3	12वीं ईस्ट क्रॉस रोड तथा मिडियन	6660	पीपल	240
			जामुन	435
			मौलश्री	1530
			मिनि गुलमोहर	2200
			कुल	4405
4	रोड नंबर 11 तथा मिडियन	9400	पीपल	258
			पेल्ट्राफार्म	348
			स्पेथोडिया	108
			मरकामिया	284
			मौलश्री	299
			टिकोमा	1000
			मिनि गुलमोहर	289
			आंवला	370
			कुल	2956

5	रोड नंबर 10 तथा मिडियन	15156	पीपल	136
			मौलश्री	250
			मिनि गुलमोहर	350
			कुल	736
6	सड़क 9 ए तथा मिडियन	9000	पीपल	858
			पेल्द्राफार्म	1137
			पारस पीपल	186
			स्पेथोडिया	260
			मरकामिया	120
			टीबेबुडया रोसिया	100
			मौलश्री	434
			मिनि गुलमोहर	8356
			कदम	28
			खमार	100
			स्टर्कुलिया	30
			जक्रांडा	10
			आंवला	200
			करंज	310
कुल	12129			
7	9वीं ईस्ट क्रॉस रोड तथा मिडियन	3900	पीपल	135
			पेल्द्राफार्म	300
			मौलश्री	260
			मिनि गुलमोहर	1750
			कुल	2445
8	रोड नंबर 02 स्टेडियम क्षेत्र तथा मिडियन	46500	पीपल	80
			पारस पीपल	60
			महोगनी	650
			कुल	790
9	रोड नंबर 02 अभनपुर रोड तथा मिडियन	38500	पीपल	2675
			पेल्द्राफार्म	356
			पारस पीपल	2098
			मिनि गुलमोहर	750
			इमली	250
			कुल	6129
10	सड़क पर. 06 तथा मिडियन	8400	पीपल	404
			आम	380
			महोगनी	850
			कुल	1634

11	5वां ईस्ट क्रॉस रोड तथा मिडियन	1800	पारस पीपल	28
			मौलश्री	29
			कुल	57
12	सीईआर-1एन तथा मिडियन	2400	पीपल	3
			पारस पीपल	68
			नीम	16
			करंज	71
			कुल	158
13	रोड नंबर 8 तथा मिडियन	4500	पीपल	150
			नीम	168
			करंज	120
			कुल	438
14	रोड नं. 01 तथा मिडियन	3250	पीपल	99
			कुल	99
15	रोड नंबर 3 तथा मिडियन	3600	पीपल	151
			पारस पीपल	145
			मौलश्री	407
			महोगनी	850
			कुल	1553
16	रोड नंबर 08/एक्सप्रेस वे 1 तथा मिडियन	350	पीपल	6
			कुल	6
17	क्रोसिंग प्रारंभ 4/3	350	पीपल	7
			कुल	7
18	क्रोसिंग अंत 4/3	350	पीपल	8
			कुल	8
19	सीईआर-15 तथा मिडियन	6628	पीपल	210
			पेट्टाफार्म	138
			पारस पीपल	380
			टीबेबुइया रोसिया	215
			मौलश्री	1442
			टिकोमा	980
			मिनि गुलमोहर	83
			कुल	3448
20	रोड नंबर 12 तथा मिडियन	19663	बोगनविलिया	2761
			कचनार	1000
			कुल	3761
21	सेक्टर 29 से सेक्टर 30 तथा	2046	पीपल	50

	मिडियन		पेट्टाफार्म	280
			मौलश्री	185
			कुल	515
22	सेक्टर 30 से खापरी रोड तथा मिडियन	3186	पीपल	201
			मिनि गुलमोहर	808
			कुल	1009
23	बाल्को कैम्पस	800	पीपल	10
			आम	10
			जामुन	10
			मौलश्री	10
			रेनट्री	10
			कुल	50
24	सेक्टर-24, मुख्यमंत्री निवास	1400	पीपल	80
			कदम	77
			महोगनी	60
			कुल	217
25	आईआईएम कैम्पस	1200	पीपल	17
			स्पेथोडिया	50
			बादाम	35
			जामुन	15
			खमार	25
			कचनार	50
			नीम	20
			कौपरब्रश	25
			कोनोरपस	50
			करंज	50
			शिशु	50
			शौगल	20
			शहतुत	25
			कटहल	35
			महोगनी	50
			कुल	517
26	पी0 डब्लू0 डी0 को हस्तातरित		मीश्रित प्रजाति	720
			कुल	720
27	सड़क क्र. 08, पूर्व, पश्चिम एवं मिडियन	4012	करंज	165
			पारस पीपल	76
			मौलश्री	76
			पीपल	94
			कुल	411
28	सड़क क्र. 01, उत्तर, दक्षिण एवं मिडियन	18000	लार्जसट्रोमिया	591
			जामुन	20

			इमली	10
			कदम	11
			पारस पीपल	250
			नीम	100
			मौलश्री	250
			स्पेथोडिया	3
			पीपल	572
			कुल	1807
29	सड़क क्र. 09बी, उत्तर, दक्षिण एवं मिडियन	3375	करंज	20
			नीम	159
			स्पेथोडिया	100
			पेट्टाफार्म	50
			पारस पीपल	50
			कचनार	189
			पीपल	188
			कुल	756
30	सीबोडी भवन कैम्पस	2250	लार्जसट्रोमिया	126
			मौलश्री	64
			बादाम	50
			पीपल	95
			कुल	335
31	सेंट्रल बुलेवार्ड (एकात्मपथ गार्डन)	2250	पीपल	163
			कुल	163
32	सड़क क्र. 04, पूर्व, पश्चिम एवं मिडियन	9000	पीपल	426
			कुल	426
कुल रोपित पौधों की संख्या				54848


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

रोपित एवं संरक्षित किये जा रहे पौधों के दर की जानकारी

- वर्ष 2023-24 में जारी किये गये निविदा में पौधों को 10 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पौधों को उपलब्ध कराकर उनको रोपित किये जाने एवं रख-रखाव की दर छ.ग. लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी एस. ओ. आर. 2015, सी. पी. डब्लू. डी. डी. एस. आर. 2018 एवं डी. एस. आर. 2020 के आधार पर निर्धारित की गई है।
- श्रेणीवार पौधों की प्राक्कलित दर निम्नानुसार है:-

स. क्र.	पौधों का वर्गीकरण	दर (प्रति नग)	रिमार्क
1	7 से 8 फीट ऊंचे, फाक्सटेल पॉम	रु. 1155.00	प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निविदा में पौधों की उंचाई एवं आकार तथा प्रजाति के आधार पर वर्गीकृत कर प्रजातिवार संख्या निर्धारित की गई है, जिसमें पौधों को उपलब्ध कराकर उनको रोपित किये जाने एवं रख-रखाव करने का दायित्व अनुबंधित ठेकेदार का है।
2	5 से 6 फीट ऊंचे, पुलमेंरिया, कोनोकारपस	रु. 380.00	
3	4 से 6 फीट ऊंचे, गोल्डन बॉटल ब्रश	रु. 950.00	
4	3 से 4 फीट ऊंचे, वासिंगटोनिया, बिसमारकिया, एवं बिग ट्री	रु. 935.00	
5	3 से 4 फीट ऊंचे, पुलमेंरिया एल्बो, पुलमेंरिया इवार्फ	रु. 750.00	
6	3 से 4 फीट ऊंचे, फाईकस पांडा	रु. 225.00	
7	3 से 3.5 फीट ऊंचे, टिकोमा गौड़ीचौड़ी	रु. 110.00	
8	1.5 से 2 फीट ऊंचे बोगनविलिया, चांदनी, कनेर इवार्फ	रु. 88.00	
9	21" x 21" बैग में साईकस, किरसेनलिया	रु. 1900.00	
10	गोल्डन डुरेंटा, पेंडानास, ड्रेसिना महात्मा	रु. 182.00	

- वर्ष 2024-25 में जारी किये गये निविदा में पौधों को 04 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पौधों को उपलब्ध कराकर उनको रोपित किये जाने एवं रख-रखाव की दर छ.ग. लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी एस. ओ. आर. 2015 एवं सी. पी. डब्लू. डी. डी. एस. आर. 2018 के आधार पर निर्धारित की गई है।
- श्रेणीवार पौधों की स्वीकृत दर निम्नानुसार है:-

स. क्र.	पौधों का वर्गीकरण	स्वीकृत दर (प्रति नग)	रिमार्क
1	7 से 10 फीट ऊंचे, 21" x 21" बैग में	रु. 992.15	प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निविदा में पौधों की उंचाई एवं आकार के आधार पर वर्गीकृत कर प्रजातिवार संख्या निर्धारित की गई है, जिसमें पौधों को उपलब्ध कराकर उनको रोपित किये जाने एवं रख-रखाव करने का दायित्व अनुबंधित ठेकेदार का है।
2	5 से 7 फीट ऊंचे, 16" x 16" बैग में	रु. 803.16	
3	4 से 5 फीट ऊंचे, 13" x 13" बैग में	रु. 558.35	
4	3 से 4 फीट ऊंचे, 8" x 8" बैग में	रु. 326.42	


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - तैतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 1004) की जानकारी

प्रपत्र- 'अ'

ट्राइफेड (TRIFED) जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) और एनएसटीएफडीसी के समन्वय से सेमरा, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में वनोपज प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन की इकाई स्थापित की जा रही है। यह परियोजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के तहत एमओएफपीआई के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही है। वर्तमान में, 98% सिविल निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और सभी प्रोसेसिंग लाइनें स्थापित की जा चुकी हैं। एमओएफपीआई के प्रसंस्करण के लिए निम्नलिखित इकाइयाँ विकसित की जा रही हैं :-

- *1 शहद प्रसंस्करण लाइन (1.6 एमटीडी)
- *2 फल और सब्जियां प्रसंस्करण लाइनें (2 एमटीडी और 0.5 एमटीडी)
- *1 काजू प्रसंस्करण लाइन (0.64 एमटीडी)
- *1 इमली प्रसंस्करण लाइन (0.30 एमटीडी)
- *1 मसाला प्रसंस्करण लाइन (0.80 एमटीडी)
- *1 कोल्ड स्टोरेज (100 मीट्रिकटन)
- *1 संग्रहण केन्द्र सह कच्चा माल गोदाम (250 वर्गमीटर)

अब तक निम्नलिखित राशि खर्च की जा चुकी है :-

बजट प्रमुख	स्वीकृत बजट (लाख)	उपयोग निधि	टिप्पणी
1	2	3	4
सिविल निर्माण कार्य	451.00	429.09	वेइंग ब्रिज एवं कोल्ड स्टोरेज की स्थापना से संबंधित कार्य चल रहा है।
संयंत्र और मशीनरी	335.00	225.00	312 लाख का काम हो चुका है, लेकिन टेंडर वैल्यू के मुताबिक 70 फीसदी धनराशि ही जारी होनी है। इसके बाद, शेष धनराशि ट्रायल रन के बाद जारी की जाएगी।

S...

अनुभाग अधिकारी
अ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

मिश्रित फूलों की संख्या-200, आंवला की संख्या - 70, नीम-20, जामुन-35, बहेड़ा-08, महुआ-03, काजू-30, करंज-04, चार-03, हर्रा-03, इमली-40, आम-30, डूमर-04, अर्जुन-15, दलचीनी-03, पीला गुलमोहर-40, सुपारी-06, मौर पंखी-22, जदामियार-13, सेमड-25, मुनगा-02, माड़डा फूल-02, छिन्द-02, बोतलताड़-35, मोंगरा-02, नीलगिरी-02, सोपिंगकेला-10, गिलोय-02, एवं पौधों के रख रखाव व संरक्षण संवर्धन के लिए 02 माली रखे गए हैं।

Jeena
अनुभाग अधिकारी
अ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
पर्यावरण, नवा रायपुर, अटल नगर

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट
पॉरीशिएट - चौतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 80) की जानकारी

प्रपत्र

प्रदेश में संचालित राईस मिलों से प्रदूषण के संबंध में प्राप्त शिकायतों का विवरण

क्र.	उस्ट, दूषित जल, अन्य प्रदूषण सम्बन्धी प्राप्त शिकायत का विवरण	शिकायतकर्ता का नाम	राईस मिल का नाम एवं पता	दूषित जल उपचार संयंत्र स्थापना की स्थिति	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मेसर्स मौं संतोषी राईस मिल, ग्राम व पोस्ट देवरी, तहसील-धरसीवा, जिला-रायपुर (छ.ग.) द्वारा बिना ग्राम पंचायत एन.ओ.सी. के संचालित किये जाने के संबंध में।	जिला पंचायत, रायपुर की सामान्य बैठक दिनांक 11.01.2024 के माध्यम से	मेसर्स मौं संतोषी राईस मिल, ग्राम व पोस्ट-देवरी, तहसील-धरसीवा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	नहीं उद्योग अरवा राईस मिल है। अरवा राईस मिल में दूषित जल उपचार संयंत्र की आवश्यकता नहीं है।	27.02.2024	मंडल से बिना जल एवं वायु सम्मति प्राप्त किये संचालित पाया गया।	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31क के तहत उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन हेतु दिनांक 28.02.2024 को निर्देश पत्र जारी किया गया।
					11.03.2024	उद्योग द्वारा मंडल से जल एवं वायु सम्मति प्राप्त की गई।	-
2	पी.एम. जन शिकायत (पी.जी.) पोर्टल के द्वारा ग्राम सातपारा में राईस मिल द्वारा प्रदूषण फैलाने, खेतों व घरों में काले राख उड़कर आने, केमिकल युक्त गर्म पानी, स्वास्थ्य व जीवन में संकट की शिकायत बाबत।	समस्त ग्रामवासी सातपारा, तहसील-अभनपुर, रायपुर	मेसर्स निर्मला राईस मिल प्रा.लि., ग्राम-सातपारा, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्थापित	10.02.2024	निरीक्षण के समय उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई।	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
					16.02.2024	निरीक्षण के समय उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई।	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
					07.03.2024	निरीक्षण के समय उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई।	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
					10.01.2025	निरीक्षण के समय उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई।	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
3	तहसील गोबरा नवापारा के नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा के आस पास के क्षेत्र अंतर्गत संचालित कई दर्जन राईस मिलों से हो रहे जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण के संबंध में मंडल मुख्यालय की वेबसाईट CGOCMMS पोर्टल पर प्राप्त शिकायत।	श्री नागेन्द्र निषाद, वार्ड क्र. 01 गोबरा बरती गोबरा नवापारा, रायपुर	मेसर्स साई हनुमंत इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, प.ह.नं. - 45, खसरा नं. - 325/2, 326, 327/2, 328, ग्राम-पारागांव, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्थापित	28.10.2024	निरीक्षण के समय उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई।	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
			मेसर्स राधा कृष्णा राईस मिल, खसरा नं. - 189/1, 189/6, ग्राम-पारागांव, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्थापित	28.10.2024	निरीक्षण के समय उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई।	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
			मेसर्स बी.एस. पारबोपलिंग यूनिट, ग्राम-पारागांव, पोस्ट - नवापारा, राजिम, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्थापित	28.10.2024	निरीक्षण के समय उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई।	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
			मेसर्स कोणार्क इण्डस्ट्रीज, ग्राम-नवापारा-राजिम, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्थापित	28.10.2024	निरीक्षण के समय उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई।	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।

			मेसर्स सतनाम इण्डस्ट्रीज, ग्राम-पारागांव, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्थापित	28.10.2024	निरीक्षण के समय उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई।	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
			मेसर्स विजय राईस मिल, प.ह.नं. - 160, खसरा नं. - 389, 393, 396, 394, 391, 367, 381, 383, नवापारा, राजिम, अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्थापित	28.10.2024	निरीक्षण के समय उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई।	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
			मेसर्स अमर परबायलिंग इण्डस्ट्रीज (मेसर्स सूर्या राईस मिल), ग्राम-पारागांव, नवापारा, राजिम, अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्थापित	28.10.2024	निरीक्षण के समय उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई।	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
			मेसर्स मोहिनी एग्रेटेक यूनिट-2, (मेसर्स भवानी राईस मिल), ग्राम-नवापारा, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्थापित	28.10.2024	निरीक्षण के समय उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई।	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
4	मुख्यमंत्री जनदर्शन पोर्टल के माध्यम से द्वारा ग्राम पंचायत-तरी में अवस्थित श्री गणेश राईस मिल से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में शिकायत।	श्री ललित सेन एवं समस्त मोहल्लावासी, ग्राम पंचायत-तरी, तहसील - गोबरा नवापारा, वि.ख. अभनपुर, जिला-रायपुर	मेसर्स गणेश राईस मिल, ग्राम-तरी, पोस्ट-नवापारा-राजिम, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्थापित	20.09.2024	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3827 दिनांक 20.09.2024 के माध्यम से उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत सामान्य नोटिस जारी किया गया।
					26.10.2024	निरीक्षण दिवस अपेक्षित सुधार कार्य किया जाना पाया गया एवं स्थिति सामान्य पाई गई।	-
5	किसान राईस मिल द्वारा प्रदूषण फैलाने के कारण बंद कर नगर के अन्यत्र स्थापित कराने बाबत।	समस्त मोहल्लावासी, रविदास नगर वार्ड क्रमांक-15, आरंग	मेसर्स अनंत राईस इण्डस्ट्रीज यूनिट-2 (मेसर्स किसान राईस) प.ह.नं.- 42/60, खसरा नं.- 3668/16 ग्राम-आरंग, जिला- रायपुर (छ.ग.)	नहीं उद्योग अरवा राईस मिल है। अरवा राईस मिल में दूषित जल उपचार संयंत्र की आवश्यकता नहीं है।	27.12.2024	मंडल से बिना जल एवं वायु सम्मति प्राप्त किये संचालित पाया गया एवं धूल डस्ट का जमाव होना पाया गया।	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31क के तहत उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन हेतु दिनांक 30.12.2024 को निर्देश पत्र जारी किया गया।
					17.01.2025	उद्योग द्वारा मंडल से जल एवं वायु सम्मति प्राप्त की गई। निरीक्षण दिवस अपेक्षित सुधार कार्य किया जाना पाया गया एवं स्थिति सामान्य पाई गई।	-

6	ग्राम-पिकरीडीह स्थित राईस मील फैक्ट्री से राईस मील का गंदा पानी पूरे खेतों में जाता है, जिससे फसल प्रभावित होने संबंधी।	श्री खिलेश कुमार अग्रवाल, ग्राम चिपरीडीह	मेसर्स उमा श्री राईस मिल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-पिकरीडीह, तह-तिल्दा, जिला-रायपुर	स्थापित	27.02.2024	उद्योग उत्पादन रत नहीं पाया गया।	-
					27.11.2024	उद्योग उत्पादन रत पाया गया एवं स्थिति सामान्य पाई गई।	-
7	ग्राम-कचना में स्थित राईस मिल के द्वारा मानकों का पालन ना करते हुये प्रदूषण फैलाने बाबत।	श्री दीपक गुप्ता एवं समस्त नागरिक गण, स्वर्ण भूमि	मेसर्स व्ही.के. राईस टेक प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-कचना, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्थापित	08.10.2024	ई.टी.पी. संचालित नहीं पाया गया एवं ऐश कलेक्शन चेंबर से वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित की गई।	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31क के तहत उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन हेतु दिनांक 18.10.2024 को निर्देश पत्र जारी किया गया।
					12.11.2024	निरीक्षण दिवस अपेक्षित सुधार कार्य किया जाना पाया गया एवं स्थिति सामान्य पाई गई।	-
8	सर हम इस मिल को बंद करना चाहते हैं क्योंकि यह हमारे घर से बहुत पास है और मेरे सभी पड़ोसी भी इस मिल को बंद करना चाहते हैं। सर कृपया इस मामले को तत्काल देखें, मैं मिल बंद करने के लिए गांव से सहमति पत्र प्रस्तुत करूंगा। (अंग्रेजी में प्राप्त-हिन्दी अनुवाद)	श्री योगेश बोस, ग्राम-सेंदरी, बोरसी, जिला - बलीदाबाजार - भाटापारा (छ.ग.)	मेसर्स बजाज उद्योग ग्राम-सेंदरी, बोरसी, जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)	नहीं उद्योग कोदो राईस मिल है। कोदो राईस मिल में दूषित जल उपचार संयंत्र की आवश्यकता नहीं है।	10.07.2024	निरीक्षण के समय उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई।	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
9	राईस मिल के खिलाफ कार्यवाही एवं फसल नुकसान मुआवजा राशि हेतु।	श्री शिव कुमार ध्रुव, ग्राम-चरमुडिया, तहसील- कुरुद, जिला-धमतरी	मेसर्स श्री शिवम इण्डस्ट्रीज, ग्राम-चरमुडिया, तहसील- कुरुद, जिला-धमतरी	नहीं उद्योग अरवा राईस मिल है। अरवा राईस मिल में दूषित जल उपचार संयंत्र की आवश्यकता नहीं है।	10.02.2024	निरीक्षण के समय उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई।	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
			श्री सुन्दरम परबायलिंग, ग्राम-चरमुडिया, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी	स्थापित	10.02.2024	निरीक्षण के समय उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई।	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
10	राईस मिलों व कारखानों को शहर से दूर करने के संबंध में।	श्री संतोष तिवारी	मेसर्स अशोक राईस मिल, इण्डस्ट्रीयल वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी (छ.ग.)	स्थापित	13.09.2024	डस्ट कलेक्टर एवं सॉयक्लोन स्थापित नहीं पाया गया, चिमनी से अत्यधिक उत्सर्जन अवलोकित किया गया एवं ई.टी.पी. संचालित नहीं पाया गया।	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31क के तहत उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन हेतु दिनांक 29.09.2024 को निर्देश पत्र जारी किया गया।
					25.10.2024	निरीक्षण दिवस अपेक्षित सुधार कार्य किया जाना पाया गया एवं स्थिति सामान्य पाई गई।	-

			मेसर्स हरिओम धान कुटाई केन्द्र, इण्डस्ट्रीयल वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी (छ.ग.)	स्थापित	13.09.2024	निरीक्षण के समय उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई।	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
			मेसर्स खण्डेलवाल राईस मिल इण्डस्ट्रीयल वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी (छ.ग.)	स्थापित	13.09.2024	निरीक्षण के समय उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई।	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
			मेसर्स सरस्वती ट्रेडिंग, इण्डस्ट्रीयल वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी (छ.ग.)	स्थापित	13.09.2024	निरीक्षण के समय उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई।	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
			मेसर्स शाकंबरी राईस मिल, इण्डस्ट्रीयल वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी (छ.ग.)	स्थापित	13.09.2024	निरीक्षण के समय उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई।	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
			मेसर्स शेखर पैड्डी, इण्डस्ट्रीयल वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी (छ.ग.)	स्थापित	13.09.2024	निरीक्षण के समय उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई।	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
			मेसर्स श्री बालाजी राईस मिल, ग्राम-हटकेश्वर, इण्डस्ट्रीयल, वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी (छ.ग.)	स्थापित	13.09.2024	डस्ट कलेक्टर एवं सॉयब्लोन स्थापित नहीं पाया गया एवं ई.टी.पी. संचालित नहीं पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31क के तहत दिनांक 20.09.2024 को नोटिस जारी किया गया।
					28.10.2024	निरीक्षण दिवस अपेक्षित सुधार कार्य किया जाना पाया गया एवं स्थिति सामान्य पाई गई।	-
11	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई के निकट क्षेत्र में पर्यावरण नियंत्रण के संबंध में।	श्री राजमहंत डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, विधायक 67, अहिवारा विधानसभा क्षेत्र, जिला - दुर्ग	मेसर्स अभिषेक राईस एण्ड पोहा मिल (यूनिट-2), जेवरा सिरसा, जिला - दुर्ग	स्थापित	18.02.2024	उद्योग में ईटीपी बंद पाया गया। दूषित जल का परिसर के बाहर निस्सारण होना पाया गया। चिमनी उत्सर्जन होना पाया गया। ठोस अपशिष्ट का समुचित भण्डारण नहीं पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 क के तहत उद्योग का उत्पादन बन्द करने/ विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश पत्र दिनांक 19.02.2024 को जारी किया गया। उद्योग वर्तमान में बंद है।
			मेसर्स गायत्री ओव्हरसीज, जेवरा सिरसा, जिला - दुर्ग	स्थापित	18.02.2024	उद्योग में ईटीपी बंद पाया गया। दूषित जल का परिसर के बाहर निस्सारण होना पाया गया। चिमनी उत्सर्जन होना पाया गया। ठोस अपशिष्ट का समुचित भण्डारण नहीं पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 क के तहत उद्योग का उत्पादन बन्द करने/ विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश पत्र दिनांक 19.02.2024 को जारी किया गया।

				12.03.2024	निर्देश के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	दिनांक 12.03.2024 को विद्युत बहाल किया गया।
	मेसर्स पूजा ट्रेडिंग कम्पनी, जेवरा सिरसा, जिला - दुर्ग	स्थापित		18.02.2024	उद्योग में ईटीपी बंद पाया गया। दूषित जल का परिसर के बाहर निस्सारण होना पाया गया। चिमनी उत्सर्जन होना पाया गया। ठोस अपशिष्ट का समुचित भण्डारण नहीं पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 क के तहत उद्योग का उत्पादन बन्द करने/ विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश पत्र दिनांक 19.02.2024 को जारी किया गया।
				12.03.2024	निर्देश के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	दिनांक 12.03.2024 को विद्युत बहाल किया गया।
	मेसर्स तिरूपति इंटरप्राइजेस, जेवरा सिरसा, जिला - दुर्ग	स्थापित		18.02.2024	उद्योग में ईटीपी बंद पाया गया। दूषित जल का परिसर के बाहर निस्सारण होना पाया गया। चिमनी उत्सर्जन होना पाया गया। ठोस अपशिष्ट का समुचित भण्डारण नहीं पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 क के तहत उद्योग का उत्पादन बन्द करने/ विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश पत्र दिनांक 19.02.2024 को जारी किया गया।
				16.10.2024	निर्देश के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	दिनांक 16.10.2024 को विद्युत बहाल किया गया।
	मेसर्स श्रद्धा ट्रेडर्स (यूनिट 3), जेवरा सिरसा, जिला - दुर्ग	स्थापित		18.02.2024	उद्योग में ईटीपी बंद पाया गया। दूषित जल का परिसर के बाहर निस्सारण होना पाया गया। चिमनी उत्सर्जन होना पाया गया। ठोस अपशिष्ट का समुचित भण्डारण नहीं पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 क के तहत उद्योग का उत्पादन बन्द करने/ विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश पत्र दिनांक 19.02.2024 को जारी किया गया।
				10.07.2024	निर्देश के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	दिनांक 18.07.2024 को विद्युत बहाल किया गया।
	मेसर्स शांति ट्रेडिंग कंपनी, जेवरा सिरसा, जिला - दुर्ग	स्थापित		18.02.2024	उद्योग में ईटीपी बंद पाया गया। दूषित जल का परिसर के बाहर निस्सारण होना पाया गया। चिमनी उत्सर्जन होना पाया गया। ठोस अपशिष्ट का समुचित भण्डारण नहीं पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 क के तहत उद्योग का उत्पादन बन्द करने/ विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश पत्र दिनांक 19.02.2024 को जारी किया गया।

					12.03.2024	निर्देश के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	दिनांक 12.03.2024 को विद्युत बहाल किया गया।
12	ग्राम फरहद में अन्नपूर्णा राईस मिल के द्वारा प्रदूषण फैलाने के संबंध में।	श्री लोकेश्वर देवांगन, सरपंच, ग्राम पंचायत फरहद, विकासखंड एवं जिला राजनांदगांव	मेसर्स अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज, ग्राम-जंगलपुर, विकास खण्ड - डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव	स्थापित	12.08.2024	चिमनी उत्सर्जन होना पाया गया। ठोस अपशिष्ट यथा राखड़ का खुले में भण्डारण पाया गया। फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई। राखड़ एवं राईस हस्क मिश्रित जल उद्योग परिसर के बाहर निस्सारित होना पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 क के तहत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये-15625/- अधिरोपित करने के संबंध में नोटिस दिनांक 14.08.2024 को जारी किया गया।
					29.08.2024	नोटिस के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई।
13	मूकबधिर स्कूल के पास स्थित अरिहंत इण्डस्ट्रीज पड़कीभाट उमरादाह (राईस मिल) से निकलने वाले काले डस्ट दुर्गन्धयुक्त पानी से मूक बधिर छात्रों का बिगड़ता स्वास्थ्य के संबंध में।	डॉ. मूलचंद जैन, चेयरमेन, श्री सुलतानमल सजना बाई, चेरिटेबल ट्रस्ट, पड़कीभाट	मेसर्स अरिहंत इंडस्ट्रीज, ग्राम- पड़कीभाट, जिला-बालोद	स्थापित	06.11.2024	उद्योग में प्रभावी वायु प्रदूषण नियंत्रण स्थापित नहीं होना पाया गया। राखड़ एवं राईस हस्क का खुले में भण्डारण होना पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 क के तहत उद्योग का उत्पादन बन्द रखने हेतु निर्देश दिनांक 11.11.2024 को जारी किया गया। उद्योग वर्तमान में बंद है।
14	ग्राम गढ़उमरिया स्थित मेरे खेतों में बाबा मोहन दास राईस मिल के संचालकों द्वारा प्लाई ऐश द्वारा भराव कर नुकसान करने के संबंध में।	श्री प्रकाश राव फुलेकर	मेसर्स बाबा मोहन दास एग्री ववर्स, ग्राम-गढ़उमरिया, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़	नहीं उद्योग अरवा राईस मिल है। अरवा राईस मिल में दूषित जल उपचार संयंत्र की आवश्यकता नहीं है।	29.01.2024	शिकायतकर्ता की भूमि में प्लाई ऐश का अपवहन किया जाना पाया गया।	उद्योग को मंडल के पत्र दिनांक 30.01.2024 द्वारा समाधान कार्यवाही किये जाने के संबंध में पत्र जारी किया गया।
					09.02.2024	पत्र के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	-
15	राईस मिल के गंदा पानी छोड़ने, प्रदूषित करने एवं कृषि कार्य न कर पाने के कारण कार्यवाही के संबंध में।	श्रीमती भगवती देवी अग्रवाल एवं अन्य	मेसर्स बंजारी मां राईस मिल, ग्राम-सहदेवपाली, तहसील व जिला-रायगढ़	स्थापित	23.04.2024	उद्योग में स्थित दूषित जल उपचार संयंत्र कार्यरत स्थिति में नहीं पाया गया एवं परिसर के बाहर दूषित जल का निस्तारण अवलोकित किया गया।	उद्योग को मंडल के पत्र दिनांक 23.04.2024 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 "क" तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 "क" के तहत नोटिस जारी किया गया।
					02/05/2024	नोटिस के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	-
16	फसल नुकसान के भरपाई के संबंध में।	श्रीमती सविता खेमराज नायक	मेसर्स शुभम राईस मिल, ग्राम-सुरी, पोस्ट-तेतला, जिला-रायगढ़	नहीं उद्योग अरवा राईस मिल है। अरवा राईस मिल में दूषित जल उपचार संयंत्र	18/11/2024	उद्योग के आउटलेट प्वाइंट से फ्यूजिटिव उत्सर्जन होना पाया गया।	उद्योग को मंडल के पत्र दिनांक 19.11.2024 द्वारा फ्यूजिटिव उत्सर्जन एवं रोकथाम हेतु समाधान कार्यवाही किये जाने के संबंध में पत्र जारी किया गया।
					12/12/2024	नोटिस के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक	-

				की आवश्यकता नहीं है।		कार्यवाही किया जाना पाया गया।	
17	एस.डी. एग्री के द्वारा गंदा पानी निकालकर प्रदूषण फैलाने के संबंध में।	श्रीमती कालिंदी वर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत पंधी एवं अन्य	मेसर्स एस.डी. एग्री फुड प्रोडक्ट्स	हां	19/06/2024	निरीक्षण दौरान उद्योग में ईटीपी (दूषित जल उपचार संयंत्र) का संचालन किया जाना पाया गया। दूषित जल का निस्काव किया जाना नहीं पाया गया। जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई।	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
18	नगर पंचायत नरियरा में स्थित ओंकार राईस मिल, कान्हा राईस मिल, गिरिराज राईस मिल से होने वाले प्रदूषण एवं अवैध राखड़ डंपिंग के शिकायत के संबंध में।	संतोषी देवी राठौर, अक्षयक्ष, नगर पंचायत-नरियरा, जिला-जांजगीर-चांपा	मेसर्स गिरिराज पेड्डी प्रोसेर्स, जिला-जांजगीर-चांपा	हां	22/08/2024	उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई। शिकायत निराधार पाया गया।	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
			मेसर्स कान्हा पेड्डी प्रोसेसिंग, जिला-जांजगीर-चांपा	हां	22/08/2024	उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई। शिकायत निराधार पाया गया।	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
			मेसर्स ओमकार एग्रोटेक, जिला-जांजगीर-चांपा	हां	22/08/2024	उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई। शिकायत निराधार पाया गया।	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
19	उसना राईस मिल से निकलने वाली गंदगी पर रोक लगाने बाबत।	श्री विजय कुमार, वार्ड क्रमांक 16, महाराणा प्रताप चौक, ग्राम-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	मेसर्स ओम गंगा पेड्डी प्रोसेर्स, ग्राम-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	हां	15/04/2024	निरीक्षण के दौरान उद्योग से उत्पन्न दूषित जल को स्थापित ई.टी.पी. से बिना उपचारित किये स्वयं के परिसर में छोड़ा जाना पाया गया। साथ ही वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्करण पूर्ण दक्षता के साथ काम किया जाना नहीं पाया गया।	उद्योग के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के संबंध में दिनांक 16/04/2024 को उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 'क' तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया।
				01/05/2024	नोटिस के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।		
20	जांजगीर चांपा जिले के जिला मुख्यालय जांजगीर के वार्ड नंबर 06 में रामनारायण सत्यनारायण राईस मिल (रायगढ़िया राईस मिल) संचालित है जिसके उसना मिल के बदबूदार गंदे पानी को आस पास में छोड़ा जा रहा है मोहल्ला वालों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उक्त राईस के ऊपर कार्यवाही करने के संबंध में।	श्री विकास शर्मा, बी.डी. महंत उप नगर, वार्ड नं. 06 जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा	मेसर्स सुलोचना पेड्डी प्रोसेसिंग, जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा	हां	14/08/2024	निरीक्षण के समय उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई।	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।

21	सधन ग्रामीण घनत्व मध्य संचालित राईस मिल द्वारा वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण के विरूद्ध कार्यवाही करने के संबंध में।	श्रीमती सरिता सवरा, ग्राम-सकरा, विकासखण्ड-मालखरोदा, जिला-सक्ती	मेसर्स सोनी राईस मिल, जिला सक्ती	नहीं उद्योग अरवा राईस मिल है। अरवा राईस मिल में दूषित जल उपचार संयंत्र की आवश्यकता नहीं है।	09/05/2024	उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई।	जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
22	मेसर्स साकेत प्रोडक्ट एण्ड रोलिंग मिल (प्राइवेट) लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, नयनपुर-गिरवरगंज, जिला-सूरजपुर द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के संबंध में।	श्रीमती भूटो बाई, गिरवरगंज, जिला-सूरजपुर	मेसर्स साकेत प्रोडक्ट एण्ड रोलिंग मिल (प्राइवेट) लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, नयनपुर-गिरवरगंज, जिला-सूरजपुर	नहीं उद्योग अरवा राईस मिल है। अरवा राईस मिल में दूषित जल उपचार संयंत्र की आवश्यकता नहीं है।	29/01/2025	उद्योग बंद पाया गया तथा वेध जल एवं वायु सम्मति नहीं पाई गई।	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 'क' तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत निर्देश दिनांक 31/01/2025 को जारी किया गया। उद्योग वर्तमान में बंद है।
23	मेसर्स बी. एम. फुड्स, ग्राम-भिट्टीकला, तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के संबंध में।	सरपंच, ग्राम पंचायत, भिट्टीकला, तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा	मेसर्स बी. एम. फुड्स, ग्राम-भिट्टीकला, तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा	हां	23/12/2024	उद्योग में स्थित दूषित जल उपचार संयंत्र बंद पाया गया एवं परिसर के बाहर दूषित जल का निस्तारण अवलोकित किया गया।	उद्योग को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 26/12/2024 को उत्पादन बन्द करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।
					17/01/2025	नोटिस के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
अन्नवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परोशेष्ट - पेंतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क. 140) की जानकारी

प्रपत्र-अ

खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में मण्डल से सम्मति प्राप्त संचालित राईस मिल/फर्म की
विकासखण्डवार नाम की जानकारी

क्र.	राईस मिल का नाम	ग्राम का नाम	विकासखण्ड का नाम	जिले का नाम
1.	मेसर्स ओम एग्रो इंडस्ट्रीज	फत्तेपुर	खैरागढ़	खैरागढ़- छुईखदान-गण्डई
2.	मेसर्स बीबीसी राईस इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	बल्देवपुर	खैरागढ़	खैरागढ़- छुईखदान-गण्डई
3.	मेसर्स रिध्दी इंडस्ट्रीज	टेकापारकला	खैरागढ़	खैरागढ़- छुईखदान-गण्डई
4.	मेसर्स अमृत राईस प्रोसेस	श्यामपुर	छुईखदान	खैरागढ़- छुईखदान-गण्डई
5.	मेसर्स जे.एन. राईस मिल यूनिट-2	गंडई	छुईखदान	खैरागढ़- छुईखदान-गण्डई
6.	मेसर्स श्री महावीर राईस मिल	देवपुरा	छुईखदान	खैरागढ़- छुईखदान-गण्डई
7.	मेसर्स मां अंजनी राईस मिल	उदयपुर	छुईखदान	खैरागढ़- छुईखदान-गण्डई
8.	मेसर्स जे.एन. राईस मिल यूनिट-03	कुकुरमुड़ा	छुईखदान	खैरागढ़- छुईखदान-गण्डई
9.	मेसर्स राशि एग्रो इण्डस्ट्रीज	दानिया	छुईखदान	खैरागढ़- छुईखदान-गण्डई

5/3/25
24/2/25
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
अन्नवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

सब्सिडी हेतु प्राप्त आवेदन

क्र.	विकासखण्ड का नाम	राईस मिल का नाम एवं पता	अनुदान (सब्सिडी हेतु प्राप्त आवेदन योजनावार)	निराकरण की स्थिति	रिमार्क
1.	खैरागढ़	मेसर्स ओम एग्रो इंडस्ट्रीज, ग्राम- फत्तेपुर	ब्याज अनुदान	वितरित	-
2.	खैरागढ़	मेसर्स रिध्दी इंडस्ट्रीज, ग्राम- टेकापार	ब्याज अनुदान	वितरित	-
3.	छुईखदान	मेसर्स अमृत राईस प्रोसेस, ग्राम- श्यामपुर	ब्याज अनुदान स्थायी पूंजी अनुदान	वितरित बजट के अभाव में वितरण हेतु लंबित है।	- -
4.	छुईखदान	मेसर्स जे.एन. राईस मिल यूनिट- 3, ग्राम- कुकुरमुदा	ब्याज अनुदान	वितरित	-
5.	छुईखदान	मेसर्स श्री महावीर राईस मिल, ग्राम- देवपुरा	ब्याज अनुदान	वितरित	-
6.	छुईखदान	मेसर्स मां अंजनी राईस मिल, ग्राम- उदयपुर	ब्याज अनुदान स्थायी पूंजी अनुदान	वितरित बजट के अभाव में वितरण हेतु लंबित है।	- -
7.	छुईखदान	मेसर्स राशि एग्रो इण्डस्ट्रीज, ग्राम- दानिया	ब्याज अनुदान स्थायी पूंजी अनुदान	वितरित बजट के अभाव में वितरण हेतु लंबित है।	- -

निर्माणाधीन राईस मिल की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	निर्माणाधीन राईस मिल का नाम एवं पता	रिमार्क
1.	खैरागढ़	मेसर्स लक्ष्मीनारायण राईस मिल ग्राम-साल्हेकला तहसील खैरागढ़ जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	स्टाम्प शुल्क छूट प्रमाण पत्र बैंक ऋण हेतु जारी किया गया है।


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पॉरीशेष्ट - छत्तीस


प्रपत्र

अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 315) की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	चयनित ग्रामों का नाम
1	2	3	4
1	बिलासपुर	कोटा	टाटीधार
2			मोहाली
3			खेंगसरा
4			नवागांव
5			रिग्रिगा
6			बिटकुली
7			नागोई
8			नेवारी बहरा
9			मझबवां
10			केनाडांड
11			सिलपहरी
12			मानिकपुर
13			चुरेली
14			परसापानी
15			छतौना
16			उपका
17			मिट्टु नवागांव
18			लूफा
19			भेलवा टिकरा
20			बहेरामुड़ा
21			कुरदर
22			मझगांव
23			बरार

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	चयनित ग्रामों का नाम	
1	2	3	4	
24	बिलासपुर	कोटा	आमामुड़ा	
25			बानाबेल	
26			खैराझिटी	
27			पुडू	
28			दारसागर	
29			रिगवार	
30			तेंदूभाटा	
31			उमरिया दादर	
32			मझवानी	
33			बरिदिह	
34			सलका	
35			कंचनपुर	
36			शिवतराई	
37			दवनपुर	
38			परसदा	
39			समाचार	
40			धनरास	
41			करका	
42			करपिहा	
43			बेदापाट	
44			बांकीघाट	
45			उमरमारा	
46			सिलदाहा	
47			खरगहनी	
48			भरदैयाडीह	
49			बछालीखुर्द	
50			रामदेई	
51			तखतपुर	बरगन
52				गमजू

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	चयनित ग्रामों का नाम
1	2	3	4
53	बिलासपुर	तखतपुर	दर्सी
54			खटोला
55			बेल पान
56			केकराड
57			खजूरी
58			बिनौरी
59			खरगहना
60			बिल्हा
61		कोरबी	
62		लिम्हा	
63		धौरामुड़ा	
64		मंजुरपहरी	
65		कादरी	
66		अमतारा	
67		पेन्डरवा	
68		मस्तुरी	नवागांव
69			कैमाडीह
70			जुहली
71			खोंडारा
72			जेवरा
73			पिपरानार
74			हार्डी
75			परसौदी
76		कुकुरदी कलन	



 अनुभाग अधिकारी
 आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पॉरीशेष्ट - सेंतीस

प्रपत्र

अतारॉकेत प्रश्न संख्या 6 (क्र. 351) की जानकारी

वर्ष 2023-24			
कं.	नाम	पदनाम	कय समिति में पदनाम
1.	2.	3.	4.
1.	श्री निर्भय साहू	अपर कलेक्टर, महासमुन्द	अध्यक्ष
2.	सुश्री शिल्पा साय	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, महासमुन्द	सदस्य सचिव
3.	श्री एम.एल. साहू	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, महासमुन्द	सदस्य
4.	श्री संजय कुमार चौधरी	जिला कोषालय अधिकारी, महासमुन्द	सदस्य
5.	श्री घनश्याम साहू	प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, महासमुन्द	सदस्य
6.	श्री मंदाकिनी पण्डा	प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, भोरिंग	सदस्य
7.	श्री महेश कुमार साहू	प्र. कनिष्ठ लेखा अधिकारी, आदिवासी विकास महासमुन्द	सदस्य
वर्ष 2024-25			
1.	श्री रवि साहू	अपर कलेक्टर, महासमुन्द	अध्यक्ष
2.	सुश्री शिल्पा साय	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, महासमुन्द	सदस्य सचिव
3.	श्री एम.एल. साहू	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, महासमुन्द	सदस्य
4.	श्री संजय कुमार चौधरी	जिला कोषालय अधिकारी, महासमुन्द	सदस्य
5.	श्री घनश्याम साहू	प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, महासमुन्द	सदस्य
6.	श्री महेश कुमार टंडन	प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, भोरिंग	सदस्य
7.	श्री महेश कुमार साहू	प्र. कनिष्ठ लेखा अधिकारी, आदिवासी विकास महासमुन्द	सदस्य


अनुभाग अधिकारी
 आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - अड़तीस

प्रपत्र-“अ”

अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 391) की जानकारी

क्र	विशेष रूप से कमजोर जनजाति का नाम	निवासरत क्षेत्रों/जिलों का नाम
1	2	3
1	अबूझमाड़िया	नारायणपुर।
2	बैगा	बिलासपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, कबीरधाम, कोरिया (मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर), मुंगेली एवं राजनांदगांव (खैरागढ़-छुईखदान-गंडई)।
3	बिरहोर	बिलासपुर, जशपुर, कोरबा एवं रायगढ़।
4	कमार	बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोण्डागांव एवं महासमुंद।
5	पहाड़ी कोरवा	बलरामपुर, जशपुर, कोरबा एवं सरगुजा।



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अ.जा.वि.वि.
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र "ब"

राशि लाखों में

क.	विभाग का नाम	गतिविधि का नाम	बजट प्रावधान	लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों/कार्यों की संख्या
	2	3	4	5
1	छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ	वनधन केन्द्रों की स्थापना अंतर्गत पीव्हीटीजी वन धन विकास केन्द्र	119.750	178 ग्राम के 2395 पीव्हीटीजी परिवार
2	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास	बहु-उद्देशीय केन्द्रों का निर्माण	0.001	73 पीव्हीटीजी बसाहटों को लाभान्वित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त।
3	कौशल विकास	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास	0.000	निरंक
4	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	दवा लागत सहित मोबाइल मेडिकल यूनिट	482.220	निरंक
5	महिला एवं बाल विकास	आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण एवं संचालन	0.000	निरंक
6	स्कूल शिक्षा (समग्र शिक्षा)	छात्रावासों का निर्माण	0.000	1450 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।
		पक्के घर का प्रावधान अंतर्गत आवास निर्माण	8173.300	16185 आवास स्वीकृत
7	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संपर्क सड़के अंतर्गत 398 सड़क कार्य	0.000	448 पीव्हीटीजी बसाहट लाभान्वित होंगे

क.	विभाग का नाम	गतिविधि का नाम	बजट प्रावधान	लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों/कार्यों की संख्या
1	2	3	4	5
8	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पाईप से जलापूर्ति एवं सामुदायिक जलापूर्ति अंतर्गत 50562 घरेलू नल कनेक्शन	575.080	2458 घरेलू नल कनेक्शन
9	विद्युत मंडल	अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के अविद्युतिकृत घरों का परंपरागत स्रोत के माध्यम से विद्युतीकरण	4138.210	939 घरों का विद्युतीकरण
10	केडा	ऑफ ग्रीड सौर ऊर्जा का प्रावधान एवं सड़कों एवं बहुउद्देशीय केन्द्रों हेतु सौर प्रकाश व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के 107 बसाहटों के कुल 870 अविद्युतीकृत पीव्हीटीजी घरों के सौर विद्युतीकरण कार्य	0.000	निरंक
11	दूरसंचार विभाग	मोबाईल टॉवर की स्थापना	0.000	निरंक



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आ.जा. तथा अ.जा.वि.वि.

मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

परिशेष - उनतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 396) की जानकारी

प्रपत्र-अ

1 जनवरी, 2023 से 20 जनवरी, 2025 तक राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु संचालित योजना में कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या-

स. क्र.	वर्ग	वित्तीय वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन की संख्या	लंबित/ विलोपित आवेदन की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	अनुसूचित जाति	2022-23	62	02	60
2		2023-24	644	416	228
3		2024-25	659	594	65
4	अनुसूचित जनजाति	2022-23	34	00	34
5		2023-24	162	33	129
6		2024-25	179	141	38
योग :-			1740	1186	554


अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन

आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

दिसम्बर 2024 तक कुल 1186 हितग्राहियों को वितरित किये गये अनुदान राशि की विकासखंडवार जानकारी

स.क्र.	विकासखण्ड	हितग्राहियों की संख्या	अनुदान राशि (रु.)
1	2	3	4
1	महासमुंद	841	84,10,000 /- (चौरासी लाख दस हजार)
2	बागबाहरा	304	30,40,000 /- (तीस लाख चालीस हजार)
3	पिथौरा	39	3,90,000 /- (तीन लाख नब्बे हजार)
4	बसना	01	10,000 /- (दस हजार)
5	सरायपाली	01	10,000 /- (दस हजार)
	योग	1186	1,18,60,000 /- (एक करोड़ अठारह लाख साठ हजार)


अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन

आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, न.श. रायपुर

पॉरीशेट - चालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 410) की जानकारी

प्रपत्र

रायगढ़ जिले में संचालित बालक एवं बालिका छात्रावासों की स्वीकृत एवं प्रवेशित की विकासखंडवार, छात्रावासवार जानकारी

क्र.	छात्रावास का नाम	विकास खण्ड	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
बालक				
1	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास धरमजयगढ़ कं.-01	धरमजयगढ़	50	45
2	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास धरमजयगढ़ कं.-02	धरमजयगढ़	25	21
3	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास मिरीगुड़ा	धरमजयगढ़	50	65
4	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बाकारुमा	धरमजयगढ़	50	50
5	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास खम्हार	धरमजयगढ़	40	55
6	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास महाराजगंज	धरमजयगढ़	45	45
7	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कुडेकेला	धरमजयगढ़	50	50
8	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बंगरसुता	धरमजयगढ़	50	40
9	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास पखनाकोट	धरमजयगढ़	50	47
10	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास गनपतपुर	धरमजयगढ़	50	44
11	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सोखामुड़ा	धरमजयगढ़	50	43
12	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कापू	धरमजयगढ़	30	40
13	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास विजयनगर	धरमजयगढ़	50	71
14	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास खड़गांव	धरमजयगढ़	30	30
15	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास छाल क्र-1	धरमजयगढ़	50	47
16	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास छाल क्र-2	धरमजयगढ़	20	39
17	शासकीय पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	50	45
18	शासकीय पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बाकारुमा	धरमजयगढ़	50	50
19	शासकीय पो.मै.पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	100	55
20	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास क्र.1घरघोड़ा	घरघोड़ा	45	46
21	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास क्र.2 घरघोड़ा	घरघोड़ा	50	56
22	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास क्र.1नवा.टेण्डा	घरघोड़ा	45	38
23	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास क्र.2 नवा.टेण्डा	घरघोड़ा	20	35
24	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कुडुमकेला	घरघोड़ा	50	25
25	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बहिरकेला	घरघोड़ा	50	65
26	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास छर्राटांगर	घरघोड़ा	50	44
27	शासकीय पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास घरघोड़ा	घरघोड़ा	50	42
28	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास मदनपुर खरसियां	खरसिया	50	14
29	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बर्बा क्र.01	खरसिया	25	24
30	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास गोरपार	खरसिया	45	52
31	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास भुपदेवपुर	खरसिया	50	15
32	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास हालाहुली	खरसिया	50	46
33	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सोण्डका	खरसिया	20	20
34	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बर्बा क्र.02	खरसिया	20	20
35	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बरगढ़	खरसिया	50	40
36	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास मुरा	खरसिया	50	15
37	शासकीय प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास सोण्डका	खरसिया	50	46

क्र.	छात्रावास का नाम	विकास खण्ड	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
38	शासकीय प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खरसिया	खरसिया	50	30
39	शासकीय पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास खरसिया	खरसिया	100	43
40	शासकीय पो.मै.पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास खरसिया	खरसिया	50	15
41	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास पुसौर	पुसौर	50	43
42	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास झारमुडा	पुसौर	50	27
43	शासकीय प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पुसौर	पुसौर	50	31
44	शासकीय प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जतरी	पुसौर	50	25
45	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास क्र0 01 रायगढ़	रायगढ़	50	48
46	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास क्र0 02 रायगढ़	रायगढ़	50	47
47	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास जामगांव	रायगढ़	45	25
48	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास महापल्ली	रायगढ़	20	16
49	कर्मचारी प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास रायगढ़	रायगढ़	60	57
50	शासकीय प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास रायगढ़	रायगढ़	50	41
51	शासकीय प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास नंदेली	रायगढ़	50	19
52	शासकीय पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास रायगढ़	रायगढ़	50	62
53	शासकीय पो.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास रायगढ़	रायगढ़	50	50
54	शासकीय पो.मै.पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास रायगढ़	रायगढ़	100	60
55	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास तमनार	तमनार	50	55
56	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कुंजेमुरा	तमनार	50	50
57	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास उरबा	तमनार	45	45
58	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सराईपाली	तमनार	25	25
59	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास तराईमाल	तमनार	50	24
60	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास धौराभांठा	तमनार	20	16
61	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास हमीरपुर	तमनार	20	20
62	शासकीय पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास तमनार	तमनार	50	35
63	शासकीय पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास धौराभांठा	तमनार	50	29
64	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास लैलूंगा क्र.01	लैलूंगा	50	50
65	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास लैलूंगा क्र.02	लैलूंगा	25	33
66	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास मुकडेगा	लैलूंगा	20	20
67	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास राजपुर	लैलूंगा	25	25
68	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कोडासियां	लैलूंगा	45	45
69	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास लमडांड	लैलूंगा	50	33
70	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास केशला	लैलूंगा	50	30
71	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बगुडेगा	लैलूंगा	50	28
72	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बीरसिंघा	लैलूंगा	50	26
73	शासकीय पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास लैलूंगा	लैलूंगा	50	55
74	शासकीय पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास घटगांव	लैलूंगा	50	4
योग:-			3410	2812
कन्या				
1	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	50	76
2	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास बाकारुमा	धरमजयगढ़	50	62
3	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास रायमेर	धरमजयगढ़	50	55
4	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास बनहर	धरमजयगढ़	50	68

क्र.	छात्रावास का नाम	विकास खण्ड	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
5	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास पाराघाटी	धरमजयगढ़	50	60
6	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास हाटी	धरमजयगढ़	50	70
7	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास महाराजगंज	धरमजयगढ़	50	64
8	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास खड़गांव	धरमजयगढ़	50	50
9	शासकीय प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कापू	धरमजयगढ़	50	40
10	शासकीय पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	50	50
11	नवीन शासकीय पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	100	83
12	शासकीय पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास महाराजगंज	धरमजयगढ़	50	50
13	शासकीय पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास छाल	धरमजयगढ़	100	53
14	शासकीय पो.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कापू	धरमजयगढ़	50	46
15	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास घरघोड़ा	घरघोड़ा	50	54
16	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रा. बिच्छीनारा (रायकेरा)	घरघोड़ा	50	50
17	शासकीय पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास घरघोड़ा	घरघोड़ा	50	59
18	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास खरसियां	खरसिया	50	50
19	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास खम्हार	खरसिया	100	100
20	शासकीय प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास खरसिया	खरसिया	50	45
21	शासकीय पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास जोबी	खरसिया	50	60
22	शासकीय पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास खरसिया	खरसिया	50	40
23	शासकीय पो.मै. पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास खरसिया	खरसिया	50	9
24	शासकीय प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास पुसौर	पुसौर	50	38
25	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास रायगढ़	रायगढ़	100	95
26	कर्मचारी प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास रायगढ़	रायगढ़	40	40
27	शासकीय प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास रायगढ़	रायगढ़	50	50
28	शासकीय पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास रायगढ़	रायगढ़	50	65
29	शासकीय पो.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास रायगढ़	रायगढ़	50	50
30	शासकीय पो.मै. पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास रायगढ़	रायगढ़	50	65
31	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास गोढ़ी	तमनार	50	63
32	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास तमनार	तमनार	50	60
33	शासकीय पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास तमनार	तमनार	50	52
34	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास लैलूंगा	लैलूंगा	50	63
35	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास मुकडेगा	लैलूंगा	50	56
36	शासकीय प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास कोडासियां	लैलूंगा	50	55
37	शासकीय पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास लैलूंगा	लैलूंगा	50	65
योग:-			2040	2111
योग:-			5450	4923

Seema
अनुभाग अधिकारी
आ.जा. तैसा अनु.जा.वि. विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

जिला राजनांदगांव, खैरागढ़- छुईखदान-गण्डई अंतर्गत संचालित उद्योगों को केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यू) द्वारा भूगर्भ जल आहरण हेतु जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र की विकासखंडवार जानकारी

जिला-राजनांदगांव

1. विकासखण्ड - राजनांदगांव

क्रमांक	उद्योग का नाम एवं पता जिसे सीजीडब्ल्यू द्वारा भूगर्भ जल आहरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है
1.	मेसर्स कल्याणी इस्पात लिमिटेड, गांव-कोपेडीह, तहसील व जिला- राजनांदगांव
2.	मेसर्स ड्रुस पेट फूड प्राईवेट लिमिटेड यूनिट-II, गांव-इंदमारा, पोस्ट-पेंडी, ब्लॉक-राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव
3.	मेसर्स न्यू लुक बायो फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड, गांव-फुलझर, तहसील व जिला-राजनांदगांव
4.	मेसर्स एमका इंडिया पैनल एक्सेसरीज प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 640/1, गांव-जोरातराई, पोस्ट- मनगट्टा, तहसील व जिला- राजनांदगांव
5.	मेसर्स नव दुर्गा फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड (ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी फॉर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल), गांव-भेदरा-नवागांव, ब्लॉक व तहसील-राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव
6.	मेसर्स इण्डस बायो-फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-बघेरा और नवागांव, ब्लॉक-राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव
7.	मेसर्स खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ग्राम-फरहद (सोमनी), ब्लॉक-राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव
8.	मेसर्स श्रद्धा एग्रो इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सोमनी, सांकरा रोड, ब्लॉक-राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव
9.	मेसर्स छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट, ग्राम-सोण्डू, जी.ई. रोड, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव
10.	मेसर्स एबिस एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, गांव-चवेली, ब्लॉक- राजनांदगांव, जिला- राजनांदगांव
11.	मेसर्स शुभम फ्रूट्स, ग्राम-फरहद, पोस्ट-पनेका, ब्लॉक-राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव
12.	मेसर्स जया स्पेशलिटी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. -4/1, 4/2, 4/3, ग्राम-मोहंदी, ब्लॉक-राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव
13.	मेसर्स जयसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, थनोद रोड, ग्राम-अंजोरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव
14.	मेसर्स राजनांदगांव डायग्नोस्टिक सेंटर एंड हॉस्पिटल, वर्धमान नगर, जी.ई. रोड, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव
15.	मेसर्स जीवन रेखा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, जी.ई. रोड, ग्राम- मनकी, तहसील- राजनांदगांव, जिला- राजनांदगांव
16.	मेसर्स श्री रामलखन गुप्ता हॉस्पिटल एंड रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड, जी.ई. रोड, देवड़ा चौक, कोपेडीह रोड, ग्राम-देवड़ा, जिला-राजनांदगांव
17.	मेसर्स आर. एस. फूड प्रोसेसेज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-रेवाडीह, तहसील-राजनांदगांव, जिला - राजनांदगांव
18.	मेसर्स रूंगटा राईस मिल, ग्राम-मोहरा, तहसील-राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव
19.	मेसर्स जीएसबी एल्युमीनियम प्राईवेट लिमिटेड, खसरा नं. 640/1, ग्राम-जोरातराई, पोस्ट-मनगट्टा, जिला-राजनांदगांव
20.	मेसर्स श्री नकोड़ा चावल उद्योग, ग्राम-खपरीखुर्द, तहसील-राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव
21.	मेसर्स के.एस. इण्डस्ट्रीज, ग्राम-काकेतरा, तहसील-राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव
22.	मेसर्स दौलत सिंह चंदेल, ग्राम-नवागांव, मुढीपार रोड, तहसील-राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव
23.	मेसर्स बरार इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, खसरा नंबर- 1175/1, रसमड़ा औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम-जोरातराई, तहसील-राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव
24.	मेसर्स एबिस एक्सपोर्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-इंदामारा, तहसील- राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव
25.	मेसर्स कमल फूड्स प्राईवेट लिमिटेड, खसरा व प्लॉट नं. 445/3, ग्राम-सोमनी, तहसील व जिला-राजनांदगांव
26.	मेसर्स पी.एस. स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, ग्राम-टेडेसरा, तहसील-राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव
27.	मेसर्स ओरिएंट इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-टेडेसरा, तहसील-राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव
28.	मेसर्स कमल सॉल्वेंट एक्स्ट्रेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-खुटेरी, पोस्ट-सोमनी, तहसील व जिला-राजनांदगांव
29.	मेसर्स एम.के. री-रोलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-टेडेसरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव
30.	मेसर्स आदर्श इस्पात उद्योग प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-टेडेसरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव

2. विकासखण्ड - डोंगरगांव

क्रमांक	उद्योग का नाम एवं पता जिसे सीजीडब्लूए द्वारा भूगर्भ जल आहरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है
1.	मेसर्स ड्रल्स पेट फूड प्राईवेट लिमिटेड, गांव-अमलीडीह, तहसील - डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव
2.	मेसर्स एबिस एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, गांव-सुखरी, तहसील-डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव
3.	मेसर्स एबिस एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, गांव - बांकल, तहसील व ब्लॉक-डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव
4.	मेसर्स एबिस एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड (बांकल वर्कशॉप), गांव- बांकल, तहसील - डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव
5.	मेसर्स कांकरिया प्रोसेसिंग एंड ग्रेडिंग इंडस्ट्रीज, गांव-दीवानबेड़ी, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव
6.	मेसर्स एबिस एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, गांव-सुखरी, तहसील - डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव
7.	मेसर्स मोहन एग्रो इंडस्ट्रीज, ग्राम-मोहदा, तहसील-डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव
8.	मेसर्स अरोरा फूड प्रोडक्ट, ग्राम-तुमडीबोड़, तहसील-डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव
9.	मेसर्स कनक प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, ग्राम-दीवानभेड़ी, तहसील-डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव
10.	मेसर्स एबिस एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम- गोदरी, तहसील-डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव
11.	मेसर्स एबिस एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-धौराभाठा, तहसील-डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव
12.	मेसर्स एबिस एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-बिजेभाटा, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव
13.	मेसर्स एबिस डेयरी फार्म (ए यूनिट ऑफ एबिस हैचरी प्राईवेट लिमिटेड), ग्राम-गोदरी, तहसील-डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव
14.	मेसर्स अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज, ग्राम-जंगलपुर, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव
15.	मेसर्स जनता इंडस्ट्रीज, ग्राम-पैरी, तहसील-डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव
16.	मेसर्स एबिस एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-अमलीडीह, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव
17.	मेसर्स डोंगरगांव पेपर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-झीखाखार, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव
18.	मेसर्स धनलक्ष्मी पेपर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-झीखाखार, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव
19.	मेसर्स रामदेव रिफाइनरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-बुद्धू भरदा, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव

3. विकासखण्ड - डोंगरगढ़

क्रमांक	उद्योग का नाम एवं पता जिसे सीजीडब्लूए द्वारा भूगर्भ जल आहरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है
1.	मेसर्स ओम वेंचर्स, खसरा नंबर- 44/1, प.ह. नंबर- 41, ग्राम-छिरपानी, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव
2.	मेसर्स ग्रीन गोल्ड इरिगेशन प्राईवेट लिमिटेड, खैरागढ़ रोड, डोंगरगढ़, जिला- राजनांदगांव
3.	मेसर्स रामप्रदेश वर्मा (मोहनपुर साधारण पत्थर खदान), मोहनपुर, ख.नं. 616 (पी), 1.36 हेक्टेयर, ग्राम-मोहनपुर, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव
4.	मेसर्स मां पद्मावती चावल उद्योग, ग्राम-मुंडगांव, तहसील-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव
5.	मेसर्स लक्ष्मीआशो कन्वेयर्स एंड वेरियंट्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-मुंडगांव, तहसील-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव
6.	मेसर्स अमलीडीह क्वार्टज खदान, ग्राम-अमलीडीह, तहसील-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव
7.	मेसर्स अरोरा इंडस्ट्रीज, ग्राम-चौथना, तहसील-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव
8.	मेसर्स अरोरा एग्रो इंडस्ट्रीज, गांव-चौथना, तहसील-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव
9.	मेसर्स अग्रवाल चावल प्रोडक्ट, ग्राम-रामनगर (गजमरी), चिचोला रोड डोंगरगढ़, तहसील-डोंगरगढ़, जिला- राजनांदगांव

4. विकासखण्ड - छुरिया

क्रमांक	उद्योग का नाम एवं पता जिसे सीजीडब्लूए द्वारा भूगर्भ जल आहरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है
1.	मेसर्स श्री गुरुदेव एग्रो इंडिया प्राईवेट लिमिटेड यूनिट-II, ग्राम-महाराजपुर, तहसील-छुरिया, जिला-राजनांदगांव
2.	मेसर्स तिरुपति एग्रो लाटमेटा, ग्राम-लाटमेटा, तहसील-छुरिया, जिला-राजनांदगांव
3.	मेसर्स श्री गुरुदेव एग्रो इंडस्ट्रीज, ग्राम-महाराजपुर, ब्लॉक-छुरिया, जिला-राजनांदगांव
4.	मेसर्स श्री गुरुदेव चावल इण्डस्ट्रीज, ग्राम-महाराजपुर, ब्लॉक-छुरिया, जिला-राजनांदगांव
5.	मेसर्स तिरुपति एग्रो, प.ह.नं. 00038, खसरा नं.-191/2, 194, ग्राम-लाटमेटा, तहसील-छुरिया, जिला-राजनांदगांव
6.	मेसर्स एबिस एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-महाराजपुर, ब्लॉक-छुरिया, जिला-राजनांदगांव
7.	मेसर्स रामदेव सेल्स कॉर्पोरेशन, ग्राम-अछोली, तहसील-छुरिया, जिला-राजनांदगांव

जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

1. विकासखण्ड - खैरागढ़

क्रमांक	उद्योग का नाम एवं पता जिसे सीजीडब्लूए द्वारा भूगर्भ जल आहरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है
1.	मेसर्स बीबीसी राईस इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट-2), ग्राम-चिखलदाह, तहसील-खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
2.	मेसर्स ओम एग्रो इंडस्ट्रीज, ग्राम-फत्तेपुर, तहसील-खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
3.	मेसर्स एबिस एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, गांव-दमरी, तहसील-खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
4.	मेसर्स उदय क्रशर (प्रो.-श्रीमती राखी टुरहाटे), ग्राम-बलदेवपुर, तहसील-खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5.	मेसर्स ऋषभ मिनरल्स (प्रो.- श्री उत्तम सिंह राजपूत, खुसीपार चूना पत्थर खदान), ग्राम-खुसीपार, तहसील-खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
6.	मेसर्स श्री प्रशांत सिंह (खनिज - ऑडिनरी क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक्स), गांव-सालिहा, तहसील-खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
7.	मेसर्स श्रीमती पायल सिंह (खनिज - ऑडिनरी क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक्स), गांव-चिखलदाह, तहसील-खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
8.	मेसर्स श्री भूपेन्द्र सिंह (बलदेवपुर चूना पत्थर खदान), ग्राम-बलदेवपुर, तहसील-खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
9.	मेसर्स श्री भाऊराम चक्रधारी (बलदेवपुर चूना पत्थर खदान), ग्राम-बलदेवपुर, तहसील-खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
10.	मेसर्स माधव मेमोरियल हॉस्पिटल, मेन रोड, किल्लापारा, तहसील-खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
11.	मेसर्स संतोष कुमार अग्रवाल (पचपेड़ी चूना पत्थर खदान), पचपेड़ी, खसरा नं. 624/1(पी) एवं 625/1(पी), तहसील-खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
12.	मेसर्स राजकुमारी दास (बलदेवपुर चूना पत्थर खदान), ग्राम-बलदेवपुर, तहसील-खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
13.	मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी (कलकसा चूना पत्थर खदान), खसरा नं. 471, 472 एवं 473/2(पी), ग्राम-कलकसा, तहसील-खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
14.	मेसर्स अमृत मिनरल्स (प्रो.- श्री भूपेन्द्र सिंह सलूजा), स्टोन क्रशर, खसरा नंबर 1140/11 एवं 12, ग्राम-बलदेवपुर, तहसील-खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
15.	मेसर्स कविता स्टोन्स (बलदेवपुर चूना पत्थर खदान, प्रो.- श्रीमती कविता पारख), खसरा नं. 907 एवं 909/1, ग्राम-बलदेवपुर, तहसील-खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
16.	मेसर्स बलदेवपुर चूना पत्थर खदान (गौण खनिज), ग्राम-बलदेवपुर, तहसील-खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

2. विकासखण्ड - छुईखदान

क्रमांक	उद्योग का नाम एवं पता जिसे सीजीडब्लूए द्वारा भूगर्भ जल आहरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है
1.	मेसर्स श्री महावीर राईस मिल, ग्राम-देवपुरा, तहसील-छुईखदान, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
2.	मेसर्स चंदनमल सुगनचंद जैन, पता- वार्ड क्रमांक 15, दुर्ग रोड गंडई, ग्राम-गंडई, तहसील-छुईखदान, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 अन्वय एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पॉरीशेष्ट - बयालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 554) की जानकारी

प्रपत्र-अ

वर्ष 2021-22 से जनवरी 2025 तक जिला रायगढ़ अंतर्गत मण्डल द्वारा किन-किन कंपनियों को कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी मात्रा में राखड़ डम्प किये जाने की अनुमति दी गई है, की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम व पता	अनापत्ति जारी दिनांक	राखड़ डम्प स्थल की जानकारी	क्षमता (टन में)		
1.	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती (छ.ग.)	21.12.2021	ग्राम-कुनकुनी, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ स्थित मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के परिसर के खसरा क्रमांक 308/2 308/3, 275/1, 443, रकबा क्रमशः-0.273, 0.384, 0.757, 0.526 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 309/1, रकबा 0.020, हेक्टेयर	75,000		
2.	मेसर्स डी.बी. पॉवर लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, जिला-सक्ती (छ.ग.)	22.02.2022	ग्राम-बंगुरसिया, तहसील व जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 11/25क, रकबा 3.250, खसरा क्रमांक 11/8 एवं 11/13 रकबा क्रमशः-0.809, 3.226 हे.	40,000		
		14.03.2022	ग्राम-धुटकूपाली, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 121, रकबा-2.643 हे.	50,000		
		19.04.2023	ग्राम-पुटकापुरी, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक 133/1 कुल रकबा-8.628 हेक्टेयर	28,000		
		01.08.2024	ग्राम-छातामुड़ा, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-306/3 एवं 304/2 रकबा क्रमशः-0.194 एवं 0.162 हेक्टेयर	14,000		
3.	मेसर्स अड़ानी पॉवर लिमिटेड (पूर्व नाम मेसर्स रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड) ग्राम-छोटे भण्डार, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	21.03.2022	ग्राम-टपरदा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 23, रकबा 0.397 हेक्टेयर	20,000		
		18.04.2022	ग्राम-पटेलपाली, तहसील व जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 206/23ग/1, 206/23ग/2, रकबा 0.257 हेक्टेयर	20,000		
4.	मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड, ग्राम-नाहरपाली, तहसील- खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	31.05.2022	ग्राम-पुंजीपथरा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 150, रकबा 2.960 हेक्टेयर	30,000		
		10.01.2023	ग्राम-बांधनपाली, तहसील-छाल, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 98 एवं 99, रकबा क्रमशः-1.360 एवं 1.720 हेक्टेयर	80,000		
5.	मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	18.08.2021	ग्राम-तमनार, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 253/1क, 252/2, 254, 258, 259, रकबा क्रमशः 0.633, 0.543, 1.108, 0.312, 0.295 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 253/1ख, रकबा 0.632 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 252/3, रकबा 0.543 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 255/1, 253/2, रकबा क्रमशः-0.453, 0.636 हेक्टेयर	2,00,000		
			ग्राम-सलिहाभांटा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक-427/1ड, 427/2क, 427/2ख, रकबा क्रमशः-1.416, 0.312, 0.275 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 584, रकबा-0.736 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 418, रकबा 1.291 हेक्टेयर			
			ग्राम-टिहलीरामपुर, के खसरा क्रमांक-406 (2.023), 398, 399, 400, 401, 393, 394, 395, 396, 397, कुल रकबा 9.913 हेक्टेयर			
		11.11.2021	ग्राम-टिहलीरामपुर, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 274, 276, 277, 279, 291, 293, 294, 295, 296, एवं 278 कुल रकबा 4.680 हेक्टेयर	1,00,000		
		22.02.2022	ग्राम-बंगुरसिया, तहसील व जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 11/25क, रकबा 3.250, खसरा क्रमांक 11/8 एवं 11/13 रकबा क्रमशः-0.809, 3.226 हे.	40,000		
		25.04.2022	ग्राम-तमनार, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 319 रकबा-0.490 हे.	20,000		
		20.05.2022	ग्राम-बंगुरसिया, तहसील व जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 11/25क, 11/8 एवं 11/13 कुल रकबा 7.285	38,000		
		18.01.2023	ग्राम-हमीरपुर, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 74/2क, 74/2ख, 51/1 एवं 74/1, कुल रकबा-9.050 हे.	90,000		
		6.	मेसर्स सारडा इनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, (पूर्व नाम मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड) ग्राम-बिजकोट, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	24.08.2022	ग्राम-तुसेकेला, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 555/1, 556/1, 557/3, 558/4, 646/1ग, 646/1च, कुल रकबा-3.77 में से 1.80 एकड़ हेक्टेयर	10,000
				07.10.2022	ग्राम-कंजपुरा, पटेलपाली, तहसील व जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 206/32, 206/33 एवं 206/38, कुल रकबा-0.320 हेक्टेयर	6,500
07.02.2023	ग्राम-नावापारा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 181/1 रकबा-0.200 हेक्टेयर			4,000		
10.02.2023	ग्राम-छोटे रामपुर, ग्राम पंचायत-गोजामुड़ा, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-155/8, रकबा-0.465 हेक्टेयर			5000		
31.03.2023	ग्राम-छाल, तहसील-छाल, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक 193/1, 193/2 एवं 194/2 रकबा क्रमशः-0.435, 1.584 एवं 2.380 हेक्टेयर			10000		
06.04.2023	ग्राम-कांसीचुआं, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक 706/2क रकबा-0.0610 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 903/1 रकबा-0.334 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 903/8 रकबा-0.202 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 904/1 रकबा-0.543 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 905/2 रकबा-0.133 हेक्टेयर,			35,000		
02.05.2023	ग्राम-डुमरपाली, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक 20/1क/1 रकबा-0.898 हेक्टेयर			8,000		
05.06.2023	ग्राम-कांसीचुआं, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक 706/2क रकबा-0.0610 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 903/1 रकबा-0.334 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 903/8 रकबा-0.202 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 904/1 रकबा-0.543 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 905/2 रकबा-0.133 हेक्टेयर,			1,00,000		

		29.08.2023	ग्राम-बेतल्दा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-441/1 रकबा-0.827 हेक्टेयर	10,000
		29.09.2023	ग्राम-चारभांठा, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक 298/6 रकबा-0.129 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-298/3 रकबा-0.708 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-298/5 रकबा-0.178 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक-299/1/क रकबा-0.457 हेक्टेयर	80,000
		16.12.2024	ग्राम-बोजिया, तहसील-छाल, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 19/1झ एवं 28/1/ख/1 कुल रकबा-1.477 हेक्टेयर	29,700
7.	मेसर्स श्री श्याम इस्पात (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-तमराईमाल, पोस्ट-गेरवानी, जिला-रायगढ़	01.08.2024	ग्राम-बगबुड़ा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-67/1, 68, 69 एवं 67/2 कुल रकबा-1.722 हेक्टेयर	50,000
8.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-पतरापाली, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)	29.06.2022	ग्राम-कोकड़ीतराई (किरोड़ीमल नगर), तहसील व जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 151/8, 151/9, 172/2, 173/3, 250/3 शामिल 253/1/3, 250/1/4 शामिल 253/1/3, रकबा 0.307 हेक्टेयर	5,000
		18.10.2022	ग्राम-कोकड़ीतराई (किरोड़ीमल नगर), तहसील व जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 300/1, रकबा 0.616 हेक्टेयर	9,000
9.	मेसर्स सिंघल इन्ट्राइजेश प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-पतराईमाल, पोस्ट-गेरवानी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	21.06.2022	ग्राम-सामारूमा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 111/65, रकबा 2.435 हेक्टेयर	25,000
		07.02.2023	ग्राम-पतरापाली/कोतरतिया, तहसील व जिला- रायगढ़ के खसरा क्रमांक-576/2, 578/2, 580/2, 580/3, 582/1, 582/2, 583/7, 587, 588, 593, 594/1, 594/2, 595/3, 596/2, 598, 606/1, 606/2, 644, 579, 592, 596/1, 596/3, 599, कुल रकबा-9.080	1,50,000
		01.08.2024	ग्राम-बगबुड़ा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-72, 75/1, 75/2, 71/1, 71/2 एवं 73 कुल रकबा-2.282 हेक्टेयर	50,000
10.	मेसर्स एम.एस.पी. स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-जामगांव, जिला- रायगढ़ (छ.ग.)	03.06.2022	ग्राम-बलभद्रपुर, तहसील व जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 91/1 एवं 84/1, कुल रकबा 4.022 हेक्टेयर	50,000
		07.02.2023	ग्राम-बादपाली, तहसील व जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 80/4, रकबा 0.040 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 80/2, रकबा 0.607 हेक्टेयर	25,000
		07.02.2023	ग्राम-सम्बलपुरी, तहसील व जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 253/1, रकबा 1.012 हेक्टेयर मे से 0.809 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 253/2, रकबा 1.011 हेक्टेयर	32,000
11.	मेसर्स आर.आर. इनर्जी लिमिटेड, ग्राम-गड़उमरिया, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	20.05.2022	ग्राम-दर्रांमुड़ा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 162/3, 164/2, 163, 164/3, 393/2, 145/7, 147/2, 147/3, 148, 153/3 से 161/2, कुल रकबा 1.545 हेक्टेयर	12,000
		07.07.2023	ग्राम-तेतला, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-463/9 रकबा-0.202 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-463/7 रकबा-0.211 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-526/3 रकबा-0.024 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-465/6 रकबा-0.129 हेक्टेयर	4,000
		01.08.2024	ग्राम-चिखली, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-30/1 रकबा-0.0410 हेक्टेयर	1,000
12.	मेसर्स टी.आर.एन. इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-नवापारा (टेण्डा), तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़	24.08.2022	ग्राम-पुंजीपथरा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 150, रकबा 2.960 हेक्टेयर,	30,000
		26.08.2022	ग्राम-झगरपुरी, तहसील-लैलूंगा, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 293/3, रकबा 4.573 एकड़	10,000
		29.09.2022	ग्राम-झगरपुरी, तहसील-लैलूंगा, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 293/3, रकबा 4.573 एकड़	10,000
		10.01.2023	ग्राम-बंधापाली, तहसील-छाल, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-97 रकबा-1.1700 हे.	45,000
		10.02.2023	ग्राम-सोहनपुर, तहसील-लैलूंगा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-517, 518, 519, 520, कुल रकबा- 2.460 हेक्टेयर	2,00,000
		10.02.2023	ग्राम-कोटरीमाल, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-145/1, कुल रकबा-1.215 हेक्टेयर	60,000
		01.06.2023	ग्राम-छोटेगुमड़ा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-299 एवं 308 रकबा क्रमशः-0.514 एवं 0.787 हेक्टेयर	35,000
		16.08.2023	ग्राम-सोहनपुर, तहसील-लैलूंगा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-717, 715, 718, 719 एवं 721 रकबा क्रमशः - 0.610, 0.680, 0.430, 0.370 एवं 0.290 हेक्टेयर, कुल रकबा - 2.380 हेक्टेयर	1,50,000
		22.09.2023	ग्राम-कोनपारा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक-254/39 रकबा-1.241 हेक्टेयर, तथा खसरा क्रमांक-254/40 रकबा-1.242 हेक्टेयर	50,000
		28.02.2024	ग्राम-सूरंगपानी, तहसील-पथलगांव, जिला-जयपुर (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-344/4, 300/6 एवं 300/5 रकबा क्रमशः-0.111, 0.134 एवं 0.196 हेक्टेयर	70,000
13.	मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, ग्राम-लारा, तह.पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	28.03.2023	उच्च विश्राम भवन के पास स्थित भूमि पर लोक निर्माण विभाग, रायगढ़ संभाग द्वारा जिला न्यायालय रायगढ़ में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों हेतु 04 नग डी. टाईप एवं 02 नग ई. टाईप शासकीय आवास गृह निर्माण कार्य हेतु	2,000
		05.04.2023	ग्राम-दर्रांमुड़ा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 17/5, रकबा 0.202 हेक्टेयर	4,500
		01.06.2023	ग्राम-बरपाली, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-387/4, 393/3 एवं 393/4 रकबा क्रमशः-0.465, 0.036 एवं 0.063 हेक्टेयर, कुल रकबा-0.564 हेक्टेयर	13,000
14.	मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-गेरवानी, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़	27.09.2022	ग्राम-बगबुड़ा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 60, 62, 63 एवं 64, कुल रकबा 1.416 हेक्टेयर	5,000
		01.08.2024	ग्राम-बगबुड़ा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-48, 54/2, 55/2 एवं 57/1 कुल रकबा-1.503 हेक्टेयर	45,000

15.	मेसर्स महावीर इनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड, ग्राम-भेगारी, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़	19.01.2023	ग्राम-भेगारी, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक-15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6 एवं 15/7, कुल रकबा-1.745 हेक्टेयर	3,000
		22.09.2023	ग्राम-बगचबा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक-80 रकबा-0.809 हेक्टेयर	5,000
16.	मेसर्स नव दुर्गा फ्यूल्स (प्रा.) लिमिटेड, ग्राम-सराईपाली, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़	24.01.2023	ग्राम-सराईपाली, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 78, रकबा 15.830 हेक्टेयर	45,000
17.	मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	29.09.2023	ग्राम-पूजीपथरा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-60 रकबा-6.330 हेक्टेयर	1,00,000


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

वर्ष 2021-22 से माह जनवरी 2025 तक जिला रायगढ़ के ताप विद्युत संयंत्रों से जनित फ्लाई ऐश के परिवहन में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	प्राप्त शिकायत	शिकायत दिनांक एवं शिकायतकर्ता	उद्योग का नाम व पता	निरीक्षण/ जांच दिनांक	की गई कार्यवाही	वर्तमान स्थिति	
1.	ग्राम-खैरपाली, बसनाझार मार्ग के आस-पास आदि में फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	दूरभाष से प्राप्त मौखिक शिकायत दिनांक 04.04.2021	मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. स्पेशल प्रोडक्ट लिमिटेड, ग्राम-नहरपाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	05.04.2021	निरीक्षण के दौरान उद्योग को फ्लाई ऐश डंप स्थल का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा खैरपाली, बसनाझार मार्ग के बाईं ओर डंप फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किया गया है। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।	
	एन.एच. रोड चारभाठा चौक स्थित ढाबा के बगल स्थित हरिश पटेल के जमीन पर आदि में फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	कार्यालय थाना प्रभारी भूपदेवपुर, जिला-रायगढ़ का पत्र दिनांक 06.07.2021			16.07.2021	मंडल के पत्र दिनांक 16.07.2021 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश हटाने एवं अपवहन हेतु समुचित व्यवस्था बनाने के संबंध में पत्र जारी कर समतलीकरण कार्य कराया गया।	फ्लाई ऐश डंप स्थल का समतलीकरण किया जाकर मिट्टी की परत बिछाई गई। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	एन.एच. 49पटेल ढाबा के समीप श्री मोहनलाल पटेल व श्री मदनलाल पटेल, ग्राम-धनागर, तहसील व जिला-रायगढ़ के जमीन पर फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	आवेदक श्री मोहनलाल पटेल का पत्र दिनांक 20.02.2023			15.03.2023	मंडल के पत्र दिनांक 31.03.2023 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश के समतलीकरण एवं मिट्टी की परत बिछाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा समाधान कारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	ग्राम-धनागर, तहसील व जिला-रायगढ़ में नेशनल हाईवे के दोनो ओर एवं कृषि भूमि में अवैध फ्लाई ऐश का अनियंत्रित एवं अनुचित अपवहन के संबंध में।	दूरभाष से प्राप्त मौखिक शिकायत दिनांक 13.03.2023			13.03.2023 से 16.03.2023	मंडल के पत्र दिनांक 20.03.2023 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश हटाने, अपवहन हेतु समुचित व्यवस्था बनाने, समतलीकरण करने एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 2,14,830.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	ग्राम सलिहाभाठा में स्थित जे.एस.डब्ल्यू. पॉवर लिमिटेड कंपनी द्वारा हमारे गांव पास में फ्लाई ऐश डमिंग पहाड़ जैसा किया जा रहा है जो हवा करने पर उड़कर हमारे खाने में गिर रहा है जिससे खाना नहीं खा पा रहे हैं भूखा सोना पड़ रहा है एवं ध्वनि प्रदूषण फैलाया जा रहा है जिससे आंख, कान प्रभावित हो रहा है इस गंभीर समस्या का समाधान करने बाबत।	जन चौपाल के माध्यम से प्राप्त शिकायत दिनांक 11.06.2024			22.06.2024	मण्डल के पत्र दिनांक 22.06.2024 द्वारा उद्योग को ग्राम-सलिहाभाठा में अत्यधिक मात्रा में भण्डारित ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एवं एस.एम.एस. स्लैग को नियमानुसार स्लैग का अपवहन करने एवं क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा आवश्यक सुधार कार्य किया गया। उद्योग द्वारा समाधान कारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	गोल फ्लाई ऐश को गिराते हुये परिवहन किये जाने संबंधी शिकायत।	फ्लाई ऐश वॉट्स ऐप हेल्प लाईन नंबर पर प्राप्त शिकायत दिनांक 24.09.2024			निरीक्षणकी आवश्यकतानही।	मंडल के पत्र दिनांक 26.09.2024 के माध्यम उद्योग पर 39,840.00 रुपये अधिरोपित करते हुये रोड पर गिरे फ्लाई ऐश की सफाई कराने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 39,840 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
2.	रायगढ़-खरसिया मार्ग में लोढ़ाझर, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ आदि में फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	दूरभाष से प्राप्त मौखिक शिकायत दिनांक 23.02.2022	मेसर्स स्काई एलायज एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-टेमटेमा, जिला-रायगढ़	23.02.2022	उद्योग को फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	फ्लाई ऐश डंप स्थल का समतलीकरण किया जाकर मिट्टी की परत बिछाई गई। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।	
3.	ग्राम-धनागर नेशनल हाईवे के समीप जिला-रायगढ़ आदि में फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	न्यायालय नायब तहसीलदार रायगढ़ का पत्र दिनांक 06.12.2021	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-पतरापाली, जिला-रायगढ़	08.12.2021	मंडल के पत्र दिनांक 16.12.2021 एवं 03.02.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु पत्र जारी किया गया।	वर्तमान में फ्लाई ऐश का समतलीकरण किया जाकर मिट्टी की परत बिछाई गई है। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।	

	एन.एच. 49 पटेल ढाबा के समीप श्री मोहनलाल पटेल व श्री मदनलाल पटेल, ग्राम-धनागर, तहसील व जिला-रायगढ़ के जमीन पर फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	आवेदक श्री मोहनलाल पटेल का पत्र दिनांक 20.02.2023		15.03.2023	मंडलकेपत्रदिनांक31.03.2023द्वाराउद्योगकोसमतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने हेतु निर्देशितकियागया।	उद्योग द्वारा समाधान कारक कार्यावाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	ग्राम-कुसमुरा के खेत में अवेध फ्लाई ऐश अपवहन किये जाने के संबंध में।	फ्लाई ऐश वॉट्स ऐप्प हेल्प लाईन नंबर पर प्राप्त शिकायत दिनांक 12.12.2024		12.12.2024	मंडल के पत्र दिनांक 17.12.2024 द्वाराउद्योगपर 24,630.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुऐसमाधानक कार्यावाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 24,630.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यावाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	फ्लाई ऐश रोड पर गिराते हुये परिवहन किये जाने संबंधी शिकायत।	फ्लाई ऐश वॉट्स ऐप्प हेल्प लाईन नंबर पर प्राप्त शिकायत दिनांक 16.10.2024		निरीक्षणकी आवश्यकतानही।	मंडल के पत्र दिनांक 21.10.2024के माध्यम उद्योग पर 72,720.00 रूपये अधिरोपित करते हुये रोड पर गिरे फ्लाई ऐश की सफाई कराने हेतुनिर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 72,720.00 रूपये जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यावाही किया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
4.	सामारूमा नाले के समीप जिला-रायगढ़ आदि में फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	दूरभाष से प्राप्त मौखिक शिकायत दिनांक 12.01.2022	सिंघल इंटरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़	12.01.2022	मंडल के पत्र दिनांक 13.01.2022द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु पत्र जारी किया गया।	फ्लाई ऐश उंप स्थल का समतलीकरण किया जाकर मिट्टी की परत बिछाई गई। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यावाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
5.	रायगढ़-पूजीपथरा सड़क किनारे ग्राम-चिराईपानी एवं लाख आदि में फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	समाचार पत्र में प्रकाशित दिनांक 01.11.2021	मेसर्स ज़िंदल पॉवर लिमिटेड, ग्राम-तमनार, जिला-रायगढ़	29.10.2021 01.11.2021	मंडल के पत्र दिनांक 02.11.2021द्वारा सप्ताहिक समाचार पत्र रायगढ़ दर्पण में प्रकाशित अनियमित एवं अवैधानिक रूप से सड़क के किनारे अपवहन किये जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	उद्योग द्वारा फ्लाई ऐश हटाई गई। उद्योग प्रबंधन द्वारा फ्लाई ऐश भराव हेतु अनुमति प्राप्त कर चिन्हित स्थल पर फ्लाई ऐश का अपवहन किया जा रहा है। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यावाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
6.	सामारूमा नाले के समीप जिला-रायगढ़ आदि में फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	दूरभाष से प्राप्त मौखिक शिकायत दिनांक 12.01.2022	मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राईवेटलिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़	12.01.2022	मंडल के पत्र दिनांक 13.01.2022द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु पत्र जारी किया गया।	फ्लाई ऐश उंप स्थल का समतलीकरण किया जाकर मिट्टी की परत बिछाई गई। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यावाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
7.	सामारूमा नाले के समीप जिला-रायगढ़ आदि में फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	दूरभाष से प्राप्त मौखिक शिकायत दिनांक 12.01.2022	मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-गौरमुड़ी, जिला-रायगढ़	12.01.2022	मंडल के पत्र दिनांक 13.01.2022द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु पत्र जारी किया गया।	फ्लाई ऐश उंप स्थल का समतलीकरण किया जाकर मिट्टी की परत बिछाई गई। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यावाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
8.	सामारूमा नाले के समीप जिला-रायगढ़ आदि में फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	दूरभाष से प्राप्त मौखिक शिकायत दिनांक 12.01.2022	मेसर्स एन.आर.व्ही.एस. स्टील लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़	12.01.2022	मंडल के पत्र दिनांक 13.01.2022द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु पत्र जारी किया गया।	फ्लाई ऐश उंप स्थल का समतलीकरण किया जाकर मिट्टी की परत बिछाई गई। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यावाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
9.	सामारूमा नाले के समीप जिला-रायगढ़ आदि में फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	दूरभाष से प्राप्त मौखिक शिकायत दिनांक 12.01.2022	मेसर्स सिंघल इनर्जी लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़	12.01.2022	मंडल के पत्र दिनांक 13.01.2022द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु पत्र जारी किया गया।	फ्लाई ऐश उंप स्थल का समतलीकरण किया जाकर मिट्टी की परत बिछाई गई। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यावाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
10.	सामारूमा नाले के समीप जिला-रायगढ़ आदि में फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	दूरभाष से प्राप्त मौखिक शिकायत दिनांक 12.01.2022	मेसर्स अंजनी स्टील प्राईवेटलिमिटेड, ग्राम-उज्जवलपुर, जिला-रायगढ़	12.01.2022	मंडल के पत्र दिनांक 13.01.2022द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु पत्र जारी किया गया।	फ्लाई ऐश उंप स्थल का समतलीकरण किया जाकर मिट्टी की परत बिछाई गई। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यावाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
11.	ग्रामपंचायत- उमरिया द्वारा फ्लाई ऐश डालने के लिये एन.ओ.सी. दिया गया है। फ्लाई ऐश डालने के बाद मिट्टी की परत नहीं बिछाई गई है जिससे मेन रोड में आ जाने से आने-जाने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।	ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त शिकायत दिनांक 05.11.2022	मेसर्स एन.टी.पी.सी. लारा, सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, ग्राम-लारा, तहसील -पुसौर, जिला-रायगढ़	15.12.2022	सरपंच ग्राम पंचायत-उमरिया द्वारा बताया गया कि स्थल पर काम्प्लेक्स निर्माण हेतु फ्लाई ऐश का उपयोग किया गया है। अनुमति की आवश्यकता के संबंध में जानकारी के अभाव में अनुमति नहीं ली गई है।	उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यावाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	फ्लाई ऐश रोड पर गिराते हुये परिवहन किये जाने संबंधीशिकायत।	फ्लाई ऐश वॉट्स ऐप्प हेल्प लाईन नंबर पर प्राप्त शिकायत दिनांक 24.09.2024		निरीक्षण की आवश्यकता नहीं।	मंडल के पत्र दिनांक 25.10.2024के माध्यम उद्योग पर 53,250.00 रूपये अधिरोपित करते हुये रोड पर गिरे फ्लाई ऐश की सफाई कराने हेतुनिर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 53,250 रूपये जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यावाही किया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

12.	ग्राम-माहपल्ली मार्ग से लगे समीप भूमि पर फ्लाइ ऐश का अनियंत्रित एवं अनुचित अपवहन किया जाना पाया गया।	दैनिक सामाचार पत्र "पत्रिका" में प्रकाशित खबर कार्यालयकलेक्टर, जिला- रायगढ़सेइसकार्यालय मेंआवकदिनांक11.03.2024	मेसर्स एम.एस.पी. स्टील्स एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-जामगांव, जिला-रायगढ़	21.03.2024	मंडल के पत्र दिनांक 22.03.2024 द्वारा उद्योग पर 4,50,000.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए फ्लाइ ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 4,50,000.00 रूपये जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
13.	एन.एच. 49 पटेल ढाबा के समीप श्री मोहनलाल पटेल व श्री मदनलाल पटेल, ग्राम-धनागर, तहसील व जिला-रायगढ़ के जमीन पर फ्लाइ ऐश अपवहन के संबंध में।	आवेदक श्री मोहनलाल पटेल का पत्र दिनांक 20.02.2023	मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, ग्राम बिंजकोट एवं दरमिड़ा, तहसील-खरसिया, जिला रायगढ़	15.03.2023	मंडल के पत्र दिनांक 31.03.2023 द्वारा उद्योग को समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा समाधान कारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	ग्राम-धनागर, तहसील व जिला-रायगढ़ में नेशनल हाईव के समीप फ्लाइ ऐश का अवैध अनियंत्रित एवं अनुचित अपवहन के संबंध में।	कलेक्टर जन चौपाल के माध्यम से प्राप्त शिकायत दिनांक 20.03.2023		20.03.2023	मंडल के पत्र दिनांक 24.03.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर जमा करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 42,150.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	खरसिया राष्ट्रीय राजमार्ग-49 में अवैध फ्लाइ ऐश डंप करने वाले ट्रांसपोर्टर श्री जगदीश मित्तल ऊपर कानूनी कार्यवाही करने बाबत।	फ्लाइ ऐश वॉट्स ऐप हेल्प लाईन नंबर में दिनांक 11.05.2023		12.05.2023	मंडल के पत्र दिनांक 16.05.2023 द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर जमा करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 29,865.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	ग्राम-कुरूभाठा मार्ग से जामपाली मार्ग के मध्य खेत में फ्लाइ ऐश का अवैध अपवहन किये जाने के संबंध में	फ्लाइ ऐश वॉट्स ऐप हेल्प लाईन नंबर में दिनांक 07.10.2023		11.10.2023	मंडल के पत्र दिनांक 11.10.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए फ्लाइ ऐश को तत्काल स्थल से हटाने एवं सफाई करने हेतु नोटिस जारी किया गया।	उद्योग द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 16.02.2024 के माध्यम से वाहन अचानक ग्राम-कुरूभाठा से जामपाली के मध्य सड़क में ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित हो कर फ्लाइ ऐश सड़क किनारे खेत में जा गिरने एवं उक्त स्थल में गिरे फ्लाइ ऐश को हटाया जा कर सफाई किये जाने की जानकारी प्रस्तुत की गई है। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	आवेदक श्री राजकुमार पटेल के घर के सामने राखड़ डम्प करने के विरुद्ध शिकायत	आवेदक श्री राजकुमार पटेल का शिकायत पत्र दिनांक 27.05.2024		12.06.2024	मंडल के पत्र दिनांक 12.06.2024 के माध्यम से उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रु. 29,865.00 अधिरोपित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 29,865.00 जमा करते हुये स्थल पर फ्लाइ ऐश को हटाने की कार्यवाही किया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
14.	आवेदक के कृषि भूमि में गिराये गये डस्ट को हटाये जाने तथा क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि दिलाये जाने का आदेश के बाद भी टी.आर.एन. कंपनी के द्वारा न तो मुआवजा दिया गया और न ही खेत को समतलीकरण एवं न ही सफाई किया गया के विरुद्ध शिकायत।	कलेक्टर जन चौपाल के माध्यम से प्राप्त शिकायत दिनांक 11.06.2024	मेसर्स टी.आर.एन. इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-नवापारा, टेण्डा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़	निरीक्षण की आवश्यकता नहीं।	मण्डल के पत्र दिनांक 20.06.2024 द्वारा उद्योग को आवेदक की भूमि से फ्लाइ ऐश हटाने एवं स्थल की सफाई करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा समाधान कारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	कृषि भूमि में गिराये गये डस्ट को हटाये जाने तथा क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि दिलाये जाने के संबंध में आवेदन।	जन चौपाल के माध्यम से प्राप्त शिकायत दिनांक 30.07.2024		24.09.2024	मण्डल के पत्र दिनांक 26.09.2024 के माध्यम उद्योग को फ्लाइ ऐश अपवहन स्थल की सफाई कर कृषि युक्त बनाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा समाधान कारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
15.	ग्राम गेरवानी के जंगलों एवं किसानों के खेतों में उद्योग से निकलने वाले फ्लाइ ऐश का अवैध रूप से डालने की समस्या बाबत।	जन समस्या निवारण शिविर के तहत प्राप्त शिकायत दिनांक 05.05.2022	मेसर्स श्री श्याम इस्पात (इण्डिया)प्राईवेट., लिमिटेड ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़	31.05.2022	मंडल के पत्र दिनांक 31.05.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाइ ऐश का अपवहन तत्काल बंद करने हेतु निर्देशित किया गया।	निर्देश उपरांत उक्त स्थल में फ्लाइ ऐश का अपवहन बंद किया जाना पाया गया। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
16.	ग्रामगेरवानी के जंगलों एवं किसानों के खेतों में उद्योगसे निकलने वाले फ्लाइ ऐश का अवैध रूप से डालने की समस्या बाबत।	जन समस्या निवारण शिविर के तहत प्राप्त शिकायत दिनांक 05.05.2022	मेसर्स नवदुर्गा फ्युल्स प्राईवेट., लिमिटेड ग्रामसराईपाली., जिलारायगढ़-	31.05.2022	मंडल के पत्र दिनांक 31.05.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाइ ऐश का अपवहन तत्काल बंद करने हेतु निर्देशित किया गया।	निर्देश उपरांत उक्त स्थल में फ्लाइ ऐश का अपवहन बंद किया जाना पाया गया। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
17.	ग्रामगेरवानी के जंगलों एवं किसानों के खेतों में उद्योग से निकलने वाले फ्लाइ ऐश का अवैध रूप से डालने की समस्या बाबत।	जन समस्या निवारण शिविर के तहत प्राप्त शिकायत दिनांक 05.05.2022	मेसर्स माँ काली एलायंस प्राईवेट लिमिटेड., ग्रामपाली., जिलारायगढ़-	31.05.2022	मंडल के पत्र दिनांक 31.05.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाइ ऐश का अपवहन तत्काल बंद करने हेतु निर्देशित किया गया।	निर्देश उपरांत उक्त स्थल में फ्लाइ ऐश का अपवहन बंद किया जाना पाया गया। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

	ग्राम-लाखा केलोडेम मोड़ के पास स्थित भूमि पर फ्लाइ ऐश का अवैध अनियंत्रित एवं अनुचित अपवहन के संबंध में।	दूरभाष से प्राप्त मौखिक शिकायत दिनांक 09.10.2023		10.10.2023	मंडल के पत्र दिनांक 22.08.2023 द्वारा उद्योग पर 9,80,000.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए फ्लाइ ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 9,80,000.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यावाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
18.	ग्रामगेरवानी के जंगलों एवं किसानों के खेतों में उद्योग से निकलने वाले फ्लाइ ऐश का अवैध रूप से डालने की समस्याबाबत।	जन समस्या निवारण शिविर के तहत प्राप्त शिकायत दिनांक 05.05.2022	मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-देलारी, जिलारायगढ़-	31.05.2022	मंडल के पत्र दिनांक 31.05.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाइ ऐश का अपवहन तत्काल बंद करने हेतु निर्देशित किया गया।	निर्देश उपरोक्त उक्त स्थल में फ्लाइ ऐश का अपवहन बंद किया जाना पाया गया। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यावाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
19.	ग्राम हररीडीह में रूपानाथाम एवं अन्य कंपनियों के द्वारा अवैध रूप से फ्लाइ ऐश डंपिंग करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किये जाने हेतु शिकायत प्राप्त।	सुश्री पूजा साहू द्वारा प्राप्त शिकायत दिनांक 23.10.2024	मेसर्स रूपानाथाम स्टील प्रा. लिमिटेड, ग्राम-सराईपाली, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़	29.10.2024	मंडल के पत्र दिनांक 21.11.2024 द्वारा उद्योग पर 45,00,000.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए फ्लाइ ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा अपवहन स्थल पर फ्लाइ ऐश के उपर मिट्टी बिछाने का कार्य किया गया है एवं अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा किया जाना शेष है। उद्योग द्वारा फ्लाइ ऐश अपवहन पर अधिरोपित अर्थदण्ड को अपास्त करने बाबत अभ्यावेदन के संबंध में उद्योग प्रतिनिधि, भू-स्वामी एवं शिकायतकर्ता की उपस्थिति में निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। शिकायतकर्ता एवं भू-स्वामी के अनुपस्थिति के कारण निरीक्षण नहीं किया जा सका। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त के संबंध में यथाशीघ्र निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।
20.	सालासर स्टील में बिना ई.सी. के स्थापना कार्य किये जाने के संबंध में शिकायत।	श्री एक भ्रान्त नागरिक द्वारा शिकायत दिनांक 05.09.2024	मेसर्स सालासर स्पंज एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-गेरवानी, जिला-रायगढ़	17.10.2024	निरीक्षण दिनांक स्थिति सामान्य अवलोकित की गई। अतः कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं हुई।	आगामी कार्यवाही की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
21.	मेसर्स अडानी पॉवर लिमिटेड रायगढ़ और अन्य पॉवर कंपनी के द्वारा रोड़ के माध्यम से कोयले और फ्लाइ ऐश परिवहन के कारण होने वाले प्रदूषण के संबंध में लोक शिकायत।	मंडल के पत्र दिनांक द्वारा प्राप्त शिकायत दिनांक 28.03.2024	मेसर्स अडानी पॉवर लिमिटेड, ग्राम-बड़े भण्डार, छोटे भण्डार, जिला-रायगढ़	निरीक्षण की आवश्यकता नहीं।	मंडल के पत्र दिनांक 05.07.2024 के माध्यम के पॉवर प्लांट में कोल की आपूर्ति हेतु एवं फ्लाइ ऐश के परिवहन हेतु रोड़ के माध्यम से किये जाने पर ट्रैफिक अव्यवस्था तथा प्रदूषण की स्थिति निर्मित के संबंध में सामाधानकारक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।	निर्देशानुसार सुधार कार्य किया गया। उद्योग द्वारा समाधान कारक कार्यावाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
22.	"खदान से कोल युक्त जल प्राकृतिक जल स्रोत में निस्तारित" किये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त।	दूरभाष पर प्राप्त शिकायत दिनांक 22.08.2024	मेसर्स सारडा इनर्जी एण्ड मिनरल्स, ग्राम-डोलनारा, बजरमुड़ा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़	23.08.2024	मंडल के पत्र दिनांक 23.08.2024 के माध्यम से दूषित जल के निस्तारण के रोकथाम हेतु उचित व्यवस्था किये जाने निर्देशित किया गया।	निर्देशानुसार सुधार कार्य किया गया। उद्योग द्वारा समाधान कारक कार्यावाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
23.	रूकमणी स्टील कंपनी द्वारा शासकीय भूमि पर फ्लाइ ऐश डस्ट से सड़क के पाटे जाने की शिकायत के संबंध में।	मुख्यमंत्री जन शिकायत के माध्यम से प्राप्त शिकायत दिनांक 01.09.2024	मेसर्स रूकमणी स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-कुनकुनी, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	10.09.2024	निरीक्षण दिनांक स्थिति सामान्य अवलोकित की गई। अतः कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं हुई।	आगामी कार्यवाही की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-स

मण्डल द्वारा जिला रायगढ़ में राखड़ परिवहन के दौरान एसओपी का उल्लंघन किये जाने पर उद्योगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम व पता	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाने की तिथि	अधिरोपित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि (रुपये में)
1.	मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड, ग्राम-नहरपाली, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	26.09.2024	39,840
2.	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (पूर्व नाम-एस.के.एस. पॉवर जनरेशन कंपनी (छत्तीसगढ़) लिमिटेड), ग्राम-बिंजकोट, दरामुड़ा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	18.07.2024	1,11,345
		16.08.2024	3,90,000
3.	मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, ग्राम-लारा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	25.10.2024	53,250
		09.01.2025	59,250
		08.01.2025	1,17,000
		30.01.2025	1,95,750
		31.01.2025	66,450
4.	मेसर्स सालासार स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-गेरवानी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	24.12.2024	29,115,00
5.	मेसर्स अंजनी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-उज्ज्वलपुर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	11.09.2024	89,325
		30.01.2025	31,185
6.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-पतरापाली, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	05.09.2024	4,50,000
		21.10.2024	72,720
		17.12.2024	24,630
		30.01.2025	48,960

24.2.25
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परीशेष - तिरालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क. 557) की जानकारी

प्रपत्र

क.	जिला	विकासखण्ड का नाम	प्राप्त आवेदन/पंजीबद्ध प्रकरणों की संख्या	
			व्यक्तिगत	सामुदायिक
1	2	3	4	5
1	कोरिया	बैकुण्ठपुर	1117	82
		सोनहत	449	88
		योग	1566	170
2	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	मनेन्द्रगढ़	2717	288
		भरतपुर	2452	196
		खड़गवां	2794	122
		योग	7963	606
3	सरगुजा	अम्बिकापुर	109	177
		लुण्डा	62	25
		उदयपुर	568	83
		लखनपुर	7	34
		सीतापुर	90	43
		बतौली	228	4
		मैनपाट	939	61
	योग	2003	427	
4	जशपुर	जशपुर	3940	129
		मनोरा	2564	76
		दुलदुला	762	0
		कुनकुरी	1137	67
		कांसाबेल	2683	155
		बगीचा	8565	49
		फरसाबहार	2176	52
		पत्थलगांव	3208	6
	योग	25035	534	
5	बलरामपुर	बलरामपुर	1254	329
		रामानुजगंज	330	926
		वाड्रफनगर	1225	415
		राजपुर	2682	638
		शंकरगढ़	703	257
		कुसमी	382	623
	योग	6576	3188	
6	सुरजपुर	सूरजपुर	97	67
		रामानुजनगर	133	137
		प्रेमनगर	355	28
		भैयाथान	136	150
		ओडगी	388	140
		प्रतापपुर	280	266
	योग	1389	788	
	महायोग	44532	5713	

Anuraj
अनुभाग अधिकारी

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग मंत्रालय नया रायपुर

परिशेष - चवालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 597) की जानकारी


प्रपत्र-अ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (कृषि फसल)

वर्ष	मौसम	बीमा कंपनी का नाम	जिला का नाम	तहसील का नाम	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा (हे.मे)	प्रीमियम राशि (लाख रु. में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
2022	खरीफ	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	मुंगेली	लालपुर थाना	धान सिंचित	3095	3492.726	278.949				
					धान असिंचित	16	4.823	0.188				
				लोरमी	धान सिंचित	5564	6390.705	510.398				
					धान असिंचित	536	727.218	28.362				
				मुंगेली	धान सिंचित	8290	9986.550	797.583				
					धान असिंचित	5385	8939.411	348.637				
					अरहर	2	2.165	0.178				
					सोयाबीन	17	32.808	3.235				
				पथरिया	धान सिंचित	7609	10484.402	837.344				
					धान असिंचित	6951	9778.618	381.366				
					अरहर	4	4.597	0.378				
					सोयाबीन	30	28.027	2.764				
				योग खरीफ 2022						37499	49872.050	3189.380
				2022-23	रबी	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	मुंगेली	लालपुर थाना	चना	247	262.983	9.081
									गेहूँ सिंचित	23	22.366	0.675
								लोरमी	चना	403	430.766	14.874
गेहूँ सिंचित	1	3.682	0.111									
गेहूँ असिंचित	9	16.889	0.478									
मुंगेली	चना	4053	5316.179					183.566				
	गेहूँ सिंचित	87	128.007					3.866				
	गेहूँ असिंचित	33	35.582					1.007				
पथरिया	चना	547	610.221					21.071				
	गेहूँ सिंचित	85	155.674					4.701				
योग रबी 2022-23						5488	6982.349	239.432				
योग खरीफ एवं रबी 2022-23						42987	56854.399	3428.812				

वर्ष	मौसम	बीमा कंपनी का नाम	जिला का नाम	तहसील का नाम	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा (हे.में)	प्रीमियम राशि (लाख रु. में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2023	खरीफ	एचडीएफसी इरगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	मुंगेली	जरहागांव	धान सिंचित	1203	1325.609	61.508	
					धान असिंचित	2	1.557	0.077	
				लालपुर थाना	धान सिंचित	2639	3240.817	150.374	
					धान असिंचित	57	64.272	3.162	
					अरहर	3	3.796	0.133	
				लोरमी	मूंगफल्ली	1	2.090	0.059	
					धान सिंचित	4593	6167.420	286.168	
					धान असिंचित	585	774.825	38.121	
				लोरमी	अरहर	7	1.525	0.053	
					मुंगेली	मूंगफल्ली	21	14.910	0.417
						कोदो	17	11.477	0.086
				धान सिंचित		5765	8162.271	378.729	
				पथरिया	धान असिंचित	4441	6959.205	342.393	
					अरहर	9	2.910	0.102	
					सोयाबीन	2	0.239	0.024	
					मूंगफल्ली	मूंगफल्ली	10	4.125	0.116
						कोदो	13	9.859	0.074
					धान सिंचित	6266	9180.202	425.961	
				पथरिया	धान असिंचित	3383	4738.943	233.156	
					अरहर	9	2.821	0.099	
				सोयाबीन	सोयाबीन	12	12.862	1.318	
					सरगांव	धान सिंचित	468	670.818	31.126
				धान असिंचित		4151	5586.481	274.855	
				टेमरी	धान सिंचित	16	14.861	0.690	
धान असिंचित	1	0.437	0.022						
योग खरीफ 2023						33674	46954.333	2228.823	
2023-24	रबी	एचडीएफसी इरगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	मुंगेली	जरहागांव	गेहूँ सिंचित	12	16.728	0.217	
					गेहूँ असिंचित	13	12.064	0.333	
				लालपुर थाना	चना	211	714.658	33.231	
					गेहूँ सिंचित	1	0.766	0.010	
				लालपुर थाना	गेहूँ असिंचित	27	109.422	3.020	
					लोरमी	चना	222	451.302	20.985
						गेहूँ सिंचित	18	23.533	0.306
				गेहूँ असिंचित		9	16.975	0.469	
				मुंगेली	चना	3764	5666.401	263.486	
					गेहूँ सिंचित	81	65.383	0.850	
					गेहूँ असिंचित	62	63.491	1.752	
				पथरिया	चना	265	474.545	22.066	
					गेहूँ सिंचित	103	120.475	1.566	
					गेहूँ असिंचित	76	88.958	2.455	
				सरगांव	चना	36	47.498	2.209	
					गेहूँ सिंचित	1	1.631	0.021	
					गेहूँ असिंचित	2	1.271	0.035	
				योग रबी 2023-24					
योग खरीफ एवं रबी 2023-24						38577	54829.435	2581.836	

वर्ष	मौसम	बीमा कंपनी का नाम	जिला का नाम	तहसील का नाम	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा (हे.में)	प्रीमियम राशि (लाख रु. में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
2024	खरीफ	एचडीएफसी इरगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	मुंगेरी	जरहागांव	धान सिंचित	641	850.125	40.806				
					धान असिंचित	284	287.846	13.817				
				लालपुर धाना	धान सिंचित	1988	2386.121	114.534				
					धान असिंचित	46	46.637	2.406				
				लोरमी	धान सिंचित	3462	4424.454	212.374				
					धान असिंचित	345	369.566	19.070				
					अरहर	1	0.105	0.004				
				मुंगेरी	मूंगफल्ली	26	7.254	0.213				
					कोदो	20	12.846	0.103				
					धान सिंचित	5767	8302.762	398.533				
					धान असिंचित	3288	4673.837	241.170				
					अरहर	4	1.006	0.035				
				पथरिया	मूंगफल्ली	8	4.460	0.131				
					कोदो	9	4.220	0.034				
					धान सिंचित	4835	7473.993	358.752				
					धान असिंचित	3321	4594.814	237.092				
					अरहर	16	6.999	0.245				
				सरगांव	सोयाबीन	3	7.072	0.725				
					धान सिंचित	458	730.251	35.052				
					धान असिंचित	5007	6549.145	337.936				
योग खरीफ 2024						29529	40733.514	2013.031				
2024-25	रबी	एचडीएफसी इरगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	मुंगेरी	जरहागांव	गेहू सिंचित	13	15.986	0.240				
					गेहू असिंचित	9	9.677	0.290				
				लालपुर धाना	चना	188	459.431	22.053				
					गेहू सिंचित	3	3.246	0.049				
				लोरमी	गेहू असिंचित	18	21.262	0.638				
					चना	324	930.929	44.685				
					गेहू सिंचित	48	94.287	1.414				
				मुंगेरी	गेहू असिंचित	21	19.591	0.588				
					चना	3839	5354.179	257.000				
					गेहू सिंचित	89	56.463	0.847				
				पथरिया	गेहू असिंचित	94	73.655	2.210				
					चना	210	401.647	19.279				
					गेहू सिंचित	60	92.914	1.394				
				सरगांव	गेहू असिंचित	78	68.872	2.066				
					चना	17	19.511	0.937				
					गेहू सिंचित	12	8.249	0.247				
				योग रबी 2024-25						5023	7629.898	353.936
				योग खरीफ एवं रबी 2024-25						34552	48363.412	2366.966


(विकास मिश्रा)
 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अछला नगर

हस्ता/-
 नोडल अधिकारी (वि.स)
 संचालनालय कृषि
 छ.ग. रायपुर

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (उद्यानिकी फसलें)
जिला मुंगेली में किसानों की फसल बीमा राशि का भुगतान

राशि रुपये लाख में रकबा हेक्टेयर में

वर्ष	मौसम	तहसील	फसल	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा	प्रीमियम राशि	दावा भुगतान		लंबित दावा		बीमा कंपनी का नाम
							कृषक संख्या	दावा राशि	कृषक संख्या	दावा राशि	
2022	खरीफ	लालपुर थाना	बैंगन	2	0.79	0.10	2	0.09	0	0	बजाज एलायंस जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2022	खरीफ	लालपुर थाना	टमाटर	7	3.75	1.31	7	1.03	0	0	
2022	खरीफ	लोरमी	केला	2	0.22	0.07	0	0.00	0	0	
2022	खरीफ	लोरमी	बैंगन	5	1.42	0.19	5	0.17	0	0	
2022	खरीफ	लोरमी	मिर्च	1	0.40	0.12	1	0.01	0	0	
2022	खरीफ	लोरमी	अदरक	1	0.10	0.02	1	0.00	0	0	
2022	खरीफ	लोरमी	अमरूद	9	6.91	1.40	9	0.68	0	0	
2022	खरीफ	लोरमी	टमाटर	20	17.46	6.08	20	4.32	0	0	
2022	खरीफ	मुंगेली	केला	1	4.53	1.49	0	0.00	0	0	
2022	खरीफ	मुंगेली	बैंगन	28	9.52	1.25	28	1.17	0	0	
2022	खरीफ	मुंगेली	मिर्च	3	1.77	0.54	3	0.11	0	0	
2022	खरीफ	मुंगेली	अदरक	1	2.33	0.35	1	0.02	0	0	
2022	खरीफ	मुंगेली	पपीता	5	5.13	1.60	5	0.84	0	0	
2022	खरीफ	मुंगेली	टमाटर	63	58.51	20.36	62	20.11	1	0.27	
2022	खरीफ	पथरिया	केला	2	2.00	0.66	0	0.00	0	0	
2022	खरीफ	पथरिया	बैंगन	17	10.28	1.35	17	1.19	0	0	
2022	खरीफ	पथरिया	मिर्च	6	3.65	1.12	6	0.17	0	0	
2022	खरीफ	पथरिया	पपीता	2	1.00	0.31	2	0.11	0	0	
2022	खरीफ	पथरिया	टमाटर	17	13.59	4.73	17	3.90	0	0	
योग खरीफ 2022				192	143.35	43.04	186	33.94	1	0.27	
2022-23	रबी	लालपुर थाना	फूलगोभी	1	0.20	0.02	0	0.00	0	0	बजाज एलायंस जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2022-23	रबी	लालपुर थाना	टमाटर	8	5.23	1.57	0	0.00	0	0	
2022-23	रबी	लोरमी	बैंगन	1	0.05	0.01	0	0.00	0	0	
2022-23	रबी	लोरमी	फूलगोभी	4	1.00	0.08	0	0.00	0	0	
2022-23	रबी	लोरमी	टमाटर	23	13.23	3.97	2	0.01	0	0	
2022-23	रबी	मुंगेली	बैंगन	5	2.12	0.37	4	0.07	0	0	
2022-23	रबी	मुंगेली	फूलगोभी	1	0.81	0.07	0	0.00	0	0	
2022-23	रबी	मुंगेली	आलू	2	0.64	0.12	0	0.00	0	0	
2022-23	रबी	मुंगेली	टमाटर	33	38.05	11.41	31	2.06	1	0.09	
2022-23	रबी	पथरिया	बैंगन	3	0.86	0.15	0	0.00	0	0	
2022-23	रबी	पथरिया	आलू	2	0.46	0.09	1	0.00	0	0	
2022-23	रबी	पथरिया	टमाटर	9	11.64	3.49	2	0.03	0	0	
योग रबी 2022-23				92	74.28	21.36	40	2.17	1	0.09	
योग वर्ष 2022-23				284	217.64	64.40	226	36.11	2	0.36	

वर्ष	मौसम	तहसील	फसल	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा	प्रीमियम राशि	दावा भुगतान		लंबित दावा		बीमा कंपनी का नाम
							कृषक संख्या	दावा राशि	कृषक संख्या	दावा राशि	
2023	खरीफ	लालपुर थाना	टमाटर	12	7.66	1.38	12	4.06	0	0	एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2023	खरीफ	लोरमी	केला	1	0.04	0.01	0	0.00	0	0	
2023	खरीफ	लोरमी	बैंगन	7	1.60	0.18	7	0.37	0	0	
2023	खरीफ	लोरमी	मिर्च	2	0.90	0.09	2	0.20	0	0	
2023	खरीफ	लोरमी	अमरूद	1	0.50	0.07	1	0.09	0	0	
2023	खरीफ	लोरमी	टमाटर	5	3.32	0.60	5	1.39	0	0	
2023	खरीफ	मुंगेली	केला	1	2.26	0.29	0	0.00	0	0	
2023	खरीफ	मुंगेली	बैंगन	2	1.66	0.19	2	0.47	0	0	
2023	खरीफ	मुंगेली	पपीता	1	3.62	0.54	1	1.63	0	0	
2023	खरीफ	मुंगेली	टमाटर	69	51.55	9.28	69	29.77	0	0	
2023	खरीफ	पथरिया	बैंगन	1	1.00	0.12	1	0.24	0	0	
2023	खरीफ	पथरिया	मिर्च	1	0.81	0.08	1	0.23	0	0	
2023	खरीफ	पथरिया	टमाटर	8	5.54	1.00	8	2.62	0	0	
2023	खरीफ	सरगांव	बैंगन	1	2.00	0.23	1	0.45	0	0	
2023	खरीफ	सरगांव	टमाटर	2	0.80	0.14	2	0.37	0	0	
योग खरीफ 2023				114	83.25	14.19	112	41.90	0	0	
2023-24	रबी	जरहागांव	टमाटर	2	1.91	0.20	2	0.16	0	0	एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2023-24	रबी	लालपुर थाना	टमाटर	10	2.10	0.22	10	0.23	0	0	
2023-24	रबी	लोरमी	बैंगन	8	1.30	0.15	8	0.02	0	0	
2023-24	रबी	लोरमी	फूलगोभी	1	0.20	0.02	0	0.00	0	0	
2023-24	रबी	लोरमी	प्याज	4	0.70	0.10	4	0.01	0	0	
2023-24	रबी	लोरमी	आलू	1	0.20	0.03	1	0.04	0	0	
2023-24	रबी	लोरमी	टमाटर	29	5.08	0.54	29	0.19	0	0	
2023-24	रबी	मुंगेली	बैंगन	5	5.08	0.58	5	0.25	0	0	
2023-24	रबी	मुंगेली	प्याज	1	0.28	0.04	0	0.04	0	0	
2023-24	रबी	मुंगेली	आलू	3	0.77	0.11	3	0.23	0	0	
2023-24	रबी	मुंगेली	टमाटर	47	38.01	4.01	47	4.50	0	0	
2023-24	रबी	पथरिया	बैंगन	3	2.44	0.28	3	0.12	0	0	
2023-24	रबी	पथरिया	पत्तागोभी	1	1.02	0.14	0	0.00	0	0	
2023-24	रबी	पथरिया	आलू	1	0.26	0.04	0	0.00	0	0	
2023-24	रबी	पथरिया	टमाटर	4	5.86	0.62	4	0.82	0	0	
2023-24	रबी	सरगांव	बैंगन	1	0.90	0.10	1	0.05	0	0	
2023-24	रबी	सरगांव	प्याज	1	0.50	0.07	1	0.05	0	0	
2023-24	रबी	सरगांव	टमाटर	2	2.00	0.21	2	0.15	0	0	
योग रबी 2023-24				124	68.62	7.45	120	6.86	0	0	
योग वर्ष 2023-24				238	151.87	21.64	232	48.76	0	0	

वर्ष	मौसम	तहसील	फसल	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा	प्रीमियम राशि	दावा भुगतान		लंबित दावा		बीमा कंपनी का नाम
							कृषक संख्या	दावा राशि	कृषक संख्या	दावा राशि	
2024	खरीफ	जरहागांव	टमाटर	3	3.96	0.71					एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2024	खरीफ	लालपुर थाना	बैंगन	1	0.40	0.05					
2024	खरीफ	लालपुर थाना	टमाटर	56	15.10	2.72					
2024	खरीफ	लोरमी	केला	1	0.40	0.05					
2024	खरीफ	लोरमी	बैंगन	2	1.20	0.14					
2024	खरीफ	लोरमी	टमाटर	15	10.52	1.89					
2024	खरीफ	मुंगेली	बैंगन	6	6.36	0.73					
2024	खरीफ	मुंगेली	मिर्च	20	3.54	0.36					
2024	खरीफ	मुंगेली	टमाटर	134	112.59	20.27					
2024	खरीफ	पथरिया	बैंगन	1	0.26	0.03					
2024	खरीफ	पथरिया	टमाटर	7	4.77	0.86					
2024	खरीफ	सरगांव	बैंगन	1	0.20	0.02					
2024	खरीफ	सरगांव	टमाटर	3	2.48	0.45					
योग खरीफ 2024				250	161.78	28.28					
2024-25	रबी	जरहागांव	टमाटर	10	2.76	0.29					एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2024-25	रबी	लालपुर थाना	बैंगन	1	0.20	0.02					
2024-25	रबी	लालपुर थाना	टमाटर	5	1.06	0.11					
2024-25	रबी	लोरमी	टमाटर	17	6.39	0.67					
2024-25	रबी	मुंगेली	बैंगन	2	0.20	0.02					
2024-25	रबी	मुंगेली	आलू	2	0.57	0.08					
2024-25	रबी	मुंगेली	टमाटर	123	111.67	11.79					
2024-25	रबी	पथरिया	बैंगन	1	2.13	0.24					
2024-25	रबी	पथरिया	टमाटर	3	3.42	0.36					
2024-25	रबी	सरगांव	बैंगन	1	0.50	0.06					
2024-25	रबी	सरगांव	फूलगोभी	1	2.02	0.16					
2024-25	रबी	सरगांव	टमाटर	1	1.46	0.15					
योग रबी 2024-25				167	132.38	13.98					
योग वर्ष 2024-25				417	294.17	42.26					

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा दावा भुगतान से लाभान्वित कृषक एवं लंबित दावा भुगतान की जानकारी

वर्ष	मौसम	बीमा कंपनी का नाम	जिला	तहसील का नाम	फसल का नाम	दावा भुगतान		दावा भुगतान शेष		शेष राशि के भुगतान हेतु संभावित तिथि
						कृषक संख्या	राशि (लाख रु. में)	कृषक संख्या	शेष (राशि लाख रु. में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022	खरीफ		मुंगेरी	लालपुर थाना	धान सिंचित	156	4.408	1	0.001	संबंधित कृषक का बैंक खाता त्रुटिपूर्ण होने के कारण दावा राशि का भुगतान विफल हुआ है। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में कृषक का बैंक खाता सत्यापित होने के पश्चात् डिजी क्लेम के माध्यम से दावा राशि का भुगतान किया जावेगा।
				लोरमी	धान सिंचित	1101	35.705	1	0.054	संबंधित कृषक का बैंक खाता त्रुटिपूर्ण होने के कारण दावा राशि का भुगतान विफल हुआ है। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में कृषक का बैंक खाता सत्यापित होने के पश्चात् डिजी क्लेम के माध्यम से दावा राशि का भुगतान किया जावेगा।
			मुंगेरी	पधरिया	धान असिंचित	2	0.027	0	0.000	निरंक
					धान सिंचित	224	4.006	0	0.000	
				सोयाबीन	17	4.373	0	0.000		
				धान सिंचित	627	18.801	0	0.000		
				धान असिंचित	57	2.592	0	0.000		
				अरहर	4	0.230	0	0.000		
			सोयाबीन	29	6.531	0	0.000			
			खरीफ वर्ष 2022 योग						2217	76.672
2022-23	रबी	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	मुंगेरी	लालपुर थाना	चना	148	2.065	0	0.000	संबंधित कृषक का बैंक खाता त्रुटिपूर्ण होने के कारण दावा राशि का भुगतान विफल हुआ है। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में कृषकों का बैंक खाता सत्यापित होने के पश्चात् डिजी क्लेम के माध्यम से दावा राशि का भुगतान किया जावेगा।
					गेहूँ सिंचित	0	0.000	0	0.000	
				लोरमी	चना	283	11.334	0	0.000	
					गेहूँ सिंचित	0	0.000	0	0.000	
				मुंगेरी	गेहूँ असिंचित	0	0.000	0	0.000	
					चना	1051	67.414	0	0.000	
				पधरिया	गेहूँ सिंचित	5	0.009	0	0.000	
					गेहूँ असिंचित	0	0.000	0	0.000	
रबी वर्ष 2022-23 योग						1775	101.142	1	0.202	
योग खरीफ एवं रबी 2022-23						3992	177.814	3		

वर्ष	मौसम	बीमा कंपनी का नाम	जिला	तहसील का नाम	फसल का नाम	दावा भुगतान		दावा भुगतान शेष		शेष राशि के भुगतान हेतु संभावित तिथि
						कृषक संख्या	राशि (लाख रु. में)	कृषक संख्या	शेष (राशि लाख रु. में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2023	खरीफ	एचडीएफसी इरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	मुंगेरी	जरहागांव	धान सिंचित	1	0.078	0	0.000	निरंक
				लालपुर धाना	धान सिंचित	142	2.140	0	0.000	
				लोरमी	मूंगफल्ली	1	0.031	0	0.000	
					धान सिंचित	76	2.328	0	0.000	
					धान असिंचित	7	0.100	0	0.000	
				मुंगेरी	मूंगफल्ली	5	0.092	0	0.000	
					कोदो	0	0.000	0	0.000	
					धान सिंचित	46	3.021	0	0.000	
					धान असिंचित	2	0.025	0	0.000	
				पधरिया	अरहर	4	0.080	0	0.000	
धान सिंचित	133	4.416	0		0.000					
अरहर	5	0.141	0		0.000					
खरीफ वर्ष 2023 योग						422	12.452	0	0.000	
2023-24	रबी	एचडीएफसी इरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	मुंगेरी	लालपुर धाना	गेहूं सिंचित	14	12.448	0	0.000	निरंक
				लोरमी	चना	20	2.787	0	0.000	
					गेहूं असिंचित	3	0.203	0	0.000	
				मुंगेरी	गेहूं सिंचित	2	0.552	0	0.000	
				पधरिया	गेहूं सिंचित	42	1.781	0	0.000	
					गेहूं असिंचित	49	2.220	0	0.000	
				सरगांव	चना	2	0.063	0	0.000	
					गेहूं असिंचित	2	0.030	0	0.000	
				लालपुर धाना	चना	115	118.759	1	0.191	
					गेहूं असिंचित	0	0.000	1	0.147	
मुंगेरी	चना	602	31.996	6	0.444					
पधरिया	चना	94	7.302	2	0.156					
रबी वर्ष 2023-24 योग						945	178.142	10	0.937	सबधित कृषकों का बैंक खाता नुद्विपूर्ण होने के कारण दावा राशि का भुगतान विफल हुआ है। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में कृषकों का बैंक खाता सत्यापित होने के पश्चात् डिजी क्लेम के माध्यम से दावा राशि का भुगतान किया जावेगा।
योग खरीफ एवं रबी 2023-24						1367	190.594	10	0.937	
2024	खरीफ	एचडीएफसी इरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	मुंगेरी	जरहागांव	धान सिंचित	राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में दावा गणना एवं दावा राशि की भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।				
					धान असिंचित					
				लालपुर धाना	धान सिंचित					
					धान असिंचित					
				लोरमी	धान सिंचित					
					धान असिंचित					
					अरहर					
				मुंगेरी	मूंगफल्ली					
					कोदो					
					धान सिंचित					
					धान असिंचित					
				पधरिया	अरहर					
					मूंगफल्ली					
					कोदो					
धान सिंचित										
धान असिंचित										
सरगांव	अरहर									
	सोयाबीन									
	धान सिंचित									
खरीफ वर्ष 2024 योग										
				जरहागांव	गेहूं सिंचित					

वर्ष	मौसम	बीमा कंपनी का नाम	जिला	तहसील का नाम	फसल का नाम	दावा भुगतान		दावा भुगतान शेष		शेष राशि के भुगतान हेतु संभावित तिथि									
						कृषक संख्या	राशि (लाख रु. में)	कृषक संख्या	शेष (राशि लाख रु. में)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
2024-25	रबी	एचडीएफसी इरगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	मुंगेली	लालपुर धाना	गोहूँ असिंचित	योजनांतर्गत फसल कटाई प्रयोग उपरांत उपज आंकड़ें प्राप्त होने के पश्चात् दावा गणना एवं दावा राशि का भुगतान पात्रतानुसार बीमित कृषकों राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डिजी क्लेम मॉड्यूल के माध्यम से किया जावेगा।													
					चना														
				लोरमी	गोहूँ सिंचित														
					गोहूँ असिंचित														
				मुंगेली	चना														
					गोहूँ सिंचित														
					गोहूँ असिंचित														
				पथरिया	चना														
					गोहूँ सिंचित														
				सरगांव	गोहूँ असिंचित														
					चना														
				रबी वर्ष 2024-25 योग															

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

हस्ता/-


नोडल अधिकारी (वि.स)

संचालनालय कृषि

छ.ग. रायपुर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत बीमा दावा के संबंध में प्राप्त शिकायत एवं की गयी कार्यवाही

वर्ष	मौसम	बीमा कंपनी का नाम	जिला का नाम	दावा भुगतान के संबंध में प्राप्त शिकायत की संख्या	प्राप्त शिकायत का विवरण	निराकरण हेतु की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
2022	खरीफ	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	मुंगेली	2	सोमेश कुमार गोस्वामी, ग्राम गुना, तहसील व जिला मुंगेली	खरीफ 2022 मौसम में संबंधित कृषक के 02 आवेदन का बीमा हुआ था जिसमें ग्राम गुना (438256), में फसल सोयाबीन के लिए दावा भुगतान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डीजी क्लेम के माध्यम से कृषक को प्रदान की जा चुकी है तथा फसल धान असंचित के लिए उपज में कमी नहीं होने के कारण दावा देय नहीं है।
						राम प्रसाद लहरी, ग्राम पेंडरी (स) विकासखण्ड बिल्हा, जिला मुंगेली
2022-23	रबी			1	मोहित तिवारी, ग्राम भटगांव, तहसील पथरिया, जिला मुंगेली	राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में कुल 11 आवेदनो का बीमा हुआ है जिसमें से 09 आवेदन, ग्राम भटगांव (438358), फसल चना के लिए कुल क्षतिपूर्ति राशि ₹. 20232.76/- के भुगतान का कार्य प्रक्रियाधीन है। 01 आवेदन, ग्राम सोनपुरी (448362) के लिए दावा राशि रु 384.04/- दिनांक 31.08.2023 को भुगतान की जा चुकी है तथा 01 आवेदन ग्राम जगतकाँपा (438363), फसल चना के लिए उपज में कमी नहीं होने के कारण दावा देय नहीं है।


(विक्रम मिश्रा)
 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
 संचालक, नवा रायपुर, अटल नगर


हस्ता/-
 नोडल अधिकारी (वि.स)
 संचालनालय कृषि
 छ.ग. रायपुर

परिशेष - पेंतालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 620) की जानकारों

प्रपत्र-अ


क्र.	वर्षवार	विकासखण्ड का नाम	अनुदान पर स्वीकृत ट्रेक्टर की संख्या
1	2	3	4
1	2021-22	धमधा	61
		दुर्ग	10
		पाटन	38
	योग 2021-22		109
2	2022-23	धमधा	139
		दुर्ग	28
		पाटन	63
	योग 2022-23		230
3	2023-24	धमधा	56
		दुर्ग	28
		पाटन	26
	योग 2023-24		110
4	2024-25 (दिनांक 02.02.2025)	धमधा	19
		दुर्ग	8
		पाटन	18
	योग 2024-25 (दिनांक 02.02.2025)		45
महायोग		494	


(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर



नोडल अधिकारी (वि.स.)
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर


क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	लाभान्वित कृषक संख्या			
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	महिला
1	2	3	4	5	6	7
1	2021-22	धमधा	7	3	59	39
		दुर्ग	4	0	16	14
		पाटन	4	2	27	19
	योग 2021-22		15	5	102	72
2	2022-23	धमधा	20	9	81	46
		दुर्ग	4	0	15	12
		पाटन	9	3	41	19
	योग 2022-23		33	12	137	77
3	2023-24	धमधा	7	13	43	25
		दुर्ग	8	13	20	27
		पाटन	9	5	20	17
	योग 2023-24		24	31	83	69
4	2024-25 (दिनांक 02.02.2025 की स्थिति में)	धमधा	2	0	12	1
		दुर्ग	6	0	19	21
		पाटन	1	0	22	6
	योग 2024-25 दिनांक 02.02.2025		9	0	53	28
महायोग		धमधा	36	25	195	111
		दुर्ग	22	13	70	74
		पाटन	23	10	110	61
योग		81	48	375	246	


 (विकास मिश्रा)
 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा नैसर्ग प्रौद्योगिकी विभाग
 मंत्रालय, रा. रायपुर, अटल नगर


 नोडल अधिकारी (वि.स.)
 संचालनालय कृषि
 छ.ग. रायपुर

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन
1	2	3	4	5
1	2021-22	धमधा	68	18
		दुर्ग	23	5
		पाटन	53	13
	योग 2021-22		144	36
2	2022-23	धमधा	398	137
		दुर्ग	123	26
		पाटन	239	64
	योग 2022-23		760	227
3	2023-24	धमधा	366	57
		दुर्ग	141	26
		पाटन	227	26
	योग 2023-24		734	109
4	2024-25 (दिनांक 02.02.2025 की स्थिति में)	धमधा	370	15
		दुर्ग	149	7
		पाटन	236	18
	योग 2024-25 दिनांक 02.02.2025		755	40
महायोग		धमधा	1202	227
		दुर्ग	436	64
		पाटन	755	121
योग		2393	412	


 (विकास मिश्रा)
 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
 संभलख, नया रायपुर, भदल नगर


 नोडल अधिकारी (वि.स.)
 संचालनालय कृषि
 छ.ग. रायपुर

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	प्राप्त आबंटन (राशि रु. लाख में)	व्यय राशि (राशि रु. लाख में)
1	2	3	4	5
1	2021-22	धमधा	74.00	74.00
		दुर्ग	24.00	24.00
		पाटन	60.00	60.00
	योग 2021-22		158.00	158.00
2	2022-23	धमधा	52.00	52.00
		दुर्ग	34.00	34.00
		पाटन	64.00	64.00
	योग 2022-23		150.00	150.00
3	2023-24	धमधा	34.00	34.00
		दुर्ग	30.00	30.00
		पाटन	26.00	26.00
	योग 2023-24		90.00	90.00
4	2024-25 (दिनांक 02.02.2025 की स्थिति में)	धमधा	50.00	50.00
		दुर्ग	12.00	12.00
		पाटन	8.00	8.00
	योग 2024-25 दिनांक 02.02.2025		70.00	70.00
महायोग		धमधा	210.00	210.00
		दुर्ग	100.00	100.00
		पाटन	158.00	158.00
योग			468.00	468.00

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
संजय, नदा रायपुर, अटल नगर

नोडल अधिकारी (वि.स.)
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

परिशेष - छियालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 648) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	चयनित वर्ष	जिला का नाम	विधानसभा का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत	चयनित ग्राम का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	2018-19	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	बलौदा	खैजा	खैजा
2	2019-20	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	बलौदा	बिरगहनी ब	बिरगहनी ब
3	2019-20	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	बलौदा	हरदीविशाल	हरदीविशाल
4	2020-21	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	बलौदा	नवापारा(ख)	नवापारा(ख)
5	2020-21	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	बलौदा	नवापारा(ख)	लेवई
6	2020-21	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	बलौदा	बेलटुकरी	बेलटुकरी
7	2021-22	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	बलौदा	पनौरा	पनौरा
8	2021-22	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	बलौदा	नवापारा(ख)	डोंगपेण्डी
9	2021-22	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	बलौदा	बगडबरी	बगडबरी
10	2021-22	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	बलौदा	सोनबरसा	सोनबरसा
11	2021-22	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	बलौदा	औरईखुई	औरईखुई
12	2021-22	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	बलौदा	बेलटुकरी	मधईपुर
13	2022-23	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	बलौदा	भिलाई	भिलाई
14	2022-23	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	बलौदा	बोकरेल	बोकरेल
15	2022-23	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	बलौदा	कुरमा	कुरमा
16	2022-23	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	बलौदा	कुलीपोटा	कुलीपोटा
17	2022-23	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	बलौदा	खिसोरा	खिसोरा
18	2018-19	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	अकलतरा	अर्जुनी	अर्जुनी
19	2019-20	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	अकलतरा	अमरताल	अमरताल
20	2019-20	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	अकलतरा	खिसोरा	खिसोरा
21	2019-20	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	अकलतरा	मुरलीडीह	मुरलीडीह

22	2019-20	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	अकलतरा	अकलतरा	बम्हनी	बम्हनी
23	2020-21	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	अकलतरा	अकलतरा	कटनई	देवरी
24	2020-21	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	अकलतरा	अकलतरा	पौना	मुरलीडीह
25	2020-21	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	अकलतरा	अकलतरा	करहीडीह	करहीडीह
26	2020-21	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	अकलतरा	अकलतरा	बुचीहरदी	बुचीहरदी
27	2021-22	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	अकलतरा	अकलतरा	साजापाली	साजापाली
28	2021-22	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	अकलतरा	अकलतरा	पचरी	सुवरमाल
29	2021-22	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	अकलतरा	अकलतरा	तिलई	घनवा
30	2021-22	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	अकलतरा	अकलतरा	अमरताल	गढोला
31	2022-23	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	अकलतरा	अकलतरा	पिपरसल्ली	पिपरसल्ली
32	2022-23	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	अकलतरा	अकलतरा	रोगदा	रोगदा
33	2022-23	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	अकलतरा	अकलतरा	पचरी	पचरी



अनुभाग अधिकारी

आ.जा. तथा अनुजावि वि.स. मंत्रालय, नया राबपुर, अटल नगर

पॉरीशेष्ट - सेंतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 741) की जानकारी

प्रपत्र-अ

वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.01.2024 से 31.03.2024 तक) लाभान्वित हितग्राही

क्र.	योजना का नाम	पात्र हितग्राहियों / पिता का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम
1	2	3	4	5
1	किसान समृद्धि योजना	श्री बुद्धूराम / परऊराम वर्मा	भाटापारा	मोपका
2		श्री रामेश्वर ध्रुव / विश्राम ध्रुव		पाटन
3		श्री अमीर कुमार ध्रुव / ईश्वर प्रसाद		लेवई
4		श्री गोवर्धन प्रसाद / सीताराम ध्रुव		कोटमी
1		श्री कमलेश कुमार कौशल / मोतीलाल		सिमगा
2	श्री हीरा राम ध्रुव / दुलार ध्रुव	मोटियारीडीह		
1	शाकम्भरी योजना	दीपककुमार नाहरुराम कैवर्त	भाटापारा	मेंड्रा (मेडरा)
2		हरप्रसाद बिशंभर पटेल		राजपुर
3		नेकनारायण दिलहरण कैवर्त		मेंड्रा (मेडरा)
4		रोहित चेदु निषाद		मेंड्रा (मेडरा)
5		कन्हैया झुकुराम निषाद		मेंड्रा (मेडरा)
6		दशरथ परदेशीराम निषाद		मेंड्रा (मेडरा)
7		बिशोसरप्रसाद मनाराम वर्मा		सिंगारपुर
8		मनीष संतोष वर्मा		सिंगारपुर
9		रतिराम धीरजीराम ध्रुव		लामती
10		भूपेन्द्र खेलावन निषाद		मेंड्रा (मेडरा)
11		अमृतलाल मंगलू निषाद		मेंड्रा (मेडरा)
12		हेमकुमार फिरतु केवट		लामती
13		गंगाराम बरतुराम डहरिया		कोटमी
14		बिहारी लिलवा ध्रुव		कोटमी
15		रामनारायण कौंडाराम वर्मा		सेमरिया
16		विजयकुमार बाबूलाल निषाद		मेंड्रा (मेडरा)
17		रोहितकुमार सुधरम देवांगन		सिंगारपुर
18		चित्रकांत मन्तूलाल देवांगन		सिंगारपुर
19		फिरनता शिवप्रसाद निषाद		लामती
20		शिवरतन लोकनाथ वर्मा		अकोली
21		दिनदयाल रामाधार साहू		सिंगारपुर
22		लवकुश बाबूराम वर्मा		राजपुर
23	शाकम्भरी योजना	दीनबंधु राघेश्याम दुबे	भाटापारा	सिंगारपुर
24		सालिकराम शोभाराम निषाद		सेमरिया
25		नीती देवेन्द्रकुमार दुबे		सिंगारपुर
26		राजकुमार रामलाल निषाद		कुम्हारखां
27		घनश्याम जगदीश वर्मा		कैथी
28		विश्वनाथ प्यारेलाल निषाद		सेमरिया
29		श्यामरतन बनिहार निषाद		सेमरिया
30		सुशीलकुमार सोनसाय ध्रुव		अलेसर
31		प्रवीण अमरकांत शुक्ला		कुम्हारखां

क्र.	योजना का नाम	पात्र हितग्राहियों / पिता का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम
1	2	3	4	5
1	शाकम्भरी योजना	गिरजालाल फगुवा साहू	सिमगा	कछलोन
2		फूलसिंह शिवचरण सिन्हा		हिरमी
3		प्रीतमलाल रिखिराम पटेल		कुठरौद
4		चित्रांगन ईश्वरलाल सेन		साकलोर
5		तोरणप्रसाद कन्हैयालाल वर्मा		बारडीह
6		सोमचरण ढेलूराम साहू		बडगाहन
7		भुनेश्वर लखनलाल वर्मा		बारडीह
8		रूपसिंह शिवचरण सिन्हा		हिरमी
9		कन्हैयालाल भगताराम दिवाकर		हिरमी
10		सुधाराम हजारी धीमर		कुठरौद
11		कपिलकुमार राजेंद्रकुमार साहू		साकलोर
12		गोरिलाल खेदूराम वर्मा		बारडीह
13		चंद्रहास विशेष पटेल		कुठरौद
14		पुनितराम रामलाल सिन्हा		कुठरौद
15		राधेश्याम पुनूरम वर्मा		साकलोर
16		प्रह्लादकुमार रामलाल वर्मा		साकलोर
17		रामनिहोर सुरित साहू		बडगाहन
18		नरेंद्र कुमार वर्मा		बारडीह
19		पोषणलाल फूलूराम धीवर		कुठरौद
20		नेपालसिंह प्रभुराम वर्मा		बारडीह
21		भागीरथी परसराम साहू		परसवानी
22		नरेंद्रकुमार पंचम वर्मा		कुठरौद
23		मनाराम बिशुनराम वर्मा		साकलोर
24		रामकुमार मोहनलाल अनंत		कुठरौद
25		दिलीपकुमार अयोध्याप्रसाद वर्मा		साकलोर
26		नीलकंठ गणेशराम बंधे		बारडीह
27		धर्मेन्द्रकुमार नरोत्तम लाल साह		साकलोर
28		सहदेवप्रसाद केजुराम वर्मा		मोहरा
29		बलराम दुकलहा साहू		साकलोर
30		नरेशकुमार नारायण प्रसाद वर्मा		बारडीह
31		दिनदयाल फेरुराम साहू		साकलोर
32		कन्हैयालाल फिरनता वर्मा		बारडीह
33		भगवानसिंह रारुहरम ध्रुव		हिरमी
34		प्रमोदकुमार खेदूराम वर्मा		साकलोर

क्र.	योजना का नाम	पात्र हितग्राहियों / पिता का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम
1	2	3	4	5
35	शाकम्भरी योजना	तिलकराम सुखीराम वर्मा	सिमगा	परसवानी
36		खेमसिध मनराखन यादव		कुठरौद
37		भगवतीप्रसाद केजुराम पटेल		कुठरौद
38		रूपराम बिसुनराम वर्मा		कुठरौद
39		बसंतकुमार रामलाल वर्मा		साकलोर
40		बुधेलाल सहसराम साहू		कुठरौद
41		राजूराम भुखराम वर्मा		बारडीह
42		मनहरण सुकलाल साहू		हिरमी
43		दिनदयाल बनौ कुरे		बारडीह
44		राजकुमार रामलाल राय		कुठरौद
45		मोहितकुमार देवेन्द्र कुमार सिन्हा		हिरमी
46		नरेशकुमार राम प्रसाद सिन्हा		हिरमी
47		कृपाराम रामसहाय निषाद		माराकोना
48		मोहन बलिराम यादव		कछलोन
49		धामसिंग गोवर्धन साहू		कछलोन
50		गणपतलाल छेदीलाल निषाद		माराकोना
51		भागवत रामलाल साहू		दौरंगा


(विकास मिश्रा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

वर्ष 2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक) लाभान्वित हितग्राही

क्र.	योजना का नाम	पात्र हितग्राहियों / पिता का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम
1	2	3	4	5
1	किसान समृद्धि योजना	श्री कुंजराम साहू / भकलू राम	भाटापारा	मोपका
2		श्री कौशल राम साहू / गणेशराम साहू		लालपुर
1	शाकम्भरी योजना	प्रहलाद चौतराम वर्मा	भाटापारा	परसवानी
2		हीराराम सुखराम वर्मा		परसवानी
3		कार्तिकराम केजुराम धरुव		मेंड़ा (मेडरा)
4		चेतन हगारू बंजारे		सिंगारपुर
5		बुधारू दुकालू निषाद		कैथी
6		कांतिबाई शत्रुहन वर्मा		सेमरीया
7		कुलेश्वरप्रसाद महेत्तरलाल वर्मा		मोपका
8		जानकीबाई जग्गासिंह निघाड		सेमरीया
9		छेदूराम मलिकराम निषाद		कैथी
10		रामदुलार भाकला निषाद		सेमरीया
11		तेजराम खेदूराम वर्मा		गोधी
12		अविनाश राजकुमार पंजवानी		कुम्हारखान
13	शाकम्भरी योजना	तीजुराम रामन निषाद	भाटापारा	कुम्हारखान
14		दल्लूराम दीनदयाल वर्मा		परसवानी
15		श्यामबाई जनता सतनामी		कुम्हारखान
16		नुकेश छत्रपाल वर्मा		देवरी
17		देवराम साधराम सतनामी		कुम्हारखान
18		डेरहराम ररुहा वर्मा		देवरी
19		रेवती कृतराम निषाद		सेमरीया
20		दिनेशकुमार मलिकराम साहू		गोधी
21		दौराम शिवनंदन धरुव		अमलीडीह
22		गणेशराम बंशी वर्मा		अकोली
23		नरेशकुमार प्रेमसिंह वर्मा		देवरी
24		वीरेंद्रकुमार बाबूलाल टंडन		दत्रेंगी
25		चिंताराम पुनाराम साहू		देवरी
26		दशरथ मंगलूराम निषाद		कुम्हारखान
27		झाड़ूराम भाकलाराम निषाद		सेमरीया
28		प्रेममय दौलतसिंह धरुव		टोनटार
29		लेखराज लखनलाल बंजारे		कैथी
30		मानाराम सखाराम वर्मा		बोरेसी
31		संजू देवनारायण वर्मा		गोधी
32		कार्तिकराम पहरसिंग ध्रुव		गोधी
33		सुकदेव सियाराम पटेल		ओटेबंध
34		महेंद्रकुमार पवनकुमार सिन्हा		बोरेसी
35		दौलतराम रतिराम देवांगन		बिटकुली

क्र.	योजना का नाम	पात्र हितग्राहियों / पिता का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम		
1	2	3	4	5		
36	शाकम्भरी योजना	झाड़ूराम संतराम ध्रुव	भाटापारा	कुम्हारखान		
37		नारायण अंजोरदास बंधे		कुम्हारखान		
38		राजकुमार सांवल घृतलहरे		मोपका		
39		देहुति मनीराम वर्मा		मोपका		
40		मोतीराम भगवती यदु		कोनी		
41		मंतराम रामनाथ ध्रुव		गोधी		
42		संतोषकुमार परदेशीराम वर्मा		हसदा		
43		कन्हैयालाल तुलसीराम साहू		टोपा		
44		भोजननारायण खेदूराम वर्मा		गोधी		
45		सीताराम रामाधार वर्मा		परसवानी		
46		शत्रुहनकुमार सुकदेव वर्मा		परसवानी		
47		सुमिरनदास रूपदास मानिकपुर		कैथी		
48		केशव फिर्तु निषाद		गोधी		
49		दुखितराम थानवरराम गेन्द्र		देवरानी		
50		शत्रुघन धनसिंह मनहरे		कैथी		
51		उमा योगेश साहू		सेमरीया		
52		शाकम्भरी योजना		जेदूराम राजउ मरार	भाटापारा	राजपुर
53				रामाधार भागवत निषाद		सेमरीया
54	शेषनारायण विष्णुराम निषाद		सेमरीया			
55	दुरपत सुकलाल वर्मा		अकोली			
56	कुमारीबाई रामशरणसिंह ठाकुर		कोटमी			
57	गजानन्दसिंह रामसरनसिंह ठाकुर		कोटमी			
58	नंदराम रघुनाथ वर्मा		सेमरडीह			
59	उमाशंकर हिमित यदु		दत्रेगी			
60	राजकुमार कंसराम वर्मा		अकोली			
61	शत्रुहन श्यामलाल ध्रुव		कुम्हारखान			
62	मेलूराम रामहन निषाद		कुम्हारखान			
63	सूरजकुमार दिनदयाल साहू		सिंगारपुर			
64	गेंदूराम फेरराम मरार		गोधी			
65	तिजियाबाई प्रेमलाल निषाद		कैथी			
66	मलिकराम परदेशी निषाद		मेंड़ा (मेडरा)			
67	तोताराम नोहर वर्मा		परसवानी			
68	बंशी बिसाहूराम सतनामी		कुम्हारखान			
69	देवीप्रसाद मोहितराम वर्मा		सेमरीया			
70	शिवानी सूर्यकुमार अग्रवाल		परसवानी			
71	रवीन्द्रकुमार भीखमचंद जैन		कुम्हारखान			
72	पचकौड़ लेटल निषाद		सेमरीया			
73	मंगलूराम तिहारू निषाद		सेमरीया			
74	महेंतर परसराम ध्रुव		कोडापार			
75	प्रहलाद सालिकराम यादव		सिंगारपुर			
76	सुरेंद्रकुमार रामअवतार वर्मा		परसवानी			
77	सुखानन्दन चैतुराम देवांगन		सिंगारपुर			
78	भैरवी विजेन्द्रकुमार साहू		सिंगारपुर			
1			अयाज सज्जाद खान			कचलोन

क्र.	योजना का नाम	पात्र हितग्राहियों / पिता का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम
1	2	3	4	5
2	शाकम्भरी योजना	रमेशकुमार विश्राम निषाद	सिमगा	खंडुआ
3		मुखीराम बिसौहरम निषाद		साकरी
4		खिलावन डेरहा वर्मा		सकरी भैंसा
5		सीताबाई रामबिशाल निषाद		तेंदु भाठा
6		जशवानी बिजामिन मसीह		बिसरामपुर
7		झंडीराम लतेल निषाद		तेंदु भाठा
8		हेमन्तकुमार लक्ष्मण यदु		मोतीयारडीह
9		बिसाहूराम भाकलाराम रात्रे		पकड़ीडीह
10		कविता ठाकुरराम वर्मा		रावन
11		किरणबाई पवनकुमार धुव		पकड़ीडीह
12		हेमलाल हीरामन साहू		फुलवारी
13		तिजउ समरु निषाद		पेंड़ी
14		मिलाराम केजउ यादव		पकड़ीडीह
15		लेखराम विश्रामप्रसाद साहू		रावेली
16		गणेशराम तिलकराम साहू		बनवरिया
17		वेदकुमार रामनाथ वर्मा		रावेली
18		सुखउ शेखराम साहू		फुलवारी
19		धीराजी तिजू साहू		बनवरिया
20		गजानंद कार्तिक वर्मा		झीपान
21		जीवनलाल तरुणदास लाहरे		तिलदा बांधा
22		गजेन्द्र रामचन्द्र वर्मा		सुहेला
23		प्रह्लाद जागेश्वर वर्मा		सिनोधा
24		अनुज माखनलाल वर्मा		रावन
25		नारायण नाथूराम वर्मा		सुहेला
26		भुवनलाल समउ रोजनी		खैरघाटा
27		मनीषा भेखराम वर्मा		बारडिह (बिटकूली)
28		चंडिकाप्रसाद रूंगु वर्मा		बारडिह (बिटकूली)
29		लीलाधर अखिलेन्द्र वर्मा		बारडिह (बिटकूली)
30		महेशकुमार भरतलाल साहू		साकरी
31		उध्दवकुमार केजाराम निषाद		दौरंगा
32		रामानुज शंकरलाल देवदास		भिलाईडबरी
33		मंगलूराम खोरबहरा केवंत		दौरंगा
34		इंदरमन मोहनलाल साहू		संजरी नवागांव
35		बलराम फेरूराम साहू		संजरी नवागांव
36		कीर्तनबाई बिरसिंग वर्मा		दौरंगा

क्र.	योजना का नाम	पात्र हितग्राहियों / पिता का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम
1	2	3	4	5
37	शाकम्भरी योजना	किरण फेरुराम साहू	सिमगा	संजरी नवागांव
38		मनहरणलाल संतुराम साहू		टारपोंगा
39		चालकराम लुङ्गु निषाद		दौरेंगा
40		महोन भागवत मांडे		दारुंरा
41		कौशिल्याबाई गोवर्धन यदु		कचलोन
42		मंगलूदास कार्तिकदास मानिकपुरी		तेंदु भाठा
43		कन्हैया आशाराम निषाद		तेंदु भाठा
44		छेदीलाल फगुसम यदु		तेंदु भाठा
45		होलीराम सेवाराम वर्मा		बडगाहन
46		उभेराम राममोहन यदु		छुटचुटिया
47		गुमानसिंहबिहारी साहू		भाटा बेरा
48		राजेश कुमार बलराम वर्मा		मोहरा
49		याममुरारी विशालसिंह ध्रुव		हिरमी
50		रोहितकुमार खोमार सेन		सकलोर
51		नरेंद्रकुमार अमरसिंह राय		भाटा बेरा
52		कृष्णकुमार चैतराम सिन्हा		खुतरौद
53		समारूराम हीरासिंह वर्मा		सकलोर
54		श्यामलाल जगदेव राय		भाटा बेरा
55		कुलेश्वरप्रसाद कृष्णकुमार सिन्हा		खुतरौद
56		भूपेश शेषनारायण धुरंधर		मोहरा
57		पुरषोत्तम महतर निषाद		कचलोन
58		लोचन सुक्ता निषाद		कचलोन
59		मायाराम समेलाल ध्रुव		कचलोन
60		शिवप्रसाद मंगलु निषाद		तेंदु भाठा
61		गणपत तिजुराम निषाद		कचलोन
62		वर्षा देवकीनंदन उपाध्याय		तोरा

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशेष - अड़तालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 774) की जानकारी

प्रपत्र-“अ”

(राशि लाखों में)

क्र.	जिले का नाम	वर्ष	प्राप्त राशि	प्राप्त राशि से निर्धारित/स्वीकृत कार्य ही नियमानुसार कराये जाने की स्थिति	कार्यों की अद्यतन स्थिति					
					कुल कार्य संख्या	पूर्ण कार्य संख्या	अपूर्ण कार्य संख्या	अप्रारंभ	व्यय राशि	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सरगुजा	2021-22	254.15	ग्राम विकास योजना में निर्धारित कार्य 121 विद्युत स्ट्रीट लाईट तथा 01 सोलर स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया है।	122	118	4	0	238.56	15.59
2	बलरामपुर		113.56	ग्राम विकास योजना में निर्धारित कार्य स्ट्रीट लाईट स्थापना अनुसार कार्य कराया गया है।	29	13	16	0	42.50	71.06
3	सूरजपुर		377.71	ग्राम विकास योजना में स्वीकृत कार्य "स्ट्रीट लाईट इंस्टालेशन" है। जिसके अंतर्गत आवश्यकता अनुसार आंशिक परिवर्तन कर "सोलर स्ट्रीट लाईट" का कार्य किया गया है।	198	198	0	0	377.71	0.00
4	बस्तर		650.94	ग्राम विकास योजना में निर्धारित कार्य इंटरनल स्ट्रीट लाईट कार्य में आंशिक परिवर्तन करते हुए स्ट्रीट लाईट (ड्यूल) से किया गया है।	484	291	193	0	530.03	120.91
5	नारायणपुर		232.00	ग्राम विकास योजना में निर्धारित कार्य सोलर स्ट्रीट लाईट के अंतर्गत सोलर सोलर स्ट्रीट लाईट कार्य कराया गया है।	47	47	0	0	232.00	0.00
6	कोण्डागांव		1417.63	ग्राम विकास योजना में स्ट्रीट लाईट इंस्टालेशन कार्य निर्धारित है जिसके अंतर्गत सोलर स्ट्रीट लाईट से कार्य कराया गया है।	263	120	143	0	998.75	418.88
7	जांजगीर-चांपा		15.00	ग्राम विकास योजना में निर्धारित कार्य सोलर लाईट के अंतर्गत सोलर स्ट्रीट लाईट का कार्य किया गया है।	3	1	0	2	10.50	4.50
योग :-			3060.99		1146	788	356	2	2430.05	630.943


 अनुभाग अधिकारी
 अ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
 भद्रसूक्त, भवा रायपुर, अटल नगर

क्र.	जिले का नाम	योजनांतर्गत स्ट्रीट लाईट स्थापना के संबंध में प्राप्त शिकायतें	प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4
1	बस्तर	<p>प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजनांतर्गत स्ट्रीट लाईट स्थापना के कार्य के संबंध में आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अटल नगर नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/टीएडीपी/फा-09/विकेस/2024/308 नवा रायपुर दिनांक 09.04.2024 द्वारा "स्ट्रीट लाईट स्थापना" के अंतर्गत विद्युत विस्तार कार्य को सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना में परिवर्तन कर बिना सक्षम स्वीकृति के कार्यों का क्रियान्वयन एवं राशि का व्यय किये जाने के संबंध में विस्तृत जांच हेतु जिला स्तरीय समिति गठित कर जांच करने हेतु निर्देशित किया गया था।</p> <p>कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1523 दिनांक 30.05.2024 द्वारा जांच समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा जांच पूर्ण कर लिया गया है।</p>	<p>जांच समिति के प्रतिवेदन में पाया गया कि तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य हेतु जारी प्रशासकीय स्वीकृति में दर्शित शर्तों के अनुरूप पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं कर पूर्व तकनीकी स्वीकृति अनुसार स्ट्रीट लाईट (ड्यूल) का कार्य संपादित किया गया है। तत्संबंध में कार्य एजेंसी अनुविभागीय अधिकारी वि/यां ला.म. नलकूप एवं गेट उप संभाग जगदलपुर को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2291 दिनांक 02.01.2024 द्वारा कारण बताओ पत्र जारी किया गया है।</p>
2	कोण्डागांव	<p>योजनांतर्गत स्ट्रीट लाईट स्थापना के कार्य में अनियमितता के संबंध में कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोण्डागांव द्वारा किए गए कार्यों हेतु श्री मुकेश राठौर, पता-बस स्टैंड, ज्ञान ऑटो पार्ट्स कोण्डागांव जिला कोण्डागांव द्वारा दिनांक 07.08.2023 को "रोशन होने से पहले ही आदर्श ग्राम योजना" संबंधी शिकायत की गई।</p>	<p>शिकायत के संबंध में कोई जांच नहीं की गई।</p>
		<p>योजनांतर्गत स्ट्रीट लाईट स्थापना के कार्य में अनियमितता के संबंध में कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोण्डागांव द्वारा किए गए कार्यों हेतु श्री दीपक वैष्णव, पता- मकान न.-134 मरारपारा काली मंदिर के पीछे कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव द्वारा दिनांक 14.12.2023 को निम्नानुसार 10 बिन्दु में शिकायत की गई :-</p>	
		<p>1. SOR दर के स्थान पर Online Portal Gem से निविदा आमंत्रित किया गया।</p>	
		<p>2. EDM की राशि जमा नहीं कराई गई।</p>	
		<p>3. ऑनलाईन टेंडर को कार्यालयीन समय के पूर्व दिनांक 10.03.2024 को प्रातः 9:30 बजे खोला गया जिससे ठेकेदार व संबंधित अधिकारी की साइट-गांट का संदेह होता है।</p>	
		<p>4. निविदा प्रक्रिया 10.03.2023 को प्रातः 9:30 बजे खोलकर उसी दिन कार्य का अनुबंध व सप्लाई ऑर्डर संबंधित ठेकेदार को जारी कर दिया गया लेकिन EMD Rs. 2376570.00 अनिवार्य रूप से जमा नहीं करवाया गया।</p>	<p>प्रकरण पर प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग आयुक्त कार्यालय विकास भवन सेक्टर-19 नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. को अनुशंसा सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा गया है।</p>
<p>5. कार्यालय द्वारा जारी निविदा में जो कार्य के लिये जो सामग्री मांगी गई थी। (Hybrid solar light, G.I. Pipe Pole, NABL Report etc.) लेकिन अनुबंध व सप्लाई ऑर्डर में गलत तरीके से Normal solar light Battery etc. का सप्लाई ऑर्डर किया गया जो जांच का विषय है।</p>			
<p>6. कार्यालय द्वारा जारी सप्लाई ऑर्डर निविदा व अनुबंध में Consignee Reporting Officer (अजय कुमार चौधरी) नियुक्त किया गया था। किन्तु Reporting officer द्वारा सामग्री का गुणवत्ता व आवश्यक दस्तावेज (NABL Report) बिना देखे ही प्राप्त कर कार्य स्थल पर लगवाया गया। चूंकि सप्लाई ऑर्डर में सामग्री पंजीयन का संधारण करना था। किन्तु Reporting Officer के द्वारा कोई पंजीयन कर संधारण नहीं किया गया है।</p>			

क्र.	जिले का नाम	योजनांतर्गत स्ट्रीट लाईट स्थापना के संबंध में प्राप्त शिकायतें	प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4
	कोण्डागांव	<p>7. कार्यालय द्वारा जारी निविदा कार्य में जो एक हाईब्रिड सोलर लाईट तकनीकी स्वीकृति ली गई थी और निविदा में भी वही शर्तें मांगी गई थीं। जिसमें कई आयटम मिलकर के लगभग 52000/- रुपये राशि की तकनीकी स्वीकृति व निविदा जारी की गई थी, किन्तु ठेकेदार को गलत तरीके से लाभ देने के उद्देश्य से अनुबंध व सप्लाय ऑर्डर में वायर Consignee Reporting Officer (अजय कुमार चौधरी) के द्वारा छेड़-छाड़ कर सामान्य सोलर लाईट केवल बैटरी लिया गया है, जो कि गुणवत्ताहीन है इसका सप्लाय ऑर्डर में 51980.00 राशि ऑर्डर दिया गया है, जो एक गम्भीर जांच का विषय है।</p> <p>8. सोलर हाईब्रिड लाईट लगाई जाने वाली थी वो उच्च गुणवत्ता पूर्ण होनी थी। जिसका किसी मान्यता प्राप्त NABL LAB से गुणवत्ता प्रमाण पत्र जमा करना था। आनन-फानन में 06 माह पूर्व लाईट का सेम्पल NABL LAB भेजा गया जिसमें सोलर लाईट सेम्पल फेल होना पाया गया है। उसके पश्चात् भी कार्यपालन अभियंता अजय कुमार चौधरी के द्वारा यह NABL LAB रिपोर्ट को दबा कर समय व्यतित किया जा रहा है। यह भी एक संदेहास्पद है, जो जांच का विषय है।</p> <p>9. चूंकि यह कार्य केन्द्र शासन की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना से स्वीकृत हुआ था। जिसमें गुणवत्ताहीन कार्य कराकर प्रधानमंत्री की व शासन की छवि धुमील किया जा रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए इस कार्य प्रक्रिया का शुरुआत से ही गम्भीर जांच किया जाये।</p> <p>10. इस कार्य के कार्य एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोण्डागांव को नियुक्ति किया गया था। तो इस कार्य की ऑनलाईन निविदा कार्यालय में लगाया जाना था। लेकिन अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत से कार्यालय में न लगाकर ठेकेदार के द्वारा निजी संस्थान में लगाया गया है। जिसका साक्ष्य उपलब्ध है, जो कि कार्यालयीन कर्मचारी द्वारा ही बताया गया है। साक्ष्य प्रस्तुत है।</p> <p>अधीक्षण अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बस्तर मण्डल जगदलपुर के द्वारा शिकायत की जांच की गई, जांच के निष्कर्ष अनुसार स्वीकृत कार्यों हेतु निर्धारित निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं करने और कार्यालय में निविदा से संबंधित नोटशीट, निविदा के शर्तों का निर्धारण, भण्डार पंजी का संधारण नहीं करने के लिए श्री अजय कुमार चौधरी, प्रभारी कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग कोण्डागांव एवं निविदा शाखा प्रभारी श्री भानुराम देव, मानचित्रकार को उत्तरदायी ठहराया गया है तथा निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी सामग्री प्रदायकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने के लिए श्री अजय कुमार चौधरी, प्रभारी कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग कोण्डागांव को उत्तरदायी ठहराया गया है एवं प्रकरण पर प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग आयुक्त कार्यालय विकास भवन सेक्टर-19 नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. को अनुशंसा सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा गया है।</p>	<p>प्रकरण पर प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग आयुक्त कार्यालय विकास भवन सेक्टर-19 नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. को अनुशंसा सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा गया है।</p>

Suresh
अनुभाग अधिकारी
अ.ज.स. तथा अनु.जा.वि. विभाग
त्रि.ल.स. नवा रायपुर, अटल नगर

पॉरीशेट - उन्नास


अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 793) की जानकारी

प्रश्न अ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (कृषि फसल) अंतर्गत मौसमवार, वर्षवार, तहसीलवार बीमित कृषको की जानकारी

वर्ष	मौसम	बीमा कंपनी का नाम	तहसील का नाम	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या			लैम्पस के द्वारा हुए बीमित कृषक संख्या			लैम्पस के द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के माध्यम से जमा की गई कृषक प्रीमियम राशि (लाख रु. में)
					ऋणी	अऋणी	योग	ऋणी	अऋणी	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022	खरीफ	एग्रीकल्चर इश्योरेस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	बलौदा बाजार	धान सिंचित	16952	85	17037	14169	20	14189	165.080
			बलौदा बाजार	धान असिंचित	6837	27	6864	6496	15	6511	51.390
			भाटापारा	धान सिंचित	4037	54	4091	2193	11	2204	30.320
			भाटापारा	धान असिंचित	12210	270	12480	10987	60	11047	105.300
			बिलाईगढ़	धान सिंचित	2214	3	2217	899	0	899	9.890
			बिलाईगढ़	धान असिंचित	17878	71	17949	17107	5	17112	152.190
			कसडोल	धान सिंचित	9209	24	9233	5968	5	5973	72.110
			कसडोल	धान असिंचित	6873	34	6907	6593	0	6593	61.240
			पलारी	धान सिंचित	22109	70	22179	19785	12	19797	225.250
			पलारी	धान असिंचित	3101	14	3115	2948	7	2955	22.990
			सिमगा	धान सिंचित	5532	44	5576	3284	0	3284	45.010
सिमगा	धान असिंचित	8749	64	8813	7941	1	7942	63.170			
खरीफ वर्ष 2023 योग					115701	760	116461	98670	136	98806	1003.940
2022-23	रबी	एग्रीकल्चर इश्योरेस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	बलौदा बाजार	चना	4	1	5	0	0	0	0.000
			बलौदा बाजार	गेहूँ सिंचित	12	6	18	0	0	0	0.000
			भाटापारा	चना	46	2	48	0	0	0	0.000
			भाटापारा	गेहूँ सिंचित	59	23	82	0	0	0	0.000
			पलारी	चना	20	14	34	0	0	0	0.000
			पलारी	गेहूँ सिंचित	16	8	24	0	0	0	0.000
			सिमगा	चना	111	14	125	0	0	0	0.000
			सिमगा	गेहूँ सिंचित	23	22	45	0	0	0	0.000
रबी वर्ष 2022-23 योग					291	90	381	0	0	0	0.000
2023	खरीफ	एचडीएफसी इरगो जनरल इश्योरेस कंपनी लिमिटेड	बलौदा बाजार	धान सिंचित	7358	103	7461	6670	1	6671	77.250
			बलौदा बाजार	धान असिंचित	1200	12	1212	1154	1	1155	7.260
			भाटापारा	धान सिंचित	3890	40	3930	2504	9	2513	32.010
			भाटापारा	धान असिंचित	12277	184	12461	11494	31	11525	111.840
			बिलाईगढ़	धान असिंचित	1	0	1	0	0	0	0.000
			कसडोल	धान सिंचित	4847	20	4867	4572	0	4572	52.670
			कसडोल	धान असिंचित	3950	54	4004	3777	0	3777	30.890
			लवन	धान सिंचित	9790	32	9822	8342	1	8343	91.620
			लवन	धान असिंचित	6296	10	6306	5884	5	5889	45.200
			पलारी	धान सिंचित	21474	80	21554	19661	2	19663	228.240
			पलारी	धान असिंचित	4240	9	4249	4047	3	4050	23.680
			सिमगा	धान सिंचित	2802	60	2862	1099	5	1104	13.050
			सिमगा	धान असिंचित	2614	102	2716	2138	1	2139	16.400
			सिमगा	अरहर	0	2	2	0	0	0	0.000
			सोनाखान	धान सिंचित	2082	28	2110	299	0	299	5.930
			सोनाखान	धान असिंचित	988	23	1011	601	0	601	6.930
			सुहेला	धान सिंचित	3449	10	3459	3020	0	3020	33.870
			सुहेला	धान असिंचित	5654	67	5721	5453	0	5453	40.490
टुण्ड्रा	धान सिंचित	1012	2	1014	884	0	884	10.230			
टुण्ड्रा	धान असिंचित	718	8	726	510	0	510	3.870			
खरीफ वर्ष 2023 योग					94642	846	95488	82109	59	82168	831.430
2023-24	रबी	एचडीएफसी इरगो जनरल इश्योरेस कंपनी लिमिटेड	बलौदा बाजार	गेहूँ सिंचित	0	13	13	0	0	0	0.000
			भाटापारा	चना	0	13	13	0	0	0	0.000
			भाटापारा	राई-सरसों	7	0	7	0	0	0	0.000
			भाटापारा	गेहूँ सिंचित	8	217	225	3	0	3	0.070
			पलारी	राई-सरसों	0	25	25	0	0	0	0.000
			सिमगा	चना	1	39	40	0	0	0	0.000
			सिमगा	राई-सरसों	3	15	18	0	0	0	0.000
			सिमगा	गेहूँ सिंचित	0	47	47	0	0	0	0.000
			सोनाखान	चना	1	0	1	0	0	0	0.000
			सुहेला	राई-सरसों	3	23	26	0	0	0	0.000
सुहेला	गेहूँ सिंचित	0	51	51	0	0	0	0.000			
रबी वर्ष 2023-24 योग					23	443	466	3	0	3	0.070

वर्ष	मौसम	बीमा कंपनी का नाम	तहसील का नाम	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या			लैम्पस के द्वारा हुए बीमित कृषक संख्या			लैम्पस के द्वारा जिला सहकारी के-डीए बैंक मर्यादित के माध्यम से जमा की गई कृषक प्रीमियम राशि (लाख रु. में)
					ऋणी	अऋणी	योग	ऋणी	अऋणी	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024	खरीफ	एचडीएफसी इरगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	बलौदा बाजार	धान सिंचित	7462	162	7624	6843	0	6843	80.480
			बलौदा बाजार	धान असिंचित	1172	18	1190	1134	0	1134	7.610
			भाटापारा	धान सिंचित	4220	61	4281	2742	1	2743	35.260
			भाटापारा	धान असिंचित	12603	557	13160	12002	13	12015	115.540
			भाटापारा	अरहर	1	0	1	0	0	0	0.000
			कसडोल	धान सिंचित	5118	85	5203	4811	0	4811	55.450
			कसडोल	धान असिंचित	3880	96	3976	3789	0	3789	29.090
			लवन	धान सिंचित	10280	118	10398	8899	1	8900	99.000
			लवन	धान असिंचित	5712	63	5775	5438	1	5439	41.490
			पलारी	धान सिंचित	23056	402	23458	21380	59	21439	252.240
			पलारी	धान असिंचित	4341	48	4389	4143	9	4152	23.460
			सिमगा	कोबो	1	9	10	1253	0	1253	14.470
			सिमगा	धान सिंचित	3035	94	3129	2876	0	2876	21.010
			सिमगा	धान असिंचित	3289	257	3546	0	0	0	0.000
			सिमगा	अरहर	1	11	12	0	0	0	0.000
			सोनाखान	उड़द	8	0	8	0	0	0	0.000
			सोनाखान	धान सिंचित	2143	65	2208	244	0	244	4.550
			सोनाखान	धान असिंचित	1377	88	1465	1003	0	1003	12.560
			सोनाखान	सोयाबीन	1	0	1	0	0	0	0.000
			सुहेला	धान सिंचित	3494	39	3533	3033	0	3033	35.090
			सुहेला	धान असिंचित	5814	95	5909	5680	0	5680	41.590
दुपड़ा	धान सिंचित	1399	4	1403	1259	0	1259	15.180			
दुपड़ा	धान असिंचित	919	47	966	684	0	684	4.360			
खरीफ वर्ष 2024 योग					99326	2319	101645	87213	84	87297	888.430
2024-25	रबी	एचडीएफसी इरगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	बलौदा बाजार	चना	0	18	18	0	0	0	0.000
			बलौदा बाजार	राई-सरसों	0	8	8	0	0	0	0.000
			बलौदा बाजार	गेहू सिंचित	2	21	23	0	0	0	0.000
			बलौदा बाजार	गेहू असिंचित	0	5	5	0	0	0	0.000
			भाटापारा	चना	3	38	41	0	0	0	0.000
			भाटापारा	राई-सरसों	1	25	26	0	0	0	0.000
			भाटापारा	गेहू सिंचित	8	447	455	0	0	0	0.000
			पलारी	चना	0	67	67	0	0	0	0.000
			पलारी	राई-सरसों	0	4	4	0	0	0	0.000
			पलारी	गेहू सिंचित	0	84	84	0	0	0	0.000
			सिमगा	चना	2	58	60	0	0	0	0.000
			सिमगा	राई-सरसों	0	38	38	0	0	0	0.000
			सिमगा	गेहू सिंचित	0	94	94	0	0	0	0.000
			सोनाखान	चना	1	6	7	0	0	0	0.000
			सुहेला	चना	1	34	35	0	0	0	0.000
			सुहेला	राई-सरसों	0	10	10	0	0	0	0.000
सुहेला	गेहू सिंचित	2	58	60	0	0	0	0.000			
रबी वर्ष 2024-25 योग					20	1015	1035	0	0	0.000	


 (विक्रम सिंघा)
 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

हस्ता / -
 नोडल अधिकारी (वि.स.)
 संचालनालय कृषि
 छ.ग. रायपुर

प्रपत्र-ब

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (उद्यमिकी फसल) अंतर्गत मौसमवार, वर्षवार, तहसीलवार बीमित कृषको की जानकारी

राशि रूपये लाख में रकबा हेक्टेयर में

वर्ष	मौसम	जिला	तहसील	फसल	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा	बीमित राशि	बीमा कंपनी का नाम	
2022	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	बलौदा बाजार	टमाटर	2	3.08	3.70	बजाज एलायंस जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड	
2022	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	भाटापारा	बैंगन	7	3.14	2.41		
2022	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	भाटापारा	मिर्च	1	0.80	0.72		
2022	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	भाटापारा	टमाटर	11	14.90	17.88		
2022	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	केला	1	0.01	0.01		
2022	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	बैंगन	17	16.74	12.89		
2022	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	मिर्च	1	0.34	0.31		
2022	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	अदरक	4	0.25	0.38		
2022	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	टमाटर	19	15.67	18.80		
2022	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	कसडोल	बैंगन	9	2.20	1.69		
2022	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	कसडोल	मिर्च	12	2.46	2.22		
2022	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	कसडोल	टमाटर	12	3.90	4.67		
2022	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	पलारी	बैंगन	4	0.40	0.31		
2022	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	पलारी	टमाटर	1	0.26	0.31		
2022	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	सिमगा	बैंगन	1	2.04	1.57		
2022	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	सिमगा	टमाटर	1	1.00	1.20		
योग खरीफ 2022					103	67.16	69.06		
2022-23	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	बलौदा बाजार	बैंगन	2	0.83	0.64		
2022-23	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	बलौदा बाजार	पत्तागोभी	1	0.40	0.28		
2022-23	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	बलौदा बाजार	फूलगोभी	1	0.32	0.22		
2022-23	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	बलौदा बाजार	प्याज	1	0.19	0.15		
2022-23	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	बलौदा बाजार	आलू	1	1.27	1.52		
2022-23	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	बलौदा बाजार	टमाटर	2	3.91	4.69		
2022-23	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	भाटापारा	बैंगन	3	2.94	2.26		
2022-23	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	भाटापारा	आलू	2	2.02	2.42		
2022-23	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	भाटापारा	टमाटर	11	15.04	18.05		
2022-23	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	बैंगन	6	1.95	1.50		
2022-23	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	प्याज	1	0.04	0.03		
2022-23	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	आलू	2	0.08	0.09		
2022-23	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	टमाटर	13	7.96	9.56		
2022-23	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	कसडोल	बैंगन	1	1.00	0.77		
2022-23	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	कसडोल	फूलगोभी	1	0.81	0.57		
2022-23	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	कसडोल	प्याज	1	1.00	0.80		
2022-23	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	कसडोल	टमाटर	3	5.41	6.49		
2022-23	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	पलारी	फूलगोभी	1	0.20	0.14		
2022-23	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	पलारी	प्याज	2	0.30	0.24		
2022-23	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	पलारी	टमाटर	1	0.63	0.75		
2022-23	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	सिमगा	बैंगन	3	4.02	3.10		
2022-23	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	सिमगा	टमाटर	5	9.26	11.11		
योग रबी 2022-23					64	59.57	65.39		
योग वर्ष 2022-23					167	126.74	134.45		

वर्ष	मौसम	जिला	तहसील	फसल	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा	बीमित राशि	बीमा कंपनी का नाम	
2023	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	बलौदा बाजार	बैंगन	11	1.54	1.18	एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड	
2023	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	बलौदा बाजार	टमाटर	17	6.37	7.64		
2023	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	भाटापारा	केला	3	4.33	3.68		
2023	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	भाटापारा	बैंगन	15	2.76	2.13		
2023	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	भाटापारा	मिर्च	5	2.30	1.56		
2023	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	भाटापारा	अमरुद	1	0.11	0.05		
2023	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	भाटापारा	पपीता	1	1.00	0.87		
2023	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	भाटापारा	टमाटर	30	8.33	10.00		
2023	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	कसडोल	केला	1	0.05	0.04		
2023	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	कसडोल	बैंगन	4	0.48	0.37		
2023	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	कसडोल	मिर्च	1	0.10	0.06		
2023	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	कसडोल	टमाटर	1	0.15	0.18		
2023	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	पलारी	बैंगन	2	0.37	0.28		
2023	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	पलारी	टमाटर	1	0.24	0.28		
2023	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	सिमगा	टमाटर	21	10.13	12.16		
2023	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	सोनाखान	बैंगन	1	0.25	0.19		
2023	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	सोनाखान	मिर्च	3	1.35	0.92		
2023	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	सोनाखान	टमाटर	1	0.80	0.96		
2023	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	सुहेला	बैंगन	2	0.60	0.46		
योग खरीफ 2023					121	41.23	43.02		
2023-24	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	बलौदा बाजार	पत्तागोभी	12	2.07	1.39		
2023-24	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	बलौदा बाजार	टमाटर	3	2.42	2.13		
2023-24	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	भाटापारा	बैंगन	9	4.08	2.33		
2023-24	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	भाटापारा	आलू	1	0.81	0.78		
2023-24	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	भाटापारा	टमाटर	26	13.86	12.32		
2023-24	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	कसडोल	फूलगोभी	6	0.81	0.44		
2023-24	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	कसडोल	टमाटर	6	0.82	0.72		
2023-24	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	लवन	बैंगन	13	0.41	0.23		
2023-24	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	लवन	प्याज	14	0.19	0.10		
2023-24	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	लवन	आलू	1	2.01	1.93		
2023-24	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	लवन	टमाटर	2	2.01	1.77		
2023-24	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	पलारी	बैंगन	1	0.03	0.02		
2023-24	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	पलारी	फूलगोभी	5	0.20	0.11		
2023-24	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	सिमगा	टमाटर	3	1.20	1.06		
2023-24	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	सोनाखान	बैंगन	2	1.48	0.84		
2023-24	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	सोनाखान	फूलगोभी	5	0.70	0.38		
2023-24	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	सोनाखान	टमाटर	6	1.21	1.06		
2023-24	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	सुहेला	बैंगन	1	2.83	1.61		
2023-24	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	सुहेला	पत्तागोभी	1	3.36	1.81		
2023-24	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	सुहेला	टमाटर	3	2.07	1.82		
2023-24	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	दुण्डरा	टमाटर	5	3.59	3.16		
योग रबी 2023-24					125	46.16	36.02		
योग वर्ष 2023-24					246	87.40	79.03		

वर्ष	मौसम	जिला	तहसील	फसल	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा	बीमित राशि	बीमा कंपनी का नाम	
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	बलौदा बाजार	बैंगन	11	0.77	0.59	एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड	
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	बलौदा बाजार	मिर्च	7	0.40	0.36		
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	बलौदा बाजार	टमाटर	23	4.75	5.70		
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	भाटापारा	बैंगन	28	5.81	4.48		
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	भाटापारा	मिर्च	28	6.07	5.35		
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	भाटापारा	अमरुद	1	0.62	0.28		
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	भाटापारा	टमाटर	65	21.83	26.19		
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	कसडोल	बैंगन	3	0.15	0.12		
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	कसडोल	मिर्च	1	0.05	0.03		
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	कसडोल	टमाटर	1	0.05	0.06		
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	लवन	बैंगन	6	1.17	0.90		
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	लवन	टमाटर	1	5.77	6.92		
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	पलारी	बैंगन	7	1.57	1.21		
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	पलारी	मिर्च	1	0.54	0.49		
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	पलारी	टमाटर	1	0.54	0.65		
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	सिमगा	केला	1	2.00	1.70		
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	सिमगा	बैंगन	1	1.98	1.52		
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	सिमगा	मिर्च	1	0.99	0.67		
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	सिमगा	टमाटर	3	3.86	4.63		
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	सोनाखान	बैंगन	1	0.40	0.31		
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	सोनाखान	मिर्च	1	0.65	0.44		
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	सोनाखान	अदरक	1	0.40	0.60		
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	सोनाखान	टमाटर	5	4.55	5.46		
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	सुहेला	बैंगन	1	0.53	0.41		
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	टुण्डरा	बैंगन	6	0.30	0.23		
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	टुण्डरा	मिर्च	3	0.24	0.17		
2024	खरीफ	बलौदा बाजार-भाटापारा	टुण्डरा	टमाटर	4	0.20	0.24		
योग खरीफ 2024					212	66.18	69.70		
2024-25	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	बलौदा बाजार	पत्तागोभी	19	2.47	1.33		
2024-25	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	बलौदा बाजार	टमाटर	3	2.42	2.13		
2024-25	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	भाटापारा	बैंगन	6	2.31	1.32		
2024-25	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	भाटापारा	प्याज	9	1.82	1.00		
2024-25	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	भाटापारा	आलू	1	0.10	0.10		
2024-25	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	भाटापारा	टमाटर	8	3.44	3.03		
2024-25	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	लवन	बैंगन	2	0.50	0.29		
2024-25	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	लवन	टमाटर	2	4.05	3.56		
2024-25	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	पलारी	बैंगन	5	0.70	0.40		
2024-25	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	सुहेला	टमाटर	6	6.26	5.51		
2024-25	रबी	बलौदा बाजार-भाटापारा	टुण्डरा	टमाटर	5	3.59	3.16		
योग रबी 2024-25					66	27.66	21.82		
योग वर्ष 2024-25					278	93.84	91.52		

(विकास विभाग)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
संजय गांधी नगर रायपुर, अटल नगर

Page 3 of 3

संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
नवा रायपुर अटल नगर छ.ग.


परीशेष - पचास

अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 806) की जानकारी

प्रपत्र-अ

(राशि रु. लाखों में)

क्र.	वर्ष	जिला	विधानसभा	स्कूल भवन		छात्रावास भवन		आश्रम	
				स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि
1	2022-23	राजनांदगांव	राजनांदगांव	-	-	1	191.51	-	-
			डोंगरगढ़	1	121.16	-	-	-	-
			खुज्जी	2	196.39	-	-	-	-
			मोहला-मानपुर	1	75.23	-	-	-	-
योग -				4	392.78	1	191.51	0	0
2	2023-24	राजनांदगांव	राजनांदगांव	-	-	1	288.59	-	-
			डोंगरगांव	2	150.46	-	-	-	-
			डोंगरगढ़	1	75.23	-	-	-	-
योग -				3	225.69	1	288.59	0	0
3	2024-25 (31जनवरी 2025 तक)	राजनांदगांव	राजनांदगांव	3	225.69	-	-	-	-
			डोंगरगांव	1	75.23	-	-	-	-
			डोंगरगढ़	1	75.23	-	-	-	-
			खुज्जी	1	75.23	-	-	-	-
योग -				6	451.38	0	0	0	0
महायोग -				13	1069.85	2	480.10	0	0
1	22-23	मोहला मानपुर-अंबागढ़ चौकी	मोहला-मानपुर	0	0	0	0	0	0
			खुज्जी	0	0	0	0	0	0
योग -				0	0	0	0	0	0
2	23-24	मोहला मानपुर-अंबागढ़ चौकी	मोहला-मानपुर	7	100.80	0	0	0	0
			खुज्जी	0	0	0	0	0	0
योग -				7	100.80	0	0	0	0
3	24-25 (31जनवरी 2025 तक)	मोहला मानपुर-अंबागढ़ चौकी	मोहला-मानपुर	3	42.90	1	191.51	0	0
			खुज्जी	0	0	0	0	0	0
योग -				3	42.90	1	191.51	0	0
महायोग				10	143.70	1	191.50	0	0


अनुभाग अधिकारी
अ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

"प्रपत्र-ब"

वर्ष 2022-23 से 2024-25 में 31 जनवरी 2025 तक राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला में स्कूल भवन, आश्रम शाला, छात्रावास भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि की वर्षवार, विधानसभावार, अद्यतन स्थिति की जानकारी

(राशि रु. लाखों में)

जिला-राजनांदगांव

क्र.	जिला	वर्ष	विधानसभा क्षेत्र का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	कार्य की अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
स्कूल भवन						
1	राजनांदगांव	2022-23	खुज्जी	शासकीय हाई स्कूल बेलरगौदी (नवीन भवन निर्माण)	75.23	कार्य पूर्ण
2				शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल गोडलवाही नवीन भवन निर्माण)	121.16	प्रगतिरत्
3			डोंगरगढ़	शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल बालक लालबहादुर नगर डोंगरगढ़ (नवीन भवन निर्माण)	121.16	प्रगतिरत्
4			मोहला-मानपुर	शासकीय हाई स्कूल सीतागांव (नवीन भवन निर्माण)	75.23	अप्रारंभ
योग -					392.78	
5	राजनांदगांव	2023-24	डोंगरगांव	शासकीय हाई स्कूल मचानपार (नवीन भवन निर्माण)	75.23	अप्रारंभ
6			डोंगरगांव	शासकीय हाई स्कूल बुद्धभरदा (नवीन भवन निर्माण)	75.23	अप्रारंभ
7			डोंगरगढ़	शासकीय हाई स्कूल माडीतराई (नवीन भवन निर्माण)	75.23	अप्रारंभ
योग -					225.69	
8	राजनांदगांव	2024-25 (दिनांक 31 जनवरी 2025 तक)	राजनांदगांव	शासकीय हाई स्कूल रानीतराई (नवीन भवन निर्माण)	75.23	अप्रारंभ
9				शासकीय हाई स्कूल धामनसरा (नवीन भवन निर्माण)	75.23	अप्रारंभ
10				शासकीय हाई स्कूल शंकरपुर (नवीन भवन निर्माण)	75.23	अप्रारंभ
11			खुज्जी	शासकीय हाई स्कूल मोरकुटुम्ब (नवीन भवन निर्माण)	75.23	अप्रारंभ
12			डोंगरगांव	शासकीय हाई स्कूल विचारपुर नवांगव (नवीन भवन निर्माण)	75.23	अप्रारंभ
13			डोंगरगढ़	शासकीय हाई स्कूल कन्या एल.बी.नगर डोंगरगढ़ (नवीन भवन निर्माण)	75.23	अप्रारंभ
योग -					451.38	
स्कूल महायोग:-					1069.85	

क्र.	जिला	वर्ष	विधानसभा क्षेत्र का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	कार्य की अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
छात्रावास भवन						
1	राजनांदगांव	2022-23	राजनांदगांव	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास राजनांदगांव भवन निर्माण	191.51	प्लास्टर कार्य प्रगति पर।
				योग -	191.51	
2	राजनांदगांव	2023-24	राजनांदगांव	100 सीटर पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास राजनांदगांव भवन निर्माण	288.59	प्लीथ कार्य प्रगति पर।
				योग -	288.59	
3	राजनांदगांव	2024-25 (दिनांक 31 जनवरी 2025 तक)		निरंक	0	
				योग -	0	
				छात्रावास महायोग:-	480.10	
आश्रम शाला भवन						
1	राजनांदगांव	2022-23		निरंक		
2	राजनांदगांव	2023-24		निरंक		
3	राजनांदगांव	2024-25 (दिनांक 31 जनवरी 2025 तक)		निरंक		
				योग -	-	
जिला-मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी						
स्कूल भवन						
1	मोहला-मानपुर-अं. चौकी	2022-23	मोहला-मानपुर	निरंक	-	-
2			खुज्जी	निरंक	-	-
				योग -	0.00	

क्र.	जिला	वर्ष	विधानसभा क्षेत्र का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	कार्य की अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
3				प्राथमिक शाला गहनगट्टा	14.30	पूर्ण
4				हाई स्कूल ईरागांव	14.30	कॉलम कार्य पूर्ण, दिवाल कार्य प्रगति पर
5	मोहला-मान	2023-24	मोहला-मानपुर	प्राथमिक शाला मासुल	14.30	ढलाई कार्य पूर्ण
6	पुर-अं.चौकी			प्राथमिक शाला सिरलगढ	14.30	पूर्ण
7				प्राथमिक शाला तुमडीकसा	14.30	पूर्ण
8				प्राथमिक शाला खुर्सीटिकुल	15.00	पूर्ण
				प्राथमिक शाला खैरी	14.30	
9			खुज्जी	निरंक	-	
				योग -	100.80	
8	मोहला-मान	2024-25	मोहला-मानपुर	प्राथमिक शाला मोरचूल	14.30	निविदा की
9	पुर-अं.चौकी	(दिनांक 31 जनवरी 2025 तक)		प्राथमिक शाला आलकन्हार	14.30	कार्यवाही ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा कार्यालय
10				प्राथमिक शाला घोड़ाझरी	14.30	
11			खुज्जी	निरंक	-	
				योग -	42.90	
				स्कूल महायोग:-	143.70	
छात्रावास भवन						
1	मोहला-मान	2022-23	मोहला-मानपुर	निरंक	-	-
	पुर-अं.चौकी		खुज्जी	निरंक	-	-
				योग -	0.00	
2	मोहला-मान	2023-24	मोहला-मानपुर	निरंक	-	-
	पुर-अं.चौकी		खुज्जी	निरंक	-	-
				योग -	0.00	

प्रपत्र 'स'

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भवन विहीन / प्रस्तावित भवन निर्माण की जानकारी

क्र.	जिला	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	स्थल का नाम	भवन विहीन स्कूल/छात्रावास / आश्रम का नाम
1	2	3	4	5	6
स्कूल					
1	राजनांदगांव	खुज्जी	छुरिया	चिरचारीखुर्द	शासकीय हाई स्कूल चिरचारीखुर्द (मुख्य बजट 2025-26 में स्वीकृति हेतु प्रेषित है।)
		योग -			1
छात्रावास					
1	राजनांदगांव	खुज्जी	छुरिया	कुमर्दा	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कुमर्दा
2	राजनांदगांव	खुज्जी	छुरिया	छुरिया	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास छुरिया
		योग -			2
आश्रम					
1	राजनांदगांव	खुज्जी			निरंक


अनुभाग अधिकारी
 आ.ज. तथा अनु.जा.वि. विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - इनक्यावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 807) की जानकारी

क्र.	वर्ष	विकासखंड का नाम	योजना का नाम	कय किये गये यंत्र का विवरण						आपूर्तिकर्ता संस्था का नाम
				नाम	मात्रा (संख्या)	दर (लाख में)	राशि (लाख में)	प्रदाय अनुदान (लाख में)		
1	2022-23	छुरिया	जिला खनिज न्यास निधि	पल्सरहर्जर (मसाला पिसाई मशीन)	3	2.16954	6.50862	6.50862	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	
योग (2022-23)										
					3	2.16954	6.50862	6.50862		
2	2023-24	छुरिया	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पल्सरहर्जर (मसाला पिसाई मशीन)	9	2.16954	19.52586	19.52586	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के ई-कृषि पोर्टल के माध्यम से अनुबंधित संस्था किसान एग्रोटैक दुर्ग	
योग										
					9	2.16954	19.52586	19.52586		
योग (2023-24)										
					10	3.58434	20.94066	20.15586		
योग										
					1	1.41480	1.41480	0.63000	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के ई-कृषि पोर्टल के माध्यम से अनुबंधित संस्था किसान एग्रोटैक धमधा रोड दुर्ग	
योग										
					10	3.58434	20.94066	20.15586		
योग (2023-24)										
					21	-	43.29612	40.94172		
निरंक										
3	2024-25 (31 जनवरी 2025 तक)				24	-	49.80474	47.45034		
कुल योग										

(विकास मिश्र)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

क्र.	वर्ष	वि.ख.	योजना का नाम	कृषि यंत्र / उपकरण का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निराकृत आवेदन की संख्या	सामग्री की कुल कीमत	भुगतान की गई अनुदान राशि	लंबित आवेदनों की संख्या	टिप्पणियाँ	
1	2022-23	अनामठ चौकी	कृषि यांत्रिकीकरण सर्वाभियान योजना (कंपोनेट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शाकमत्सी योजना राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	कृषि यांत्रिकीकरण सर्वाभियान योजना (कंपोनेट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	स्व-चालित शीपर	2	1	1.57	0.75	-	शेष प्रकरण कृषक अंश राशि जमा न होने व स्वीकृत नहीं होने पर स्वमेव निरस्त हो गये
				द्वैवटर	7	1	10.63	5.00	-		
				ड्रिप	45	33	53.67	26.54	-		
				स्प्रिंकलर	241	136	44.56	23.14	-		
				सिंचाई पंप	8	8	1.63	1.02	-		
				ड्रिप	2	1	1.47	0.66	-		
				द्वैवटर					-		
				काल्टीवेटर					-		
				सीड ड्रिल	1	1	30.69	10.00	-		
				स्प्रयर					-		
				कमार्डिन हार्वैस्टर					-		
2	2022-23	सुरिया	कृषि यांत्रिकीकरण सर्वाभियान योजना (कंपोनेट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान कृषि यांत्रिकीकरण सर्वाभियान योजना (कंपोनेट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल दलहन कृषि यांत्रिकीकरण सर्वाभियान योजना (कंपोनेट क्रमांक-3) हस्त/बैल चलित यंत्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल दलहन	कृषि यांत्रिकीकरण सर्वाभियान योजना (कंपोनेट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	हैण्ड हो	426	426	1.00	0.50	-	शेष प्रकरण कृषक अंश राशि जमा न होने व स्वीकृत नहीं होने पर स्वमेव निरस्त हो गये
				हैण्ड हो	426	426	1.00	0.50	-		
				बैटरी स्प्रेयर	43	43	1.88	0.89	-		
				कमार्डिन हार्वैस्टर	2	1	25.00	11.00	-		
				मिनी सार्डिस मिल	1	1	1.18	0.71	-		
				रोटावेटर	2	0			-		
				स्व-चालित पञ्जा	5	4	12.47	6.00	-		
				स्व-चालित शीपर	6	5	7.53	3.75	-		
				शेसर	1	1	1.95	0.98	-		
				द्वैवटर	88	13	115.84	53.75	-		
				शेसर	3	1	2.10	1.00	-		
ड्रिप	46	38	53.69	26.13	-						
स्प्रिंकलर	220	103	30.23	16.51	-						
सिंचाई पंप	24	23	5.15	3.00	-						
ड्रिप	5	5	7.08	3.47	-						



क्र.	वर्ष	वि.ख.	योजना का नाम	कृषि यंत्र / उपकरण का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निराकृत आवेदन की संख्या	सामग्री की कुल कीमत	भुगतान की गई अनुदान राशि	लंबित आवेदनों की संख्या	सिमांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	2022-23	युरिया	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	ट्रैक्टर काल्टीवेटर सीड ड्रिल स्प्रेयर कम्पाईन हार्वेस्टर शेसर	5	3	77.26	24.00	-	वर्ष 2022-23 में लक्ष्य के अभाव के कारण 2 आवेदन निरस्त	
3	2023-24	अंबागढ़ चौकी	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) हस्त/बैल चालित यंत्र	हेण्ड हो	511	511	1.20	0.60	-	1 कृषक द्वारा योजना का लाभ लेने से इंकार अतः निरस्त
				राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन यावल विलेहन	हेण्ड हो	85	85	0.20	0.10	-	
				राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन यावल विलेहन	बैटरी स्प्रेयर	20	20	0.88	0.39	-	
				कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कम्पाईन हार्वेस्टर	1	0	9.85	4.92	-	
				शाकमंशी योजना	ट्रैक्टर	33	1	11.41	6.24	-	
				राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	सिंचाई पंप	52	50	1.44	0.70	-	
					ड्रिप	9	1			-	
					ट्रैक्टर					-	
					काल्टीवेटर					-	
					सीड ड्रिल					-	
	स्प्रेयर					-					
	कम्पाईन हार्वेस्टर					-					
	शेसर					-					
	कम्पाईन हार्वेस्टर					-					
	मिनी दाल मिल					-					
	मिनी पल्लो मिल कम पल्लवाइजुर					-					
	मिनी चार्जिंग मिल					-					
	ऑयल मिल					-					
	रोटोवेटर					-					
	स्व-चालित चार्जिंग ट्रांसवॉल्टर					-					
	शेसर					-					
	ट्रैक्टर					-					
	सिंचाई पंप					-					
	ड्रिप					-					
4	2023-24	युरिया	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	शाकमंशी योजना राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	25	1	1.20	0.66	-	शेष प्रकरण कृषक अंश राशि जमा न होने व स्वीकृत नहीं होने पर स्वमेव निरस्त हो गये	

क्र.	वर्ष	दि.ख.	योजना का नाम	कृषि घंटा / उपकरण का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निराकृत आवेदन की संख्या	सामग्री की कुल कीमत	भुगतान की गई अनुदान राशि	लंबित आवेदनों की संख्या	टिप्पणियाँ
4	2023-24	दुरिया	ग्रहणित यांत्रिककरण सवमिशन योजना (कंपोनेट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान स्थापना	कम्पाईन हार्वेस्टर	6	2	51.50	22.00	4	131 प्रकार प्रक्रियार्थीन
				स्व-चालित राईस ट्रांसलाटर	2	2	13.49	6.74	-	
				ट्रैक्टर	65	5	51.06	24.42	60	
				ड्रिप	18	8	14.93	7.05	10	
				स्प्रिंकलर	164	112	34.83	18.42	52	
				सिंचाई पंप	33	31	5.28	3.14	2	
				ड्रिप	5	2	6.43	2.83	3	
				ट्रैक्टर						
				कल्टीवेटर						
				सीड ड्रिल						
5	2024-25 दिनांक 31.01.25 तक	अंबागढ चौकी	ग्रहणित यांत्रिककरण सवमिशन योजना (कंपोनेट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	कम्पाईन हार्वेस्टर	8	8	157.64	30.00	-	5 कृषकों के अनुदान भुगतान हेतु राशि रु. 20.00 लाख प्रक्रियार्थीन
				स्प्रेयर						
				शेसर						
				रोटावेटर						
				ड्रैक्टर						

क्र.	वर्ष	वि.ख.	योजना का नाम	कृषि यंत्र / उपकरण का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निराकृत आवेदन की संख्या	सामग्री की कुल कीमत	भुगतान की गई अनुदान राशि	लिखित आवेदनों की संख्या	टिप्पणियाँ	
6	2024-25 दिनांक 31.01.25 तक	दुरिया	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपाउंड क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शाकमन्थी योजना राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपाउंड क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना जैवित खेती मिशन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (रेनफंड एरिया डेवेलपमेंट)	कमाईन हार्वेस्टर	12	0				12	301 प्रकरण प्रक्रियाधीन 1. 1 कृषक का अनुदान भुगतान हेतु राशि रु. 400 लाख प्रक्रियाधीन 2. 1 कृषक द्वारा योजना का लाभ लेने से इन्कार अतः निरस्त
				सेटावेटर	2	2	2.94	0.94			
				स्व-चालित राईस ट्रांसप्लांटर	13	0			13		
				स्व-चालित शीपर	2	0			2		
				शेसर	1	1	2.75	1.00			
				ट्रैक्टर	163	6	58.56	28.03	157		
				ड्रिप	60	27	36.26	18.91	33		
				सिंचकालर	134	58	17.81	9.65	76		
				सिंचाई पंप	97	89	12.89	8.21	8		
				ड्रिप	5	5	11.43	5.10			
				ट्रैक्टर							
				कल्टीवेटर							
				सेटावेटर							
				सीड ड्रिल	4	3	55.70	14.00			
शीपर											
स्पेयर											
शेसर											
अधिकी पैडी वीडर	450	450	5.86	5.86157							
हैण्ड हो	450	450	1.19	1.19138							
चाक्र कटर	68	68	8.50	0							

(विकास निष्ठा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

क.	वर्ष	विकासखंड का नाम	योजना का नाम	यंत्र का नाम	प्राप्त आवेदनों का विवरण		यंत्र की राशि (लाख में)	प्रदाय अनुदान (लाख में)	लंबित आवेदनों की संख्या	कृषकों/महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा यंत्रों की मांग की गई अथवा नहीं
					आवेदन/कृषक/महिला स्व-सहायता समूह संख्या	निराकृत आवेदनों की संख्या				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2022-23	छुरिया	जिला खनिज न्यास निधि	पल्वरईजर (मसाला पिसाई मशीन)	3	3	6.50862	6.50862	0	हां
			योग (2022-23)		3	3	6.50862	6.50862	0	
		छुरिया	नीति आयोग निधि	पल्वरईजर (मसाला पिसाई मशीन)	9	9	19.52586	19.52586	0	हां
			राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पॉवर वीडर	2	2	2.82960	1.26000	0	हां
			योग		11	11	22.35546	20.78586	0	
2	2023-24	अ.चौकी	नीति आयोग निधि	पल्वरईजर (मसाला पिसाई मशीन)	9	9	19.52586	19.52586	0	हां
			राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पॉवर वीडर	1	1	1.41480	0.63000	0	हां
			योग		10	10	20.94066	20.15586	0	
			योग (2023-24)		21	21	43.29612	40.94172	0	
3	2024-25 (31 जनवरी 2025 तक)									
			कुल योग		24	24	49.80474	47.45034	0	-

निरंक

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

उप सचिव

(विकास विभाग)

परिशेष - बावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 814) की जानकारी

प्रपत्र-अ

राजस्व प्राप्ति का वार्षिक लक्ष्य/प्रावधान संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित होता है, वर्ष 2023-24 में कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व का वार्षिक प्रावधान क्रमशः 38,000 करोड़ तथा 18,200 करोड़ है। इसी प्रकार वर्ष 2024-25 के लिए कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व का वार्षिक प्रावधान क्रमशः 49,700 करोड़ तथा 18,700 करोड़ है।

(राशि करोड़ में)

माह	कर राजस्व	करेत्तर राजस्व
	प्राप्ति	प्राप्ति
जनवरी-2024	3298	1398
फरवरी-2024	3629	2489
मार्च-2024	4454	1028
अप्रैल-2024	3220	731
मई-2024	3306	1370
जून-2024	3571	1448
जुलाई-2024	3686	1446
अगस्त-2024	3605	1160
सितम्बर-2024	2621	1110
अक्टूबर-2024	3640	1324
नवंबर-2024	3932	1728
दिसंबर-2024	3885	1571
जनवरी-2025	3811	1238


edf
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग, मंत्रालय
नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-ब

राजस्व प्राप्ति का वार्षिक लक्ष्य/प्रावधान संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित होता है, वर्ष 2023-24 में केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा एवं सहायक अनुदान का वार्षिक प्रावधान क्रमशः 34,801 करोड़ तथा 15,000 करोड़ है। इसी प्रकार वर्ष 2024-25 के लिए केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा एवं सहायक अनुदान का वार्षिक प्रावधान क्रमशः 44,000 करोड़ तथा 13,500 करोड़ है।

(राशि करोड़ में)

माह	केन्द्रीय करों में हिस्सा	सहायता अनुदान
	प्राप्ति	प्राप्ति
जनवरी-2024	2486	1152
फरवरी-2024	7263	1115
मार्च-2024	3273	3126
अप्रैल-2024	2381	97
मई-2024	2381	179
जून-2024	4761	148
जुलाई-2024	2968	477
अगस्त-2024	3035	214
सितम्बर-2024	3035	3516
अक्टूबर-2024	6070	776
नवंबर-2024	3035	267
दिसंबर-2024	3035	2223
जनवरी-2025	5895	966


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग, मंत्रालय
नवा रायपुर, अटल नगर

पॉरीशेष्ट - निरपन

अतारीकेत प्रश्न संख्या 36 (क्र. 837) की जानकारी

ii =

जिला बस्तर में छ.ग. राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के द्वारा किये गये कार्यो की अद्यतन स्थिति

क्र.	वर्ष	जिला	विकास खण्ड	ग्राम	कार्य का विवरण/कार्य स्थल	लागत एस. ओ.आर पर (रु.लाख)	अद्यतन व्यय	कार्य की अद्यतन स्थिति	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	जगदलपुर	धुरगुडा	200 मीटर सी.सी.रोड निर्माण कार्य पी0डब्ल्यू डी0 सड़क से चमेली सोनी घर तक	5.81	0.00	कार्यदेश जारी।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।
2	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	जगदलपुर	घाटपदमुर	100 मीटर सी0सी0सड़क निर्माण कार्य घाटपदमुर मुख्य मार्ग से भीम घर तक	2.9	0.00	कार्यदेश जारी।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।
3	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	जगदलपुर	खुटपदर	300 मीटर सी0सी0सड़क निर्माण कार्य आसमन घर से स्कूल तक	8.71	0.00	कार्यदेश जारी।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।
4	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	जगदलपुर	काकरवाड़ा	200 मीटर सी.सी.रोड निर्माण कार्य भेलवामाटा चेक से आगनबाड़ी तक	5.81	0.00	कार्यदेश जारी।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।
5	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	जगदलपुर	कावापाल	300 मीटर सी0सी0सड़क निर्माण कार्य फारेस्ट नाका से पंचायत भवन तक	8.71	0.00	कार्यदेश जारी।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।
6	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	जगदलपुर	कवालीकला	200 मीटर सी0सी0 सड़क कार्य सुंदर घर से मेन रोड तक	5.81	0.00	कार्यदेश जारी।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।
7	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	जगदलपुर	कुम्हरावण्ड	150 मीटर सी0सी0 सड़क कार्य सहादेव घर से खिरेन्द्र के खेत मार्ग तक	4.36	0.00	कार्यदेश जारी।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।
8	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	जगदलपुर	मांडीगुडा	200 सी0सी0सड़क निर्माण कार्य विष्णु घर से विजय घर तक	5.81	0.00	कार्यदेश जारी।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।
9	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	जगदलपुर	मांडीपाल	150 सी0सी0सड़क निर्माण कार्य आगनबाड़ी भवन से जंगल गजहा पारा तक	4.36	0.00	कार्यदेश जारी।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।

क्र.	वर्ष	जिला	विकास खण्ड	ग्राम	कार्य का विवरण/कार्य स्थल	लागत एस. ओ.आर पर (रु.लाख)	अद्यतन व्यय	कार्य की अद्यतन स्थिति	सिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	जगदलपुर	तिरिया	150 मीटर सी0सी0 सड़क कार्य मुख्य मार्ग से भादु घर तक	4.36	0.00	कार्यदिश जारी।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।
11	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	जगदलपुर	नियानार	100 मीटर सी0सी0सड़क निर्माण कार्य जया घर से जयशम घर तक लामनी पारा तक	2.9	0.00	कार्यदिश जारी।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।
12	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	जगदलपुर	पंडरीपानी 01	350 मीटर मीटर सी0सी0सड़क निर्माण कार्य पिन्टू घर से रमोश घर तक	10.17	0.00	कार्यदिश जारी।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।
13	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	जगदलपुर	पुरपाल	300 मीटर सी.सी.सड़क निर्माण कार्य मातागुड़ी से मरघट तक	8.71	0.00	कार्यदिश जारी।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।
14	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	जगदलपुर	सरगीपाल	280 मीटर सी.सी.सड़क निर्माण कार्य धनसिंह घर से जलनीमाता गुड़ी तक	8.14	0.00	100 मीटर सी.सी. कार्य पूर्ण होकर कार्य प्रगतिरत।	
15	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	जगदलपुर	तुरेनार	150 मीटर सी.सी.सड़क निर्माण कार्य मेन राड से लखन घर तक	4.36	0.00	कार्यदिश जारी।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।
16	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	जगदलपुर	नानपुर	130 मीटर सी.सी.सड़क निर्माण कार्य मेन राड से सोनुधर तक घर तक	3.78	0.00	कार्यदिश जारी।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।
17	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	जगदलपुर	आसना	500 मीटर सी.सी.सड़क निर्माण कार्य शिव मंदिर से जलनी माता मंदिर तक	14.53	0.00	कार्यदिश जारी।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।
18	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	जगदलपुर	गरावण्डकला	100 मीटर सी.सी.सड़क निर्माण कार्य गरावण्डकला आंगनबाड़ी से मेन रोड तक	2.9	0.00	कार्यदिश जारी।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।
19	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	जगदलपुर	गुमलावाड़ा	200 मीटर सी0सी0 सड़क कार्य स्कूल से गंगा नाका तक	5.81	0.00	कार्यदिश जारी।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।
					वि0ख0 जगदलपुर का योग :- (कुल कार्य संख्या - 19)	117.94	0.00		

क्र.	वर्ष	जिला	विकास खण्ड	ग्राम	कार्य का विवरण/ कार्य स्थल	लागत एस. ओ.आर पर (रु.लाख)	अद्यतन व्यय	कार्य की अद्यतन स्थिति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	बास्तानार	जामगाँव	आर.आर.सी. पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा से बुरदापारा तक 03 मीटर स्पान 01 नग।	9.03	0.00	निविदा स्वीकृत।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।
21	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	बास्तानार	कोडेनार-01	सी.सी. रोड निर्माण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग से सोमारू घर तक 400 मीटर	11.25	0.00	निविदा स्वीकृत।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।
22	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	बास्तानार	तुरांगुर	सी.सी. रोड निर्माण कार्य तुरांगुर रामधरपारा से डुंगरीपारा तक 400 मीटर	11.25	0.00	निविदा स्वीकृत।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।
23	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	बास्तानार	बड़ेकिलेपाल 3	सी.सी. रोड निर्माण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग से डी.एस.बी. स्कूल तक 400 मीटर	11.25	0.00	निविदा स्वीकृत।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।
24	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	बास्तानार	बड़ेकिलेपाल 3	सी.सी. रोड निर्माण कार्य पीरनेटा डोगरी पारा से स्कूल तक 400 मीटर	11.25	0.00	निविदा स्वीकृत।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।
25	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	बास्तानार	बड़ेकिलेपाल 2	सी.सी. रोड निर्माण कार्य बामनपुजारी पारा पंडुच मार्ग पर डस्कोडीगुडी से कोडेपकना तक 400 मीटर	11.25	0.00	निविदा स्वीकृत।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।
26	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	बास्तानार	मूलनपाल 1	सी.सी. रोड निर्माण कार्य मुसकोटा डुलागो पारा से चैतुपारा से लोदीगुडा पंडुच मार्ग तक 400 मीटर	11.25	0.00	निविदा स्वीकृत।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।
27	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	बास्तानार	युरुंगपाल	सी.सी. रोड निर्माण कार्य बाई पारा धाकडपारा तक 500 मीटर	14.07	0.00	निविदा स्वीकृत।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।
28	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	बास्तानार	कोडेनार-01	कोडेनार-01 लेम्स में शेड निर्माण कार्य।	18.03	0.00	निविदा स्वीकृत।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।
29	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	बास्तानार	बास्तानार	बास्तानार लेम्स में शेड निर्माण कार्य।	18.03	0.00	निविदा स्वीकृत।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।
30	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	बास्तानार	बड़ेकिलेपाल-01	ग्राम बड़ेकिलेपाल में आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य 1.5 मीटर स्पान निर्माण कार्य।	5.50	0.00	निविदा स्वीकृत।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।

क्र.	वर्ष	जिला	विकास खण्ड	ग्राम	कार्य का विवरण/कार्य स्थल	लागत एस. ओ.आर पर (रु.लाख)	अद्यतन व्यय	कार्य की अद्यतन स्थिति	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					वि0ख0 बास्तानार का योग :- (कुल कार्य संख्या - 11)	132.16	0.00		
31	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बरतर	तोकापाल	बड़ेमारंगा	आर.आर.सी. पुलिया निर्माण कार्य धरसू घर के सामने गुण्डापारा 1.5 मीटर स्पान	5.5	0.00	निविदा स्वीकृत।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।
32	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बरतर	तोकापाल	बड़ेमारंगा	आर.आर.सी. पुलिया निर्माण कार्य धान मण्डी के सामने 1.5 मीटर स्पान	5.46	0.00	निविदा स्वीकृत।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।
33	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बरतर	तोकापाल	कुरैगा	सी.सी. रोड निर्माण कार्य गुड्डू घर से मिटकी घर छिटकापारा 500 मीटर	14.07	0.00	निविदा स्वीकृत।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।
34	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बरतर	तोकापाल	छापरमानपुरी	सी.सी. रोड निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से अलेखा महिना मंदिर तक 70 मीटर	1.97	0.00	निविदा स्वीकृत।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।
35	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बरतर	तोकापाल	मारंगा	मारंगा लेम्स में शेड निर्माण कार्य।	18.03	0.00	निविदा स्वीकृत।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।
36	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बरतर	तोकापाल	करंजी	करंजी लेम्स में शेड निर्माण कार्य।	18.03	0.00	निविदा स्वीकृत।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।
37	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बरतर	तोकापाल	छापरमानपुरी	छापरमानपुरी लेम्स में शेड निर्माण कार्य।	18.03	0.00	निविदा स्वीकृत।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।
38	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बरतर	तोकापाल	टेकामेटा	आश्रित ग्राम धरमाऊर में कमलसाय घर से धनीराम घर तक 400 मीटर सी.सी.सड़क निर्माण कार्य।	11.63	0.00	निविदा स्वीकृत।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।
					वि0ख0 तोकापाल का योग :- (कुल कार्य संख्या - 08)	92.72	0.00		
39	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बरतर	दरमा	छिदवाडा	आर.आर.सी. पुलिया निर्माण कार्य उपरसास 1.50 मीटर स्पान।	5.46	0.00	निविदा स्वीकृत।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।
40	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बरतर	दरमा	छिदवाडा	सी.सी.रोड निर्माण कार्य कुडमीगुडापारा में मुख्यमार्ग से मोहन घर तक 500 मीटर	14.07	0.00	निविदा स्वीकृत।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।

क्र.	वर्ष	जिला	विकास खण्ड	ग्राम	कार्य का विवरण/कार्य स्थल	लागत एस. ओ.आर पर (रु.लाख)	अद्यतन व्यय	कार्य की अद्यतन स्थिति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	दरमा	छिंदवाड़ा	आर.आर.सी. पुलिया निर्माण कार्य -पंचायत भवन मुतनपाल 02 से लालीपारा लालागुड़ा पहुच मार्ग पर 03 मीटर स्पान 01 नग	12.34	0.00	निविदा स्वीकृत।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।
		वि0ख0 दरमा का योग :- (कुल कार्य संख्या - 03)				31.87	0.00		
42	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	लोण्डीगुड़ा	अलनार	आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य 1.5 मीटर स्पान 02 नग बाजार स्थल अलनार से पदामी पास पहुच मार्ग पर	10.99	0.00	निविदा स्वीकृत।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।
43	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	लोण्डीगुड़ा	छोटेपरोदा	सी.सी.रोड निर्माण कार्य - बामनघर से कोटवार घर तक 150 मीटर	4.36	0.00	निविदा स्वीकृत।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।
44	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	लोण्डीगुड़ा	छोटेपरोदा	सी.सी.रोड निर्माण कार्य - मेनरोड गुडी से कोटवार घर तक घर तक 200 मीटर	5.81	0.00	निविदा स्वीकृत।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।
		वि0ख0 लोहण्डीगुड़ा का योग :- (कुल कार्य संख्या - 03)				21.16	0.00		
45	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	बस्तर	बनियागांव	ग्राम बनियागांव, जिला बस्तर अंतर्गत बाजार शेड निर्माण 05 नग/सी.सी. कार्य/गार्बेज डिस्पोजल प्राक्धान	23.51	0.00	निविदा प्राप्त।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात निविदा खोले जाने की कार्यवाही की जावेगी।
46	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	बस्तर	बाकेल	ग्राम बाकेल जिला बस्तर अंतर्गत माला मंदिर बाकेल के पास सप्ताहिक बाजार में बाजार शेड निर्माण 05 नग/सी.सी. कार्य/गार्बेज डिस्पोजल प्राक्धान	23.51	0.00	निविदा प्राप्त।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात निविदा खोले जाने की कार्यवाही की जावेगी।
47	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	बस्तर	मांदलापाल	ग्राम मांदलापाल हाई स्कूल के पास सप्ताहिक बाजार में बाजार शेड निर्माण 05 नग/सी.सी.कार्य/गार्बेज डिस्पोजल प्राक्धान	23.51	0.00	निविदा प्राप्त।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात निविदा खोले जाने की कार्यवाही की जावेगी।
48	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	बस्तर	तुरपुरा	ग्राम तुरपुरा जिला बस्तर अंतर्गत बाजार शेड निर्माण 05 नग/सी.सी.कार्य/गार्बेज डिस्पोजल प्राक्धान	23.51	0.00	निविदा प्राप्त।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात निविदा खोले जाने की कार्यवाही की जावेगी।
49	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	बस्तर	चेराकुर	ग्राम चैराकुर जिला बस्तर अंतर्गत बाजार बाजार शेड निर्माण 05 नग/सी.सी. कार्य/गार्बेज डिस्पोजल प्राक्धान	23.51	0.00	निविदा प्राप्त।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात निविदा खोले जाने की कार्यवाही की जावेगी।

क्र.	वर्ष	जिला	विकास खण्ड	ग्राम	कार्य का विवरण/कार्य स्थल	लागत एस. ओ.आर पर (रु.लाख)	अद्यतन व्यय	कार्य की अद्यतन स्थिति	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	बस्तर	तारगाव	ग्राम तारगाव जिला बस्तर अंतर्गत माता मंदिर के पास बाजार शेड निर्माण कार्य	4.22	0.00	निविदा प्राप्त।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात निविदा खोले जाने की कार्यवाही की जावेगी।
51	01 अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक	बस्तर	बस्तर	तुरपुरा-1	ग्राम तुरपुरा -1 जिला बस्तर अंतर्गत माता मंदिर से मंगु घर तक सी.सी.सड़क निर्माण 300 मीटर	8.71	0.00	निविदा प्राप्त।	आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात निविदा खोले जाने की कार्यवाही की जावेगी।
वि0ख0 बस्तर का योग :- (कुल कार्य संख्या - 07)						130.48	0.00		
वर्ष 2024-25 का योग :-						526.33	0.00		
महायोग :- (कुल कार्य संख्या - 51)						526.33	0.00	01 कार्य प्रगतिरत/18 कार्य ले-आउट स्तर पर/25 कार्य अनुबन्ध स्तर पर/07 कार्य निविदा खोले जाने स्तर पर।	

अधीक्षण अभियंता
छ0ग0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
रायपुर (छ0ग0)

(विकास निष्ठा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र

वर्ष 2021-22 में अनुसूचित/लघु मरम्मत मद अन्तर्गत लिये गये कार्यों की जानकारी
जिला-महासमुन्द (छ0ग0)

(राशि लाखों में)

क्र	संस्था/कार्य का नाम	विकास खण्ड	स्वी0 राशि लाखों में	व्यय राशि	कार्य की स्थिति		कार्य एजेंसी का नाम
					पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, खैरा महासमुन्द में अनुसूक्षण कार्य	महासमुन्द	5.73	5.73	कार्य पूर्ण	-	
2	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, मचेवा महासमुन्द में अनुसूक्षण कार्य	महासमुन्द	3.00	3.00	कार्य पूर्ण	-	
3	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, पटेवा में अनुसूक्षण कार्य	महासमुन्द	2.00	2.00	कार्य पूर्ण	-	
4	प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, नरतौरा में अनुसूक्षण कार्य	महासमुन्द	4.00	4.00	कार्य पूर्ण	-	
5	आदिवासी बालक आश्रम, परसदा में अनुसूक्षण कार्य	महासमुन्द	3.00	3.00	कार्य पूर्ण	-	
6	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, झलप में अनुसूक्षण कार्य	महासमुन्द	5.00	5.00	कार्य पूर्ण	-	
7	प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, रायतुम में अनुसूक्षण कार्य	महासमुन्द	3.58	3.58	कार्य पूर्ण	-	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास महासमुन्द
8	प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, भोरिंग में अनुसूक्षण कार्य	महासमुन्द	3.00	3.00	कार्य पूर्ण	-	
9	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, तुमगांव में अनुसूक्षण कार्य	महासमुन्द	3.19	3.19	कार्य पूर्ण	-	
	योग :-		32.50	32.50			
10	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, गांजर में अनुसूक्षण कार्य	बागबाहरा	3.00	3.00	कार्य पूर्ण	-	
11	आदिवासी कन्या आश्रम, कोमाखान अतिरिक्त कक्ष भवन निर्माण	बागबाहरा	10.00	10.00	कार्य पूर्ण	-	
12	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, मोंगरापाली में अनुसूक्षण कार्य	बागबाहरा	2.71	2.71	कार्य पूर्ण	-	
13	प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, खल्लारी में अनुसूक्षण कार्य	बागबाहरा	2.54	2.54	कार्य पूर्ण	-	
14	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, तेन्दूकोना में अनुसूक्षण कार्य	बागबाहरा	3.68	3.68	कार्य पूर्ण	-	
15	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, कोमाखान में अनुसूक्षण कार्य	बागबाहरा	10.94	10.94	कार्य पूर्ण	-	
16	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, बागबाहरा में अनुसूक्षण कार्य	बागबाहरा	3.70	3.70	कार्य पूर्ण	-	
	योग :-		36.57	36.57			

क	संस्था / कार्य का नाम	विकास खण्ड	स्वी0 राशि लाखों में	व्यय राशि	कार्य की स्थिति		कार्य एजेंसी का नाम
					पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	पोस्ट मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, पिथौरा (एकलव्य) में अनुरक्षण कार्य	पिथौरा	3.36	3.36	कार्य पूर्ण		
18	प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, बुन्देली में अनुरक्षण कार्य	पिथौरा	4.10	4.10	कार्य पूर्ण		
19	आदिवासी बालक आश्रम, सिंगरपुर में अनुरक्षण कार्य	पिथौरा	3.40	3.40	कार्य पूर्ण		
20	आदिवासी कन्या आश्रम, सागुनढाप में अनुरक्षण कार्य	पिथौरा	3.28	3.28	कार्य पूर्ण	-	
21	अनुसूचित जाति कन्या आश्रम, पिथौरा में अनुरक्षण कार्य	पिथौरा	2.00	2.00	कार्य पूर्ण		
	योग :-		16.14	16.14			
22	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, सिंघनपुर में अनुरक्षण कार्य	बसना	5.00	5.00	कार्य पूर्ण		
23	आदिवासी बालक आश्रम, फुलवारी में अनुरक्षण कार्य	बसना	3.34	3.34	कार्य पूर्ण	-	
24	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, मंवरपुर में अनुरक्षण कार्य	बसना	4.55	4.55	कार्य पूर्ण	-	
25	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, गढ़फुलझर में अनुरक्षण कार्य	बसना	5.50	5.50	कार्य पूर्ण	-	
26	प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, बड़ेसाजापाली में अनुरक्षण कार्य	बसना	5.50	5.50	कार्य पूर्ण	-	
27	प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, बसना में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	बसना	9.70	9.70	कार्य पूर्ण	-	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास महासमूह
	योग :-		33.59	33.59			
28	प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, बलोदा में अनुरक्षण कार्य	सरायपाली	2.75	2.75	कार्य पूर्ण	-	
29	आदिवासी बालक आश्रम, टेमरी में अनुरक्षण कार्य	सरायपाली	3.68	3.68	कार्य पूर्ण		
30	आदिवासी कन्या आश्रम, छुईपाली में अनुरक्षण कार्य	सरायपाली	5.18	5.18	कार्य पूर्ण	-	
31	पो0मै अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, सरायपाली में अनुरक्षण कार्य	सरायपाली	3.82	3.82	कार्य पूर्ण		
32	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, पझरापाली में अनुरक्षण कार्य	सरायपाली	4.02	4.02	कार्य पूर्ण		
33	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, तोषगांव में अनुरक्षण कार्य	सरायपाली	3.12	3.12	कार्य पूर्ण		
34	आदिवासी कन्या आश्रम, बैदपाली में अनुरक्षण कार्य	सरायपाली	4.69	4.69	कार्य पूर्ण		
	योग :-		27.26	27.26			
	महायोग :-		146.06	146.06			

वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित/लघु निर्माण अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की जानकारी

क्र	संस्था/कार्य का नाम	विकास खण्ड	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति		कार्य एजेंसी का नाम
					पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनुसूचित जाति बालक आश्रम घोडारी का आदर्श उन्नयन कार्य	महासमुन्द	25.00	9.76	पूर्ण	-	
2	पो0मै0 अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मचेवा महासमुन्द का आदर्श उन्नयन कार्य	महासमुन्द	25.00	25.00	पूर्ण	-	
3	पो0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास खैरा महासमुन्द का आदर्श उन्नयन कार्य	महासमुन्द	25.00	19.82	पूर्ण	-	
4	प्री0मै0 अनुसूचित जाति बालक छात्रावास महासमुन्द अनुसूचित कार्य	महासमुन्द	4.55	4.55	पूर्ण	-	
	योग :-		79.55	59.13			
5	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास बागबाहरा का आदर्श उन्नयन कार्य	बागबाहरा	25.00	24.00	पूर्ण	-	
6	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास बोडरीदादर बोर खनन	बागबाहरा	2.10	2.10	पूर्ण	-	
	योग :-		27.10	26.10			
7	पो0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास पिथौरा का आदर्श उन्नयन कार्य	पिथौरा	25.00	16.75	पूर्ण	-	
8	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास पिथौरा का आदर्श उन्नयन कार्य	पिथौरा	25.00	13.59	पूर्ण	-	
9	आदिवासी बालक आश्रम सिंगारपुर शौचालय/स्नानागार निर्माण	पिथौरा	5.00	5.00	पूर्ण	-	
10	आदिवासी कन्या आश्रम पिरदा बोर खनन	पिथौरा	2.10	2.10	पूर्ण	-	
	योग :-		57.10	37.44			
11	प्री0मै0 अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बसना का आदर्श उन्नयन कार्य	बसना	25.00	16.86	पूर्ण	-	
12	प्री0मै0 आदिवासी बालक छात्रावास बसना अनुसूचित कार्य	बसना	4.51	4.51	पूर्ण	-	
	योग :-		29.51	21.37			
13	आदिवासी कन्या आश्रम छुईपाली का आदर्श उन्नयन कार्य	सरायपाली	25.00	25.00	पूर्ण	-	
	योग :-		25.00	25.00			
	महायोग :-		191.16	142.94			

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास महासमुन्द

वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुरक्षण/लघु निर्माण योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की जानकारी

(राशि लाखों में)

क	संस्था/कार्य का नाम	विकास खण्ड	स्वी0 राशि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति		कार्य एजेंसी का नाम
					पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, खैरा महासमुन्द में आहाता निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य	महासमुन्द	11.22	11.22	कार्य पूर्ण	-	
2	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, डुमरपाली में अनुरक्षण कार्य	महासमुन्द	6.50	3.57	कार्य पूर्ण	-	
3	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, महासमुन्द में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	महासमुन्द	10.00	9.37	कार्य पूर्ण	-	
4	आदिवासी कन्या आश्रम, सिरपुर में अतिरिक्त कक्ष एवं अनुरक्षण कार्य	महासमुन्द	18.00	17.59	कार्य पूर्ण	-	
5	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, खट्टी में अनुरक्षण कार्य	महासमुन्द	3.40	3.40	कार्य पूर्ण	-	
6	प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, सिरपुर में अनुरक्षण कार्य	महासमुन्द	8.00	7.79	कार्य पूर्ण	-	
7	प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, रायतुम में अनुरक्षण कार्य	महासमुन्द	3.58	3.50	कार्य पूर्ण	-	
8	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, झलप में अनुरक्षण कार्य	महासमुन्द	6.50	2.93	कार्य पूर्ण	-	
9	प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास झारा में अनुरक्षण कार्य	महासमुन्द	7.45	7.38	कार्य पूर्ण	-	
10	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, महासमुन्द में पोताई कार्य	महासमुन्द	2.00	1.16	कार्य पूर्ण	-	
11	प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, भोसिंग में पोताई कार्य	महासमुन्द	2.00	1.06	कार्य पूर्ण	-	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास महासमुन्द
	योग :-		78.65	68.97			
12	प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, खल्लारी में अनुरक्षण कार्य	बागबाहरा	7.40	7.27	कार्य पूर्ण	-	
13	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, बी.के.बाहरा में अनुरक्षण कार्य	बागबाहरा	3.70	2.26	कार्य पूर्ण	-	
14	आदिवासी कन्या आश्रम, कोमाखान में अनुरक्षण कार्य	बागबाहरा	9.81	9.81	कार्य पूर्ण	-	
15	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, बागबाहरा में पोताई कार्य	बागबाहरा	2.00	0.500	कार्य पूर्ण	-	
	योग :-		22.91	19.84			
16	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, पिथौरा में अनुरक्षण कार्य	पिथौरा	7.00	4.80	-	अपूर्ण	
17	आदिवासी बालक आश्रम तरेकेला में अनुरक्षण कार्य	पिथौरा	5.30	1.60	कार्य पूर्ण	-	
18	प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, पिरदा में अनुरक्षण कार्य	पिथौरा	8.00	7.79	कार्य पूर्ण	-	
19	प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, पिथौरा में अनुरक्षण कार्य	पिथौरा	9.06	5.60	-	अपूर्ण	
20	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, सावित्रीपुर में पोताई कार्य	पिथौरा	2.00	0.98	कार्य पूर्ण	-	
21	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, पिरदा में पोताई कार्य	पिथौरा	2.00	1.58	कार्य पूर्ण	-	
22	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, बम्हनी में पोताई कार्य	पिथौरा	2.00	1.28	कार्य पूर्ण	-	
23	आदिवासी बालक आश्रम बरेकेल खुर्द में पोताई कार्य	पिथौरा	2.00	0.65	कार्य पूर्ण	-	
	योग :-		37.36	24.28			

क	संस्था / कार्य का नाम	विकास खण्ड	स्वी0 राशि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति		कार्य एजेंसी का नाम
					पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, बड़ेसाजापाली में अनुरक्षण कार्य	बसना	6.00	2.89	कार्य पूर्ण	-	
25	आदिवासी बालक आश्रम, छोटेटेमरी में अनुरक्षण कार्य	बसना	6.00	5.86	कार्य पूर्ण	-	
26	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, बसना में अनुरक्षण कार्य	बसना	9.40	9.15	कार्य पूर्ण	-	
27	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, गढ़फुलझर में अनुरक्षण कार्य	बसना	9.06	0.00	-	अपूर्ण	
28	आदिवासी कन्या आश्रम, बसना में अनुरक्षण कार्य	बसना	9.81	9.65	कार्य पूर्ण	-	
29	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, बिछिया में अनुरक्षण कार्य	बसना	8.70	0.00	-	अपूर्ण	
	योग :-		48.97	27.55			
30	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, पाटसेन्द्री में अनुरक्षण कार्य	सरायपाली	3.40	2.48	कार्य पूर्ण	-	
31	प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, सरायपाली में अनुरक्षण कार्य	सरायपाली	8.35	1.77	कार्य पूर्ण	-	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास महासमुंद
32	आदिवासी कन्या आश्रम, चट्टीगिरोला में अनुरक्षण कार्य	सरायपाली	6.31	4.90	कार्य पूर्ण	-	
33	आदिवासी बालक आश्रम, अमरकोट में अनुरक्षण कार्य	सरायपाली	6.35	6.19	कार्य पूर्ण	-	
34	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, बलोदा में अनुरक्षण कार्य	सरायपाली	7.24	6.46	कार्य पूर्ण	-	
35	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, सरायपाली में अनुरक्षण कार्य	सरायपाली	9.40	5.05	कार्य पूर्ण	-	
36	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, सरायपाली में अनुरक्षण कार्य	सरायपाली	7.50	7.22	कार्य पूर्ण	-	
37	प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, सरायपाली में अनुरक्षण कार्य	सरायपाली	8.35	7.27	कार्य पूर्ण	-	
38	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, तोषगांव में अनुरक्षण कार्य	सरायपाली	2.00	0.79	कार्य पूर्ण	-	
39	पो-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, सरायपाली में पोताई कार्य	सरायपाली	2.00	1.00	कार्य पूर्ण	-	
40	आदिवासी कन्या आश्रम लुडुमचुंवा में पोताई कार्य	सरायपाली	2.00	1.57	कार्य पूर्ण	-	
	योग :-		62.90	44.70			
	महायोग :-		250.79	185.34			

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित/लघु निर्माण योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की जानकारी

(राशि लाखों में)

क्र	संस्था/कार्य का नाम	विकास खण्ड	स्वी0 राशि	व्यय राशि	कार्य की		कार्य एजेंसी का नाम
					पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, झलप का भवन का छत मरम्मत कार्य	महासमुन्द	9.80	0.00	-	अपूर्ण	
2	आदिवासी बालक आश्रम, परसदा का खिडकी, दरवाजा, पाईप लाईन एवं भवन का रंगाई-पोताई कार्य	महासमुन्द	10.20	0.00	-	अपूर्ण	
3	प्री0मै अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, महासमुन्द भवन का छत मरम्मत, फ्लोर, शौचालय स्नानागार, दरवाजा-खिडकी एवं रंगाई-पोताई	महासमुन्द	15.00	0.00	-	अपूर्ण	
4	प्री0मै अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, नरतौरा भवन का छत मरम्मत, फ्लोर, शौचालय स्नानागार, दरवाजा-खिडकी एवं रंगाई-पोताई	महासमुन्द	8.00	0.00	-	अपूर्ण	
5	प्री0मै अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, भोरिंग भवन का छत मरम्मत, फ्लोर, शौचालय स्नानागार, दरवाजा-खिडकी एवं रंगाई-पोताई	महासमुन्द	6.00	0.00	-	अपूर्ण	
	योग :-		49.00	0.00			
6	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, बी.के.बाहरा का भवन का छत मरम्मत, फ्लोर, बिजली मरम्मत एवं रंगाई-पोताई	बागबाहरा	4.67	3.892	पूर्ण	-	
7	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, बागबाहरा भवन का छत मरम्मत, फ्लोर, बिजली मरम्मत एवं रंगाई-पोताई	बागबाहरा	7.50	0.00	-	अपूर्ण	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास महासमुन्द
8	प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, बागबाहरा भवन का छत मरम्मत, फ्लोर, बिजली मरम्मत एवं रंगाई-पोताई	बागबाहरा	7.83	3.75	-	अपूर्ण	
9	प्री0मै अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, बागबाहरा भवन का छत मरम्मत, फ्लोर, शौचालय स्नानागार, दरवाजा-खिडकी एवं रंगाई-पोताई	बागबाहरा	8.00	0.000	-	अपूर्ण	
	योग :-		28.00	7.64			
10	प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, बुन्देली छत मरम्मत, दरवाजा, खिडकी मरम्मत एवं रंगाई-पोताई	पिथौरा	6.45	5.297	पूर्ण	-	
11	आदिवासी कन्या आश्रम, सागुनढाप छत मरम्मत, दरवाजा, खिडकी मरम्मत, फ्लोर टी0/वी0 टाइल्स एवं रंगाई-पोताई	पिथौरा	13.55	0.00	-	अपूर्ण	
	योग :-		20.00	5.30			
12	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, सिधनपुर भवन का छत मरम्मत, फ्लोर, बिजली मरम्मत, दरवाजा-खिडकी एवं रंगाई-पोताई	बसना	19.79	0.00	-	अपूर्ण	
	योग :-		19.79	0.00			

क	संस्था / कार्य का नाम	विकास खण्ड	स्वी0 राशि	व्यय राशि	कार्य की		कार्य एजेंसी का नाम
					पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	प्री0में अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, बलौदा भवन का छत मरम्मत, फलोर, बिजली मरम्मत, दरवाजा-खिडकी, डबलु सी0 पान एवं रंगई-पोताई	सरायपाली	5.00	0.00	-	अपूर्ण	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास महासमुंद
14	प्री0में अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, सरायपाली भवन का छत मरम्मत, फलोर, शौचालय स्नानागार, दरवाजा-खिडकी एवं रंगई-पोताई	सरायपाली	15.00	0.00	-	अपूर्ण	
	योग :-		20.00	0.00	-	-	
	महायोग :-		136.79	12.94	-	-	


अनुभाग अधिकारी
आ.जा. संस्था अनु.जा.वि. विभाग
मंत्रालय, मेवा रायपुर, अटल नगर

पॉरीशेष्ट - पचपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 844) की जानकारी

प्रपत्र अ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (कृषि फसल) अंतर्गत संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र से संबंधित तहसीलो में फसल बीमा की जानकारी

स.क्र.	जिला	तहसील का नाम	वर्ष	मौसम	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा (हे.)
1	बालोद	बालोद	2023	खरीफ	मक्का	1	0.300
					धान सिंचित	7174	7355.729
					धान असिंचित	1415	1519.522
					तहसील बालोद योग		8590
2	बालोद	गुरुर	2023	खरीफ	धान सिंचित	15459	16747.070
					धान असिंचित	1999	2358.016
					तहसील गुरुर योग		17458
3	तहसील- बालोद एवं गुरुर खरीफ वर्ष 2023 योग (1+2)					26048	27980.637
4	बालोद	बालोद	2023-24	रबी	चना	619	579.999
					राई सरसों	96	68.080
					गेंहू सिंचित	24	18.160
					गेंहू असिंचित	5	1.590
					तहसील बालोद योग		744
5	बालोद	गुरुर	2023-24	रबी	चना	6945	6936.222
					राई सरसों	299	236.202
					गेंहू सिंचित	99	63.570
					गेंहू असिंचित	10	4.800
					तहसील गुरुर योग		7353
6	तहसील- बालोद एवं गुरुर रबी वर्ष 2023-24 योग (4+5)					8097	7908.623
7	तहसील- बालोद एवं गुरुर खरीफ एवं रबी वर्ष 2023-24 योग (3+6)					34145	35889.260
स.क्र.	जिला	तहसील का नाम	वर्ष	मौसम	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा (हे.)
1	बालोद	बालोद	2024	खरीफ	धान सिंचित	6972	6595.730
					धान असिंचित	1480	1459.553
					तहसील बालोद योग		8452
2	बालोद	गुरुर	2024	खरीफ	कोदो	5	6.130
					धान सिंचित	14892	15867.884
					धान असिंचित	1905	2316.787
					तहसील गुरुर योग		16802
3	तहसील- बालोद एवं गुरुर खरीफ वर्ष 2024 योग (2+3)					25254	26246.083
4	बालोद	बालोद	2024-25	रबी	चना	628	590.230
					राई सरसों	256	257.801
					गेंहू सिंचित	15	10.460
					गेंहू असिंचित	1	0.390
					तहसील बालोद योग		900
5	बालोद	गुरुर	2024-25	रबी	चना	7341	7651.521
					राई सरसों	251	195.750
					गेंहू सिंचित	62	47.690
					गेंहू असिंचित	2	3.060
					तहसील गुरुर योग		7656
6	तहसील- बालोद एवं गुरुर रबी वर्ष 2024-25 योग (4+5)					8556	8756.902
7	तहसील- बालोद एवं गुरुर खरीफ एवं रबी वर्ष 2024-25 योग (3+6)					33810	35002.985

(विकास मंत्री)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

राज्य, नवा रायपुर, अटल नगर

नोडल अधिकारी (वि.स)

संचालनालय कृषि छ.ग. रायपुर

छ.ग. रायपुर

पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (उद्यानिकी फसल)
किसानों द्वारा कराये गये फसल बीमा एवं बीमा दावा भुगतान की जानकारी
राशि लाख में रकबा हेक्टेयर में

वर्ष	मौसम	जिला	तहसील	फसल	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा	वितरित दावा राशि		लंबित दावा राशि	
							कृषक संख्या	दावा राशि	कृषक	दावा राशि
2023	खरीफ	बालोद	बालोद	केला	1	0.14	0	0.000	0	0
2023	खरीफ	बालोद	बालोद	बैंगन	31	5.00	23	0.065	0	0
2023	खरीफ	बालोद	बालोद	मिर्च	2	0.30	1	0.000	0	0
2023	खरीफ	बालोद	बालोद	टमाटर	51	12.65	62	0.540	0	0
2023	खरीफ	बालोद	गुरुर	केला	3	1.00	0	0.000	0	0
2023	खरीफ	बालोद	गुरुर	बैंगन	12	8.85	13	0.141	0	0
2023	खरीफ	बालोद	गुरुर	मिर्च	1	0.10	0	0.000	0	0
2023	खरीफ	बालोद	गुरुर	टमाटर	12	2.88	0	0.000	0	0
योग खरीफ 2023					113	30.92	99	0.746	0	0
2023-24	रबी	बालोद	बालोद	बैंगन	33	6.39	13	0.023	0	0
2023-24	रबी	बालोद	बालोद	फूलगोभी	4	1.29	0	0.000	0	0
2023-24	रबी	बालोद	बालोद	प्याज	10	1.95	4	0.008	0	0
2023-24	रबी	बालोद	बालोद	टमाटर	67	16.04	0	0.000	0	0
2023-24	रबी	बालोद	गुरुर	बैंगन	13	4.26	0	0.000	0	0
2023-24	रबी	बालोद	गुरुर	पत्तागोभी	1	0.59	0	0.000	0	0
2023-24	रबी	बालोद	गुरुर	फूलगोभी	2	0.61	0	0.000	0	0
2023-24	रबी	बालोद	गुरुर	प्याज	21	4.58	0	0.000	0	0
2023-24	रबी	बालोद	गुरुर	टमाटर	26	7.26	0	0.000	0	0
योग रबी 2023-24					177	42.97	17	0.031	0	0
योग वर्ष 2023-24					290	73.89	116	0.777	0	0
2024	खरीफ	बालोद	बालोद	केला	1	0.30				
2024	खरीफ	बालोद	बालोद	बैंगन	17	3.14				
2024	खरीफ	बालोद	बालोद	मिर्च	2	0.23				
2024	खरीफ	बालोद	बालोद	अमरुद	1	0.27				
2024	खरीफ	बालोद	बालोद	टमाटर	32	12.95				
2024	खरीफ	बालोद	गुरुर	बैंगन	3	1.40				
2024	खरीफ	बालोद	गुरुर	मिर्च	1	0.50				
2024	खरीफ	बालोद	गुरुर	अमरुद	1	1.00				
2024	खरीफ	बालोद	गुरुर	टमाटर	13	4.70				
योग खरीफ 2024					71	24.49				
2024-25	रबी	बालोद	बालोद	बैंगन	5	0.12				
2024-25	रबी	बालोद	बालोद	पत्तागोभी	6	0.14				
2024-25	रबी	बालोद	बालोद	फूलगोभी	14	0.56				
2024-25	रबी	बालोद	बालोद	प्याज	11	2.13				
2024-25	रबी	बालोद	बालोद	टमाटर	33	21.22				
2024-25	रबी	बालोद	गुरुर	बैंगन	5	3.14				
2024-25	रबी	बालोद	गुरुर	फूलगोभी	2	0.60				
2024-25	रबी	बालोद	गुरुर	प्याज	4	1.00				
2024-25	रबी	बालोद	गुरुर	टमाटर	22	7.79				
योग रबी 2024-25					102	36.70				
योग वर्ष 2024-25					173	61.19				

अधिसूचित उद्यानिकी फसलों में से टमाटर फसल के लिए दावा राशि के गणना का कार्य प्रक्रियाधीन है। खरीफ मौसम हेतु शेष फसल(बैंगन, अमरुद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक) एवं रबी मौसम में अधिसूचित समस्त फसल (टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज एवं आलू) की फसल अवधि का समाप्त होना शेष है। फसल अवधि समाप्ति उपरांत क्षतिपूर्ति राशि की गणना कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

(विकास मिश्रा)

उप संचय

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

प्रपत्र स

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (कृषि फसल) अंतर्गत बीमा दावा भुगतान से लाभान्वित कृषक एवं शेष दावा भुगतान की जानकारी

स.क्र.	जिला	तहसील का नाम	वर्ष	मौसम	फसल का नाम	दावा भुगतान		दावा भुगतान हेतु शेष		भुगतान की संभावित तिथि
						कृषक संख्या	राशि (लाख रू. में)	कृषक संख्या	राशि (लाख रू. में)	
1	बालोद	बालोद	2023	खरीफ	धान सिंचित	2	0.347			निरंक
					धान असिंचित	4	0.584			
					तहसील बालोद योग		6			
2	बालोद	गुरुर	2023	खरीफ	धान सिंचित	6	0.178			निरंक
					धान असिंचित	502	83.723			
					तहसील गुरुर योग		508			
3	तहसील- बालोद एवं गुरुर खरीफ वर्ष		2023 योग (1+2)		514	84.832				
4	बालोद	बालोद	2023-24	रबी	चना	232	4.292			निरंक
					राई सरसों	97	3.345			
					गेंहू सिंचित	3	0.108			
					गेंहू असिंचित	5	0.121			
					तहसील बालोद योग		337			
5	बालोद	गुरुर	2023-24	रबी	राई सरसों	4	0.116			निरंक
					गेंहू सिंचित	41	4.587			
					चना	745	86.098			
					तहसील गुरुर योग		790			
6	तहसील- बालोद एवं गुरुर रबी वर्ष		2023-24 योग (4+5)		1127	98.667	1	0.069	संबंधित कृषकों का बैंक खाता त्रुटिपूर्ण होने के कारण दावा राशि का भुगतान विफल हुआ है। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में कृषकों का आवेदन सत्यापित होने के पश्चात् डीजी क्लेम मॉड्यूल के माध्यम से दावा राशि का भुगतान किया जावेगा।	
7	तहसील- बालोद एवं गुरुर खरीफ एवं रबी वर्ष		2023-24 योग (3+6)		1641	183.499	1	0.069		

स.क्र.	जिला	तहसील का नाम	वर्ष	मौसम	फसल का नाम	दावा भुगतान		दावा भुगतान हेतु शेष		भुगतान की संभावित तिथि
						कृषक संख्या	राशि (लाख रू. में)	कृषक संख्या	राशि (लाख रू. में)	
1	बालोद	बालोद	2024	खरीफ	धान सिंचित					राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में दावा गणना एवं दावा राशि के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
		धान असिंचित								
		कोदो								
		धान सिंचित								
		धान असिंचित								
खरीफ वर्ष 2024 योग										
2	बालोद	बालोद	2024-25	रबी	चना					योजनांतर्गत फसल कटाई प्रयोग उपरांत उपज आंकड़े प्राप्त होने के पश्चात् दावा गणना एवं दावा राशि का भुगतान पात्रतानुसार बीमित कृषकों को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डिजी क्लेम मॉड्यूल के माध्यम से किया जावेगा।
					राई सरसों					
					गेंहू सिंचित					
					गेंहू असिंचित					
					चना					
					राई सरसों					
					गेंहू सिंचित					
गेंहू असिंचित										
रबी वर्ष 2024-25 योग										

हस्ता/-

नोडल अधिकारी (वि.स)
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर


(विकास निष्ठा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - छप्पन

अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 845) की जानकारी

प्रपत्र-अ

क्रं.	वर्ष	छात्रावास निर्माण कार्यो की संख्या	स्वीकृत राशि	छात्रावास दीर्घ व लघु मरम्मत कार्यो की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1	2022-23	2	383.02	20	174.19
2	2023-24	0	0.00	37	389.58
3	2024-25 (जनवरी 2025 तक)	0	0.00	3	35.86
योग :-		2	383.02	60	599.63

Sams

अनुभाग अधिकारी
अ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
भद्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-ब

बालोद जिले में 2022-23 से 2024-25 में दिनांक 31 जनवरी, 2025 तक विभागीय छात्रावासों में निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि तथा पूर्ण, प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ कार्यों की जानकारी

क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	कार्य का प्रगति
1	2	3	4	5	6
वित्तीय वर्ष 2022-23					
1	पो.मै.आदि.कन्या छात्रा.गुरुर मे भवन जीर्णोद्धार	17.03	17.03	9.45	पूर्ण
2	पो.मै.आदि.कन्या छात्रा.अर्जुन्दा मे भवन जीर्णोद्धार	17.03	17.03	8.59	पूर्ण
3	प्री.मै.आदि.कन्या छात्रा.डौंडीलोहारा मे भवन जीर्णोद्धार	17.00	17.00	16.08	पूर्ण
4	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.चिखलाकसा मे भवन जीर्णोद्धार	17.00	17.00	9.68	पूर्ण
5	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.मरदेल मे भवन जीर्णोद्धार	17.00	17.00	9.39	पूर्ण
6	प्री.मै.अ.ज.जा.बा.छा. आ.डौण्डी क्र.1 डौण्डी में शौचालय स्नानागार मरम्मत, विद्युतीकरण एवं दरवाजा खिडकी मरम्मत कार्य	3.50	3.50	3.38	पूर्ण
7	प्री.मै.अ.ज.जा.बा.छा.आ.डौण्डी क्र. 2 डौण्डी में शौचालय स्नानागार मरम्मत, विद्युतीकरण एवं दरवाजा खिडकी मरम्मत कार्य	3.50	3.50	3.50	पूर्ण
8	पो.मै.आदि.कन्या छात्रावास मंगचुवा में रंगरोगन विद्युतीकरण कार्य	3.50	3.50	2.79	पूर्ण
9	प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास माटागांव (बी) में छत मरम्मत शौचालय स्नानागार मरम्मत, विद्युतीकरण एवं दरवाजा खिडकी मरम्मत कार्य	5.00	5.00	4.86	पूर्ण
10	प्री.मै.आदि.बालक छात्रावास माटागांव (आर) में छत मरम्मत शौचालय स्नानागार मरम्मत, विद्युतीकरण एवं दरवाजा खिडकी मरम्मत कार्य	5.00	5.00	4.99	पूर्ण
11	प्री.मै. सूरज बालक छात्रावास डौण्डी में छत मरम्मत शौचालय स्नानागार मरम्मत, विद्युतीकरण एवं दरवाजा खिडकी मरम्मत कार्य	7.00	7.00	6.99	पूर्ण
12	प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास चिखलाकसा में छत मरम्मत शौचालय स्नानागार मरम्मत, विद्युतीकरण एवं दरवाजा खिडकी मरम्मत कार्य	7.79	7.79	7.78	पूर्ण
13	प्री.मै.आदि.बालक छात्रावास डौंडीलोहारा का भवन जीर्णोद्धार कार्य	0.49	0.49	0.48	पूर्ण
14	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रा.अर्जुन्दा में दरवाजा खिडकी एवं रंगरोगन कार्य	3.50	3.50	3.49	पूर्ण
15	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.आमाडुला में छत मरम्मत, विद्युतीकरण एवं रंगरोगन कार्य	10.50	10.50	10.49	पूर्ण
16	प्री.मै.आदि.बालक छा.मरीटोला में शौचालय स्नानागार मरम्मत एवं विद्युतीकरण कार्य	5.04	5.04	5.03	पूर्ण
17	पो.मै.आदि.कन्या छात्रा.अर्जुन्दा में बाऊडरीवाल उचीकरण	5.40	5.40	2.85	पूर्ण
18	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.घोटिया का भवन जीर्णोद्धार कार्य	5.78	5.78	4.95	पूर्ण
19	प्री.मै.आदि.बालक छात्रावास डौंडीलोहारा में दरवाजा मरम्मत कार्य	3.13	3.13	3.09	पूर्ण
20	पो.मै.अनु.जनजाति कन्या छात्रावास मंगचुवा	191.51	183.90	182.89	पूर्ण
21	पो.मै.अन्य पिछडा वर्ग बालक छात्रावास बालोद	191.51	191.51	166.48	पूर्ण
22	प्री.मै.आदि. बालक छात्रा.गुरुर के भवन जीर्णोद्धार कार्य	20.00	20.00	9.35	पूर्ण
योग		557.21	549.60	476.57	

क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	कार्य का प्रगति
1	2	3	4	5	6
वित्तीय वर्ष 2023-24					
1	आदर्श बालक छात्रावास क्रमांक 02 डौंडी में छत मरम्मत कार्य	15.64	15.64	15.62	पूर्ण
2	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास गुरुर में अधीक्षक आवास गृह मरम्मत कार्य	3.55	3.55	3.53	पूर्ण
3	प्री.मै.आदि.बालक छात्रावास भंवरमरा में दरवाजा, खिडकी एवं छत मरम्मत कार्य	5.93	5.93	5.33	पूर्ण
4	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास संबलपुर में छत मरम्मत एवं रंगरोगन कार्य	19.25	19.25	15.78	पूर्ण
5	प्री.मै.आदि.कन्या छात्रावास खेस्थाबाजार में दरवाजा खिडकी एवं रंगरोगन कार्य	7.76	7.76	7.73	पूर्ण
6	प्री.मै.आदि.बालक छात्रावास बड़गांव में दरवाजा खिडकी एवं रंगरोगन कार्य	5.83	5.83	3.26	पूर्ण
7	प्री.मै.आदि.बालक छात्रावास रेंगाडबरी में शौचालय, दरवाजा खिडकी मरम्मत एवं विद्युतीकरण कार्य	7.48	7.48	1.94	पूर्ण
8	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास बालोद में छत मरम्मत कार्य	20.00	20.00	11.25	पूर्ण
9	प्री.मै.आदि.कन्या छात्रावास बालोद में छत मरम्मत कार्य	20.00	20.00	8.69	पूर्ण
10	प्री.मै.आदि.बालक छात्रावास गुरुर में आहता ऊंचीकरण कार्य	6.24	6.24	6.22	पूर्ण
11	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास अर्जुन्दा में छत मरम्मत कार्य	20.00	20.00	11.30	पूर्ण
12	प्री.मै.आदि.बालक छात्रावास कुसुमकसा में छत, फ्लोरिंग एवं विद्युतीकरण कार्य	20.00	20.00	16.78	पूर्ण
13	प्री.मै.आदि.बालक छात्रावास घीना में खिडकी मरम्मत एवं विद्युतीकरण कार्य	6.35	6.35	6.31	पूर्ण
14	पो.मै.आदि.बालक छात्रावास दल्लीराजहरा में छत जीर्णोद्धार, बोरेल एवं पाईप लाईन विस्तार कार्य	18.93	18.93	14.55	पूर्ण
15	पो.मै.आदि.बालक छात्रावास दल्लीराजहरा में शौचालय निर्माण एवं रंगरोगन कार्य	18.57	18.57	12.27	पूर्ण
16	आदर्श बालक छात्रावास कं01 डौण्डी में बोरेल एवं पानी सप्लाई कार्य	3.00	3.00	3.00	पूर्ण
17	प्री.मै.आदि.बालक छात्रावास कमकापार में छत जीर्णोद्धार एवं विद्युतीकरण कार्य	10.00	10.00	8.80	पूर्ण
18	प्री.मै.ट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भरौटोला में आहता निर्माण	12.00	12.00	8.88	पूर्ण
19	प्री.मै.ट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास दल्ली राजहरा में आहता निर्माण	12.00	12.00	11.98	पूर्ण
20	प्री.मै.ट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास नरटोला में आहता निर्माण	12.00	12.00	10.77	पूर्ण
21	प्री.मै.ट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास डौण्डी में आहता निर्माण	12.00	12.00	8.28	पूर्ण
22	प्री.मै.ट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास रेंगाडबरी में आहता निर्माण	12.00	12.00	0.00	अप्रारंभ स्थल संशोधन हेतु प्रस्तावित
23	प्री.मै.ट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भरौटोला में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण	5.53	5.53	4.64	पूर्ण
24	प्री.मै.ट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास घोटिया में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण	5.53	5.53	4.71	पूर्ण
25	प्री.मै.ट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास मंगुचुवा वि.ख. डौण्डीलोहारा में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण	5.53	5.53	5.53	पूर्ण
26	प्री.मै.ट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास डौण्डीलोहारा में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण	5.53	5.53	5.53	पूर्ण
27	प्री.मै.ट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास सुरेगांव में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण	5.53	5.53	2.75	पगतिसत्
28	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.कोटागांव में आहता निर्माण कार्य	12.00	12.00	4.08	पूर्ण
29	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा. क्र.01 डौण्डी में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण कार्य	5.53	5.53	3.67	पूर्ण
30	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.घीना में आहता निर्माण कार्य	11.39	11.39	8.75	पूर्ण
31	पो.मै.आदि.बालक छात्रा.डौंडीलोहारा में आहता निर्माण कार्य	11.39	11.39	6.83	प्रगति पर
32	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.मंगलतराई में आहता निर्माण कार्य	11.39	11.39	8.77	पूर्ण
33	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.बंजारी अनुरक्षण अनुदान एवं वार्षिक मरम्मत कार्य	5.90	5.90	4.65	पूर्ण
34	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.मैसबोड अनुरक्षण अनुदान एवं वार्षिक मरम्मत कार्य	5.90	5.90	4.70	पूर्ण

क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	कार्य का प्रगति
1	2	3	4	5	6
35	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.डौण्डी अनुक्षण अनुदान एवं वार्षिक मरम्मत कार्य	5.90	5.90	4.65	पूर्ण
36	प्री.मै.आदि.कन्या छात्रा.डौण्डीलोहार में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	12.00	7.20	7.20	प्रगति पर
37	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.बालोद में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	12.00	7.20	7.20	प्रगति पर
	योग	389.58	379.98	275.92	
वित्तीय वर्ष 2024-25 (जनवरी 2025 तक)					
1	प्री0मै0 अनु0ज0आदर्श बालक छात्रावास कं01 डौण्डी अतिरिक्त कक्ष निर्माण	10.00	10.00	8.00	प्रगति पर
2	प्री0मै0 अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास बालोद में आहाता जूरी करण	6.07	6.07	5.97	प्रगति पर
3	प्री0 मै0 अनु0ज0आदर्श बालक छात्रावास कं01 डौण्डी अतिरिक्त कक्ष निर्माण	19.79	19.79	13.60	प्रगति पर
	योग:-	35.86	35.86	27.57	
	महायोग:-	982.65	965.44	780.06	


अनुभाग अधिकारी
श्री.ज. तथा अनु.जा.वि. विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

पारिशेष्ट - सनतावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 847) की जानकारी


क्र.	वर्ष	जिला	विकासखंड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	पूर्ण	निरस्त
1	2021-22	राजनांदगांव	राजनांदगांव	जिला राजनांदगांव अंतर्गत मंडी समिति बाधाबाजार में 500 मी. टन गोदाम 2 नग मंडी समिति डोंगरगांव में 1000 मी. टन गोदाम 1 नग (कुल 3 नग)।	101.50	पूर्ण	-
2	2021-22	राजनांदगांव	खैरागढ़	जिला राजनांदगांव अंतर्गत मंडी समिति खैरागढ़ में 1800 मी. टन गोदाम 01 नग गोदाम निर्माण।	71.39	पूर्ण	-
3	2021-22	राजनांदगांव	राजनांदगांव	1800 मी. टन 02 नग गोदाम निर्माण मण्डी प्रांगण राजनांदगांव	142.78	पूर्ण	-
4	2021-22	राजनांदगांव	डोंगरगांव	जिला राजनांदगांव अंतर्गत मण्डी डोंगरगांव में विभिन्न क्षमताओं के कुल 01 नग।	93.66	पूर्ण	-
5	2021-22	राजनांदगांव	मोहला	वि.स.क्षे. मोहला वि.ख. मानपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत तोरगांव में स्लेब कवर्ट निर्माण।	48.45	पूर्ण	-
6	2021-22	राजनांदगांव	मोहला	वि.स.क्षे. मोहला वि.ख. मानपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत पुसवाड़ा एवं कोसमी में स्लेब कवर्ट निर्माण।	54.06	पूर्ण	-
7	2021-22	राजनांदगांव	मोहला	वि.स.क्षे. मोहला वि.ख. मानपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत देवसुर में संदर्भ नाला में स्लेब कवर्ट निर्माण।	54.23	पूर्ण	-
8	2021-22	राजनांदगांव	मोहला	ग्राम पंचायत बसेली में सी.सी. रोड निर्माण।	9.68	-	निरस्त
9	2021-22	राजनांदगांव	मोहला	ग्राम पंचायत पानवरस में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	9.26	-	निरस्त
10	2022-23	राजनांदगांव	राजनांदगांव	जिला राजनांदगांव वि.ख. डोंगरगांव अंतर्गत ग्राम पंचायत भैसातश एवं ग्राम जोगीदल्ली में शीतला भवन एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य।	13.46	पूर्ण	-

वर्ष-2021-22 से 2024-25 (जून 2024 तक)
बोर्ड निधि की जानकारी।

10

वर्ष	जिला	विकासखंड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	पूर्ण	निरस्त	
11	2022-23	राजनांदगांव	जोगरगांव	कोनासी में 04 नग कच्छरीड एवं सी.सी. रोड निर्माण कार्य	24.54	पूर्ण	-
12	2021-22	राजनांदगांव	राजनांदगांव	तुमडीबाड में 04 नग कच्छरीड एवं सी.सी. रोड निर्माण कार्य	48.86	पूर्ण	-
13	2022-23	राजनांदगांव	जोगरगांव	हाटबाजार निर्माण ग्राम कोकपुर	37.22	पूर्ण	-
14	2022-23	राजनांदगांव	जोगरगांव	हाटबाजार निर्माण ग्राम अलीवारा	24.73	पूर्ण	-
15	2022-23	राजनांदगांव	जोगरगांव	हाटबाजार निर्माण ग्राम विलहारी	22.94	पूर्ण	-
16	2022-23	राजनांदगांव	जोगरगांव	हाटबाजार निर्माण ग्राम नरायणगढ़	50.02	पूर्ण	-
17	2022-23	राजनांदगांव	खैरागढ़	ग्राम जुनवानी में सी.सी. रोड निर्माण ।	17.93	पूर्ण	-
18	2022-23	राजनांदगांव	छुईखदान	ग्राम भुरभुसी में सी.सी. रोड निर्माण ।	48.73	पूर्ण	-
19	2023-24	राजनांदगांव	जोगरगांव	ग्राम पंचायत पारनावाकला डबलुशीएम रोड	11.05	पूर्ण	-
20	2023-24	राजनांदगांव	जोगरगांव	ग्राम पंचायत बोदला / पैडेथी डबलुशीएम रोड	14.98	पूर्ण	-
21	2023-24	राजनांदगांव	जोगरगांव	ग्राम पंचायत पारनागांव / आरबीरा डबलुशीएम रोड	21.80	पूर्ण	-
22	2023-24	राजनांदगांव	जोगरगांव	ग्राम पंचायत खपरीकला डबलुशीएम रोड	10.86	पूर्ण	-
23	2023-24	राजनांदगांव	जोगरगांव	ग्राम पंचायत बोदला / बरहापुर डबलुशीएम रोड	18.03	पूर्ण	-
24	2023-24	राजनांदगांव	जोगरगाढ़	ग्राम पंचायत जामरी अंतर्गत जाटकन्हार सेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग डबलुशीएम रोड	29.62	पूर्ण	-
25	2023-24	राजनांदगांव	जोगरगाढ़	ग्राम पंचायत बाकल डबलुशीएम रोड	45.84	पूर्ण	-
26	2023-24	राजनांदगांव	जोगरगाढ़	ग्राम पंचायत पनीयाजोब डबलुशीएम रोड	14.46	पूर्ण	-

क्र.सं.	वर्ष	जिला	विकासखंड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	पूर्ण	निरस्त
27	2023-24	राजनांदगांव	डोंगरगाढ़	जिला राजनांदगांव वि.ख. डोंगरगाढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत भैसातरा में बस स्टैंड में व्यावसायिक परिसर निर्माण कार्य।	22.56	-	निरस्त
28	2023-24	राजनांदगांव	डोंगरगाढ़	जिला राजनांदगांव वि.ख. डोंगरगाढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत भैसातरा में मंगल भवन निर्माण कार्य।	24.31	-	निरस्त
29	2023-24	राजनांदगांव	डोंगरगाढ़	जिला राजनांदगांव वि.ख. डोंगरगाढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत भैसातरा / ग्राम जोगीदल्ली में मंगल भवन निर्माण कार्य।	24.31	पूर्ण	-
30	2023-24	राजनांदगांव	डोंगरगाढ़	जिला राजनांदगांव वि.ख. डोंगरगाढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत भैसातरा / ग्राम जोगीदल्ली सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	29.00	पूर्ण	-
					1140.26		

(विकास प्रिंश) 
उप सचिव
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जल प्रशासिक विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

अधीक्षक अभियंता
छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
रायपुर (छ.ग.)

परोशेष्ट - अनठावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 848) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जिला राजनांदगांव व खैरागढ़ गण्डई में-छुईखदान-जल एव वायु सम्मति प्राप्त संचालित उद्योगों/व्यवसाय की नाम सहित जानकारी

जिला राजनांदगांव

क्रमांक	उद्योग/व्यवसाय का नाम एवं पता
1.	मेसर्स क्रस्ट स्टील एवं पावर प्राईवेट लिमिटेड। ग्राम-जोरातराई पोस्ट -मनगढ़ा जिला-राजनांदगांव।
2.	मेसर्स राजाराम मेज प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड ग्राम-भोथीपार अर्जुन्दा रोड जिला-राजनांदगांव।
3.	मेसर्स राजाराम मेज प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड। पावर डिविज़न(ग्राम-भोथीपार अर्जुन्दा रोड राजनांदगांव
4.	मेसर्स खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स ग्राम-फरहदत हसील एवं जिला-राजनांदगांव।
5.	मेसर्स ओरिएण्ट इरपात प्राईवेट लिमिटेड ग्राम-टेडेसरा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
6.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड ग्राम-इंदामारा पोस्ट पेण्डी जिला-राजनांदगांव।
7.	मेसर्स कमल साल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्राईवेट लिमिटेड जी.ई. रोड ग्राम- खुटेरी (सोमनी) जिला-राजनांदगांव।
8.	मेसर्स कमल फुड्स प्राईवेट लिमिटेड ग्राम-सोमनी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
9.	मेसर्स पंचशील साल्वेंट प्राईवेट लिमिटेड ग्राम-इंदामारा बाकल रोड तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
10.	मेसर्स सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग एण्ड फाउण्ड्री वर्क्स यूनिट-3 ग्राम-टेडेसरा जिला-राजनांदगांव।
11.	मेसर्स सिम्पलेक्स कास्टिंग लिमिटेड यूनिट-3 ग्राम-टेडेसरा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
12.	मेसर्स जया स्पेशलिटी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड ग्राम-मोहंदी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
13.	मेसर्स डोंगरगांव पेपर मिल प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-झींकाखार, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव।
14.	मेसर्स नाद नॉनवूवन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-नाथूनवागांव, तहसील-डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
15.	मेसर्स सनटेक जियोटेक्स टाईल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-नाथूनवागांव, तहसील-डोंगरगांव, जिला -राजनांदगांव।
16.	मेसर्स अन्नपूर्णा इण्डस्ट्रीज, ग्राम-जंगलपुर, डोंगरगांव रोड, जिला-राजनांदगांव।
17.	मेसर्स प्रगति प्लाई ग्राम ठेकुवा सोमनी तहसील एवं जिला राजनांदगांव।
18.	मेसर्स हाईटेक पेनल्स प्राईवेट लिमिटेड ग्राम खुटेरी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
19.	मेसर्स श्रीजी पेनल्स ग्राम सांकरा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
20.	मेसर्स केच बोर्ड प्राईवेट लिमिटेड ग्राम ठेकुवा सोमनी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
21.	मेसर्स एस0 के0 आर0 इण्डस्ट्रीज यूनिट-2 ग्राम डूमरडीहकला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
22.	मेसर्स श्री लेमक्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड ग्राम सांकरा सोमनी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
23.	मेसर्स श्री लेमिनेटस ग्राम-परमालकसा सोमनी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
24.	मेसर्स एवरग्रीन इंडस्ट्रीज ग्राम महरूगखुर्द तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
25.	मेसर्स रामस्वरूप हॉटमिक्स प्लांट ग्राम मगरटोला तहसील एवं जिलाराजनांदगांव।
26.	मेसर्स कालिटी कंस्ट्रक्शन ग्राम-जोरातराई तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
27.	मेसर्स एन सी नाहर आशीष इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड ग्राम देवादा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
28.	मेसर्स मल्होत्रा बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड ग्राम देवादा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
29.	मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी हॉटमिक्स ग्राम बोरी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
30.	मेसर्स अशोका बिल्डकॉन लि., ग्राम- तेलीटप्पा, तहसील-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव
31.	मेसर्स स्टील कास्ट एडग्राम टेडेसरा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
32.	मेसर्स चोपड़ा खनिज उद्योग ग्राम फरहद पो0 पनेका तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
33.	मेसर्स साक्षी लेबोरेट्रिज ग्राम नांदिया मगरटोला टेडेसरा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
34.	मेसर्स जे.एस. इण्डस्ट्रीज ग्राम जोरातराई तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
35.	मेसर्स संदीप सोप ग्राम रानीतराई तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
36.	मेसर्स चोपड़ा खनिज उद्योगग्राम फरहद पो0 पनेका तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
37.	मेसर्स कंवर सोप एण्ड डिस्टर्जेंट)पूर्व नाम गोल्ड मोहर खादी सेवा समीति (ग्राम -बोरी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
38.	मेसर्स शुभ इण्डस्ट्रीज, ग्राम- बुध्दुभरदा, तहसील- डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
39.	मेसर्स आकाश इण्डस्ट्रीज प्लांट नं0 31ओ0 क्षेत्र तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
40.	मेसर्स नालसन इंजिनियर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ग्राम टेडेसरा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
41.	मेसर्स आकाश एग्रो 3बी ओ0 क्षेत्र ममता नगर तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
42.	मेसर्स साई स्टील ग्राम ठेकवा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
43.	मेसर्स कृष्णा इण्डस्ट्रीज ग्राम तिलई तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
44.	मैं अंबा भवानी फेब इंजिनियरिंग वर्क्स लि. ग्राम मगरलोटा टेडेसरातहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
45.	मेसर्स साई कृपा इण्डस्ट्रीज ग्राम जोरातराई तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
46.	मेसर्स गियरकॉन लुब्रीकैन्ट ग्राम टेडेसरा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
47.	मेसर्स वीराटेक फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेडग्राम इंदवानी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
48.	मेसर्स उमिया स्टील्स ग्राम सोमनी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
49.	मेसर्स इंडियन बोन मिल एंड फर्टिलाइजर ग्राम चवेली तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
50.	मेसर्स डीकांस क्रॉप साईन्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम- घोरदा, तहसील- डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव।

51.	मेसर्स गिरधर स्टोन क्रशर ग्राम - चवेली जिला राजनांदगांव।
52.	मेसर्स श्री श्याम अग्रवालग्राम डुमरडीहकला जिला-राजनांदगांव।
53.	मेसर्स भागीरथी चक्रधारी स्टोन क्रशर युनिट 02 ग्राम जोरातराई तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
54.	मेसर्स सत्यनारायण शर्मा स्टोन क्रशर ग्राम-मुडीपार तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
55.	मेसर्स रितेश जैन स्टोन क्रशर ग्राम डुमरडीहकला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
56.	मेसर्स साहू गिटटी उद्योग नवागांव मुडीपार तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
57.	मेसर्स श्री शक्ति मिनरल्स ग्राम डुमरडीहकला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
58.	मेसर्स अरिहत मिनरल्स ग्राम कलडबरी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
59.	मेसर्स पदमा एसोसियेटेड्स स्टोन क्रशर (ग्राम साल्हेभरी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
60.	मेसर्स महेश कुमार लोहानी स्टोन क्रशर ग्राम जोरातराई तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
61.	मेसर्स सुलभ अग्रवाल लाईम स्टोन कारी ग्राम सालिक झिटिया तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
62.	मेसर्स रिकू स्टोन इण्डस्ट्रीज ग्राम डुमरडीहकला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
63.	मेसर्स जय अंबिका मिनरल्स क्रशर युनिट ग्राम डुमरडीहकला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
64.	मेसर्स मनींदर सिंह गरवा स्टोन क्रशर ग्राम डुमरडीहकला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
65.	मेसर्स रंगलानी मिनरल्स) स्टोन क्रशर (ग्राम डुमरडीहकला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
66.	मेसर्स श्रीमती संगीता जैन क्रशर ग्राम भनपुरी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
67.	मेसर्स सत्या मिनरल्स ग्राम चंवरडाल तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
68.	मेसर्स एस.एन.टी. मिनरल्स ग्राम चवेली तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
69.	मेसर्स श्री नरेश तलरेजा स्टोनक्रशर उद्योग ग्राम चवेली तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
70.	मेसर्स शिवलाल चक्रधारी स्टोन क्रशर जोरातराई तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
71.	मेसर्स पवन मिनरल्स ग्राम ठेल्काडीह खेरागढ रोड तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
72.	मेसर्स ललित स्टोन ग्राम डुमरडीहकला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
73.	मेसर्स ओम मिनरल्स ग्राम जोरातराई पोस्ट मनगढा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
74.	मेसर्स जैन क्रशर ग्राम बधेरा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
75.	मेसर्स श्री नवकार स्टोन ग्राम डुमरडीहकला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
76.	मेसर्स श्री गिरधारी लाल तलरेजा माइनिंग युनिट ग्राम चवेली तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
77.	मेसर्स राजेश चंद्राकर मुडीपार लाईम स्टोन माइन ग्राम मुडीपारा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
78.	मेसर्स भागवंद जैन माइनिंग युनिट, ग्राम चवेली, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
79.	मेसर्स नवीन कुमार जैन माइनिंग युनिट, ग्राम अर्जुनी, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
80.	मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी ग्राम- बनहरदी तहसील- डोगरगांव जिला- राजनांदगांव।
81.	मेसर्स पवन वाधवा माइनिंग युनिट, लीज क्षेत्रफल - 0.631 हे० ग्राम डुमरडीहकला, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
82.	मेसर्स बिहावबोड कार्टज एण्ड सिलिका सैंड कारी माइन -6.88 हेक्टेयर, ग्राम बिहावबोड, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
83.	मेसर्स नरेश लाल तलरेजा माइनिंग युनिट, ग्राम चवेली तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
84.	मेसर्स शिव अग्रवाल माइनिंग युनिट, ग्राम डुमरडीहकला, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
85.	मेसर्स गिरीश तलरेजा माइनिंग युनिट) 1.581 हे०), ग्राम चवेली, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
86.	मेसर्स योगेश डाकलिया माइनिंग युनिट, ग्राम डुमरडीहकला, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
87.	मेसर्स संदीप सिंग, आडनरी क्ले माइनिंग युनिट, ग्राम हरदी, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
88.	मेसर्स रितेश जैन लाईम स्टोनमाइनिंग युनिट,0.760 हे० ग्राम डुमरडीहकला, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
89.	मेसर्स निर्मलचंद जैन स्टोन क्रशर, ग्राम- घोरदा, तहसील- डोगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
90.	मेसर्स भारत बिल्डर्स, ग्राम- परना, तहसील- डोगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
91.	मेसर्स जी .डी .जसवानी दौलत सिंह चंदेल माइनिंग युनिट 0.283 हेक्टेयर, ग्राम नवागांव, तहसील एवं जिला- राजनांदगांव।
92.	मेसर्स जी .डी .जसवानी दौलत सिंह चंदेल माइनिंग युनिट 0.972 हेक्टेयर, ग्राम नवागांव, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
93.	मेसर्स रमेश लाल माइनिंग युनिट, ग्राम चवेली, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
94.	मेसर्स शर्मा मिनरल्स, ग्राम खुसीपार, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
95.	मेसर्स श्री नवकार लाइम स्टोन माइन -4.448 हेक्टेयर, ग्राम डुमरडीहकला, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
96.	मेसर्स नीतीश अग्रवाल, माइनिंग युनिट 0.955 हेक्टेयर, ग्राम डुमरडीहकला, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
97.	मेसर्स दिव्या डाकलिया माइनिंग युनिट, ग्राम डुमरडीहकला, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
98.	मेसर्स शशिकला गुप्ता माइनिंग एंड क्रसिंग, ग्राम चवेली, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
99.	मेसर्स श्री दीपक चावड़ा लाईम स्टोनस माईस- 1.061 हेक्टेयर, ग्राम मुडीपार तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
100.	मेसर्स डुमरडीहकला लाईम स्टोन कारी, 2.773 हे० ग्राम -डुमरडीहकला, तहसील व जिला -राजनांदगांव
101.	मेसर्स मुडीपार लाईम स्टोन कारी ग्राम मुडीपार तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
102.	मेसर्स जिन कुशल कंस्ट्रक्शन कम्पनी - 3.56 हेक्टेयर, ग्राम कलडबरीतहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
103.	मेसर्स पराग बढे माइनिंग एंड क्रसिंग युनिट 5.67 हेक्टेयर, ग्राम कलडबरी, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
104.	मेसर्स मनिंदर सिंह गरवा माइनिंग युनिट, ग्राम डुमरडीहकला, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
105.	मेसर्स श्रीमती सुजाता डाकलिया रनर मोल्लिंग सैंड माइन, ग्राम भरगांव, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
106.	मेसर्स विजय अग्रवाल, माइनिंग युनिट 0.728 हेक्टेयर, ग्राम डुमरडीहकला, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
107.	मेसर्स पंकज साहू लाईम स्टोनस माइन-1.819 हेक्टेयर, ग्राम उपरवाह, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
108.	मेसर्स आर.डी. मिनरल्स, ग्राम- बनहरदी, तहसील- डोगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
109.	मेसर्स श्री गिरधारी लाल तलरेजा चवेली लाइम स्टोन माइन -3.74 हेक्टेयर, ग्राम चवेली, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
110.	मेसर्स अर्चना दास रनर मोल्लिंग सैंड माइन, ग्राम बाकल, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
111.	मेसर्स बिहावबोड काज एण्ड सिलिका सैंड कारी माइन -6.88 हेक्टेयर ग्राम बिहावबोड तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
112.	मेसर्स अजय सिंह लाईम स्टोनस कायरी- 0.46 हेक्टेयर, ग्राम- मोखली, तहसील- डोगरगांव, जिला-राजनांदगांव।

113.	मेसर्स आर डी मिनरल्स, माइनिंग- 0.708 हेक्टे., ग्राम- बनहरदी, तहसील- डोगरगांव, जिला--राजनांदगांव।
114.	मेसर्स आर डी मिनरल्स, क्रशर उद्योग, ग्राम- बनहरदी, तहसील- डोगरगांव, जिला--राजनांदगांव।
115.	मेसर्स भारत बिल्डर्स माइनिंग युनिट-0.647 हे., ग्राम- परना, तहसील- डोगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
116.	मेसर्स भारत बिल्डर्स, ग्राम- परना, तहसील- डोगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
117.	मेसर्स हेमन्त चौधरी स्टोर क्रशर, ग्राम- अलीखुंटा, तहसील- डोगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
118.	मेसर्स जैन क्रशर, ग्राम- सालिक झिटिया, तहसील- डोगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
119.	मेसर्स श्री शैलेन्द्र कुमार लाईम स्टोनस माइन- 0.769 हेक्टेयर, ग्राम- सम्बलपुर, तहसील- डोगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
120.	मेसर्स संजय कुमार ठाकुर माइनिंग एंड क्रशिंग युनिट, ग्राम- परना, तहसील- डोगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
121.	मेसर्स देवलाल वर्मा माइनिंग युनिट- 0.844 हेक्टेयर, ग्राम- मोखली, तहसील- डोगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
122.	मेसर्स अनिल पारख माइनिंग एंड क्रशिंग युनिट, ग्राम- अर्जुनी, तहसील- डोगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
123.	मेसर्स हेमन्त चौधरी, ग्राम- अलीखुंटा, ग्राम- अर्जुनी, तहसील- डोगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
124.	मेसर्स महानिधी माईस एंड मिनरल- 1.214 हे., ग्राम- विचारपुर, नवागांव, तहसील- डोगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
125.	मेसर्स अभय कुमार जैन, माइनिंग युनिट 1.0 हेक्टेयर, ग्राम अर्जुनी, डोगरगांव तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
126.	मेसर्स मनीष कुमार जैन फ्लेग स्टोन कारी 0.85 हेक्टेयर ग्राम सालिक झीटिया तहसील- डोगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
127.	मेसर्स बलेश्वरी ग्रेनाइट प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम- डुडरा, तहसील-डोगरगढ, जिला-राजनांदगांव
128.	मेसर्स वर्मा स्टोन क्रशर, ग्राम--मडियान, पितेपानी, तहसील- डोगरगढ, जिला-राजनांदगांव
129.	मेसर्स तरूण गांधी स्टोन क्रशर, ग्राम- तेलगांव, तहसील-छुरिया, जिला-राजनांदगांव।
130.	मेसर्स लेण्डमार्क रायल इंजीनियरिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-चिरचारीकला, तहसील-छुरिया, जिला-राजनांदगांव।
131.	मेसर्स शिवा मिनरल्स, ग्राम- कापा, तहसील-छुरिया, जिला-राजनांदगांव।
132.	मेसर्स तरूण गांधी माइनिंग युनिट, ग्राम- हेदलकोढो, तहसील-छुरिया, जिला-राजनांदगांव।
133.	मेसर्स श्री मिनरल्स कार्टेज माईस माईस- 5.0 हेक्टेयर, ग्राम- पडरामटोला, तहसील-छुरिया, जिला-राजनांदगांव।
134.	मेसर्स श्रीमती कंचन बेन चौहान लाल ब्रिक्सग्राम बाकलतहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
135.	मेसर्स श्रीमती रेखा सिंह लाल ब्रिक्स, हरदी, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
136.	मेसर्स कंचनबेन चौहान क्ले ब्रिक्स ग्राम बांकल तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
137.	मेसर्स प्रवीण चक्रधारी, आडनरी क्ले माइनिंग युनिट, ग्राम हरदी, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
138.	मेसर्स प्रिमियर प्लास्टिक ग्राम गठुला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
139.	मेसर्स श्रेया टिन एंड प्लास्टिक ग्राम सोमनी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
140.	मेसर्स हीना प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज प्लॉट नं० 06 औ० क्षेत्र ममता नगर राजनांदगांव तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
141.	मेसर्स जियोपोल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेडग्राम नाधुनवागांव तुमडीबोड तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
142.	मेसर्स उदित इण्डस्ट्रीज ग्राम खपरीकला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
143.	मेसर्स विहान इण्डस्ट्रीज ग्राम परीकला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
144.	मेसर्स श्री साई प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज औ० क्षेत्र ममता नगर राजनांदगांव तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
145.	मेसर्स पुजारी इण्डस्ट्रीज ग्राम-फरहद तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
146.	मेसर्स पूनम इण्डस्ट्रीज ग्राम- खपरीकला तहसील- डोगरगांव जिला- राजनांदगांव।
147.	मेसर्स काका इण्डस्ट्रीज, ग्राम- तुमडीबोड, तहसील- डोगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
148.	मेसर्स रिक्रेटिव प्लास्टिक, ग्राम-कल्याणपुर, तहसील- डोगरगढ, जिला-राजनांदगांव
149.	मेसर्स श्री अधव राम नमकीन मेन्युफेक्चर ग्राम धरमपुर तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
150.	मेसर्स राज भुजिया कंचन बाग तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
151.	मेसर्स गोपाल एग्रो प्रोडक्ट्स ग्राम रेवागहन तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
152.	मेसर्स श्रीबालाजी इण्डस्ट्रीज ग्राम बुन्देलीकला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
153.	मेसर्स ओम चना उद्योग ग्राम -जोरातराई तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
154.	मेसर्स आर.बी. रूंगटा स्टील एंड फुड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेडग्राम टेडेसरा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
155.	मेसर्स जयराम फुड प्रोडक्ट ग्राम बरगा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
156.	मेसर्स गणपति फुड प्रोडक्ट्स होन्डा शोरूम जीई रोड तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
157.	मेसर्स डुल्स पेट फुड्स प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व नाम मेसर्स एबीएस एक्सपोर्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड) ग्राम इंदामारा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
158.	मेसर्स भवानी ट्रेडर्स ग्राम ककरेल तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
159.	मेसर्स पवन गृह उद्योग ग्राम बोरी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
160.	मेसर्स कलश प्रोडक्ट्स ग्राम ब्रम्हनी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
161.	मेसर्स कोमल ट्रेडर्स ग्राम रवेली पो० कन्हापुरी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
162.	मेसर्स अमर शहीद एग्रो फुड्स ग्राम गठुला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
163.	मेसर्स पंकज एग्रो ग्राम-टेडेसरा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
164.	मेसर्स एस.एस.डी.एग्रो फुड्स ग्राम-गठुला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
165.	मेसर्स अमित एग्रो, ग्राम बोरी, खैरागढ रोड, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
166.	मेसर्स तुलसी दाल मिल ग्राम-बरगा, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
167.	मेसर्स अमित फुड इण्डस्ट्रीज, ग्राम -बोरी, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
168.	मेसर्स श्री राम इण्डस्ट्रीज, ग्राम- अर्जुनी, तहसील- डोगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
169.	मेसर्स कोमल ट्रेडर्स, ग्राम- कोटरासरा, तहसील- डोगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
170.	मेसर्स अनुराम इण्डस्ट्रीज, ग्राम- रामपुर, तहसील- डोगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
171.	मेसर्स मनोहर लाल राधेश्याम पोहा मिल लखौली रोड तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
172.	मेसर्स ओम पोहा उद्योग ग्राम -जोरातराई तहसील व जिला -राजनांदगांव
173.	मेसर्स अशोक मुरमुरा उद्योग ग्राम-सिंघोलातहसील एवं जिला-राजनांदगांव।

174.	मेसर्स आशीर्वाद पोहा इण्डस्ट्रीज ग्राम कन्हारपुरी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
175.	मेसर्स जगन्नाथ पोहा उद्योग ग्राम गठुला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
176.	मेसर्स गायत्री इंडस्ट्रीज पोहा मिल (ग्राम -सिंधोला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
177.	मेसर्स सरिता पोहा इंडस्ट्रीज ग्राम गठुला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
178.	मेसर्स श्याम सुन्दरथडाराम मुरमुरा उद्योग लखौली रोड राजनांदगांव तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
179.	मेसर्स महेश पोहा मिल मोहारा रोड राजनांदगांव तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
180.	मेसर्स आर.के.अग्रवाल पोहा मिल लखौली रोड राजनांदगांव तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
181.	मेसर्स जे.के. फुड ग्राम मचानपार तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
182.	मेसर्स एपलाइड धर्माप्लास्टिक इण्डस्ट्रीज, ग्राम रवेली, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
183.	मेसर्स श्री सत्यनारायण पोहा उद्योग, ग्राम भेडीकला, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
184.	मेसर्स लहरी पोहा उद्योग, ग्राम बेलगांव, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
185.	मेसर्स शरद पोहा मिल, लखौली रोड राजनांदगांव, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
186.	मेसर्स शंकर मुरमुरा उद्योग, ग्राम -सिंधोला, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
187.	मेसर्स एम के उद्योग, ग्राम बोरडीह, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
188.	मेसर्स राजेन्द्र कुमार जैन एंड कम्पनी, लखौली रोड राजनांदगांव, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
189.	मेसर्स श्री अशोक पोहा मिल, वार्ड नं.-32 बसंतपुर, राजनांदगांव तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
190.	मेसर्स गणपति फूड्स इण्डस्ट्रीज ग्राम -बोरी, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
191.	मेसर्स कांकरिया पोहा मुरमुरा उद्योग, ग्राम-दीवानभेडी, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
192.	मेसर्स आहुजा पोहा मिल, लाखौली रोड राजनांदगांव, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
193.	मेसर्स मुन्ना लाल राजेन्द्र कुमार जैन लखौली रोड राजनांदगांव तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
194.	मेसर्स जिनंदल पोहा एंड मुरमुरा उद्योग मोहारा रोड नंदई राजनांदगांव तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
195.	मेसर्स मोना पोहा उद्योग ग्राम-फरहद डोंगरगांव तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
196.	मेसर्स हरिओम शक्ति इंडस्ट्रीज मुरमुरा (ग्राम -बोरी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
197.	मेसर्स लक्ष्मण पोहा मिल लखौली रोड राजनांदगांव तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
198.	मेसर्स विजय पोहा उद्योग ग्राम-गठुला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
199.	मेसर्स अरुणा ट्रेडर्सपोहा एंड मुरमुरा ग्राम-गठुला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
200.	मेसर्स जवरी लाल अंकित कुमार जैन पोहा मिल बसंतपुर राजनांदगांव तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
201.	मेसर्स जसराज पोहा इंडस्ट्रीज ग्राम गठुला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
202.	मेसर्स ज्योति पोहा इंडस्ट्रीज ग्राम-गठुला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
203.	मेसर्स जे0 आर0 इण्डस्ट्रीज पोहा यूनिट ग्राम -गठुला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
204.	मेसर्स शांति पोहा उद्योग बसंतपुर रोड राजनांदगांव तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
205.	मेसर्स जय भगवान पोहा उद्योग ग्राम-गठुला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
206.	मेसर्स पोद्दार मुरमुरा उद्योग ग्राम नंदई तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
207.	मेसर्स ईश्वरी ट्रेडर्स लाखौली रोड राजनांदगांव तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
208.	मेसर्स शिव पोहा उद्योग मोहारा रोड राजनांदगांव तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
209.	मेसर्स श्री साई शक्ति मुरमुरा उद्योग, ग्राम-रेवाडीह, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
210.	मेसर्स पुरुषोत्तम दास चतुर्भुज लोहिया पोहा मिल कोरिनभाटा राजनांदगांव तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
211.	मेसर्स अग्रोहा पोहा मिल मोहारा रोड नंदई राजनांदगांव तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
212.	मेसर्स खंडेलवाल फुड्स ग्राम -भेडीकला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
213.	मेसर्स चाचा फुड्स पारेडक्ट्स ग्राम-पनेका तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
214.	मेसर्स चाचा पोहा उद्योग ग्राम-पनेका तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
215.	मेसर्स उमंग पोहा मिल ग्राम -मलपुरी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
216.	मेसर्स श्री महावीर चना मुरमुरा उद्योग ग्राम पनेका तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
217.	मेसर्स अनुराग पोहा उद्योग ग्राम -गठुला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
218.	मेसर्स श्री साई बाबा ट्रेडर्सपोहा मिल (ग्राम -लखौली रोड राजनांदगांव तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
219.	मेसर्स जयराम एग्रो ग्राम -बरगा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
220.	मेसर्स हरसहाय बाला राम पोहा मिल ग्राम -गठुला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
221.	मेसर्स जय भवाल चना मुरमुरा उद्योग ग्राम -पनेका तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
222.	मेसर्स शिवनाथ उद्योग) सोप (ग्राम-टेडेसरा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
223.	मेसर्स मॉ सतरूपा पोहा उद्योग ग्राम -फरहद तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
224.	मेसर्स अन्नपूर्णा मुरमुरा उद्योग ग्राम-गठुला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
225.	मेसर्स कृष्णा पोहा उद्योग, ग्राम- मचानपार, तहसील- डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
226.	मेसर्स एस.एस. राइस मिल, ग्राम- नाथूनवागांव, तहसील- डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
227.	मेसर्स कांकरिया प्रोसेसिंग एंव ग्रेडिंग इण्डस्ट्रीज, ग्राम- दीवानभेडी, तहसील- डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
228.	मेसर्स मोहन एग्रो इण्डस्ट्रीज, ग्राम-मोहड़, तहसील- डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
229.	मे जनता इंडस्ट्रीज, ग्राम- सिंगारपुर, तहसील- डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
230.	मेसर्स अरोरा फुड प्रोडक्ट्स, ग्राम- तुमडीबोड, तहसील- डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
231.	मेसर्स ताज एग्रो इण्डस्ट्रीज, ग्राम- विददो, तहसील- डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव
232.	मे अरोरा एग्रो इण्डस्ट्रीज, ग्राम-चौथना, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव
233.	मे अरोरा इण्डस्ट्रीज, ग्राम-चौथना, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव
234.	मेसर्स ए.टी. सी राईस प्रोडक्ट्स (अरवा) मोहारा रोड तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
235.	मेसर्स पारख फुड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज (अरवा) ग्राम परेवाडीह तहसील एवं जिला राजनांदगांव

236.	मेसर्स माधवी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड यूनिट-02 ग्राम-सांकरा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
237.	मेसर्स अग्रवाल फूड्स प्रोडक्ट्स ग्राम भेडीकला तहसील व जिला- राजनांदगांव
238.	मेसर्स शिवशक्ति इन्टरप्राइजेस (अरवा राईस मिल) ग्राम- सांकरा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
239.	मेसर्स अतुल राईस इण्डस्ट्रीज ग्राम- भोथीपारकला तहसील व जिला- राजनांदगांव
240.	मेसर्स राधा इण्डस्ट्रीज अरवा राईस मिल ग्राम- दीवानभेडी तहसील- डोगरगांव जिला- राजनांदगांव
241.	मेसर्स गायत्री फूड स्प्राइम इंदामारा बाकल रोड तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
242.	मेसर्स कमल राईस मिल ग्राम फरहद तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
243.	मेसर्स श्रेया एग्रो इण्डस्ट्रीज ग्राम-सोमनी तहसील व जिला-राजनांदगांव
244.	मेसर्स पिनाकिन न्युट्रिशन 896 औ0 क्षेत्र टेडेसरा तहसील व जिला-राजनांदगांव
245.	मेसर्स सांवरिया फोर्टिफाईड ग्राम फुलझर तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
246.	मेसर्स अग्रवाल फूड्स प्रोडक्ट्स ग्राम भेडीकला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
247.	मेसर्स पंजाब एग्रो (अरवा) ग्राम-झूराडबरी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
248.	मेसर्स प्रकाशचंद नेमीचंद एंड संस ग्राम-भेडीकला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
249.	मेसर्स पदमावती एग्रो इण्डस्ट्रीज ग्राम- डुमरडीहकला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
250.	मेसर्स नमो ओवर सिस ग्राम-सांकरा पोस्ट-सोमनी तहसील व जिला-राजनांदगांव
251.	मेसर्स सोर्य राईस मिल ग्राम- बधेरा जिला- राजनांदगांव
252.	मेसर्स कांकरिया फूड्स ग्राम- दीवानभेडी तहसील- डोगरगांव जिला- राजनांदगांव।
253.	मेसर्स श्री मोती राईस मिल अरवा युनिट ग्राम- सिंगारपुर तहसील- डोगरगांव जिला- राजनांदगांव।
254.	मेसर्स रिषभ राईस मिल ग्राम -नाथुनवागांव तहसील डोगरगांव, जिला राजनांदगांव
255.	मेसर्स श्रेया टैडर्स ग्राम-बिच्छीटोला तहसील -डोगरगांव जिला -राजनांदगांव
256.	मेसर्स श्रेया टैडर्स (फोर्टिफाईड राईस ग्राम- झूराडबरी तहसील- डोगरगांव जिला-राजनांदगांव
257.	मेसर्स अन्नश्री फूड ग्राम- मक्काटोला तहसील-डोगरगांव जिला-राजनांदगांव
258.	मेसर्स तिरुपति एग्रो ग्राम- लाटमेटा तहसील-छुरिया जिला-राजनांदगांव।
259.	मेसर्स बालाजी राईस इण्डस्ट्रीज ग्राम- महाराजपुर तहसील-छुरिया जिला-राजनांदगांव।
260.	मेसर्स ए आर राईस इण्डस्ट्रीज ग्राम-जंगलपुर तहसील-छुरिया जिला-राजनांदगांव।
261.	मेसर्स कमल राईस मिल) अरवा (ग्राम महाराजपुर तहसील छुरिया जिला-राजनांदगांव।
262.	मेसर्स मां पदमावती राईस मिल ग्राम-मूंदगांव तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
263.	मेसर्स श्रद्धा एग्रो इंडस्ट्रीज ग्राम सोमनी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
264.	मेसर्स के0 एस0 इंडस्ट्रीज ग्राम-कांकेतरा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
265.	मेसर्स जलाराम राईस इंडस्ट्रीज ग्राम लिटिया तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
266.	मेसर्स जय गुरूदेव फूड्स प्रोसेसिंग ग्राम भोडिया तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
267.	मेसर्स सुरेश राईस मिल ग्राम-परीकला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
268.	मेसर्स रंगटा राईस मिल युनिट-2 ग्राम- मोहारा तहसील एवं जिला राजनांदगांव
269.	मेसर्स आर.एस.फूडप्रोसेस (ई) प्राइवेट लिमिटेडयूनिट-2 ग्राम-रेवाडीह तहसील एवं जिला राजनांदगांव
270.	मेसर्स श्री नकोड़ा राईस मिल ग्राम-खपरी खुर्द तहसील एवं जिला राजनांदगांव
271.	मेसर्स के0 एस0 इंडस्ट्रीज ग्राम-कांकेतरा तहसील एवं जिला राजनांदगांव
272.	मेसर्स श्रद्धा एग्रो इंडस्ट्रीज युनिट-2 ग्राम सोमनी सांकरा रोड तहसील एवं जिला राजनांदगांव
273.	मेसर्स डी.एम एग्रो इण्डस्ट्रीज ग्राम-रेवागहन तहसील व जिला- राजनांदगांव
274.	मेसर्स मां पदमावती राईस मिल ग्राम -मूंदगांव, तहसील डोगरगांव, जिला -राजनांदगांव
275.	मेसर्स अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज ग्राम -जंगलपुर, तहसील डोगरगांव, जिला -राजनांदगांव
276.	मेसर्स अग्रवाल राईस प्रोडक्ट ग्राम -रामनगर, तहसील डोगरगांव, जिला-राजनांदगांव
277.	मेसर्स मेरावी राईस इण्डस्ट्रीज,ग्राम-रानी तालाब, तहसील-छुरिया, जिला-राजनांदगांव।
278.	मेसर्स लल्ली राईस मिल(अरवा),ग्राम--गोटाटोला, तहसील-छुरिया, जिला- राजनांदगांव।
279.	मेसर्स अग्रवाल राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-अछोली, तहसील-छुरिया, जिला-राजनांदगांव।
280.	मेसर्स श्री गुरूदेव एग्रो इण्डस्ट्रीज, ग्राम-महाराजपुर, तहसील-छुरिया, जिला-राजनांदगांव।
281.	मेसर्स श्री गुरूदेव राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम- महाराजपुर, तहसील-छुरिया, जिला-राजनांदगांव।
282.	मेसर्स श्री गुरूदेव एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 02 ग्राम महाराजपुर तहसील छुरिया जिला-राजनांदगांव।
283.	मेसर्स जिनदत्त फूड्स प्रोसेसिंग यूनिट ग्राम जनकपुर, तहसील छुरिया, जिला-राजनांदगांव
284.	मेसर्स वर्धमान राईस मिल ग्राम-जनकपुर, तहसील -छुरिया, जिला -राजनांदगांव
285.	मेसर्स श्री श्याम इण्डस्ट्रीज ग्राम -महाराजपुर, तहसील -छुरिया, जिला -राजनांदगांव
286.	मेसर्स एक्सीलेंस साल्युशन प्लॉट नं 32.बी, सोमनी इण्ड एरिया जिला-राजनांदगांव
287.	मेसर्स मुडीपार लाईम स्टोन कारी, ग्राम-मुडीपार, तह व जिला राजनांदगांव
288.	मेसर्स ग्रीवर इंडिया बायो फर्टिलाइजर, ग्राम-परमालकसा, तह व जिला-राजनांदगांव
289.	मेसर्स रिची राईस मिल ग्राम-डुनडेरा, तहसील तहसील- डोगरगांव जिला-राजनांदगांव
290.	मेसर्स सबरस रेस्टोरेन्ट, चन्द्रा कॉलोनी, बसतपुर रोड, राजनांदगांव, जिला- राजनांदगांव
291.	मेसर्स द सिंस रेस्टोरेन्ट एण्ड होटल्स, महेश नगर, बसतपुर रोड, राजनांदगांव, जिला- राजनांदगांव
292.	मेसर्स जायका आटोमोबाइल एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ग्राम अंजोरा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
293.	मेसर्स जायका आटोमोबाइल एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ग्राम पेन्डी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
294.	मेसर्स रामा मोटोक्राफ ग्राम इंदावानी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
295.	मेसर्स साईराम ऑटोमोबाइल एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड ग्राम- मनकी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
296.	मेसर्स सच्चिदाय आटोमोबाइल्स ग्राम बनभेडी तहसील- डोगरगांव, जिला-राजनांदगांव।
297.	मेसर्स एबीएस एक्सपोर्ट इंडिया (प्राइवेट लिमिटेड ग्राम चवेली तह0 व जिला राजनांदगांव

298.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट इंडिया (प्राइवेट लिमिटेड) ग्राम देवादा तह0 व जिला राजनांदगांव
299.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-अमलीडीह, तहसील- डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव।
300.	मेसर्स एबीस हेचरी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम- गोडरी, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव।
301.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम- मचानपार तहसील- डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
302.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट इंडिया (ग्राम बांकल तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव।
303.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट इंडिया (प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 2 ग्राम मचानपार तहसील-डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव
304.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट इंडिया (प्राइवेट लिमिटेड ग्राम लालबांधा तहसील-डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव
305.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट इंडिया (प्राइवेट लिमिटेड ग्राम माहुलझोपडी तहसील-डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव
306.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट इंडिया (प्राइवेट लिमिटेड ग्राम घोराभाटा तहसील-डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव
307.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट इंडिया (प्राइवेट लिमिटेड ग्राम गोडरी तहसील-डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव
308.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट इंडिया (प्राइवेट लिमिटेड ग्राम मुडुपार तहसील-डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव
309.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट इंडिया (प्राइवेट लिमिटेड ग्राम शिवपुरी तहसील-डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव
310.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट इंडिया (प्राइवेट लिमिटेड अंडी शिवपुरी तहसील-डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव
311.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट इंडिया (प्राइवेट लिमिटेड ग्राम बीजभाटा तहसील-डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव
312.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट इंडिया (प्राइवेट लिमिटेड ग्राम मचानपार तहसील-डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव
313.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट इंडिया (प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 2 खसरा नं. 412 ग्राम बागरेकसा तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव
314.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट इंडिया (प्राइवेट लिमिटेड ग्राम-बागरेकसा तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव
315.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड यूनिट-01, ग्राम-जमनारा, तहसील-छुरिया, जिला-राजनांदगांव।
316.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट इंडिया (प्राइवेट लिमिटेड ग्राम चारभाठा तहसील छुरिया जिला-राजनांदगांव
317.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट इंडिया (प्राइवेट लिमिटेड ग्राम बन्नानवागांव तहसील छुरिया जिला-राजनांदगांव
318.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट इंडिया (प्राइवेट लिमिटेड ग्राम महाराजपुर तहसील छुरिया जिला-राजनांदगांव
319.	मेसर्स रस्तोगी इंडस्ट्रीज लि0 ग्राम टेडेसरा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
320.	मेसर्स भिलाई कन्डक्टर्स ग्राम अंजोरा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
321.	मेसर्स शरद मेटल इण्डस्ट्रीज औ0 क्षेत्र ममतानगर तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
322.	मेसर्स थर्मोकेयर रॉकवूल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ग्राम नथूनवागांव तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
323.	मेसर्स अंजोनिया रबर एंड टेक्नाक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ग्राम इंदवानी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
324.	मेसर्स एबीस सिरामिक्स एण्ड पोल्ट्रीज ग्राम बल्देवबाग तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
325.	मेसर्स मां देहमी बायो एनर्जी ग्राम फरहद पोस्ट सोमनी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
326.	मेसर्स एक्सीलेंट सॉल्यूशंस प्लॉट नं 2बी औद्योगिक क्षेत्र सोमनी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
327.	मेसर्स अक्षित ट्रेडर्स औ0 क्षेत्र सोमनी तहसील व जिला राजनांदगांव
328.	मेसर्स मारुति नानवोवेन फेब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड ग्राम जोरातराई तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
329.	मेसर्स श्री कंवर पेकेजिंग ग्राम बोरी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
330.	मेसर्स होटल अवाना न्यु गुरुद्वारा के पास तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
331.	मेसर्स जानकी एग्री इण्डस्ट्रीज केटल फीड ग्राम-फरहद तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
332.	मेसर्स हाईटेक रॉक फाइबर प्राइवेट लिमिटेड ग्राम-सांकरा (सोमनी) तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
333.	मेसर्स जय शक्ति हॉलमाकिंग सेन्टर ग्राम 81/1 शॉप नं0 702 चिराग प्लाजा काम्पलेक्स ब्राम्हण पारा हालमार्क तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
334.	मेसर्स अम्बे उद्योग ग्राम बरगाही तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
335.	मेसर्स वाय व्ही इन्टरप्राइजेस ग्राम ककरेल तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
336.	मेसर्स क्रस्ट स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड (रेवले साईडिंग) ग्राम-जोरातराई तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
337.	मेसर्स मां मज्जीगौरी इन्टरप्राइजेस ग्राम-मगरलोटा टेडेसरा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
338.	मेसर्स फेयर फलक्स प्राइवेट लिमिटेड ग्राम-फरहद तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
339.	मेसर्स जय मां संतोषी कोल्ड स्टोरेज ग्राम बोरी तहसील व जिला राजनांदगांव
340.	मेसर्स श्री कृष्णा उद्योग ग्राम दुमरडीहकला तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
341.	मेसर्स ब्रार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ग्राम जोरातराई मनगटा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
342.	मेसर्स एम0 जी0 रिक्लेम्स इण्डस्ट्रीज ग्राम-सांकरा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
343.	मेसर्स डालमिया भारत रिफेक्ट्रीज लिमिटेड (पूर्व नाम जी0एस0बी0 रिफेक्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) ग्राम जोरातराई मनगटा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
344.	मेसर्स तुलसी कोल्ड केयर ग्राम सांकरा सोमनी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
345.	मेसर्स श्रीराम इंडस्ट्रीज ग्राम परमालकसा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
346.	मेसर्स अरिहंत असेईग एण्ड हॉलमाकिंग सेन्टरवार्ड नंबर-38 ब्राम्हण पारा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
347.	मेसर्स रामा गैसेस रुकमणी मेटल एंड गैसेस लि. ग्राम सोमनी तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
348.	मेसर्स ग्रेबटेक फेब्रीक्स एल एल पी ग्राम-सांकरा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
349.	मेसर्स सनशाइन रबर प्रोडक्ट्स ममता नगर राजनांदगांव तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
350.	मेसर्स हरिओम बाक्स प्राइवेट लिमिटेड ग्राम- सांकरा तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
351.	मेसर्स अर्चना मिनरल्स रेत भण्डारण ग्राम बरगा, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव।
352.	मेसर्स एस.आर. एसोसिएट्स, ग्राम- मटिया, तहसील- डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
353.	मेसर्स पॉलीबाण्ड रॉक फाइबर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम- बांकल, तहसील- डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
354.	मेसर्स महावीर कोल्ड स्टोरेज ग्राम- घोरदा, तहसील- डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
355.	मेसर्स नंदलाल ब्रिक्स, ग्राम- किरगी, तहसील व जिला- राजनांदगांव
356.	मेसर्स रामदेव रिफायनरी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम- बुद्धभरदा, तहसील- डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव।
357.	मेसर्स नाद इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ग्राम नथूनवागांव तहसील- डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव।

358. मेसर्स रेणुका एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम- पेटपार, तहसील- डोंगरगढ, जिला-राजनांदगांव

जिला- खैरागढ छुईखदान गंडई

क्रमांक	उद्योग/व्यवसाय का नाम एवं पता
1.	मेसर्स रिद्धी इण्डस्ट्रीज ग्राम टेकापार कलन तहसील खैरागढ जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
2.	मेसर्स ओम एग्रो इण्डस्ट्रीज ग्राम फत्तेपुर तहसील खैरागढ जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
3.	मेसर्स अमृत राईस प्रोडक्ट ग्राम श्यामपुर तहसील छुईखदान जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
4.	मेसर्स सुमन एग्रो इण्डस्ट्रीज, ग्राम सहसपुर तहसील खैरागढ जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
5.	मेसर्स अमृत राईस प्रोसेस ग्राम श्यामपुर, तहसील छुईखदान, जिला-खैरागढ छुईखदान गंडई
6.	मेसर्स महावीर राईस ग्राम देवपुरा पो0 गण्डई तहसील गण्डई जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
7.	मेसर्स जे राईस मिल यूनिट ,एन.2 ग्राम गण्डई तहसील गण्डई जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
8.	मेसर्स रोमन ट्रेडर्स ग्राम व तहसील- गण्डई, जिला- खैरागढ छुईखदान गण्डई
9.	मेसर्स राशि एग्रो इण्डस्ट्रीज ग्राम गंडई -तहसील गंडई जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
10.	मेसर्स माँ अंजनी राईस मिल ग्राम उदयपुर तहसील छुईखदान जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
11.	मेसर्स जे राईस मिल यूनिट ,एन.3 ग्राम कुकुरमुड़ा तहसील छुईखदान जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
12.	मेसर्स बीबीसी राईस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ग्राम-बलदेवपुर, तहसील-खैरागढ जिला-खैरागढ-छुईखदान- गण्डई
13.	मेसर्स सत्या बिल्डकॉन हॉटमिक्स ग्राम खुसीपार खैरागढ, जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
14.	मेसर्स एन सी नाहर आशीष इन्फ्राकॉन प्राईवेट लिमिटेड, ज्वाइंट वेंचर, ग्राम उदयपुर, तहसील छुईखदान, जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
15.	मेसर्स मेनन प्लास्टिक मोल्डिंग ग्राम नांदिया तहसील छुईखदान, जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
16.	मेसर्स चंदनमल सुगमचंद जैन दाल मिल ग्राम गण्डई तहसील गण्डई जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
17.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट इंडिया (प्राईवेट लिमिटेड) ग्राम बुद्धाभाठ तहसील छुईखदान जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
18.	मेसर्स जिस्को इन्टरप्राईजेस ग्राम कलकसा तहसील खैरागढ जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
19.	मेसर्स जिस्को इन्टरप्राईजेस ग्राम साल्हेभरी तहसील खैरागढ जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
20.	मेसर्स बोल बम मिनरल्स ग्राम बलदेवपुर (क्रशिंग यूनिट)तहसील खैरागढ जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
21.	मेसर्स अमृत मिनरल्स ग्राम बलदेवपुर तहसील खैरागढ जिला खैरागढ छुईखदान गंडई
22.	मेसर्स मीना मिनरल्स ग्राम कलकसा तहसील खैरागढ जिला खैरागढ छुईखदान गंडई
23.	मेसर्स पद्मा एसोसिएट माइनिंग युनिट 1.498 हेक्टेयर ग्राम साल्हेभरी तहसील खैरागढ जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
24.	मेसर्स भाउराम चक्रधारी स्टोनक्रशर बलदेवपुर तहसील खैरागढ जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
25.	मेसर्स ऋषभ मिनरल्स लाईम स्टोन कारी ग्राम खुसीपार तहसील खैरागढ जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
26.	मेसर्स कृष्णा कंस्ट्रक्शन)मेसर्स शदाणी स्टोन क्रशर ग्राम साल्हेभरी तहसील (खैरागढ जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
27.	मेसर्स खैरागढ मिनरल्स ग्राम बलदेवपुर (स्टोन क्रशर), तहसील खैरागढ जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
28.	मेसर्स परेश कुमार (कलकसा लाईम स्टोन कारी 1.214 हे0) ग्राम- कलकसा, तहसील खैरागढ जिला-खैरागढ-छुईखदान-गंडई
29.	मेसर्स अंश क्रशर उद्योग ग्राम दपका, तहसील खैरागढ जिला खैरागढ छुईखदान गंडई
30.	मेसर्स उदय क्रशर (माइनिंग यूनिट), ग्राम बल्देवपुर तहसील-खैरागढ जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
31.	मेसर्स उदय क्रशर, ग्राम बल्देवपुर-, तहसील खैरागढ जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
32.	मेसर्स समीर पोद्दार लाईम स्टोन माइन ग्राम खुसीपार-, तहसील खैरागढ जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
33.	मेसर्स कविता स्टोन्स ग्राम बल्देवपुर तहसील खैरागढ जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
34.	मेसर्स श्रीचंद चाचड़ा माइनिंग युनिट, ग्राम कलकसा, तहसील खैरागढ जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
35.	मेसर्स सुयश मिनरल ग्राम मरकामटोला तहसील खैरागढ, जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
36.	मेसर्स गुरू क्रशर उद्योग ग्राम पचपेड़ी तहसील खैरागढ, जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
37.	मेसर्स बमलेश्वरी क्रशर इण्डस्ट्रीज ग्राम दामरी तहसील खैरागढ, जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
38.	मेसर्स पटेल स्टोन्स सीलग्राम खुसीपार तह (नया नाम अनंत मिनरल्स)खैरागढ, जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
39.	मेसर्स प्रशांत कांकरिया लाईम स्टोन ग्राम कलकसा तहसील खैरागढ, जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
40.	मेसर्स अरूणा जोगेवार माइनिंग यूनिट ग्राम कलकसा तहसील खैरागढ, जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
41.	मेसर्स रमेश डाकलिया माइनिंग एण्ड क्रशर युनिट ग्राम पिपलाकछार तहसील खैरागढ, जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
42.	मेसर्स सुमन सिंह माइनिंग युनिट ग्राम बल्देवपुर तहसील खैरागढ, जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
43.	मेसर्स सुमन सिंह माइनिंग युनिट ग्राम कलकसा तहसील खैरागढ, जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
44.	मेसर्स पीयूष श्रीवास्तव माइनिंग युनिट ग्राम कलकसा तहसील खैरागढ, जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
45.	मेसर्स बोल बम मिनरल्स माइनिंग युनिट (पूर्व नाम महावीर क्रन्सट्रक्शन कंपनी)1.295 हेक्टे0 ग्राम कलकसा तहसील खैरागढ, जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
46.	मेसर्स राजकुमारी दास माइनिंग युनिट 0.809 हेक्टे0 ग्राम बल्देवपुर तहसील खैरागढ, जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
47.	मेसर्स प्रशांत सिंह क्लो ब्रिक्स ग्राम सहिला तहसील खैरागढ जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
48.	मेसर्स शुभम सिंह ठाकुर, लाल ब्रिक्स, आकरजन, तहसील खैरागढ जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
49.	मेसर्स उमेश इण्डस्ट्रीज ग्राम पिपलाकछार तहसील खैरागढ, जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
50.	मेसर्स शिवजल इण्डस्ट्रीज, गण्डई, जिला खैरागढ छुईखदान गण्डई
51.	मेसर्स लक्ष्मीनारायण राईस मिल ग्राम-साल्हेकला, तहसील छुईखदान जिला-खैरागढ-छुईखदान-गंडई

29.2.25

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

जिला राजनांदगांव व खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में जल/वायु सम्मति प्राप्त नहीं करने वाले उद्योगों/व्यवसायों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी -

जिला राजनांदगांव

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन हेतु जारी निर्देश दिनांक
1.	मेसर्स राज भुजिया, कंचनबाग सन सिटी रोड, रामदेव स्टेशनरी के सामने, राजनांदगांव, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	27.05.2024
2.	मेसर्स बालाजी बेकर्स, ग्राम एवं पोस्ट-बोरी, तहसील-राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	27.05.2024
3.	मेसर्स तनुज ट्रेडर्स, ग्राम एवं पोस्ट चिरचारी, तहसील-राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	27.05.2024
4.	मेसर्स मां लक्ष्मी राइस मिल, ग्राम-सम्बलपुर, तहसील-डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	27.05.2024
5.	मेसर्स छत्तीसगढ़ पेलेस, ग्राम- नाथुनवागांव, तुमड़ीबोड़, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	15.07.2024
6.	मेसर्स देवशरम राईस मिल, चोखड़िया पारा, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
7.	मे श्री लक्ष्मी राइस मिल, ग्राम हल्दी तहण व जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
8.	में. सहजानंद राईस मिल, बसंतपुर, रोड, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
9.	मे. अनिल राइस मिल, लखोली रोड, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
10.	में. जिनदत्त चावल उद्योग, कौरिनभांठा बसंतपुर रोड जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
11.	में. श्री शंकर राईस मिल, लखोली रोड जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
12.	मे. गोपी इण्डस्ट्रीज, डोंगरगांव रोड जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
13.	में. विकास ट्रेडर्स, लखोली रोड, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
14.	में. राधिका ट्रेडर्स, मोधरा रोड, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
15.	में गोपाल राईस मिल, मोहारा, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
16.	में. गणपति राईस इण्ड० लखोली रोड, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
17.	में करण ट्रेडर्स, ग्राम बरगा, पो राजनांदगांव राईस मिलिंग गठुला तह. व जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
18.	में. कुशल राईस इण्ड० चाम गठुला जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
19.	में. भाटिया राईस इण्डस्ट्रीज, जी० ई० रोड रेवाडीह, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
20.	मे. गनी भाई वाहब भाई राईस मिल, नंदई नाका, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
21.	मे नारायण राईस मिल, शाम बरगा पी० पेण्डी, तह० व जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
22.	मे. अग्रसेन राईस मिल, याम सिंघोला तह० व जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
23.	में. शीतल दवर्तस, ग्राम मलपुरी पो० सुरगी तह० व जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
24.	मे कृष्णा राईस मिल, ग्राम व पो० सिंघोला तह० व जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
25.	में० जवरी लाल अंकित कुमार जैन, कौरिन भांठा, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
26.	में जॉ. के. राइस मिल, खैरझिटी, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
27.	में भगवती राईस मिल, ग्राम बरगा, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
28.	में. रूंगटा राईस मिल्स, युनिट नं. 3, मोहारा रोड, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
29.	में. श्री गोता एथो एण्ड कंपनी, ग्राम धौराभांठा पो. मचानगर तह जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
30.	में. सी.एम. एग्रो इण्डस्ट्रीज, राम रीचागहन तह व जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
31.	से. मोहन राईस मिल, लखोली रोड, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
32.	में. जे. आर. राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम गठुला पो. बोरी तह. व जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
33.	में. एस. एम. एग्रो इण्डस्ट्रीज, जी. ई. रोड, भानपुरी तह, व जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
34.	मे. जेन एण्ड सस, ग्राम फरहद तह, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
35.	में. राजा राईस मिल, ग्राम खुटेरी पो. सोमनी तह. व जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
36.	में. मुसद्दी लाल रामानंद बमलेश्वरी वार्ड, डोंगरगढ़ जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
37.	मे. आर. एस. इण्डस्ट्रीज, स्टेशनरोड, डोंगरगढ़ जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
38.	में उर्मिला इण्डस्ट्रीज, रामनगर, डोंगरगढ़ तह, डोंगरगढ़ जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
39.	में. श्री लक्ष्मी राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम डोंगरगढ़ तह० डोंगरगढ़ जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
40.	मे. लक्ष्मी देडर्स, चाम कुरुभाट, तह. डोंगरगढ़ जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
41.	से० श्री रानीसती राईस मिल, डोंगरगढ़ तह० डोंगरगढ़ जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
42.	मे. प्रतीक एथो प्रोसेसिंग, ग्राम रौका तह० डोंगरगढ़ जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
43.	मे. कमला एग्रो इण्डस्ट्रीज, लाल बहादुर नगर, तह० डोंगरगढ़ जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
44.	में. पुष्पा इण्डस्ट्रीज ग्राम कुम्हडाटोला विकासखंड डोंगरगढ़ जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
45.	मे. अग्रवाल प्रोसेस, रामनगर, डोंगरगढ़ तह. डोंगरगढ़ जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
46.	मां परमेश्वरी राईस मिल, ग्राम व पो. चारभांठा तह. डोंगरगढ़ जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
47.	मे. एम. जे. फुड्स प्रोडक्ट्स, ग्राम डोंगरगढ़ रौका तह. डोंगरगढ़ जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
48.	में. गांधी राईस मिल, सेवता टोला, डोंगरगांव जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
49.	मे० दर्गा राईस मिल सेवता पारा. डोंगरगांव तहसील डोंगरगांव जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024

50.	मे. जिनदत इण्डस्ट्रीज, ग्राम अर्जुनी तह. डोंगरगांव जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
51.	मे. शिवशंकर राईस मिल, ग्राम तुमडीबोड तह. डोंगरगांव जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
52.	मे. मों गायत्री मिनी राईस मिल, ग्राम जारवाही, तह डोंगरगांव जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
53.	मे. कांकरिया पोहा मुरमुरा उद्योग युनिट-2, राईस मिल, दिवानभेड़ी तह. डोंगरगांव ग्राम डोंगरगांव जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
54.	मे. मां लक्ष्मी राईस मिल, ग्राम सम्बलपुर तह. डोंगरगांव जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
55.	मे. देवी राईस मिल, ग्राम बड़गूम पो खुज्जी तह. डोंगरगांव जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
56.	में. जे. एस. एग्रोटेक ग्राम नाथुनवागांव पो. तुमडीबोड तह डोंगरगांव जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
57.	में सिद्धि विनायक राईस मिल, ग्राम महाराजपुर तह. छुरिया जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	19.07.2024
58.	मेसर्स एम फूड प्रोडक्ट्स जे. ग्रामराका, तहसील डोंगरगढ़, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	26.10.2024
59.	मे. जय अम्बे मक्का चिप्स, ग्राम-कुटेरी, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	26.10.2024
60.	में सोनी पैपर प्रोडक्ट्स, ग्राम-खुटेरी, सोमनी, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	26.10.2024
61.	मेसर्स अभिनव तिवारी (रेत भंडारण), ग्राम भरगांव, तहसीलराजनांदगांव, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	10.12.2024

जिला- खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

क्रमांक	उद्योग का नाम एवं पता	उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन हेतु जारी निर्देश दिनांक
1.	मेसर्स चोपडा राइस प्लांट. ग्राम अमलीपारा, तहसील, -खैरागढ़ जिला- खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.)	12.02.2025
2.	मेसर्स शांति राइस इंडस्ट्रीज ग्राम-गंडई तहसील-छुईखदान, जिला- खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.)	12.02.2025


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर


पॉरीशेष्ट - उन्सठ

अतारॉकेत प्रश्र संखुआ 46 (क. 870) कौ जानकारौ

प्रपत्र-अ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (कृषि फसल) अंतर्गत पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में फसल बीमा की जानकारी

जिला का नाम	तहसील का नाम	वर्ष	मौसम	बीमित कृषक संख्या	बीमित राशि (लाख रु. में)	दावा भुगतान (लाभावित कृषक संख्या)
कबीरधाम	कुण्डा	2023	खरीफ	6507	3765.94	93
	पंडरिया			11915	7863.86	100
	पिपरिया			15192	9647.96	292
	सहसपुर लोहारा			19488	11513.67	209
	खरीफ 2023 योग			53102	32791.43	694
	कुण्डा	2023-24	रबी	3315	1603.56	1571
	पंडरिया			6221	3718.36	2983
	पिपरिया			10083	5113.74	8144
	सहसपुर लोहारा			10212	6174.34	9173
	रबी 2023-24 योग			29831	16610.00	21871
वर्ष 2023-24 कुल योग				82933	49401.43	22565
कबीरधाम	कुकदुर	2024	खरीफ	4387	3336.65	जोखिम स्थानीकृत आपदा के तहत तहसील सहसपुर लोहारा में कुल 205 कृषकों को दावा भुगतान किया गया है एवं फसल कटाई से प्राप्त उपज के आधार पर दावा गणना एवं भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
	कुण्डा			6611	3884.07	
	पंडरिया			7440	4785.25	
	पिपरिया			15776	10469.22	
	सहसपुर लोहारा			22052	13941.81	
	खरीफ 2024 योग			56266	36417.00	205
	कुकदुर	2024-25	रबी	2710	1703.22	फसल कटाई से प्राप्त उपज के आधार पर दावा गणना एवं भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
	कुण्डा			3773	1867.69	
	पंडरिया			2875	1311.1	
	पिपरिया			10627	5337.33	
सहसपुर लोहारा	13132			7843.32		
रबी 2024-25 योग			33117	18062.66		
वर्ष 2024-25 कुल योग				89383	54479.66	205


 (विकास मिश्रा)
 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

हस्ता/-
 नोडल अधिकारी (वि.स.)
 संचालनालय कृषि
 छ.ग. रायपुर

पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (उद्यानिकी फसलें)


पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में फसल बीमा से लाभान्वित किसान

राशि रूपये लाख में रकबा हेक्टेयर में

वर्ष	मौसम	जिला	तहसील	फसल	कृषक संख्या	बीमित राशि	दावा राशि प्राप्त कृषक संख्या
2023	खरीफ	कबीरधाम	कुंडा	केला	1	2.31	0
2023	खरीफ	कबीरधाम	कुंडा	बैंगन	1	0.06	0
2023	खरीफ	कबीरधाम	कुंडा	मिर्च	1	0.11	1
2023	खरीफ	कबीरधाम	कुंडा	पपीता	1	0.21	1
2023	खरीफ	कबीरधाम	कुंडा	टमाटर	13	15.07	6
2023	खरीफ	कबीरधाम	पंडरिया	मिर्च	1	0.13	0
2023	खरीफ	कबीरधाम	पंडरिया	टमाटर	5	2.61	5
2023	खरीफ	कबीरधाम	पिपरिया	केला	13	10.32	0
2023	खरीफ	कबीरधाम	पिपरिया	बैंगन	2	0.48	2
2023	खरीफ	कबीरधाम	पिपरिया	अमरूद	1	0.90	1
2023	खरीफ	कबीरधाम	पिपरिया	पपीता	1	0.06	0
2023	खरीफ	कबीरधाम	पिपरिया	टमाटर	49	63.75	48
2023	खरीफ	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	केला	63	89.56	14
2023	खरीफ	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	मिर्च	1	0.50	1
2023	खरीफ	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	पपीता	16	19.26	15
2023	खरीफ	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	टमाटर	447	408.70	111
योग खरीफ 2023					616	614.03	205
2023-24	रबी	कबीरधाम	कुंडा	बैंगन	3	0.31	1
2023-24	रबी	कबीरधाम	कुंडा	फूलगोभी	2	1.17	0
2023-24	रबी	कबीरधाम	कुंडा	प्याज	2	0.69	2
2023-24	रबी	कबीरधाम	कुंडा	आलू	1	0.91	0
2023-24	रबी	कबीरधाम	कुंडा	टमाटर	40	31.96	19
2023-24	रबी	कबीरधाम	पंडरिया	बैंगन	3	0.88	0
2023-24	रबी	कबीरधाम	पंडरिया	पत्तागोभी	2	0.27	1
2023-24	रबी	कबीरधाम	पंडरिया	फूलगोभी	3	0.41	1
2023-24	रबी	कबीरधाम	पंडरिया	प्याज	7	1.56	0
2023-24	रबी	कबीरधाम	पंडरिया	आलू	6	3.26	1
2023-24	रबी	कबीरधाम	पंडरिया	टमाटर	244	147.32	175
2023-24	रबी	कबीरधाम	पिपरिया	बैंगन	1	0.20	0

वर्ष	मौसम	जिला	तहसील	फसल	कृषक संख्या	बीमित राशि	दावा राशि प्राप्त कृषक संख्या
2023-24	रबी	कबीरधाम	पिपरिया	पत्तागोभी	3	0.79	0
2023-24	रबी	कबीरधाम	पिपरिया	फूलगोभी	3	1.28	0
2023-24	रबी	कबीरधाम	पिपरिया	प्याज	4	1.12	1
2023-24	रबी	कबीरधाम	पिपरिया	आलू	1	0.45	0
2023-24	रबी	कबीरधाम	पिपरिया	टमाटर	82	70.96	29
2023-24	रबी	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	बैंगन	2	1.60	0
2023-24	रबी	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	पत्तागोभी	1	0.68	0
2023-24	रबी	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	फूलगोभी	8	7.42	1
2023-24	रबी	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	प्याज	16	4.84	0
2023-24	रबी	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	आलू	5	3.00	3
2023-24	रबी	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	टमाटर	302	376.28	0
योग रबी 2023-24					741	657.37	234
योग वर्ष 2023-24					1357	1271.39	439
2024	खरीफ	कबीरधाम	कुंडा	केला	2	0.78	टमाटर फसल हेतु दावा राशि के गणना का कार्य प्रक्रियाधीन है। अन्य अधिसूचित उद्यानिकी फसलों की फसल अवधि समाप्त होना शेष है। फसल अवधि समाप्ति उपरांत दावा राशि की गणना कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
2024	खरीफ	कबीरधाम	कुंडा	बैंगन	1	0.06	
2024	खरीफ	कबीरधाम	कुंडा	मिर्च	1	0.11	
2024	खरीफ	कबीरधाम	कुंडा	अमरूद	1	0.31	
2024	खरीफ	कबीरधाम	कुंडा	टमाटर	64	72.19	
2024	खरीफ	कबीरधाम	पंडरिया	बैंगन	3	1.01	
2024	खरीफ	कबीरधाम	पंडरिया	मिर्च	1	0.15	
2024	खरीफ	कबीरधाम	पंडरिया	पपीता	2	3.53	
2024	खरीफ	कबीरधाम	पंडरिया	टमाटर	45	38.25	
2024	खरीफ	कबीरधाम	पिपरिया	केला	14	19.56	
2024	खरीफ	कबीरधाम	पिपरिया	बैंगन	2	0.62	
2024	खरीफ	कबीरधाम	पिपरिया	अमरूद	2	1.71	
2024	खरीफ	कबीरधाम	पिपरिया	पपीता	3	1.57	
2024	खरीफ	कबीरधाम	पिपरिया	टमाटर	105	110.67	
2024	खरीफ	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	केला	2	3.06	
2024	खरीफ	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	बैंगन	1	0.14	
2024	खरीफ	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	पपीता	2	2.69	
2024	खरीफ	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	टमाटर	41	36.21	
2024	खरीफ	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	केला	71	67.02	
2024	खरीफ	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	बैंगन	7	1.37	
2024	खरीफ	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	मिर्च	1	0.14	
2024	खरीफ	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	पपीता	26	25.32	
2024	खरीफ	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	टमाटर	225	231.76	
2024	खरीफ	कबीरधाम	कुकदूर	-	-	-	
योग खरीफ 2024					622	618.22	

वर्ष	मौसम	जिला	तहसील	फसल	कृषक संख्या	बीमित राशि	दावा राशि प्राप्त कृषक संख्या	
2024-25	रबी	कबीरधाम	कुंडा	फूलगोभी	1	0.31	अधिसूचित समस्त उद्यानिकी फसलों की फसल अवधि समाप्त होना शेष है। फसल अवधि समाप्ति उपरांत दावा राशि की गणना कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।	
2024-25	रबी	कबीरधाम	कुंडा	प्याज	9	1.39		
2024-25	रबी	कबीरधाम	कुंडा	टमाटर	38	23.63		
2024-25	रबी	कबीरधाम	पंडरिया	बैंगन	1	0.16		
2024-25	रबी	कबीरधाम	पंडरिया	प्याज	1	0.07		
2024-25	रबी	कबीरधाम	पंडरिया	आलू	1	0.12		
2024-25	रबी	कबीरधाम	पंडरिया	टमाटर	60	23.84		
2024-25	रबी	कबीरधाम	पिपरिया	बैंगन	2	0.40		
2024-25	रबी	कबीरधाम	पिपरिया	फूलगोभी	4	1.49		
2024-25	रबी	कबीरधाम	पिपरिया	प्याज	9	2.81		
2024-25	रबी	कबीरधाम	पिपरिया	आलू	2	0.33		
2024-25	रबी	कबीरधाम	पिपरिया	टमाटर	118	64.87		
2024-25	रबी	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	बैंगन	4	1.34		
2024-25	रबी	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	फूलगोभी	6	2.96		
2024-25	रबी	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	प्याज	3	0.76		
2024-25	रबी	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	आलू	2	0.32		
2024-25	रबी	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	टमाटर	212	156.56		
2024-25	रबी	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	-	-	-		
योग रबी 2024-25					473	281.35		
योग वर्ष 2024-25					1095	899.57		0


 (विकास मिश्रा)
 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर


परिशेष - साठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 896) की जानकारी

"प्रपत्र"

जिला जांजगीर-चांपा के छात्रावास/आश्रम भवनों का रख-रखाव एवं मरम्मत कार्यों की जानकारी

क्र0	वर्ष	स्वीकृत संस्था एवं कार्य का नाम	विकास खंड	स्वी. राशि
1	2	3	4	5
1	2023-24	अनु.जा. बालक आश्रम तुषार का जीर्णोद्धार कार्य	जैजैपुर	12.00
2	2023-24	अनु.जा. बालक आश्रम कंवलाझर का जीर्णोद्धार कार्य	डभरा	10.00
3	2023-24	प्री.मै.अ.जा.कन्या छात्रावास सक्ती का जीर्णोद्धार कार्य	सक्ती	7.00
4	2023-24	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास सक्ती का जीर्णोद्धार कार्य	सक्ती	9.32
5	2023-24	अनु.जन जा. बालक आश्रम अमलडिहा का जीर्णोद्धार कार्य	सक्ती	8.42
6	2023-24	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास सिघरा का जीर्णोद्धार कार्य	मालखरौदा	2.61
7	2023-24	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास सक्ती का जीर्णोद्धार कार्य	सक्ती	9.64
8	2023-24	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास पेण्डी का जीर्णोद्धार कार्य	जैजैपुर	4.50
9	2023-24	अनु.जा. बालक आश्रम हरेठीकला का जीर्णोद्धार कार्य	जैजैपुर	6.34
10	2023-24	अनु.जा. बालक आश्रम परसाडीह का जीर्णोद्धार कार्य	जैजैपुर	5.50
11	2023-24	अनु.जा. बालक आश्रम नगारीडीह का जीर्णोद्धार कार्य	जैजैपुर	5.50
12	2023-24	अनु.जन जा. बालक आश्रम गुजकुलिया का जीर्णोद्धार कार्य	जैजैपुर	4.15
13	2023-24	अनु.जन जा. कन्या आश्रम अकलसरा का जीर्णोद्धार कार्य	जैजैपुर	4.00
14	2023-24	प्री.मै.अ.जा.कन्या छात्रावास सलनी का रंग-रोगन (गोबर पेंट) कार्य	जैजैपुर	2.00
15	2023-24	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास मालखरौदा का जीर्णोद्धार कार्य	मालखरौदा	4.50
16	2023-24	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास फगूरम का जीर्णोद्धार कार्य	मालखरौदा	3.49
17	2023-24	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास पिरदा का जीर्णोद्धार कार्य	मालखरौदा	5.30
18	2023-24	अनु.जाति कन्या आश्रम मालखरौदा का जीर्णोद्धार कार्य	मालखरौदा	5.20
19	2023-24	अनु.जाति कन्या आश्रम मालखरौदा का रंग-रोगन (गोबर पेंट) कार्य	मालखरौदा	2.00
20	2023-24	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास बाराद्वार का जीर्णोद्धार कार्य	सक्ती	4.00
21	2023-24	प्री.मै.अ.जा.कन्या छात्रावास लवसरा का जीर्णोद्धार कार्य	सक्ती	4.00
22	2023-24	प्री.मै.अ.जा.कन्या छात्रावास बारद्वार का जीर्णोद्धार कार्य	सक्ती	7.00
23	2023-24	अनु.जन जा. बालक आश्रम आमापाली रंग-रोगन (गोबर पेंट) कार्य	सक्ती	1.00
24	2023-24	अनु.जन जा. बालक आश्रम केरीबंधा रंग-रोगन (गोबर पेंट) कार्य	सक्ती	1.00
25	2023-24	अनु.जन जा. बालक आश्रम मसनियाखुर्द रंग-रोगन (गोबर पेंट) कार्य	सक्ती	1.00
26	2023-24	प्री.मै.अ.जा.कन्या छात्रावास चन्द्रपुर का जीर्णोद्धार कार्य	डभरा	8.50
27	2023-24	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास डभरा का जीर्णोद्धार कार्य	डभरा	4.00
28	2023-24	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास धुरकोट का जीर्णोद्धार कार्य	डभरा	5.50
29	2023-24	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास डभरा का जीर्णोद्धार कार्य	डभरा	5.00
30	2023-24	अनु.जा. बालक आश्रम धौरामाठा का जीर्णोद्धार कार्य	डभरा	5.00
31	2023-24	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास धुरकोट रंग-रोगन (गोबर पेंट) कार्य	डभरा	2.00
योग -				159.47
1	2024-25	प्री.मै.अजजा बालक छात्रावास जांजगीर, विद्युत मरम्मत	नवागढ़	2.5
2	2024-25	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास पामगढ़ अतिरिक्त कक्ष एवं शौचालय निर्माण	पामगढ़	17.73
3	2024-25	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास चांपा अतिरिक्त कक्ष एवं शौचालय निर्माण	बम्हनीडीह	17.53
4	2024-25	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास पामगढ़ अतिरिक्त कक्ष एवं शौचालय निर्माण	पामगढ़	18.42
5	2024-25	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास बुडगहन अनुरक्षण कार्य	बलौदा	13.03
योग -				69.21
महायोग -				228.68


अनुभाग अधिकारी
आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग


पॉरीशेष्ट - इकसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 897) की जानकारी

प्रपत्र

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण मद से जिला जांजगीर-चांपा हेतु वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्य का विवरण

क्र.	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	विकास खण्ड का नाम	विधानसभा का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाख)	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	5	6	7	8
1	2024-25	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (सामुदायिक शौचालय से चण्डीमंदिर की ओर) ग्राम कनसदा	नवागढ़	पामगढ़	5.00	अप्रारंभ
2	2024-25	सी.सी. रोड निर्माण (लल्लू चौहान घर से महोदव मंदिर की ओर) ग्राम देवरी (केरा)	नवागढ़	पामगढ़	5.00	अप्रारंभ
3	2024-25	क्रांकीटीकरण कार्य (जयस्तम्भ में) ग्राम गंगाजल	नवागढ़	पामगढ़	5.00	अप्रारंभ
4	2024-25	सी.सी. रोड निर्माण (दुखीराम घर से लडबंधा तालाब की ओर) ग्राम कमरीद	पामगढ़	पामगढ़	5.00	अप्रारंभ
5	2024-25	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (सूरज टण्डन घर से प्रदीप टण्डन घर की ओर) ग्राम महका	पामगढ़	पामगढ़	5.00	अप्रारंभ
6	2024-25	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (आंगनबाड़ी से पंचायत भवन की ओर) ग्राम खरगहनी	पामगढ़	पामगढ़	5.00	अप्रारंभ
योग :-					30.00	


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर

परीशेष्ट - बैसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 916) की जानकारी

प्रपत्र

विगत दो वर्षों (दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2025 तक) में बिलासपुर जिले में हुई छापामार कार्यवाही का विवरण

क्र.	व्यवसायी का नाम एवं जीएसटीएन	जांच वर्ष	प्राप्त अनियमितताएं	कार्यवाही विवरण
1	मेसर्स मोटवानी क्रॉकरी ब्यापार विहार बिलासपुर 22ABBPM5689F1ZN	2023	1. भौतिक सत्यापन में उपलब्ध स्टॉक एवं अकाउंटिंग साफ्टवेयर में प्रदर्शित स्टॉक में अंतर पाया गया।	1. जांच पर रू. 1.31 करोड़ का स्टॉक में अधिक पाया गया। इस पर कर अपवंचन की राशि रू. 23.60 लाख आरोपित कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
			2. बिना जीएसटी प्रभारित कच्चे बिल बीजक पाए गए।	2. जांच में जब्तशुदा दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया जा रहा है।
2	संतोषा टाईल्स गैलरी तिफरा बिलासपुर 22AAQPW7694C1Z5	2023	1. भौतिक सत्यापन में उपलब्ध स्टॉक एवं लेखापालों के प्रदर्शित स्टॉक में अंतर पाया गया।	1. जांच में स्टॉक में रू. 79.08 लाख को अंतर पाया गया जिस पर व्यवसायी से कर एवं शास्ति की राशि रू. 18.00 लाख वसूल किया गया।
			2. अस्तित्वहीन व्यवसाय मेसर्स टाईल्स एण्ड मार्बल हाउस से संबंधित बिल बुक के माध्यम से कर अपवंचन किया जाना पाया गया है।	2. जांच में जब्तशुदा दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया जा रहा है।
			3. फर्शी पत्थर/कोटा स्टोन का कच्चे में क्रय-विक्रय से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुये।	
3	मेसर्स संतोषा टाईल्स इण्डस्टीयल एरिया तिफरा (अपंजीयत)	2023	1. व्यवसाय स्थल जीएसटी रजिस्ट्रेशन में पंजीयत नहीं होना पाया गया।	1. जांच में स्टॉक में रू. 2.65 करोड़ का स्टॉक में अधिक पाया गया। इस पर कर अपवंचन की राशि रू. 60.22 लाख वसूल किया गया।
			2. भौतिक सत्यापन में उपलब्ध स्टॉक एवं अकाउंटिंग साफ्टवेयर में प्रदर्शित स्टॉक में अंतर पाया गया।	2. जांच में जब्तशुदा दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया जा रहा है।
			3. जीएसटी प्रभारित नहीं किये गये कच्चे बिल पाये गए।	

विगत दो वर्षों (दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2025 तक) में बिलासपुर जिले में हुई छापामार कार्यवाही का विवरण

क्र.	व्यवसायी का नाम एवं जीएसटीएन	जांच वर्ष	प्राप्त अनियमितताएं	कार्यवाही विवरण
4	मेसर्स महावीर मोटरकॉप प्रा.लि., वर्धमान काम्पलेक्स, प्रथम फ्लोर, आईसीआईसीआई बैंक, रायपुर रोड़, परसदा, बिलासपुर जीएसटीएन- 22AAMCM4657J1Z6	2023	1. भौतिक सत्यापन में उपलब्ध स्टॉक एवं लेखापुस्तकों में प्रदर्शित स्टॉक में अंतर पाया गया।	1. व्यवसायी द्वारा 4 माह से विवरणी प्रस्तुत नहीं किया गया था, कर एवं ब्याज की राशि रु. 11.82 करोड़ जमा कराई गई।
			2. व्यवसायी द्वारा अपने शाखा कार्यालयों को पंजीयन में दर्ज किए बिना वाहनों को अन्य शाखा में स्थानांतरण से संबंधित दस्तावेज पूर्ण नहीं होना पाया गया।	2. जांच में जब्तशुदा दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया जा रहा है।
5	मेसर्स रूपाली टाईल्स एवं ट्रेडर्स, पता- ए-तीन एवं बी-तीन, साईं प्लाजा सीएमडी कॉलेज के सामने, बिलासपुर एवं तिफरा गोदाम सील तिफरा इण्डस्ट्रीज एरिया, बिलासपुर, जीएसटीन- 22AJSPS7967B1ZQ	2024	1. भौतिक सत्यापन में उपलब्ध स्टॉक एवं लेखापुस्तकों में प्रदर्शित स्टॉक की मात्रा में अंतर पाया गया। साथ ही गोदाम को जीएसटी के पंजीयन में दर्ज नहीं कराया गया था।	1. स्टॉक में अंतर और आधिक्य दावाकृत आईटीसी पाया गया। व्यवसायी को कर, ब्याज एवं शास्ति रु. 68.52 लाख जमा करने हेतु सूचना पत्र दिनांक 01.07.2024 को जारी किया गया है। प्रकरण में वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
6	मेसर्स जय बाबा ट्रेडर्स, डी-55, जोन-2, व्यापार विहार, बिलासपुर 22AAKFJ9693C1Z6	2024	1. भौतिक सत्यापन में उपलब्ध स्टॉक एवं लेखापुस्तकों में प्रदर्शित स्टॉक की मात्रा में अंतर पाया गया।	1. जांच पश्चात् रु. 17.13 लाख कर अपवंचन प्रस्तावित किया गया है।
7	मेसर्स के.पान सुगन्ध, प्लॉट नं.75,76, सिरगिट्टी सेक्टर ए इण्डस्ट्रीयल एरिया, बिलासपुर 22AADCK1910B1ZG	2024	1. भौतिक सत्यापन में पैकिंग सामग्री एवं विनिर्मित माल के स्टॉक में अंतर पाया गया।	1. जांच में कर अपवंचन पाये जाने पर रु. 3.40 करोड़ जमा कराया गया।
			2. एक अतिरिक्त स्थल पर विनिर्माण कार्य नहीं होने के बावजूद कच्चे माल का भंडारण पाया गया।	2. जांच में जब्तशुदा दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया जा रहा है।
			3. टीडीएस कटौती विवरण 26AS के विवरण के आधार पर टर्नओवर सप्रेशन पाया गया।	
8	मेसर्स के.पी.सुगन्ध लि., प्लॉट नं.70, सिरगिट्टी सेक्टर ए इण्डस्ट्रीयल एरिया, बिलासपुर 22AACCK9524A1Z1	2024	1. भौतिक सत्यापन में प्राप्त विनिर्मित सामग्री एवं लेखा पुस्तकों में प्रदर्शित स्टॉक में अंतर पाया गया।	1. जांच में कर अपवंचन पाये जाने पर रु. 1.15 करोड़ जमा कराया गया।
				2. जांच में जब्तशुदा दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया जा रहा है।

पॉरीशेष्ट - तैरसठ

अतारॉकेत प्रश्न संख्या 53 (क्र. 917) की जानकारी

प्रपत्र

(क) बिलासपुर ज़िले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 0.0200 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्डों के पंजीयन की जानकारी विकासखंडवार निम्नानुसार है:-

विकासखण्ड	पंजीबद्ध दस्तावेज संख्या
बिल्हा	10142
तखतपुर	985
मस्तूरी	255
कोटा	127

परीशेष्ट - चौसठ

प्रपत्र-अ

अतारांकित प्रश्न संख्या 54 (क्र. 918) की जानकारी

वर्ष 2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक) अनुदान हेतु प्राप्त आवेदनों की
विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	बीज निगम मुख्यालय को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन संख्या
1	2	3	4
1	बिल्हा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	147
		कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-4)	4
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	13
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	102
		शाकम्भरी योजना	48
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	11
		योग	325
2	कोटा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	116
		कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-4)	7
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	11
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	39
		शाकम्भरी योजना	240
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	1
		योग	414
3	मस्तुरी	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	193
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	12
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	125
		शाकम्भरी योजना	152
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	2
		योग	484
महायोग			1223

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
संभ्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

नोडल अधिकारी (वि.स.)

संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

प्रपत्र - 1.6

क्रं.	वर्ष	जिला	विकासखण्ड	योजना का नाम	घटक का नाम	कृषकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की संख्या	पात्र कृषकों की संख्या	अपात्र कृषकों की संख्या	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					मल्विंग संरक्षित खेती	13	13	0	
					बैंगन क्षेत्र विस्तार	11	11	0	
					फूलगोभी क्षेत्र विस्तार	3	3	0	
					धनिया क्षेत्र विस्तार	7	7	0	
					पोस्ट हार्वेस्ट मैनेज. पैक हाउस	2	2	0	
					अमरूद प्रथम वर्ष	14	14	0	
					नींबू प्रथम वर्ष	23	23	0	
					नींबू द्वितीय वर्ष	15	15	0	
					गोंदा	14	14	0	
					कद्दूवर्गीय क्षेत्र विस्तार	1	1	0	
					केला क्षेत्र विस्तार	1	1	0	
					अमरूद द्वितीय वर्ष	1	1	0	
					आम नवीन रोपण	12	12	0	
					नदी कछार योजना	50	50	0	
					राज्य पोषित योजना	210	210	0	
					सामुदायिक फौसिंग योजना	6	6	0	
					नदी कछार योजना	26	26	0	
					एग्रोफारेस्ट्री	1	1	0	
					सब मिशन ऑन एग्रो फारेस्ट्री योजना	410	410	0	
2									
					राज्य पोषित योजना				
					बिल्हा				
					कोटा				
					कोटा				
					कोटा				
3									
					सब मिशन ऑन एग्रो फारेस्ट्री योजना				
					योग				

सचालक

उद्यानका एव प्रकृति वानका
नवा रायपुर अटल नगर छ.ग.


(विद्यास मिश्रा)

उप सचिव


छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

क्र.	दस्तावेज के नाम	रिमार्क
1.	बी-1 खसरा एवं नक्शा	
2.	ग्राम पंचायत की अनुशंसा (प्रपत्र-2)	
3.	कृषक स्वघोषणा पत्र (प्रपत्र-3)	
4.	पहचान पत्र	
5.	ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों के प्रकरणों में (आवेदक के ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन / RC Book की छायाप्रति जमा करना आवश्यक है।)	
6.	आवेदक का जाति प्रमाण-पत्र (योजनाओं में जाति के आधार पर प्रावधानित अनुदान का लाभ लेने हेतु)	
7.	विद्युत पंप के प्रकरण में बिजली कनेक्शन का प्रमाण / बिजली बिल की छायाप्रति	
8.	ड्राईग- डिजाईन	

टीप :- शाकम्भरी योजना हेतु लघु एवं सीमांत कृषक पात्र।


(विकास मिश्रा)

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर


नोडल अधिकारी (वि.स.)
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

प्रपत्र- ६

कृषि यंत्रीकरण सबमिशन (कम्पो.-3) योजनांतर्गत ट्रैक्टर से
अनुदान पर लाभान्वित कृषकों की जानकारी


क्र.	लाभान्वित कृषक संख्या	कृषकों को उपलब्ध कराये गये ट्रैक्टर की दर (कृषक अंश राशि) (रूपये में)	प्रति कृषक अनुदान राशि (रूपये में)	कुल अनुदान राशि (रूपये में)	सामग्री की कुल कीमत (रूपये में)
1	2	3	4	5	6
1	12	397840.00	397840.00	4774080.00	9548160.00
2	1	404500.00	404500.00	404500.00	809000.00
3	3	426500.00	425000.00	1275000.00	2554500.00
4	1	435000.00	425000.00	425000.00	860000.00
5	2	442410.00	425000.00	850000.00	1734820.00
6	1	457449.00	457448.50	457448.50	914897.00
7	1	457828.00	457828.00	457828.00	915656.00
8	2	465568.00	425000.00	850000.00	1781136.00
9	2	470863.00	425000.00	850000.00	1791726.00
10	1	492416.00	492415.50	492415.50	984831.00
11	3	501077.00	500000.00	1500000.00	3003231.00
12	1	511500.00	340000.00	340000.00	851500.00
13	2	533345.00	425000.00	850000.00	1916690.00
14	1	550568.00	340000.00	340000.00	890568.00
15	5	584670.00	500000.00	2500000.00	5423350.00
16	1	978351.00	500000.00	500000.00	1478351.00
महायोग	39			16866272.00	35458416.00

कृषि यंत्रीकरण सबमिशन कम्पोनेंट-4

विवरण	लाभान्वित कृषक	प्रति कृषक अनुदान राशि (रु. में)
फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना (ट्रैक्टर सम्मिलित)	2	1000000


(विक्रम सिन्हा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर


नोडल अधिकारी (वि.स.)
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

परीशेष्ट - पेंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 55 (क्र. 927) की जानकारी

प्रपत्र-अ

क	विकासखण्ड	कन्या छात्रावासों की संख्या		योग
		प्री मैट्रिक	पोस्ट मैट्रिक	
1	2	3	4	5
1	महासमुन्द	5	3	8
2	बागबाहरा	6	0	6
3	पिथौरा	5	1	6
4	बसना	8	1	9
5	सरायपाली	4	2	6
	योग	28	7	35

Seena
 अनुभाग अधिकारी
 आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-ब

क	संस्था का प्रकार	कन्या छात्रावासों के भवन की स्थिति		
		स्वयं का भवन में	भवन विहीन	
			अन्य शासकीय भवन में	किराये का भवन में
1	2	3	4	5
1	प्री मैट्रिक	28	0	0
2	पोस्ट मैट्रिक	4	3	0
	योग	32	3	0

Seema

अनुभाग अधिकारी
 आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परीशेष्ट - छेसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 56 (क्र. 928) की जानकारी

प्रपत्र-अ

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
निर्मित अविक्रित आवासीय संपत्ति की जानकारी दिनांक 30-01-2025 की स्थिति में

क्र.	जिला का नाम	योजना का नाम	निर्मित आवासीय भवन (अनाबंटित अविक्रित) की संख्या	अनाबंटित अविक्रित रहने का क्या कारण है	अनाबंटित अविक्रित आवासों में से उपयोग में न आने योग्य जर्जर की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	जिला रायपुर	900 एल आई जी फ्लैट्स दीनदयाल आवास योजन कबीर नगर रायपुर	9	पूर्व में विक्रित हो चुके थे परन्तु आबंटि द्वारा राशि जमा नहीं किये जाने के कारण प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के उपरांत बेदखली आदेश प्राप्त होने पर निरस्त उपरांत रिक्त है।	-
2		240 एल आई जी फ्लैट सामान्य आवास योजना कबीर नगर	3		-
3		सामान्य आवास योजना, शंकर नगर सरहद फेस -II	1	भवनों के विक्रय नहीं होने के मुख्य कारण विशेषतः भवनों के मांग में कमी, कोविड - 19 में कोरोना महामारी के कारण, आबंटियों द्वारा भवन का पंजीयन पश्चात पुनः निरस्त करना, फ्लैट / प्रकोष्ठ भवनों हेतु कम रुझान आदि	-
4		सामान्य आवास योजना, कचना फेस -I रायपुर	13		-
5		सामान्य आवास योजना, कचना फेस -II रायपुर	1		-
6		सामान्य आवास योजना, शंकर नगर सेक्टर I रायपुर	2		-
7		सामान्य आवास योजना, आवासीय सह व्यावसायिक परिसर, सेक्टर 03 सड्डू रायपुर	8		-
8	जिला रायपुर	सामान्य आवास योजना, आवासीय सह व्यावसायिक परिसर, सेक्टर 07 सड्डू रायपुर	12	भवनों के विक्रय नहीं होने के मुख्य कारण विशेषतः भवनों के मांग में कमी, कोविड - 19 में कोरोना महामारी के कारण, आबंटियों द्वारा भवन का पंजीयन पश्चात पुनः निरस्त करना, फ्लैट / प्रकोष्ठ भवनों हेतु कम	-

9		सामान्य आवास योजना, नरदहा रायपुर	51	रुझान आदि	-
10		सामान्य आवास योजना, पिरदा रायपुर	257		-
11		सामान्य आवास योजना, खम्हारडीह रायपुर	4		-
12		दीनदयाल आवास योजना, कोहका तिल्दा रायपुर	15		-
13		दीनदयाल आवास योजना, परसुलीडीह रायपुर	3		-
14		अटल आवास योजना, मुनगी फेस -II रायपुर	13		-
15		अटल आवास योजना, धनसुली	2		-
16		दीनदयाल आवास योजना कौलोनी सेजबहार दतरंगा	1	अपर्याप्त मांग	-
17		दीनदयाल आवास योजना बोरियाकला	9	अपर्याप्त मांग	-
18		सामान्य आवास योजना सेजबहार फेस-II	13	अपर्याप्त मांग	-
19		सामान्य आवास योजना डुमरतराई फेस-I	36	अपर्याप्त मांग	-
20		सामान्य आवास योजना बोरियाकला	834	अपर्याप्त मांग	-
21		सामान्य आवास योजना डुमरतराई फेस-II	94	अपर्याप्त मांग	-
22		सामान्य आवास, सेक्टर-27 नवा रायपुर अटल नगर	9		-
23	जिला रायपुर	सामान्य आवास, सेक्टर-29 नवा रायपुर अटल नगर	11	हितग्राहियों द्वारा भवन आबंटन हेतु पंजीयन कराने पश्चात् पंजीयन वापस लिये जाने के कारण।	-
24		प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना नवा रायपुर सेक्टर-16, एवं 30	484		-
25		दीनदयाल आवास योजना, गातापार अभनपुर	17		-
26		अटल आवास योजना गातापार अभनपुर	2	हितग्राहियों द्वारा भवन आबंटन हेतु पंजीयन कराने पश्चात् पंजीयन वापस लिये जाने के कारण।	-
27		अटल विहार योजना, गोबरा नवापारा	9		-

28		अटल विहार उरला अभनपुर	30		-
29		अटल विहार योजना, आरंग	81		-
30		अटल आवास योजना, आरंग	15		-
31	जिला बलौदाबाजार	अटल विहार योजना, अर्जुनी	4	हितग्राहियों द्वारा भवन आबंटन हेतु पंजीयन कराने पश्चात् पंजीयन वापस लिये जाने के कारण।	-
32	जिला	अटल विहार योजना, मचेवा महासमुन्द	10		-
33	महासमुन्द	अटल आवास योजना, सरायपाली	10		-
34	जिला दुर्ग	सामान्य आवास योजना खारून ग्रीन्स कुम्हारी	39	बहुमंजिला भवनों की मांग कम होने के कारण	-
35		सामान्य आवास योजना तालपुरी, भिलाई	70	बहुमंजिला भवनों की मांग कम होने के कारण	-
36		सामान्य आवास योजना बघेरा, दुर्ग	7	भवनों की स्थिति अच्छी नहीं होने तथा मूल्य अधिक होने के कारण	-
37		सामान्य आवास योजना आदित्य नगर, दुर्ग	7	भवनों की स्थिति अच्छी नहीं होने तथा मूल्य अधिक होने के कारण	-
38		दीनदयाल आवास योजना चरोदा हाईट्स	73	बहुमंजिला भवनों की मांग कम होने के कारण	-
39		दीनदयाल आवास योजना खम्हरिया, भिलाई	8	बहुमंजिला भवनों की मांग कम होने के कारण	-
40		दीनदयाल आवास योजना जुनवानी, भिलाई	7	बहुमंजिला भवनों की मांग कम होने के कारण	-
41		अटल आवास योजना पाटन	17	जल आपूर्ति की समस्या तथा भवनों की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण	-
42	जिला	दीनदयाल आवास योजना कौरिनभाठा	19	पूँजीगत ब्याज भारित होने से भवनों का मूल्य अधिक होने के कारण अविक्रित है।	-
43	राजनांदगांव	दीनदयाल आवास योजना मनकी (प्र.च.)	3		-
44	जिला राजनांदगांव	अटल विहार योजना पेण्डी	23	पूँजीगत ब्याज भारित होने से भवनों का मूल्य अधिक होने के कारण अविक्रित है।	-
45		अटल आवास योजना मोहारा	75		-
46		अटल आवास योजना पेण्डी	26		-
47		अटल आवास योजना चैथना	66		-
48	जिला बेमेतरा	अटल विहार योजनातर्गत बीजाभाठा	23	आबंटन निरस्त होने के कारण भवन अविक्रित है, पुनः विक्रय हेतु पंजीयन जारी है	-
49	जिला धमतरी	सामान्य आवास योजना, नीलगिरी हाईट्स	8	बहुमंजिला भवनों की मांग कम होने के कारण	-

50		सामान्य आवास योजना, पारिजात हाईट्स	8		-
51		अटल आवास कन्हारपुरी, कुरुद	16	भवनो की मांग कम होने एवं जर्जर होने के कारण विक्रय नहीं हो पाया है।	6
52	जिला बालोद	अटल विहार योजना, चिटौद	29	बहुमंजिला भवनों की मांग कम होने के कारण विक्रय धीमी है।	-
53	जिला बस्तर	72 ई.डब्ल्यू.एस. प्रकोष्ठ भवनों का निर्माण कार्य, सामान्य आवास योजना, हाटकचोरा, जगदलपुर	1	प्रकोष्ठ भवनों का मांग नहीं होने के कारण । (वर्तमान में विक्रय हेतु पंजीयन जारी है)	-
54		440 एल.आई.जी. प्रकोष्ठ भवनों का निर्माण कार्य, सामान्य आवास योजना, हाटकचोरा, जगदलपुर	14	प्रकोष्ठ भवनों का मांग नहीं होने के कारण तथा रिक्त भवन पंचम तल में स्थित होने एवं पूंजीगत ब्याज के कारण । (वर्तमान में विक्रय हेतु पंजीयन जारी है)	-
55	जिला बस्तर	अटल विहार योजना चोकावाड़ा, जगदलपुर	3	विज्ञापन नहीं होने के कारण । (वर्तमान में विक्रय हेतु पंजीयन जारी है)	-
56		अटल विहार योजना पंडरीपानी (Phase- I,II,III,IV)	14	विज्ञापन नहीं होने के कारण । (वर्तमान में विक्रय हेतु पंजीयन जारी है)	-
57	जिला दन्तेवाड़ा	अटल विहार योजना चितालंका	47	कॉलोनी दंतेवाड़ा बस स्टैण्ड से 05 किमी. दूर तथा मुख्य मार्ग से 1.00 किमी अन्दर होने के कारण।	-
58		अटल आवास गीदम	6	आबंटियों द्वारा राशि जमा न करने के कारण निरस्त कर रिफण्ड किया गया।	-
59	जिला कांकेर	अटल आवास योजना बारगरी चारामा	24	भवनों का निर्माण वर्ष 2010 में पूर्ण हुआ है। अधिक वर्ष होने के कारण जर्जर हो रहे हैं। जिस कारण अविक्रित है।	24
60	जिला बिलासपुर	अटल विहार योजना चिल्हाटी	29	मुख्य मार्ग से कालोनी तक पहुंच मार्ग नहीं होने के कारण।	-
61		सामान्य आवास योजना अभिलाषा परिसर तिफरा	122	भवन प्रकोष्ठ में निर्मित होने से मांग नहीं होने के कारण रिक्त है।	-
62		सामान्य आवास योजना मंगला	1	भवन विक्रय उपरांत आबंटन निरस्त होने के कारण।	-
63		अटल आवास सुरदा मुंगेली	10	आबंटियों द्वारा बकाया किश्त की राशि जमा नहीं करने के कारण हितग्राहियों का आबंटन निरस्त किया गया।	10
64	जिला बिलासपुर	अटल आवास सारधा लोरमी	167	आबंटियों द्वारा बकाया किश्त की राशि जमा नहीं करने के कारण हितग्राहियों का आबंटन निरस्त किया गया एवं कॉलोनी की सड़कें सीवर लाईन इत्यादि विकास कार्य क्षतिग्रस्त होने के कारण विक्रय नहीं हो पा रहा है।	167

65		सामान्य आवास योजना राजीव नगर खरसिया	29	भवनें जर्जर एवं शहर से दूर होने के कारण लोगों द्वारा क्रय करने में रुचि नहीं ली जा रही है।	28
66		भवानी शंकर षडंगी नगर चाँदमारी	6	मण्डल द्वारा रिडवलपमेंट योजना प्रस्तावित होने के कारण प्रस्तावित होने वाले शासकीय आवास के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर महोदय के मौखिक निर्देशानुसार सभी 06 भवनों को आरक्षित रखा गया था।	-
67	जिला रायगढ़	अटल आवास योजना पुसौर	9	हितग्राहियों द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के कारण आबंटन निरस्त किया गया है।	-
68		अटल आवास योजना धरमजयगढ़	1		-
69		अटल आवास योजना घरघोड़ा	1		-
70		अटल आवास योजना गीधा खरसिया	133	भवनें जर्जर एवं शहर से दूर होने के कारण लोगों द्वारा क्रय करने में रुचि नहीं ली गई। उक्त कालोनी अत्यंत जर्जर एवं छत विहीन होने के कारण वर्तमान में निवास योग्य नहीं है।	133
71	जिला रायगढ़	अटल विहार योजना धरमजयगढ़	3	हितग्राहियों द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के कारण आबंटन निरस्त किया गया है।	-
72		अटल विहार योजना, उरगा	87	1. कॉलोनी में पर्याप्त पेय जल की आपूर्ति नहीं होने के कारण भवन क्रय करने में रुचि नहीं दिखाई गई है। 2. कलेक्टोरेट कार्यालय कोरबा से उरगा कॉलोनी की दूरी लगभग 20 कि.मी. है।	-
73		दीनदयाल आवास योजना बरबसपुर	3	आबंटियों द्वारा पूर्ण राशि जमा नहीं करने के कारण मण्डल नियमानुसार उक्त भवन का पंजीयन निरस्त कराया गया।	-
74	जिला कोरबा	दीनदयाल आवास 180 खरमोरा कोरबा	15	आबंटियों द्वारा पूर्ण राशि जमा नहीं करने के कारण मण्डल नियमानुसार उक्त भवन का पंजीयन निरस्त कराया गया।	-
75		दीनदयाल आवास रामपुर कोरबा	5	आबंटियों द्वारा पूर्ण राशि जमा नहीं करने के कारण मण्डल नियमानुसार उक्त भवन का पंजीयन निरस्त कराया गया।	-
76		दीनदयाल आवास 168 खरमोरा कोरबा	2	आबंटियों द्वारा पूर्ण राशि जमा नहीं करने के कारण मण्डल नियमानुसार उक्त भवन का पंजीयन निरस्त कराया गया।	-
77	जिला कोरबा	दीनदयाल आवास दादरखुर्द कोरबा	1	आबंटियों द्वारा पूर्ण राशि जमा नहीं करने के कारण मण्डल नियमानुसार उक्त भवन का पंजीयन निरस्त कराया गया।	-

78		दीनदयाल आवास 192 खरमोरा कोरबा	2	आवंटियों द्वारा पूर्ण राशि जमा नहीं करने के कारण मण्डल नियमानुसार उक्त भवन का पंजीयन निरस्त कराया गया।	-
79		सामान्य आवास 84 ई.डब्ल्यू. एस. खरमोरा कोरबा	4	आवंटियों द्वारा पूर्ण राशि जमा नहीं करने के कारण मण्डल नियमानुसार उक्त भवन का पंजीयन निरस्त कराया गया।	-
80		सामान्य आवास जेंजरा, कटघोरा कोरबा	1	आवंटियों द्वारा पूर्ण राशि जमा नहीं करने के कारण मण्डल नियमानुसार उक्त भवन का पंजीयन निरस्त कराया गया।	-
81	जिला गौरैला पेड़ा मरवाही	सामान्य आवास गौरैला पेन्द्रा रोड, जी.पी.एम.	1	उक्त भवन का मूल्य पूँजीगत ब्याज उपरांत बजार/विक्रय मूल्य अधिक होने के कारण	-
82	जिला जांजगीर चांपा	सामान्य आवास योजना, हसदेव विहार	2	मूल्य अधिक होने के कारण विक्रय नहीं हो पाया।	-
83	जिला सरगुजा	अटल आवास योजना (सीतापुर)	1	मांग नहीं होने के कारण।	1
84	जिला कोरिया	अटल आवास योजना (बैकुण्ठपुर सलका)	25	मांग नहीं होने के कारण।	25
85		अटल आवास योजना (कुनकुरी)	6	मांग नहीं होने के कारण।	6
86	जिला जशपुर	अटल आवास योजना (बगीचा)	25	मांग नहीं होने के कारण।	25

15/3/25
24/2/25

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर अपूर्ण / निर्माणाधीन अविक्रित आवासीय संपत्ति की जानकारी दिनांक 30.01.2025 की स्थिति में

क्र.	जिला का नाम	योजना का नाम	अपूर्ण / निर्माणाधीन भवनो की संख्या
1	2	3	4
1	जिला रायपुर	48 ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट कबीर हाईट्स, सामान्य आवास योजना कबीर नगर, रायपुर	13
2		सामान्य आवास योजना, नरदहा रायपुर	61
3		सामान्य आवास योजना, मुनगी रायपुर	9
4		सामान्य आवास योजना कॉलोनी सेजबहार फेस - II	23
5		प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना नवा रायपुर सेक्टर-16, एवं 34	3608
6	जिला बलौदाबाजार	अटल विहार योजना, अर्जुनी	33
7	जिला महासमुन्द	अटल विहार योजना, मचेवा महासमुन्द	80
8	जिला दुर्ग	अटल विहार योजना परसदा कुम्हारी, भिलाई	296
9		सामान्य आवास योजना बघेरा, दुर्ग	14
10		अटल विहार योजना मुरमुन्दा, कुम्हारी	10
11		अटल विहार योजना पुलगांव, दुर्ग	46
12	जिला धमतरी	अटल विहार योजना, पोटियाडीह (निर्माणाधीन)	2
13	जिला बालोद	अटल विहार योजना, गुरुर(निर्माणाधीन)	24
14		अटल विहार योजना, चिटौद (निर्माणाधीन)	63
15	जिला बस्तर	रिडेव्हलपमेन्ट योजना चित्रकोट हाईट्स, चांदनी चैक जगदलपुर (निर्माणाधीन)	57
16	जिला बीजापुर	अटल विहार योजना कोतापाल (भवन निर्माणाधीन है पंजीयन प्रारंभ है।)	22
17	जिला दन्तेवाड़ा	सामान्य आवास गौदम (भवन निर्माणाधीन है पंजीयन प्रारंभ है।)	11
18	जिला कोण्डागांव	अटल विहार योजना मरारपारा कोण्डागांव (निर्माणाधीन)	3
19	जिला बिलासपुर	सामान्य आवास योजना, देवरीखुर्द फेस-II	21
20	जिला कोरबा	अटल विहार योजना, झगरहा	103

59-
24.2.25
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पॉरिशेष्ट - सड़सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 57 (क्र. 930) की जानकारी

प्रपत्र

क.	अवधि	जिला	वितरित वन अधिकार पत्र	
			व्यक्तिगत	सामुदायिक
1	2	3	4	5
1	अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक	कोरिया	262	10
2		मनेन्द्रगढ़	178	0
3		सरगुजा	15	1
4		जशपुर	0	0
5		रायगढ़	0	0
6		सारंगढ़	0	0
7		कोरबा	430	0
8		जांजगीर-चांपा	11	0
9		सक्ती	0	0
10		बिलासपुर	0	0
11		कबीरधाम	0	0
12		राजनांदगांव	0	0
13		खैरागढ़	0	0
14		मोहला	0	2
15		महासमुंद	1	0
16		धमतरी	0	0
17		कांकेर	93	35
18		बस्तर	41	0
19		नारायणपुर	28	0
20		दंतेवाड़ा	55	0
21		बीजापुर	165	0
22		सुकमा	471	0
23		कोण्डागांव	1273	23
24		गरियाबंद	0	1
25		बलौदाबाजार	130	0
26		बलरामपुर	10	0
27		सूरजपुर	30	45
28		बालोद	8	0
29		मुंगेली	0	0
30		गौरैला	8	0
		योग	3209	117



अनुभाष अधिकारी
भूमि तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, बलरामपुर

पॉरीशेष्ट - अडसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 59 (क्र. 933) की जानकारी

प्रपत्र

ग्रीन हाऊस, नेट हाऊस, पॉली हाऊस, निर्माण हेतु भुगतान की गई अनुदान राशि की वर्षवार/विकासखण्डवार/कृषकवार जानकारी

क्रं.	वर्ष	विकासखण्ड	योजना का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित कृषक एवं ग्राम का नाम	भुगतान की गई राशि (राशि रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	10
1	जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक	-		ग्रीन हाऊस	-	0.00
		योग-				0.00
	जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक	गुरुर		शेडनेट हाऊस	श्री कुमार साहू/शुमुक ग्राम-पलारी	7.10
		गुरुर		शेडनेट हाऊस	श्री गजेन्द्र कुमार/मकसुदन ग्राम- बिच्छीबाहरा	7.10
		योग-				14.20
2	जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक	डौण्डीलोहारा	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	शेडनेट हाऊस	श्री गन्नु लाल/छेरका राम ग्राम- औंरी	7.10
		डौण्डीलोहारा		शेडनेट हाऊस	श्री तिहारू राम/मेहल्लर ग्राम- करियागोंदी	7.10
		डौण्डीलोहारा		शेडनेट हाऊस	श्रीमति पदमावती/रमनजी ग्राम- अन्टोला	7.10
		योग-				21.30
	जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक	डौण्डी		शेडनेट हाऊस	श्रीमति भागवती/सहदेव ग्राम-बम्हनी	7.10
		योग-				7.10
3	जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक	-		पॉली हाऊस	-	0.00
		योग-				0.00
		कुलयोग-				42.60

परीशेष्ट - उनहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 62 (क. 943) की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	विकासखंड	डीपीआर हेतु प्रावधानित राशि	डीपीआर निर्माण हेतु जिलों को प्रदाय राशि	डीपीआर निर्माण की व्यय राशि					कुल व्यय	एजेंसी का नाम
					2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (जनवरी 2025)			
1	बालोद	गुरुर	8.45	4.00	0.00	3.97	0.00	0.00	3.97	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी	
2	बेमेलरा	साजा	11.57	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी	
3	बेमेलरा	साजा	16.06	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी	
4	दुर्ग	पाटन	13.27	4.00	0.00	3.75	0.00	0.00	3.75	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी	
5	दुर्ग	दुर्ग	17.44	4.00	0.23	3.76	0.00	0.00	3.99	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी	
6	कबीरखाम	बोडला	9.07	4.00	0.61	3.36	0.00	0.00	3.97	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी	
7	कबीरखाम	पण्डरिया	14.06	4.00	0.12	3.81	0.00	0.00	3.93	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी	
8	राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	11.43	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी	
9	राजनांदगांव	मानपुर	19.60	4.00	0.00	3.99	0.00	0.00	3.99	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी	
10	बिलासपुर	कोटा	14.90	4.00	0.00	3.99	0.00	0.00	3.99	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी	
11	जाजगीर-बांपा	सक्ति	7.86	4.00	0.00	3.99	0.00	0.00	3.99	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी	
12	कोरवा	पोडीउपरोड़ा	11.79	4.00	0.00	3.88	0.00	0.00	3.88	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी	
13	कोरवा	पाली	9.93	4.00	0.00	3.85	0.00	0.00	3.85	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी	
14	मुंगली	मुंगली	14.50	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी	
15	रायगढ़	घरघोड़ा	9.92	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी	
16	रायपुर	तिरवा	15.22	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी	
17	बलीदाबाजार	कसडोल	11.34	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी	
18	धमतरी	मगारलोड	13.58	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी	
19	महारासमुंद	महारासमुंद	15.26	4.00	0.23	2.75	0.00	0.00	2.98	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी	
20	महारासमुंद	पिथौरा	14.90	4.00	0.66	3.34	0.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी	
21	गरियाबंद	देवभोग	14.95	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी	
22	गरियाबंद	गरियाबंद	8.73	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी	

डिटेल् प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) मद अंतर्गत व्यय की जानकारी

(राशि रु. लाख में)

प्रपत्र

क्र.। जिला का नाम	प्रकाशक	डा.प्राथमिक हेतु प्राथमानिक शिक्षा	डा.प्राथमिक हेतु जिलों को प्रदाय शिक्षा	डा.प्राथमिक नामांकन का व्यय शिक्षा					एजेंसी का नाम	
				2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (जनवरी 2025)	कुल व्यय		
23	बरनर	दरशा	15.48	4.00	0.00	3.99	0.00	0.00	3.99	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
24	बरनर	बरनानार	13.47	4.00	0.00	3.92	0.00	0.00	3.92	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
25	कोण्डागांव	बड़ेराजपुर	12.48	4.00	0.00	3.98	0.00	0.00	3.98	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
26	कोण्डागांव	कोण्डागांव	10.58	4.00	0.00	3.97	0.00	0.00	3.97	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
27	कांकरे	कांकरे	15.67	4.00	0.00	3.58	0.00	0.00	3.58	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
28	कांकरे	कांकरे	18.51	4.00	0.00	3.49	0.00	0.00	3.49	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
29	कांकरे	दुर्गाकोदल	14.43	4.00	0.00	3.13	0.00	0.00	3.13	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
30	नारायणपुर	नारायणपुर	15.67	4.00	0.00	3.96	0.00	0.00	3.96	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
31	दत्तवाड़ा	दत्तवाड़ा	14.94	4.00	0.00	3.99	0.00	0.00	3.99	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
32	दत्तवाड़ा	कुआंकोण्डा	12.01	4.00	0.00	3.99	0.00	0.00	3.99	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
33	बीजापुर	उसूर	18.23	4.00	0.00	2.81	0.00	0.00	2.81	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
34	बीजापुर	बीजापुर	13.68	4.00	0.00	3.17	0.00	0.00	3.17	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
35	सुकमा	कोटा	13.57	4.00	0.00	3.94	0.00	0.00	3.94	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
36	सुकमा	छिंदगढ़	15.40	4.00	0.00	3.90	0.00	0.00	3.90	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
37	सरगुजा	उदयपुर	14.49	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
38	सरगुजा	लखनपुर	16.00	4.00	0.00	3.99	0.00	0.00	3.99	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
39	बलरामपुर	बलरामपुर	13.37	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
40	बलरामपुर	रामानुजगंज	15.52	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
41	जशपुर	पत्थलगंज	14.21	4.00	0.00	3.86	0.00	0.00	3.86	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
42	जशपुर	बगीचा	15.07	4.00	0.00	3.82	0.00	0.00	3.82	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
43	कोरिया	बैकुण्ठपुर	11.23	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
44	कोरिया	भरतपुर	14.74	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
45	सरजपुर	मैयाथान-प्रतापपुर	11.09	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
जिला का योग			613.66	180.00	1.85	171.93	0.00	0.00	173.78	

क्र.	जिला का नाम	विकासखंड	डीपीआर हेतु प्रावधानित राशि	डीपीआर निर्माण हेतु जिलों को प्रदाय राशि	डीपीआर निर्माण की व्यय राशि					कुल व्यय	एजेंसी का नाम
					2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (जनवरी 2025)	कुल व्यय		
1		राज्य स्तर (छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी)	-	-	0.00	8.85	0.00	0.00	8.85	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, हैदराबाद	
		राज्य स्तर का योग	-	-	0.00	13.15	13.15	0.00	26.30	छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद रायपुर	
		कुल योग	613.66	180.00	1.85	22.00	13.15	0.00	35.15		

(विकास मिश्र)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जेव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नगर रायपुर, अटल नगर

हस्ता.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी
रायपुर छ.ग.

परिशेष - सत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 63 (क्र. 944) की जानकारी

क्र.	जिला	कार्य का नाम	मंडी क्षेत्र	सागत (लाख में)	निर्माण/वीन संरचना	लंबाई/ चौड़ाई (मीटर में)	कार्यवार स्थावर मीटर	कार्यवार व्यय (लाख में)	अंतिम मूल्यांकन सत्यापन तिनांक	सेच (घन मीटर)	मिट्टी (घन मीटर)	मुक्त (घन मीटर)	सप्लाय की राशि (लाख में)	भौतिक स्थिति	सिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	राजनांदगांव	ग्राम पंचायत बोदला पेटेशी पुलिया से पेटेशी एनीकट तक 1.50 कि.मी. एप्रोच रोड।	जोगरागांव	14.98	डक्यू. की. एम. रोड	1111 / 4.04	4490.53	13.59	13.06.2024	0	269.43	199.98	0.45	पूर्ण	
2	राजनांदगांव	ग्राम पंचायत पारगांव / आरथीर डक्यूवीएम रोड)	जोगरागांव	21.8	डक्यू. की. एम. रोड	1957 / 4.16	9143	18.85	26.07.2024	0	488.58	1246.50	1.26	पूर्ण	
3	राजनांदगांव	ग्राम पंचायत बोदला में ग्राम बरलापुर मेनरोड से बरलापुर 1.08 कि.मी. एप्रोच रोड।	जोगरागांव	18.03	डक्यू. की. एम. रोड	1719.7 / 3.73	6426.26	16.43	06.08.2024	0	337.28	1285.26	1.08	पूर्ण	
4	राजनांदगांव	ग्राम पंचायत थाकल डक्यूवीएम रोड (3.00 कि.मी.)	जोगरागांव	45.84	डक्यू. की. एम. रोड	2252.2 / 5.64	12722	38.59	05.09.2024	0	667.95	4017.96	2.88	पूर्ण	
5	राजनांदगांव	जिला राजनांदगांव ग्राम पंचायत खपथीकला रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग (02 कि.मी.) एप्रोच रोड	जोगरागांव	10.86	डक्यू. की. एम. रोड	1097.6 / 3.18	3495.6	7.56	01.04.2024	0	209.73	101.48	0.42	पूर्ण	
6	राजनांदगांव	ग्राम पंचायत जमशे अंतर्गत जटकाबार रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग पर 3.00 कि.मी. डक्यूवीएम रोड	जोगरागांव	29.62	डक्यू. की. एम. रोड	2403 / 4.14	9449.53	24.89	26.07.2024	0	596.96	2604.00	2.08	पूर्ण	
7	राजनांदगांव	जिला राजनांदगांव ग्राम पंचायत पारगांवकला रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग एप्रोच रोड	जोगरागांव	11.39	डक्यू. की. एम. रोड	1470 / 3.1	4557	9.81	01.04.2024	0	273.42	132.30	0.32	पूर्ण	
8	राजनांदगांव	ग्राम पंचायत पनियाजोब के ग्राम पनियाजोब से रेलवे गेट तक (पनियाजोब जलाशय) में 03 की.मी. एप्रोच रोड निर्माण।	जोगरागांव	14.46	डक्यू. की. एम. रोड	1562.3 / 4.08	6384.53	13.57	06.08.2024	0	383.07	0	0.50	पूर्ण	
9	राजनांदगांव	जिला राजनांदगांव अंतर्गत ग्राम पंचायत बंसातरा / ग्राम जोगीदल्ही सी.सी. रोड निर्माण कार्य। (700 मी.)	राजनांदगांव	28.16	सी. सी. रोड	4154 / 5.02	2085.3	16.94	01.07.2024	322.07	608.54	0	0.95	पूर्ण	
10	राजनांदगांव	जिला राजनांदगांव अंतर्गत ग्राम पंचायत बंसातरा एव ग्राम जोगीदल्ही में शीतला भवन एव पहुंच मार्ग निर्माण कार्य। (10.20 / 9.20 मी.)	राजनांदगांव	12.81	सी.सी. रोड		5.00	5.00		14.99	29.98	402.34	0.25	पूर्ण	
		योग :-		2407.95			172.48						10.32		

वर्ष 2023 से जनवरी 2024 (मंडी समिति निधि से स्वीकृत कार्य)															
क्र.	जिला	कार्य का नाम	मंडी क्षेत्र	लागत (लाख में)	निर्माणधीन संरचना	लंबाई/ चौड़ाई (मीटर में)	कार्यवाह स्थापित मीटर	कार्यवाह व्यय (लाख में)	अंतिम मुल्यांकन संस्थापन तिथि	सेप्ट (घन मीटर)	फिट्टी (घन मीटर)	मुलम (घन मीटर)	चाल्टी की राशि (लाख में)	भौतिक स्थिति	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	राजनांदराव	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्राम-गातावाड	जोगराव	14.03	सी.सी.रोड	400/3.75	1965.90	13.95	06.12.2024	149.52	299.04	284.25	0.60	पूर्ण	
2	राजनांदराव	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्राम-सेवा	जोगराव	15.78	सी.सी.रोड	450/3.75	2248.56	14.21	07.12.2024	149.54	299.08	307.32	0.61	पूर्ण	
3	राजनांदराव	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्राम-अण्डी	जोगराव	14.03	सी.सी.रोड	400/3.75	1814.14	13.19	08.12.2024	133.88	267.76	445.52	0.64	पूर्ण	
4	राजनांदराव	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्राम-ठाकुरटोला (को.)	जोगराव	14.03	सी.सी.रोड	400/3.75	1500	0	-	-	-	-	-	प्रतिरित	
5	राजनांदराव	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्राम-बुधेश	जोगराव	7.01	सी.सी.रोड	200/3.75	750	0	-	-	-	-	-	प्रतिरित	
6	राजनांदराव	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्राम-कस्तुरावाड	जोगराव	14.03	सी.सी.रोड	400/3.75	1218.75	12.75	07.12.2024	131.89	263.79	250.62	0.53	पूर्ण	
7	राजनांदराव	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्राम-क्षीरापुर (भक्काटोला)	जोगराव	10.52	सी.सी.रोड	300/3.75	1670.68	9.43	07.12.2024	91.82	183.65	304.72	0.44	पूर्ण	
		योग:-		89.43			63.53						2.82		
		कार्यों की संख्या 17 कुल योग		297.38			236.008						13.1351		

उपनिर्वाह शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव विविधता विभाग

विकास
उप निधि

विकास
उप निधि

परिशिष्ट - इकहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 65 (क्र. 958) की जानकारी

प्रपत्र -अ

प्रदूषण की रोकथाम हेतु लगाये गये ब्यस्था / यंत्रो की जानकारी

क्रमांक	उद्योग का नाम एवं पता	जल प्रदूषण की रोकथाम (औद्योगिक दूषित जल के उपचार) हेतु	वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु
1.	मेसर्स एन.एम.डी.सी. स्टील लिमिटेड, आयरन एण्ड स्टील प्लांट, ग्राम-नगरनार, जिला-बस्तर	दूषित जल उपचार संयंत्र (एफ्लूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट), बायोलॉजिकल ऑक्सीजन प्लांट (बी.ओ.डी.) एवं सेंट्रल एफ्लूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट	ई.एस.पी. एवं बैग फिल्टर
2.	मेसर्स ब्रज मेटालिक्स प्रा.लि., स्पंज आयरन प्लांट, ग्राम-रायकोट, जिला- बस्तर	सेडीमेंटेशन / री सर्कुलेशन टैंक	ई.एस.पी. एवं बैग फिल्टर

59-
24-2-25

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

उद्योगों का प्रश्राद्धीन अवधि में किये गये निरीक्षण, पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना, एवं की गई कार्यवाही संबंधी जानकारी

क्रमांक	उद्योग का नाम	वर्ष	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना के बिंदु	की गई कार्यवाही
1.	मेसर्स एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, आयरन एण्ड स्टील प्लांट, ग्राम-नगरनार, जिला-बस्तर	2022	27.12.2022	1. प्रमेन्द्र शेखर पाण्डेय (क्षेत्रीय अधिकारी) 2. प्रवीण नाग (सहायक अभियंता)	निरंक	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही नहीं की गई।
			30.11.2022	प्रवीण कुमार भारती (रसायनज्ञ)	निरंक	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही नहीं की गई।
		2023	22.06.2023	प्रवीण कुमार भारती (कनिष्ठ वैज्ञानिक)	निरंक	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही नहीं की गई।
			04.07.2023	1. प्रमेन्द्र शेखर पाण्डेय (क्षेत्रीय अधिकारी) 2. प्रवीण नाग (सहायक अभियंता)	दूषित जल उपचार संयंत्र से आंशिक उपचारित जल पाइपलाइन में लीकेज होकर स्टार्म वाटर ट्रेन में जाना पाया गया। जल का निस्सारण परिसर के बाहर नहीं पाया गया। उद्योग द्वारा उक्त समस्या को निरीक्षण दौरान सुधार करवा लिया गया।	उद्योग को दिनांक 05.07.2023 को पत्र जारी कर भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने वाकत निर्देशित किया गया।
			19.10.2023	1. प्रमेन्द्र शेखर पाण्डेय (क्षेत्रीय अधिकारी) 2. प्रवीण नाग (सहायक अभियंता)	बी.ओ.डी. प्लांट (ई.टी.पी.) का संचालन ठीक से नहीं करने, ऑनलाइन कंटीन्युअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम एवं ऑनलाइन कंटीन्युअस एम्बियंट एयर मॉनिटरिंग सिस्टम का संचालन किया जाना नहीं पाया गया।	उद्योग को जल अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' तहत दिनांक 20.10.2023 को नोटिस जारी किया गया।
			28.11.2023	1. प्रवीण नाग (सहायक अभियंता) 2. घनश्याम सिंह (वैज्ञानिक) 3. प्रवीण कुमार भारती (कनिष्ठ वैज्ञानिक)	1. बारिश में पानी की निकासी हेतु बनाये गये नाले से औद्योगिक दूषित जल की निकासी परिसर के बाहर होना पाया गया। 2. नाले में काला गाद जमा होना पाया गया।	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33'क' के तहत दिनांक 29.11.2023 को नोटिस जारी किया गया तथा उद्योग पर प्रतिदिन 30,000/- की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 4,50,000/-दिनांक 26.12.2023 को जमा कर दी गई।
			13.12.2023	1. प्रमेन्द्र शेखर पाण्डेय (क्षेत्रीय अधिकारी) 2. प्रवीण नाग (सहायक अभियंता)	निरंक	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही नहीं की गई।
		2024	09.01.2024	1. घनश्याम सिंह (वैज्ञानिक) 2. प्रवीण कुमार भारती (कनिष्ठ वैज्ञानिक)	वायु मॉनिटरिंग के परिणाम मानकों से अधिक पाए गये।	उद्योग को दिनांक 09.01.2024 को वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में सुधार हेतु निर्देशित किया गया।

			21.06.2024	1. प्रवीण नाग (सहायक अभियंता) 2. खोमेंद्र कुमार (सहायक ग्रेड 02)	निरंक	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही नहीं की गई।
			05.08.2024	घनश्याम सिंह (वैज्ञानिक)	वायु मॉनिटरिंग के परिणाम मानकों से अधिक पाए गये।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' तहत दिनांक 16.08.2024 को नोटिस जारी किया गया। उद्योग द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 9,60,000/-दिनांक 21.09.2024 को जमा कर दी गई।
			05.09.2024	1. शैलेष पिम्दा (क्षेत्रीय अधिकारी) 2. प्रवीण नाग (सहायक अभियंता)	निरंक	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही नहीं की गई।
			26.11.2024	नन्द कुमार पटेल (रसायनज्ञ)	निरंक	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही नहीं की गई।
2.	मेसर्स ब्रज मेटालिक्स प्रा.लि., स्पंज आयरन प्लांट, ग्राम-रायकोट, जिला-बन्तर	2022	10.02.2022	प्रवीण कुमार भारती (रसायनज्ञ)	निरंक	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही नहीं की गई।
			07.05.2022	प्रवीण कुमार भारती (रसायनज्ञ)	1. उद्योग के चिमनी से अत्याधिक उत्सर्जन पाया गया। 2. ठोस अपशिष्ट डोलोचार का वैज्ञानिक तरीके से भंडारण एवं निपटान किया जाना नहीं पाया गया।	उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत दिनांक 09.05.2022 को नोटिस जारी किया गया।
			16.05.2022	प्रवीण कुमार भारती (रसायनज्ञ)	निरंक	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही नहीं की गई।
			17.05.2022	प्रवीण कुमार भारती (रसायनज्ञ)	निरंक	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही नहीं की गई।
			16.11.2022	प्रवीण कुमार भारती (रसायनज्ञ)	निरंक	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही नहीं की गई।
		2023	20.01.2023	1. प्रमोद शंखर पाण्डेय (क्षेत्रीय अधिकारी) 2. प्रवीण नाग (सहायक अभियंता)	उद्योग के चिमनी से अत्याधिक उत्सर्जन पाया गया	उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' दिनांक 20.01.2023 को नोटिस जारी किया गया।
			10.02.2023	प्रवीण कुमार भारती (रसायनज्ञ)	निरंक	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही नहीं की गई।
			12.05.2023	प्रवीण कुमार भारती (रसायनज्ञ)	निरंक	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही नहीं की गई।
			29.08.2023	प्रवीण कुमार भारती (कनिष्ठ वैज्ञानिक)	निरंक	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही नहीं की गई।
		2024	14.02.2024	प्रवीण कुमार भारती (कनिष्ठ वैज्ञानिक)	निरंक	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही नहीं की गई।
			09.05.2024	प्रवीण कुमार भारती (कनिष्ठ वैज्ञानिक)	निरंक	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही नहीं की गई।
			22.11.2024	1.घनश्याम सिंह (वैज्ञानिक) 2.नन्द कुमार पटेल (रसायनज्ञ)	निरंक	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही नहीं की गई।


 अवैर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 अक्वास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पारोशेष्ट - बहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 66 (क. 1067) की जानकारी

प्रपत्र

विधानसभा सारंगढ़ के अंतर्गत विकासखंड-सारंगढ़ में राख के भू-भराव/खदान भराव स्थल की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम व पता	राख के भू-भराव/खदान भराव का स्थल	भराव की स्थिति (पूर्ण/प्रगतिरत / आरंभ नहीं)
1.	मेसर्स डी.बी. पाँवर लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, जिला-सक्ती (छ.ग.)	ग्राम-गुढ़ेली, तह.-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक-466/2ग, रकबा 0.405 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक-388/1, 388/5, 388/12 रकबा क्रमशः 0.129, 0.121, 0.068 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 311/1, रकबा 0.220 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 300/3घ, रकबा 0.242 एवं खसरा क्रमांक 256/2 256/4 रकबा क्रमशः 0.121, 0.101 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 324/2क, रकबा 0.138 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 324/5, रकबा 0.072 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 383/1घ, रकबा 0.129 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 20/2क, 320/2ख, 320/2ग, 320/2घ, 320/4, 320/5, कुल रकबा 0.161 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 388/2, 388/6, 388/11, रकबा क्रमशः-0.138, 0.053, 0.069, हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-सरसरा, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 126/1क, 126/1ख, 126/2, 126/3, 126/4 एवं 126/5 रकबा क्रमशः 0.134, 0.133, 0.097, 0.040, 0.243, 0.598 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 315/3, रकबा 0.081 एवं खसरा क्रमांक 317/2, रकबा-0.117 हे.	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 569/3च/1, रकबा-0.706 हे.	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 518, 581, रकबा क्रमशः-1.696 एवं 1.489 हे.	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 290/1च, 290/1ड, 290/1छ एवं 307, कुल रकबा क्रमशः-0.691 हे.	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 569/3च/1, रकबा-0.706 हे.	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 290/2, रकबा 0.061 हे., खसरा क्रमांक 301, रकबा 0.146 हे., खसरा क्रमांक 308/1 एवं 308/2, रकबा क्रमशः 0.210 एवं 0.194 हे.	पूर्ण
		ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 933, 942, 882, 883/1 एवं 883/2, कुल रकबा-0.898 हे.	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक 451/1, रकबा-0.729 हे.	पूर्ण
		ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक - 1062/1, 1062/2, 1063/2, 1063/3, 1063/5, 1065, 1066/1, 1066/2 एवं 1064/2 कुल रकबा-0.669 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-300/2ख रकबा 1.105 हे. खसरा क्रमांक 304/2 रकबा 0.251 हे., खसरा क्रमांक 304/1ख रकबा 0.219 हे., खसरा क्रमांक 300/2क रकबा 0.105 हे., खसरा क्रमांक 582/1 रकबा 0.368 हे.	पूर्ण

	<p>ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक 900/2, 900/6, खसरा क्रमांक 900/3, 900/8, खसरा क्रमांक 956, खसरा क्रमांक 900/7, 900/9, खसरा क्रमांक 959, खसरा क्रमांक 900/4, खसरा क्रमांक 901/1, 901/4, 901/5, 901/6, खसरा क्रमांक 901/2, 901/3, खसरा क्रमांक 951/1 एवं 952 कुल रकबा-1.007 हे.</p>	पूर्ण
	<p>ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक 958/4, 958/6, खसरा क्रमांक 957/1, 957/2, 962/2, 964, 965/1, 955/1, 958/2, 958/5, 958/8, 960, 962/1, खसरा क्रमांक 950/1, 950/3, 956/4, 15006, 15007, खसरा क्रमांक 950/2, 951/2, 953/3, 953/5, 953/1, खसरा क्रमांक 963, 958/7, 900/5, 958/1, 958/3 कुल रकबा 3.427 हेक्टेयर</p>	पूर्ण
	<p>ग्राम-गुडेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-444/1, 444/2, 444/3, 444/6, 444/7, 444/8, 446/2क, 446/2ग कुल रकबा-1.084 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 446/1, रकबा-0.150 हेक्टेयर</p>	पूर्ण
	<p>ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक 993/1, रकबा 0.125 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1037 रकबा 0.121 हेक्टेयर व खसरा क्रमांक 1038 रकबा 0.125 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 993/3, रकबा 0.020 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 994/2, रकबा 0.072 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 995/2, रकबा 0.089 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 996/2 रकबा 0.053 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1039/1 रकबा 0.045 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1039/2 रकबा 0.126 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1039/3 रकबा 0.077 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1040/2 रकबा 0.036 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1040/3 रकबा 0.036 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1041 रकबा 0.040 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1042/1 रकबा 0.024 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1043/7 रकबा 0.113 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1043/8 रकबा 0.081 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1043/5 रकबा 0.101 हेक्टेयर व खसरा क्रमांक 1042/2 रकबा 0.024 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1043/2 रकबा 0.098 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1043/3 रकबा 0.097 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1043/4 रकबा 0.097 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1046/2 रकबा 0.065 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1047/2 रकबा 0.134 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 996/1 रकबा 0.045 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 995/1 रकबा 0.032 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 997 रकबा 0.441 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1036/2 रकबा 0.069 हेक्टेयर व खसरा क्रमांक 1035 रकबा 0.040 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1049/8 रकबा 0.049 हेक्टेयर व खसरा क्रमांक 1049/9 रकबा 0.049 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1049/15 रकबा 0.040 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1049/16 रकबा 0.147 हेक्टेयर व खसरा क्रमांक 1036/4 रकबा 0.053 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1049/21 रकबा 0.117 हेक्टेयर व खसरा क्रमांक 1036/1 रकबा 0.053 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1049/5 रकबा 0.130 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1049/27 रकबा 0.103 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1049/25 रकबा 0.050 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 1049/26 रकबा 0.131 हेक्टेयर</p>	पूर्ण
	<p>ग्राम-गुडेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-554/4 रकबा- 0.324 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-554/3 रकबा-0.300 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-554/8 रकबा-0.300 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-554/9 रकबा-0.300 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-554/10 रकबा-0.072 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-554/11 रकबा-0.077 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-467/7 रकबा-0.202 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-467/8 रकबा-0.202 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-554/12 रकबा-0.065, खसरा क्रमांक-467/2 रकबा-0.324 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक-467/3 रकबा-0.247 हेक्टेयर</p>	पूर्ण
	<p>ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक 958/4, 958/6, 957/1, 957/2, 962/2, 964, 965/1, 955/1, 958/2, 958/5, 958/8, 960, 962/1, 950/1, 950/3, 950/4, 15006, 15007, 950/2, 951/2, 953/3, 953/5, 953/1, 963, 958/7, 900/5, 958/1, 958/3 कुल रकबा 3.525 हेक्टेयर</p>	पूर्ण
	<p>ग्राम-लालाधुर्वा, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-543/2 रकबा-0.051 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-543/3, 544/2, 541/8, 541/9 रकबा-0.228 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-544/1, 544/3, 544/4, 544/7, 541/3, 543/1 रकबा-0.231 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक- 544/5, 544/8, 586/3 रकबा-0.116 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-544/6, 544/9, 584/3, 586/1 रकबा-0.122 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-544/10 रकबा-0.215 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-542/1 रकबा-0.121 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-545/2 रकबा-0.214 हेक्टेयर कुल रकबा-1.298 हेक्टेयर</p>	पूर्ण

		ग्राम-लालाधुर्वा, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-543/2 रकबा-0.051 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-543/3, 544/2, 541/8, 541/9 रकबा-0.228 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-544/1, 544/3, 544/4, 544/7, 541/3, 543/1 रकबा-0.231 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-544/5, 544/8, 586/3 रकबा-0.116 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-544/6, 544/9, 584/3, 586/1 रकबा-0.122 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-544/10 रकबा-0.215 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-542/1 रकबा-0.121 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-545/2 रकबा-0.214 हेक्टेयर, कुल रकबा-1.298 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ के खसरा क्रमांक-958/4 व 958/6 रकबा क्रमशः-0.040 व 0.142 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-957/1, 957/2, 962/2, 964, 965/1, 955/1, 958/2, 958/5, 958/8, 960, 962/1 रकबा क्रमशः-0.053, 0.049, 0.101, 0.008, 0.352, 0.057, 0.093, 0.113, 0.142, 0.073, 0.105 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-950/1, 950/3, 950/4, 15006, 15007 रकबा क्रमशः-0.571, 0.178, 0.150, 0.073, 0.073 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-963 रकबा-0.121 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-958/7 रकबा-0.142 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-900/5, 958/1, 958/3 रकबा क्रमशः-0.020, 0.109, 0.089 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-950/2, 951/2, 953/3, 953/5, 953/1 रकबा क्रमशः-0.571, 0.178, 0.150, 0.073, 0.073 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक-963, कुल रकबा-3.427 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-सेंदुरस, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-87/2/2, 90/2/2, 91/2/2, 92, 93/2 एवं 93/1 कुल रकबा-1.511 हेक्टेयर	प्रगतिरत
		ग्राम-लालाधुर्वा, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-178/3 एवं 204 कुल रकबा-1.446 हेक्टेयर	प्रगतिरत
2.	मेसर्स अडानी पॉवर लिमिटेड (पूर्व नाम मेसर्स रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड) ग्राम-छोटे भण्डार, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक-1882/1 एवं 1882/2, रकबा क्रमशः - 0.231 एवं 0.235 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 451/2, रकबा 0.482 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 306/1, रकबा 0.089 हे., खसरा क्रमांक 306/2, रकबा 0.093 हे., खसरा क्रमांक 306/3 व 306/5, रकबा क्रमशः 0.038 व 0.040 हे., खसरा क्रमांक 306/4, 306/6 व 306/7, रकबा क्रमशः 0.182, 0.040 व 0.046 हे., खसरा क्रमांक 308/2, रकबा 0.194 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-लालाधुरवा, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 192 रकबा 0.219 हे., खसरा क्रमांक 197, रकबा 0.239 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-306/1, रकबा-0.089 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 306/2, रकबा 0.093 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-306/3, 306/5, रकबा क्रमशः-0.038 एवं 0.040 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-451/2, रकबा 0.482 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-515/2, रकबा 0.405 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-466/6, रकबा 0.321 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-519/1, 519/2, 519/3, 519/4, 520/1, एवं 520/2 रकबा क्रमशः- 0.239, 0.117, 0.117, 0.117, 0.316 एवं 0.160 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-515/1ख, 515/1ग, रकबा क्रमांक 0.052 एवं 0.405 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 515/1क/1 रकबा-0.194 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-452/4, रकबा 0.447 हेक्टेयर	पूर्ण

		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक 582/1, रकबा - 0.368	पूर्ण
		ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-81/9क कुल रकबा-0.150 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-सेंदुरस (गुढ़ेली), तहसील-सारंगढ़, जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-70/2, 81/2ख, 81/3ख, 81/1, कुल रकबा-0.802 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-खर्री बड़े, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-174, 83, 362 कुल रकबा-0.899 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़ (छ.ग.) खसरा क्रमांक-1880, 1881, 1879/2ख, 1879/2, कुल रकबा-0.429 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-कुटेला, नगरपालिका निगम सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ के खसरा क्रमांक-129 एवं 134 रकबा क्रमशः-0.975 एवं 0.636 हे. कुल रकबा-1.611 हेक्टेयर	आरंभ नहीं
		ग्राम-खर्रीबड़े, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़ के खसरा क्रमांक-233 एवं 234/2 रकबा क्रमशः-0.150 एवं 0.178 हे. कुल रकबा-0.328 हेक्टेयर	आरंभ नहीं
3.	मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड, ग्राम-नाहरपाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक-1882/1 एवं 1882/2, रकबा क्रमशः 0.231 एवं 0.235 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक-515/1/क/1, रकबा 0.194 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 515/1/ख, 515/1/ग, रकबा क्रमशः 0.052, 0.405 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 582/1 रकबा 0.368 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 582/2, रकबा 0.368 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 448/4क, 449/2क, 461/2/क, रकबा क्रमशः 0.023, 0.137, 0.158 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 300/3/झ रकबा 0.351 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-सेंदुरस, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-81/10 कुल रकबा-0.210 हेक्टेयर	पूर्ण
4.	मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, ग्राम-लारा, तह-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-गुढ़ेली, तहसील व जिला-सारंगढ़ के खसरा क्रमांक 466/1, 466/5, रकबा क्रमशः 0.330, 0.320 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील व जिला-सारंगढ़ के खसरा क्रमांक 558, रकबा 2.339 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील व जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ के खसरा क्रमांक 558, रकबा 2.339 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक 558, रकबा 2.679 हेक्टेयर	पूर्ण
5.	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती (छ.ग.)	ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 448/4क, 449/2क, 461/2क, रकबा क्रमशः- 0.023, 0.137, 0.158 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 300/3/क, रकबा 0.303 हेक्टेयर एवं, खसरा क्रमांक 300/3/ख, रकबा 0.750 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 451/2, रकबा 0.482 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक-446/2ख, रकबा 0.532 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़ (छ.ग.) खसरा क्रमांक-1880, 1881, 1879/2ख, 1879/2, कुल रकबा-0.429 हेक्टेयर	पूर्ण
		ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक-992/1, 992/2, 992/3, 992/ 4, रकबा क्रमशः-0.105, 0.105, 0.162, 0.162 एवं खसरा क्रमांक-1043/1 एवं 1043/6 रकबा क्रमशः-0.081 एवं 0.113 हेक्टेयर	पूर्ण

6.	मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 300/3/ख रकबा-0.750 हे.	पूर्ण
7.	मेसर्स सिंघल इनर्जी लिमिटेड, ग्राम-तमराईमाल, जिला-रायगढ़	ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 302/2, 309/2/क, रकबा क्रमशः 0.608, 0.238 हेक्टेयर	पूर्ण
8.	मेसर्स सारडा इनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, (पूर्व नाम मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड) ग्राम-बिजकोट, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 448/4/क, 449/2/क, 461/2/क, रकबा क्रमशः 0.023, 0.137, 0.158 हेक्टेयर ग्राम-लालाधुरवा, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 138/2, 165/1, 174, 184, 186/1 रकबा क्रमशः- 0.081, 0.243, 0.089, 0.930, 0.085 हेक्टेयर	पूर्ण पूर्ण
9.	मेसर्स श्री श्याम इस्पात (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तमराईमाल, पोस्ट-गेरवानी, जिला-रायगढ़	ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 302/2, 309/2/क, रकबा 0.845 हेक्टेयर	पूर्ण
10.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-पतरापाली, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़ (छ.ग.) के खसरा क्रमांक- 857/1 रकबा-0.085 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-857/5 रकबा-0.041 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-857/7 रकबा-0.089 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-857/19 रकबा-0.037 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-857/2 रकबा-0.033 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-857/9 रकबा-0.066 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-857/13 रकबा-0.037 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-857/3 रकबा-0.085 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-857/17 रकबा-0.089 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-857/18 रकबा-0.056 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-857/20 रकबा-0.061 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-857/4 रकबा-0.060 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-857/12 रकबा-0.032 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-857/16 रकबा-0.037 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-857/6 रकबा-0.066 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-857/10 रकबा-0.032 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-857/14 रकबा-0.037 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-857/8 रकबा-0.066 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-857/11 रकबा-0.032 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-857/15 रकबा-0.037 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-863/2/1 रकबा-0.054 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक-863/2/2 रकबा-0.055 हेक्टेयर	पूर्ण
11.	मेसर्स सिंघल इन्टप्राईजेश प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तमराईमाल, पोस्ट-गेरवानी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक-516/3, रकबा 0.769 हेक्टेयर	पूर्ण


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 अन्नवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर